Syndicate Bank
विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण
Faithful, Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

www.syndicatebank.in

वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016 ANNUAL REPORT

CELEBRATING 90 YEARS
वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा
1925-2015

नए क्षितिज की ओर बढ़ते कदम

SOARING TOWARDS NEW HORIZONS

वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016 ANNUAL REPORT

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण
Faithful, Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

www.syndicatebank.in

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
RAJBHASHA KIRTI PURASKAR

14 सितंबर 2015 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी के करकमलों से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) प्राप्त करते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अरुण श्रीवास्तव

Sri Arun Shrivastava, MD & CEO, receiving the **Rajbhasha Kirti Puraskar** [1st Prize] from the Hon'ble President of India, **Sri Pranab Mukherjee** on **14th September 2015.**

ऑनलाइन बचत खाता खोलें
Open SB Account Online

सिंड स्वयं

अब अपना खाता खोलें ऑनलाइन
झटपट और आसान !

Synd Swayam

Now Opening your Account Online is
Simple and Faster!

अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं: www.syndicatebank.in
For more details, please visit our website: www.syndicatebank.in

हमारे संस्थापक
Our Founders

श्री उपेन्द्र अनंत पै
Sri. Upendra Ananth Pai

डॉ टी.एम.ए. पै
Dr. T.M.A. Pai

श्री वी. एस कुडवा
Sri. V.S. Kudva

सिंडिकेटबैंक का इतिहास
SyndicateBank History

सिंडिकेटबैंक की स्थापना भगवान श्री कृष्ण की निवास भूमि, तटीय कर्नाटक के उडुपि में मात्र 8000/– रुपए की पूंजी से तीन दूरदर्शियों – श्री उपेन्द्र अनंत पै, व्यवसायी, श्री वामन कुड्वा, इंजीनियर और डॉ टी.एम.ए.पै, डॉक्टर द्वारा 1925 में की गयी थी। इन तीनों में सामाजिक कल्याण के प्रति अडिग आस्था थी। इनका मुख्य उद्देश्य समाज से छोटी बचतों का संग्रह करके उन स्थानीय बुनकरों को वित्तीय सहायता पहुंचाना था जो हथकरघा उद्योग में संकट के कारण संघर्ष का सामना कर रहे थे। बैंक, सन् 1928 में शुरु की गई पिग्मी जमा योजना के अधीन अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से जमाकर्ताओं के घर–घर पहुँच कर प्रतिदिन दो आने की मामूली रकम एकत्रित करता था। यह योजना आज बैंक की ब्रांड ईक्विटी बन गई है और बैंक इस योजना के अधीन प्रतिदिन रु.2 करोड़ की राशि संग्रह कर रहा है।

सिंडिकेटबैंक की प्रगति यात्रा, भारत में प्रगामी बैंकिंग के विभिन्न चरणों का पर्याय रहा है। अपने मार्गदर्शन की भूमिका तथा दूरदर्शी नीतियों के बलबूते 90 वर्षों की लम्बी अवधि के दौरान बैंक ने अपने लिए दो से तीन पीढ़ियों के ग्राहकों से युक्त सुदृढ़ ग्राहक आधार का निर्माण किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सुदृढ़ पकड़ और जमीनी हक़ीकत का व्यापक समझ होने के कारण बैंक के पास भारत के भविष्य की एक दूरदृष्टि है। बैंक अपनी विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विचारधाराओं का संरक्षण करते हुए तथा नई विचारधाराओं को अपनाते हुए बैंकिंग क्षेत्र में नवोन्मेषता लाने का प्रयास कर रहा है। बैंक और जनता दोनों के परस्पर अवलंबन द्वारा प्रगति प्राप्त करने के उसके तत्व–ज्ञान से बैंक को भारी लाभ हुआ है। बैंक द्वारा देश के विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य किये जाने के साथ–साथ समावेशी विकास पर अनवरत ध्यान दिया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी, ज्ञान और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में 21वीं सदी की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए बैंक सन्नद्ध है। एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी योजना तैयार की गयी है और अपने कार्यकलापों के हर क्षेत्र में ग्राहक संतुष्टि पाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बैंक कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाया जा रहा है। बैंक ने समाज के विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर अपने उत्पादों एवं सेवाओं को उनके अनुकूल बनाया है। बैंक द्वारा केन्द्रीकृत बैंकिंग समाधान नामक एक महत्वाकांक्षी प्रौद्योगिकी योजना का शुभारंभ किया गया है जिसके द्वारा अपनी 3700 से भी अधिक शाखाओं को 100% सीबीएस प्लेटफ़ार्म के अंतर्गत लाया जा चुका है। बैंक के 3700 से भी अधिक एटीएम देशभर में फैले हुए हैं।

SyndicateBank was established in 1925 in Udupi, the abode of Lord Krishna in coastal Karnataka with a capital of ₹8,000/- by three visionaries - Sri Upendra Ananth Pai, a businessman, Sri Vaman Kudva, an engineer and Dr. T.M.A. Pai, a physician - who shared a strong commitment to social welfare. Their objective was primarily to extend financial assistance to the local weavers who were crippled by a crisis in the handloom industry through mobilising small savings from the community. The Bank collected as low as 2 annas daily at the doorsteps of the depositors through its Agents under its Pigmy Deposit Scheme started in 1928. This scheme is the Bank's brand equity today and the Bank collects around ₹ 2 crore per day under the scheme.

The progress of SyndicateBank has been synonymous with the phase of progressive banking in India. Spanning over 90 years of pioneering expertise, the Bank has created for itself a solid customer base comprising customers of two to three generations. Being firmly rooted in rural India and understanding the grass root realities, the Bank's perception had a vision of future India. It has been propagating innovations in Banking and also has been receptive to new ideas, without however getting uprooted from its distinctive socio-economic and cultural ethos. Its philosophy of growth by mutual sustenance of both the Bank and the people has paid rich dividends. The Bank has been operating as a catalyst of development and consistently focusing on inclusive growth across the country.

The Bank is well-equipped to meet the challenges of the 21st century in the areas of Information Technology, knowledge and competition. A comprehensive IT plan is being put in place and the skills and knowledge of the Bank's personnel are being upgraded through a variety of training programmes to promote customer delight in every sphere of its activity. The Bank has customised its products and services keeping in view the requirements of different strata of the society. The Bank has launched an ambitious technology plan called Core Banking Solution (CBS) and now covered 100% of its more than 3700 branches under CBS platform. The Bank has more than 3700 ATMs across the Country.

निदेशक मंडल
Board of Directors

श्री टी के श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक
Sri T K Srivastava
Executive Director

श्री अरुण श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ.
Sri Arun Shrivastava
Managing Director & C.E.O.

श्री रवि शंकर पाण्डेय
कार्यपालक निदेशक
Sri Ravi Shanker Pandey
Executive Director

श्री रा ना दुबे
निदेशक
Sri R N Dubey
Director

श्री रुद्र नारयण कर
निदेशक
Sri Rudra Narayan Kar
Director

श्री शंकरन भास्कर अय्यर
निदेशक
Sri Sankaran Bhaskar Iyer
Director

श्री संजय अनंत मांजरेकर
निदेशक
Sri Sanjay Anant Manjrekar
Director

श्री अतुल अशोक गलांडे
निदेशक
Sri Atul Ashok Galande
Director

श्री कमल किशोर सिंघल
निदेशक
Sri Kamal Kishore Singhal
Director

महाप्रबंधक
General Managers

श्री अतुल कुमार
Sri Atul Kumar

श्री नागराज राव आई पी
Sri Nagaraja Rao I P

श्री शशिशेखर प्रहराज
Sri Shashisekar Praharaj

श्री टी रवींद्रनाथ
Sri T Ravindranath

श्री वी गणेशन
Sri V Ganesan

श्री उदय शंकर मजूमदार
Sri Uday Sankar Majumder

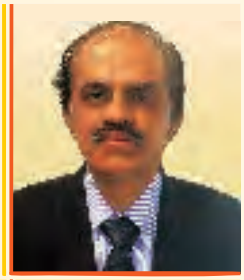

श्री एच भास्कर
Sri H Bhaskar

श्री तिम्मप्पा रै के
Sri Thimmappa Rai K

श्री वी अशोकन
Sri V Asokan

श्री एम मोहन रेड्डी
Sri M Mohan Reddy

श्री विनायक एम भट्ट
Sri Vinayak M Bhat

श्री बी गणेश पै
Sri B Ganesh Pai

महाप्रबंधक
General Managers

श्री के मंजुनाथ
Sri K Manjunath

श्री एन माधुरभूतेश्वरन
Sri N Madhurbootheswaran

श्री बिजय कुमार पंडित
Sri Bijoy Kumar Pandit

श्री गोपीनाथ टी अय्यर
Sri Gopinath T Iyer

श्री निर्मलकृष्णा भट्टाचार्जी
Sri Nirmalkrishna Battacharjee

श्री एम प्रसाद
Sri M Prasad

श्री अशोक रेड्डी नूकला
Sri Ashok Reddy Nukala

श्री सुब्रमणि आर
Sri Subramani R

श्री के श्रीनिवास राव
Sri K Srinivasa Rao

श्री सतीश कामत
Sri Sathish Kamath

श्री अच्युतानंद दास
Sri Achyutananda Das

मालवाहक जहाज से संबंधित बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान हेतु नई प्रणाली के उद्घाटन समारोह में श्री नितिन गडकरी, माननीय केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार का स्वागत करते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अरुण श्रीवास्तव

Sri Arun Shrivastava, MD & CEO welcoming Sri Nitin Gadkari, Hon'ble Union Minister for Road Transport, Highways & Shipping, Govt. of India to the inauguration function of new system of online payment of Light Dues in respect of Container Vessels.

कारपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में 90वें संस्थापना दिवस का दीप प्रज्वलित करने के साथ उद्घाटन करते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अरुण श्रीवास्तव

Sri Arun Shrivastava, MD & CEO, lighting the lamp to mark the inauguration of 90th Foundation Day celebrations at Corporate Office, Bengaluru.

एसआईबीएम, मणिपाल में सामान्य बैंकिंग विषयों पर हिंदी में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन

Inauguration of National Seminar in Hindi at SIBM, Manipal.

प्रधान कार्यालय, मणिपाल में 90वें संस्थापना दिवस के अवसर पर मंचासीन उच्च पदाधिकारी गण

Dignitaries on the dais on the occasion of the 90th Foundation Day celebrations at Head Office, Manipal.

सिंड–ई–पासबुक ने स्मार्ट टेक्नोलॉजी के लिए भारत में सर्वोत्कृष्ट स्कॉच अवार्ड 2015 जीता

Synd e-Passbook wins "SKOCH Award for India's Best - 2015 in Smart Technology".

सीएसआर पहल के रूप में गरीब छात्राओं को स्कूल बैग प्रदान किया गया

Distribution of school bags to poor girl students as a CSR initiative.

नेपाल भूकंप पीडितों के लिए राहत सामग्री भेजी गई

Dispatch of relief materials to Nepal earthquake victims.

मणिपाल में 90वें संस्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

Blood Donation Camp organised on the occasion of 90th Foundation Day celebrations at Manipal.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – प्रथमा बैंक की 15 शाखाओं और 4 एटीएम का उद्घाटन करते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अरुण श्रीवास्तव

Inauguration of 15 branches and 4 ATMs of our RRB - Prathama Bank by Sri Arun Shrivastava, MD & CEO

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर शपथ ग्रहण कराते हुए कार्यपालक निदेशक, श्री टी के श्रीवास्तव

Sri T K Srivastava, Executive Director, administered the Pledge during the Vigilance Awareness Week.

30 अक्तूबर 2015 को शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक का एक दृश्य

A view of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders on 30th October, 2015.

29 अक्तूबर 2015 को मुंबई में आयोजित विश्लेषकों की बैठक

Analysts' Meet at Mumbai on 29th October, 2015.

सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत एंबुलेंस का दान
Donation of ambulance under CSR activity.

कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्दरामय्या की अध्यक्षता में एसएलबीसी, कर्नाटक की बैठक
SLBC, Karnataka Meeting under the chairmanship of Sri Siddaramaiah, Hon'ble Chief Minister of Karnataka.

श्री अनंत कुमार, माननीय केंद्रीय मंत्री, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्री सिद्दरामय्या, माननीय मुख्य मंत्री, कर्नाटक की उपस्थिति में बेंगलूरु में पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई एवं एपीवाई आदि प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्घाटन
Launch of Pradhan Mantri Social Security Schemes, viz. PMJJBY, PMSBY & APY in the presence of Sri Siddaramaiah, Hon'ble Chief Minister of Karnataka, Sri Ananth Kumar, Hon'ble Union Minister for Chemicals and Fertilizers, Government of India at Bengaluru.

स्वच्छ विद्यालय पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण
Construction of toilets in Government schools under Swachh Vidyalaya initiative.

कार्यक्रम / Events

मुद्रा कार्ड की शुरुआत करते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अरुण श्रीवास्तव
Launching of MUDRA Card by
Sri Arun Shrivastava, MD & CEO

दि. 25.07.2015 को हमारी सभी शाखाओं में ग्राहक सम्मेलन का आयोजन किया गया।
Customer Meet conducted across all our Branches on 25.07.2015

पूर्णिया, बिहार के भूकंप पीड़ितों को राहत सामग्रियों का वितरण
Distribution of relief materials to earthquake victims of Purnea, Bihar

चेन्नई के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्रियों का वितरण
Distribution of relief materials to flood victims of Chennai.

सिंड समग्र ग्राम विकास योजना (एसएसजीवीवाई) से संबंधित रिपोर्ट
सिंडिकेट बैंक की आदर्श ग्राम अंगीकरण योजना

Report on Synd Samagra Gram Vikas Yojana (SSGVY)
A Model Village Adoption Scheme of SyndicateBank

हमारे बैंक ने गाँवों के समग्र विकास के लिए देश भर में 26 गांवों को अंगीकार किया है। इन गांवों में एसएसजीवीवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए सीएसआर फंड से ₹20 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है।

Our Bank has adopted 26 villages spread across the country for their all-round development. A budget of ₹ 20 lakh is sanctioned to each such village from CSR Fund for implementation of the SSGVY scheme.

पहले / **Before**

बाद में / **After**

एसएसजीवीवाई योजना के अंतर्गत कर्नाटक के विजयपुरा अग्रणी जिले के गुनाकी गांव की कीचड़वाली/कच्ची सड़क को ₹6.51 लाख की लागत पर हमारे बैंक द्वारा विकसित किया गया।

The muddy / kuccha road of Gunaki village of Vijayapura lead district in Karnataka was developed by our Bank at a cost of ₹ 6.51 lakh under the SSGVY scheme

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के पेरावली गांव में आरओ की सुविधा वाले पीने के पानी की व्यवस्था के लिए बैंक द्वारा बोरवेल, स्टोरेज टैंक एवं पाईपलाइन बिछाने का कार्य संपन्न किया गया। परियोजना लागत: ₹5,00,000/–

Bore Well, Storage Tank and laying of pipeline undertaken by the Bank for provision of drinking water with RO facility at Peravali Village of Anantapur District, Andhra Pradesh. Project cost: ₹ 5,00,000/-

हमारी शांतिनगर शाखा (क्षे.का, बेंगलूरु उत्तर) द्वारा वित्तपोषित, मेसर्स लोड कंट्रोल इंडिया प्रा. लि.
M/s. Load Control India Pvt. Ltd., financed by our Shanthinagar Branch [R.O. Bengaluru North]

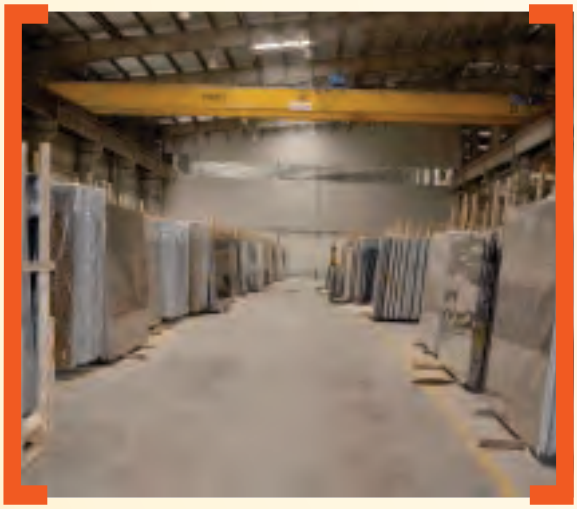

हमारी अर्मेनियन स्ट्रीट शाखा (क्षे. का. चेन्नई) द्वारा वित्तपोषित
मेसर्स एलायंस ग्रानिमारमो (प्रा.) लि.
M/s. Alliance Granimarmo (P) Ltd., financed by our
Armenian Street Branch [R.O. Chennai]

हमारी जम्मू शाखा (क्षे.का. लुधियाना) द्वारा वित्तपोषित
चेनानी–नशरी टनल परियोजना
Chenani-Nashri Tunnel Project financed by our
Jammu Branch [R.O. Ludhiana]

विषय सूची CONTENTS
वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2015 – 2016

	पृष्ठ Page
• प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य Managing Director & CEO's Statement	3
• निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	15
• कार्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	83
• बासेल – III प्रकटीकरण – मार्च 2016 Basel III Disclosures – March 2016	149
• लेखा–परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditors' Report	175
• तुलन–पत्र Balance Sheet	178
• लाभ व हानि लेखा P & L Account	179
• लेखों की अनुसूचियाँ Schedules to Accounts	180
• महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies	186
• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ Notes on Accounts	194
• नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	215
• समेकित तुलन–पत्र Consolidated Balance Sheet	217
• सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड SyndBank Services Limited	260
• ईसीएस संबंधी परिपत्र Circular regarding ECS	271
• ईसीएस अधिदेश फार्म ECS Mandate Form	273
• फार्म 2बी Form 2B	275
• कार्पोरेट अभिशासन में हरित पहल: कागज़ रहित Green Initiative in Corporate Governance: Go Paperless	277
• पते में परिवर्तन का फार्म Change of Address Form	278
• अप्रदत्त लाभांश Unpaid Dividends	280

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री अरुण श्रीवास्तव, *प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी*	**Shri Arun Shrivastava,** *Managing Director and Chief Executive Officer*
श्री टी के श्रीवास्तव, *कार्यपालक निदेशक*	**Shri T K Srivastava,** *Executive Director*
श्री आर एस पाण्डेय, *कार्यपालक निदेशक*	**Shri R S Pandey,** *Executive Director*
श्री आर एन दूबे, *निदेशक*	**Shri R N Dubey,** *Director*
श्री रुद्र नारायण कर, *निदेशक*	**Shri Rudra Narayan Kar,** *Director*
श्री शंकरन भास्कर अय्यर, *निदेशक*	**Shri Sankaran Bhaskar Iyer,** *Director*
श्री संजय अनंत मांजरेकर, *निदेशक*	**Shri Sanjay Anant Manjrekar,** *Director*
श्री जी रमेश, *निदेशक* (25.04.2016 से)	**Shri G Ramesh,** *Director* (w.e.f. 25.04.2016)
सुश्री वंदना कुमारी जेना, *निदेशक* (25.04.2016 से)	**Ms. Vandana Kumari Jena,** *Director* (w.e.f. 25.04.2016)
श्री अतुल अशोक गलांडे, *निदेशक*	**Shri Atul Ashok Galande,** *Director*
श्री कमल किशोर सिंघल, *निदेशक*	**Shri Kamal Kishore Singhal,** *Director*

लेखा–परीक्षक	**Auditors**
मेसर्स गणेशन एंड कंपनी	M/s Ganesan and Company
मेसर्स मणियन एंड राव	M/s Manian & Rao
मेसर्स पी जी भागवत	M/s P G Bhagwat
मेसर्स एस एन कपूर एंड एसोसियेट्स	M/s S N Kapur & Associates
मेसर्स अगस्ती एंड एसोसियेट्स	M/s Agasti & Associates

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट
मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा) लिमिटेड
यूनिट: सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी,
प्लॉट सं.31 से 32, गचीबौली
फिनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद – 500 032
दूरभाष: 040 67162222 या
040 67161516 (D)
फैक्स: 040 23001153
टॉल फ्री नं.: 1800-345-4001

Registrars & Share Transfer Agents
M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
Unit: SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B.,
Plot No. 31–32, Gachibowli
Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad 500 032
Phone No. 040 67162222 or
040 67161516 (D)
Fax No. 040 23001153
Toll Free No. 1800-345-4001

कंपनी सचिव
निवेशक संपर्क केंद्र
सिंडिकेट बैंक – कारपोरेट कार्यालय,
2 क्रास, गांधीनगर
बेंगलूरु – 560 009 (कर्नाटक)
दूरभाष: 080 - 22283030
फैक्स - 080 - 22283030
ई–मेल: inrc@syndicatebank.co.in (सामान्य)
निवेशक शिकायत:
syndinvest@syndicatebank.co.in

The Company Secretary
Investor Relations Centre
SyndicateBank - Corporate Office
2nd Cross, Gandhinagar
Bengaluru - 560 009 (Karnataka)
Tel 080 - 22283030
Fax - 080 - 22283030
E-mail: inrc@syndicatebank.co.in (General)
Investor Grievances:
syndinvest@syndicatebank.co.in

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल की ओर से तथा मैं, अपनी ओर से बैंक की 17वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित लेखे सहित वार्षिक रिपोर्ट आपके हाथों में है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आपके बैंक के महत्वपूर्ण निष्पादनों को प्रस्तुत करने से पूर्व, मैं चाहूँगा कि कुछ उभरती चुनौतियों एवं व्यापक आर्थिक मामलों को इस अवसर पर आपके साथ साझा करूँ जिनका पूरे बैंकिंग उद्योग के निष्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है।

व्यापक आर्थिक परिवेश

खास तौर पर औद्योगिक उत्पादन में कमी, निवेश में गिरावट, सकल मांग में कमी, पण्य कीमतों में गिरावट तथा विश्व व्यापार में भारी गिरावट होने के कारण वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए वर्ष 2015 एक नाजुक वर्ष साबित हुआ। वर्ष 2015 के दौरान, विदेशी विनिमय एवं शेयर बाजार में काफी उतार- चढ़ाव देखा गया जिसके कारण शेयर एवं विदेशी विनिमय बाजार बेहद दबाव में आ गए। आई एम एफ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक जीडीपी में वर्ष 2014 के 3.4% वृद्धि के मुकाबले वर्ष 2015 में 3.1% की वृद्धि हुई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का दृष्टिकोण सकारात्मक प्रतीत होता है पर, यूरोपियन संघ के साथ-साथ ब्राजील, रूस, चीन तथा जापान में मांग में गिरावट एवं मुद्रा अपस्फीति की समस्या का कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की सहन वापसी में बाधा उत्पन्न हो रही है। आईएमएफ ने संभावना जाताया है कि वैश्विक वित्तीय बाजार के तेजी से बढ़ते जोखिमों के कारण वर्ष 2016 में भी धीमी वैश्विक वृद्धि दर जारी रहेगी।

उपरोक्त पृष्ठभूमि के प्रतिकूल, घरेलू अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2014-15 में 7.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 में 7.6 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर्ज करते हुए बेहतर निष्पादन का प्रदर्शन किया। कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए योजित सकल मूल्य (जीवीए) में वर्ष 2014-15 में क्रमश: -0.2

MANAGING DIRECTOR & CEO'S STATEMENT

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors and also on my personal behalf, I have great pleasure in extending a very warm welcome to all of you at the 17th Annual General Meeting of the Bank.

The Annual Report, including the Audited Accounts of the Bank for the year ended 31 March 2016 has been in your hands for some time.

Before I proceed to present highlights of your Bank's performance for the financial year 2015-16, let me briefly share at this juncture, some of the emerging challenges and macroeconomic issues which were having a strong bearing on the performance of the entire banking industry.

MACRO ECONOMIC ENVIRONMENT

The year 2015 turned out to be a fragile year for expansion of global economic activities, especially on account of slowdown in industrial production, subdued investment, weak aggregate demand, low commodity prices and considerable decline in world trade. During 2015, foreign exchange and equity markets experienced bouts of volatility, leading to stock and foreign exchange markets under severe pressure. As per the data released by IMF, global GDP grew by 3.1% in 2015 as against 3.4% in 2014. The outlook for advance economies seems to be positive, but demand stagnation and deflation problem in the European Union alongwith slowdown in Brazil, Russia, China and Japan is posing risk to smooth recovery of global economy. IMF has predicted that weak global growth will continue in 2016 also, as heightened risks emanating from meltdown of global financial market is escalating.

Against the above backdrop, domestic economy had demonstrated better performance by registering GDP growth of 7.6 per cent in 2015-16 as compared to 7.2 per cent in 2014-15. The Gross Value Added (GVA) for agriculture, industry and services sector grew by 1.1

प्रतिशत, 5.9 प्रतिशत एवं 10.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 में क्रमश: 1.1 प्रतिशत, 7.3 प्रतिशत एवं 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

मुद्रा आपूर्ति (एम 3), पिछले वर्ष की संबंधित अवधि में दर्ज 12.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 10.3 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्शाते हुए ₹116543 बिलियन हो गयी है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) की संचयी वृद्धि, अप्रैल-मार्च 2014-15 के दौरान 2.8 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-मार्च 2015-16 के दौरान 2.4 प्रतिशत हो गई हैं।

मासिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्लू पी आई) पर आधारित, मुद्रास्फीति की वार्षिक दर, पिछले वर्ष के संबंधित महीने (मार्च, 2015) के दौरान -2.33% की तुलना में मार्च, 2016 में - 0.85% (अनंतिम) हो गई है। सीपीआई (सामान्य) संयुक्त मुद्रास्फीति, मार्च 2015 में 5.25 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2016 में 4.83 प्रतिशत हो गई है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशि, पिछले वर्ष की संबंधित अवधि के दौरान दर्ज 10.7% की वृद्धि की तुलना में 18 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, 9.9% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्शाते हुए ₹93786 बिलियन हो गई है। दूसरी ओर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण, पिछले वर्ष की संबंधित अवधि के दौरान दर्ज 9.0% की वृद्धि की तुलना में 11.3% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्शाते हुए ₹72776 बिलियन हो गए हैं।

देश का निर्यात, अप्रैल-मार्च 2014-15 में $ 310 बिलियन की तुलना में अप्रैल-मार्च 2015-16 में 15.85% घटकर $ 261 बिलियन हो गया है। दूसरी ओर, कुल आयात अप्रैल-मार्च 2014-15 में $ 448 बिलियन की तुलना में अप्रैल-मार्च 2015-16 में 15.28% घटकर $ 379 बिलियन हो गया है। भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी), पिछले वर्ष की संबंधित अवधि में 1.7% की तुलना में, देश के व्यापार घाटे में कमी होने के कारण, 31 दिसंबर 2016 तक 9 महीनों में घटकर जीडीपी का 1.4% हो गया है।

यद्यपि, अपनी मजबूत व्यापक आर्थिक संरचना की सहायता से घरेलू अर्थव्यवस्था, प्रतिकूल वैश्विक गतिविधियों से काफी हद तक सुरक्षित है; फिर भी, मंद वैश्विक वित्तीय बाजार एवं चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण, खास तौर पर अपने विदेशी विनिमय एवं बाह्य क्षेत्र के निष्पादन में भारत पर प्रतिकूल प्रभाव देखा जा सकता है।

बैंकिंग उद्योग निरंतर कड़े गतिरोधों का सामना कर रहा है, जिनमें ऋण विस्तार की धीमी गति, उच्च ब्याज दर शामिल है जिसमें अब कुछ कमी आ रही है, इससे लाभ मार्जिन संकुचित होते जा रहे हैं और अनर्जक आस्तियों में वृद्धि हो रही है। 1 अप्रैल 2016 से, सभी संस्वीकृत रुपए ऋण तथा ऋण सीमाओं को नवीकृत करके उसे एमसीएलआर से जोड़ा गया है। बचत जमाराशियों पर भी प्रत्येक तिमाही ब्याज जमा किया जाएगा। वैश्विक अनिश्चितता एवं घरेलू बाजार में मंदी के बावजूद, यह घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आपके बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान यथोचित बेहतर निष्पादन दर्शाया है।

वर्ष 2015-16 के दौरान आपके बैंक के निष्पादन की मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

- ❖ वैश्विक कारोबार, 31.03.2015 की स्थिति में ₹461192 करोड़ के मुकाबले बढ़कर 31.03.2016 की स्थिति में ₹468184 करोड़ हो गया है (वर्षानुवर्ष 1.52% की वृद्धि)।
- ❖ वैश्विक जमाराशियाँ, 31.03.2015 की स्थिति में ₹255388 करोड़ के मुकाबले बढ़कर 31.03.2016 की स्थिति में ₹261735 करोड़ हो गई हैं (वर्षानुवर्ष 2.49% की वृद्धि)।

per cent, 7.3 per cent and 9.2 per cent respectively in 2015-16 as compared to -0.2 per cent, 5.9 per cent and 10.3 per cent respectively in 2014-15.

The money supply (M3) stood at to ₹116543 billion as at Mar.31, 2016 registering a y-o-y growth of 10.3 per cent as against a growth of 12.0 per cent recorded during the corresponding period of the previous year. The cumulative growth in Index of Industrial Production (IIP) during April-Mar 2015-16 stood at 2.4 per cent as compared to 2.8 per cent during April-Mar 2014-15.

The annual rate of inflation, based on monthly WPI, stood at -0.85% (provisional) for the month of March, 2016 (over March, 2015) as compared to -2.33% during the corresponding month of the previous year. CPI (General) combined inflation declined from 5.25 per cent in March 2015 to 4.83 per cent in March 2016.

Scheduled Commercial Banks' deposits grew y-o-y by 9.9% to ₹93786 billion as at Mar.18, 2016 as against a growth of 10.7% recorded during the corresponding period of the previous year. On the other hand, Scheduled Commercial Banks' credit grew y-o-y by 11.3% to ₹72776 billion as against a growth of 9.0% recorded during the corresponding period of the previous year.

The country's exports declined by 15.85% from $310 billion in April-March 2014-15 to $261 billion in April-March 2015-16. On the other hand, total imports declined by 15.28% from $448 billion in April-March 2014-15 to $379 billion in April-March 2015-16. India's current account deficit (CAD) narrowed to 1.4% of GDP in the nine months ended 31 December 2016 from 1.7% in the corresponding period of previous year, as the country's trade deficit contracted.

Though, domestic economy is largely insulated from adverse global developments on the back of its sound macroeconomic fundaments; India may feel some heat of spillover effect due to depressed global financial markets and slowdown in Chinese economy, particularly on its foreign exchange and external sector performance.

The banking industry continues to face strong headwinds, including a slow growth in credit offtake, high rate of interest which has now started moderating, thinning profit margins and rising NPAs. Since April 1 2016, all rupee loans sanctioned and credit limits renewed have been linked to MCLR. Also interest rate on savings deposits will be credited at every quarter. Despite global uncertainty and slowdown in domestic market, I am pleased to state that your Bank registered reasonably better performance during 2015-16.

The highlights of your Bank's performance during the year 2015-16 is outlined below:

- ❖ Global Business increased from ₹461192 crore as at 31.03.2015 to ₹468184 crore as at 31.03.2016 (increase by 1.52% y-o-y).
- ❖ Global Deposits increased from ₹255388 crore as at 31.03.2015 to ₹261735 crore as at 31.03.2016 (increase by 2.49% y-o-y).

- वैश्विक अग्रिम, 31.03.2015 की स्थिति में ₹205804 करोड़ से बढ़कर 31.03.2016 की स्थिति में ₹206449 करोड़ हो गए हैं (वर्षानुवर्ष 0.31% की वृद्धि) ।
- घरेलू कासा जमाराशियाँ, वित्तीय वर्ष 2014-15 के ₹63671 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹67925 करोड़ हो गई हैं (वर्षानुवर्ष 6.68% की वृद्धि) । 31.03.2016 की स्थिति में कुल घरेलू जम ाराशियों का 28.88% भाग घरेलू कासा जमाराशियों का रहा।
- परिचालन लाभ, 31.03.2015 की स्थिति में ₹4007 करोड़ के मुकाबले 31.03.2016 की स्थिति में ₹4209 करोड़ रहा।
- निवल लाभ, 31.03.2015 की स्थिति में ₹1523 करोड़ के मुकाबले 31.03.2016 की स्थिति में ₹ –1643 करोड़ रहा।
- एनपीए (घरेलू) के अंतर्गत कुल नकद वसूली, वित्तीय वर्ष 2014-15 के ₹2195 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹2702 करोड़ रही।
- वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वर्ष 2014-15 के 2.38% की तुलना में वर्ष 2015-16 में 2.28% रहा।
- बैंक की ब्याजी आय, वित्तीय वर्ष 2014-15 के ₹21615.16 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 7.32% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹23197.78 करोड़ हो गई है।
- गैर–ब्याजी आय वित्तीय वर्ष 2014-15 के ₹2109.59 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 19% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹2508.73 करोड़ हो गई है।
- प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) वित्तीय वर्ष 2014-15 के ₹24.38 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹-24.82 रहा।
- प्रति शेयर बही मूल्य वित्तीय वर्ष 2014-15 के ₹197.24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹175.41 हो गया।
- औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (आर.ओ.ए.), वित्तीय वर्ष 2014-15 के 0.58% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में – 0.56% हो गया।
- वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार ने ₹740 करोड़ की पूंजी लगाई है।
- सकल एनपीए अनुपात, वित्तीय वर्ष 2014-15 के 3.13 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 6.70 प्रतिशत पर पहुँच गया।
- निवल एनपीए अनुपात, वित्तीय वर्ष 2014-15 के 1.90% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 4.48% हो गया है।
- प्रावधान कवरेज अनुपात, वित्तीय वर्ष 2014-15 के 66.61% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 53.73% हो गया है।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासेल III) 31.03.2015 की स्थिति में 10.54% की तुलना में 31.03.2016 की स्थिति में 11.16% हो गया है।

शाखा विस्तार

वर्ष के दौरान बैंक ने 251पारंपरिक बैंकिंग शाखाओं को खोला है जिससे 31.03.2016 की स्थिति में शाखाओं की कुल संख्या 3766 (लंदन शाखा सहित) हो गई हैं। इनमें कम बैंक सुविधा वाले जिलों की 1219 शाखाएं तथा अल्पसंख्यक बहुल जिलों की 945 शाखाएं शामिल हैं ।

- Global Advances increased from ₹205804 crore as at 31.03.2015 to ₹206449 crore as at 31.03.2016 (increase by 0.31% y-o-y).
- Domestic CASA deposits increased from ₹63671crore in FY 2014-15 to ₹67925 crore in FY 2015-16 (up 6.68% y-o-y). Domestic CASA deposits stood at 28.88% of total domestic deposits as at 31.03.2016.
- Operating profit stood at ₹4209 crore as at 31.03.2016 as against ₹4007 crore as at 31.03.2015.
- Net profit stood at ₹-1643 crore as at 31.03.2016 as against ₹1523 crore as at 31.03.2015.
- Total cash recovery in NPAs (Domestic) amounted to ₹2702 crore in FY 2015-16 as against ₹2195 crore in FY 2014-15.
- Global Net Interest Margin (NIM) stood at 2.28% in 2015-16 as against 2.38% in 2014-15.
- Interest Income of the bank grew by 7.32% from ₹21615.16 crore in FY 2014-15 to ₹23197.78 crore in FY 2015-16.
- Non-interest Income grew by 19% from ₹2109.59 crore in FY 2014-15 to ₹2508.73 crore in FY 2015-16.
- Earnings per Share (EPS) stood at ₹-24.82 in FY 2015-16 as against ₹24.38 in FY 2014-15.
- Book Value per Share stood at ₹175.41 in FY 2015-16 as against ₹197.24 in FY 2014-15.
- Return on Average Assets (RoA) stood at -0.56% in FY 2015-16 as against 0.58% in FY 2014-15.
- Govt of India has infused capital of ₹740 crore during 2015-16.
- Gross NPA Ratio stood at 6.70% in FY 2015-16 as against 3.13% in FY 2014-15.
- Net NPA Ratio stood at 4.48% in FY 2015-16 as against 1.90 % in FY 2014-15.
- Provision Coverage Ratio stood at 53.73% in FY 2015-16 as against 66.61% in FY 2014-15.
- Capital Adequacy Ratio (Basel III) stood at 11.16% as at 31.03.2016 as against 10.54% as at 31.03.2015.

BRANCH NETWORK

During the year the Bank has added 251 brick and mortar branches to its network and the total number of branches (including London Branch) stood at 3766 as on 31.03.2016. These include 1219 branches in under banked Districts and 945 branches in minority concentration Districts.

क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन

वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंक ने 2 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं, एक 'वडोदरा' में जिसे मौजूदा अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय की शाखाओं का पुनर्गठन करके बनाया गया है तथा दूसरा देहरादून में जिसे मौजूदा मेरठ एवं मुरादाबाद क्षेत्रीय कार्यालयों की शाखाओं का पुनर्गठन करके बनाया गया है। इस पुनर्गठन द्वारा शाखा विस्तार को भौगोलिक दृष्टि से व्यवस्थित तथा बेहतर निगरानी एवं नियंत्रण स्थापित करते हुए कारोबार बढ़ाने में बैंक को मदद मिलेगी।

नये उत्पादों का विकास

उत्पाद, प्रक्रिया एवं बाजार नवोन्मोषिता के क्षेत्र में बैंक ने एक नई रणनीति अपनाई है जिससे प्रतिस्पर्धी के इस बाजार में बेहतर उत्पाद एवं सेवाएं प्रस्तुत करने में बैंक सफल हुआ है।

वर्ष के दौरान बैंक ने ''उत्पाद नवोन्मेष एवं बीपीआर'' के नाम से एक नए विभाग का गठन किया है जो अपने अच्छे पुराने परिचालनों में नई ऊर्जा भरकर अपने कारोबार एवं बिक्री योजना को गति देने का प्रयास करता है ताकि लाभप्रदत्ता बढ़ाई जा सके। साथ ही, मानव संसाधन की क्षमता को उजागर करता है जो बैंक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं के समय संचालन लागत में कमी लाती है।

वर्ष के दौरान, अपने ग्राहकों को लाभ पहुँचाने के लिए बैंक ने कई नए उत्पादों की शुरुआत की है। एक ओर देयता क्षेत्र में, बैंक ने ''सिंड आरडी प्लस'' की शुरुआत की है जो एक खास उत्पाद है जहाँ ग्राहकों को एक ही महीने में एक से अधिक किस्त जमा करने की सुविधा मिलती है तथा समय–पूर्व आहरण या विलंबित भुगतान के लिए कोई दंडप्रभार नहीं लगाया जाता।

दूसरी ओर, आस्ति क्षेत्र में, सिंड प्रोफेशनल (व्यावसायिक अर्हतावाले व्यक्तियों के लिए ऋण सुविधा), सिंड सोलर (ऑफ ग्रिड सोलर रूफ टॉप प्रणाली के वित्तीयन हेतु), संशोधित सिंड मोर्गेज (केवल आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्तियों के बंधक पर ऋण), सिंड डिफेंस योजना (सैनिकों के लिए एक विशेष योजना) आदि हैं।

सिंड स्वयं – ऑनलाइन बचत खाता खोलने की सुविधा: युवा ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए, बैंक द्वारा कई सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। ''सिंड स्वयं – ऑनलाइन बचत खाता खोलने की सेवा'' से ग्राहकों को केवल अपने व्यक्तिगत आंकड़े भरकर आसान तरीके से खाता खोलने की सुविधा मिलती है।

सिंडगाइड

बैंक ने ''सिंडगाइड'' नामक एक मोबाइल आधारित एप्लिकेशन की शुरुआत की है जो हमारे मूल्यवान ग्राहकों के हाथों में वर्च्युअल वेबसाइट उपलब्ध करता है। यह एक हरित पहल है जो स्मार्टफोन पर बैंक की अवस्थिति, योजनाएं, उत्पाद, समाचार, कार्यक्रम, ब्याज दर आदि से संबंधित जानकारी के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

आपका बैंक कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने में निरंतर विशेष जोर देता रहा है तथा देश के भीतर ग्रामीण विकास को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष के दौरान, कृषि, एमएसएमई, कमजोर वर्ग

RE-ORGANIZATION OF REGIONS

During the year 2015-16, Bank has opened 2 new Regional Offices one at *"Vadodara"* by carving out branches from existing Ahmedabad Region and another at *"Dehradun"* by carving out branches from existing Meerut and Moradabad Regions. This reorganization will help the Bank to increase business by rationalizing branch network and better monitoring and control.

NEW PRODUCT DEVELOPMENT

Bank adopted a new strategy in the field of product, process and market innovation which has enabled it to offer distinct and superior products and services in the competitive markets.

During the year, Bank has formed a new department called *"Product Innovation & BPR"* which seeks to re-energize its good old operations, step up its business and sales plans, to enhance profitability, unfold the potential of the human resources and to reduce the overall transaction costs of various products & services offered by the Bank.

During the year, Bank has come up with several new products for the benefit of its customers. On liability side, Bank has introduced *"Synd Rd Plus"* (A special product which allows customers to deposit more than one installment during the month and no penalty levied for premature withdrawal or delayed payment).

While on the assets side are SyndProfessional (a credit facility to professionally qualified persons), SyndSolar (for financing Off-Grid Solar Roof Top Systems), SyndMortgage modified (loans against the mortgage of Residential and Commercial properties only), Synd Defence Plan (a special scheme for defence personnel), etc.

Synd Swayam-Savings Bank Online Account Opening Service: Keeping in view the gen-Y customers, Bank has initiated digitization of many services. *"Synd Swayam-Savings Bank Online Account Opening Service"* would facilitate customers to open account at ease and convenience by simply filling their personal data.

SyndGuide

Bank has launched *"SyndGuide"*- a mobile-based application which provides virtual website on the palm to our valuable customers. It is a green initiative and acts as a guide for knowing about information relating to Bank's locations, schemes, products, news and events, rate of interest, etc. on Smartphone.

PRIORITY SECTOR ADVANCES

Your Bank continued to give special emphasis on lending to agriculture and priority sector and committed to bring rural development within the nation. During the year, Bank pursued various strategies to increase the flow of credit to

तथा अल्पसंख्यक समुदाय के बीच ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बैंक ने कई कार्यनीतियों पर कार्रवाई की है, जो निम्नवत् हैं:

- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम 31.03.2015 की स्थिति में ₹57281.44 करोड़ के मुकाबले 15.12% की वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2016 की स्थिति में ₹65944.98 करोड़ हो गया है, जो अपेक्षित स्तर 40% के मुकाबले एएनबीसी का 40.69% है।
- कृषि क्षेत्र का कुल ऋण 31.03.2015 की स्थिति में ₹26205.38 करोड़ के मुकाबले 14.09% की वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2016 की स्थिति में ₹29898.86 करोड़ पर पहुंच गया है, जो अपेक्षित स्तर 18% के मुकाबले एएनबीसी का 18.45% है।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) क्षेत्र का ऋण 31.03.2015 की स्थिति में ₹21911.35 करोड़ के मुकाबले 13.55% की वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2016 की स्थिति में ₹24880.75 करोड़ पर पहुंच गया है।
- कमजोर वर्ग को दिया गया ऋण 31.03.2015 की स्थिति में ₹14405.22 करोड़ के मुकाबले 25.04% की वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2016 की स्थिति में ₹18012 करोड़ पर पहुंच गया है, जो एएनबीसी का 11.11% (अधिदेशी स्तर 10%) बनता है।
- अल्पसंख्यक समुदाय को दिया गया ऋण 31.03.2015 की स्थिति में ₹9012.28 करोड़ के मुकाबले 13.23% की वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2016 की स्थिति में ₹10204.51 करोड़ पर पहुंच गया है, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का 15.48% बनता है (अधिदेशी स्तर 15%)।

वित्तीय समावेशन

गरीब व्यक्तियों तक बैंकिंग सुविधा का लाभ पहुंचाने के लिए आपके बैंक ने कई उपाय किए हैं और इस प्रकार आपका बैंक देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रहा है। ग्रामीण जनता को बैंकिंग सेवा मुहैया कराने के लिए बैंक ने पूरे देश में 2615 बैंक मित्रों की नियुक्ति की है जिसकी सहायता से बैंक को आबंटित सभी 3229 एसएसए को कवर किया गया है जिसमें 6950 गांव शामिल हैं। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, बैंक द्वारा कुल 1.44 लाख मूल बचत बैंक जमाराशि खाते (बीएसबीडीए) खोले गए हैं।

पीएमजेडीवाई (प्रधानमंत्री जनधन योजना)

''प्रधानमंत्री जनधन योजना'' एक अग्रणी वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है, जिसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। बैंक ने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 31.03.2016 तक 40.08 लाख खाते खोले हैं।

रुपे कार्ड का वितरण एवं सक्रियण

बैंक सभी पात्र बीएसबीडी खाताधारकों को रुपे कार्ड जारी कर रहा है। 31.03.2016 तक 36,51,467 खातों के लिए रुपे कार्ड जारी किए गए हैं और 31,64,002 कार्डों (87%) को सक्रिय किया गया है।

तकनीकी पहल

नवीनतम उपलब्ध तकनीकी को लागू करने में बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हमेशा से ही अग्रणी रहा है जो कारोबार के विकास में सहायक के रूप में कार्य करता है तथा सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों को इसका लाभ एवं सुविधा मिले। आपके बैंक के पास अब, तकनीकी उत्पादों की संपूर्ण

agriculture, MSME, weaker section and minority community which are outlined below:

- Priority Sector Credit increased by 15.12% from ₹57281.44 crore as at 31.03.2015 to ₹65944.98 crore as at 31.03.2016 which stands at 40.69% of ANBC against the required level of 40%.
- Total Agricultural Credit increased by 14.09% from ₹26205.38 crore as at 31.03.2015 to ₹29898.86 crore as at 31.03.2016, forming 18.45% of ANBC against the required level of 18%.
- Credit to Micro and Small Enterprises (MSE) increased by 13.55% from ₹21911.35 crore as at 31.03.2015 to Rs 24880.75 crore as at 31.03.2016.
- Credit to Weaker Section increased by 25.04% from ₹14405.22 crore as at 31.03.2015 to ₹18012 crore as at 31.03.2016, forming 11.11% of ANBC (mandatory 10%).
- Credit to Minority Community increased by 13.23% from ₹9012.28 crore as at 31.03.2015 to ₹10204.51 crore as at 31.03.2016, forming 15.48% (mandatory level of 15%) of Priority Sector Credit.

FINANCIAL INCLUSION

Your Bank has taken several initiatives to improve the access of the poor to banking and thus contributing to socio-economic development of the nation. Bank has covered all the allotted 3229 SSAs covering 6950 villages and deployed 2615 Bank Mitr across the country to provide banking services to the villagers. Bank has opened 1.44 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts (BSBDA) as on 31.03.2016.

PMJDY (Prime Minister's Jan Dhan Yojana)

"Prime Minister's Jan Dhan Yojana" is a flagship financial inclusion programme which has been launched by Govt of India. Bank has opened 40.08 lakh accounts under PMJDY as on 31.03.2016.

Issue and Activation of RuPay Cards

Bank is issuing RuPay cards to all the eligible BSBD account holders. RuPay cards have been issued to 36,51,467 accounts as on 31.03.2016 and 31,64,002 cards (87%) are activated

TECHNOLOGICAL INITIATIVES

Bank has been always in the forefront amongst Public Sector Banks in deploying the latest available technology, in a way that technology acts as an enabler in the development of business and ensures that customers are benefited and delighted. Your Bank has, now, complete range of technology products encompassing Internet

श्रेणी उपलब्ध है जिसमें इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मिस्डकॉल बैंकिंग, ई-लांज आदि शामिल हैं।

बैंक के भीतर सूचना सुरक्षा की शुरुआत करने, लागू करने, निगरानी करने, बनाए रखने तथा उन्नत बनाने के लिए कारोबार निरंतरता समूह तथा एक आईएस लेखापरीक्षा कार्य द्वारा निपुणतापूर्वक समर्पित आपके बैंक ने अपनी कारोबार निरंतरता एवं सूचना सुरक्षा प्रबंधन संरचना को मजबूती प्रदान की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूचना प्रोद्योगिकी, कारोबार के अनुरूप महत्वपूर्ण प्रतिपादन प्रस्तुत करे। बैंक द्वारा अपनाई गई कुछेक तकनीकी पहल निम्न प्रस्तुत हैं:

- 31.03.2016 की स्थिति में बैंक ने पूरे देश में 3730 एटीएम को चालू किया है। विश्वभर के एटीएम और पीओएस टर्मिनलों का इस्तेमाल करने के लिए बैंक के पास 124.85 लाख कार्ड आधार है।
- बैंक ने सरकारी कारोबार मॉड्यूल (जी.बी.एम.) प्राप्त किया है, जिसके अंतर्गत पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), भारतीय रिज़र्व बैंक रिलीफ बाँड, ओल्टास, ईजिएस्ट, विभिन्न राज्यों के राज्य-कर की वसूली आदि शामिल हैं।
- पी.एम.जे.जे.बी.वाई. एवं पी.एम.एस.बी.वाई बीमा योजनाओं के अंतर्गत पंजीकरण हेतु बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। पंजीकरण की स्थिति की जानकारी के लिए एस.एम.एस. आधरित सेवा प्रदान की गई है।
- मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन का नए रूप में स्तरोन्नयन किया गया है जिसमें उन्नत श्रेणी के यूज़र इंटरफेस (यू.आई.) एवं यूजर अनुभूति (यू.एक्स.) शामिल है। इस एप्लिकेशन में नई विशेषताएं तथा सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जैसे, अपनी एम.एम.आई.डी. को जानें, युटिलिटी बिलों के भुगतान, टिकट की खरीदी, इनाम इत्यादि। मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के रूप एवं अनुभव को भी उन्नत बनाया गया है। मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करनेवालों की संख्या 31-03-2015 की स्थिति में 1.51 लाख से बढ़कर 31-03-2016 की स्थिति में 2.82 लाख हो गए हैं।
- एक कॉमन सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी कर्मचारियों के ब्यौरे/प्रोफाइल, छुट्टी के अभिलेख, निष्पादन मूल्यांकन, आस्तियों एवं देयताओं आदि का संचालन करने हेतु एच.आर.एम.एस. परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादन मूल्यांकन को एच.आर.एम.एस. के माध्यम से स्वीकार किया जाता है तथा अन्य मॉड्यूल अभी प्रक्रियाधीन हैं।
- ग्राहकों को 24 X 7 बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु चुने हुए 40 स्थानों पर बैंक द्वारा ई-लांज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ग्राहकों से बड़ी रकम स्वीकार करने हेतु चुनिंदा बाजार में स्थापित करने के लिए बैंक ने 100 की संख्या में नोट को स्वीकार करनेवाले बंच नोट एक्सेप्टर (बी.एन.ए.) मंगवाए हैं।
- बदलती हुई तरलता एवं ब्याज दर आदि के अनुसार बैंक की आस्ति देयता की ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था की जा रही है जिससे बेहतर जोखिम प्रबंधन एवं कार्यनीति योजना तय करने में हमें मदद मिले। यह परियोजना कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है।
- प्रचार-प्रसार को बढ़ाते तथा दूरदर्शिता में सुधारे लाने के उद्देश्य से, बैंक ने प्रचार-प्रसार के कई उपायों को चुना है जिनमें प्रेस, प्रिंट एवं

Banking, SMS Banking, Mobile Banking, Missed Call Banking, E-lounges etc.

Your Bank has strengthened its Business Continuity and Information Security Management Framework which has been ably supported by Business Continuity Teams and an IS Audit function to initiate, implement, monitor, maintain and improve the information security within the Bank and to make sure that IT is aligned and delivers value to the business. Some of the technological initiatives taken by the bank are outlined below:

- Bank has operationalised 3730 ATMs as on 31.03.2016, spread across the country. Bank has a Card-base of over 124.85 Lakh for global access to ATMs and POS Terminals.
- Bank has procured Govt. Business Module (GBM) covering PPF, Senior Citizen Savings Schemes (SCSS), RBI Relief Bonds, OLTAS, EASIEST, Collection of State Tax for various States, etc.
- Bank has provided a utility to the customers to enroll for the PMJJBY & PMSBY Insurance schemes. SMS based Enrolment Status enquiry utility is also made available.
- Mobile Banking application has been upgraded to a new version which has a richer User Interface (UI) and enhanced User Experience (UX). This application accommodates new features and facilities such as Know your MMID, Utility Bill Payments, Ticketing, Rewards etc. Look and feel of the Mobile Banking application has been improved. The number of mobile banking users is increased to 2.82 Lakhs as on 31.03.2016 from 1.51 Lakh as on 31.03.2015.
- HRMS project is being implemented to bring all the details / Profile of Employees, Leave Record, Performance Appraisal, Assets & Liabilities, etc through the common software. Performance appraisals are accepted through HRMS during the Financial Year and other modules are under implementation.
- Bank is providing E-lounge facilities in 40 identified locations to enable the customers to have access on 24 X 7 basis. Bank has also procured 100 Nos. of Bunch Note Acceptors (BNAs) for installation in select market areas for accepting bulk cash from the customers.
- Online monitoring of the asset liability of the Bank in accordance with the varying liquidity and interest changes, etc. thereby enabling us to do better Risk Management and Strategic Planning. The Project is in advanced stage of implementation.
- In order to achieve good publicity mileage and to improve visibility, Bank has resorted to various publicity measures comprising of advertising in press, print &

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन क्षेत्रीय/स्थानीय भाषाओं में होर्डिंग का प्रदर्शन तथा प्रत्येक तिमाही विश्लेषाकों की बैठक एवं प्रेस मीट के नियमित आयोजन शामिल हैं।

- प्रचार–प्रसार को बढ़ाने तथा दूरदर्शिता में सुधार लाने के उद्देश्य से, बैंक ने प्रचार–प्रसार के लिए एक नई तकनीक अपनाई है जिसे ''डिजिटल साइनेज'' के नाम से जाना जाता है। यह एक आसान, कम लागत का प्रचार माध्यम है जिसमें विशिष्ट स्थानों पर अपने उत्पादों के बारे में संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से डिजिटल मीडिया पर विडियो तथा संदेशों का प्रदर्शन किया जाता है।
- एफआई गेटवे सोल्यूशन, जो एफआई लेनदेनों के अंतर–परिचालनीयता की सुविधा प्रदान करता है, को सफलता पूर्वक लागू किया गया है। यह ए.ई.पी.एस. (आधार आधारित भुगतान प्रणाली) लेन–देनों को भी सहायता प्रदान करता है।

गठजोड़ कार्यनीति एवं संयुक्त उद्यम

वर्ष के दौरान बैंक ने, प्रधानमंत्री जीवनज्योति बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्युरेंस कंपनी के साथ, मेसर्स बिड़ला सन लाइफ इंश्युरेंस कंपनी (विशेष पैकेज के अंतर्गत आवास ऋण उधारकर्ताओं को प्रस्तुत जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए) अज़िम प्रेमजी विश्वविद्यालय (शिक्षा ऋण तथा नौजवान ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (कर्मचारियों के आवास ऋण के टॉप–अप अथवा अधिग्रहण के लिए) के साथ समझौता किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक का भारतीय जीवन बीमा निगम (जीवन बीमा उत्पाद बेचने के लिए मेसर्स यूआईआईसीओ (सामान्य जीवन बीमा उत्पाद वितरण के लिए), 9 एएमसी के साथ (उनके म्यूच्युअल फंड उत्पाद वितरण के लिए), मेसर्स एसबीआई लाईफ इंश्यूरेंस कंपनी (बचत खाताधारकों का जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए), मेसर्स टाटा ए.आई.ए. लाईफ इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड (आवास ऋण उधारकर्ताओं को समूह जीवन बीमा सुरक्षा कवर उपलब्ध कराने के लिए) तथा मेसर्स एसबीआई लाईफ इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड (शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं को समूह जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए) रणनीतिक गठजोड़ एवं संयुक्त उद्यम जारी है। यह गठजोड़ फायदेमंद सिद्ध हुआ है और बैंक का गैर–निधि आधारित कारोबार बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शा रहा है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व

बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न कारपोरेट सामाजिक दायित्व की गतिविधियाँ शुरू की है जिसका उद्देश्य सामाजिक–आर्थिक रूपांतरण, ग्रामीण उत्थान तथा समाज का धारणीय विकास है। इनमें से कुछेक निम्नलिखित हैं:

- सिंड समग्र ग्राम विकास योजना के तहत देश के 26 गाँवों को उनके समग्र विकास के लिए गोद लिया है।
- विकलांगों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मोबीलिटी उपकरण/ वीलचेयर दान दिए।
- एक एनजीओ के बहरे व्यक्तियों के लिए श्रवण यंत्र दान किया।
- सरकारी विद्यालयों/सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय/शौचालय ब्लॉक बनाने के लिए दान दिया।
- अस्पताल/ट्रस्ट को ह्वीलचेयर/ऐंब्यूलेंस/वैन, वाटर प्यूरीफायर तथा कूड़ा निपटान इकाई दान दिया।

electronic media, display of hoardings in regional/ local languages and regularly conducting press meet and analyst meet every quarter.

- In order to achieve good publicity mileage and to improve visibility, Bank has resorted a new technology driven publicity measure which is called "Digital signage". It is an easy, low-cost way to advertising in which video content, advertisements, and messages are displayed on digital media with the goal of delivering messages about our products in specific locations.
- FI Gateway solutions, which facilitates Interoperability of FI transactions has been successfully implemented. This also facilitates AEPS (Aadhaar Enabled Payment Systems) transactions.

STRATEGIC ALLIANCE & JOINT VENTURES

During the year, Bank has entered into MOU with M/s LIC of India Ltd to implement PMJJBY and with M/s United India Insurance Company (UIICO) to implement PMSBY, M/s Birla Sun Life Insurance Co Ltd (for providing free life insurance cover to housing loan borrowers under special package), Azim Premji University (for Education Loans and to attract young customers) and M/s Oil India Limited (for extending top-up housing loan or takeover of housing loan of the employees). Besides, Bank has been continuing strategic alliances & joint ventures with M/s LIC of India Ltd *(for selling life insurance products)*, M/s UIICO *(for distribution of General Insurance product),* with 9 AMCs *(for distribution of their Mutual Fund Products),* M/s SBI Life Insurance Co Ltd *(for providing life insurance cover to SB a/c holders),* M/s TATA AIA Life Insurance Co Ltd *(for providing Group Life Insurance cover to Housing Loan borrowers)* and M/s SBI Life Insurance Co Ltd *(for providing Group Life Insurance cover to Education Loan Borrowers).* This tie-up has proved to be fruitful and Bank's non-fund based business is showing accelerating trend.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Bank undertook various CSR activities during the year 2015-16 which aimed at socio-economic transformation, rural uplift & sustainable development of the society. Some of them are outlined as under:

- Adopted 26 villages spread over the country under Synd Samagra Gram Vikas Yojana (SSGVY) for their all round development.
- Donated mobility appliances/wheel chairs to handicapped and differently abled persons,
- Donated hearing aids to an NGO catering to hearing impaired people,
- Donated towards construction of toilet/toilet blocks in Govt.Schools/public places,
- Donated wheel chairs/ambulance/van, water purifier and waste disposal unit to hospital/trust,

- शैक्षिक संस्थानों को कंप्यूटर दान दिये।
- सरकारी विद्यालयों के गरीब विद्यार्थियों को स्कूल बैग दान दिये।
- सार्वजनिक उपयोगिता वाले हॉल निर्माण के लिए निधि दिया।
- दृष्टिहीनों के लिए ह्वाइट केन दान दिया।
- एक ग्राम पंचायत में मिनरल आर ओ प्लांट लगाने हेतु दान दिया।
- कैंसर चेक-अप कैंप के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट को दान दिया।
- आँखों के मुफ्त ऑपरेशन हेतु संस्कृति परिषद को दान दिया।
- चेन्नै के बाढ़ पीडितों को राहत सामग्री दान दिया।
- स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर निगम को दान दिया।
- सोसाइटियों/मानव सेवा संगठनों/अनाथालयों को उनके विविध सामाजिक गतिविधियों के लिए दान दिया।

शिकायत निवारण प्रणाली

ग्राहकों को संगत एवं बेहतर बैंकिंग अनुभूति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ने अपने शिकायत निवारण के समस्त सुपुर्दगी चैनलों को और भी प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाया है।

बैंक ने प्रयोग के आधार पर बेंगलूरु तथा चेन्नै क्षेत्र के मुख्य प्रबंधक/ सहायक महा प्रबंधक द्वारा संचालित शाखाओं में आवश्यक सेवा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे शाखाओं में ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक नवोन्मेषी ग्राहक शिकायत निवारण सेवा अर्थात् ''मिस्ड कॉल ग्राहक सेवा'' की शुरुआत की है।

बैंक ने वर्ष के दौरान लाइव शिकायत निवारण प्रणाली बनाया है। यह ऑनलाइन शिकायत प्रणाली बैंक के वेबसाइट द्वारा शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराता है। ऑनलाइन शिकायत प्रणाली ग्राहकों की शिकायत दर्ज करने, शिकायत की स्थिति का पता लगाने तथा बैंक को उस पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने में मदद करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने एक आंतरिक लोकपाल (मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी की नियुक्ति की है। शिकायत निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल के पास जाने के पहले भी यह बैंकिंग लोकपाल, बैंक ग्राहकों के शिकायत निवारण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

नई पहल

आपका बैंक कासा जमाराशि, खुदरा व एमएसएमई ऋण, वैकल्पिक वितरण चैनलों, ग्राहक सेवा तथा अन्य आय में सुधार लाने के लिए कारोबार के कई नई पहल की है। आपका बैंक भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित है तथा अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने की कार्यनीतियाँ लगातार अपना रहा है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :-

- कासा जमाराशियों में महत्वपूर्ण वृद्धि की प्राप्ति के लिए जिसमें निधियों की कम लागत सहित कई फायदे हैं, बैंक ने बचत खाता अभियान शुरू किया है।

- Donated computer to educational institutions,
- Donated school bangs to poor students of Govt. Schools,
- Donated funds for construction of public utility hall,
- Donated white canes for blind/visual impaired,
- Donated towards installation of Mineral RO Plant in a Gram Panchayat,
- Donated to charitable trust for cancer check up camps,
- Donated to Sanskriti Parishad for carrying out free eye operation camp,
- Donated relief materials to flood victims of Chennai,
- Donated to corporation for waste management under Swachh Bharat Abhiyan,
- Donated to Societies/Humanitarian Service Organisation/Orphanage for their various social purposes.

GRIEVANCE REDRESSAL SYSTEM

With an objective to provide consistent and superior banking experience to customers, Bank has taken various steps to improve the effectiveness of its grievance redressal mechanism across its delivery channels.

Bank has introduced an innovative customer grievance redressal service i.e. "Missed Call Customer Service" on experimental basis in CM/AGM headed Branches in Bengaluru and Chennai Regions to redress customer grievances at the branches facing difficulty in getting required services.

Bank has also made Online Grievance Redressal System live during the year. The online grievance system provides for online registration of grievance through bank's website. The online grievance system provides access to the customers for recording the complaint, compliant status tracking and receiving response from the bank.

In compliance with the RBI's direction, Bank has appointed an internal Ombudsman (Chief Customer Service Officer). The Internal Ombudsman acts as a forum available to bank customers for grievance redressal before they can even approach the Banking Ombudsman.

NEW INITIATIVES

Your Bank embarked on several new business initiatives for improving CASA deposits, Retail & MSME credit, alternate delivery channels, customer service and other income. Your Bank has been adequately equipped for meeting the future challenges and constantly pursuing strategies to be ahead in race of its rivals. Some of them are outlined below:

- To achieve significant growth in CASA deposits which has many fold advantages including reducing cost of funds, Bank has launched SB a/c campaign.

- एमएसएमई तथा खुदरा क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के विभिन्न केंद्रों पर बैंक द्वारा एमएसएमई तथा खुदरा क्रेडिट कैंप आयोजित किए गए।
- भारत सरकार की ''मेक इन इंडिया'' अभियान का फायदा उठाने के उद्देश्य से वर्ष 2015-16 के दौरान विनिर्माण इकाइयों को वित्त उपलब्ध कराने पर बल दिया जा रहा है।
- गुणवत्तापूर्ण आवास ऋण संविभाग सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने आवास ऋण–प्रदान करने के लिए अनुमोदित बिल्डर रूट अपनाया।
- बैंक ने सिंड निवास योजना के तहत आवास ऋण के संदर्भ में तथा शाखाओं/सीपीसी/क्षेत्रीय कार्यालयों तथा सिंड वाहन योजना के तहत चारपहिया वाहन ऋण के संदर्भ में शाखाओं में कार्यरत स्टाफ सदस्यों को नए कारोबार जुटाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन आधारित शिविर की शुरुआत की है।
- सभी स्तरों पर स्टाफ सदस्यों को कार्यशील बनाने तथा उच्च स्तर की निष्पादन की प्राप्ति में गर्व महसूस कराने के उद्देश्य से बैंक ने निष्पादन आधारित नकद पुरस्कार योजना की शुरुआत की है।
- शिक्षा ऋण प्रस्ताव जुटाने के उद्देश्य से प्रमुख शिक्षण संस्थानों से गठबंधन किया गया।
- 18.08.2015 से व्यावसायिक शिक्षा तथा सिंडविद्या योजना के तहत प्रशिक्षण को वित्त उपलब्ध कराने के लिए ''कौशल ऋण योजना'' की शुरुआत की गई है।
- बैंक ने 50 ऋण फास्ट ट्रैक शाखाएं खोली हैं जिनमें एक वर्ष में कम से कम ₹25 करोड़ के कारोबार का अनुमान है।
- कम से कम 8 अत्याधुनिक शाखाएं खोलने की बैंक की योजना भी है जिनके आउटलुक तथा इंन्फ्रस्ट्रक्चर दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय मानक के होंगे।

''अनन्या'' परियोजना

बैंक ने, कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना के लिए मेसर्स बीसीजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को प्रबंधन सलाहकार के रूप में रखा है तथा नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों तथा छोटे बैंकों से उभरती प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों का सामना करने के लिए पुनर्गठन का कार्य शुरू कर दिया है। यह ''अनन्या परियोजना'' बीपीआर, डीजिटल बैंकिंग, बिक्री एवं सीआरएम तथा मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में बैंक को एक कार्यनीति अपनाकर अपनी संभाव्यता पुनरुत्साहित करने में मदद मिलेगी।

कॉरपोरेट संप्रेषण परामर्शदाता

बैंक ने, डीडीबी मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड को तीन वर्षों की अवधि के लिए कारपोरेट संप्रेषण परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। यह परामर्शदाता बैंक के अपने हितधारकों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने तथा अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करेगा।

कारोबार संवर्धन शिविर

कारोबार संवर्धन को बैंक अपनी नीति का अभिन्न अंग मानता है और अपने मौजूदा सहित विविध नए उत्पादों एवं सेवाओं को प्रचारित करने का लगातार प्रयास कर रहा है। इस सिलसिले में वर्तमान वर्ष में बैंक ने कई संवर्धन शिविर

- To augment the flow of credit to MSME and Retail segments, Bank has organised MSME and Retail credit camps on various centres of the country.
- Focus is being given on financing Manufacturing units during 2015-16, to take advantage of "Make in India" campaign of GOI.
- In order to ensure quality housing loan portfolio, bank adopted approved builders route to extend housing loans.
- Bank also launched Incentive based Campaign for Branches/CPCs/ROs in respect of Housing Loans under SyndNivas Scheme and for Branches in respect of four Wheelers Loans under SyndVahan Scheme to encourage staff to canvass new business.
- Bank launched performance linked cash incentive scheme for branches to energize the staff at all levels, and to instill pride in achieving higher level of performance.
- Tie ups with premier Educational Institutions were executed to mobilize education loan proposals.
- "Skill Loan Scheme" for financing Vocational Education and Training under SyndVidya Scheme has been implemented with effect from 18.08.2015.
- Bank has opened 50 branches as Fast Track Branches, wherein business level is expected to be at least ₹25 crore in a year.
- Bank has also plans to open at least 8 State of the Art branches which would be of International Standard both in outlook and in Infrastructure.

Project "ANANYA"

Bank engaged M/s. BCG (India) Pvt. Ltd. as Management Consultant for carrying out Business Process Re-engineering and embarked into a restructuring exercise to face competition and emerging challenges from new generation private sector Banks, payment Banks and small Banks. The project "ANANYA" will help the Bank to re-energise its potential by pursuing strategies in the field of BPR, Digital Banking, Sales & CRM and Human Resource Development.

Corporate Communication Consultant

Bank has appointed DDB Mudra Pvt. Ltd, as Corporate Communication Consultant for a period of 3 years. The consultant will assist the Bank to enhance its image and reputation and build better communication with its various stakeholders.

BUSINESS PROMOTION CAMPAIGNS

Bank considers business promotion as an integral part of its policy and making continuous effort to popularize its various products and services-newly developed as well as existing ones. In this course bank has held numbers of

चलाए हैं, जैसे बचत खाता अभियान, आवास ऋण तथा वाहन ऋण के तहत प्रोत्साहन आधारित शिविर, खुदरा व एमएसएमई शिविर, आधार सीडिंग शिविर, मुद्रा ऋण शिविर, शिक्षा ऋण शिविर, म्यूच्युअल फंड बोनांजा शिविर तथा कृषि ऋण शिविर।

जोखिम प्रबंधन एवं पूंजी योजना

आपके बैंक की ऋण प्रबंधन, बाजार एवं परिचालनात्मक जोखिमों के लिए सुदृढ़ प्रलेखित नीति एवं प्रक्रियाएं हैं जिनकी अवधिक समीक्षा की जाती है ताकि बदलते कारोबार एवं बाजारू वातावरण में अनुकूल बना रहे।

बैंक की जोखिम उठाने की क्षमता, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा परिभाषित की गई है जिसकी सहायता ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से की जाती है। सुव्यवस्थित एवं संगत पद्धति में तकनीकी जोखिम को नियंत्रित करने हेतु तकनीकी जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की गई है।

बैंक, एक वैज्ञानिक निधि कीमत प्रणाली (एफटीपी) के अतिरिक्त समेकित कोष प्रबंधन समाधान (आईटीएमएस) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समाधान (ओआरएमएस) के माध्यम से बाजार एवं परिचालन जोखिम को सॉफ्टवेयर आधरीत पहचान, माप और कम करने की प्रक्रिया में है।

आपका बैंक बासेल III के अनुपूरक है और बासेल III के तहत सीईटी 1, सीआरआर तथा लीवरेज अनुपात बढ़ाने के हर समय प्रयास कर रहा है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार चरणबद्ध तरीके से बासेल III आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा सके, साथ ही, कारोबार में अपेक्षित वृद्धि हासिल किया जा सके।

भारत सरकार में भी मार्च 2016 में ₹740 करोड़ की पूंजी लगाई है। बैंक ने बासेल III मानदंडों से निपटने के लिए टायर- I बॉण्डों से ₹870 करोड़ जुटाया है। असुरक्षित नियमित रूप से पूर्ण प्रदत्त अपरिवर्तनीय बासेल III पूरक अतिरिक्त टायर-I बॉण्ड 2015-16 से निधि जुटाई गई है। इसके अतिरिक्त बैंक ने अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी शेयर आबंटित करके भी लगभग ₹217 करोड़ जुटाया है।

प्रशिक्षण एवं विकास

आज के गतिशील एवं प्रतिस्पर्धी वातावरण में उच्च गुणवत्तापूर्ण मजबूत मानवीय प्रतिभा पूंजी निर्माण में मानव संसाधन योजना न केवल आवश्यक है बल्कि अनिवार्य भी है। बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता को ध्यान में रखते हुए बैंक ने ज्ञान संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है जो अधिकारियों/कार्यपालकों को विविध विशेषीकृत गतिविधियों को निखारने के साथ ही उन्हें शाखा/क्षेत्रीय प्रमुख की भूमिका ग्रहण करने में प्रेरक बनेगा।

वर्ष 2015-16 में 10594 अधिकारियों को शामिल करते हुए 311 कार्यक्रम तथा 2459 कामगार कर्मचारियों को शामिल कर 127 कार्यक्रम, प्रशिक्षित संस्थान द्वारा आयोजित किये गए।

वर्ष 2015-16 के दौरान 185 कार्यपालकों को नेतृत्व एवं प्रबंधन पर प्रख्यात संस्थानों जैसे- एनआईबीएम, आईआईएम आदि से बाह्य प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए।

promotion campaigns during the year viz. Savings Bank Account Campaign, Incentive based campaigns under Housing and Vehicle Loan Scheme, Retail and MSME Campaigns, Campaign for Aadhaar Seeding, MUDRA credit campaign, Education Loan Campaign, Mutual Fund Bonanza Campaign and Agriculture Lending Campaign.

RISK MANAGEMENT & CAPITAL PLANNING

Your Bank has a well documented policy and processes for management of Credit, Market and Operational Risks which are periodically reviewed, so as to adapt to the changing business and market environment.

The risk appetite of the bank is defined by the Risk Management Committee (RMC) of the Board, which is ably assisted by Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset Liability Management Committee (ALCO) and Operational Risk Management Committee (ORMC). A technology risk management framework is established to manage technology risks in a systematic and consistent manner.

The Bank is in the process of putting in place software based identification, measurement and mitigation of Market and Operation Risk by way of Integrated Treasury Management Solution (ITMS) and Operational Risk Management Solution (ORMS) apart from a scientific Funds Transfer Pricing Mechanism(FTP).

Your Bank is Basel III compliant and is taking all measures to improve the CET1, CRAR and Leverage Ratio under Basel III so as to comply with the Basel III requirements in a phased manner as per the schedule prescribed by RBI while simultaneously achieving the expected growth in business.

Government of India has also infused ₹740 crore capital in March 2016. Bank has raised ₹870 crore from tier I bonds to meet Basel III norms. The fund has been raised from unsecured perpetually fully paid-up non-convertible Basel III compliant additional tier I bonds 2015-16. Besides, the bank has also raised over ₹217 crore by allotting preferential shares to LIC to shore up capital.

TRAINING & DEVELOPMENT

In today's dynamic and competitive banking environment, strategic HR plan is not only essential but inevitable to build a high quality robust Human Capital talent pool. Keeping in view the large scale retirements/superannuation, Bank has designed knowledge driven training programmes which will groom the officers/executives in various specialized activities as well as motivate them to assume role of Branch/Regional Heads.

During the year 2015-16, 311 Programmes covering 10594 Officers and 127 Programmes covering 2459 workmen employees were conducted by the Training System.

During the year 2015-16, 185 executives were provided external training from leading instituties like NIBM, IIM, etc. on leadership and management.

हरित पहल

बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के कागज रहित अनुपालन की अनुमति प्रदान कर ''कारपोरेट अभिशासन में हरित पहल'' के कार्यान्वयन की ओर विविध कदम उठाए हैं। बैंक ने कागज बचाने के उद्देश्य से खाताधारकों के लिए ई–पासबुक की शुरुआत की है तथा विविध पत्रिकाएं, तदर्थ रिपोर्ट आदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार किये जा रहे हैं। विविध प्रकार की ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक ने ग्राहकों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराया है। बाँडधारकों/विक्रेताओं के खातों में सीधे तौर पर जमा कर बैंकिंग हरित पहल को शत–प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान बैंक में औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण एवं सद्भावना पूर्ण रहा है जो बैंक के कारोबार के समग्र विकास में योगदान दे रहा है। यूनियन/एसोसिएशन भी कारपोरेट लक्ष्यों के प्रति जिम्मेदार और सजग रहे हैं।

पुरस्कार:

वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक को विविध पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं जो निम्नलिखित हैं:

- ☞ बृहद् बैंकों की श्रेणी में एशोचैम बैंकिंग एक्सिलेंस अवार्ड 2015 के अंतर्गत हमारे बैंक को कृषि बैंकिंग और ग्रामीण बैंकिंग की श्रेणी में दो प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
- ☞ बैंक को, चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेस (सीआइएमएसएमई) द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों में ''एमएसएमई बैंकिंग एक्सिलेंस अवार्ड –2015'' प्राप्त हुए हैं:
  - सीएसआर तथा कारोबारी उत्तरदायित्व ''मध्यम आकार के बैंकों'' की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार – विजेता
  - ''मध्यम आकार के बैंकों'' की श्रेणी में वित्तीय समावेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार – विजेता
  - ''मध्यम आकार वाले बैंकों'' की श्रेणी में पीएमजेडीवाई के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार – उप विजेता
- ☞ सिंड ई–पासबुक को स्मार्ट तकनीक में ''इंडियन बेस्ट – 2015'' के लिए स्कोच पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- ☞ वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ''ग'' क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में राजभाषा नीति के उत्तम निष्पादन के लिए ''राजभाषा कीर्ति पुरस्कार'' (प्रथम स्थान) प्राप्त हुआ।
- ☞ फोब्स 2000 की सर्वाधिक शक्तिशाली सार्वजनिक कंपनियों की सूची में कर्नाटक के 5 में से एक सिंडिकेट बैंक भी है।
- ☞ हमारे बैंक को वर्ष 2015 के लिए मध्यम आकार के बैंक की श्रेणी में निम्नलिखित एनपीसीआई ऐक्सिलेंस पुरस्कार प्राप्त हुए:
  - राष्ट्रीय वित्तीय स्विच का एनएफएस एटीएम नेटवर्क निष्पादन पुरस्कार का विजेता
  - चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) के निष्पादन के लिए उप विजेता
  - राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन (एनएसीएच) में निष्पादन के लिए संयुक्त उप विजेता
- ☞ स्टेट फोरम ऑफ बैंकर्स क्लब केरल द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों की श्रेणी में सिंडिकेटबैंक को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा सर्वश्रेष्ठ बैंक के लिए ''बैंकिंग एक्सिलेंस अवार्ड 2015'' से पुरस्कृत किया गया।

GREEN INITIATIVES

Bank has taken various steps towards implementation of "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances through electronic mode. Bank has introduced e-passbook facility for account holders and also generating various periodicals, ad hoc reports, etc. in electronic form to save papers. Bank has also provided facilities for on-line application to customers for availing various type of loans. Bank is encouraging hundred per cent adherence to Green Initiative by direct credit to accounts of Bond Holders / Vendors.

INDUSTRIAL RELATIONS

During the year, Industrial Relations in the Bank has been cordial and harmonious, facilitating all-round growth in the Business of the Bank. The Unions/Associations have also been responsive and proactive to the Corporate goals.

ACCOLADES & AWARD

During the year 2015-16, Bank received various awards and accolades which have been enumerated below:

- ☞ Our Bank is awarded with two prestigious awards under Agricultural Banking and Rural Banking category by ASSOCHAM Social Banking Excellence Awards 2015 under Large Bank Class.
- ☞ Bank has been awarded "MSME Banking Excellence Awards-2015" in the following categories by Chamber of Indian Micro Small & Medium Enterprises (CIMSME)
  - Best Bank Award for CSR & Business Responsibility "Mid Sized Banks"-Winner.
  - Best Bank Award for Financial Inclusion "Mid Sized Banks"-Winner.
  - Best Bank Award for PMJDY "Mid Sized Banks"-Runner Up.
- ☞ Synd e-Passbook wins *"SKOCH Award, for India's Best-2015 in Smart Technology".*
- ☞ Adjudged first under *Rajbhasha Kirti Puraskar for the Financial Year 2014-15 among Nationalised Banks and Financial Institutions of Region 'C'* for outstanding implementation of Official Language Policy.
- ☞ SyndicateBank is one among the Five from Karnataka in *Forbes' 2000 list of most powerful public companies.*
- ☞ Our Bank has been awarded the following *NPCI Excellence Award* for the year 2015 under Mid-sized Bank Category:
  - Winner of *NFS ATM Network Performance Award* of National Financial Switch.
  - Runner Up Award for *Cheque Truncation System (CTS)* Performance.
  - Joint Runner Up award for performance in *National Automated Clearing House (NACH).*
- ☞ Bank has been awarded *"Banking Excellence Award 2015, for the 3rd best Bank at national level under Public Sector Banks category for the year 2014-15"* by State forum of Bankers Club Kerala.

☞ निवल अग्रिम अनुपात का न्यूनतम एनपीए के लिए दलाल स्ट्रीट–इन्वेस्टमेंट जर्नल द्वारा बैंक को '' 7वाँ पीएसयू अवार्ड 2015" प्रदान किया गया।

☞ हमारी हिंदी पत्रिका ''जागृति'' को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हिंदी गृह पत्रिका के लिए आयोजित प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त हुआ।

मंजिलें और भी हैं

आगे बढ़ते हुए, भारत में बैंकिंग उद्योग, न केवल ग्राहक सेवा बढ़ाने और परिचालनगत दक्षता बढ़ाने बल्कि एनपीए कम करने, आस्ति गुणवत्ता बढ़ाने और बासेल III मानदंडों के अनुसरण में पूंजी की अत्यधिक कमी से निपटने के लिए असाधारण रूप से चुनौतियों की ओर अग्रसर है।

भारत में बैंकिंग क्षेत्र में नये प्रतिस्पर्धी कारोबारी वातावरण में खुद को सुधारने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। तथापि, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने तकनीकी क्षमता और सेवाओं में सुधार लाएँ। अत: भारत में भविष्य में बैंकिंग की सफलता मुख्य रूप से इसपर निर्भर करेगा कि बैंक अपने उपयुक्त कार्यनीतियों का प्रयोग इन प्रतिस्पर्धी बलों का लिवरेजिंग कितने प्रभावपूर्ण ढंग से करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के तुलनपत्र का आकार एवं आस्ति गुणवत्ता, आनेवाले दिनों में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन के लिए बाध्य होंगे। आज, समस्त बैंक एसपीए के बोझ तले दबे हैं तथा यदि ये संक्रमित रकम नहीं वसूले गए तो देश की बैंकिंग प्रणाली के अस्तित्व पर भी संकट आ सकता है।

मैं आपको आश्वस्त कराना चाहूंगा कि वर्तमान में जिस गंभीर चरण से बैंकिंग उद्योग गुजर रहा है, इस परिस्थिति में भी आपका बैंक निस्संकोच मजबूत बना हुआ है। हमारी अपेक्षाकृत मजबूत तुलनपत्र एवं हमारे स्टाफ सदस्यों की दृढ़ प्रतिबद्धता चालू वर्ष में बैंक के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों, भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक को, उनके बहुमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे शेयरधारकों ने हममें जो आस्था एवं विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने सभी सम्माननीय ग्राहकों को उनके निरंतर सहयोग तथा समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं इस संस्था के निष्पादन को बुलंदियों तक पहुँचानेवाले अपने सभी सिंडियन की प्रशंसा करता हूँ तथा उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण एवं मूल्यवान योगदान को अभिलेखित करता हूँ।

अंत में, मैं आप सभी को इस बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

सादर,

आपका

(अरुण श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान: मणिपाल
दिनांक : 27.05.2016

☞ Bank has been awarded "the 7th PSU Award 2015" by Dalal Street- Investment Journal for lowest net NPA to net advances ratio.

☞ Our Hindi Magazine 'Jagriti' got award in *Hindi House Journal Competition* conducted by the Reserve Bank of India.

THE WAY AHEAD

Going forward, banking industry in India is heading towards remarkable challenges not only in terms of enhancing customer service and improving operational efficiency; but also for reducing NPAs, improving asset quality and meeting acute shortage of capital to comply with Basel III norms.

The banking sector in India has made rapid strides in reforming and aligning itself to the new competitive business environment. However, to face future challenges, it is necessary for banks to enhance their technological capacity and upgrade their services. Hence, success of future banking in India will largely depend upon how effectively, Banks are leveraging these competitive forces by devising suitable strategies. PSBs' balance sheet size and asset quality is bound to change quantitatively as well as qualitatively in the days to come. Today, banks are groan with burden of NPAs and if these contaminated debts are not recovered, it may jeopardize the very existence of banking system in the country.

I would like to assure you that your Bank remains absolutely rock-solid, even in this critical phase under which banking industry is, now, passing through. Our relatively strong balance sheet and enduring commitment of staff members is avowed to improve the Bank performance during the current year.

I take this opportunity to thank the members of the Board, the Government of India and the Reserve Bank of India, for their valuable support and guidance. I thank all our shareholders for the confidence and faith they have reposed in us. I thank all our esteemed customers for their continued co-operation and support. I also place on record my appreciation for the dedication and commitment put in by Syndians for enabling the Bank to scale new heights of performance.

Finally, I thank one and all of you for attending this meeting.

With Regards,

Yours Sincerely,

(Arun Shrivastava)
Managing Director & CEO

Place : Manipal
Date : 27.05.2016

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल, 31मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ व हानि लेखा विवरण सहित बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

व्यापक आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

वर्ष 2015 के दौरान, वैश्विक अर्थव्यवस्था, मंद वित्तीय गतिविधियों तथा निम्न निवेश स्तर के कारण प्रभावित रही। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था के अनुसार यद्यपि, विकसित अर्थव्यवस्था तथा यूरो क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है फिर भी, उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्था (इ.एम.डी.ई.) में निराशाजनक वृद्धि के कारण विश्व का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2014 के 3.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015 में 3.1 प्रतिशत हो गया है।

उभरती बज़ार अर्थव्यवस्थाएँ अभी भी कमज़ोर घरेलू मांग, धीमे निर्माण संरचनात्मक बाधाओं, निम्न कॉमोडिटी कीमतों, अस्थिर पूँजी प्रवाह तथा बाह्य उपद्रवों की गिरफ्त में जकड़ी हुई हैं। ईएमडीई की वृद्धि-दर, वर्ष 2014 के 4.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015 में 4.0 प्रतिशत हो गई है। चीन का सकल घरेलू उत्पाद, वर्ष 2014 के 7.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015 में 6.9 प्रतिशत हो गया है। रूस और ब्राजील अभी भी मंदी के दौर का सामना कर रहे हैं तथा वर्ष के दौरान क्रमश: 3.7 प्रतिशत और 3.8 प्रतिशत की अधोमुखी वृद्धि दर्शाए हैं। इसके अलावा, कई विकासशील बाज़ारों में आयात कम होने के कारण वैश्विक कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

यूएस फेड दर में वृद्धि की संभावना ने भी वैश्विक वित्तीय स्थिरता, गिरते पूँजी प्रवाह और मुद्राह्रास को प्रभावित किया है। चीन में आगे और धीमी वृद्धि का अनुमान है जबकि, रूस और ब्राज़ील में 2016 में मंदी जारी रहने की संभावना है। भारत के नेतृत्व वाले दक्षिणी एशियाई क्षेत्र के बारे में सकारात्मक अनुमान लगाया गया है।

इस परिस्थिति में, राजकोषीय समेकन तथा वृद्धि के बीच तालमेल बिठाना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इस प्रकार, विश्व के मौद्रिक प्राधिकारियों और नीति-निर्माताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि विश्व की कई अर्थव्यवस्थाओं द्वारा सामना किये जानेवाले गहरे आघातों एवं असुरक्षा से बचने का प्रबंध करें।

घरेलू विकास

वर्ष 2015 के दौरान, देश में अर्थव्यवस्था की शरूआत तो अच्छी हुई थी परंतु बीच में ही बाधित हो गई। इसके बावजूद, चीन की 6.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में भारत में 2015 के दौरान औसत आर्थिक वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत दर्ज की गई। निवेशकों के मजबूत इरादे के कारण वृद्धि उन्मुख तथा हाल ही में गिरे तेल की कीमतों के कारण वास्तविक आय पर सकारात्मक प्रभाव देखे जाने के कारण देश की समष्टि आर्थिक संरचना सुदृढ़ प्रतीत होती है। फिर भी, कमज़ोर

DIRECTORS' REPORT

The Board is pleased to present Directors' Report of the Bank along with the Audited Balance Sheet as at 31st March 2016 and the Profit & Loss Account Statement for the Financial Year ended 31st March 2016.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Macro Economic Scenario

Global Perspective

Throughout the year 2015, global economy was influenced by dampened economic activities and low investment level. Even though growth in advanced economies and Euro zone picked up gradually, disappointing growth in Emerging Market and Developing Economies (EMDEs) pulled down the world's GDP from 3.4 per cent in 2014 to 3.1 per cent in 2015 as per the IMF's World Economic Outlook.

Emerging market economies continued to grapple with weak domestic demand, manufacturing slowdown, structural bottlenecks, lower commodity prices, volatile capital flows and external sector turbulence. Growth in EMDEs plunged from 4.6 per cent in 2014 to 4.0 per cent in 2015. China's GDP declined sharply from 7.3 per cent in 2014 to 6.9 per cent in 2015. Russia and Brazil continue to encountered recessionary trend registering negative growth of 3.7 per cent and 3.8 per cent respectively during the year. In addition, the decline in imports in a number of developing markets weighed heavily on global trade.

The prospects of an increase in US Fed Rate also harbingered concerns about global financial stability, leading to declining capital flows and currency depreciation. Growth is projected to slow further in China, while Russia and Brazil are expected to remain in recession in 2016. The South Asia region, led by India, is projected to be a bright spot.

At this juncture, achieving the balance between fiscal consolidation and growth is a key challenge. The monetary authorities and policymakers around the world, thus, need to manage vulnerabilities and rebuild resilience against potential shocks which many economies of the world face.

Domestic Development

During 2015, the country' economy started on a positive note but lost momentum in between. Despite this, the Indian economy grew at an average rate of 7.5 per cent in 2015 which is faster than the 6.9 per cent growth in China. The country's macro-economic framework seemed to be robust, buoyed by strong investor sentiment and the positive effect on real incomes due to the recent

मांग, निर्यात में तेजी से गिरावट, निर्माणक्षेत्र में धीमापन तथा ऋण उठाव में कमी आने से देश की आर्थिक सुधार के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई है।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के पूर्वाकलन के अनुसार, देश का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2014-15 के 7.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 में 7.6 प्रतिशत आंका गया है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में वर्ष 2014-15 के -0.2%, 5.9% तथा 10.3% की तुलना में वर्ष 2015-16 में क्रमश: 1.1%, 7.3% तथा 9.2% की वृद्धि हुई है।

अप्रैल–मार्च, 2015-16 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 2.8 प्रतिशत की तुलना में 2.4 प्रतिशत पर ही स्थिर रही। फिर भी, आईआईपी में 37.90 प्रतिशत की संयुक्त भारिता रखनेवाले आठ कोर उद्योगों की संचयी वृद्धि अप्रैल–मार्च, 2014-15 के 4.5 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल–मार्च, 2015-16 के दौरान, सिर्फ 2.7 प्रतिशत ही बढ़ी। निर्माण क्षेत्र में अप्रैल–मार्च, 2015-16 के दौरान 2.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह 2.3 प्रतिशत थी।

31 मार्च 2016 की स्थिति में मुद्रा आपूर्ति, वर्षानुवर्ष 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ कराते हुए ₹ 116543 बिलियन पर पहुँच गई जब कि, इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष यह वृद्धि 11.0 प्रतिशत थी। 31 मार्च 2016 की स्थिति में वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण, वर्षानुवर्ष 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ कराते हुए ₹ 78219 बिलियन पर पहुँच गया जबकि, 31 मार्च 2015 की स्थिति में यह 9.3 प्रतिशत थी। 31 मार्च 2016 की स्थिति में बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी विनिमय आस्तियाँ (एनएफए), वर्षानुवर्ष 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹24907 बिलियन पर पहुँच गईं जबकि, 31 मार्च, 2015 की स्थिति में यह 17 प्रतिशत थी।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पीआई) आधारित मुद्रास्फीति, मार्च 2016 की स्थिति में, –0.85 प्रतिशत पर आकर रुकी जबकि, मार्च 2015 की स्थिति में यह–2.33 प्रतिशत दर्ज़ किया गया था। मार्च 2015 के 5.25 प्रतिशत की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (खुदरा मुद्रास्फीति), मार्च 2016 की स्थिति में 4.83 प्रतिशत रहा।

बैंकिंग परिदृश्य

18 मार्च 2016 की स्थिति में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की जमाराशियाँ, वर्षानुवर्ष 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराते हुए ₹93786 बिलियन पर पहुँच गई जबकि, इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष यह वृद्धि 10.7 प्रतिशत थी। इसके विपरीत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण, 18 मार्च 2016 की स्थिति में वर्षानुवर्ष 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 72776 बिलियन पर पहुँच गए जबकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 9.0 प्रतिशत दर्ज़ की गई थी।

सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के निवेश, (18 मार्च 2016 तक की स्थिति में) पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज की गई 12.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में केवल 5.9 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹26398 बिलियन दर्ज किए गए।

fall in oil prices. However, weak demand, sharp decline in exports, slowdown in manufacturing sector and subdued credit offtake still pose a big challenge to the country's economic recovery.

As per the advanced estimate released by CSO, the country's GDP is projected to grow at 7.6 per cent in 2015-16 as compared to 7.2 per cent in 2014-15. The Gross Value Added (GVA) for agriculture, industry and services sector grew by 1.1 per cent, 7.3 per cent and 9.2 per cent respectively in 2015-16 as compared to -0.2 per cent, 5.9 per cent and 10.3 per cent respectively in 2014-15.

The cumulative growth in Index of Industrial Production (IIP) during April-Mar 2015-16 stood at 2.4 per cent as against 2.8 per cent of the corresponding period last year. However, the cumulative growth of Eight Core Industries having a combined weight of 37.90 per cent in IIP, grew only by 2.7 per cent during April-Mar 2015-16, as compared to 4.5 per cent during April-Mar 2014-15. Manufacturing sector grew by 2.0 per cent during April-Mar 2015-16 as against 2.3 per cent of the corresponding period last year.

The money supply grew by 10.5 per cent y-o-y to ₹116543 billion as at Mar 31, 2016 as against a growth of 11.0 per cent recorded during the corresponding period of the previous year. Bank credit to Commercial Sector grew by 11.1 per cent y-o-y to ₹78219 billion as at Mar.31, 2016 as compared to 9.3 per cent as at 31 Mar. 2015. Net foreign exchange assets (NFA) of Banking Sector grew by 10.7 per cent y-o-y to ₹24907 billion as at Mar 31, 2016 as compared to 17.0 per cent as at 31 Mar. 2015.

The WPI-based inflation stood at -0.85 per cent in March 2016 as compared to -2.33 per cent recorded in March, 2015. Consumer Price Index (Retail inflation) stood at 4.83 per cent in March 2016 as compared to 5.25 per cent in March 2015.

Banking Scenario

Scheduled Commercial Banks (SCBs)' deposits stood at ₹93786 billion as at Mar 18, 2016 recording a y-o-y growth of 9.9 per cent, as against an increase of 10.7 per cent in the corresponding period of the previous year. On the contrary SCBs' credit rose y-o-y by 11.3 per cent to ₹72776 billion upto Mar 18, 2016 as compared to 9.0 per cent recorded during the corresponding period of the previous year.

SCBs' Investment in Govt. and other approved securities increased by 5.9 per cent y-o-y (up to Mar 18, 2016) to ₹26398 billion as compared to a growth of 12.6 per cent recorded during the corresponding period of the previous year.

बाह्य क्षेत्र वृद्धि

निर्यात का संचयी मूल्य अप्रैल–मार्च, 2014-15 के यूएसडी 310338 मिलियन की जगह अप्रैल–मार्च, 2015-16 की अवधि में यूएसडी 261136 मिलियन हो गया है, जिसमें वर्षानुवर्ष 15.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि, आयातों का संचयी मूल्य अप्रैल–मार्च, 2014-15 के दौरान यूएसडी 448033 मिलियन की जगह अप्रैल–मार्च, 2015-16 की अवधि में यूएसडी 379596 मिलियन हो गया है और उनमें वर्षानुवर्ष 15.28 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

तेल के आयात का मूल्य अप्रैल–मार्च, 2015-16 के दौरान यूएसडी 82662 मिलियन आंका गया जो अप्रैल–मार्च, 2014-15 के यूएसडी 138325 मिलियन की तुलना में 40.24 प्रतिशत कम है जबकि, गैर–तेल आयात का मूल्य अप्रैल–मार्च, 2015-16 के दौरान यूएसडी 296933 मिलियन था जो अप्रैल–मार्च, 2014-15 के यूएसडी 309707 मिलियन की तुलना में 4.12 प्रतिशत कम था।

व्यापार घाटे का आकलन, अप्रैल–मार्च, 2015-16 के दौरान समग्रत: यूएसडी 118459 मिलियन था जो अप्रैल–मार्च, 2014-15 के दौरान दर्ज़ किए गए घाटे, यूएसडी 137694 मिलियन की तुलना में कम था।

25 मार्च 2016 की स्थिति में विदेशी विनिमय आरक्षित निधि, 4.15 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज कराते हुए यूएसडी 355559 मिलियन पर पहुँच गई जबकि, इसी अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, 5.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए यूएसडी 332146 मिलियन पर पहुँच गई है।

पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2016 के दौरान रूपए का अवमूल्यन, यूएसडी के मुकाबले 5.98 प्रतिशत, जीबीपी के मुकाबले 2.84 प्रतिशत, यूरो के मुकाबले 11.24 प्रतिशत तथा जापानी येन के मुकाबले 13.34 प्रतिशत हुआ।

नई भविष्य दृष्टि एवं लक्ष्य संबंधी वक्तव्य

बैंक ने भविष्य दृष्टि एवं लक्ष्य संबंधी अपना कथन तय किया है, जो न केवल दूरगामी लक्ष्य तय करने में मार्गदर्शक होगा बल्कि नया कारोबार प्राप्त करने, ग्राहक सेवा में सुधार लाने, भविष्य में बाजार की संभाव्यताओं की कल्पना करके उसके आकार का अंदाजा लगाने में भी मदद करता है। इसके साथ–साथ इन अवसरों को दूरगामी कारोबार लक्ष्य और लाभों के रूप में बदलने में भी सहूलियत प्रदान करता है।

हमारी भविष्यदृष्टि

"ग्राहक केंद्रित, तकनीकी संचालित और कर्मचारी हितैषी बनकर हिताधिकारियों को महत्व देते हुए एक अग्रणी वित्त–सक्षम वैश्विक बैंक बनना"

हमारा लक्ष्य

1. समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हुए बैंकिंग समाधान का एक अग्रणी सुविधादाता बनना।

ए) नवोन्मेषी, आवश्यकता–आधारित एवं सुगम्य बैंक–उत्पाद सहित वित्तीय सुपर बाजार बनना।

बी) उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी दर्ज करते हुए वित्तीय मानदंडों सहित भारत स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के 5 शीर्ष बैंकों में अपना स्थान बनाना।

External Sector Growth

The cumulative value of Exports for the period Apr-Mar 2015-16 stood at USD 261136 million as compared to USD 310338 million for the period Apr-Mar 2014-15, registering a y-o-y decline of 15.85 per cent. While the cumulative value of Imports for the period Apr-Mar 2015-16 stood at USD 379596 million as compared to USD 448033 million for the period Apr-Mar 2014-15, registering a y-o-y decline of 15.28 per cent.

Oil imports during Apr-Mar 2015-16 were valued at USD 82662 million which was 40.24 per cent lower than USD 138325 million during Apr-Mar 2014-15. While non-oil imports during Apr-Mar 2015-16 were valued at USD 296933 million which was 4.12 per cent lower than USD 309707 million during Apr-Mar 2014-15.

The trade deficit, in absolute terms, during Apr-Mar 2015-16 was estimated at USD 118459 million which was lower than the deficit of USD 137694 million recorded during Apr-Mar 2014-15.

Foreign exchange reserves stood at USD 355559 million as at March 25, 2016 registering a y-o-y growth of 4.15 per cent whereas Foreign Currency Assets grew by 5.03 per cent to USD 332146 million during the similar period.

The rupee depreciated by 5.98 per cent against USD, 2.84 per cent against GBP, 11.24 per cent against Euro and 13.34 per cent against Japanese yen during Mar 2016 over the previous year.

VISION & MISSION STATEMENTS

Bank has chalked out a Vision & Mission Statement which acts as a guiding force not only for pursuing long term corporate goals, but also paving way to acquire new business, improving customer service, visualize and sizing future market potentials and for converting these opportunities into a long term business goal and advantages.

Our Vision

"Be a leading financially strong universal bank, creating value for stakeholders through customer centric, technology driven and employee friendly approach".

Our Mission

1. Be a leading provider of banking solutions providing range of financial services to all strata of society

a. Financial Supermarket with innovative, tailor made & flexible Bank products

b. Among top 5 PSBs in India on financial metrics with significant international presence

सी) सामाजिक जिम्मेदार बैंक बनते हुए वित्तीय समावेशन में आगे रहना।

2. अपनी ग्राहक सेवा के लिए मशहूर एक अति मान्य व दृश्यमान ब्रांड बनना।

ए) पूर्ण उत्पाद ज्ञान के साथ प्रथम पंक्ति में श्रेष्ठ सेवा प्रदान करने का जुनून

बी) ग्राहकों के सभी मामलों के समाधान के लिए एकल संपर्क केंद्र

सी) त्वरित एवं प्रभावी शिकायत निवारण

3. अति सुविधाजनक कार्यस्थल का निर्माण जहां कर्मचारी गर्व एवं अभिप्रेरित महसूस करें।

ए) सही जगह पर सही व्यक्ति, के सिद्धांत पर युवा, चुस्त एवं अभिप्रेरित कार्यबल

बी) भर्ती, प्रशिक्षण, प्रतिभा प्रबंधन, उत्तराधिकार योजना आदि सहित उच्च कोटी की मानव संसाधन पहल

सी) सभी प्रकार के पहलों को कार्यान्वित करने हेतु सशक्त मानव संसाधन प्रबंधन के लिए सुपरिभाषित एवं पारदर्शी मानव संसाधन नीति।

4. अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी सुविधाओं द्वारा सभी हिताधिकारियों के लिए सुखद माहौल तैयार करना।

ए) समय बचाने वाला अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं का नेटवर्क

बी) कागजरहित बैंकिंग परिवेश, अधिकाधिक प्रयोक्ता अनुकूल डिजिटल चैनल

सी) शाखाओं में श्रेष्ठ बुनियादी सुविधा एवं आरामदायक परिवेश

5. सशक्त वित्तीयन एवं परिचालनगत निष्पादन

वर्ष 2015-16 के लिए कॉरपोरेट रणनीति

कारोबार स्तर, ग्राहक सेवा, अभिशासन एवं अनुपालन तथा महत्वपूर्ण मुद्दों में सुधार लाकर कारोबारी चुनौतियों को पूरा करते हुए भविष्य के लक्ष्य को पूरा करने एवं बदलते बाज़ार–परिवेश की स्पर्धाओं से निपटने के लिए बैंक ने विवेकपूर्ण ढंग से कॉरपोरेट रणनीति तैयार की है।

बैंक द्वारा 20 अप्रैल 2015 को कोलकाता में 'कार्यनीति बैठक 2015-16' तथा 24 से 26 अप्रैल 2015 तक मुन्नार में कारपोरेट बिजनेस प्लान सम्मेलन 2015-16 का आयोजन किया गया ताकि बाज़ार की वर्तमान स्थिति की जानकारी मिले सके और भावी संवृद्धि के लिए अवसर की तलाश की जा सके।

कासा जमाराशि, खुदरा व एमएसएमई ऋण, वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनल, ग्राहक सेवा तथा अन्य आय जैसे मामलों में सुधार लाने के लिए बैंक ने 2015-16 के दौरान विभिन्न रणनीतियाँ तैयार की थी जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

❖ एमएसएमई तथा खुदरा क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए बैंक ने देश के विभिन्न केंद्रों पर खुदरा ऋण शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों के आयोजन से एमएसएमई एवं खुदरा ऋण संबंधी बैंक के उत्पादों तथा

c. Be a socially responsible Bank and leader in financial inclusion.

2. Be a highly recognized and visible brand, known for its customer service

a. Passion to deliver excellent service at front desk with full product knowledge.

b. Single point of contact solution for all customer issues.

c. Quick and efficient grievances redressal.

3. Be the most preferred place to work where employees feel proud and motivated

a. Young, energetic and motivated workforce with right person at the right place.

b. Best in class HR initiatives including recruitment, training, talent management, succession planning etc.,

c. Well defined and transparent HR Policy, robust HRM for implementation of all initiatives.

4. Have state of the art technology & infrastructure creating delight among all stakeholders

a. State of the art network infrastructure with zero downtime.

b. Paperless banking environment, most user friendly digital channels.

c. Excellent infrastructure and ambience at branches.

5. To Deliver strong financial and operational performance

CORPORATE STRATEGY FOR 2015-16

In order to improve the business level, customer service, governance and compliance and to address the key issues with an anticipation of meeting future goal and changing market conditions, Bank is prudently pursing corporate strategies to be ahead in race of its rivals.

Bank has conducted Strategy Meet 2015-16 on 20th April, 2015 at Kolkata and Corporate Business Plan Conference 2015-16 during 24th to 26th April 2015 at Munnar for taking stock of the prevailing market conditions and to identify and realize opportunities for future growth.

Bank chalked out various strategies during 2015-16, for improving CASA deposits, Retail & MSME credit, alternate delivery channels, customer service and other income. Some of them are outlined below-

❖ To augment the flow of credit to MSME and Retail segments, Bank has organised MSME and Retail credit camps on various centres of the country. These camps will help in spreading awareness among MSME and

सेवाओं साबंधी जागरूकता उधारकर्ताओं में पैदा होगी।

- भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' अभियान का लाभ उठाने के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान विनिर्माण इकाइयों को वित्त सुविधा प्रदान करने पर बल देना।
- गुणवत्तायुक्त आवास ऋण सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने आवास ऋण प्रदान करने हेतु अनुमोदित भवन-निर्माताओं के साथ गठजोड़ किया है। कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा नामचीन भवन निर्माताओं को सूचीबद्ध किया गया है ताकि उनके माध्यम से आवास ऋण आवेदनों को जुटाया जा सके।
- चार-पहिया वाहनों के मामलों में बैंक द्वारा 14.05.2015 से 31.03.2016 तक प्रक्रिया तथा प्रलेखन प्रभारों में 50 प्रतिशत की छूट दी गई थी जबकि, आवास ऋण के लिए 10.09.2015 से 31.03.2016 तक प्रक्रिया एवं प्रलेखन प्रभारों में पूरी छूट दी गई थी।
- बैंक ने शाखाओं के लिए निष्पादन आधारित नकद प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की थी ताकि सभी स्तर के स्टाफ सदस्यों का उत्साहवर्धन हो और उच्चतर स्तर का निष्पादक बनने हेतु वे गौरवान्वित महसूस कर सकें।
- शाखाओं/सीपीसी/क्षे.का. में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सिंडनिवास योजना के तहत आवास ऋण का प्रचार करने और शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सिंडवाहन योजना के तहत चार-पहिया वाहन ऋण का प्रचार करने एवं नया कारोबार जुटाने के लिए भी एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।
- कार डीलरों तथा उनके बिक्री कार्यालयों को कारोबार में रूपांतरित होने वाले ऋण आवेदनों के लिए सेवा प्रभार का भुगतान किया गया। बैंक प्राधिकृत कार डीलरों को सेवा प्रभार के रूप में चार-पहिया वाहन ऋण 1.5% की दर से अधिकतम प्रति ऋण ₹ 50,000/- का भुगतान कर रहा है तथा चार-पहिया वाहन डीलर के बिक्री कार्यपालकों को प्रति ऋण ₹1000 का भुगतान कर रहा है।
- शिक्षा ऋण प्रस्तावों को फलीभूत करने के लिए प्रख्यात शिक्षण संस्थानों से गठजोड़ किया गया है।
- व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के वित्तीयन के लिए सिंड विद्या योजना के अंतर्गत 18.08.2015 से 'कौशल ऋण योजना' क्रियान्वित की गई है।
- बैंक ने 'फास्ट ट्रैक ब्रांच' के रूप में 50 शाखाएँ खोली है जिनमें एक वर्ष के दौरान न्यूनतम ₹25 करोड़ का कारोबार किए जाने की उम्मीद की गयी है।
- कम से कम आठ राज्यों में अत्याधुनिक शाखाएँ खोले जाने की योजना बैंक ने बनाई है जो परिदृश्य और संसाधनों, दोनों के मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक का होगा।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्पोरेट थीम

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अपनी नयी कॉर्पोरेट थीम **'एस्पायर'** को अपनाया है जो निम्नवत है:

गुणवत्तायुक्त कारोबार हासिल करना
धारणीय संवृद्धि
संपूर्ण निष्पादन
अभिशासन में सुधार
दबावग्रस्त आस्तियों को कम करना
उत्कृष्ट ग्राहक सेवा

Retail borrowers about the product & services offered by the Bank.

- Focus is being given on financing Manufacturing units during 2015-16, to take advantage of "Make in India "campaign of GOI.
- In order to ensure quality housing loan portfolio, bank adopted approved builders route to extend housing loans. Reputed Builders are empanelled by Corporate Office to facilitate sourcing of HL applications through them.
- In case of four wheeler, Bank had waived 50% of processing and documentation charge from 14.05.2015 to 31.03.2016 whereas for Housing Loans processing and documentation charge was entirely waived during the period from 10.09.2015 to 31.03.2016.
- Bank launched performance linked cash incentive scheme for branches to energize the staff at all levels, and to instill pride in achieving higher level of performance.
- Bank also launched Incentive based Campaign for Branches/CPCs/ROs in respect of Housing Loans under SyndNivas Scheme and for Branches in respect of four Wheelers Loans under SyndVahan Scheme to encourage staff to canvass new business.
- Car Dealers and their Sales Executives are paid service charges for sourcing loan applications converted to business. Bank is paying Service Charges @1.5% of the Four Wheeler Loan with a cap of ₹50000 per loan to Authorized Car Dealers and Rs.1000 per loan are paid to Sales Executives of Four Wheeler Dealers.
- Tie ups with premier Educational Institutions were executed to mobilize education loan proposals.
- "Skill Loan Scheme" for financing Vocational Education and Training under SyndVidya Scheme has been implemented with effect from 18.08.2015.
- Bank has opened 50 branches as Fast Track Branches, wherein business level is expected to be at least ₹25 crore in a year.
- Bank has also planned to open at least 8 State of the Art branches which would be of International Standard both in outlook and in Infrastructure.

Corporate Theme for 2015-16

Bank had adopted **"ASPIRE"** as its new corporate theme for the financial year 2015-16 which signifies as under:

*A*cquire Quality Business
*S*ustainable Growth
*P*erform 360 Degree
*I*mprove Governance
*R*educed Stressed Assets
*E*xcellence in Customer Service

अनुकूल गठजोड़ एवं संयुक्त उद्यम

बैंक ने, मेसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम (जीवन बीमा उत्पादों को बेचने हेतु) मेसर्स यूआईआईसी (सामान्य बीमा उत्पादों के वितरण हेतु), 9 एएमसी (म्युचुअल फंड उत्पादों के वितरण हेतु), मेसर्स एसबीआई जीवन बीमा कंपनी (बचत खाता धारकों को जीवन बीमा कवर करते हेतु) मेसर्स टाटा एआईए जीवन बीमा कं. लि. (आवास ऋण उधारकर्ताओं के सामूहिक जीवन बीमा उपलब्ध कराते हेतु) तथा मेसर्स एसबीआई जीवन बीमा कं. लि. (शिक्षा ऋण के उधारकर्ताओं को सामूहिक जीवन बीमा उपलब्ध कराने हेतु) के साथ अनुकूल गठजोड़ तथा संयुक्त उद्यम जारी रखा है।

नई व्यवस्था:

उक्त के अलावा, बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित कॉरपोरेट के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं:

- **भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ सहमति ज्ञापन:** बैंक ने दि. 10.04.2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएम जेबीवाई) को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- **बिरला सन लाइफ इंश्यारेंस कं. लि. (बीएसएलआई):** बैंक ने दि. 15.05.2015 से एक विशेष पैकेज के अंतर्गत आवास ऋण के उधारकर्ताओं को नि:शुल्क जीवन बीमा कवर करने के लिए मेसर्स बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (बीएसएलआई) के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- **अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के साथ सहमति ज्ञापन:** युवा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शिक्षा ऋण हेतु बैंक ने दि. 27.05.2015 को मेसर्स अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के साथ गठजोड़ किया है।
- **मेसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ सहमति ज्ञापन:** कंपनी/संस्थान से सेवानिवृत/स्वैच्छिक सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों को आवास ऋण देने या दूसरी जगह से लिए गए आवास ऋण को टेक ओवर करने के लिए बैंक ने मेसर्स ऑयल इंडिया लि. के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- **एपीवाई के लिए पीएफआरडीए के तहत पंजीकरण:** बैंक, पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत पंजीकृत है तथा सभी शाखाओं के पास अटल पेंशन योजना की बिक्री के लिए पंजीकरण आईडी उपलब्ध हैं।

कारोबार संवर्धन अभियान

कारोबार संवर्धन, बैंक की अपनी आंतरिक नीति का प्रमुख भाग है। बैंक, अपने विभिन्न उत्पादों और मौजूदा एवं नई विकसित सेवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस कड़ी में बैंक ने वर्ष के दौरान अनेकों संवर्धन कार्यक्रम किए, उनमें से कुछ निम्नवत हैं:

- **बचत बैंक खाता अभियान:** कासा जमा, जिसमें निधि लागत कम करने जैसे कई फायदे हैं, में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल करने के लिए बैंक ने दि. 01.06.2015 से 30.06.2015 तक 'बचत बैंक खाता अभियान' की शुरूआत की थी। इस अभियान की अवधि के दौरान बैंक ने बचत बैंक खाते से कुल ₹2573 करोड़ की जमाराशि प्राप्त की।

STRATEGIC ALLIANCES & JOINT VENTURES

Bank has been continuing strategic alliances & joint ventures with M/s LIC of India Ltd. *(for selling life insurance products)*, M/s UIIC *(for distribution of General Insurance product),* with 9 AMCs *(for distribution of their Mutual Fund Products)*, M/s SBI Life Insurance Company Ltd. *(for providing life insurance cover to SB a/c holders),* M/s TATA AIA Life Insurance Co Ltd *(for providing Group Life Insurance cover to Housing Loan borrowers)* and M/s SBI Life Insurance Co Ltd *(for providing Group Life Insurance cover to Education Loan Borrowers).*

New Arrangement:

In addition to the above, Bank has entered into MOU with the following corporates during the year:

- **MOU with M/s LIC of India Ltd.:** Bank has entered into MOU with LIC on 10.04.2015 to implement Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJBY).
- **MOU with M/s Birla Sun Life Insurance Co Ltd (BSLI):** Bank has entered into MOU with M/s Birla Sun Life Insurance co Ltd (B S L I) since 15.05.2015 for providing free life insurance cover to housing loan borrowers under special package.
- **MOU with Azim Premji University**: Bank has tied up with M/s Azim Premji University since 27.05.2015 for Education Loans and to attract young customers.
- **MOU with M/s Oil India Limited:** Bank has signed MOU with M/s Oil India Limited for extending top-up housing loan or takeover of housing loan of the employees who are retiring either on superannuation or on voluntary retirement from the services of the company/organization.
- **Registration under PFRDA for APY**: Bank has registered under Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA) and all branches are having the registration IDs for selling Atal Pension Yojana.

BUSINESS PROMOTION CAMPAIGNS

Bank considers business promotion as an integral part of its policy and making continuous effort to popularize its various products and services-newly developed as well as existing ones. In this course bank has held numbers of promotion campaigns during the year. Some of them are enumerated below:

- **Savings Bank Account Campaign**: To achieve significant growth in CASA deposits which has many fold advantages including reducing cost of funds, Bank has launched "Savings Bank Account Campaign" from 01.06.2015 to 30.06.2015. Bank was able to achieve an accretion of ₹2573 crore in SB deposits during the campaign period.

- **आवास एवं वाहन ऋण योजनाओं के तहत प्रोत्साहन राशि आधारित अभियान:** खुदरा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को देखते हुए तथा शाखा स्तर पर कारोबार बढ़ाने हेतु के लिए शाखा को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक द्वारा सिंडनिवास योजना के अंतर्गत आवास ऋणों और सिंडवाहन योजना के अंतर्गत चारपहिया वाहन ऋणों के लिए दि. 15.06.2015 से 30.09.2015 के दौरान नकद प्रोत्साहन अभियान चलाया गया। आगे, इन योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए बैंक ने प्रक्रिया एवं प्रलेखन प्रभारों में 50 प्रतिशत की छूट दी थी।
- **खुदरा एवं एमएसएमई अभियान:** खुदरा ऋण संविभाग के तहत कारोबार में मजबूती लाने के लिए बैंक ने 21.05.2015 से 30.05.2015, 22.06.2015 से 25.06.2015 तथा 01.08.2015 से 30.09.2015 के दौरान, तीन खुदरा व एमएसएमई अभियान चलाए। अभियान अवधि के दौरान बैंक ने 7373 कार ऋणों तथा 8250 आवास ऋणों का सफल प्रचार किया जिनमें क्रमश: ₹419.77 करोड़ एवं ₹1173.99 करोड़ का कारोबार किया गया।
- **पेंशनधारी मेला/आधार सीडिंग अभियान:** 'जीवनप्रमाण' योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पेंशनधारियों के अधिकतम खातों को आधार कार्ड से जोड़ने (इसमें जीवंतता प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की सुविधा होती है) के लिए बैंक द्वारा 01.08.2015 से 14.08.2015 के दौरान पेंशनधारी मेला/अभियान आयोजित करके उन्हें आधार कार्ड से लिंक किया गया। इस अभियान के द्वारा पेंशनधारियों के खातों को आधार से जोड़ने का सफल प्रयास किया गया।
- **मुद्रा ऋण अभियान:** बैंक ने 01.09.2015 से 02.10.2015 के दौरान मुद्रा ऋण अभियान चलाया। इस दौरान शाखाओं ने 109716 ऋण मंजूर किए जिससे ₹424.93 करोड़ की रकम जमा की गई और इनमें से 98005 खाते शिशु ऋण के खोले गए तथा ₹110.30 करोड़ का कारोबार किया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रति शाखा दिए गए 25 ऋणों के लक्ष्य के मुकाबले हमारी शाखाओं ने औसतन प्रति शाखा 28 ऋण प्रदान किए।
- **शिक्षा ऋण अभियान:** शिक्षा ऋण योजना में 25% की वृद्धि करने हेतु बैंक ने दि. 06.07.2015 से 31.12.2015 के दौरान ''शिक्षा ऋण अभियान'' चलाया। इस अभियान के दौरान ₹317 करोड़ का कारोबार करते हुए 7013 खाते जोड़े गए।
- **म्युचुअल फंड संग्रह:** व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी) का आधार मजबूर करने तथा सभी नौ म्युचुअल फंड कंपनियों के साथ एक मुश्त निवेश करके बैंक के लिए राजस्व उत्पन्न करने हेतु बैंक ने दि. 15.10.2015 से 15.12.2015 तक ''म्युचुअल फंड बोनांज़ा'' अभियान चलाया।
- **कृषि ऋण अभियान :** बैंक ने दि. 01.11.2015 से 31.12.2015 तक कृषि ऋण में प्रवाह बढ़ाने के लिए 'कृषि ऋण अभियान' चलाया।

- **Incentive based campaigns under Housing and Vehicle Loan Scheme**: Keeping in view the stiff competition in retail segment and to motivate the branch level functionaries to mobilize business under these sectors, Bank has launched incentive based campaigns for housing loans under SyndNivas scheme and four wheeler loans under SyndVahan scheme from 15.06.2015 to 30.09.2015. Further to make these schemes more attractive, Bank has also waived 50% of applicable processing and documentation charges.
- **Retail and MSME Campaigns:** To augment substantial business under Retail Credit Portfolio, Bank conducted three Retail and MSME Campaigns during the period from 21.05.2015 to 30.05.2015, 22.06.2015 to 25.06.2015 and 01.08.2015 to 30.09.2015. During the Campaign period, Bank has mobilized 7373 Car loans amounting to ₹419.77 crore and 8250 Housing Loans amounting to ₹1173.99 crore.
- **Pensioners Mela / Campaign for Aadhaar Seeding**: To maximize the Aadhaar seeding of Pensioners' accounts for effective implementation of 'Jeevanpramaan' scheme (which facilitates an additional option to the pensioners to submit Life Certificate online-Digital Life Certificate), Bank has launched Pensioners Mela / Campaign for Aadhaar Seeding from 01.08.2015 to 14.08.2015. The campaign proved to be successful bringing remarkable increase in pensioners accounts.
- **MUDRA credit campaign**: Bank has organized MUDRA credit campaign from 01.09.2015 to 02.10.2015. During the campaign period branches have sanctioned 109716 loans amounting to ₹424.93 crore, of which 98005 accounts amounting to ₹110.30 crore is Shishu loans. Each branch has sanctioned approximately 28 loans as against target of 25 loans given by Ministry of Finance.
- **Education Loan Campaign:** Bank has launched "Education Loan Campaign" from 06.07.2015 to 31.12.2015 to increase the disbursement by 25% under the education loan scheme. During the campaign 7013 accounts were added amounting to ₹317 crore.
- **Mutual Fund Bonanza**: Bank has launched "Mutual Fund Bonanza" campaign from 15.10.2015 to 15.12.2015 to increase the base of Systematic Investment Plans (SIP) and to generate revenue for the Bank from the lump sum investments with all nine mutual fund companies.
- **Agriculture Lending Campaign:** To increase the flow of credit to agriculture, Bank has launched "Agriculture Lending Campaign" from 01.11.2015 to 31.12.2015. The campaign was successful, leading

यह अभियान सफल रहा तथा पहले चरण के दौरान इसी ऋण में ₹1247 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई। अधिदेशी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु दि. 01.02.2016 से 15.03.2016 के दौरान इस अभियान को पुन: चलाया गया।

☞ **किसान दिवस:** बैंक ने पूरे देश में दि. 23.12.2015 को किसान दिवस के रूप में मनाया जिसमें चार–पाँच श्रेष्ठ किसानों को सम्मानित किया गया। किसान दिवस के दौरान पूरे भारत में 1385 ग्रामीण विकास शिक्षण कार्यक्रम चलाए गए।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक के निष्पादन की विशिष्टताएं

पूँजी एवं आरक्षित निधि

31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की प्राधिकृत शेयर पूँजी ₹3000 करोड़ तथा प्रदत्त पूँजी ₹703.37 करोड़ (प्रति शेयर ₹10 की दर से 70,33,71,629 ईक्विटी शेयर) हो गई।

बैंक की प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष, पिछले वर्ष के मुकाबले 6.14 प्रतिशत का वर्षानुवर्ष बदलाव दर्ज करते हुए वर्ष 2014-15 के ₹12397 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान ₹11635 करोड़ हो गए।

निवल मालियत

बैंक की मूर्त निवल मालियत (प्रारक्षित निधियों के पुनर्मूल्यन को छोड़कर), 31 मार्च 2015 के ₹12,095 करोड़ से 31 मार्च 2016 को ₹10,670 करोड़ पर आ गई।

लाभांश

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंक को ₹1643.48 करोड़ की निवल हानि हुई है। चूंकि बैंक, लाभांश घोषित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है अत:, निदेशक मंडल ने किसी लाभांश की संस्तुति नहीं की है।

कारोबार वृद्धि

बैंक का वैश्विक कारोबार, 1.52 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2014-15 के ₹4,61,192 करोड़ की जगह वर्ष 2015-16 में ₹4,68,184 करोड़ हो गया है। जबकि, बैंक के घरेलू कारोबार, में 3.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014-15 के ₹3,90,555 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹4,03,314 करोड़ हो गया है।

जमाराशि संग्रहण

बैंक की वैश्विक जमाराशियाँ, 2.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2014-15 के ₹2,55,388 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2015-16 में ₹ 2,61,735 करोड़ दर्ज की गई। बैंक की घरेलू जमाराशियाँ, वर्ष 2014-15 के ₹2,25,402 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2015-16 में 4.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹2,35,162 करोड़ दर्ज की गई ।

कासा जमाराशियाँ

बैंक की घरेलू कासा जमाराशियाँ, वर्ष 2014-15 के ₹63671 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2015-16 के दौरान 6.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ करते हुए ₹67925 करोड़ हो गई। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार घरेलू जमाराशि पर घरेलू कासा का प्रतिशत 28.88 रहा ।

to an increased of ₹1247 crore in agriculture credit during the first Phase. The campaign was re-launched from 01.02.2016 to 15.03.2016 for achieving the mandatory target.

☞ **Farmers Day:** Bank also celebrated Farmers Day across the country on 23.12.2015 wherein four to five best farmers were honoured. During the farmers day 1385 Rural Extension Education Programme was conducted on Pan India basis.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF THE BANK DURING THE FINANCIAL YEAR 2015-16

Capital & Reserves

Bank's authorized share capital stood at ₹3,000 crore and the paid-up capital ₹703.37 crore (70,33,71,629 equity shares of ₹10 each) during the financial year ended at 31.03.2016.

The Reserves and Surplus of the Bank changed from ₹12397 crore in 2014-15 to ₹11635 crore in 2015-16, registering a y-o-y change of 6.14 per cent over the previous year.

Net worth:

Tangible Net Worth of the Bank (excluding revaluation reserves) moved from ₹12,095 crore as at March 31, 2015 to ₹10,670 crore as at March 31, 2016.

Dividend

The Bank has incurred Net Loss of ₹1643.48 crore during the financial year 2015-16. As the Bank does not conform to the eligibility criteria prescribed by RBI for declaration of dividend, the Board has not recommended any dividend.

Business Growth

The global business of the Bank grew by 1.52 per cent from ₹4,61,192 crore in 2014-15 to ₹4,68,184 crore in 2015-16; whereas, Bank's domestic business rose by 3.27 per cent from ₹3,90,555 crore in 2014-15 to ₹4,03,314 crore in 2015-16.

Deposit Mobilization

Global deposits of the Bank grew by 2.49 per cent from ₹2,55,388 crore in 2014-15 to ₹2,61,735 crore in 2015-16. Domestic deposits grew by 4.33 per cent from ₹2,25,402 crore in 2014-15 to ₹2,35,162 crore in 2015-16.

CASA Deposits

Domestic CASA deposits of the Bank increased from ₹63,671 crore in 2014-15 to ₹67,925 crore in 2015-16, registering a growth of 6.68 per cent. Percentage of domestic CASA to domestic deposits stood at 28.88 per cent as at 31.03.2016.

ऋण अभिनियोजन

बैंक का वैश्विक अग्रिम, वर्ष 2014-15 के ₹2,05,804 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2015-16 में 0.31 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 206449 करोड़ दर्ज़ किया गया। घरेलू अग्रिम, वर्ष 2014-15 के ₹ 165153 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2015-16 में 1.82 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹1,68,152 करोड़ दर्ज़ किया गया। पिछले वर्ष के 80.58 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान वैश्विक ऋण जमा अनुपात 78.88 प्रतिशत रहा।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम, वर्ष 2014-15 के ₹57,281 करोड़ से बढ़कर 2015-16 के दौरान ₹ 65,945 करोड़ हो गया जो, एएनबीसी का 40.69 प्रतिशत बनता है, जबकि इसका अधिदेशात्मक स्तर 40 प्रतिशत है।

प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम, वर्ष 2014-15 के ₹ 21,505 करोड़ से बढ़कर 2015-16 के दौरान ₹ 27,723 करोड़ हो गया जो एएनबीसी का 17.10 प्रतिशत बनता है, जबकि इसका अधिदेशात्मक स्तर 13.50 प्रतिशत है।

एमएसई अग्रिम, वर्ष 2014-15 के ₹ 21,911.35 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2015-16 में 13.55 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 24,880.75 करोड़ दर्ज़ किए गए।

एमएसएमई अग्रिम, वर्ष 2014-15 के ₹ 24,665 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2015-16 में 12.21 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 27,677 करोड़ दर्ज़ किए गए।

लाभप्रदता

बैंक का परिचालन लाभ, वर्ष 2014-15 के ₹ 4,007.29 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2015-16 में ₹ 4,209.20 करोड़ दर्ज़ किया गया है।

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार निवल लाभ ₹ 1,522.93 करोड़ के मुकाबले दि. 31.03.2016 की स्थिति में बैंक को ₹ 1,643.48 करोड़ की निवल हानि हुई।

कर्मचारी उत्पादकता

31मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति कर्मचारी करोबार, ₹ 15.39 करोड़ की तुलना में घटकर 31 मार्च 2016 को ₹ 14.61 करोड़ दर्ज़ किया गया। प्रति कर्मचारी लाभ, 31 मार्च 2015 के ₹ 5.55 लाख की तुलना में 31 मार्च 2016 को घटकर ₹5.51 लाख हो गया।

आय एवं व्यय

बैंक की कुल आय, वर्ष 2014-15 के ₹ 23,724.76 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2015-16 में 8.35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 25,706.51 करोड़ दर्ज़ की गई।

बैंक की ब्याजी आय, वर्ष 2014-15 के ₹ 21,615.16 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2015-16 में 7.32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 23,197.78 करोड़ दर्ज़ की गई।

बैंक की गैर-ब्याजी आय, वर्ष 2014-15 के ₹ 2,109.59 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2015-16 में 18.92 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 2,508.73 करोड़ दर्ज़ की गई।

बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, वर्ष 2014-15 के ₹ 16,094.87 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2015-16 में 6.95 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 17,213.08 करोड़ हो गया है।

Credit Deployment

The Bank's global advances increased from ₹2,05,804 crore in 2014-15 to ₹2,06,449 crore in 2015-16, registering a growth of 0.31per cent. Domestic advances grew by 1.82 per cent from ₹1,65,153 crore in 2014-15 to ₹1,68,152 crore in 2015-16. The global credit deposit ratio stood at 78.88 per cent in 2015-16 as compared to 80.58 per cent of the last year.

Priority Sector Advances increased from ₹57,281 crore in 2014-15 to ₹65,945 crore in 2015-16, forming 40.69 per cent of ANBC as against mandatory level of 40 per cent.

Direct Agriculture Advances increased from ₹ 21,505 crore in 2014-15 to ₹27,723 crore in 2015-16, forming 17.10 per cent of ANBC as against mandatory level of 13.50. per cent.

MSE Advances increased from ₹21,911.35 crore in 2014-15 to ₹24,880.75 crore in 2015-16, registering a growth of 13.55 per cent.

MSME Advances increased from ₹24,665 crore in 2014-15 to ₹27,677 crore in 2015-16, registering a growth of 12.21 per cent.

Profitability

Operating profit of the Bank stood at ₹4,209.20 crore as at 31.03.2016 as compared to ₹4,007.29 crore as at 31.03.2015.

Net Loss of the Bank stood at ₹1,643.48 crore as at 31.03.2016 as against Net profit of ₹1,522.93 crore as at 31.03.2015.

Employees' Productivity

Business per employee of the Bank decreased from ₹15.39 crore as at March 31, 2015 to ₹14.61 crore as at March 31, 2016. Profit per employee stood at ₹-5.51 lakh as at March 31, 2016 as compared to ₹5.55 lakh as at March 31, 2015.

Income & Expenditure

The Bank's total income rose by 8.35 per cent from ₹23,724.76 crore in 2014-15 to ₹25,706.51 crore in 2015-16.

The Bank's interest income rose by 7.32 per cent from ₹21,615.16 crore in 2014-15 to ₹23,197.78 crore in 2015-16.

The non-interest income of the Bank improved by 18.92 per cent from ₹2,109.59 crore in 2014-15 to ₹2,508.73 crore in 2015-16.

The Interest expenditure of the Bank stood at ₹ 17,213.08 crore in 2015-16 as against ₹ 16,094.87 crore in 2014-15, recording an increase of 6.95 per cent.

बैंक का परिचालन व्यय (₹ 882.65 करोड़ के अपवादात्मक मद को छोड़कर) वर्ष 2014-15 के ₹ 3622.60 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2015-16 में 18.26 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 4,284.23 करोड़ हो गया।

महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात

ए) आस्तियों पर प्रतिलाभ, वर्ष 2014-15 के 0.58 प्रतिशत के स्थान पर 2015-16 में -0.56 प्रतिशत हो गया है।

बी) बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (एन आई एम), वर्ष 2014-15 के 2.38 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 में 2.28 प्रतिशत हो गया है।

सी) बैंक के अग्रिमों पर अर्जन, वर्ष 2014-15 के 9.34 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 में 8.63 प्रतिशत पर आ गया।

डी) बैंक की जमाराशियों की लागत, वर्ष 2014-15 के 6.73 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 में 6.27 प्रतिशत हो गई है।

ई) बैंक का प्रति शेयर अर्जन (ई पी एस), वर्ष 2014-15 के ₹ 24.38 की तुलना में वर्ष 2015-16 में ₹ –24.82 हो गया है।

एफ) बैंक का प्रतिशेयर बही मूल्य, वर्ष 2014-15 के ₹ 197.24 की तुलना में वर्ष 2015-16 में बढ़कर ₹ 175.41 पर आ गया।

जी) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ, वर्ष 2014-15 के 1.90 प्रतिशत की जगह वर्ष 2015-16 में 4.48 प्रतिशत हो गई हैं।

एच) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियाँ, वर्ष 2014-15 के 3.13 प्रतिशत की जगह वर्ष 2015-16 में 6.70 प्रतिशत हो गई हैं।

आई) बैंक का अनर्जक आस्ति प्रोविजन कवरेज अनुपात, वर्ष 2014-15 के 66.61 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 में 53.73 प्रतिशत हो गया है।

जे) बासेल III के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सी आर ए आर), वर्ष 2014-15 के 10.54 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 में 11.16 प्रतिशत हो गया है।

शाखा नेटवर्क का विस्तार

वर्ष के दौरान बैंक ने अपने नेटवर्क में 251 नई शाखाओं को जोड़ा है जिससे 31.03.2016 तक बैंक की शाखाओं की कुल संख्या (लंदन शाखा सहित) 3766 हो गई। इनमें 1219 शाखाएँ कम बैंक सुविधावाले जिलों में तथा 945 शाखाएँ अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में हैं।

वर्ष के दौरान उपरोक्त में से 10 शाखाएँ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोली गईं। वर्ष के दौरान बैंक ने 3 मिड कॉरपोरेट शाखाएँ खोली है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, बैंक को अपनी 25% नयी शाखाएँ, बैंकिंग सुविधा से रहित 5-6 टीयर की ग्रामीण केन्द्रों में खोलनी होगी।

देशी शाखा नेटवर्क में 1231 ग्रामीण, 1030 अर्ध–शहरी, 823 शहरी तथा 681 महानगरीय शाखाएँ शामिल हैं। 31.03.2016 तक स्थापित ए.टी.एम. की कुल संख्या बढ़कर 3730 हो गई हैं।

Operating expenditure of the Bank (excluding exceptional item of ₹ 882.65 crore) increased by 18.26 per cent from ₹3622.60 crore in 2014-15 to ₹4,284.23 crore in 2015-16.

Important Financial Ratios

a) The Return on Assets stood at -0.56 per cent in 2015-16 as compared to 0.58 per cent in 2014-15.

b) The Bank's Net Interest Margin (NIM) stood at 2.28 per cent in 2015-16 as compared to 2.38 per cent in 2014-15.

c) The yield on advances of the Bank stood at 8.63 per cent in 2015-16 as compared to 9.34 per cent in 2014-15.

d) The cost of deposits of the Bank stood at 6.27 per cent in 2015-16 as compared to 6.73 per cent in 2014-15.

e) The Earning per share (EPS) of the Bank stood at ₹ –24.82 in 2015-16 as compared to ₹ 24.38 in 2014-15.

f) The Book Value per share of the Bank stood at ₹175.41 as against ₹ 197.24 in 2014-15.

g) Net NPA percentage to net advances stood at 4.48 per cent in 2015-16 as compared to 1.90 per cent in 2014-15.

h) Gross NPA percentage to Gross Advances stood at 6.70 per cent in 2015-16 as compared to 3.13 per cent in 2014-15.

i) NPA provision coverage ratio of the Bank stood at 53.73 per cent in 2015-16 as compared to 66.61 per cent in 2014-15.

j) The Capital Adequacy Ratio (CRAR) of the Bank, as per Basel III stood at 11.16 per cent in 2015-16 as compared to 10.54 per cent in 2014-15.

EXPANSION OF BRANCH NETWORK

During the year, the Bank has added 251 brick and mortar branches to its network and the total number of branches (including London Branch) stood at 3766 as on 31.03.2016. These include 1219 branches in under banked Districts and 945 branches in minority concentration Districts.

Out of the above, 10 branches were opened in the North Eastern States of India during the year. Bank opened 3 Mid Corporate branches during the year.

As per RBI guidelines, Banks are required to open 25 per cent of the new branches in rural unbanked tier 5-6 Centres.

The domestic branch network consisted of 1231 rural, 1030 semi-urban, 823 urban and 681 metro branches. The total number of ATMs installed upto 31st March 2016 stood at 3730.

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, बैंक का ग्राहक आधार 49 मिलियन हो गया।

खुदरा उधार

खुदरा उधार हमेशा से ही बैंक का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यद्यपि बैंकिंग कार्यनीतियाँ तेजी से रूपांतरित हो रही हैं फिर भी, खुदरा उधार को एक महत्वपूर्ण संविभाग माना जाता रहा है एवं वह निवल ब्याज मार्जिन को बढ़ाने और जोखिम प्रसार में अपना योगदान देता रहा है।

बाज़ार की प्रवृत्ति को देखते हुए बैंक ने अपनी कार्यनीतियों को नियमित आधार पर बाज़ार की बदलती अपेक्षाओं के अनुरूप पुन:निरूपित करके उत्पादों को तैयार किया है ताकि संविभाग की संवृद्धि में निरंतरता बनी रहे।

विभिन्न श्रेणी के उधारकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने खुदरा ऋण उत्पादों की रचना की है। खुदरा ब्रांड उत्पादों में स्तरीय वृद्धि लाने के लिए बैंक ने विपणन संबंधी विशेष कदम उठाते हुए प्रभावी ऋण नीति को अपनाया है।

खुदरा ऋण संविभाग के अंतर्गत कुल बकाया अग्रिम, 19.20 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज़ कराते हुए मार्च 2015 की ₹22256.44 करोड़ की तुलना में मार्च 2016 की स्थिति में ₹4272.77 करोड़ बढ़कर ₹26529.21 करोड़ हो गए हैं।

वर्ष के दौरान बैंक ने आवास ऋण, कार ऋण, शिक्षा ऋण तथा मोर्गेज ऋणों पर काफी बल दिया है।

आवास ऋण:

बैंक ने मार्च 2016 की स्थिति में आवास ऋण के तहत वर्षानुवर्ष 20.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ कराई। ऋण की राशि को देखते हुए बैंक ने आधार दर पर ब्याज रखते हुए आवास ऋण उत्पाद को काफी स्पर्धात्मक बना रखा है।

आवास ऋणों के त्वरित निपटान के लिए पूरे भारत में 14 विशेषीकृत सीपीसी संचालित किए गए हैं ।

मकान सुधार ऋण के रूप में आवास ऋण के ग्राहकों के लिए ऑफ ग्रिड सोलर रूप टॉप हेतु वित्तीयन के लिए बैंक ने ''सिंड सोलर'' योजना शुरू की है ।

ऋण संबद्ध अनुदान योजना ''सबके लिए मकान'' मिशन के तहत बैंक ने शहरी गरीबों के लिए ''प्रधान मंत्री आवास योजना'' (पीएमएवाई) शुरू की है ।

कार ऋण: कार ऋण संविभाग के तहत वर्ष के दौरान बैंक ने प्रभावी रूप से 40.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ कराई है ।

शिक्षा ऋण: वित्त मंत्रालय द्वारा आबंटित शिक्षा ऋण के तहत दिए गए लक्ष्य ₹490 करोड़ की तुलना में बैंक ने वर्ष के दौरान ₹529.36 करोड़ का ऋण वितरित किया है।

सिंडविद्या योजना के तहत ₹7.50 लाख तक के शिक्षा ऋण पर लागू ब्याज दर को कम किया गया है । बैंक ने शिक्षा ऋण लेने वालों के लिए आसान शर्तों पर ईएमआई निर्धारित करने की सुविधा प्रदान की है ।

The bank has a customer base of over 49 million as at March 31, 2016.

RETAIL LENDING

Retail lending continues to be the thrust area of the Bank. Though banking strategies are undergoing rapid transformations, Retail lending continues to be the important portfolio and is contributing towards increasing Net Interest Margins and risk diffusion.

Keeping in view the market trends, the Bank has redesigned strategies and repositioned products, customizing on a regular basis to the changing market requirements thus enabling continuity in the growth of the portfolio.

Retail credit products of our Bank are designed to meet the credit requirements of various categories of borrowers. To achieve qualitative growth under Retail branded products, the Bank has adopted focused lending approach coupled with marketing initiatives.

Total outstanding advances under Retail Credit portfolio is increased by ₹ 4272.77 crore from ₹ 22256.44 crore as on March 2015 to ₹ 26529.21 crore as on March 2016, recording a growth of 19.20 % year on year basis.

Bank has accorded greater thrust on Housing Loans, Car Loans, Education Loans and Mortgage Loans during the year.

Housing loans:

Under Housing loans Bank has registered y-o-y growth of 20.20 % as on March 2016. Bank has very competitive housing loan product with Base rate of interest irrespective of loan amount.

14 Specialized CPCs for Housing Loans are operating Pan India for speedy sanction of loans.

Bank launched "SyndSolar" Scheme for financing Off-grid Solar Roof Top for Housing loan customers as Home Improvement Loan.

Credit linked Subsidy Scheme –"Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)" under "Housing for All Mission" for Urban Poor has been implemented.

Car loans: During the year, Bank has registered impressive growth of 40.48 % under Car Loan portfolio.

Education Loans: Against the disbursement target of ₹490 crore under Education loans allotted by Ministry of Finance, bank has disbursed ₹529.36 crore during the year.

Applicable Rate of Interest on Education loans up to ₹7.50 lakhs under SyndVidya Scheme is reduced. Bank has introduced Step UP EMI facility to Education Loan borrower on easy terms.

सिंड विद्या योजना के तहत व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु वित्त सुविधा प्रदान करने के लिए ''कौशल ऋण योजना'' शुरू की गई है । कौशल विकास शिक्षा ऋणों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लि. (एनसीजीटीसी), जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा कौशल विकास के लिए ऋणकर्ता को मंजूर संपार्श्वमुक्त ऋण सुविधाओं को गारंटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक नई योजना है, बैंक इसका सदस्य बन गया है ।

बैंक ने एनएसडीएल पर विद्यालक्ष्मी पोर्टल तैयार किया है जिससे विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से मिलने की जरूरत कम पड़ेगी तथा शिक्षा ऋण के लिए पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध होगी ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एसएसएमई) क्षेत्र को अग्रिम

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को प्रमुखता देते हुए एम एस एम ई का ऋण प्रदान करने में बैंक ने विशेष रूचि दिखाई है । एम एस एम ई क्षेत्र को बकाया अग्रिम, ₹3012.01 को वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2015 के ₹24665.05 करोड़ से बढ़कर मार्च 2016 की स्थिति में वर्षानुवर्ष 12.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराते हुए ₹27677.06 करोड़ पर पहुँच गया है।

एम एस ई क्षेत्र का बकाया अग्रिम, ₹2969.40 करोड़ की वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2015 के ₹21911.35 करोड़ से बढ़कर मार्च 2016 की स्थिति में वर्षानुवर्ष 13.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराते हुए ₹24880.75 करोड़ पर पहुँच गया है।

एम एस एम ई क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान किए गए कुल अग्रिमों का 89.90 प्रतिशत अग्रिम सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को दिए गए जबकि, एम एस एम ई के तहत 10.10 प्रतिशत मध्यम उद्योगों को दिए गए ।

मुद्रा योजना के अंतर्गत 31.03.2016 की स्थिति में बैंक ने 311696 खातों को खोलकर ₹3291.87 करोड़ की मंजूरी दी तथा ₹3019.14 करोड़ का वितरण किया जब कि, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य ₹2015 करोड़ था। बैंक ने मुद्रा कार्ड की शुरुआत करके खुदरा व्यापारियों को 32594 मुद्रा कार्ड जारी किए जिनका मूल्य ₹92.67 करोड़ रहा ।

एम एस एम ई के तहत प्रधान मंत्री का कार्य बल

कुल एम एस ई अग्रिमों में सूक्ष्म उद्योगों की प्रतिशतता:
बैंक का सूक्ष्म उद्योगों को बकाया अग्रिम, सूक्ष्म व लघु उद्योग क्षेत्र का 66.01 प्रतिशत रहा जबकि, मार्च 2016 की स्थिति में लक्ष्य 60 प्रतिशत का दिया गया था ।

सूक्ष्म उद्योगों के तहत खातों की संख्या में वृद्धि:
वर्ष के दौरान सूक्ष्म उद्योगों के तहत खातों की संख्या, मार्च 2015 के 552688 से 81730 बढ़कर मार्च 2016 की स्थिति में 634418 हो गई है । सूक्ष्म उद्योगों के तहत अपेक्षित लक्ष्य 10 प्रतिशत की तुलना में वर्षानुवर्ष 14.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई है।

एम एस ई में भा.रि.बैं. के दिशानिदेशों का अनुपालन:

सूक्ष्म उद्योग: भा.रि.बैं. के नए दिशानिदेशों के अनुसार, एएनबीसी का

"Skill Loan Scheme" for financing Vocational Education and Training under SyndVidya Scheme has been implemented. Bank has become the member of National Credit Guarantee Trustee Company Ltd (NCGTC), for Credit Guarantee Scheme for Skill Development Education Loans, a new scheme which is introduced by the Govt. of India, Ministry of Finance to guarantee the collateral free credit facilities sanctioned to borrowers for pursuing Skill Development.

Bank integrated with Vidya Lakshmi portal of NSDL which will minimize the need for personal interaction with student and providing transparent processing of Education loans.

ADVANCES TO MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISE (MSME) SECTOR

Bank continue to accord greater thrust on financing MSMEs with emphasis on Micro and Small Enterprises (MSEs). The outstanding advances to MSME Sector increased by ₹3012.01 crore from ₹24665.05 crore as on March 2015 to ₹ 27677.06 crore as on March 2016 recording 12.21% year on year growth.

The total outstanding advances to MSE Sector was increased by ₹2969.40 crore from ₹21911.35 crore as on March 2015 to ₹24880.75 crore as on March 2016, recording a growth of 13.55% year on year basis.

The advances to Micro and Small Enterprises constitute 89.90% of the total advances under MSME Sector, while advances to Medium Enterprises constitute 10.10% under MSME.

Under MUDRA scheme, Bank has sanctioned 311696 accounts amounting ₹3291.87 crore and disbursed ₹3019.14 crore as on 31.3.2016 against target of ₹2015 crore allotted by the Ministry of Finance. Bank has also launched MUDRA Card for the petty traders. 32594 Mudra Cards amounting to ₹92.67 crore were issued.

Prime Minister's Task Force Targets under MSME

Percentage of Micro Enterprises to total MSE advances: The outstanding advances to Micro Enterprises of the Bank constitute 66.01% of advances to Micro and Small Enterprises Sector which is above the stipulated target of 60 % as on March 2016.

Growth in number of accounts under Micro Enterprises: During the year, accounts under Micro Enterprises have increased by 81730 from 552688 as on March 2015 to 634418 as on March 2016. YoY growth of 14.79 % is achieved against the requirement of 10% under Micro enterprises.

Compliance to RBI guidelines on MSE:

Micro Enterprises: As per new guidelines of RBI, 7.5 percent of ANBC or Credit Equivalent Amount of Off-Balance Sheet

7.5 प्रतिशत अथवा तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, को चरणबद्ध तरीके से हासिल किया जाए। अर्थात, मार्च 2016 तक 7 प्रतिशत एवं मार्च 2017 तक 7.5 प्रतिशत हो।

मार्च 2016 की स्थिति में बैंक का एएनबीसी, ₹162086.19 करोड़ है तथा सूक्ष्म उद्यमों का बकाया अग्रिम ₹16422.77 करोड़ है, जो एएनबीसी के लिए निर्धारित लक्ष्य 7% के मुकाबले 10.13% है।

एमएसई कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष के दौरान बैंक ने विविध पहल शुरू किए हैं।

एमएसएमई क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने पर बल देने के लिए बैंक की 69 विशेषीकृत शाखाएं हैं ।

एमएसई का संपार्श्वमुक्त ऋण उपलब्ध कराने को बढ़ावा देने के पूर्वोपाय के रूप में, सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं के तहत ₹5.00 लाख तक के ऋण के लिए देय समस्त गारंटी तथा वार्षिक सेवा शुल्क को बैंक समाप्त कर रहा है तथा ₹50.00 लाख तक के अन्य सभी ऋणों के लिए शुल्क का 50% देय है। सीजीएमएसई से रक्षा प्राप्त खातों के संदर्भ में बैंक ने ब्याज दर में 0.25% की कमी की है ।

बैंक ने पर्याप्त कारोबार जुटाने के लिए टेलर–मेड एमएसएमई ऋण उत्पादों जैसे, सिंडडॉक्टर, सिंडमार्बल, सिंडटेक्सटाइल, सिंडट्रांसपोर्ट, सिंडकॉंट्रैक्टर, सिंडमहिलाशक्ति, सिंडहोटल, सिंडज्वेलर, सिंडटिंबर और सिंडप्रोफेशनल को प्रचारित किया है। वर्ष के दौरान इन उत्पादों के तहत ₹1902 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

एमएसई क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहन की खरीदी के लिए उधारकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रख्यात वाणिज्यिक वाहन विनिर्माण कंपनियों के साथ सहमति ज्ञापन नवीकृत किये गए हैं। प्रयोग के तौर पर बैंक, बेंगलूरु में टैक्सी परिचालकों को वित्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ओला (ओएलए) कैब के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ।

एमएसएमई प्रस्तावों को जुटाने के लिए बैंक ने इस वर्ष के दौरान विविध केंद्रों पर कई एमएसएमई ऋण शिविर आयोजित किए।

एमएसएमई ऋण प्रस्तावों के शीघ्र प्रसंस्करण के लिए शाखाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेंडिंग ऑटोमेटेड लोन प्रोससिंग सिस्टम (लैप्स) का प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा रहा है । आवेदनों की स्थिति जानने के लिए एमएसएमई आवेदकों को एमएसएमई प्रस्तावों के ऑनलाइन ट्रैकिंग रखने की सुविधा प्रदान की गई है ।

सेवा/विनिर्माण गतिविधियों से जुड़े नए कारोबारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, योग्य व्यवसायियों के लक्ष्य समूह की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने एमएसएमई उत्पाद – ''सिंड प्रोफेशनल'' की शुरूआत की है ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

विभिन्न क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंक के अनुभवों के आधार पर और आर्थिक वृद्धि की गतिशीलता, सरकारी दिशानिदेशों, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं सामाजिक – आर्थिक उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विशेषकर कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

धारणीय ऋण संवृद्धि, सुधरी हुई आस्ति गुणवत्ता, उच्चतर आमदनी की प्राप्ति हेतु एवं सम्मिलित विकास सुनिश्चित करने के लिए समाज के सभी वर्गों को

Exposure, whichever is higher to be achieved in a phased manner i.e. 7 per cent by March 2016 and 7.5 per cent by March 2017.

As on March 2016, ANBC of the Bank is ₹162086.19 crore and outstanding advances to Micro Enterprises is ₹16422.77 crore, which is 10.13% of the ANBC against the stipulated target of 7%.

To give a boost to MSME business, the Bank has taken several initiatives during the year.

The Bank is having 69 specialized branches for focused lending to MSME sector.

As a proactive measure to promote collateral free lending to MSEs, the Bank is absorbing entire guarantee fee and annual service fee payable for loans up to ₹ 5.00 lakh under all Govt. sponsored schemes and 50% of fee payable for all other loans up to ₹50.00 lakh. Bank reduced interest rate by 0.25% in respect of CGMSE covered accounts.

Bank popularized the tailor made MSME loan products SyndDoctor, SyndMarble, SyndTextile, SyndTransport, SyndContractor, SyndMahilaShakthi, SyndHotel, SyndJeweller, SyndTimber and SyndProfessional to mobilize substantial business. Under these products ₹1902 crores was sanctioned during the year.

MOUs with reputed commercial vehicle manufacturing companies were renewed to expand credit to borrowers for purchase of commercial vehicles under MSE sector. On pilot basis bank entered into MoU with OLA cabs for financing Taxi Operators in Bangalore City.

Bank has organized series of MSME credit camps at various centers during the year to mobilize MSME proposals.

Lending Automated Loan Processing System (LAPS) is effectively made use by all branches and regional offices for speedy processing of MSME loan proposals. Online Tracking for MSME proposals is provided to facilitate MSME applicants to track and know the status of the applications.

Bank has launched MSME product – "SyndProfessional" to address the credit needs of target group of qualified professionals to take up service/ manufacturing activities to encourage Start Ups.

PRIORITY SECTOR CREDIT

Based on the Bank's experience in lending to different sectors and keeping in view the dynamics of Economic Growth, Government Directives, National Priorities and Socio-Economic Obligations, thrust was given to Priority Sector lending especially lending to agriculture during the year.

Bank adopted various strategies during the year to achieve sustainable credit growth, improved asset quality, higher

शामिल करते हुए विविध प्रकार के बेहतर ऋण संविभाग बरकरार रखने हेतु, बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यनीतियों को अपनाया है । बैंक ने अपनी स्थिति का समेकन और आस्ति गुणवत्ता पर केंद्रित रहकर और अधिक जोर-शोर से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत ऋण प्रदान करना जारी रखा है । कृषि, एसएमई, शिक्षा, आवास, सूक्ष्म वित्त एवं अर्थव्यवस्था के अन्य उत्पादक क्षेत्र ऋण उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में थे ।

अत्यधिक संख्या के ऋण आवेदनों के शीघ्र निपटान तथा इनपर शीघ्र निर्णय लेने के लिए बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत भावी ग्राहकों की ऋण आवश्यकताओं के लिए ''ऑनलाइन अनुरोध'' सुविधा की शुरूआत की है । भावी ग्राहक, बैंक के वेबसाइट से निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । आवेदकों को तुरंत ही विशिष्ट संदर्भ संख्या सहित सिस्टम द्वारा तैयार पावती उपलब्ध कराई जाती है । उस विशिष्ट संदर्भ संख्या का उपयोग वे अपने आवेदनों की स्थिति का पता लगाने के लिए कर सकते हैं ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम:

मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम, ₹65944.98 करोड़ तक पहुँच गया है, (मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ₹57281.44 से) जो 40 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में एएनबीसी का 40.69 प्रतिशत बनता है। बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के अंतर्गत 29.38 लाख से भी अधिक ग्राहकों को लाभ पहुँचाया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों, कमजोर वर्गों तथा महिला हिताधिकारियों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने हेतु विशेष ध्यान रखा गया है। कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों का स्तर ₹ 18012 करोड़ तक पहुँच गया जो एएनबीसी का 11.11 प्रतिशत है तथा इस क्षेत्र के लिए निर्धारित अनिवार्य लक्ष्य 10 प्रतिशत से अधिक है। महिला ग्राहकों को दिए गए अग्रिम, मार्च 2015 के ₹12939.05 करोड़ से बढ़कर मार्च 2016 को ₹14342 करोड़ हो गए, जो 5 प्रतिशत के अधिदेशी स्तर की तुलना में एएनबीसी का 8.85 प्रतिशत बनता है। इसी प्रकार, अल्पसंख्यकों को दिए गए ऋण, मार्च 2015 के ₹9012.28 करोड़ से बढ़कर मार्च 2016 को ₹10205 करोड़ हो गए, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का 15.48 प्रतिशत है, जबकि इसके लिए अनिवार्य अपेक्षा 15 प्रतिशत है।

कृषि एवं अनुषंगी कार्यकलाप:

मार्च 2016 को कृषि क्षेत्रक ऋण का स्तर ₹29898.86 करोड़ तक पहुँच गया (मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ₹26205.38 करोड़ से) जो, अधिदेशात्मक 18 प्रतिशत के मुकाबले ए.एन.बी.सी. का 18.45 प्रतिशत है। लघु एवं सीमांत किसानों को दिया गया ऋण ₹14733 करोड़ है जो अनिवार्य लक्ष्य 7.50 प्रतिशत की तुलना में ए.एन.बी.सी. का 9.09 प्रतिशत बनता है।

बैंक ने 19.74 लाख से भी अधिक ग्राहकों को कृषि अग्रिम प्रदान किए हैं। वर्ष के दौरान कृषि ऋण की विशेष योजना के अंतर्गत ₹17199.62 करोड़ की राशि संवितरित की गई जबकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान संवितरित राशि ₹14468.92 करोड़ थी। बैंक ने वर्ष के दौरान अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से 134886 नये किसानों को अपना ग्राहक बनाया है जिससे प्रति ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखा के लिए औसतन 59 नए किसान जुड़ गए हैं।

earnings and for maintaining well diversified credit portfolio covering all sections of the society to ensure inclusive growth. The Bank continued its growth under Priority Sector lending with added thrust on consolidation of its position and focus on asset quality. The focus areas for credit were Agriculture, SMEs, Education, Housing, Micro Finance and other productive sectors of the economy.

For quick disposal of large number of credit applications and to hasten credit decisions, the bank has introduced the "Online Request" from prospective clients covering credit requirements under various segments of Priority Sector. The prospective clients can access the Bank's website and submit their request for loan through application form prescribed therein. System generated acknowledgement is provided immediately to the applicants with unique reference number which they can use to track their applications.

Priority Sector Advances:

Priority Sector Advances of the Bank reached a level of ₹65944.98 crore as at March 2016 (from ₹57281.44 as at March 2015) constituting 40.69 per cent of ANBC against the mandatory level of 40 per cent. The Bank has covered more than 29.38 lakh customers under Priority Sector Advances. Special care was taken to ensure that the credit needs of SC/ST, Minorities, Weaker sections and Women are fully met. Advances to Weaker Sections have reached a level of ₹18012 crore forming 11.11 per cent of ANBC, thereby surpassing the mandatory requirement of 10 per cent. The advances to women customers increased from ₹12939.05 crore as at March 2015 to ₹14342 crore as at March 2016, forming 8.85 per cent of ANBC against the mandatory level of 5 per cent. Similarly, advances to minorities increased from ₹9012.28 crore as at March, 2015 to ₹10205 crore as at March 2016, forming 15.48 per cent of Priority Sector Advances surpassing the mandatory requirement of 15 per cent.

Agriculture and Allied activities:

Credit to Agricultural Sector reached a level of ₹29898.86 crore forming 18.45% of ANBC as at March 2016 (from March 2015 level of ₹26205.38 crore), against the mandatory requirement of 18%. Lending to Small and Marginal farmers being ₹14733 crore constituted 9.09% of ANBC against the mandatory requirement of 7.50%.

Bank has covered more than 19.74 lakh customers under agricultural advances. The disbursement under Special Plan for Agricultural Credit during the year amounted to ₹17199.62 crore against the disbursement of ₹14468.92 crore during the last year. The Bank brought 134886 new farmers into its fold during the year through Rural/Semi-Urban branches, registering an average of 59 new farmers per Rural and Semi-Urban branch.

सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड योजना (एसकेसीसी)

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार, हमारा बैंक सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड (एसकेसीसी) योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड का संशोधित दिशानिर्देश कार्यान्वित कर रहा है तथा संशोधित दिशानिर्देशों में निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं:

- पाँच वर्षों के लिए स्टेगर्ड सीमा का निर्धारण
- चेक बुक तथा एटीएम/डेबिट कार्ड (रुपे किसान कार्ड) के निर्गमन का प्रावधान, जिससे किसान अपने एसकेसीसी खातों के परिचालन में प्रभावी रूप से लेन-देन के लिए सक्षम हो सकेंगे।

वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने 5.56 लाख सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं।इस प्रकार, मार्च 2016 तक जारी किए गए सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या, नवीकरणों को छोड़कर, 25.35 लाख हो गई हैं, जिनके अंतर्गत कुल ऋण सीमा ₹ 20787.58 करोड़ है। मार्च 2016 की स्थिति में, 6.10 लाख नियमित एसकेसीसी खातों के लिए रुपे किसान कार्ड जारी किए गए हैं।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं :

सरकार द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन की योजनाओं के कार्यान्वयन में बैंक ने अपनी सहभागिता जारी रखी है। इन योजनाओं के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा., महिला एवं अल्पसंख्यक हिताधिकारियों के चयन पर विशेष जोर दिया गया। 31.03.2016 की स्थिति में, इन योजनाओं जैसे; एनआरएलएम, पीएमईजीपी, एससीएसवाई, एसजेएसआरवाई, तथा एसआरएमएस योजनाओं के अंतर्गत, 185852 उधारकर्ता खातों में कुल ₹ 3554.33 करोड़ बकाया हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का पुनर्गठन एवं नवीकरण कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के रूप में क्रियान्वित किया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना का ही एक परिष्कृत रूप है जिसे 2011 की जनगणना के अनुसार सभी जिला मुख्यालयों एवं 100,000 या इससे अधिक जनसंख्यावाले शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

अ.जा./अ.ज.जा. को अग्रिम

अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को विभिन्न योजनाओं, खास तौर पर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत शामिल करने की दृष्टि से इन योजनाओं का नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जाता है। बैंक ने अपनी विभिन्न योजनाओं के बारे में अ.जा./अ.ज.जा. को जानकारी देने का विशेष प्रयास किया है ताकि वे इन योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को दिए गए अग्रिम, मार्च 2015 के ₹ 3927 करोड़ की तुलना में मार्च 2016 में बढ़कर ₹ 4342 करोड़ हो गए, जो वर्षानुवर्ष 10.58% की वृद्धि दर्शाता है। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं (जैसे, एनआरएलएम, एनयूएलएम, पीएमईजीपी) तथा डीआरआई योजनाओं के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. संबंधी अग्रिमों के वितरण तथा बकाया की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी जा रही है:

वर्ष 2015-16 (मार्च 2016 तक) के दौरान सरकार द्वारा प्रायोजित तथा डीआरआई योजनाओं के तहत अ.जा./अ.ज.जा. के हिताधिकारियों को वितरित किए गए अग्रिम:

Syndicate Kisan Credit Card Scheme (SKCC):

As per the directions of RBI, Bank is implementing the revised guidelines of Kisan Credit Card under Syndicate Kisan Credit Card (SKCC) Scheme and the revised guidelines involve the following.

- Fixation of staggered limit for five years.
- Provision for issuance of Cheque book and ATM / Debit Cards (Rupay Kisan Cards) which will enable the farmers to effectively transact their operations in their SKCC accounts.

The Bank has issued 5.56 lakh Syndicate Kisan Credit Cards during the year 2015-16. The cumulative number of Syndicate Kisan Credit Cards issued so far up to March 2016, excluding the renewals, is 25.35 lakh with a total credit limit of ₹20787.58 crore. As at March 2016, Rupay Kisan Cards have been issued in case of 6.10 lakh operative SKCC A/cs.

Government Sponsored Schemes:

The Bank continued to participate in poverty alleviation and employment generation schemes sponsored by the Government in full scale. Special emphasis was laid on coverage of SC/ST/OBC, Women and Minority beneficiaries under these schemes. The total amount outstanding under these schemes viz. NRLM, PMEGP, SGSY, SJSRY and SRMS is ₹3554.33 crores with 185852 borrowal accounts during the year. National Urban Livelihood Mission Scheme is revamped & restructured scheme of Swarna Jayanthi Shahari Rojgar Yojana with effect from the financial year 2015-16. National Urban Livelihood Mission(NULM) is another revamped scheme of Swarna Jayanti Sahari Rojgar Yojana during 2015-16 and is implemented in all District headquarters and all other cities with a population of 100,000 or more as per 2011 census.

Advances to SC/ST

The coverage of SC/ST beneficiaries under various schemes, especially under Govt. Sponsored Schemes is reviewed at regular intervals. Bank has initiated special efforts to create awareness about various schemes of the Bank among SC/STs to motivate them to avail the benefits under these schemes.

Advances to SC/ST beneficiaries under Priority Sector, rose from ₹3927 crore as at March 2015 to ₹4342 crore as at March 2016, registering year on year growth of 10.58 per cent. Disbursement and outstanding position of advances to SC/ST under Govt. Sponsored Schemes (i.e. PMEGP, NRLM & NULM) and DRI scheme are furnished in the following tables:

Advances disbursed to SC/ST beneficiaries under Govt. Sponsored Schemes and DRI Scheme during 2015-16 (upto March 2016):

(रकम ₹ करोड़ में)

योजना	कुल वितरण		जिनमें अ.जा./ अ.ज.जा. के		कुल की तुलना में अ.जा./अ.ज.जा. का % (खातों के लिए)
	खाता	रकम	खाते	रकम	
पीएमईजीपी	1926	69.86	276	17.97	14.36
एनआरएलएम	24680	808.15	10207	234.77	41.36
एनयूएलएम	1091	14.89	292	4.24	26.82
डीआरआई	821	2.44	201	0.40	24.48

मार्च 2016 को सरकार द्वारा प्रायोजित तथा डी आर आई योजनाओं के तहत अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को बकाया अग्रिम:

(रकम ₹ करोड़ में)

योजना	बाकी बकाया		जिनमें अ.जा./ अ.ज.जा. के		कुल की तुलना में अ.जा./अ.ज.जा. का % (खातों के लिए)
	खाता	रकम	खाते	रकम	
पीएमईजीपी	5432	173.61	415	26.76	7.65
एनआरएलएम	106908	2233.82	35129	755.21	32.86
एनयूएलएम	1911	33.87	322	3.73	16.87
एसआरएमएस	358	2.84	358	2.84	100
डीआरआई	3392	8.33	467	0.44	13.76

अल्पसंख्यक समुदायों को अग्रिम

क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अग्रणी जिला कार्यालयों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के बीच विभिन्न ऋण उत्पादों को लोकप्रिय बनाने हेतु बैंक ने अनेकों उपाय किए हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें। अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिम, मार्च 2015 के ₹9012 करोड़ की तुलना में 13.23% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2016 में ₹10205 करोड़ हो गए। अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराने तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति और सच्चर समिति की सिफारिशों की जानकारी बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ पहुँचाने के लिए बैंक द्वारा वर्ष 2010 में 0.25 से लेकर 0.50 प्रतिशत तक की विशेष रियायती ब्याज योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे वर्ष 2015-16 के दौरान भी जारी रखा गया।

स्वयं सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों को ऋण सुविधा से जोड़ना

वर्ष 2015-16 के दौरान 63345 नये स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) को ऋण सुविधा से जोड़ा गया तथा ₹1975.69 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की गई। मार्च 2016 की स्थिति में 102779 खाते सहित स्वयं सहायता समूहों का बकाया अग्रिम ₹2646.57 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, ₹35.48 करोड़ की ऋण सहायता के साथ 4076 संयुक्त देयता समूहों (जे एल जी) को जोड़ा गया है। मार्च 2016 की स्थिति में जेएलजी का अग्रिम बकाया, 4785 खातों में शेष बकाया ₹ 87.08 करोड़ था। संयुक्त कृषक समूह एक ऐसा अनौपचारिक समूह है जिसमें 4 से 10 व्यक्तिगत किसान एक साथ मिलकर जे एल जी वित्त के माध्यम से संस्थागत ऋण का लाभ उठाते हैं। केन्द्रीकृत ध्यान आकर्षित करने तथा एसएचजी/जेएलजी के

(Amt. ₹ in crore)

Scheme	Total Disbursement		Of which SC/ST		% to SC/ST against total (For Accounts)
	A/C	Amt.	A/C	Amt.	
PMEGP	1926	69.86	276	17.97	14.36
NRLM	24680	808.15	10207	234.77	41.36
NULM	1091	14.89	292	4.24	26.82
DRI	821	2.44	201	0.40	24.48

Outstanding advances to SC/ST beneficiaries under Govt. Sponsored Schemes and DRI Scheme as at March 2016:

(Amt. ₹ in crore)

Scheme	Balance outstanding		Of which SC/ST		% to SC/ST against total (For Accounts)
	A/C	Amt.	A/C	Amt.	
PMEGP	5432	173.61	415	26.76	7.65
NRLM	106908	2233.82	35129	755.21	32.86
NULM	1911	33.87	322	3.73	16.87
SRMS	358	2.84	358	2.84	100
DRI	3392	8.33	467	0.44	13.76

Advances to Minorities:

Bank has taken various measures through Regional Offices and Lead District Offices for popularizing amongst minority communities the various credit products available for their benefit. The advances to Minorities rose from ₹9012 crore as at Mar 2015 to ₹10205 crore as at Mar 2016, registering a year on year growth of 13.23%. The information pertaining to credit flow to Minority communities and status on implementation of Prime Minister's New 15 point programme for Minorities' community and Sachar Committee recommendations are placed in the Bank's website. Special interest concession scheme ranging from 0.25% to 0.50% was introduced by the Bank during 2010 for the benefit of Minority Community under Priority Sector lending, the same is continued during 2015-16.

Credit linkage of Self Help Groups / Joint Liability Groups:

63345 Self Help Groups (SHGs) were credit linked with a credit support of ₹1975.69 crore during the year 2015-16. The outstanding advances to SHGs as at March 2016 was 102779 accounts with an outstanding balance of ₹ 2646.57 crore. In addition, 4076 Joint Liability Groups (JLGs) were credit linked with a credit support of ₹35.48 crore. The outstanding advances to JLG as at March 2016 was 4785 accounts with an outstanding balance of ₹87.08 crores. A joint farming group is informal group comprising 4 to 10 individual farmers who come together to access institutional credit through JLG mode of financing. In order to give focused attention, and accelerate growth under

तहत त्वरित वृद्धि के लिए हमारी शाखाओं द्वारा दिनांक 10.11.2015 से 15.11.2015 तक पूरे देश में एसएचजी/जेएलजी सप्ताह का आयोजन किया गया।

बैंक से जुड़े एसएचजी की समस्त महिला सदस्यों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारा बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित जन श्री बीमा योजना में भाग ले रहा है जिसके प्रीमियम पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का दोहरा लाभ यह है कि एस एच जी के बीमित सदस्य के दो बच्चों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के शिक्षा सहयोग योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

किसानों को ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान करने में हुई प्रगति

वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने ₹9586.60 करोड़ का फसल उत्पाद ऋण देकर भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना के अधीन 9.56 लाख किसानों को लाभ पहुँचाया है । वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंक ने 2% ब्याज अनुदान के साथ ₹ 82.77 करोड़ का लाभ प्रदान किया है और समय पर अदायगी हेतु 3% की दर से ₹ 21.52 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया है। इस प्रकार से पात्र किसानों के लिए ऋण पर प्रभावी दर 4% वार्षिक हो जाती है।

सौर उर्जा का उपयोग

सौर उर्जा के उन्नयन हेतु बैंक सक्रिय सहभागिता कर रहा है और जल तापन तथा सौर विद्युत प्रणाली के वित्तीयन से संबंधित योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। हमारा बैंक, वर्तमान में जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अंतर्गत नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से सौर विद्युत प्रणाली तथा सौर जल तापन प्रणाली को वित्त उपलब्ध कराने की योजना के कार्यान्वयन में लगा हुआ है। सौर गृह विद्युत प्रणाली लगाने के लिए, ऋण में 30 प्रतिशत का पूँजी अनुदान तथा सौर जल तापन प्रणाली को 30 प्रतिशत का पूँजी अनुदान या ब्याज दर में 5% की रियायत, जैसा लाभार्थी चाहता हो, दी जाएगी। वर्ष 2015-16 के दौरान मार्च 2016 तक, हमारे बैंक ने सौर गृह विद्युत प्रणाली की 604 इकाइयों के लिए ₹ 3.14 करोड़ तथा सौर जल तापन प्रणाली की 65 इकाइयों के लिए ₹ 0.22 करोड़ का वित्तीयन प्रदान किया है।

संचयी तौर पर अब तक, बैंक ने सौर गृह विद्युत प्रणालियों की 11880 इकाइयों के लिए ₹25.46 करोड़ का वित्तपोषण किया है । मार्च 2016 तक बैंक ने संचयी तौर पर सौर जल तापन प्रणालियों की 3658 इकाइयों के लिए ₹ 102.57 करोड़ का वित्तपोषण किया है।

ग्रामीण विस्तार शिक्षा कार्यक्रम

उत्पादकता/उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसानों तथा उद्यमियों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से कृषि एवं ग्रामीण उद्यमों के क्षेत्र में नये तकनीकों को अपनाने तथा बढ़ावा देने में हमारा बैंक अग्रणी रहा है। वर्ष 2015-16 के दौरान हमारी शाखाओं द्वारा 1672 ग्रामीण शिक्षा विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे 100120 किसान/ग्रामीण लाभान्वित हुए। इन कार्यक्रमों में विशेषज्ञ व्याख्यान, कृषि संबंधी प्रदर्शनी, कृषिगत/पशुपालन सेमिनार, पशु स्वास्थ्य जाँच कैंप, कृषिगत प्रदर्शनी/कैट्ल शो/किसान मेला, कृषक दौरा, स्वरोजगार

SHG/JLG, our branches have organized nationwide SHG/JLG week from 10.11.2015 to 15.11.2015.

The Bank is participating in Jana Sree Bima Yojana of LIC of India to extend insurance cover to all the women members of SHGs credit linked to Bank wherein the premium is subsidized by GOI. This scheme has an add-on benefit under Shiksha Sahayog Yojana wherein two children of the insured member of SHG are provided with scholarship at no additional cost.

Progress in extending interest subvention benefit to farmers:

The Bank has extended crop production credit of ₹9586.60 crore benefitting 9.56 lakh farmers during 2015-16 under interest subvention scheme of the Govt. of India. The bank has extended the interest subvention benefit @2% to the tune of ₹ 82.77 crore and ₹21.52 crore as additional incentive subvention @ 3% for timely payment during 2015-16 and making the eligible farmer derive credit at the effective prescribed interest rate of 4% p.a.

Harnessing Solar Energy:

The Bank has been actively promoting solar energy application by implementing the schemes for financing Solar Water Heating Systems and Solar Lighting Systems. The Bank is presently implementing the scheme to extend finance to Solar Home Lighting Systems and Solar Water Heating Systems with subsidy assistance from Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) under Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM). The loans for installation of Solar Home Lighting Systems are extended with upfront capital subsidy at 30% while the Solar Water Heating Systems are financed either with 30% of Capital subsidy or 5% concessional interest rate as per the option of the beneficiary. During the year 2015-16 up to Mar 2016, the Bank has financed ₹ 3.14 crore for 604 units of Solar Home Lighting Systems and ₹0.22 crore for 65 units of Solar Water Heating Systems.

Cumulatively so far, the Bank has financed ₹25.46 crore for 11880 units of Solar Home Lighting Systems. The cumulative number of Solar Water Heating Systems financed by the Bank is 3658 units amounting to ₹102.57 crore up to Mar 2016.

Rural Extension Education Programmes:

The Bank has been in the forefront of promoting adoption of new technology in the field of agriculture and rural enterprises enabling farmers & entrepreneurs to improve the productivity / production. 1672 Rural Extension Education Programmes benefitting 100120 farmers / villagers were organized by our branches during the year 2015-16. These programmes included Expert Lectures, Agricultural Demonstrations, Agricultural / Animal Husbandry Seminars, Animal health Check-up Camps, Agricultural Exhibitions /

जागरूकता कार्यक्रम, वन महोत्सव इत्यादि कार्यक्रमों को शामिल किया गया। दिनांक 06.11.2015 को पूरे देश में ग्रामीण शिक्षा विस्तार कार्यक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। दि. 23.12.2015 को राष्ट्रीय किसान दिवसं मनाया गया।

ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रुडसेटी)

बैंक ने देशभर में 27 ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रुडसेटी) का सह-प्रायोजन किया है। इन संस्थाओं ने वर्ष 2015-16 के दौरान 26909 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया। इन प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 12307 महिलाएँ थी और 7495 अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के थे। शुरू से अबतक प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 396767 हैं। नियोजन की दर 72 प्रतिशत है।

हमारे रुडसेटी मॉडेल को भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रोल मॉडेल के रूप में स्वीकार किया गया है जिसे देश के प्रत्येक जिले में लागू किया जाना है। बेंगलूरु में रुडसेटी की राष्ट्रीय अकादमी के अनुप्रवर्तन कक्ष की स्थापना की गई है जो इन संस्थानों तथा पूरे भारत में इनके कार्यकलापों की निगरानी करता है।

सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एसआरडीटी.)

सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एसआरडीटी) की स्थापना ग्रामीण गरीबों, खासकर महिलाओं में ग्रामीण उद्यमिता एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2000 में की गई। अब तक बैंक ने ग्रामीण गरीबों को प्रशिक्षण देने के लिए 5 राज्यों और एक संघशासित क्षेत्र में कुल 16 सिंड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (सिंड आरसेटी) को स्थापित किया है। वर्ष 2015-16 के दौरान 16 सिंड आर सेटी में से 15 सिंड आर सेटी को श्रेणी-I के तहत 'एए' रेटिंग प्राप्त हुआ और 01 सिंड आरसेटी का श्रेणीकरण नहीं हुआ है। हमारे बैंक को वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान लघु बैंक श्रेणी (20 आरसेटी से कम वाले बैंक) में श्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से नवाजा गया। इन संस्थाओं ने वर्ष 2015-16 के दौरान 432 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनसे 12256 व्यक्ति लाभान्वित हुए, जिनमें 6363 महिलाएं थीं तथा 3467 व्यक्ति अ.जा./अ.ज.जा. संवर्ग के थे। शुरू से अब तक प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 133709 है। नियोजन की दर 63% है।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी)

सिंडिकेट बैंक तथा विजया बैंक ने दोनों बैंकों के अग्रणी जिलों में वित्तीय साक्षरता केंद्र (जो पहले वित्तीय साक्षरता एवं परामर्श केंद्र के नाम से जाना जाता था) शुरू करने के उद्देश्य से संयुक्त रूप से दिनांक 20.10.2010 को मणिपाल में ज्ञान ज्योति एफएलसीसी ट्रस्ट की स्थापना की। इन वित्तीय साक्षरता केंद्रों की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांक 4.2.2009 के अनुसार की गई जो एफएलसीसी की स्थापना के संदर्भ में था।

यह न्यास अब तक 5 राज्यों और लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र स्थित हमारे बैंक के अग्रणी जिलों में अब तक 55 वित्तीय साक्षरता केंद्रों की स्थापना कर चुका है। इन केंद्रों ने वर्ष 2015-16 के दौरान 14405 साक्षरता कैंप चलाकर 614222 व्यक्तियों को लाभान्वित किया है।

Cattle shows, Kisan Melas, Farmers' visits, Self-employment Awareness Programmes, Vanamahotsavas, etc. A nationwide REEP day was celebrated on 06.11.2015. National Farmers Day was celebrated on 23.12.2015.

Rural Development and Self Employment Training Institute (RUDSETI):

Bank has co-sponsored 27 Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs) across the country. These institutes have trained 26909 candidates during the year 2015-16. Out of these trained candidates 12307 were women & 7495 were from SC/ST category. Total candidates trained since inception is 396767. The settlement rate is 72 per cent.

Our RUDSETI model has been accepted by Govt. of India: Ministry of Rural Development, as a role model to be replicated in each District of the Country. A Monitoring cell of National Academy of RUDSETIs has been established at Bangalore for monitoring these RSETI institutes and their activities Pan India.

Syndicate Rural Development Trust (SRDT):

Syndicate Rural Development Trust (SRDT) was established in the year 2000 to promote rural entrepreneurship and self employment among the rural poor, especially women. So far, the Bank has established 16 SyndRural Self Employment Training Institutes (Synd RSETIs) in 5 States and 1 Union Territory for imparting training to rural poor. During the Financial Year 2015-16 out of the 16 SyndRSETIs 15 RSETIs have secured "AA" rating under Category 1 and 1 SyndRSETI has not been graded. Our Bank has been awarded the Best Bank award under small bank category (Banks with less than 20 RSETIs) for the FY 2013-14. These institutes have conducted 432 training programs during the year 2015-16, benefitting 12256 persons, of whom 6363 were women and 3467 were from SC / ST category. Total candidates trained since inception is 133709 .The settlement rate is 63%.

Financial Literacy Centres(FLCs):

Syndicate Bank and Vijaya Bank have jointly established Jnana Jyothi FLCC Trust, Manipal on 20.10.2010 to set up Financial Literacy Centers (earlier called Financial Literacy and Credit Counseling Centers) in the Lead Districts of both the Banks. The FLCs are established on the lines of Model Scheme for setting up of FLCCs issued by RBI vide their circular dated 04.02.2009.

The Trust has so far set up 55 FLCs on behalf of our Bank in our Lead Districts in five states and UT of Lakshadweep. During the Financial Year 2015-16, these FLCs have conducted 14405 Literacy Camps benefitting 614222 persons.

वित्तीय समावेशन संसाधन केंद्र (एफआईआरसी)

भा.रि.बैं. की सलाह पर हमारे बैंक ने 5 राज्यों में 21 वित्तीय समावेशन संसाधन केंद्रों (एफआईआरसी) की स्थापना की है। ये संसाधन केंद्र बैंकिंग की विभिन्न पहलुओं, बैंकिंग सेवाओं तथा इनके उत्पादों, भा.रि.बैं. एवं इनके कार्यों; करेंसी नोटों इत्यादि के प्रदर्शन के माध्यम से सूचना के स्थाई स्टोर हाउस के रूप में कार्य करते हैं।

अग्रणी बैंक योजना

हमारे बैंक के पास संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप सहित देशभर के 27 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी दी गई है। बैंक के सभी अग्रणी जिला कार्यालयों ने जिला स्तरीय समीक्षा (डीएलआरसी) एवं जिला परामर्शदाता समिति (डीसीसी) की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया है। ऋण आयोजना प्रक्रिया पूरी हो गई है और भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित समय सूची के अनुसार जिला ऋण योजना (डी.सी.पी.) 2015-16 की शुरुआत की गई है। बैंक कर्नाटक राज्य और संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक है और बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह किया है। कर्नाटक के लिए एस.एल.बी.सी. और लक्षद्वीप के लिए यू.टी.एल.बी.सी. द्वारा अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जिला ऋण योजना 2015-16 के तहत वार्षिक ऋण योजना 2015-16 के अंतर्गत हमारे अग्रणी जिलों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 149% की उपलब्धि तथा कृषि क्षेत्र के अंतर्गत 130% की वृद्धि दर्शाई है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

हमारे बैंक द्वारा 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए गए हैं। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 3 राज्यों के 18 जिलों में 1512 शाखाएं हैं। हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुख्य कारोबार मानदंडों के संदर्भ में देश के अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल कारोबार 31 मार्च 2016 को ₹ 49759 करोड़ रहा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल जमाराशियाँ तथा अग्रिम बढ़कर क्रमश: ₹ 28258 करोड़ तथा ₹ 21501 करोड़ के स्तर तक पहुँच गई हैं। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम, ₹ 18981 करोड़ रहा जो 31 मार्च 2016 की स्थिति में कुल अग्रिमों का 88.27% है। उनका कुल कृषि अग्रिम ₹ 15405 करोड़ तक पहुँच गया जो कुल अग्रिमों का 71.64% है। कुल मिलाकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किसानों को 11.75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये हैं जिनका कुल ऋण बकाया ₹ 9988 करोड़ है। ये क्षे.ग्रा.बैं. अपनी स्थापना के बाद से लगातार लाभ कमा रहे हैं।

हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सी.बी.एस. को लागू किया गया है। तीनों क्षे.ग्रा.बैं. एपीबीएस/एनएसीएच प्लेटफॉर्म, ईसी तथा सीपीएसएमएस 2.6 वर्जन के माध्यम से एनजीआरटीजीएस, एनईएफटी का कार्यान्वयन कर चुके हैं। क्षे.ग्रा. बैंकों ने पीएमजेडीवाई में सक्रिय रूप से भाग लेकर 2173124 बचत खाते खोले हैं और समस्त खाताधारकों को दिनांक 31.03.2016 तक रुपे कार्ड जारी कर दिया है। तीनों क्षे.ग्रा. बैंकों में सिस्टम आधारित एन पी ए क्रियान्वित की गई है। बैंक द्वारा प्रायोजित तीनों क्षेत्रीय

Financial Inclusion Resource Centres (FIRCs):

As advised by RBI, our Bank has set up 21 Financial Inclusion Resource Centres (FIRCs) in 5 States. These FIRCs provide a permanent storehouse of information in the form of Exhibition on various facets of Banking, banking services and its products, RBI and its functions, Currency Notes etc.

Lead Bank Scheme

The Bank has been assigned with lead bank responsibilities in 27 districts inclusive of UT of Lakshadweep across the country. All the Lead District Offices of the Bank have conducted the District Level Review Committee (DLRC) meetings and District Consultative Committee (DCC) meetings regularly. The credit planning process was completed and District Credit Plan (DCP) 2015-16 was launched as per time schedule envisaged by RBI. The Bank is also the convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in Karnataka and the Union Territory of Lakshadweep and satisfactorily discharged the responsibilities cast on it as the convener of State Level Bankers' Committee. The SLBC for Karnataka and UTLBC for Lakshadweep are implementing the recommendations of the High Level Committee to review the Lead Bank Scheme. Under District Credit Plan 2015-16. Our Lead Districts have shown 149% achievement under Priority Sector and 130% progress under agriculture in respect of implementation of Annual Credit Plan 2015-16.

REGIONAL RURAL BANKS

There are three Regional Rural Banks sponsored by our Bank. These RRBs are covering 18 districts in 3 states with a network of 1512 branches. RRBs sponsored by our Bank are in the top league among various RRBs of the country, in respect of key business parameters. Total Business of RRBs sponsored by our Bank stood at ₹49,759 Crore as on 31.03.2016.

The total deposits and advances of the RRBs have reached a level of ₹28,258 crore and ₹ 21,501 crore respectively. The total Priority Sector Advances stood at ₹ 18,981 crore constituting 88.27 percent of the total advances as at 31.03.2016. Agriculture advance have reached a level of ₹ 15,405 Crore forming 71.64 percent of total advances. All the RRBs have issued 11.75 lakh Kisan Credit Cards to farmers with an outstanding credit of ₹ 9988 crores .The RRBs are making profit continuously from their inception.

All the RRBs sponsored by our Bank have moved towards implementation of CBS. All the three RRBs have implemented NGRTGS, NEFT, on boarded with APBS/NACH platform, ECs and CPSMS 2.6 version. RRBs have actively participated in PMJDY and has canvassed 21, 73,124 SB accounts and issued RuPay Cards to all account holders as on 31.03.2016. System generated NPA is implemented in all the three RRBs. All the three RRBs sponsored by our

ग्रामीण बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के निदेशानुसार एफ आई योजना (2013-16) को क्रियान्वित कर चुके हैं।

ऋण निगरानी एवं समीक्षा विभाग

निरंतर आधार पर ऋण निगरानी प्रणाली को और भी व्यापक बनाने तथा अग्रिमों की आस्ति गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक ने कार्पोरेट कार्यालय में एक अलग विभाग का गठन किया है जिसके प्रमुख महा प्रबंधक होते हैं। वर्ष 2014 में इस विभाग में विशेष विनिर्दिष्ट खाता कक्ष, ऋण निगरानी कक्ष तथा कार्पोरेट ऋण पुनर्गठन कक्ष को मिलाकर ऋण निगरानी और समीक्षा विभाग बनाकर एक व्यापक ऋण निगरानी नीति की शुरुआत की गई है।

यह विभाग मुख्य रूप से ऋण निगरानी हेतु नीति बनाने के लिए जिम्मेदार है। यह एफजीएमओ/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्वीकृत अग्रिमों के संदर्भ में समीक्षा करता है। कार्पोरेट कार्यालय की स्वीकृतियों से संबंधित नोट पुनरीक्षण के लिए अगली उच्च समिति को रखा जाता है। समुचित सावधानी एवं विधिक अनुपालन मामले, कारपोरेट कार्यालय द्वारा स्वीकृत उधार खातों की निगरानी आदि इस विभाग के अन्य कार्यकलाप हैं।

प्रभावी तथा समयबद्ध निगरानी के लिए, ₹1.00 करोड़ तथा इससे अधिक के उधार खातों के लिए प्रणाली आधारित मासिक निगरानी रिपोर्ट तैयार की गई है ताकि ऋण/खातों के संबंध में अधिक से अधिक गुणवत्तापरक सूचना प्राप्त हो सके जिससे खाते की नवीकरण की स्थिति, विभिन्न निरीक्षण/लेखा परीक्षा संबंधी ब्यौरे, इकाई का दौरा, बीमा सुरक्षा, प्रतिभूति का सृजन, इकाई का निष्पादन, बैंकिंग व्यवस्थाएं, रेटिंग ब्यौरे, आदि जैसे खातों की जानकारी प्राप्त होगी। मासिक निगरानी रिपोर्ट प्रारंभिक चेतावनी के रूप में कार्य करती है तथा विभिन्न उद्योगों की ऋण एक्सपोजर की गुणवत्ता पर समग्र दृष्टि बनाये रखने हेतु उच्च प्रबंधन की मदद करती है। विभाग इन रिपोर्टों की निगरानी करती है कि क्या एफजीएमओ/क्षेत्रीय कार्यालयों ने इनका अद्यतन और समीक्षा किया है या नहीं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विधिक लेखापरीक्षा प्रणाली की शुरुआत की है जिसमें ₹5.00 करोड़ या उससे अधिक के अग्रिमों के संदर्भ में जिनके विधिक राय लिये हुए दो वर्ष बीत गए हों, पट्टा विलेख/नए विधिक राय, परिसंपत्तियों के बंधक प्राप्त किए जाएं। यह विभाग इस प्रक्रिया के अनुपालन की निगरानी करता है। यह विभाग स्टॉक लेखापरीक्षा की भी निगरानी करता है और स्टॉक/सीओ की बही ऋण लेखापरीक्षा को बंद करने का प्राधिकार इसी विभाग को है।

इस विभाग में सीडीआर कक्ष भी शामिल है। यह कक्ष सभी सीडीआर मामलों के लिए कार्यकारी विभाग के रूप में कार्य करता है।

विशिष्ट विनिर्दिष्ट खाते

वर्ष 2009 में अलग से एक विशेष निगरानी खाता विभाग की स्थापना की गई है। तथापि, वर्ष 2014 में इसे ऋण निगरानी व समीक्षा विभाग में सम्मिलित कर दिया गया। जिन खातों में अनियमितताएँ/रूग्णता पाई जाती है उन्हें विशिष्ट

Bank have implemented FI Plan (2013-2016) as per the direction of Reserve Bank of India and Government of India.

CREDIT MONITORING AND REVIEW DEPARTMENT

In order to have a more comprehensive system of monitoring the credit on an ongoing basis and to ensure asset quality of advances, Bank has constituted a separate vertical at Corporate Office headed by a General Manager, in which the Special Mention Accounts Cell, Credit Monitoring Cell and Corporate Debt Restructuring Cell are merged into Credit Monitoring and Review Department in 2014 and formulated a comprehensive Credit Monitoring Policy.

The Department is primarily responsible for framing policies related to Credit Monitoring. Department is reviewing the sanctions in respect of the advances sanctioned at FGMOs/ROs. Note on Corporate office sanctions are placed to the next higher committee for review. Other function of the department is monitoring, Due Diligence and Legal Compliance issues, monitoring of borrowal accounts sanctioned by Corporate Office.

For effective and timely monitoring, a system based Monthly Monitoring Report for borrowal account of ₹1.00 crore and above is in vogue in order to have maximum possible and qualitative information in respect of loan accounts like, health of the account, renewal status, Inspection/ audit details, unit visits, Insurance coverage, security creation, performance of the unit, banking arrangements, Rating details etc. The Monthly Monitoring Report acts as an early warning system and facilitates the top management to have an overall view on the health of the credit exposure to various industries. Department is monitoring these reports as to whether the same is updated and reviewed by FGMOs/ROs.

Reserve Bank of India has introduced a system of Legal audit wherein re-verification of title deeds/fresh legal opinion in respect of advances of ₹5.00 crore and above, backed by mortgage of properties, shall be obtained, where earlier legal opinion has completed 2 years. Department is monitoring compliance of this process. Department is also monitoring Stock Audit and Department is the authority for closure of Stock/Book Debt Audit for CO Files.

Department also consists of CDR cell. This cell is operating as functional department for all CDR cases.

SPECIAL MENTION ACCOUNTS (SMA):

A separate Special Mention Accounts Department was established in 2009. However in 2014, it was merged with Credit monitoring & review department. The accounts

विनिर्दिष्ट खाता के रूप में जाना जाता है। इस कक्ष का मुख्य कार्यकलाप ऐसे खातों, जिनमें अनियमितता व रुग्णता के प्रारंभिक लक्षण पाये जाते हैं, की पहचान करना है ताकि आस्ति गुणवत्ता बनाये रखने के लिए प्रभावी कदम उठाया जा सके और आस्ति को एनपीए होने से रोका जा सके।

इस विभाग को मानक आस्तियों के तहत दबावग्रस्त खातों की समग्र निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है तथा ये विभिन्न प्रयोजनमूलक विभागों के प्रयोग के लिए बैंक के ऋण संविभाग के समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गुणवत्तापरक एम आई एस तैयार करता है। इस विभाग को उचित रिपोर्टिंग प्रणाली/एमआईएस तैयार करने तथा नियमित अंतराल पर आंकडा संग्रहण का काम सौंपा गया है। यह विभाग नियमित अंतराल पर सीधे सीबीएस से आंकड़े डाउनलोड करता है तथा शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों से उसका अनुवर्तन करता है। साथ ही, यह विभाग एक निश्चित कट-ऑफ सीमा से बाहर के खातों की निगरानी करता है। यह विभाग कट-ऑफ सीमा के आधार पर क्षेत्रीय प्रमुखों, एसएमए कार्यबल, क्षेत्रीय कार्यालय के वसूली टीम के माध्यम से अन्य खातों की निगरानी के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से अनुवर्तन करता है।

पुनर्गठित खातों के संदर्भ में नियमित अंतराल पर आंकडे/ एमआईएस के संग्रहण का काम भी इस विभाग को सौंपा गया है। विभाग तिमाही आधार पर सूचना प्रबंधन प्रणाली से पुनर्रचित खातों का खातावार विवरण प्राप्त करता है तथा ऐसे खातों का आगे के लिए संदर्भ एवं नियंत्रण रखने के लिए डेटाबेस तैयार करता है। सावधानी पूर्वक मूल्यांकन, कमजोरियों की शीघ्र पहचान एवं पुनर्संरचित पैकेज के समयबद्ध कार्यान्वयन द्वारा विशेष विनिर्दिष्ट खातों और खातों की पुनर्संरचना दोनों पर बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों का अनुपालन किया है। उधारकर्ताओं के पुनर्संरचना वायदों को ध्यान में रखते हुए विभाग, पुनर्संरचित खातों की स्थिति पर निगरानी रखता है।

यह विभाग ₹1.00 करोड़ तथा अधिक मूल्य के एस एम खातों सहित एसएम खातों का शाखावार, आकार-अनुसार तथा क्षेत्रवार विवरण प्रस्तुत करता है तथा एस.एम. खातों की समीक्षा कार्यपालक निदेशक/प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ बोर्ड उच्च प्रबंधन को मासिक आधार पर तथा पुनर्रचित खातों से संबंधित ब्यौरे तिमाही अंतराल पर कार्यपालक निदेशक/प्रबंध निदेशक व सीईओ/निदेशक मंडल को भी प्रस्तुत करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 01.04.2014 से शुरू किये गए दबावग्रस्तता की शीघ्र पहचान तथा बड़े ऋणों से संबंधित सूचनाओं के केंद्रीय भंडार की स्थापना, जिसे **''अर्थव्यवस्था में संकटग्रस्त आस्तियों को पुनर्जागृत करने के लिए संरचना-संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ) तथा सुधारात्मक कार्ययोजना (सीएपी) पर मार्गदर्शी सिद्धांत''** की भी विभाग द्वारा निगरानी की जाती है। ऐसे उधारकर्ताओं, जिनकी सी. आर. आई. एल. सी. में ₹5 करोड़ या उससे अधिक की समग्र निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित राशि एसएमए 2 के रूप में है, उनकी भी रिपोर्टिंग इस विभाग द्वारा साप्ताहिक आधार पर की जाती है। इसके अलावा, **सीआरआईएलसी** के तहत पहचाने गए ₹50 करोड़ या उससे अधिक के संदेहास्पद/धोखाधड़ी वाले खातों की भी रिपोर्ट की जाती है।

which are showing sign of irregularities / sickness are known as Special Mention Accounts. Major Function of SMA cell is to identify the accounts showing early sign of irregularities, sickness so that timely effective action can be taken to maintain the quality of assets and to prevent them from slipping to NPA.

The Department is vested with the responsibility of overall monitoring of stressed accounts under Standard assets and generates quality MIS to be used by various functional departments for managing the overall quality of the Bank`s Credit portfolio. The department is entrusted with the task of devising appropriate reporting system / MIS and collecting data on regular intervals. The Department is getting data from MIS Department on frequent intervals and follows up with the branches / Regional Offices .The department monitors accounts beyond a certain cut off limit. The department follows up with Regional Offices/ FGMOs/Branches for monitoring these accounts. SMA task force, Recovery Team at Regional Offices and at branches are following up on the basis of cut of limits.

The department is also entrusted with the collection of data / MIS on regular intervals in respect of restructured accounts. The department gets account-wise details of restructured accounts directly from MIS on quarterly basis and maintains database of such accounts for further reference and information to regulator. The Bank has followed the RBI regulations both on Special Mention Accounts and on restructuring of accounts by careful assessment, quick detection of weaknesses and time-bound implementation of restructuring package. The department monitors status of restructured account on the basis of borrowers' keeping up of the restructuring commitments.

The department submits branch-wise, size-wise and sector-wise details of SM accounts along with the details of high value SM accounts of ₹1.00 crore & above and also submit review note of SMA to ED/MD&CEO/Board at monthly rests and the Department also submits quarterly note of restructured accounts to ED/MD&CEO/Board of Directors.

Early Recognition of Stress and Setting up of Central Repository of Information on Large Credits **(CRILC)** introduced by RBI from 01.04.2014 named as **"FRAMEWORK FOR REVITALIZING DISTRESSED ASSETS IN THE ECONOMY –GUIDELINES ON JOINT LENDERS' FORUM (JLF) AND CORRECTIVE ACTION PLAN (CAP)"** is also being monitored by the department. Borrowers having aggregate fund-based and non-fund based exposure of ₹5 crore and above are being reported on Quarterly basis D and SMA 2 of ₹5 crore and above are reported weekly under CRILC platform by the Department. In addition to this reporting of identified Red flagged / Fraud accounts of ₹50 crore and above are also reported under **CRILC.**

कॉर्पोरेट ऋण विभाग

बैंक, निगमों को उनकी लघु एवं दीर्घावधि वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण प्रदान करता है। ₹100 करोड़ से ऊपर के ऋण प्रस्तावों का प्रबंधन नैगम ऋण विभाग द्वारा किया जाता है। ये ऋण, कार्यशील पूंजी वित्तीयन, सावधि ऋण वित्तीयन, परियोजना वित्तीयन जैसे, कमर्शियल रियल इस्टेट, बुनियादी व अन्य परियोजनाएँ, भविष्य में प्राप्त किराये के तहत ऋण, शेयर समूहों की खरीदी, अंतर बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र इत्यादि के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

परियोजना मूल्यांकन एवं सिंडिकेशन कक्ष

परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) का गठन विस्तृत मूल्यांकन को तैयार करने/टीईवी अध्ययन/सूचनात्मक ज्ञापन की जाँच करने के उद्देश्य से किया गया है। परियोजना मूल्यांकन कक्ष का दायित्व है कि वह सावधि ऋण प्रस्तावों के मामले में जहाँ परियोजना लागत ₹70 करोड़ या उससे अधिक है और उत्पादन/निर्माण की प्रक्रियायुक्त मामलों में जहाँ बैंक का भाग ₹35 करोड़ से अधिक है, का विस्तृत मूल्यांकन करे।

उन परियोजनाओं के मामले में, जिनका सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों/निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंकों/अन्य प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा पहले ही मूल्यांकन किया जा चुका है, ऐसे मामले में ₹100/- करोड़ से ऊपर के प्रस्तावों की जाँच पी.ए.सी. द्वारा की जाती है। इस प्रकार के उपाय से ऋण प्रस्तावों के त्वरित निपटान में मदद मिलेगी और अल्प सूचना पर ही शाखाओं को त्वरित सेवा दी जा सकेगी।

क्रेडिट प्रशिक्षण

अधिकारियों के मूल्यांकन कौशल संवर्धन के लिए ऋण विभाग ने बृहत मूल्य ऋण पर गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। यह इन-हाउस प्रशिक्षण है। इसमें विभिन्न वेतनमान श्रेणी और अनुभव के लगभग 450 अधिकारियों को 9 बैचों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ताकि वे बृहत मूल्य ऋण संविभाग को संभाल सकें जिससे बैंक को सुप्रशिक्षित ऋण अधिकारियों की एक मज़बूत टीम प्राप्त होने में मदद मिले।

मिड कॉरपोरेट विभाग

कॉरपोरेट कार्यालय स्थित, मिड कॉरपोरेट विभाग वाणिज्यिक स्थावर संपदा एमएफआई इंफ्रास्ट्रक्चर, निम्न प्राथमिकता उद्योग और नये व्यापारिक समूहों सहित ₹35 करोड़ से ₹100 करोड़ के बीच के ऋण प्रस्तावों की देख-रेख कर रहा है।

मिड कॉरपोरेट ग्राहक वर्ग को ध्यान में रखकर बैंक ने वर्ष 2015-2016 के दौरान, देश के प्रमुख शहरों में 3 नई विशेषीकृत मिड कॉरपोरेट शाखाएँ खोली हैं। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार बैंक की विशेष मिड कॉरपोरेट शाखाओं की संख्या 27 है। इन विशेषीकृत शाखाओं में मुख्य प्रबंधक/सहायक महा प्रबंधक के स्तर तक के प्रशिक्षित और अनुभवी लोगों को नियुक्त किया गया है। इन शाखाओं में उच्च मूल्य ऋणों को प्रदान किया जाता है और यहाँ फुटकर व्यापार नहीं किया जाता है। दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार बैंक की इन 27 शाखाओं ने ₹ 7963 करोड़ की उल्लेखनीय व्यापार वृद्धि दर हासिल की है। वर्ष 2016-17 के दौरान, हम इन शाखाओं से ₹10,000 करोड़ के नये कारोबार की आशा रखते हैं।

आस्ति गुणवत्ता और एनपीए प्रबंधन

एनपीए प्रबंधन की समस्त पहलुओं के समाधान हेतु बैंक की वसूली नीति बनाई गई है। अनर्जक आस्तियों की सभी श्रेणियों का समाधान करने में क्षेत्र

CORPORATE CREDIT DEPARTMENT

The bank extends finance to corporates for their short term as well as long term requirements. Exposure to borrowers of above ₹100.00 crore is handled by Corporate Credit Department. The loans offered are Working capital finance, Term Loan finance, Project finance including Commercial real estate, Infrastructure projects and other projects, Loan against future rent receivable, Portfolio buyouts, Inter Bank Participation Certificates, etc.

PROJECT APPRAISAL & SYNDICATION CELL

Project Appraisal Cell has been constituted for preparation of Detailed Appraisal/ Vetting of TEV study/ Information Memorandum. PAC undertakes detailed appraisal in respect of Term Loan proposals with project cost of ₹70.00 crore and above and Banks exposure of above ₹35.00 crore where production / construction / process is involved.

In respect of projects already appraised by PSBs/ All India Financial Institutions/ leading Private Sector Banks/ other reputed agencies, vetting is done by PAC for exposures above ₹100.00 crore. This initiative will reduce the Turn Around Time (TAT) for credit proposals as well as providing such services to our branches at a short notice.

CREDIT TRAINING

The credit department conducted Intensive training in Large Value Credit to improve the appraisal skills of the officers. The training was in-house and the training was given in total 9 batches and around 450 officers in various scale and experience were trained to handle large value credit which in turn is helping the Bank to groom a strong team of well trained Credit Officers.

MID CORPORATE DEPARTMENT

Mid Corporate Department at Corporate Office is handling proposals between ₹35 crore to ₹100 crore including Commercial Real Estate, MFIs, Infrastructure, Low Priority Industries and New Business Group.

During 2015-16, Bank has opened 3 new specialized Mid Corporate Branches in potential centres to have focused approach to the Mid Corporate Clientele. As on 31.03.2016, the Bank is having 27 such specialized Mid Corporate Branches. These specialized branches are headed by Chief Manager/Asst. General Manager and posted with trained and experienced officers and mainly focus on high value credit. Bank has recorded ₹7963 crore business from these 27 branches as on 31.03.2016. During the year 2016-17, business level of ₹10000 crore is projected from these branches.

ASSET QUALITY & MANAGEMENT OF NPAS

Bank's Recovery Policy is oriented towards addressing the entire gamut of NPA management and enabled the field

पदाधिकारियों को निपुण बनाने हेतु वर्ष 2014-2015 के दौरान, ''अनर्जक आस्तियों की व्यापक वसूली नीति'' के नाम से एक पुस्तिका तैयार की गई। भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में ''व्यापक वसूली नीति'' में समय-समय पर आशोधन किये जाते हैं।

कृषि ट्रैक्टर ऋण सहित कृषि एवं कृषि संबद्ध गतिविधियों को प्रत्यक्ष वित्तीयन के तहत किसानों के प्रस्तावों पर विचार करने, ₹5.00 लाख या उससे कम की बहीशेष वाली संदेहास्पद व हानि आस्तियों के तहत छोटे अनर्जक अस्ति खातों के लिए एकबारगी निपटान योजना बनाने तथा सूक्ष्म व लघु उद्यमी उधारकर्ताओं के लिए एकबारगी निपटान योजना बनाने के लिए बैंक ने विशेष ओटीएस योजनाएँ तैयार की है। शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं के लिए मूल ऋण ने, ₹4.00 लाख या उससे कम के अनर्जक शिक्षा ऋण खातों का निपटान करने के लिए एक विशेष ओ.टी.एस. योजना तैयार की गई है। वर्ष के दौरान अनर्जक आभूषण ऋणों को निपटाने के लिए भी सीमित वैधता अवधि सहित एक ओ. टी.एस. योजना तैयार की गई।

बैंक ने पूरे वर्ष सभी शाखाओं में 'सिंड अदालतों' के माध्यम से 'मिलें, बात करें और निपटान करें' की नीति के आधार पर बड़ी संख्या में छोटे एनपीए खातों के देयों का निपटान किया। क्षेत्र/समूह/शाखा स्तर पर दिनांक 9.06.2015, 11.08.2015, 17.11.2015 और 09.02.2016 को चार बृहद सिंड अदालतों का आयोजन करके 80386 ओटीएस मामलों का निपटान किया गया और ₹738.30 करोड़ के प्रस्तावित रकम पर ₹222.55 करोड़ वसूले गये।

बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान नोटिस जारी करके और सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत संपत्तियों पर कब्जा/नीलामी करके ₹678.84 करोड़ की उल्लेखनीय राशि वसूल की जो शाखा स्तर के प्रयास, सूचीबद्ध दक्ष एजेंसियों और अनुमोदित मूल्यांकिकी के सहयोग के साथ पूरे हुये।

'सिंड वसूली अभियान -1516' के नाम से 01 आगस्त 2015 से 31 मार्च 2016 तक विशेष गहन वसूली अभियान सफलतापूर्वक चलाकर अधिकतम वसूली की गई।

वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक क्षेत्र के बड़े एनपीए पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें चिह्नित किया गया और मार्च 2016 से पहले कई खातों को सफलतापूर्वक निपटा लिया गया। ₹10 लाख से कम की विशेष निगरानी आस्तियों/अनर्जक खातों की अत्यधिक संख्यावाली शाखाओं को मदद करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर गठित दबावग्रस्त लघु आस्ति वसूली (स्टार्ट) टीम का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।

उच्च मूल्य के सभी एनपीए खातों की निगरानी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यपालक निदेशकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाती है और इन खातों के निपटान हेतु प्रभावी ढंग से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है जिसके फलस्वरूप, बड़ी संख्या में एनपीए खातों का निपटान संभव हो सका।

वर्ष के दौरान, एनपीए खातों में ₹2702.15 करोड़ की नकद वसूली की गई, जिसमें से ₹1175.48 करोड़ की वसूली पुराने एनपीए खातों में और ₹870.72

functionaries in resolving any category of Non Performing Accounts by bringing out a booklet on "Comprehensive Recovery Policy for Non Performing Assets" during 2014-15. The Comprehensive Recovery Policy is being modified from time to time to be in line with the guidelines of RBI/ GOI.

Bank has introduced / extended special OTS schemes for considering proposals of farmers under direct finance to Agriculture & Allied activities including agricultural tractor loans, OTS Scheme for small NPA accounts under doubtful and loss assets category with book balance of ₹5 lakh and below, and OTS Scheme for Micro and Small Enterprises borrowers. A Special OTS Scheme was formulated for setting NPA education loans with original sanctioned limit of ₹4 lakh & below for the benefit of education loan borrowers. An OTS Scheme with limited validity period for settling clean portion of NPA Jewel Loans was also formulated during the year.

Bank continued to reduce large number of smaller NPA accounts by settling the dues at "Synd Adalats" at all branches throughout the year by meet, talk and settle approach. Four Bruhat Synd Adalats were conducted at Regional/Cluster/Branch level on 09.06.2015, 11.08.2015, 17.11.2015 and 09.02.2016. 80386 OTS cases were settled, by recovering a sum of ₹222.55 crore as down payment with an offer amount of ₹738.30 crore.

Bank was able to register substantial recovery of ₹678.84 crore during the year 2015-16 by issuing notices and taking possession/auctioning of properties under SARFAESI Act 2002.The efforts at branch level were supplemented by empanelling more enforcement agencies and approved valuers.

Special intensive NPA recovery campaign named "Synd Vasuli Abhyan-1516" was held successfully from 1st August 2015 to 31st March 2016 for maximizing recovery.

Top NPAs from each Region were identified for giving focused attention in the beginning of the year itself and many accounts were successfully resolved before March 2016. Stressed Tiny Asset Recovery Team (START) stationed at Regional Offices are being extensively utilized for assisting the branches having high concentration of Special Monitoring Assets / Non Performing Accounts of below ₹10 lakh.

All high value NPA accounts are monitored personally by Managing Director & CEO/ Executive Directors and vigorous follow up is made for resolving these accounts. On account of this, large number of NPA accounts could be resolved.

The total cash recovery in NPAs amounted to ₹2702.15 crore, which includes principal recovery of ₹1175.48 crore in existing NPAs & ₹870.72 crore in fresh NPAs slipped during

करोड़ की वसूली नये एनपीए खातों में की गई। इसमें से ₹654.77 करोड़ की वसूली अप्रभारित ब्याज पर की गई तथा ₹1.18 करोड़ बट्टे खाते में डाले गए।

वित्तीय समावेशन पहल

वित्तीय समावेशन पहल:

6950 गावों में स्थित सौंपे गए 3229 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) को बैंक ने कवर किया तथा ग्रामीणों को बैंक सेवा प्रदान कराने के लिए पूरे देश में 2615 बैंक मित्रों को काम पर लगाया।

31.03.2016 तक बैंक ने 112.26 लाख मूल बचत बैंक खाते (बीएसबीडीए) खोले।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना:

'प्रधानमंत्री जन–धन योजना' की शुरूआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 28.08.2014 को की गई। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य यह था कि सभी वंचित ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनका एक बैंक खाता खोला जाये, जिससे वे लोग, जो मूल बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है, वे मुख्य वित्तीय उत्पादों का लाभ उठा सकें, जैसे, ₹1 लाख के बीमा कवर के साथ रुपे डेबिट कार्ड, लघु पेंशन उत्पाद, खाते के 6 माह तक सफल संचालन के बाद उसमें ₹5000/- तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराना। कुछ शर्तों पर उन ग्राहकों, जिन्होंने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 31.01.2015 तक अपना खाता खुलवाया है, को ₹30,000 की जीवन बीमा रक्षा उपलब्ध करायी गयी है।

पीएमजेडीवाई खाते: बैंक ने 31.03.2016 की स्थिति में पीएमजेडीवाई के तहत 4007757 खाते खोले जिनमें वर्ष 2015-16 के दौरान 5,11,189 खाते खोले।

आधार से जोड़ा जाना: ऐसा प्रयास किया गया है कि यदि कोई ग्राहक अपना आधार संख्या देता है, उसे खाते से जोड़ दिया जाए। 44.11 प्रतिशत के औद्योगिक औसत के मुकाबले 31.03.2016 की स्थिति में पीएमजेडीवाई के 24.36.390 खातों (60.79%) को उनके आधार कार्ड से जोड़ा गया है। आधार कार्ड से जोड़ने की सुविधा बैंक मित्र प्वाइंट पर भी उपलब्ध कराई गई है। शाखाओं को निदेश दिया गया है कि पीएमजेडीवाई खाते खोलने से मना न करें क्योंकि यह अनवरत प्रक्रिया है।

रुपे कार्ड जारी एवं एक्टिवेशन करना: बैंक द्वारा सभी बीएसबीडी खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड जारी किये जा रहे हैं। 31.03.2016 तक खुले खातों से 3651467 रुपे डेबिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं और 3164002 कार्ड (87%) एक्टिवेट किये जा चुके हैं।

ओवरड्राफ्ट सुविधा: बैंक ने 1,13,560 पीएमजेडीवाई खाताधारकों को ₹5000/- तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की है जिनमें से 31,125 ग्राहकों ने ₹4.28 करोड़ की राशि ओवरड्राफ्ट के रूप में प्राप्त किए हैं। एटीएम के माध्यम से पीएमजेडीवाई ग्राहकों के लिए ओवरड्राफ्ट स्वचालन सुविधा ऐसे स्थानों पर दी गई है जहाँ से पीएमजेडीवाई ग्राहक बिना शाखा में गए एटीएम से ओवरड्राप्ट के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

the year. The total cash recovery includes ₹654.77 crore towards uncharged interest and ₹1.18 crore in written off accounts.

FINANCIAL INCLUSION INITIATIVES

Financial Inclusion Initiatives:

Bank has covered all the allotted 3229 SSAs covering 6950 villages and deployed 2615 Bank Mitr across the country to provide banking services to the villagers.

Bank has opened 112.26 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts (BSBDA) as on 31.03.2016.

PRADHAN MANTRI JAN-DHAN YOJANA:

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) was launched by the Hon'ble Prime Minister on 28.08.2014 with an objective of covering all the uncovered households in the villages and urban wards with a bank account to provide banking facilities so that the left out people who are deprived of basic banking facilities are included into the mainstream of financial system and the account holders derive benefits from a range of financial products, such as RuPay Debit Cards with ₹ 1.00 lakh Insurance cover, Micro-pension products, Overdraft facility upto ₹ 5000/- after completion of 6 months and subject to satisfactory transactions in the accounts. Life insurance cover of ₹ 30,000/- was also made available for the customers who have opened accounts upto 31.01.2015 under PMJDY, subject to some eligibility conditions.

PMJDY accounts: Bank has opened 40,07,757 accounts under PMJDY as on 31.03.2016 and of which 5,11,189 accounts are opened during the Year 2015-16.

Aadhaar seeding: Efforts are made to seed Aadhaar number in the accounts wherever customer has provided Aadhaar. 24,36,390 PMJDY accounts (60.79%) are seeded with Aadhaar as on 31.03.2016, as against the Industry Average of 44.11%. The facility of Aadhaar seeding is made available at Bank Mitr points also. Branches have been instructed not to deny opening of PMJDY accounts since it is an on going scheme.

Issue and Activation of RuPay Cards: Bank is issuing RuPay cards to all the eligible BSBD account holders. RuPay cards have been issued to 36,51,467 accounts as on 31.03.2016 and 31,64,002 cards (87%) are activated.

Overdraft facility: Bank has sanctioned Overdraft facility up to ₹ 5000/- to 1,13,560 PMJDY account holders, out of which 31,125 customers have availed Overdraft, amounting to ₹ 4.28 crores. Automation of Overdraft through ATMs for PMJDY customers has been put in place where PMJDY customer can place his request for OD electronically at ATMs itself without visiting the branch.

पीएमजेडीवाई के अंतर्गत बीमा दावे: बैंक द्वारा 31.03.2016 की स्थिति में पीएमजेडीवाई के अंतर्गत दाखिल किए गए 153 दावे में से 127 बीमा दावे निपटा दिए गए (8 दुर्घटना तथा 119 स्वाभाविक मृत्यु दावे)। 25 दावे (10 दुर्घटना तथा 15 स्वाभाविक मृत्यु दावे) नकार दिए गए। बैंक ने शाखाओं को यह आगाह किया है कि वे ग्राहकों को दावा दाखिल करने के बारे में प्रशिक्षित करें तथा उन्हें सहायता करें ताकि उनके दावों का बीमा कंपनियों द्वारा शीघ्र निपटान हो सके।

शून्य शेष वाले खातों की संख्या कम करने हेतु विशेष प्रयास:
पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए शून्य शेष वाले खातों में छोटी-छोटी रकम जमा करवाकर शून्य शेष वाले खातों की संख्या कम करने का विशेष अभियान चलाया गया। 31.03.2015 की स्थिति में शून्य शेष खातों की संख्या 19,70,568 (56.36%) के मुकाबले शाखाओं के प्रयास से 31.03.2016 की स्थिति में इसे 10,04,474 (25.04%) पर लाया गया जबकि उद्योग औसत 27.54% है।

बैंक मित्रों के निष्पादन:
वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक मित्र मॉडल के माध्यम से हुई लेन-देन की कीमत और आकार में कई प्रकार की बढ़ोतरी देखी गई है। मार्च 2015 के दौरान हुई 113112 लेनदेनों द्वारा ₹1.82 करोड़ की तुलना में यह मार्च 2016 की स्थिति में 502384 लेन-देनों द्वारा ₹22.77 करोड़ दर्ज़ किया गया।

वित्तीय साक्षरता प्रयास:
बैंक ने जेजेएफएलसीसी ट्रस्ट के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित किया है। ट्रस्ट ने बैंक के अग्रणी जिला में 55 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) तथा 21 वित्तीय समावेशन संसाधन केंद्र (एफआईआरसी) खोले हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान इन 55 एफएलसी ने 14,412 साक्षरता शिविर आयोजित किए जिनमें 6,14,343 लोग लाभान्वित हुए। बैंक ने गावों तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थानीय भाषाओं में ब्रोशर, पैम्पलेट बाँट कर तथा पोस्टर और बैनर प्रदर्शित करके विभिन्न प्रकार की वित्तीय साक्षरता गतिविधियाँ चलाई हैं।

स्कूली बच्चों को आर्थिक नागरिक में बदलने संबंधी चाइल्ड एण्ड युथ फिनांशियल इंटरनेशनल (सीवाईएफआई) सहयोग:

इस परियोजना के अंतर्गत बैंक ने 1322 शाखाओं के माध्यम से विद्यालयों को वित्तीय शिक्षा देने तथा उनके खाते खोलने के लिए चुना।

बैंक के कार्यपालकों ने रेडियो/दूरदर्शन के माध्यम से पी.एम.जे.डी.वाई पर चर्चा में भाग लिया तथा भारत सरकार द्वारा शुरु किए गए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में लोगों को शिक्षित किया ताकि लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें।

तकनीकी पहल:
वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने सभी बैंक मित्र स्थानों पर सूक्ष्म एटीएम के माध्यम से ईपीएस ऑफ-अस/ऑन अस लेनदेन, रूपे कार्ड पिन आधारित/आधार कार्ड आधारित लेनदेन की सफल शुरुआत की।

निगरानी:
बैंक का निदेशक मंडल अपनी बैठकों के दौरान वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक की प्रगति की निगरानी करता है।

Insurance Claims under PMJDY: Bank has got 127 insurance claims settled (8 Accidental and 119 Natural death claims) up to 31.03.2016 against 153 claims lodged under PMJDY. 25 claims (10 Accidental + 15 Natural death claims) are repudiated. Bank has sensitised the branches to educate the customers on claim lodging and also to coordinate with the insurance companies for quick settlement of claims .

Special efforts to reduce the Zero balance accounts:
Special monitoring is done for reducing the number of Zero balance accounts under PMJDYby mobilising small savings in the accounts. As against the outstanding status of 19,70,568 (56.36%) Zero balance accounts as on 31.03.2015, number of Zero balance accounts has come down to 10,04,474 (25.04%) as on 31.03.2016 due to the efforts of branches, as against the Industry average of 27.54%.

Performance of Bank Mitrs:
The value and volume of transactions through BC model has increased many fold during the year 2015-16. It has recorded 502384 transactions with an amount of ₹ 22.77 crore during the month of March 2016 as against 113112 transactions with an amount of ₹ 1.82 crore during March 2015.

Financial Literacy Efforts:
Bank is promoting Financial Literacy through JJFLCC Trust which has opened 55 Financial Literacy Centers (FLC) and 21 Financial Inclusion Resource Centres (FIRC) in the Lead Districts of the Bank. These 55 FLCs have conducted 14,412 Literacy Camps benefitting 6,14,343 persons during the year 2015-16. Bank is also taking up various financial literacy activities such as printing and distribution of Brochures, Pamphlets in vernacular languages, display of Posters and Banners at prominent places in the villages.

Child & Youth Financial International (CYFI) collaboration for transforming school students in to Economic Citizens: Under this project Bank has mapped schools to 1322 branches for opening of accounts and imparting Financial Education to the students in the school.

Executives of the bank have participated in Radio/TV talk and panel discussion on PMJDY and also other Social security schemes launched by GOI to educate the people on the benefits of the schemes.

Technology initiatives:

During the year 2015-16, Bank has successfully started AEPS off-us / on-us transactions, RuPay card PIN based / Aadhaar based transactions through Micro ATMs at all Bank Mitr locations.

Monitoring: Bank's Board is monitoring the progress under Financial Inclusion regularly during Board meetings.

बैंक के उच्च कार्यपालक तथा क्षेत्रीय प्रमुख बैंक मित्र के स्थलों का दौरा करते हैं। प्रभावी निगरानी के लिए डैश बोर्ड के माध्यम से सुदृढ़ निगरानी सिस्टम बनाया गया है ताकि दैनिक आधार पर बैंक मित्र की लॉग ऑन स्थिति एवं गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके।

बैंक के स्थापना दिवस पर बैंक मित्र को सम्मानित किया जाना:
बैंक मित्र को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने 20.10.2015 को 'बैंक स्थापना दिवस समारोह' के दौरान छः श्रेष्ठ बैंक मित्र को सम्मानित किया। 26 जनवरी 2016 को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान आंध्रप्रदेश सरकार ने कृष्णा जिला के एक बैंक मित्र को श्रेष्ठता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया।

बैंक मित्र प्रमाणन:
वित्तीय सेवाएँ विभाग की सलाह के अनुसार बैंक ने, बैंक मित्र के लिए आंतरिक परीक्षा का आयोजन किया। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा आयोजित अथवा आईआईबीएफ द्वारा आयोजित ऑन लाइन परीक्षा के माध्यम से 2485 बैंक मित्र (93%) प्रमाणित किए गए।

पहल (प्रत्यक्ष हस्तांतरिक लाभ) – संशोधित डीबीटीएल:
बैंक, सभी शाखाओं के माध्यम से इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है। दि. 15-11-2014 से 31-03-2016 की अवधि के दौरान बैंक ने 2,43,61,065 डीबीटीएल जमा प्राप्त किए जिससे ₹ 557.23 करोड़ की रकम जमा हुई, जिनमें से 2,43,20,188 खातों से संबंधित ₹556.25 करोड़ सफलतापूर्वक जमा हो गए तथा 40,877 खातों के ₹0.98 करोड़ की रकम खाते बंद हो जाने/खाताधारकों के खाता नंबर/नाम समान न होने के कारण वापस हो गई।

बैंक मित्र स्थलों पर डीएफएस अधिकारियों का दौरा:
दिल्ली के डीएफएस अधिकारियों ने कुछ बैंक मित्र स्थलों का (11.04.2015 को कर्नाटक के तीन, 19.11.2015 को आंध्रप्रदेश के एक तथा 19.12.2015 को कर्नाटक के एक) दौरा किया तथा बैंक मित्र की कार्यप्रणाली पर संतोष प्रकट किया।

कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग

बैंक ने, समेकित कोष परिचालन के कोष के गतिविधियों तथा सुदक्ष प्रबंधन को पर्याप्त महत्व दिया है। कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग (टीएंडआईबीडी) के दो स्कंध हैं यथा, (ए) विदेशी विनिमय कोष तथा (बी) देशी कोष। इसके अतिरिक्त, टीएंडआईबीडी बैंक के समुद्रापारीय कारोबार के लिए निगरानी एवं नियंत्रक कार्यालय के रूप में भी कार्य कर रहा है।

विदेशी मुद्रा कोष:

कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग हमारे बैंक का 'ए' श्रेणी का कार्यालय है जो, विदेशी विनिमय स्थित नोस्ट्रो एवं वोस्ट्रो खातों का रखरखाव करता है। इसके अलावा, कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग हमारी लंदन शाखा के विदेशी मुद्रा कारोबार, समुद्रपारीय कारोबार तथा कोष परिचालनों के विकास और अनुवर्ती कार्रवाई की भी निगरानी करता है।

टीएंडआईबीडी, मुंबई में बैंक का केंद्रीय डीलिंग रूम स्थापित है जो बैंक के विदेशी विनिमय डीलिंग परिचालनों की देखरेख करता है। हमारा बैंक पहला ऐसा

Top executives of the Bank and the Regional heads are visiting the Bank Mitr locations. Robust monitoring system is put in place through Dash Board for effective monitoring of log on position and also the activity of Bank Mitr on daily basis.

Honouring of Bank Mitr on Foundation Day of the Bank: To motivate the Bank Mitr, Bank has honoured Six Best performing Bank Mitrs on 20.10.2015, during Bank's Foundation Day celebrations. One Bank Mitr of Krishna district of A.P. was honoured with Certificate of Merit by the Govt. of AP during Republic Day celebrations on 26.01.2016.

Certification of Bank Mitr:
As advised by DFS, Bank has conducted In-house examination to Bank Mitr. 2485 Bank Mitr (93%) have been certified either through IIBF online examination or In-house examination conducted by the bank during the year.

PAHAL – (Pratyaksha Hastantarik Labh) - Modified DBTL:
Bank is implementing the scheme through all branches. Bank has received 2,43,61,065 DBTL credits, amounting to ₹ 557.23 crores during the period.from 15.11.2014 to 31.03.2016, out of which an amount of ₹ 556.25 crore has been credited successfully in respect of 2,43,20,188 accounts and an amount of ₹ 0.98 crore is returned in respect of 40,877 accounts due to closure of accounts and mismatch of account numbers/names of the account holders.

Visits of DFS Officials to Bank Mitr locations:
DFS officials from Delhi have visited some of the Bank Mitr locations (Three in Karnataka on 11.04.2015, One in Andhra Pradesh on 19.11.2015 and One in Karnataka on 19.12.2015) and expressed satisfaction about the functioning of Bank Mitr.

TREASURY & INTERNATIONAL BANKING DEPARTMENT

Bank has accorded importance to treasury functions and efficient management of Integrated Treasury Operations. Treasury and International Banking Dept. (T&IBD) has two wings viz, (a) Foreign Exchange Treasury and (b) Domestic Treasury. Besides, T&IBD is also functioning as monitoring and controlling office for the Overseas Operations of the Bank.

Forex Treasury:
Treasury and International Banking Dept (T&IBD) is the only 'A' Category Office in our Bank which maintains Foreign Exchange Position, Nostro and Vostro Accounts. T&IBD also monitors Foreign Exchange Business, Correspondent Banking Relationship and Overseas Business Operations of our London Branch.

The Bank's centralized dealing room at T&IBD, Mumbai handles the Foreign Exchange Dealing operation of the

बैंक है जिसने अत्याधुनिक वेब प्लैटफार्म बनाकर समुद्रपारीय प्रतिपक्षी बैंकों के साथ वेब आधारित कारोबार प्रारंभ किया है। बैंक की 109 नामित शाखायें (श्रेणी बी) हैं जो, पूर्णतया एफएक्स लेन-देनों की देख-रेख करती हैं और 390 नामित शाखाएँ बैंक के एफसीएनआर कारोबार का प्रबंधन करती हैं। बैंक की सभी 3765 देशी शाखाओं में एनआरई/एनआरओ जमाराशियों को स्वीकृत किया जाता है। बैंक, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) का सदस्य है जिसके द्वारा यूएसडी/आईएनआर की अंतर बैंक विदेशी मुद्रा कारोबार का निपटान होता है। बैंक, सीसीआईएल के माध्यम से कंटीन्यूएस लिंक सैटेलमैंट (सीएलएस) द्वारा क्रॉस करेंसी डील का निपटान करता है।

बैंक करैंसी फ्यूचर्स में मालिकाना आधार पर व्यापार करने के लिए तीन एक्सचेंजों एमसीएक्स-एसएक्स; एनएसई और यूएसई (बीएसई के साथ विलय हो गया) का ट्रेडिंग सह क्लीयरिंग सदस्य है।

बैंक केवल सामान्य एवं सरल व्युत्पन्नों को ही प्रदान करता है और किसी प्रकार के जटिल व्युत्पन्न उत्पादों को बैंक अवसर नहीं देता है। वर्तमान व्युत्पन्न लेन-देनों के मामले में बैंक के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। बैंक ने इंटेग्रेटेड ट्रेजरी मैनेजमेंट सॉफटवेयर लागू किया है जिसमें कई आवश्यक विशेषताएँ हैं, जैसे-घरेलू एवं विदेशी मुद्रा कोष का समेकन, रुपया और विदेशी मुद्रा कोष के लिए निपटान कार्य तथा समय के नोस्ट्रो समाधन। यह नई प्रणाली, शाखाओं को कारोबारियों के लिए सहज संबंध उपलब्ध कराता है।

पिछले वित्तीय वर्ष के ₹1106779 करोड़ के विदेशी कारोबार की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष का कुल विदेशी कारोबार ₹ 974988 करोड़ रहा, और पिछले वित्तीय वर्ष के ₹1064587 करोड़ की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष का अंतर बैंक कारोबार ₹917270 करोड़ रहा।

निर्यात वित्त:

निर्यात के क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने हेतु बैंक द्वारा विभिन्न तरीके अपनाए गए हैं। सिंड एक्सपोर्ट गोल्ड कार्ड योजना एक विशिष्ट योजना है, जिसके तहत, पात्र निर्यातकों को रियायती और अधिमान्य शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है और इसके दायरे को और बढ़ाया गया है ताकि और अधिक निर्यातकों को इसमें शामिल किया जा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के तहत बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर पर रुपी निर्यात ऋण की पेशकश की गई। बैंक ने कुछ निर्धारित क्षेत्रों में अपने ग्राहकों को, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रूपरेखा के अनुसार, निर्यातकों के लिए ब्याज अनुदान योजना उपलब्ध कराकर रियायती ब्याज दर का लाभ प्रदान किया। बैंक ने विभिन्न केंद्रों में अपने ग्राहकों के साथ सीधे संवाद हेतु आयात/निर्यात बैठकों का आयोजन भी किया है।

विनिमय कंपनियाँ:

बैंक द्वारा मेसर्स मुसंडम एक्स्चेंज कंपनी, जो सल्तनत ऑफ ओमान का एक विनिमय है, का सफलतापूर्वक संचालन किया जाता है। बैंक ने खाड़ी देशों से भारत में बेहतर किफायती निधि अंतरण हेतु 6 विदेशी बैंकों के अतिरिक्त,

Bank. The Bank is one of the first to undertake Web-based trading with Overseas counter party Banks by using state-of-the art Web platforms. The Bank is having 109 designated Branches (Category "B") to handle full-fledged Foreign Exchange transactions and 390 nominated branches to handle the FCNR business of the Bank. NRE/NRO deposits are accepted at all the 3765 Domestic branches of the Bank. The Bank is a member of Clearing Corporation of India Ltd., (CCIL) for settlement of Inter- Bank Forex Deals in USD/INR Segment. Further, the Bank also settles Cross-Currency Deals through CCIL with Continuous Linked Settlement (CLS) Bank.

The Bank has become Trading-cum-Clearing Member on three exchanges, i.e., MCX-SX, NSE and USE (merged with BSE) for undertaking Proprietary based position in Currency Futures.

The Bank is offering only plain vanilla derivatives and no complex derivative products are offered by the Bank. There is no litigation against the Bank in respect of existing derivative transactions. The Bank has implemented Integrated Treasury Management Software (ITMS) which has essential features like integration of Domestic and Forex Treasury, simplicity in settlement operations for Rupee and Foreign Exchange Treasury and timely Nostro Reconciliation. The new system also provides seamless interactions with branches for their trades.

The total Forex Turnover of the Bank was ₹ 9,74,988 crore for the current financial year, as compared to ₹ 11,06,779 crore for the previous financial year. The Inter-Bank turnover of the Bank was ₹ 9,17,270 crore for the current financial year as compared to ₹ 1064587 crore for the previous financial year.

Export Finance

The Bank has initiated various measures to increase the flow of credit to export sector. The coverage under the SyndExport Gold Card Scheme, a unique scheme for eligible exporters offering concessional and preferential terms, was broadened to include more number of exporters. Rupee export credit was offered at very competitive interest rates within the ceiling prescribed by RBI. The Interest Equalization Scheme for Exporters, as designed by Reserve Bank of India, has been made available by the Bank to its customers in certain specified sectors, thus passing on the benefits of concessional interest. Bank also conducted Exports/Imports meet at various centers to have direct interaction with the clients.

Exchange Companies

The Bank is managing One Exchange House M/s Musandam Exchange Company, an exchange Company in Sultanate of Oman. The Bank is also having Rupee Drawing Arrangements (RDA) with other 7 Exchange Houses for improved and cost-effective funds transfer to

7 एक्स्चेंज हाउसों से लाभप्रद रुपया आहरण व्यवस्था किया है।

केंद्रीकृत एनआरआई कक्ष

हमारे बैंक के एनआरआई संविभाग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए टीएंड आईबीडी ने 26 दिसंबर 2012 से केंद्रीकृत एनआरआई कक्ष की स्थापना की है ताकि हमारे बैंक द्वारा संचालित विनिमय संस्थान यानी मुसंदम विनिमय कंपनी द्वारा जुटाए गए एनआरआई खातों को शीघ्र खोला जा सके। शाखाओं के लिए ऐसे खाते खोलकर टीएंडआईबीडी, चेक बुक, एटीएम कार्ड और इंटरनेट आईडी आदि से युक्त एनआरई किट ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए सीधे विनिमय प्रतिष्ठान को भेजता है।

घरेलू कोष

प्रभावशाली बाज़ार का लाभ उठाते हुए बैंक के कारोबार डेस्क ने ईक्विटी और कर्ज बाज़ार दोनों से कारोबार लाभ प्राप्त किया है। अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित घरेलू व्यापार डेस्क, जो सीआरओएमएस, सीसीआईएल-सीबीएलओ, एनडीएस-ओएम जैसे ट्रेडिंग प्लेटफार्मों से वित्त समर्थित हैं, निर्बाध लेन-देन गतिविधियाँ प्रदान करता है।

गुणवत्तायुक्त एवं रेटेड कॉरपोरेट बांड और डिबेंचर, वाणिज्यिक पत्र, सीडी इत्यादि में निवेश द्वारा बैंक ने गैर-एसएलआर निवेश को सुदृढ़ बनाया है जिसके परिणामस्वरूप निवेश संविभाग के प्रतिलाभ में बढ़ोत्तरी हुई है। बैंक ने सीबीएलओ, रेपो और कॉल मार्केट जैसे विंडोज का प्रभावी प्रयोग करने के द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से भी आय कमाया है। बैंक ने बाज़ार की स्थिति और दर पर निर्भर होते हुए उधार देने और लेने संबंधी लेन-देन करते समय निधि प्रवाह और चलनिधि स्थिति की निरंतर निगरानी करते हुए इस मुद्रा बाज़ार के जरिए निधियों का अत्यंत दक्षतापूर्वक प्रबंधन किया है। बैंक का घरेलू निवेश पिछले वर्ष के ₹69260.99 करोड़ की तुलना में दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार ₹68285.58 करोड़ हो गया। निवेश संविभाग से प्राप्त कुल आय (लाभांश और व्यापार लाभ को छोड़कर) वर्ष 2014-15 के ₹4919.89 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 में ₹5350.98 करोड़ हो गया। एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंक का निवेश ₹60028.32 करोड़ हो गया है जो दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार बैंक के कुल निवेश का 87.91 प्रतिशत है। वर्ष 2014-15 के ₹644.30 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 का व्यापार लाभ ₹895.84 करोड़ रहा।

बैंक के कुल निवेश संविभाग के लिए मोडिफाइड ड्यूरेशन (1 प्रतिशत ब्याज दर में परिवर्तन से मूल्य में बदलाव का संकेतक) वर्ष 2014-15 के मूल्य 4.57 की तुलना में वर्ष 2015-16 में 4.44 हो गया।

समुद्रपारीय परिचालन:

बैंक की समुद्रपारीय शाखा इंगलैंड के लंदन में स्थित है। यह शाखा, इंगलैंड में भारतीय कॉरपोरेटों के लिए थोक बैंकिंग परिचालनों, मुद्रा बाज़ार परिचालनों, निवेशों तथा कोष परिचालनों में सक्रिय है। यह शाखा, वैश्विक पहचान वाले भारतीय कॉरपोरेटों के लिए द्विपक्षीय ऋणों के अलावा, सिंडिकेशनों और ईसीबी पर ध्यान केंद्रित करती है। शाखा के पास युनाइटेड किंगडम की विनियामक

India from Gulf countries, apart from RDA with 06 foreign banks.

Centralised NRI Cell

With a view to increasing the NRE Portfolio of our Bank, T&IBD has opened the Centralized NRI Cell w.e.f 26th Dec 2012 to enable prompt opening of NRE Accounts canvassed by Exchange House managed by our Bank, namely, Musandam Exchange Company. T&IBD is opening the account on behalf of the Branches and dispatching the NRE kit containing cheque book, ATM card and Internet IDs etc directly to the Exchange House for delivery to the customer.

Domestic Treasury:

The Bank's Trading desk booked trading profits in both equity and debt market by taking advantage of market situation. Domestic Trading Desk supported by state of art technology which is mapped with the Trading platforms like CROMS, CCIL-CBLO, NDS-OM, etc. provides the seamless transactions movements.

The bank has also strengthened the non SLR investments by investing in qualitative and rated corporate bonds and debentures, commercial paper, CDs etc, resulting in improved yields on investment portfolio. The bank has also earned from arbitrage deals, by effectively making use of windows like CBLO, Repo & Call Market. The bank has managed funds very efficiently by these money market channels by continuously monitoring the fund flow and the liquidity position and undertaking lending and borrowing transactions. The domestic investments of the bank were at ₹ 68285.58 crore as on 31.03.2016 as against ₹ 69260.99 crore for previous year. Total income from investment portfolio (excluding dividend & trading profits) was ₹ 5350.98 crore in the year 2015-16 as against ₹ 4919.89 crore in the year 2014-15. Bank's investment in SLR securities amounted to ₹ 60028.32 crore which formed 87.91% of Bank's total Domestic Treasury investments as on 31.03.2016. Trading profits for the year 2015-16 was ₹ 895.84 crore as against ₹ 644.30 crore during the FY 2014-15.

Modified Duration (indicator of change in prices/values with change in 1% Interest Rate) for Bank's Total Investment Portfolio stood at 4.44 for 2015-16 as against the value of 4.57 for year 2014-15.

Overseas Operation:

Bank's overseas presence is in United Kingdom at London. The Branch is active in Wholesale Banking Operations for Indian Corporates in United Kingdom, Money market operations, Investments, and Treasury operations. The Branch focuses on syndications and ECBs, besides bilateral loans for Indian Corporates having global presence. The

प्राधिकारी से अनुमोदित प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध है।

शाखा का कुल कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) 31 मार्च 2016 को जीबीपी 6794.687 मिलियन (₹64870.58 करोड़) रहा जबकि 31 मार्च 2015 को यह जीबीपी 7638.146 मिलियन (₹70629.94 करोड़) था।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन संरचना

ऋण जोखिम कार्यनीति, ऋण जोखिम प्रबंधन के ढांचे का एक प्रमुख अंग है। बैंक की ऋण जोखिम कार्यनीति, बैंक के ऋण नीतियों के अनुसार होगी जो गुणवत्तापूर्ण आस्तियों, लाभप्रद संबंध और विवेकपूर्ण वृद्धि को महत्व देती है।

बैंक ने एक सुदृढ़ एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन संरचना को क्रियान्वित किया है। बैंक में जोखिम प्रबंधन से संबंधित कार्रवाइयों का संपूर्ण दायित्व निदेशक मंडल का होता है। जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), जो निदेशक मंडल की एक उपसमिति है, बैंक की जोखिम प्रवृत्ति का निरूपण करती है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति को, ऋण जोखिम के संबंध में ऋण जोखिम प्रबंधन समित से (सीआरएमसी), आस्ति देयता और चलनिधि जोखिम के संबंध में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तथा परिचालनगत जोखिम पहलुओं के संबंध में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति से कुशल सहयोग मिलता है।

तकनीकी जोखिमों से निपटने के लिए सुनियोजित एवं स्थायी तौर पर एक तकनीकी युक्त जोखिम प्रबंधन संरचना बनाई गई है। बैंक की कारोबारी गतिविधियों एवं जोखिम के संदर्भ में बैंक ने आईएसओ 27001पर आधारित एक लिखित व्यापक जोखिम आधारित कार्यक्रम बनाकर उसका कार्यान्वयन किया है।

यह एक सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासी संरचना है जिसमें, आईटी कार्यनीति समिति, आईटी संचालन समिति, मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ), सूचना सुरक्षा प्रबंधन समिति (आईएसएमसी), मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) आदि शामिल हैं जिन्हें विभिन्न विशेषज्ञ टीमों, कारोबार निरंतरता टीमों एवं आईएस लेखापरीक्षा की सहायता प्राप्त है जो बैंक के भीतर सूचना सुरक्षा को प्रारंभ करने, कार्यान्वयन, निगरानी, बरकरार रखने तथा उन्नत बनाने का कार्य करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आईटी अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा कारोबार को मूल्यवर्धित करता है।

कॉरपोरेट कार्यालय का जोखिम प्रबंधन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित जोखिम प्रबंधन कक्ष (आरएमसी) की सहायता से पूरे बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन उपायों के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

बैंक के पास ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक बेहतर प्रलेखित नीति और प्रक्रिया है जिसकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि उसे बदलते कारोबार और बाजार की गतिविधियों के अनुकूल बनाया जा सके।

branch has efficient risk-management system which is approved by regulatory authority of United Kingdom.

The total business (Deposits and Advances) of the branch stands at GBP 6794.687 Million (₹64870.58 crore as at 31st March 2016 as against GBP 7638.146 Million (₹70629.94 crore) as at 31st March 2015.

RISK MANAGEMENT

Risk Management Architecture:

One of the key components of credit risk management framework is credit risk strategy. Bank's Credit Risk strategy would be in consonance with credit philosophy of the Bank, which emphasizes quality assets, profitable relationships and prudent growth.

Bank has implemented a robust and comprehensive Risk Management Framework. The Board of Directors assumes the overall responsibility for risk management initiatives in the bank. The risk appetite of the bank is defined by the Risk Management Committee (RMC) of the Board, which is a subcommittee of the Board. The RMC of the Board is ably assisted by Credit Risk Management Committee (CRMC) which takes care of the Credit Risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) looking after the Asset Liability and Liquidity Risk, and Operational Risk Management Committee which takes care of operational risk aspects.

A technology risk management framework is established to manage technology risks in a systematic and consistent manner. Bank has developed, implemented and maintained a documented comprehensive risk based program based on the ISO 27001 framework within the context of the bank's business activities & risk.

It includes an Information Technology Governance Framework consisting of IT Strategy Committee, IT Steering Committee, Chief Information Officer (CIO), Information Security Management Committee (ISMC), a Chief Information Security Officer (CISO) assisted by various specialist teams, Business Continuity Teams and an IS Audit function to initiate, implement, monitor, maintain and improve the information security within the Bank and to make sure that IT is aligned and delivers value to the business.

Risk Management Department functioning at Corporate Office oversees the overall implementation of various risk management initiatives across the Bank, with the assistance of Risk Management Cells (RMCs) at Regional Offices.

The Bank has a well documented policy and processes for management of Credit, Market and Operational Risks which are periodically reviewed, so as to adapt to the changing business and market environment.

बासेल II अनुपालन

बैंक, बासेल II के सभी मानदंडों का अनुपालन कर रहा है। जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी(सीआरएआर) अनुपात की गणना, भारतीय रिज़र्व बैंक के नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे (एनएसीएफ) के मार्गदर्शनों का अनुसरण करके पिलर–I की आवश्यकताओं के अनुसार की गई है। बैंक, ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण और बाज़ार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण का उपयोग करता है।

बैंक के पास निदेशक मंडल से अनुमोदित व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) और स्ट्रेस टेस्ट नीति है जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है ताकि, वह अपनी विपणन वास्तविकताओं, आर्थिक वातावरण, और विनियामक आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठा सके। बैंक के पास बोर्ड अनुमोदित प्रकटीकरण नीति भी है जिसकी भा.रि.बैं. द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

एक वैज्ञानिक निधि अंतरण कीमत प्रणाली (एफटीपी) के अलावा बैंक समग्र राजकोषीय प्रबंधन समाधान (आईटीएमएस) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समाधान (ओआरएमएस) के माध्यम से एक ऐसे सॉफ्टवेयर को अपनाने की दिशा में प्रयत्नशील है जिससे बाज़ार एवं परिचालन जोखिमों की पहचान, आकलन और कमी की जा सकेगी।

आस्ति देयता प्रबंधन

उच्च प्रबंधन वर्ग के लोग आस्ति देयता प्रबंधन समिति के सदस्य हैं जो, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, अंतर/असंतुलन जोखिम, आधार जोखिम, पुनर्मूल्यन जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम और ईक्विटी मूल्य जोखिम आदि के प्रबंधन के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते हैं। इनमें जमाराशियों तथा अग्रिमों की उत्पाद कीमत के साथ आस्तियों एवं देयताओं की अपेक्षित परिपक्वता प्रोफाईल भी शामिल हैं।

पीआरए/एफसीए की चलनिधि व्यवस्था के अंतर्गत हमारी लंदन शाखा के लिए विवेकपूर्ण विनियामक प्राधिकार (पीआरए), यू.के. के साथ 'होल फर्म मोडिफिकेशन' दृष्टिकोण के लिए अनुमोदन मिलने पर बैंक ने लंदन शाखा तथा पूरे बैंक में चलनिधि की प्रभावी निगरानी हेतु व्यवस्था की है।

बैंक ने किसी भी आकस्किता के प्रबंधन के लिए एक बेहतर प्रलेखित आकस्मिक नकदी निधि योजना तैयार की है। बैंक अपनी ब्याज आय और चलनिधि पर प्रभाव के मूल्यांकन के लिए त्रैमासिक आधार पर स्ट्रेस टेस्ट कर रहा है।

बैंक मासिक आधार पर 'चलनिधि कवरेज अनुपात' के बासेल III चलनिधि अनुपात की निगरानी करता है।

बासेल III दिशानिर्देश:

वित्तीय एवं आर्थिक दबावों के आघातों को आत्मसात करने हेतु बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए बासेल III दिशानिर्देशों को लागू किया गया है ताकि लीवरेज अनुपात के साथ जोखिम आधारित पूँजी अपेक्षा को सहायता मिले। बैंक, भा.रि.बैं. के दिशानिदेशों के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) का परिकलन करता है और उसे मासिक आधार पर भा.रि.बैं.

Basel II Compliance

Bank has been complying with all Basel II norms. The Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) is computed as per Pillar I requirements adhering to New Capital Adequacy Framework (NCAF) guidelines of RBI. Bank is adopting Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk.

Bank has, Board approved comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and Stress test Policy which is reviewed periodically, so as to be in line with the market realities, economic environment and regulatory requirement. Bank also prepares the Annual Capital Plan to augment the Capital requirements of the Bank. The Bank has a Board approved Disclosure policy which is reviewed periodically by adhering to the guidelines issued by RBI periodically.

The Bank is in the process of putting in place software based identification, measurement and mitigation of Market and Operation Risk by way of Integrated Treasury Management Solution (ITMS) and Operational Risk Management Solution, (ORMS) apart from a scientific Funds Transfer Pricing Mechanism(FTP).

Asset Liability Management

The Asset Liability Management Committee consists of members of the Top Management and regularly meets to manage Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Gaps/Mis-match Risk, Basis Risk, Re-pricing Risk, Forex Risk and Equity Price Risk. It includes product pricing for deposits as well as advances and the desired maturity profile of assets and liabilities.

With the Prudential Regulatory Authority (PRA), UK approving "Whole Firm Modification" approach for our London Branch under the liquidity regime of PRA/FCA (Financial Conduct Authority), the Bank has put in place a mechanism for effective monitoring of liquidity at London Branch and for the Bank as a whole.

The Bank has a well documented Contingency Liquidity Funding Plan for managing any contingency. The Bank is undertaking stress test on quarterly basis and assess the impact on liquidity and interest income of the Bank.

Bank Monitors the Basel-III liquidity ratio of "Liquidity Coverage Ratio" on monthly basis.

Basel III Guidelines

Basel III guidelines have been introduced for improving the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, supplementing the Risk-based capital requirement with a Leverage Ratio. Bank is calculating the Liquidity Coverage Ratio (LCR) in line

को प्रस्तुत करता है। भारित औसत एलसीआर त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है।

वर्तमान वर्ष के दौरान, बैंक ने कॉमन ईक्विटी, टियर-I पूँजी, सीआरएआर को बढ़ाने और पूंजी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पूंजी बेहतरी के विभिन्न उपाय किए हैं। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कुल ₹3576.94 करोड़ की पूंजी निधियों को विभिन्न रूपों में प्राप्त किया है अर्थात (i) भारत सरकार द्वारा ₹740 करोड़ की राशि की ईक्विटी पूंजी का लगाया जाना (ii) ₹216.94 करोड़ की राशि हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को ईक्विटी का अधिमानी आबंटन (iii) ₹870 करोड़ की राशि के अरक्षित स्थायी एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त अपरिवर्तनीय बासेल-III अनुवर्ती अतिरिक्त टियर-I बाँड (iv) ₹1750 करोड़ की राशि वाले बासेल-III अनुवर्ती टियर-II बाँड।

बैंक, व्यवसाय में प्रत्याशित वृद्धि को प्राप्त करने के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत सूची के अनुसार एक चरणबद्ध तरीके से बासेल-III अपेक्षाओं का पालन करने के लिए बासेल-III के तहत सीईटी-I, सीआरएआर और लीवरेज अनुपात को सुधारने के लिए सभी उपाय कर रहा है। बैंक, सितंबर 2013 को समाप्त तिमाही से वेबसाइट में बासेल-III के प्रकटनों पर अपेक्षित जानकारी त्रैमासिक/अर्धवार्षिक आधार पर प्रकाशित कर रहा है।

प्रबंध सूचना प्रणाली

सभी अर्थात करीब 36 लाख उधार खातों से संबंध में सीबीएस सिस्टम में एक सुदृढ़ एमआईएस प्रणाली की शुरुआत की गई है। सिस्टम द्वारा 31.03.2015 से उपयोगकर्ता और नियामक दोनों के लिए शाखाओं/प्रशासनिक कार्यालयों को आवश्यक रिपोर्ट/आंकड़े तैयार किए जाते हैं। ईडीडब्ल्यूबीआई में करीब 250 रिपोर्ट उत्पादन के प्रति प्रेषित किए गए हैं और प्रशासनिक कार्यालयों में उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। 148 नियामक रिपोर्ट विकसित किए गए हैं और उन्हें एडीएफ (स्वचालित आंकड़ा प्रवाह) परियोजना में उत्पादन हेतु प्रेषित किए जा चुके हैं।

बैंक स्तर पर ग्राहक आईडी के गैर-द्विप्रतिकरण की प्रक्रिया को निरीक्षण विभाग की सहायता से प्रारंभ किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी

कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस)

31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, 34 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में बैंक की 3766 शाखाओं, 35 सेवा शाखाओं और एआरएमबी के नेटवर्क से बैंक का सीबीएस नेटवर्क जुड़ा हुआ है। अब सभी शाखाएँ/कार्यालय केंद्रीकृत सर्वर सेटअप के अंतर्गत कार्यरत हैं।

मूलभूत संरचना

बैंक ने मुंबई में एक अत्याधुनिक डाटा सेंटर और बेंगलूरु में एक आपदा निवारण केंद्र को विभिन्न भूकंपीय क्षेत्र और मुंबई में एक समीपवर्ती स्थान पर कार्यान्वित करने के द्वारा सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का निर्माण किया है। नए हार्डवेयर, अतिरिक्त स्टोरेज तथा ओरेकल सॉफ्टवेयर के नए वर्ज़न सहित तकनीक को अद्यतन किया है।

with RBI guidelines and submitting the same to RBI on a monthly basis. The weighted average LCR is published on a quarterly basis.

During the current year, Bank has taken various capital optimization measures for improving the quality of capital and to improve the Common Equity, Tier 1 capital, CRAR of the Bank. Bank has raised total capital funds of ₹3576.94 crore during the financial year 2015-16 in various forms, namely (i) Equity Capital infusion by Govt. of India for an amount of ₹740 crore (ii) Equity preferential allotment to LIC for an amount of ₹216.94 crore, (iii) Unsecured perpetually fully paid up non-convertible Basel III complaint additional Tier-I bonds for an amount of ₹870 crore and (iv) Basel complaint Tier-II bonds for an amount of ₹1750 crore.

Bank is taking all measures to improve the CET1, CRAR and Leverage Ratio under Basel III so as to comply with the Basel III requirements in a phased manner as per the schedule prescribed by RBI while simultaneously achieving the expected growth in business. Bank is also publishing on quarterly/half yearly basis the required information on Basel III disclosures in the website from the quarter ending September 2013.

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

A sound and robust MIS system is placed in CBS system in respect of all borrowal accounts i.e. around 36 lakh accounts. The necessary reports / data for branches / administrative offices both for users and regulators are being generated through system from 31.03.2015. In EDWBI, around 250 reports are moved to production and access is made available to users in Administrative Offices. 148 regulatory reports are developed and moved to production in ADF (Automated Data Flow) project.

The process of de-duplication of customer ID at the Bank level is initiated with the help of Inspection Department.

INFORMATION TECHNOLOGY

Core Banking Solution (CBS)

The Bank continues to spread its wings with a network of 3766 Branches, 35 Service Branches and ARMBs covering 34 States and Union Territories under the CBS Network as on 31.03.2016. All the branches / offices are currently under Centralized Server Setup.

Infrastructure

Bank has built the best of technology infrastructure by implementing a state-of-the-art Data Centre at Mumbai and a Disaster Recovery Site at Bangalore in different seismic zone and a Near site at Mumbai. The technology infrastructure is being upgraded with new hardware, additional storage and new higher version of Oracle software.

बैंक ने, नई तकनीकी एवं सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क आधारित नया इंटरप्राइज क्लास स्टोरेज सिस्टम लिया है जो निष्पादन में सुधार लाएगा तथा ईओडी/बीओडी विंडो को कम करेगा। इसके साथ ही रिपोर्ट निर्माण एवं एमआईएस गतिविधियों के लिए डेटाबेस की कई प्रतियाँ रखने की सुविधाएँ भी प्रदान करेगा।

लंदन शाखा के लिए सीबीएस

लंदन स्थित हमारी विदेशी शाखा को, ग्राहक केंद्रित बैंकिंग उत्पाद संरूपण, मल्टी चैनल, क्षमता आदि को बल प्रदान करने के लिए अद्यतन साफ्टवेयर अप्लिकेशन सहित विदेशी सीबीएस के तहत लाया गया है।

नेटवर्क कनेक्टिविटी:

बैंक ने नेटवर्क कनेक्टिविटी को सुधारने पर अधिक बल दिया है और हाल ही में कुछ निम्नवत सुधार लाए गए हैं:

- पोर्टल द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रदान किए गए संपर्क मार्गों और सभी शाखाओं की नेटवर्क निगरानी। नेटवर्क के विषयों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने के लिए क्षे.म.प्र.का. (एफजीएमओ) एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेषज्ञ इंजीनियरों को प्रतिनियुक्त किया गया है।
- बैक-अप कनेक्टिविटी के रूप में 783 शाखाओं को वी सेट (वीएसएटी) प्रदान किए गए हैं।
- 3300 शाखाओं को 512 केबीपीएस या उससे अधिकवाले बैंडविड्थ दिए गए हैं।
- 1635 शाखाएं 512 केबीपीएस और उससे अधिक के बैंडविड्थ से प्राथमिक और अनुषंगी दोनों के साथ कार्य कर रही है।
- इन स्थानों में स्थिरता और नेटवर्क निष्पादन को सुधारने हेतु एमपीएलएस ने दिनांक 31.03.2016 को 3485 संपर्कों को प्राथमिक संपर्कों के रूप में और 2245 संपर्कों को अनुषंगी संपर्कों के रूप में अधिकृत किया है और 1100 संपर्कों को एचएसडी प्रौद्योगिकी से यूबीआर प्रौद्योगिकी में बदल दिया है।
- एमपीएलएस माइग्रेशन परियोजना को बीएसएनएल लीज़ड लाइन का काम पूरा होने पर सभी समूहन स्थान के संगठनों को हटा दिया जाएगा जो समूहन स्तर के अलगाव को दूर करेगा और कनेक्टिविटी को सुधारेगा।
- 4 जी आंकडे, जो अभी कुछ शाखाओं में परीक्षण हेतु चल रहे हैं, उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

वितरण चैनल

एटीएम नेटवर्क:

31.03.2016 की स्थिति के अनुसार सारे देश में बैंक के 3730 एटीएम कार्यरत हैं। बैंक के पास एटीएम एवं पीओएस टर्मिनलों की वैश्विक पहुँच के लिए 124.85 लाख से अधिक का कार्ड आधार है। बैंक ने हर शाखा को एक एटीएम/सीडी और पुराने एटीएम का प्रतिस्थापन के तहत सीडीयाँ प्रदान की हैं। एटीएम/सीडी से रहित शाखाओं में एटीएम/सीडी उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग के निदेशों के अनुपालन में 3251 नकदी वितरण मशीनों की संस्थापना की है। बैंक ने नवीनतम विशेषतावाले एटीएम से 1141 पुराने मशीनों को बदल दिया है।

हमारे खातेदारों के खातों में नकद जमा करने के लिए खातेदारों से अन्य लोगों के समर्थ बनाने हेतु बीएनए में कार्ड रहित लेन-देनों को प्रवर्तित किया गया है।

Bank has acquired new Enterprise Class Storage System based on latest technology & solid state hard disks which will substantially improve the performance and reduce the EOD/BOD window and facilitate having multiple copies of databases for report generation and MIS activities.

CBS for London Branch

Our overseas branch at London has been brought under overseas CBS with the latest software application having capabilities to support customer focused banking, product configuration, multi-channel capability, etc.

Network Connectivity

Bank has given major emphasis for improving the Network connectivity and some of the recent improvements are given below:

- Network monitoring of all the branches and links access provided to all Regional Offices via portal. Specialist Engineers have been deployed at FGMO's & other important locations to facilitate attending network issues on priority.
- VSAT's are provided to 783 branches as backup connectivity.
- 3300 branches are provided with bandwidth of 512 Kbps or above.
- 1635 branches are working with both their primary and secondary connection of 512 Kbps and above Bandwidth.
- As on 31.03.2016, MPLS has commissioned 3485 as primary links and 2245 as Secondary links to Branches/Offices and migrated 1100 Links from HSD Technology to UBR Technology to improve the stability and network performance in these locations.
- Upon completion of the BSNL Leased Line to MPLS migration project, all the Aggregation point setups will be removed and helps in preventing the Aggregation level isolation and improves the connectivity.
- Process is initiated for providing 4G data and is presently under testing in few branches.

DELIVERY CHANNELS

ATM Network

Bank has operationalised 3730 ATMs as on 31.03.2016, spread across the country. Bank has a Card-base of over 124.85 Lakh for global access to ATMs and POS Terminals. Bank has provided CDs under one ATM/CD to each branch and replacement of old ATMs. Bank has already installed 3251 Cash Dispensers to comply with the directions of DFS for providing to branches where there is no ATM/CD. Bank has replaced 1141 old ATMs with latest featured ATMs.

Card-less Transactions in BNAs to enable other than account holders to deposit cash in the accounts of our account holders is introduced.

इंटरनेट बैंकिंग

बैंक ने, एक नए उच्च स्तर वाले इंटरनेट बैंकिंग को अपनाया है और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए सुधारित इंटरनेट बैंकिंग में निम्नांकित विशेषताएं जोड़ दी गई हैं:

- एक बारगी पासवर्ड की शुरुआत
- आईबी साइट में सुधार
- इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आईएमपीएस सुविधा की शुरुआत।
- एनईएफटी का बेहतर हिताधिकारी अनुरक्षण
- थोक भुगतानों के साथ मीयादी जमा कारपोरेट माड्यूल के विशिष्ट उत्पादों को खोलना/बंद करना, साखपत्रों (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी) का निरीक्षण
- मीयादी जमाराशियों का आनलाइन खोला जाना और उसका निर्मोचन
- ऋण खातों में आनलाइन चुकौती
- ग्राहक के साख पत्रों का निरीक्षण
- ग्राहक के बकाया बैंक गारंटियों का निरीक्षण
- कर और बिल का भुगतान
- मल्टिपल ब्राउजरों के लिए समर्थन

एक बारगी पासवर्ड का प्रयोग करने वाले ग्राहकों के लिए प्रमाणीकरण के एक अतिरिक्त दूसरे तत्व के रूप में इंटरनेट बैंकिंग में एक बारगी पासवर्ड आधारित प्रमाणीकरण की शुरुआत हुई है। यदि ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो ग्राहकों को आनलाइन यूजर क्रिएशन हेतु भी सुविधाओं की शुरुआत की गई है। यदि ग्राहक अपने प्रमाणक भूल गए हैं तो अब ग्राहक अपने प्रमाणक ऑनलाइन फिर से स्थापित कर सकते हैं।

31.03.2016 की स्थिति के अनुसार इंटरनेट बैंकिंग के उपयोगकर्ताओं की संख्या 9.75 लाख है।

मोबाइल बैंकिंग

मोबाइल बैंकिंग को एक नए वर्जन में स्तरोन्नत कर दिया गया है जिसमें अच्छा प्रयोक्ता इंटरफेस (यूआई) और वर्धित प्रयोक्ता अनुभव (यूएक्स) हैं। इस अनुप्रयोग से अपने एमएमआईडी को जानिए, उपयोगिता बिल के भुगतान, टिकट निकालना, प्रतिफल प्राप्त करने जैसी नवीनतम विशेषताएँ और सुविधाएँ मौजूद हैं। मोबाइल बैंकिंग के स्वरूप एवं प्रकृति को सुधारित कर दिया गया है।

मोबाईल बैंकिंग उपयोगर्ताओं की संख्या जो 31 मार्च 2015 को 1.51 लाख थी, 31 मार्च 2016 को बढ़कर 2.82 लाख हो गई है।

एसएमएस बैंकिंग

बैंक ने ग्राहकों के खातों में हुई लेन-देन की सूचना उन्हें तुरंत देने के लिए एसएमएस बैंकिंग को शुरुआत की है। एसएमएस बैंकिंग सुविधा का लाभ उठानेवालों की संख्या 31 मार्च 2015 को 14.89 लाख थी जो 31 मार्च 2016 को बढ़कर 20.47 लाख हो गई है।

मिस्डकॉल बैंकिंग

मोबाइल पर मिस्ड काल द्वारा ग्राहक अपने कासा खाते में बकाया शेषराशि का पता कर सकते हैं जिसके लिए मिस्ड कॉल बैंकिंग सुविधा की शुरुआत की गई है। इस सुविधा हेतु पंजीकृत ग्राहक, 9241442255 पर मिस्ड कॉल करके अपने इति शेष की सूचना प्राप्त करेगा। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार

Internet Banking

Bank has upgraded to a new higher version of Internet Banking Solution and to provide better customer service, following features were added to the improved version. Additional features of the Internet Banking Module are as under:

- One Time Password is introduced.
- Look and Feel of IB site is improved.
- IMPS facility through Internet Banking introduced.
- Better Beneficiary Maintenance of NEFT.
- Opening/Closing of specific Products of Term Deposit Corporate Module with Bulk Payments, Viewing LCs/ BGs
- Online Opening and Redemption of Term Deposit
- Online repayment towards Loan Account
- Viewing of Letters of Credits of the customer
- Viewing of Outstanding Bank Guarantees of the Customer
- Payment of Taxes and Bill payments
- Support for multiple Browsers.

One Time Password based authentication system has been introduced in the Internet Banking as an additional 2nd factor of authentication for customers using only transaction password. We have also introduced facilities to customers for Online User Creation in-case they do not have Internet Banking facility. Now customers can also reset their credentials online in-case they have forgotten their credentials.

Internet banking facility-User base stands at 9.75 lakh as on 31.03.2016.

Mobile Banking

Mobile Banking application has been upgraded to a new version which has a richer User Interface (UI) and enhanced User Experience (UX). This application accommodates newer features and facilities such as Know your MMID, Utility Bill Payments, Ticketing, Rewards etc. Look and feel of the Mobile Banking application has been improved.

The number of mobile banking users is increased to 2.82 Lakhs as on 31.03.2016 from 1.51 Lakh as on 31.03.2015.

SMS Banking

Bank has introduced SMS Banking to inform the customer immediately when a transaction occurs in their account. The number of customers who have availed SMS Banking facility has grown to 20.47 Lakh as on 31.03.2016 from 14.89 Lakh as on 31.03.2015.

Missed Call Banking

Missed Call Banking facility has been introduced that enable the customers to know their Balance Outstanding in their latest CASA Account, through a missed call to the number 9241442255. Customer registered for this facility will get balance on giving missed call to the given

1.74 लाख उपयोगकर्ता इस सुविधा हेतु पंजीकरण करा चुके हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीय भुगतान प्रणाली – आरटीजीएस/ एनईएफटी

हमारा बैंक 3880 शाखाओं/कार्यालयों के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के अंतर्गत एनईएफटी तथा आरटीजीएस, दोनों के लिए निधि अंतरण की सुविधा प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 3.03 करोड़ एनईएफटी लेन-देन और 18.63 लाख आरटीजीएस लेन-देन हुए।

कोर बैंकिंग में सरकारी कारोबार मॉड्यूल का कार्यान्वयन

बैंक ने सरकारी कारोबार मोड्युल (जीबीएम) से निम्न को कवर किया है पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससएएलएस), भा.रि.बैं. रिलीफ बॉण्ड, ओल्टास, ईजिएस्ट, विभिन्न राज्यों के लिए राज्य कर की वसूली आदि।

स्टॉफ के लिए सीबीएस में बायोमेट्रिक लॉगिन

सीबीएस सिस्टम में कार्य करने हेतु स्टॉफ को एक्सेस करने के लिए बॉयोमेट्रिक लॉगिन कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे पहचान संबंधी वंचन और अनुषंगिक धोखाधडियों को रोका जा सकता है। यह परियोजना समग्र रूप से सारे देश में कार्यान्वित है।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस):

एचआरएमएस के अंतर्गत कर्मचारियों से संबंधित सभी विवरण/प्रोफाइल, छुट्टी अभिलेख, निष्पादन मूल्यांकन, आस्ति एवं देयताएँ आदि सामान्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से आते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादन मूल्यांकन एचआरएमएस के माध्यम से स्वीकार किए गए हैं और अन्य मोड्युल का कार्यान्वयन जारी है।

एएलएम/एटीपी अनुप्रयोग

परिवर्तित हो रही चलानिधि और ब्याज में परिवर्तन आदि के अनुरूप बैंक की आस्ति देयता का ऑनलाइन निगरानी हमें बेहतर जोखिम प्रबंधन और कार्यनीति आयोजना करने में समर्थ बनाता है। यह प्रोजेक्ट कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है।

डिजिटल मीडिया साइनेज:

डिजिटल साइनेज, विज्ञापन का एक आसान और किफायती तरीका है जिसमें, निर्दिष्ट स्थानों पर हमारे उत्पादों से संबंधित संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से डिजिटल मीडिया पर विडियो कंटेन्ट, विज्ञापन और संदेशों को प्रदर्शित किया जाता है। डिजिटल साइनेज कंटेन्ट को बारंबार और आसानी से अद्यतन किया जा सकता है तथा आवश्यकतानुसार संदेश में परिवर्तन भी संभव है, जैसे, समयानुसार संदेश में परिवर्तन, कारोबार को प्रभावित करनेवाले घटकों या वर्ष के मौसम पर आधारित परिवर्तन। उसकी स्थापना विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में प्रगति पर है और 150 स्थानों पर इसे लगा दिया गया है। उसे 1500 शहरी शाखाओं में विस्तृत करने और अनुवर्ती रूप से 1000 अर्धशहरी शाखाओं में विस्तृत करने का प्रस्ताव भी किया गया है।

सीबीएस साफ्टवेयर में ग्राहक सुविधाएँ

कासा:

- कासा में चालू खाता एनआरओ नामक एक नए उत्पाद का सृजन किया गया है ताकि एनआरओ ग्राहकों को बैंक में चालू खाता खोलने और संबंधित संव्यवहार करने में सुविधा हो सके।

number. 1.74 Lakh users have registered for this facility as on 31.03.2016.

Centralized Payments System of RBI – RTGS/NEFT

The Bank is offering NEFT and RTGS, the Fund Transfer facility among the Banks, under the RBI's Centralized Payments System, through 3880 branches/Offices for both RTGS and NEFT. During Financial year 2015-16, there were 3.03 crore NEFT transactions and 18.63 lakhs RTGS transactions.

Implementation of Govt. Business Module in Core Banking

Bank has procured Govt. Business Module (GBM) covering PPF, Senior Citizen Savings Schemes (SCSS), RBI Relief Bonds, OLTAS, EASIEST, Collection of State Tax for various States, etc.

Biometric Login for Staff to CBS

Biometric Login has been implemented to provide access to staff logging into CBS system. This will prevent identity theft & consequential frauds. The Project as a whole is implemented across the bank.

Human Resources Management System (HRMS)

HRMS project is being implemented to bring all the details / Profile of Employees, Leave Record, Performance Appraisal, Assets & Liabilities, etc through the common software. Performance appraisals are accepted through HRMS during the Financial Year and other modules are under implementation.

ALM / FTP Application

Online monitoring of the asset liability of the Bank in accordance with the varying liquidity and interest changes etc. thereby enables us to do better Risk Management and Strategic Planning. The Project is in advanced stage of implementation.

Digital Media Signage

Digital signage is an easy, low-cost way to advertising in which video content, advertisements, and messages are displayed on digital media with the goal of delivering messages about our products in specific locations. Digital signage content may be frequently and easily updated and allows changing of message as needed, and to vary the message based on time of day, season of the year or whatever factors impact the business. Installation of the same is in progress at various branches /offices and installation completed in 150 locations. It is also proposed to expand the same in 1500 Urban branches with subsequent extension to 1000 Semi-Urban branches.

Customisations in CBS software

CASA

- Current Account NRO New Product is created in CASA to enable NROs to open current accounts in the Bank and do the related transactions.

- समाशोधन में ₹ 1.00 करोड़ और उससे अधिक राशि के लिखतों पर चेक वापसी प्रभार लागू कर लिया गया है और अब प्रणाली स्वत: प्रभारों को नामे डालती है।

मीयादी जमाराशि:

टीडीएस में वृद्धि:

- बैंक/न्यास/न्यायालयीन जमाराशि/बीमा जैसे कतिपय प्रकार ग्राहक के लिए टीडीएस में छूट देते हेतु पैन के वैधीकरण से छूट
- पे-ऑउट प्रकार के उत्पादों में मीयादी जमाराशि ब्याज की कुल जमा पर कासा खाते से टीडीएस की कटौती।
- वर्तमान एवं भावी वित्तीय वर्षों के लिए टीडीएस छूट को चिह्नित करना।
- जमाराशियों पर कटौती की गई टीडीएस को पुन: जमा करना और ब्याज राशि के हिस्से पर टीडीएस वसूल करना।

ऋण :

- ऋण की पुनर्व्यवस्था/भुगतान अनुसूची का पुनर्निर्धारण संबंधी परिवर्तन: ऋणों की पुनर्व्यवस्था एवं भुगतान अनुसूची का पुनर्निर्धारण करते समय समानुपातिक मासिक किश्तवाले ऋण में/स्टाफ से संबंधित निधिक ब्याज ऋण की अवधि में परिवर्तन, बकाया राशि का पूँजीकरण करते हुए/किए बिना अधिस्थगन जैसे ढेर सारे लचीलापन लाए गए हैं।
- एसकेसीसी (सिंडकिसान क्रेबिट कार्ड) ब्याज सहायता अभिकलन अब ग्राहक स्तर पर की जाती है ताकि ब्याज सहायता लाभ से संबंधित पात्रता को ₹3.00 लाख तक की एसकेसीसी बकाया राशि के लिए प्रतिबंधित किया जा सके।
- महीने के अंत तक के दौरान, 121, 126, 128 एवं 131 जैसे चयनित उत्पादों के अंतर्गत शून्य शेषवाले कासा खातों को स्वत: बंद करने से परिचालन क्षमता बढ़ती है।

ग्राहक केंद्रित पहल

सिंड ई-पासबुक:

सिंड ई-पासबुक समाधान एक स्मार्टफोन एप्लिकेशन है जिसे बढ़ते हुए टेक-सेवी ग्राहक आधार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह एक सुविधाजनक और सुरक्षित मोबाइल एप्प है जिससे हमारे स्मार्ट फोन पर हमारे खाते के ब्यौरे तथा विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं। मोबाइल पर डिजिटल पासबुक की सुविधा प्रदान करने की यह एक हरित पहल है। बैंक का यह एक लोकप्रिय उत्पाद है और दि. 31.03.2016 की स्थिति में, 1.64 लाख प्रयोक्ताओं के एप्लीकेशन के लिए पंजीकरण किया गया है।

बंच नोट एक्सेप्टर (बीएनए)

बैंक ने ग्राहकों से एक साथ सारे नकद स्वीकार करने के लिए चयनित बाजार क्षेत्र में बीएनए स्थापित करने हेतु 100 बीएनए लिए हैं। ग्राहक अपने खाते में नकद जमा/आहरण एवं रसीद जारी करने हेतु 24x7 आधार पर ऑन-लाइन जमा/नामे कर सकते हैं। बीएनए को यह क्षमता है कि वह नोटों को पहचानता है और गैर बैंक नोट, जाली नोट एवं संदेहजनक बैंक नोटों को अस्वीकार करता है।

ई-लाउंज

40 चिन्हित केंद्रों में तीन प्रकार के ग्राहक कियोस्क (पासबुक मुद्रण, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा एवं चेक जमा सुविधा) उपलब्ध कराए गए हैं ताकि ग्राहकों को 24x7 आधार पर सेवा प्राप्त हो सके। इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क में 200 पासबुक कियोस्क एवं 50 चेक बुक कियोस्क के लिए आदेश दिए गए हैं।

- Cheque return charges for ₹1.00 crore and above instruments is implemented in clearing and now system debits the charges automatically.

Term Deposit

TDS Enhancements:

- Exclusion of PAN validation for TDS waiver for certain customer types like Banks/Trusts/Court deposits/ Insurance etc.
- Gross credit of Term deposit interest in Payout Type products and deduction of TDS from CASA account.
- Marking of TDS waiver for current and future financial years.
- Re-credit of TDS back to deposits and recovery of TDS from interest portion.

Loans

- Rescheduling/Restructuring Changes: Lot of flexibility is made in EMI /staff funded interest loans like change of term, moratorium with/ without capitalization of arrears in rescheduling / restructuring.
- SKCC(Synd Kisan Credit Card) interest subvention computation is now made at customer level to restrict the eligibility for subvention interest benefit for SKCC outstanding amount up to ₹ 3.00 lakh.
- Automatic closure of CASA accounts with zero balances under select products like 121,126,128 and 131 during the month end which will enhance operational efficiency.

Customer-centric Initiatives

Synd e-Passbook

Synd e-Passbook solution is a Smartphone application to cater to the ever growing tech savvy customer base. It is a convenient and secure mobile app to get our account details and statements on our Smartphone. It's a green initiative of providing Digital Passbook facility on mobile. It is one of the popular products of the Bank and as on 31.03.2016, 1.64 lakh users have registered for the application.

Bunch Note Acceptors (BNA)

Bank has procured 100 Nos. of BNAs for installation in select market areas for accepting bulk cash from the customers. Customers get on-line credit / debit to the account for cash deposit/ withdrawal and issues receipt on 24×7 basis. BNA has the capability to identify and reject Non-Bank Note, Counterfeit and Suspicious Bank Notes.

E-lounge

Three types of Customer Kiosks are provided (Passbook Printing, Internet Banking facility and Cheque Deposit facility) in 40 identified locations to enable the customers to have access on 24 X 7 basis. Orders have been placed for 200 Nos. each of Passbook kiosk & Cheque deposit kiosk along with 50 Nos. of Internet Banking Kiosks.

ई–केवाईसी समाधान:

मुख्य बातें–

- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का इस्तेमाल करते हुए युआईडीएआई के साथ उपलब्ध सूचना को प्राप्त करते हुए कागज का उपयोग किए बिना ग्राहकों की विश्वसनीयता की जाँच की जाती है।
- यह सभी माइक्रो एटीएम में उपलब्ध है।
- करीब 2700 शाखाओं में यह प्रचालन में है।

सरकार द्वारा प्रायोजित पहल

पीएमजेडीवाई खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा

पीएमजेडीवाई के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के त्वरित निपटान हेतु शाखाओं को मदद करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सीबीएस से डाटा प्राप्त करके पात्रता मानदंड को जाँच करने के लिए एक सिद्धांत (सेवा) को विकसित किया है। यह सुविधा (सेवा), योजना के अंतर्गत पात्र राशि का परिकलन करता है और प्रक्रिया नोट एवं मंजूरी पत्र तैयार करता है और ऐसे 1.34 लाख ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई इंश्यूरेंस मोड्यूल

बैंक ने पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई बीमा योजना के अंतर्गत पंजीयन हेतु ग्राहकों को एक सुविधा उपलब्ध कराया है। एसएमएस आधारित पंजीयन स्थिति की जाँच–पड़ताल सुविधा भी उपलब्ध है।

हमारे बैंक में गैर–आधार कार्ड सक्षम डीबीटीएल संव्यवहार:

बैंक में यह योजना निर्बाध रूप से चल रही है और आधार संख्या एवं खाता संख्या (गैर–आधार कार्ड) दोनों के आधार पर संव्यवहार हो रहा है।

वित्तीय समावेशन (एफआई) गेटवे

एफआई संव्यवहारों का अंतर परिचालन को सुसाध्य बनानेवाला एफ आई गेटवे सोल्यूशन को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। यह एईपीएस (आधार आधारित भुगतान प्रणाली) संव्यवहारों को भी सुसाध्य बनाता है।

आधार से जुडी पहल

- **आधार सीडिंग**
  ग्राहक अपने आधार संख्या को अपने ग्राहक आईडी के साथ जोडने के लिए अनुरोध कर सकता है और एलपीजी (डीबीटीएल) के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए उस ग्राहक आईडी के अंतर्गत एक खाते को डिफाल्ट खाता संख्या रूप में प्रस्तुत कर सकता है।
- **आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस)**
  यह ग्राहकों को आधार का उपयोग करते हुए सभी/माइक्रो एटीएम से वित्तीय संव्यवहार करने में मददगार है।
- **आधार मैपिंग स्थिति**
  ग्राहकों को आधार खाता संयोजन की स्थिति की जाँच के लिए भी हमारे वेबसाइट में एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

हरित पहल का कार्यान्वयन

ए) बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा कागजरहित अनुपालन को स्वीकार करते हुए ''कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल'' के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की है। बैंक ने उन ग्राहकों/निवेशकों को वार्षिक रिपोर्टों की सॉफ्ट प्रतियाँ भेजना शुरू कर दिया है, जिन्होंने बैंक के रजिस्ट्रार तथा

E-KYC Solution:

Salient features are -

- Customer's credentials verified without carrying any paper by accessing information available with UIDAI using biometric authentication.
- Available at all Micro ATMs.
- This is operational in about 2700 branches.

Govt Sponsored Initiatives

Overdraft facility in PMJDY accounts

To facilitate branches in speedier disposal of applications received under PMJDY, DIT has developed a utility to check eligibility criteria by fetching data from CBS. The utility calculates eligible amount under the scheme and also generates process note and sanction letter and such overdraft facilities have been provided to1.34 Lakh Customers.

PMJJBY & PMSBY Insurance Module

Bank has provided a utility to the customers to enroll for the PMJJBY & PMSBY Insurance schemes. SMS based Enrolment Status enquiry utility is also made available.

Non-Aadhaar based DBTL transactions in our Bank:

Bank has enabled smooth functioning of the scheme and transactions will happen both on Aadhaar Number as well as Account Number (Non-Aadhaar) basis.

Financial Inclusion (FI) Gateway

FI Gateway solutions, which facilitates Interoperability of FI transactions has been successfully implemented. This also facilitates AEPS (Aadhaar Enabled Payment Systems) transactions.

Aadhaar linked Initiatives

- **Aadhar seeding**
  Customer can place request for linking of his/her Aadhaar Number with his/her Customer ID and map one account under that Customer ID as default account number for receiving subsidy under Direct Benefit Transfer for LPG (DBTL).
- **Aadhaar Enabled Payment Systems (AEPS)**
  It enables the customers to use AADHAAR for the financial transaction across Micro ATMS.
- **Aadhaar Mapping Status**
  An utility is also provided in our website for the customers to verify Aadhaar account linkage.

IMPLEMENTATION OF GREEN INITIATIVES

a) Bank has taken steps towards implementation of "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances through electronic mode. Bank has been sending soft copies of Annual Report to those members / investors who have registered their email IDs with M/s. Karvy Computershare (P) Ltd.,

शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर (प्रा) लि. के पास अपना ई मेल पता दर्ज करा लिया है। बैंक, कागज आधारित अदायगी लिखतों के प्रयोग के बजाय वैकल्पिक माध्यमों के प्रयोग को निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है।

बी) इस विषय पर कई महत्वपूर्ण बैठकें एवं विचार-विमर्श हुए हैं कि यथासंभव सूचनाओं/आंकड़ों को सॉफ्ट प्रतियों में रखा जाए।

सी) बैंकों द्वारा कॉरपोरेट ई-मेल की सुविधा और इन्ट्रा-नेट आधारित आईपी मेसेज प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कागज़ आधारित संप्रेषण पर निर्भरता में कमी आ रही है।

डी) बैंक में प्रयोक्ताओं द्वारा मांगी जानेवाली विभिन्न आवधिक तथा तदर्थ रिपार्टें इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि, कागज़ आधारित रिपोर्टों पर निर्भरता को दूर किया जा सके।

ई) बांड धारकों/वेंडरों के खातों में प्रत्यक्ष रूप से राशि जमा कर हरित पहल का 100% अनुपालन करते हुए कागज़ आधारित भुगतानों को पूरी तरह से समाप्त करने की पहल की जा रही है।

एफ) बैंक द्वारा खाताधारकों के लिए कागज की बचत करने के उद्देश्य से ई-पासबुक की सुविधा प्रारंभ की गई है ।

जी) बैंक ने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु ऑन-लाइन आवेदन पत्र की सुविधा भी प्रदान की है ।

अन्य सेवाएँ

सुरक्षा जमा लॉकर:

- लॉकर सुविधा वाली सभी शाखाओं में सुरक्षा जमा लॉकर के कुशल प्रबंधन के लिए लॉकर मॉड्यूल सॉफ्टवेयर क्रियान्वित की गई है।
- ग्राहकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से लॉकर प्रभार को उचित किराया करके स्पर्धात्मक बनाया गया है।

नकदी प्रबंधन:

- नकदी जमा अनुपात (सीडीआर); दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 0.40% के स्तर पर बना हुआ है।
- हमारी मुद्रा तिजोरी और आपूरण केंद्रों से संबंधित सभी कैश वैन जीपीआरएस युक्त हैं।

मुद्रा प्रबंधन:

- वर्तमान में 47 मुद्रा तिजोरियाँ हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वच्छ नोट नीति का अनुपालन किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अनुसार, शाखाओं एवं मुद्रा तिजोरियों में नोट छंटाई मशीन उपलब्ध कराई जानी है। तदनुसार सभी मुद्रा तिजोरियों को भारी कार्यक्षमता वाली एनएसएम उपलब्ध कराई गई है। अधिकतर शाखाओं में एनएसएम/नोट काउंटिंग मशीन उपलब्ध कराई गई है। शेष सभी शाखाओं में एनएसएम/नोट काउंटिंग मशीन को उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने कदम उठाया है।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली(सीटीएस):

सीटीएस को दिनांक 01.04.2013 से अनिवार्य कर दिया गया है और बैंक ने निम्नलिखित को सुनिश्चित किया है।

- समस्त शाखाओं/खाताधारकों को सीटीएस-2010 मानक के अनुरूप चेक जारी किए गए।

Registrar and Share Transfer Agents of the Bank. Bank is actively encouraging transactions through alternative channels to reduce the usage of paper based payment instruments.

b) Discussions/proceedings of several important meetings are held where the required information/data is kept in the form of soft copies as far as possible.

c) Bank is using corporate e-mail facility and intra-net based IP messaging system and thus reducing dependency on paper based communication.

d) Various periodical and ad hoc reports required by the users across the Bank are being provided in an electronic form obviating the need for paper based reports.

e) 100 % adherence to Green Initiative by Direct Credit to accounts of Bond Holders / Vendors, there by totally eliminating paper based payments.

f) Bank has introduced e-passbook facility for account holders to save papers.

g) Bank has also provided facilities for on-line application to customers for availing various type of loans.

OTHER SERVICES

SAFE- DEPOSIT LOCKERS

- Locker Module Software for efficient Management of Safe Deposit Lockers implemented in all branches having Locker facility.
- Locker Charges made competitive with reasonable rental charges to benefit cross section of the clientele.

CASH MANAGEMENT:

- Cash Deposit Ratio (CDR) is maintained at a level of 0.40% as on 31.03.2016.
- All the Cash Vans attached to our Currency Chest Cash and Pooling Centers are GPRS enabled.

CURRENCY MANAGEMENT

- At present there are 47 Currency Chests.
- Clean Note Policy as per RBI directions is implemented. Under RBI Clean Note Policy, banks are required to provide Note Sorting Machines (NSMs) to Branches and Currency Chests. Accordingly all Currency Chests are provided with Heavy Duty NSMs. Many of the branches were provided with NSMs/ Note Counting Machines. Bank has taken steps to provide NSMs/ Note Counting Machines in all remaining branches.

CHEQUE TRUNCATION SYSTEM (CTS)

CTS is mandatory from 01.04.2013 and Bank has ensured the following:

- CTS-2010 Standard complaint Cheque books issued to all branches/account holders.

- जारी किए गए मां.ड्रा. भी सीटीएस के अनुकूल हैं।
- पुराने चेकों के संव्यवहार के संबंध में सभी शाखाओं को विशेष दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

सीटीएस समाशोधन की गतिविधियाँ ग्रिड-आधारित हैं। इसे देश की सभी शाखाओं में कार्यान्वित किया गया है।

एनपीसीआई का एनएसीएच प्लेटफार्म

बैंक ने वर्ष के दौरान वर्तमान ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा)लेनदेन आरईसीएस (क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा) से एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) के एनएसीएच (राष्ट्रीय स्वत: समाशोधन गृह) प्लेटफार्म में स्थानांतरित किया है।

डीईएएफ:

भारतीय रिज़र्व बैंक की जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि योजना का जून 2014 से कार्यान्वयन किया गया है।

केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी)

बैंक ने केंद्रीय सिविल, केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानी, टेलीकॉम, डाक एवं रक्षा पेंशनों को सरकारी कारोबार मॉडयूल (जीबीएम) में पहले ही स्थानांतरित कर दिया है, जिसके लिए बैंक को संबंधित पेंशन मंजूरी प्राधिकारी और आरबीआई मुंबई से अनुमति मिली है और सीपीपीसी द्वारा इसका संचालन ठीक तरह से किया जा रहा है। सभी पेंशन मंजूरी प्राधिकारी को नियमित रूप से ई-स्क्रॉल प्रस्तुत किया जाता है। हम दिसम्बर 2015 से पीसीडीए(पी), इलाहाबाद को ई-स्क्रॉल भेजना प्रारम्भ कर चुके हैं। रेलवे पेंशनों को सरकारी कारोबार मॉड्यूल में स्थानांतरण करने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। रक्षा पेंशन और रेलवे पेंशन हेतु ई-पीपीओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया भी प्रगति पर है।

मानव संसाधन विकास

मानव पूँजी

बैंक अपने कर्मचारियों को अत्यंत स्पंदनशील एवं मूल्यवान आस्ति के रूप में सम्मान देता है। बैंक की भविष्य दृष्टि एवं लक्ष्य को हासिल करने के लिए मानव पूँजी का विकास करने में मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

बैंकिंग क्षेत्र में भविष्य की मानव संसाधन संबंधी चुनौतियों का सामना करने हेतु मानवशक्ति का विकास करने तथा उसे बनाए रखने के लिए बैंक, मानव संसाधन आयाम पर सकेंद्रित है। करियर विकास के अवसर प्रदान कर तथा प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों में व्यावहारिक हस्तक्षेप के माध्यम से इसे प्राप्त करने हेतु हम प्रयासरत हैं।

कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं उनके विकास पर निवेश करते हुए बैंक ने स्टाफ सदस्यों को नई एच.आर. चुनौतियों को संभालने के लिए सक्षम बनाया है ताकि वे भविष्य के लिए तैयार रहें।

- The DDs issued are also CTS enabled.
- Specific guidelines issued to the branches regarding procedure for dealing with old cheques.

CTS clearing activities is Grid-based and is implemented throughout the country covering all our branches.

NACH platform of NPCI

Bank has migrated existing ECS (Electronic Clearing Service) transactions from RECS (Regional Electronic Clearing Service) to NACH (National Automatic Clearing House) platform of NPCI (National Payment Corporation of India) during the year.

DEAF

Depositor Education Awareness Fund scheme of Reserve Bank of India has been implemented since June 2014.

CENTRAL PENSION PROCESSING CENTRE (CPPC)

The Bank has already migrated Central Civil, Central Freedom Fighter, Telecom, Postal and Defence Pensions into Govt. Business Module for which Bank has received the approvals from the concerned Pension Sanctioning Authorities and RBI Mumbai and the same is handled through CPPC smoothly. E-Scrolls are being submitted to all the Pension Sanctioning Authorities regularly. We have started submitting the e-Scrolls to PCDA (P), Allahabad from Dec 2015. The process of migration of Railway Pensions into Govt. Business Module is also in progress. The process of implementation of e-PPO for Defence Pensions and Railway Pensions also is in progress.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Human Capital

Bank recognizes its employees as the most vibrant and valuable asset. HR plays a paramount role in developing human capital in tune with the Vision and Mission of the Bank.

Bank is constantly focussing on HR dimension by developing and retaining the workforce to meet the future HR challenges in the Banking Sector. We are geared up to achieve the same through pragmatic interventions in training and development and creating career growth opportunities.

Investment in employees' training and development has enabled the Bank to prepare the staff members to handle new HR challenges and make them 'future ready'.

31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, बैंक की मानव पूँजी निम्नानुसार है:

वर्ग	31.03.2015	31.03.2016
अधिकारी	12838	14299
लिपिक	10553	11008
अधीनस्थ कर्मचारी	4055	4508
सफाई कर्मचारी	1688	2282
कुल	29134	32097

नियुक्ति योजना

बैंक ने विपणन, राजभाषा, विधि, सनदी लेखाकार, ग्रामीण विकास अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और अर्थशास्त्र आदि विशेषज्ञ क्षेत्रों के लिए कुशल मानवशक्ति को नियुक्त करने हेतु सीधी भर्ती की है। भावी आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुसार कुशलता की कमियों की समीक्षा आवधिक रूप से की जा रही है तथा कुशलता की कमियों को पूरा करने के लिए व्यावसायिक अर्हता से संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।

बैंक ने वर्ष 2015-16 के लिए सीडब्ल्यूई -IV के अंतर्गत आईबीपीएस द्वारा आयोजित सामान्य भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया है और वर्ष के दौरान 1470 परिवीक्षाधीन अधिकारियों और 1663 परिवीक्षाधीन लिपिकों की भर्ती की है।

बैंक द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान दिनांक 31.03.2016 तक भर्ती किए गए विशेषज्ञ अधिकारियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	पद	नियुक्त
1.	विपणन अधिकारी	24
2.	राभा/हिंदी अधिकारी	13
3.	ग्रामीण विकास अधिकारी	227
4.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	49
	कुल विशेषज्ञ अधिकारी	**313**

कैरियर प्रगति

बैंक शीघ्रतर कैरियर प्रगति हेतु कर्मचारियों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने कर्मचारियों को अधिकतम अवसर प्रदान करता है और उच्चतर जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। उत्कृष्ट निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु पदोन्नति नीति का भी परिष्करण किया गया है जो उत्तराधिकार योजना के अनुरूप है।

प्रतिभा वृद्धि एवं प्रतिधारण

बैंक, प्रतिभा वृद्धि व प्रतिधारण के उद्देश्य से विभिन्न व्यावसायिक परीक्षाओं जैसे एनआईएसएम, आईआरडीए, सीआईएसए, सीआईएसएसपी, ओराकल, जोखिम प्रबंधन परीक्षाएँ, आईआईबीएफ से आयोजित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के अलावा परीक्षा शुल्क की भी प्रतिपूर्ति कर रहा है।

अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति

बैंक ने वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय/अन्य संगठनों के अनुरोध के अनुसार हमारे अधिकारियों को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग और सीबीआई, डीआरटी, रुडसेटी की राष्ट्रीय अकादमी और भारतीय महिला बैंक लिमिटेड जैसी अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्त किया है।

The Human Capital of the Bank as on 31.03.2016 is as under:

Category	31.03.2015	31.03.2016
Officers	12838	14299
Clerks	10553	11008
Sub staff	4055	4508
Sweepers	1688	2282
Total	29134	32097

Recruitment Planning

Bank had made direct recruitments for inducting skilled manpower in specialized areas like Marketing, Official Language, Law, CA, Rural Development Officers, IT and Economist. It is periodically reviewing the skill gaps and Officers with professional qualifications are recruited to fill up the skill gaps depending upon the future needs and challenges.

The Bank has also participated in the Common Recruitment Process conducted by IBPS under CWE-IV for the year 2015-16 and inducted 1470 Probationary Officers and 1663 Probationary Clerks during the year.

The details of Specialist Officers recruited by the bank during of the year 2015-16 up to 31.03.2016 is shown below:

S.N.	Posts	Joined
1	Marketing Officers	24
2	OL/Hindi Officers	13
3	Rural Development Officers	227
4	IT Officers	49
	Total of Specialist Officers	**313**

Career Progression

The Bank provides optimum opportunities to its employees to fulfil their growing aspirations for faster career progression and motivate them to shoulder higher responsibilities. The promotion policy has also been fine-tuned to reward outstanding performers and is in sync with the succession planning.

Talent Grooming & Retention

Bank is reimbursing examination fees besides paying incentive for passing various professional examinations like NISM, IRDA ,CISA, CISSP, ORACLE, Risk Management Examinations, Courses conducted by IIBF etc. with the objective of talent grooming and retention.

Deputation to Other Organizations

The Bank has deputed our Officers to Ministry of Finance, Department of Financial Services and other organizations like CBI, DRT, National Academy of RUDSETI and Bharatiya Mahila Bank Ltd as per the request of Ministry of Finance, Department of Financial Services/other organizations.

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. को आरक्षण

बैंक ने भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए लागू आरक्षण नीति का अनुसरण किया है तथा सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कठोरता के साथ अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को बैंक में भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण/छूट प्रदान किया है।

प्रधान कार्यालय में एक अलग से अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. कक्ष स्थापित किया गया है जिसमें बैंक में कार्यरत अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण किया जाता है तथा इसके लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में फिलहाल महा प्रबंधक को नामित किया गया है।

उनकी शिकायतों के निवारण हेतु अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण संघों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों में राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. आयोग के अधिकारियों/सदस्यों के निरीक्षण के दौरान मुख्य संपर्क अधिकारी उनके साथ बैठक में भाग लेंगे।

आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की प्रगति को वर्ष में एक बार बोर्ड में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण आधारित रोस्टर बैंक की वेबसाइट में प्रदर्शित है।

हमारे बैंक में मानव संसाधन प्रणाली (एचआरएमएस) का कार्यान्वयन:

हमारे बैंक ने व्यापक एकीकृत एचआरएमएस समाधन को कार्यान्वयन करने के लिए कदम उठाया है जिसमें बैंक कर्मचारी के भर्ती से सेवानिवृत्ति तक के पूर्ण जीवन काल के प्रबंधन की क्षमता है। एचआरएमएस अप्लिकेशन को कार्यान्वित करने के लिए (प्रस्ताव निवेदन) आरएलपी प्रक्रिया के उपरांत प्रणाली समाकलक के रूप में मेसर्स हेवलेट पैकर्ड इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एचपी) का चयन किया गया है। अब एपीएआर आवेदन की प्रक्रिया प्रस्तुति, रिपोर्टिंग, समीक्षा, स्वीकृति एवं उपस्थिति कार्यात्मकता ऑनलाइन है। छुट्टी प्रबंधन का कार्य अंतिम चरण पर है। स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन पत्र, पेंशन जैसे मॉड्यूल चरण बद्ध तरीके से पूरे किये जाएंगे।

स्टाफ कल्याण योजना

बैंक क्वार्टर

धनश्रेय, सेक्टर 17, वशी, नवी मुंबई में 212 आवासीय प्लैट का व्यापक नवीकरण किया गया जिसमें संरचनात्मक मरम्मत, नयी फर्श की उपलब्धता रंगाई आदि शामिल है जो इमारत की आस्ति गुणवत्ता और मूल्य को बढ़ाने के अलावा टिकाऊपन भी लाएगा।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बदले में एकमुश्त अनुग्रह राशि की भुगतान योजना

बैंक ने सेवा में रहते समय मृत होनेवाले कर्मचारियों को और 55 वर्ष पूर्ण होने के पहले विकलांग होने से चिकित्सा आधार पर निवृत्त होनेवाले कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधारित नियुक्ति और अनुकंपा आधारित नियुक्ति के बदले में एक मुश्त क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान के लिए एक योजना बनाई है। यह

Reservation to SC/ST/OBC

The Bank follows the reservation policy for SCs, STs and OBCs as prescribed by Government of India from time to time and has been extending applicable reservations/ concessions to SC/ST/OBC/PWD employees in recruitment/ promotions strictly as per Government guidelines.

A separate SC/ST Cell and OBC Cell are functioning at Head Office to redress the grievances of SC/ST/OBC employees working in the Bank and are currently headed by General Managers designated as Chief Liaison Officer.

Meetings with the representatives of the SC/ST Welfare Associations are held at regular intervals to redress their grievances. The Chief Liaison Officer will participate in meetings with the members /officials of the National Commission for SC/ST during their visits to our Regional Offices.

The progress made in the implementation of the Reservation Policy is placed before the Board once in a Year.

The Post based Reservation Roster is displayed on the website of the bank in compliance to the directions of the Government.

Implementation of HRMS in our Bank.

Our Bank has initiated steps to implement a comprehensive integrated HRMS solution which has the ability to manage the complete lifecycle from hire to retire of the Bank's employees. For implementation of HRMS application, M/s Hewlett Packard India Sales Private Limited (M/s HP) has been identified as System Integrator after following the (Request for Proposal) RFP process. The submission, reporting, reviewing, accepting, appeal process of APAR and attendance functionality is on line now. Leave management is in advance stage of production. Other modules like Transfer, Promotion, Payroll, Pension etc., will be rolled out in phased manner.

STAFF WELFARE MEASURES

Bank's Quarters

Major Renovation of 212 Nos. of residential flats at Dhanashreya, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai has been taken up which includes structural repairs, providing new flooring, painting, etc. which will restore the durability of the building besides increasing the asset quality & value.

Scheme for compassionate appointment and payment of Ex-Gratia lumpsum amount in lieu of compassionate appointment

The Bank has formulated a scheme for appointment on compassionate grounds and payment of Ex-Gratia lumpsum amount in lieu of compassionate appointment to the dependents of the employee dies while in service

योजना उन सभी मामलों से सम्मिलित है जहाँ कर्मचारी की मृत्यु 5.8.2014 को या उसके बाद में हुई हो।

प्रदेय एक मुश्त अनुग्रह राशि की संवर्ग वार सीमा निम्नानुसार है

(₹ में)

संवर्ग	अधिकतम राशि
अधिकारी	8.00 लाख
लिपिक	7.00 लाख
अधीनस्थ कर्मचारी	6.00 लाख

बैंक लूट तथा आतंकवादी घटनाओं में मारे गए बैंक कर्मचारियों को मुआवजा

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक लूट, आतंकवादी तथा वामपंथी उग्रवादी घटनाओं का विरोध करनेवाले बैंक कर्मचारियों एवं आम जनता को प्रोत्साहन और मुआवजा भुगतान के लिए बैंक द्वारा एक योजना बनाई गई है।

मृत्यु होने की स्थिति में, मृतक के परिवार को दी जानेवाली मुआवजा राशि इस प्रकार है:

(₹ में)

संवर्ग	श्रेणी	अधिकतम राशि
बैंक कर्मचारी	अधिकारी	20.00 लाख
	लिपिक/अधीनस्थ कर्मचारी	10.00 लाख
बैंक कर्मचारी के अतिरिक्त	ग्राहक/ आम जनता	3.00 लाख

यदि बैंक कर्मचारी/ग्राहक/आम जनता में से कोई व्यक्ति बैंक-लूट तथा बैंक पर आतंकी हमला का सक्रिय रूप से प्रतिरोध करता है तो बैंक, ₹2.00 लाख तक की इनाम राशि देने पर भी विचार कर सकता है।

मृतक के बच्चों की स्नातक तक की शिक्षा की देखभाल बैंक करता है तथा परिवार के एक सदस्य की तत्काल नौकरी की व्यवस्था भी नियमानुसार बैंक करता है।

प्रशिक्षण और विकास

शीर्ष स्तर पर, सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान, मणिपाल तथा बेंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली, एरणाकुलम, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई स्थित सात प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करके बैंक की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान, प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा 311 कार्यक्रमों में 10594 अधिकारियों और 127 कार्यक्रमों में 2459 कामगार कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों/कार्यपालकों को भारत में स्थित प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। आगे, 3 कार्यपालकों/अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी प्रतिनियुक्त किया गया। वर्ष 2015-16 के दौरान प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा बैंक में कार्यग्रहण करने वाले 1612 परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रवेश

and employee is retiring on medical grounds due to incapacitation before reaching the age of 55 years. The scheme covers all the cases where death of employee occurs on or after 05.08.2014.

The cadre wise ceiling on Ex-Gratia lump sum amount payable is as under:

(in ₹)

Cadre	Maximum amount
Officers	8.00 Lakhs
Clerical	7.00 Lakhs
Subordinate Staff	6.00 Lakhs

Compensation to Bank Employees killed in Bank Robberies, & Terrorist Incidents

Bank has formulated a Scheme as per Govt. guidelines for Payment of Compensation and Reward so as to motivate the Bank employees and members of public resisting Bank robberies, terrorist incidents including left-wing extremism.

In case of death, the family of deceased will be given compensation by the Bank as follows:

(in ₹)

Category	Cadre	Maximum amount
Bank Employee	Officers	20.00 Lakhs
	Clerks /Sub Staff	10.00 Lakhs
Other than bank employee	Customers/ members of the public	3.00 Lakhs

In case of Bank employees / customers / members of public who actively resists Bank robberies and terrorist attacks on Banks, the Bank may consider a cash reward not exceeding ₹2 lakh.

The Bank will look after educational expenses of the children of the deceased up to and inclusive of graduation and will give immediate employment to one member of the family of the deceased as per applicable rules.

TRAINING AND DEVELOPMENT

Syndicate Institute of Bank Management, (SIBM), Manipal at the apex level and the seven Training Centres at Bangalore, Chennai, Delhi, Ernakulam, Hyderabad, Kolkata and Mumbai caters to the training needs of the Bank by conducting various types of training programmes for different cadres of employees. During the year 2015-16, 311 Programmes covering 10594 Officers and 127 Programmes covering 2459 workmen employees were conducted by the Training System. In addition, executives/ officers were deputed to external training programmes conducted by training institutes of repute in India. Further 3 executives/officers were also deputed to overseas training programmes. The Training System has imparted induction

प्रशिक्षण दिया गया। अजा/अजजा, अपिव से संबंधित 5087 अधिकारियों और 1440 लिपिक/अधीनस्थ कर्मचारी को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें 1564 अजा/अजजा/अपिव के अधिकारी और 1048 अजा/अजजा/अपिव के लिपिक हैं जिन्हें पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण दिया गया है।

वर्ष के दौरान, 2440 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष प्रकार से तैयार 68 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसमें 295 प्रथम बार शाखा प्रबंधक, 190 कार्यपालक, 399 विशेषज्ञ ऋण अधिकारी शामिल है। इसी अवधि में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानीय कार्यक्रम में 1556 अधिकारियों/प्रबंधकों को एमएसएमई/खुदरा ऋण के प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्रा.लि., बेंगलूरु और एनआईटीटीई एजूकेशनल इंटरनैशनल प्राइवेट लि. नोइडा के सहयोग से बैंक ने फस्ट डे, फस्ट अवर– प्रोडक्टिविटी के उद्देश्य से स्ट्रेटेजिक टेलेंट पाइपलाइन बिल्डिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक संस्थान 200 प्रशिक्षणार्थियों को 12 महीनों का प्रशिक्षण देंगे, जिसमें 9 महीनों की सैद्धांतिक शिक्षा व 3 महीने की शाखा में इंटर्नशिप शामिल है। 12 महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद इन प्रशिक्षणार्थियों को बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में ले लिया जाएगा। अप्रैल 2016 के बाद से पीजीडीबीएफ उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एक वर्ष पूर्ण होने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए उपलब्ध होंगे।

राजभाषा का कार्यान्वयन

बैंक द्वारा हिंदी के प्रयोग और प्रोत्साहन को विभिन्न रूपों में निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। यह केवल इसलिए नहीं कि यह भारत सरकार की नीति है बल्कि इसलिए भी कि यह समावेशी बैंकिंग के लिए एक आदर्श एवं जोरदार माध्यम भी है।

भारत सरकार द्वारा राजभाषा संबंधी महत्वपूर्ण दिशानिदेशों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिये, आंतरिक वार्षिक राजभाषा कार्यान्वयन कार्य योजना को जारी कर शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को राजभाषा के कार्यान्वयन में मदद करने के लिये, बैंक ने विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है।

बैंक ने राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और वर्ष के दौरान विभिन्न स्तर के पुरस्कार प्राप्त किए हैं। 'ग' क्षेत्र में राजभाषा के कार्यान्वयन में श्रेष्ठ निष्पादन हेतु भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ ''राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम)'' प्रदान किया गया। 14 सितंबर 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति के शुभहस्ते हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण श्रीवास्तव ने पुरस्कार प्राप्त किया। हमारे कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों और कर्मचारियों ने संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से राजभाषा शील्ड/पुरस्कार प्राप्त किये हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता में हमारी हिंदी पत्रिका 'जागृति' को चौथा स्थान प्राप्त हुआ।

training to 1612 Probationary Officers inducted to the Bank during 2015-16. Training also imparted to 5087 Officers and 1440 Clerks/sub staff belonging to SC/ST/OBC which includes 1564 SC/ST/OBC Officer employees and 1048 SC/ST/OBC Clerical employees who have been imparted with Pre-Promotion Training.

During the year, specially designed 68 programmes were conducted to train 2440 officers; which consist of 295 First Time Branch Managers, 190 Executives, 399 Specialist Credit Officers. During the same period 1556 Officers/ Managers were imparted MSME/Retail Credit Training in the locational programme conducted at various Regional Offices.

The Bank, with the objective of "first day, first hour - productivity" has introduced Strategic Talent Pipeline Building Programme in association with Manipal Global Education Services Pvt Ltd, Bangalore and NITTE Educational international Pvt Ltd, Noida wherein both the Institutes will train 200 trainees each for a period of 12 months consisting of 9 months' academic input and 3 months' internship in the branch. On successful completion of 12 months training, these trainees will be absorbed as Probationary Officers of the Bank. The successful PGDBF students will be available for posting as Probationary Officers, on completion of one year course from April 2016 onwards.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

The Bank has been displaying a strong and abiding commitment to encourage greater use of Hindi in various ways not only because it is the policy of the Government of India but also as an ideal and powerful medium of inclusive banking.

With an object of timely implementation of important guidelines pertaining to Official Language issued by the Government of India, various types of initiatives have been taken up by our Bank for providing assistance to the employees working in branches/offices in the implementation of Official Language duly issuing Internal Annual O L implementation Action Plan.

The Bank has made noteworthy progress under the implementation of Official Language and won prizes at various levels during the year. Our bank was awarded with First prize "Rajbhasha Kirti Puraskar" by the Government of India, Ministry of Home Affairs, Dept. of Official Language for its outstanding performance in OL implementation in 'C' region. Sri Arun Shrivastava, MD & CEO received the award from hon'ble President of India Sri Pranab Mukherjee on 14.9.2015 at Vijyan Bhavan, New Delhi. Some of our Regional Offices and staff members have received Rajbhasha Shields/Awards from respective Town Official Language Implementation Committees.

Apart from the above, Our Hindi Magazine 'Jagriti' got 4th Place in Hindi House Journal Competition conducted by the Reserve Bank of India.

बैंक की आंतरिक पुरस्कार योजनाएँ जैसे; क्षेत्रवार व्यक्तिगत कर्मचारियों को हिंदी का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग करने; कंप्यूटर में हिंदी का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग करने; और बैंक/अनुभाग स्तर पर शील्ड प्रतियोगितायें/निबंध प्रतियोगितायें प्रचलन में हैं। जायंट और जागृति गृह पत्रिकाओं में हिंदी लेख लिखनेवाले लेखकों के लिये आकर्षक नगद मानदेय दिया जा रहा है।

हिन्दी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु, बैंक ने 2302 शाखाओं/कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया है। गृहमंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट का ऑनलाइन भेजना सुनिश्चित किया गया है। रोज़ाना के कार्यकलापों में हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अलावा, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रयोजनमूलक हिंदी कार्यशालायें, हिंदी आशुलिपि, हिंदी अनुवाद प्रशिक्षण, हिंदी समन्वयकों/कार्यपालकों के लिये राजभाषा संगोष्ठी, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों/स्टाफ सदस्यों के लिये हिंदी प्रतियोगितायें और वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय का ''राजभाषा प्रयोग–आपसी संवाद–सार्थक दिशा'' कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

बैंक, अनंतपुर, बिजापुर, कारवार, कण्णूर, मेरठ, गाज़ियाबाद , ओंगोल, उडुपि और फरीदाबाद में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का संयोजक है। राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सभी शाखाओं/कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के तत्वावधान में बैंक ने हिंदी में विभिन्न रोचक हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। भुवनेश्वर बैंक टालिक द्वारा आयोजित हिंदी नोटिंग प्रतियोगिता में हमारे भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय के तत्कालीन उप महा प्रबंधक श्री अच्चुतानंद दास को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप–समिति ने क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के साथ राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियों पर चर्चा की। वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय ने फैज़ाबाद शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु उत्तर, लखनऊ और तिरुक्नंतपुरम का निरीक्षण किया एवं बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयासों की भूरि–भूरि प्रशंसा की और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में प्रधान कार्यालय की प्रभावी निगरानी की भी प्रशंसा की।

उपर्युक्त के अतिरिक्त आलोच्य अवधि के दौरान सुनिश्चित विशेष गतिविधियाँ

i) ''वैकल्पिक वितरण चैनल: बैंकरों और ग्राहकों के लिए वरदान एवं चुनौती'' विषय पर सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान, मणिपाल में हिन्दी में राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार का आयोजन किया गया।

ii) भारत सरकार की योजनाओं एवं हमारे बैंक के उत्पादों पर हिन्दी में 'यक्षगान' दृश्य–श्रव्य लोकनाटिका डीवीडी का विमोचन किया गया।

Bank's Internal Award Schemes like Cash Incentive Schemes for 'Excellent Performance in use of Hindi and Excellent performance in use of Hindi on Computers' for Region wise individual employees and also 'Bank level/Branch level/Department level Shield Competitions/Essay Competitions' are in vogue. Attractive Cash Incentives are being given to the writers of Hindi articles for house magazines i.e. Giant & Jagruthi.

Bank has notified 2302 branches/offices under Rule 10(4) of O. L. Rule, 1976 to ensure maximum usage of Hindi. Ensured online submission of quarterly Hindi Progress Reports of various Regional Offices to the concerned Regional Implementation Offices of MHA. Functional Hindi workshops, Hindi Stenography, translation trainings, Hindi Coordinator/Executive OL Seminars, Hindi competitions for School Children/Staff members in connection with 'Vigilance Awareness Week, Independence Day/Republic Day/Teachers' Day' and 'Rajbhasha Prayog-Apasi Samvad-Sardhak Disha' programmes of DFS-MOF were conducted by various Regional offices in addition to attending Govt. guidelines related to OL implementation in day to day official work. In addition to the above 'Let us learn regional language' guidance programmes at various regions and Managerial Skills in Hindi-English in mixed medium for our O L Officers were conducted.

Bank is the convenor of Town Official Language Implementation Committees at Ananthapur, Bijapur, Karwar, Kannur, Meerut, Ghaziabad, Faridabad, Ongole and Udupi. Official Language Implementation Committees were constituted in all the branches/offices for the effective implementation of Official Language. We have sponsored various interesting competitions in Hindi under auspices of TOLIC. Shri A.N. Das the then Dy. General Manager of Regional Office, Bhubaneswar has got 1st prize in Noting writing competition conducted by Bank TOLIC, Bhubaneswar.

The Drafting & Evidence Sub Committee of the Committee of Parliament on Official Language had discussion with our R.O. Bhubaneshwar. The officials of Department of Financial Services, MOF visited Faizabad Branch, Regional Office Bengaluru North, Lucknow and Thiruvananthapuram and appreciated the efforts of concerned Regional Offices of the Bank and also effective monitoring of Head Office in the area of Official Language Implementation.

Special activities ensured during the period in addition to the mentioned above:

i. Organised National Level Seminar in Hindi on *"Alternate Delivery Channels: A Boon and Challenge for Bankers and Coustemers"* at SIBM, Manipal.

ii. Released a *"Yakshagana"* DVD in Hindi about our products and GOI schemes.

iii) राष्ट्रीय स्तर सेमिनार के अवसर पर डॉ वेद प्रकाश दूबे, संयुक्त निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा ''आइए प्रांतीय भाषाएँ सीखें'' (13 भाषाएँ) पुस्तक का विमोचन किया गया ।

iv) बैंक के 90वाँ संस्थापना दिवस के अवसर पर हिन्दी और कन्नड भाषा प्रचारकों (हिंदी: श्री महाबल नायक, कन्नड: श्री एच. गोपाल भट्) को सम्मानित किया गया।

v) राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

vi) लंदन शाखा में हिंदी दिवस मनाया गया।

vii) वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा गंगटोक में आयोजित अखिल भारतीय राजभषा सम्मेलन में संयुक्त निदेशक, डीएफएस द्वारा बैंक द्वारा प्रकाशित ''चिंतन'' पुस्तक का विमोचन किया गया।

viii) राजाभाषा एवं सामान्य बैंकिंग जानकारी शामिल करते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा त्रैमासिक राजभाषा बुलेटिनों का प्रकाशन प्रारंभ किया गया है।

बैंक ने वित्तीय समावेशन संबंधी जानकारी, योजनाओं/उत्पादों से संबंधित सामग्री/पैंफ्लेट, प्रदर्शन सामग्री आदि को हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करने पर विशेष ध्यान दिया है।

महत्वपूर्ण ग्राहकों की सुविधा के लिए विविध नवोन्मेषी उपायों को अपनाते हुए हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने में बैंक द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

ग्राहक सेवा

संतोषजनक ग्राहक सेवा के लिए बैंक लगातार मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करता रहा है। बैंक की ग्राहक केन्द्रित पहुँच, भविष्य के व्यापार क्षमता को निर्माण करने तथा ग्राहक की प्राप्ति एवं इसे बनाए रखने तथा वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

बैंक के पास बोर्ड के द्वारा ग्राहक सेवा, जमा, ग्राहक शिकायत निवारण, चेक संग्रहण, सेवा में विभिन्न प्रकार की कमियों के संदर्भ में विधिवत अनुमोदित नीतियाँ हैं। यह सभी ग्राहकों की सुविधा हेतु बैंक की सभी शाखाओं में उपलब्ध होने के अतिरिक्त बैंक के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

बैंक की शिकायत निवारण नीति, ग्राहकों की शिकायतों को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई है। उचित सेवा समीक्षा तंत्र के द्वारा ग्राहकों की शिकायतों का निवारण यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान ग्राहक सेवा पहल:

❖ बैंक ने शिकायतों के शीघ्र निवारण हेतु आंतरिक लोकपाल योजना की शुरुआत की है।

❖ शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार और स्टाफ संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ग्राहक सेवा नीति अपनायी गयी है जो निम्नलिखित सिद्धांतों पर

iii. Released a book titled *"Ayiye Prantiya Bhasha Seekhen"* (13 languages) by Dr Ved Prakash Dubey, Joint Director, DFS, MoF, GOI on the occasion of National Level Seminar.

iv. Our bank has honored Hindi and Kannad Pracharaks (Hindi: Sri Mahabala Nayak, Kannada: Sri H. Gopal Bhat) on 90th Foundation Day.

v. Conducted *All India Hindi Essay Competition* for Nationalised Banks/FIs/RRBs.

vi. Conducted Hindi Day at London Branch.

vii. Released a book titled "Chintan" by Dr Ved Prakash Dubey, Joint Director, DFS, MoF, GOI on the occasion of All India Official Language Conference at Gangtok.

viii. Regional Offices have started releasing *Quarterly Rajbhasha Bulletins* incorporating O L implementation and general banking information.

Bank has paid special attention on providing information related to Financial Inclusion matters, Schemes/Products related literature/pamphlets, display material etc. in Hindi and Regional Languages in addition to English.

Bank is very particular in promoting Hindi and Regional Languages introducing various innovative models to facilitate its proud customers.

CUSTOMER SERVICE

Bank has been constantly reviewing the efficacy of existing system of attaining the customer service. Bank's customer centric approach acts as a key differential in shaping future business potential and also in acquiring, retaining and growing the customer base.

The Bank has policies duly approved by the Board on customer service, deposits, customer grievance redressal, cheque collection, compensation payable on account of various deficiencies in service etc. These are well displayed on the Bank's website for the convenience of the customers, besides displaying at each branches of the Bank.

The Grievances Redressal Policy of the Bank is meant for minimizing instances of customer complaints and grievances through proper service delivery and review mechanism and to ensure prompt redressal of customer complaints and grievances.

Customer Service Initiatives taken during 2015-16

❖ Bank has introduced internal ombudsman scheme to redress the customer grievances expeditiously.

❖ With a view to improving the Customer Service in the branches and sensitize the staff, policy on 'Customer Service' has been adopted based on the following

आधारित है; यथा; सूचना क्षमता और शाखा का सामान्य प्रबंधन, ज्ञान आदि।

- बैंक, भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है और बैंक के कोड को क्रियान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है, साथ ही, ग्राहक तथा एम एस ई ग्राहकों पर भी इस कोड को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- ग्राहकों से बैंक की प्रतिबद्धता से संबंन्धित संशोधित कोड बीसीएसबीआई 2014 और एमएसई ग्राहकों की प्रतिबद्धता से संबन्धित कोड 2012 को सभी शाखाओं में भेज दिया गया है एवं बैंक की शाखाओं में संदर्भ हेतु संशोधित प्रतिबद्धता कोड की एक प्रति उपलब्ध कराई गई। बीसीएसबीई की संशोधित बैंक प्रतिबद्धता कोड 2014 तथा सूक्ष्म एवं लघू उद्यम बैंक प्रतिबद्धता कोड 2012 हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- हमारे सभी शाखाओं में बी एसबीडी (मौलिक बचत बैंक जमा) खाता खोलने हेतु बीसीएसबीआई के द्वारा जारी दिशा निर्देशों को प्रदर्शित किया गया है।
- ग्राहक सेवा एवं ग्राहकों से शिकायत से संबन्धित मामलों का निपटारा नियमित अंतराल पर शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्राहकों/वरिष्ठ नागरिकों के साथ किया जाता है।
- मुख्य व्यावसायिक कार्यालय में ग्राहक सेवा सम्मेलन का आयोजन त्रैमासिक आधार पर होता है जिसमें ग्राहक सेवा से संबन्धित शिकायतों की समीक्षा की जाती है।
- बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की प्रत्येक तिमाही बैठक में ग्राहक सेवा से संबंधित मुद्दों की चर्चा की जाती है तथा निदेशक बोर्ड के द्वारा अर्धवार्षिक बैठक की जाती है।
- कार्यपालक अपने शाखा दौरा के समय शाखाओं में ग्राहकों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं एवं बीसीएसबीआई कोड के कार्यान्वयन की समीक्षा भी करते हैं।
- ग्राहकों की शिकायतों के शीघ्रतापूर्वक समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था की गई है। शिकायतों की संख्या एवं उनके निवारण में की गई समीक्षा के आधार पर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को ग्रेड प्रदान किया गया है। ग्रेड का मापदंड कार्यालयों द्वारा निष्पादन आधार पर किया गया है। अति उत्तम के लिए A; अच्छा के लिए B: संतोषजनक के लिए C; एवं खराब के लिए D ; दिया जाता है।
- दिनांक 25.07.2015 को सभी शाखाओं में एक समान ग्राहक सभा का आयोजन किया गया। प्रधान कार्यालय/कार्पोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों से कार्यापालकगण उस सभा में भाग लिए एवं ग्राहकों से बैंक के संबंध में प्रतिक्रिया प्राप्त किए।
- बीसीएसबीआई कोड के अनुपालन करने के आधार पर पहली बीसीएसबीआई ने बैंकों को रेटिंग प्रदान की। ''बीसीएसबीआई कोड अनुपालन रेटिंग'' लगाया गया है। बैंक की रेटिंग औसत से ऊपर रखा गया है।

मिस्ड कॉल ग्राहक सेवा:

बैंक ने एक नवीन ग्राहक शिकायत निवारण सेवा की शुरुआत की है अर्थात मिस्ड कॉल ग्राहक सेवा। इसे एजीएम/सीएम के द्वारा संचालित बंगलौर

basic principles viz., Courtesy, Communication, Efficiency & timeliness, General Management of the branches, knowledge, etc.

- The Bank is a Member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and committed to implement the provisions of Code of Bank's Commitment to Customers and Code of Bank's Commitment to MSE Customers in letter and spirit.
- Revised code of Bank's commitment to customers BCSBI 2014 and the 'Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises' 2012 have been circulated to all branches/offices and a copy of revised code of commitment to customers is available for reference in the customer area of bank branches. Revised code of Bank's commitment to customers BCSBI 2014 and the 'Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises' 2012 are uploaded and displayed in our website.
- The guidelines for opening of BSBD (*Basic Savings Bank Deposit)* accounts issued by BCSBI are exhibited in all our branches.
- Matters relating to Customer Service and Customer complaints are discussed in the periodical meeting held at Branches/Regional Offices with the involvement of Customers/ Senior Citizens.
- Standing Committee on Customer Service meet at quarterly intervals at Corporate Office and review the customer service related matters / complaints etc.
- The Customer Service related matters are also deliberated during quarterly meeting of Customer Service Committee of the Board and Meeting of Board of Directors at half yearly intervals.
- Executives during their visit to branches interact with customers and review matters relating to Customer Service/ complaints redressal and implementation of BCSBI Codes provisions.
- Bank has put in place a robust Customer Grievance Redressal Mechanism for quick redressal of customer grievances. Based on number of complaints received and time taken for Redressal of complaints, all ROs are being graded A: Outstanding, B: Good, C: Satisfactory and C: Poor on quarterly basis.
- Uniform Customer Meet was organized in all branches on 25.07.2015. Executives from HO/CO/RO visited the Meet held at busy branches and obtained feedback from Customers.
- For the first time, BCSBI has started rating Banks on the basis of level of compliance of BCSBI Codes. The rating is labeled as "BCSBI Code-Compliance Rating". The Bank has been rated as "ABOVE AVERAGE".

Missed Call Customer Service

Bank has introduced an innovative customer grievance redressal service i.e. "Missed Call Customer Service"

और चेन्नई क्षेत्र की शाखाओं में प्रयोग के तौर पर दिनांक से 16.03.2015 चालू किया गया है। ग्राहकों को एक निर्धारित मोबाईल सं. पर मिस्ड कॉल देना होता है तथा उनकी शिकायतों का समाधान तुरंत हो जाता है। इन शहरों की शाखाओं को सलाह दी गई है कि वे ग्राहकों को शिकायतों का मौका न दें। आनेवाले समय में बैंक इस सेवा को अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने पर विचार कर रहा है।

ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र

बैंक ने दिनांक 18.08.2015 से लाइव ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र की शुरुआत की है। बैंक के वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण किया जा सकता है। ऑनलाइन शिकायत तंत्र ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देती है; जैसे; शिकायत दर्ज करना, शिकायत कहाँ तक पहुँची है उसका पता लगाना, शिकायत की स्थिति क्या है, और अपनी शिकायतों का बैंक से समाधान मिलना, आदि।

आंतरिक लोकपाल (मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी)

ग्राहक सेवा में गुणवत्ता लाने तथा शिकायतों का निपटारा यथाशीघ्र करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों तथा कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों को आंतरिक लोकपाल की स्थापना का निदेश दिया है। बैंकिंग सेवा में खामियों के संबंध में शिकायतों के समाधान हेतु आंतरिक लोकपाल, शिकायतों के निराकरण में तीव्रगामी तथा सस्ते रूप से कार्य करेगा एवं शिकायतों का निपटारा करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए बैंक ने आंतरिक लोकपाल (मुख्य ग्राहक संपर्क अधिकारी) की स्थापना की है। बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज करने से पूर्व आंतरिक लोकपाल, ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक फोरम उपलब्ध कराएगा।

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

कार्पोरेट नागरिक होने के नाते बैंक ने समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना का एहसास किया है और सीएसआर अर्थात कार्पोरेट सामाजिक दायित्व को अपने व्यवसाय का अंग बनाया है। वर्षों से बैंक विभिन्न सीएसआर गतिविधियो में सक्रिय है जिसका लक्ष्य समाज की सामाजिक आर्थिक बदलाव, क्षेत्रीय उत्थान, सतत विकास है। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए बैंक ने इस प्रकार के वातावरण की संरचना की है, जो सतत विकास के लिए कार्य करता है।

वर्ष 2015-16 के दौरान की गई कुछ सी एस आर गतिविधियाँ इस प्रकार हैं–

- ❖ देश के 26 गाँवों को , सिंड समग्र ग्राम विकास योजना (एसएसबीवीवाई) के अंतर्गत उसके समग्र विकास हेतु गोद लिया गया।
- ❖ शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को व्हील चेयर दान किया गया।
- ❖ श्रवण रूप से विकलांग लोगों के लिए श्रवण यंत्र का दान एक एनजीओ के माध्यम से किया गया। सरकारी विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण करवाने में दान दिया गया।
- ❖ सरकारी विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण करवाने में सहयोग स्वरूप राशि प्रदान की गई।

on experimental basis in CM/AGM headed Branches in Bangalore and Chennai Regions for the present from 16.03.2015 to redress customer grievances at the branches facing difficulty in getting required services. Customer has to give a missed call to a dedicated number and he will be addressed immediately to solve his problem. Branches in these cities are advised to extend prompt service to the customers without giving any room for missed call complaint service. Bank is considering to roll over this services to other Regions in due course.

Online Grievance Redressal System

Bank has made Online Grievance Redressal System live from 18.08.2015. The online grievance system provides for online registration of grievance through bank's website. The online grievance system provides access to the customers for recording the complaint, compliant status tracking and receiving response from the bank.

Internal Ombudsman (Chief Customer Service Officer)

In order to further boost the quality of customer service and to ensure that there is undivided attention to resolution of customer complaints in banks, RBI has directed all public sector banks, some private sector and foreign banks to appoint an internal ombudsman. The internal ombudsman will provide an expeditious and inexpensive forum to bank customers for resolution of their complaints relating to deficiency in banking services.

Keeping in view the above guidelines of RBI, Bank has appointed internal Ombudsman (Chief Customer Service Officer). The bank's internal ombudsman will be a forum available to bank customers for grievance redressal before they can even approach the Banking Ombudsman.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Being a corporate citizen, Bank recognizes its responsibility towards the society and considers CSR (Corporate Social Responsibility) as a part of its business objectives. Over the years, Bank is actively involved in various CSR activities which aimed at socio-economic transformation, rural uplift & sustainable development of the society. By emphasizing on social responsibility, Bank aims at to create enabling environment for sustainable development of the society.

Some of the CSR activities undertaken by the Bank during the year 2015-16 include the following:

- ❖ Adopted 26 villages spread over the country under Synd Samagra Gram Vikas Yojana (SSGVY) for their all round development.
- ❖ Donated mobility appliances / wheel chairs to handicapped and differently abled persons,
- ❖ Donated hearing aids to an NGO catering to hearing impaired people,
- ❖ Donated towards construction of toilet/toilet blocks in Govt.Schools/public places,

- ❖ अस्पतालों के लिए व्हील चेयर/अबुलेंस/वैन तथा पानी शुद्धिकरण यंत्र, कचडा निपटान इकाई दान स्वरूप दी गई।
- ❖ शैक्षणिक संस्थाओं में दान-स्वरूप कंप्यूटर दिए गए।
- ❖ सरकारी विद्यालयों के गरीब छात्रों को स्कूल बैग दिया गया।
- ❖ सार्वजनिक भवन निर्माण हेतु निधियाँ दान दी गई।
- ❖ क्षेत्रहीन दृष्टिवाधित लोगों के लिए सफेद केन दान स्वरूप दिए गया।
- ❖ ग्राम पंचायत में आर ओ मिनरल पानी के प्लांट की स्थापना के लिये दान दिया गया।
- ❖ धर्मार्थ न्यास को कैंसर जाँच कैंप के संचालन हेतु राशि दी गई।
- ❖ निशुल्क आँख की जांच एवं ऑपरेशन कैंप के संचालन के लिए संस्कृत परिषद को दान दिया गया।
- ❖ चेन्नई में बाढ पीडितों को राहत सामग्री प्रदान की गई।
- ❖ निगम को कचडा निपटान प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत राशि दी गई।
- ❖ विभिन्न सामाजिक उद्देश्यों के लिए मानवीय सेवा संगठन/अनाथालयों को विभिन्न सामाजिक उद्देश्यों के लिए राशि दान किया गई।

नए उत्पाद पहल

मौजूदा उत्पादों में सुधार और नए उत्पादों को तैयार करना निरंतर चलनेवाला कार्य है और ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं, तकनीकी नवोन्मेषिती और बाज़ार अन्वेषण को ध्यान में रखते हुए बैंक, दक्षतापूर्वक इस कार्य को कर रहा है। वर्ष के दौरान, अपने ग्राहकों के लाभार्थ बैंक द्वारा निम्नलिखित नए उत्पादों की शुरुआत की गई है :

देयता उत्पाद :

ए) **सिंड आर. डी. प्लस:** एक विशेष उत्पाद है जो ग्राहकों को महीने के दौरान एक से अधिक किस्त जमा करने तथा समय पूर्व निकासी/या देरी से भुगतान के लिए बिना जुर्माना अनुमति देता है।

आस्ति उत्पाद

ए) **सिंड प्रोफेशनल:**
बैंक, पेशेवर अर्ह व्यक्तियों, जिनके पास व्यावसायिक डिग्री/ डिप्लोमा/प्रमाण पत्र हो, यथा: इंजीनियर आर्किटेक्ट्स सह बिल्डरों, डॉक्टरों/सी.ए. आदि को रियायती ब्याज दर पर ₹5 करोड़ तक का ऋण प्रदान करता है।

बी) **सिंड सोलर:**
हरित ऊर्जा और नवीकरण के बढ़ावा देने के लिए बैंक ने नई योजना ''सिंड सोलर'' शुरु की है जो गृह सुधार ऋण का एक हिस्सा है तथा बैंक द्वारा छत के ऊपर लगाने के लिए वित्तपोषण किया जाता है।

सी) **संशोधित सिंड मॉर्गेज योजना:**
आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के तहत सिंड मॉर्गेज ऋणों के संबंध में बैंक को स्वीकार्य पर्याप्त निवल मालियत हेतु गारंटर/जामिनी की बैंक ने छूट दी है।

- ❖ Donated wheel chairs/ambulance/van, water purifier and waste disposal unit to hospital/trust,
- ❖ Donated computer to educational institutions,
- ❖ Donated school bangs to poor students of Govt. Schools,
- ❖ Donated funds for construction of public utility hall,
- ❖ Donated white canes for blind/visual impaired,
- ❖ Donated towards installation of Mineral RO Plant in a Gram Panchayat,
- ❖ Donated to charitable trust for cancer check up camps,
- ❖ Donated to Sanskriti Parishad for carrying out free eye operation camp,
- ❖ Donated relief materials to flood victims of Chennai,
- ❖ Donated to corporation for waste management under Swachh Bharat Abhiyan,
- ❖ Donated to Societies / Humanitarian Service Organisation/Orphanage for their various social purposes.

NEW PRODUCT INITIATIVES

Improving and developing new products is an ongoing task which Bank is dexterously following keeping in view the changing customer requirements, technological innovation and market research. During the year, Bank has come up with the following new products for the benefit of its customers:

Liability Product

a) **SYND RD PLUS:** A special product which allows customers to deposit more than one installment during the month and no penalty levied for premature withdrawal or delayed payment.

Asset Product

a) **SyndProfessional:** Bank extends credit facilities to professionally qualified persons having professional degree / diploma / certification such as Engineering / Architects cum builders /Doctors / CAs etc. Loans up to ₹5 crore is provided at concessional interest rate.

b) **SyndSolar:** To promote renewable and green energy, Bank has launched a new Scheme namely "SyndSolar" for financing Off-Grid Solar Roof Top Systems as a part of Home Improvement loan/Home loan provided by the Bank.

c) **SyndMortgage Scheme modified:** Bank has waived obtention of Guarantor/Surety of adequate Net worth acceptable to the Bank, in respect of SyndMortgage loans against the mortgage of Residential and Commercial properties only.

डी) **सिंड रक्षा योजना:**

बैंक ने रक्षा कर्मियों के लिए विशेष पैकेज के तहत चुनिन्दा योजनाओं के अंतर्गत जमाराशियों पर अच्चतर ब्याज देने तथा अग्रिमों पर सस्ते ब्याज दर लेने की योजना बनाई है ।

सुविधाजनक बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाएँ

ए) **सिंड स्वयं बचत खाता खोलने की ऑनलाइन सेवा:** जेन–वाई ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कई सेवाओं को डिजिटल करना शुरू कर दिया है। ''सिंड स्वयं बचत खाता खोलने की ऑनलाइन सेवा'' ग्राहकों की सुविधा हेतु शुरू की गई है जिसमें वे अपने निजी डेटा आसानी से भरकर खाता खुलवा सकते हैं।

विपणन एवं शुल्क आय उत्पाद

मार्केटिंग वर्टिकल (विपणन कार्यक्षेत्र):

बैंकिंग की मूलभूत गतिविधियों में विस्तार के दबाव को देखते हुए शुल्क आधारित आय को बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई है जो बैंक की आय को बढ़ाने की दृष्टि से मददगार है। शुल्क आधारित आय को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से बैंक ने कॉरपोरेट कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में विपणन प्रयासों को गति देने के लिए एक अलग स्कन्ध बनाया है।

कारोबार विकास की गति को बढ़ाने के लिए 146 विपणन अधिकारी तत्पर हैं। तथा देश भर में फैले हैं। ज्ञान आधारित बेचने के लिए बैंक के सभी उत्पादों और पैरा बैंकिंग उत्पादों की बुनियादी जानकारी सहित उत्पाद पुस्तिका की सॉफ्ट प्रति बैंक के सभी कर्मचारियों को दी गई है ताकि उत्पादों की बिक्री हेतु उन्हें पर्याप्त ज्ञान मिले।

नकद प्रबंधन सेवाएँ :

लेनदारी लेखे और भुगतान के कुशल प्रबंधन के लिए हमारा बैंक, कॉरपोरेट निजी और विदेशी बैंकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद प्रदान करता है।

बैंक देश भर में सभी शाखाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए सीएमएस सेवाएं प्रदान करता है। ऑटो डेबिट अधिदेश सुविधा और केंद्रीकृत चैक डेबिट सुविधाएँ दी जा रही हैं। लाभांश वारंट/ब्याज वारंट/डीडी आहरण व्यवस्था और दूरस्थ डीडी मुद्रण सुविधाएँ भुगतान के तहत प्रदान की जा रही हैं।

पूंजी बाजार सेवाएँ

1) **अवरुद्ध रकम पर आधारित आवेदन पत्र (आस्बा):**
हमारे बैंक में आस्बा (अवरुद्ध रकम पर आधारित आवेदन पत्र) का आरंभ 2010 में की गई । अपने ग्राहकों हो अवरुद्ध रकम आधारित आवेदन पत्र उपलब्ध कराने के लिए बैंक स्वयं प्रमाणित सिंडिकेट बैंक (एससीएसबी) के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत है। बैंक ने अपने कोर बैंकिंग समाधान के साथ एएसबीए सुविधा को एकीकृत किया है। एएसबीए प्रक्रिया बडी निर्माण प्रक्रिया और अधिकार निर्गम के माध्यम से किए गए सभी सार्वजनिक निर्गमों में उपलब्ध है। इस योजना का लक्ष्य आईपीओ/एफपीओ के

d) **Synd Defence Plan:** Bank has extended a special package for Defence Personnel including offering higher interest rate on deposits and cheaper advances under select schemes.

Convenience Banking Products & Services

a) **Synd Swayam-Savings Bank Online Account Opening Service:** Keeping in view the gen-Y customers, Bank has initiated digitization of many services. "Synd Swayam-Savings Bank Online Account Opening Service" would facilitate customers to open account at ease and convenience by simply filling their personal data.

MARKETING & FEE INCOME PRODUCTS

Marketing Vertical

With the compression of spreads from the core activities of banking, the necessity is felt in augmenting fee based income which acts as cushion for Bank's income. In order to have a focused approach to augment fee based income, Bank has created a separate vertical at Corporate Office and Regional Offices to accelerate marketing efforts to augment fee based income.

Bank's Marketing Setup consists of a team of 146 Marketing Officers spread across the country, with clear thrust on the business development. For knowledge based selling, soft copy of the Product Booklet covering the basic information on all the Banks products and Para Banking Products was shared with all the Staff members of the Bank.

Cash Management Services

The Bank offers a state-of-the-art technology driven products to corporate, private and foreign banks for efficient management of account receivables and payments.

The Bank offers CMS services to its clients through all Branches across the country. Auto Debit Mandates facility and Centralized Cheque Debit facilities are being offered. Payment of Dividend Warrants / Interest Warrants / DD Drawing arrangement and Remote DD Printing facilities are being offered under Payments.

Capital Market Services

1) **Applications Supported by Blocked Amount (ASBA)**
The ASBA [Application Supported by Blocked Amount] facility was introduced in our bank in October 2010. Bank is registered with SEBI as Self Certified Syndicate Bank (SCSB) for providing Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) to its customers. Bank has integrated ASBA facility with its Core Banking Solution. ASBA process is available in all public issues made through the book building route and rights issues. This scheme aims at providing the facility of blocking

माध्यम से शेयरों और बांड में निवेश करने में हमारे ग्राहकों की बोली की राशि की सीमा तक राशि अवरुद्ध करने की सुविधा प्रदान करना है। वर्ष के दौरान 40 निर्गमों द्वारा बैंक ने ग्राहकों को एसबीए सेवाएँ प्रदान की है।

2) **निक्षेपागार सहभागी सेवाएँ**

हमारा बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए सीडीएसएल के निक्षेपागार सहभागी के रूप में स्थायी रूप से पंजीकृत है। बैंक सीडीएसएल का एक निक्षेपागार भागीदार है। यह सुविधा, ग्राहकों को उनकी पूंजी बाजार प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रुप में रखने में मदद करता है। 24 अक्टूबर 2011 को बैंक द्वारा ''सिंड-ई-ट्रेड ब्रांडनाम '' के तहत 3- इन-1 खाते सह ऑन लाइन ट्रेडिंग की सुविधा शुरु की गई थी। यह सुविधा कासा खाते, डीमैट खाता और ट्रेडिंग आकाउंट से मिलकर बनी है जो हमारे ग्राहकों को शेयर में ऑनलाइन व्यापार करने के लिए कासा खाते में धन और डीपी खाते में डीमैट प्रतिभूतियों का उपयोग कर सीधी प्रक्रिया के माध्यम से सक्षम बनाती है। बैंक ने अब तक कुल 1469 डिमैट खाते खोले हैं।

म्यूचुअल फंड

एक वित्तीय सुपर मार्केट के रूप में कार्य करते हुए एक छत के नीचे विभिन्न वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराते हुए म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए बैंक ने 9 अग्रणी आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ गठजोड़ किया है। सूचित बिक्री उपलब्ध करने हेतु बैंक के पास 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 218 एनआईएसएम सिरीज- बी-2 प्रमाणित व्यक्ति एवं 127 ईयूआइएन अनुपालन स्टाफ थे।

बैंक म्यूचुअल फंड कारोबार से कमीशन के रूप में वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹31.44 लाख की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹38.16 लाख का कमीशन अर्जित किया है।

अन्य सेवाएं

1) **नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस)**

वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक योजना के तहत विभिन्न प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए बैंक, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के साथ उपस्थिति बिंदु (पीओपी) के रूप में पंजीकृत है। हमारे बैंक की सभी शाखाएँ उपस्थिति बिंदु - सेवा प्रदाता (पीओपी-एसपी) के रूप में एनपीएस के दायरे के तहत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं।

2) **अटल पेंशन योजना (एपीवाई)**

अटल पेंशन में उन सभी नागरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल है। अटल पेंशन योजना के तहत, उनके अंशदान के अनुसार, जो एपीवाई में शामिल होते समय भी अलग-अलग होते हैं, अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु में ₹1,000/-, ₹2000/-, ₹3000/-, ₹4000/-, ₹5000/- प्रति माह की निर्धारित रकम

of amount to the extent of the bid amount of our customers investing in shares and bonds through the IPO/FPO. The bank has extended ASBA services to our customers in 40 issues during the year.

2) Depository Participant Services

Our Bank is holding permanent registration as Depository Participant of CDSL issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). The Bank is a Depository Participant of CDSL. This facility enables customers to keep their Capital Market Securities in electronic form. The 3-in-1 account cum on-line trading facility under the brand name "Synd-e-Trade" was launched by the Bank on October 24, 2011. The facility comprises of the CASA account, Demat account and Trading account for enabling our customers to trade in shares online, using the funds in the CASA account and dematerialized securities in the DP account through the Straight through Process. The bank has opened a total of 1469 Demat account till date.

MUTUAL FUNDS

Acting as a Financial Supermarket, offering various financial products under one umbrella, Bank has tied up with nine leading Asset Management Companies for distributing Mutual Fund products. As on 31.03.2016, the Bank had a team of 218 NISM (Series-V-A) Certified Persons and 127 EUIN compliant staff Bank facilitating informed selling.

Bank earned commission of ₹38.16 lakh during FY 2015-16 against a commission of ₹31.44 lakh in FY 2014-15 from Mutual Fund business.

Other Services

1) New Pension System (NPS)

The Bank is registered with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) as Point of Presence (POP) for offering various services under the National Pension System – a scheme introduced by the Government of India for providing old age income security. All the branches of our Bank are registered with NSDL for offering various services under the scope of the NPS as Point of Presence – Service Provider (POP-SP).

2) Atal Pension Yojana (APY)

The APY is focused on all citizens, who join the National Pension System (NPS) administered by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) .Under the APY, the subscribers would receive the fixed pension of ₹1000 per month, ₹2000 per month, ₹3000 per month, ₹ 4000 per month, ₹5000 per month, at the age of 60 years, depending on

प्राप्त होगी। अटल पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। इसलिए, अटल पेंशन योजना के तहत अभिदाताओं द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 साल या उससे अधिक होगा। निर्धारित पेंशन के लाभ की गारंटी सरकार की होगी। केन्द्र सरकार भी 31 मार्च 2016 के पहले शामिल होनेवाले प्रत्येक पात्र अभिदाता के खाते में 5 साल की अवधि तक अर्थात् 2015-16 से 2019-20 तक अभिदाताओं के योगदान का 50% या ₹1000 वार्षिक, जो भी कम हो, का योगदान करेगी।

बैंक ने एनपीएस रेगुलर, एनपीएस लाइफ तथा एपीवाई सहित राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कृत 64103 अंशदाताओं को जोड़ा है। इन अंशदानों द्वारा कुल ₹1531.34 लाख प्राप्त हुए।

वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक को, नकदी प्रबंधक एवं पूँजी बाज़ार प्रचालन से ₹239.25 लाख आय अर्जित हुआ है।

बैंकाश्योरेंस

1. जीवन बीमा

- बैंक का जीवन बीमा उत्पादों के संवितरण के लिए कारपोरेट एजेंट के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ कारपोरेट एजेंसी गठजोड़ है।
- बैंक, जीवन बीमा कारोबार से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अर्जित कमीशन ₹ 615.71 लाख की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 836.45 लाख कमीशन (एलआईसी) पीएम जेजेबीबीवाई सहित) अर्जित किया।
- बैंक, आवास ऋण उधारकर्ताओं, शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं, बचत खाताधारकों तथा वित्तीय समावेशन के तहत बचत खाताधारकों के लिए प्रतिस्पर्धी प्रीमियम राशि उपलब्ध सामूहिक पॉलीसी के तहत जीवन बीमा कवर भी कराता है।

2. सामान्य बीमा

- अपने खाताधारकों के लिए सिंड आरोग्य (फैमिली–फ्लोटर लाभ सहित समूह मेडिक्लेम सह निजी दुर्घटना) रहित सामान्य बीमा उत्पादों के संवितरण के लिए बैंक ने यूनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है ।
- बैंक ने सामान्य बीमा कारोबार से पिछले वर्ष के दौरान अर्जित कमीशन ₹672.81 लाख की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹945.84 लाख (यूआईआईसीओ पीएमएसबीवाई सहित्र अर्जित किया ।

जीवन एवं सामान्य इंश्यूरेंस कारोबार जुटाने के लिए कुल 190 स्टाफ सदस्य ''विनिर्दिष्ट व्यक्ति'' (नियामक अपेक्षा) हैं।

their contributions, which itself would vary on the age of joining the APY. The minimum age of joining APY is 18 years and maximum age is 40 years. Therefore, minimum period of contribution by the subscriber under APY would be 20 years or more. The benefit of fixed pension would be guaranteed by the Government. The Central Government would also co-contribute 50% of the subscriber's contribution or ₹1000 per annum, whichever is lower, to each eligible subscriber account, for a period of 5 years, i.e., from 2015-16 to 2019-20, who join the NPS before 31st March, 2016.

The Bank has enrolled a total of 64103 subscribers towards the National Pension Scheme, including NPS Regular, NPS Lite and APY. The total contribution received in respect of these subscriptions stands at ₹1531.34 lakh.

During FY 2015-16, Bank has earned an income of ₹239.25 lakh from Cash Management and Capital Market operations.

BANCASSURANCE

1) **Life Insurance:**

- Bank has a Corporate Agency tie-up with Life Insurance Corporation of India, as a Corporate Agent for distribution of Life Insurance Products.
- Bank earned commission of ₹836.45 Lakh (inclusive of LIC PMJJBY) during FY 2015-16 against a commission of ₹615.71 Lakh in FY 2014-15 from life insurance business.
- Bank also offers Life Insurance cover under group policy to Housing Loan borrowers, Educational Loan borrowers, Savings account holders and Savings account holders under Financial Inclusion.

2) **General Insurance:**

- Bank has a Corporate Agency tie-up with United India Insurance Company Limited (UIICO) for distribution of General Insurance products, including SyndArogya (a Group Mediclaim -Cum -Personal Accident Policy with family floater advantage) at competitive premium for its Account Holders.
- During the FY 2015-16, Bank has earned a commission of ₹945.84 lakh (inclusive of UIICO PMSBY), compared to commission of ₹ 672.81 lakh during the previous year, from general insurance business.

Bank is having total 190 staff members as "Specified Person" (a regulatory requirement) for soliciting & procuring Life and General insurance business.

3) **सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं पीबजेजेबीवाई और पीएएसबीवाई**

ए) **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई):**

बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ गठजोड़ किया है।

वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने 7,53,010 वीएमजेजेबीवाई पॉलीसी शुरू की है।

बी) **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)**

बैंक का 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' (पीएमएसबीवाई) के तहत मृत्यु बीमा प्रदान करने के लिए यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसीओ) के साथ गठजोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने 21,80,968 पीएम एसबीवाई पॉलिसी जोड़ी ।

कार्ड कारोबार

3. क्रेडिट कार्ड उत्पाद

बैंक 20.10.2003 से विज़ा इंटरनेशनल के सहयोग से गोल्ड और क्लासिक क्रेडिट कार्ड प्रदान कर रहा है जिनका प्रयोग से एटीएम, बिक्री केंद्र टर्मिनल (पीओएस) तथा इंटरनेट के रूप में किया जा सकता है। बैंक, 31.03.2016 तक 87,317 क्रडिट कार्ड जारी कर चुका है। बैंक ने 4.02.2015 से मेसर्स आदेश वर्ल्डलाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में क्रेडिट कार्ड सेवाओं के आदि के अंत तक का प्रबंधन कार्य सौंपा है।

ईएमवी चिप क्रेडिट कार्ड का निर्गमन:

बैंक ने 01.09.2015 से नए पिन के साथ ईएमवी/चिप आधारित क्रेडिट कार्ड जारी करना आरंभ किया है। मैगस्ट्राइप क्रेडिट कार्ड जारी करना बंद कर दिया गया है। मौजूदा मैग्सट्राइप क्रेडिट कार्ड को नए पिन के साथ ईएनवी/चिप आधारित कार्ड से बदला जा रहा है।

ई–कॉमर्स लेनदेनों के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण का क्रियान्वयन

कार्ड नोट प्रेजेंट (सीएनपी) माहौल में इंटरनेट के माध्यम से लेनदेन करने के लिए हमारे कार्डधारकों को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से बैंक ने 15.09.2015 से ई–कॉमर्स के लिए मौजूदा विज़ा द्वारा सत्यापित (वीबीवी) पासवर्ड के स्थान पर अतिरिक्त प्रमाणिकरण जिसे वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) कहा जाता है की शुरुआत की है।

ओटीपी एक 3डी सुरक्षित प्रणाली है जो भुगतान उद्योग का ई–कॉमर्स लेनदेन प्रमाणीकरण का मानक है। यह ऑनलाइन ई–कॉमर्स लेनदेन में दुरुपयोग/धोखाधड़ी की संभावना को कम कर कार्डधारक को एक बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराता है।

बैंक वेबसाइट में कार्डधारकों के लिए पोर्टल की शुरुआत

सिंडिकेट ग्लोबल क्रेडिट कार्ड के लिए कार्डधारक बैंक के वेबसाइट में ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और लॉगीन कर वे अपना लेनदेन विवरण, बिल के ब्यौरे/विवरण देख सकते हैं।

3) Social Security Insurance Schemes (PMJJBY & PMSBY)

a) **Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY):**

Bank is having tie up with LIC of India for providing Life Insurance Cover under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY).

During FY 2015-16, Bank has enrolled 7,53,010 PMJJBY policies.

b) **Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY)**

Banks is having tie up with United India Insurance Company Limited (UIICO) for providing Accidental Death Insurance under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY).

During FY 2015-16, Bank has enrolled 21,80,968 PMSBY policies.

CARD BUSINESS

Credit Card Product

Bank, in association with VISA International, offers Gold and Classic Credit Cards which can be used at ATMs, Point-of Sale Terminals (POS) and Internet, w.e.f 20.10.2003. Bank has issued 87,317 Credit Cards till 31.03.2016. Bank has entrusted end-to-end management of Credit Card services through M/s Atos Worldline India Pvt Ltd since 04.02.2015.

Issuance of EMV Chip Credit Cards:

Bank has commenced issuance of EMV/Chip based Credit Cards with new PIN with effect from 01.09.2015. Issue of Magstripe Credit Card is dispensed with. All the existing Magstripe Credit Cards are being replaced with EMV /Chip based Cards with new PIN.

Implementation of Additional Authentication for e-commerce transactions:

In order to provide extra security for our Cardholders to do internet transactions in Card Not Present (CNP) environment instead of existing Verified By Visa (VbV) password, Bank has introduced additional authentication called One Time Password (OTP) for e-commerce transactions with effect from 15.09.2015.

OTP is a 3D Secure system which is Payment Industry's e-commerce transaction authentication standard. It provides the cardholder a way of increased security for online e-commerce transactions by reducing the chances of misuse /fraud.

Introduction of Cardholder's Portal in Bank's website:

Cardholders can register on-line in the Bank's website portal for Syndicate Global credit Card and by logging in, they can view their transaction details, billing details/statement, etc.

शाखाओं को 'वन व्यु' सुविधा के द्वारा उनके द्वारा जारी किये गए क्रेडिट कार्ड के ब्यौरे देखने की सुविधा उपलब्ध कराया गया है।

डेबिट कार्ड उत्पाद:

बैंक ने 29.03.2003 को वीआईएसए (विज़ा) के तथा 22.06.2011 को मास्टर कार्ड (मेस्ट्रो ब्रांड) के सहयोग से ग्लोबल डेबिट कार्ड की शुरूआत की। दिनांक 20.10.2012 से बैंक अधिक लेन-देन वाली बीआईए.ए. (विज़ा) इंटरनेशनल गोल्ड कार्ड जारी कर रहा है।

इस वर्ष के दौरान बैंक द्वारा विज़ा/एनपीसीआई के सहयोग से निम्नलिखित नए प्रकार के डेबिट कार्डों की शुरुआत की गई है:

- रुपे मुद्रा कार्ड
- रुपे प्लेटिनम कार्ड
- एईपीएस रुपे डेबिट कार्ड (आधार सक्षम)
- वर्ष के दौरान हमने, ओटीपी के माध्यम से ई-कॉमर्स के लिए एनपीसीआई रूपे डेबिट कार्ड शुरु किये हैं।

बैंक ने 31.03.2016 की स्थिति अनुसार 1,62,66,880 (162.67 लाख) डेबिट कार्ड जारी किए हैं जिनमें से 37.25 लाख से अधिक रूपे कार्ड वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जारी किये गए।

इएमवी चिप डेबिट कार्ड जारी करना

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आर बी आई/2015-16/163 दि. 27 अगस्त 2015 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने ईएमवी चिप कार्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। अंतर्राष्ट्रीय उपयोगार्थ जारी सभी कार्ड ईएमवी चिप एवं पिन कार्ड हैं।

बैंक, वीज़ा और रुपे के लिए इएमवी चिप डेबिट कार्डों को जारी कर रहा है। मास्टर कार्ड से इएमवी चिप कार्ड जारी करने के लिए प्रमाणिकरण प्रगति पर है। दि. 01.02.2016 में इंस्टैंट इएमवी चिप रुपे कार्ड जारी करने हेतु शाखाओं को सुविधा दी गई है। बैंक द्वारा प्रायोजित क्षे.ग्रा.बै. के लिए इएमवी मुद्रा चिप कार्ड जारी करने हेतु एमवीसीआई प्रमाणीकरण प्रतीक्षारत है।

बिक्री केंद्र (पीओएस) की प्राप्ति

बैंक 2.10.2009 से मर्चेंट एक्वारींग कारोबार के क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके सभी बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल सभी प्रकार के कार्डों के लिए विज़ा/ मास्टर कार्ड/रूपे विनिर्दिष्ट मानकों तथा ईएमवी एवं पिन आधारित लेन-देनों के लिए पूर्ण रूप है सक्षम है। 31.3.2016 की स्थिति में बैंक ने कुल 2,317 बिक्री केंद्र टर्मिनल स्थापित किये थे जिनमें से 522 टर्मिनल इस वर्ष के दौरान स्थापित किये गए।

बैंक ने अपनी सदस्यता के तहत मास्टर कार्ड लेनदेन की प्राप्ति कर लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड तथा धनलक्ष्मी बैंक द्वारा शुरु किये गये बिक्री केंद्र टर्मिनलों के माध्यम से भी अप्रत्यक्ष बिक्री केंद्र के कारोबार में प्रवेश किया है।

सिंड गाइड:

बैंक ने हमारे मूल्यवान ग्राहकों के लिए एक मोबाइल आधारित ऐप्लिकेशन की शुरुआत की है तो हमारे मूल्यान ग्रहकों के हथेली पर वर्च्युअल वेबसाइट

Branches have been facilitated to view the details of Credit Cards issued by them through "One View" facility.

Debit Card Product:

1. **Debit Cards**

The Bank launched Global Debit Cards in association with VISA on 29.03.2003 and in association with Master Card (Maestro Brand) on 22.06.2011. The Bank has been issuing VISA International Gold Debit Cards with higher transaction limits w.e.f 20.10.2012.

During the year the Bank has launched the following new variants of Debit Cards in association with VISA/ NPCI.

- RuPay Mudra Cards
- RuPay Platinum Cards
- AEPS RuPay Debit Cards (Aadhaar enabled)
- During the year, we have enabled NPCI's RuPay Debit Cards for e-commerce transactions through OTP

The Bank has issued 1,62,66,880 (162.67 lakhs) Debit Cards till 31.03.2016, out of which, over 37.25 lakhs PMJDY RuPay cards were issued under Pradhan Mantri Jandhan Yojana, a national mission for Financial Inclusion.

Issuance of EMV Chip Debit Cards:

In compliance to the directives of RBI, vide their Circular No. RBI/2015-16/163 dated August 27th 2015, Bank has commenced issuance of EMV Chip Cards. All cards issued for international usage are EMV Chip & PIN Cards.

Bank is issuing EMV Chip Debit Cards for VISA and RuPay variants. Certification for issuing EMV Chip Cards from MasterCard is under process. Bank has enabled branches for issuance of Instant EMV Chip RuPay Cards from 01.02.2016. NPCI certification for issuance of EMV Mudra Chip Cards for RRBs sponsored by the Bank is awaited.

Point of Sale (POS) Acquiring:

Bank ventured into the Merchant Acquiring business on 02.10.2009. All its POS terminals do comply with VISA / MasterCard / RuPay specified standards and are fully compliant to handle EMV and PIN based transactions for all types of Cards. issued by Banks. As on 31.03.2016, Bank had installed 2,317 POS Terminals in total, out of which 522 terminals were installed during the year.

Bank has also ventured into Indirect POS business by acquiring MasterCard transactions under its membership through POS terminals deployed by Lakshmi Vilas Bank Ltd, City Union Bank Ltd. and Dhanalakshmi Bank.

SyndGuide:

Bank has launched "SyndGuide" - a mobile-based application which provides virtual website on the palm to our valuable customers. It is a green initiative and acts as a guide for knowing about information relating to Bank's

उपलब्ध कराता है। यह एक हरित पहल है और बैंक की अवस्थिति, योजनाओं, उत्पादों, समाचारों और घटनाओं, ब्याज दर आदि से संबंधित जानकारी स्मार्टफोन पर प्रदान करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

इस अनुपयोग की प्रमुख विशेषताएँ हैं :

* **उत्पाद की जानकारी :** बैंक द्वारा प्रभावित उत्पादों की सूची इस ऐप्लिकेशन पर उपलब्ध है। प्रत्येक उत्पाद पर टैप करने पर, उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी, पात्रता मानदंड, लागू चुकौती विवरण आदि दिखाई पड़ते हैं।
- **प्रोत्साहन एवं अभियान** यह ऐप्लिकेशन प्रोत्साहन, अभियान तथा शुरू हुए नए उत्पाद को निरंतर दिखाते रहता है।
- **समाचार एवं घटनाएँ :** बैंक/उद्योग से संबंधित सभी नई घटनाएँ, बैंक की वित्तीय परिणाम संबंधी मुख्य बातें आदि इस खंड में प्रदर्शित होते हैं।
- **ब्याज दर :** यह विकल्प बैंक द्वारा प्रस्तावित विविध उत्पादों तथा ऋण योजनाओं के लिए ब्याज दर प्रदर्शित करता है।
- **एटीएम/शाखा/ई लाउंज/सूचक–** पिन कोड आधारित एटीएम/शाखा/ई–लाउंज अथवा वर्तमान यूज़र जियो लोकेशन आधारित आस–पास के एटीएम/शाखा/ई–लाउंज को ढूंढने हेतु।
- **हमसे संपर्क करें:** बैंक के ग्राहकों के लिए उपयोगी संपर्क संख्या/ई–मेल जैसे उपयोगी विवरण सहित अन्य संपर्क विवरण को बैंक के ग्राहक हित संबंधी कॉलम के तहत इस एप्लिकेशन में प्रदर्शित किया गया है।

उत्पाद नवोन्मेषण एवं व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास बीपीआर):

उत्पाद नवोन्मेषण एवं व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए बैंक ने ''उत्पाद नवोन्मेषण एवं व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास'' नामक नया विभाग शुरू किया है।

उत्पाद नवीनता:

बेहतर ग्राहक सेवा बैंक का केंद्र बिंदु है दैनंदिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक लगातार अपनी सेवाओं का अद्यतन कर रहा है। नई पीढ़ी के ग्राहकों को ध्यान में रखकर बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे कई सेवाओं की शुरूआत की है।

"अनन्या" परियोजना:

नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंकों, आगामी भुगतान बैंकों और छोटे बैंकों से होनेवाली प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, हमारे बैंक ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित अन्य प्रमुख बैंकों द्वारा किये जा रहे पुनर्गठन प्रक्रिया को अपनाया है।

बैंक के व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) हेतु बैंक ने बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप आरएफपी प्रक्रिया के तहत, मेसर्स बीसीजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। 24 महीने के अनुमानित अवधि में बीपीआर परियोजना निम्नलिखित क्षेत्रों पर व्यापक रूप से ध्यान देगी:

बीपीआर (व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास)

- बेहतर कारोबार निष्पादन, बेहतर कर्मचारी उत्पादकता और तेजी से निर्णय लेने के लिए खामियो तथा फासलों को पहचानने हेतु

locations, schemes, products, news and events, rate of interest, etc. on Smartphone.

Salient features of the application are:

- **Product Info:** The app lists the products offered by the bank. On tapping each of the products, more information on the product, eligibility criteria, repayment details as applicable, etc. are shown.
- **Promotions and Campaigns:** The app shows ongoing promotions, campaigns and new product launches.
- **News and Events:** All latest happenings or events related to bank/industry, highlights on bank's financial results, etc. are shown in this section.
- **Interest Rates:** This option shows the Interest rates for various deposits and loan schemes offered by the bank.
- **ATM/Branch/e-Lounge Locator:** Searching the ATM/Branch/e-Lounge based on the pin code or nearby ATMs/branches/e-Lounge based on the current user geo location.
- **Contact Us:** The app displays the bank's customer care address along with contact details and other useful contact numbers/E-mail that are useful to the bank's customer.

PRODUCT INNOVATION & BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR)

Bank has formed a new department namely "Product Innovation & BPR" to carry out Product Innovation and Business Process Re-engineering.

Product Innovation

Better Customer Service is the prime focus of the Bank. Bank is continuously upgrading its services to cater to the needs of the day. Keeping in view the Y-gen customers Bank has initiated lot of services through IT.

Project "ANANYA"

In order to face competition, emerging from new generation Private Sector Banks, upcoming Payment Banks and small Banks, it is desired that our Bank also embark into a restructuring exercise as being done by the other peer Banks including PSU Banks.

Bank engaged M/s. BCG (India) Pvt. Ltd. as Management Consultant under RFP process, for carrying out Business Process Re-engineering for the Bank as per the Board direction. The BPR project shall cover broadly the following areas in an estimated period of 24 months:

BPR (Business Process Re-engineering)

- Review of organizational structure to identify gaps & address loopholes for enhanced business

संगठनामत्मक ढांचे की समीक्षा।

- ❖ कार्यों और प्रक्रियाओं, जिन्हें केंद्रीकृत/विकेन्द्रीकृत किया जा सकता है, को पहचानना तथा सुझाव देना।
- ❖ सेवा स्तर और इसके लिए लगनेवाले समय सहित, उच्च दक्षता, एवं उत्पादकता प्रदान करने के उद्देश्य के साथ केंद्रीकृत प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देना और इसकी परिचालन शैली को परिभाषित करना।
- ❖ केंद्रीकरण की प्रक्रिया की रूपरेखा का अनुक्रमण, स्थान का चयन, रुपयेखा और ढाँचा, कारोबार अवश्यकताओं का ब्यौरा तथा आईटी समाधान एवं जोखिम प्रबंधन, प्रशासन और वृद्धि तंत्र को बनाना।
- ❖ प्रत्येक शुरुआत के लिए 2-3 प्रक्रियाओं के साथ क्रमबद्ध तरीके से चलाने की शुरुआत करना तथा शुरुआती से प्राप्त सीख को समाविष्ट करते हुए रुपरेखा को सुधारना।
- ❖ पूरे बैंक में ऋण मंजूरियाँ, विवरणों आदि के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा संस्थागत बनाने की संभावनाओं को देखना।
- ❖ डिजिटल बैंकिंग शैली की शुरुआत के लिए लीन शाखा मॉडल की स्थापना के लिए तरीकों का सुझाव।

डिजिटल बैंकिंग:

- ❖ अग्रणी बैंकों द्वारा पालन किए गए तथा आधार बनाए गए प्रथाओं की तुलना में बैंक की वैकल्पिक चैनल शैलियों से बाहर निकलने का आकलन।
- ❖ वैकल्पिक चैनलों को बढ़ाने के लिए रणनीति और व्यापार के निष्पादन तथा शुल्क आधारित आय के सृजन के लिए प्रौद्योगिकी का निर्माण।
- ❖ वैकल्पिक वितरण चैनल की उपलब्धताओं को बढ़ाने के लिए तथा ऐसे चैनलों की तरफ बदलने वाले ग्राहकों के लिए ग्राहक की सुविधा तथा परिचालन दक्षता को सुनिश्चित करते हेतु सशक्त मल्टी चैनल डिजिटल प्रस्ताव का निर्माण।
- ❖ वर्तमान आईटी अनुप्रयोगों और परिचालन लागत में कमी की गुंजाइश पर इस तरह के प्रस्तावित रणनीति के आशय का विस्तृत मूल्यांकन करना।
- ❖ समामजिक मीडिया रणनीति और कार्यान्वयन।

बिक्री और सीआरएम:

- ❖ बैंक के डेटाबेस को अधिग्रहण, सक्रियन तथा जोड़कर रखने, मूल्य का निर्माण करने तथा ग्राहकों की अवधारण को बढ़ाने के लिए एक विश्लेषिकी प्रभाग की स्थापना हेतु ढांचे का निर्माण और सुझाव तथा लक्षित बिक्री अभियानों और विपणन औ अभियान की सफलता की माप करने का समर्थन भी देना।
- ❖ विपणन के लिए ग्राहकों के प्रोफाइल का विभाजन और ऐसे लीड्स से बिक्री से उच्च रूपांतरण दर की प्राप्ति।

performance, enhanced employee productivity and faster decision making.

- ❖ To identify and suggest functions & processes which could be centralized / decentralized.
- ❖ To prioritize centralized processes and define operating architecture of the same with an objective to deliver higher efficiency, productivity and service levels, including TAT.
- ❖ Layout sequencing of processes for centralization, location selection, design and setup, detailing business requirements and IT solutions and laying out risk management, governance and escalation mechanisms.
- ❖ Initiate sequential rollout of pilots with 2-3 processes considered for each pilot, track implementation and refine the architecture by incorporating learnings from pilot launch.
- ❖ Exploring the scope for simplifying decision making processes for credit sanctions, deliveries, etc., and institutionalizing the same across the Bank.
- ❖ Suggest ways and methods for setting up a Lean Branch Model upon introduction of digital banking architecture.

Digital Banking

- ❖ Assessment of exiting alternate channel architecture of the Bank vis-à-vis best practices followed by leading Banks and Benchmarking.
- ❖ Design strategies to leverage alternate channels and technology for business performance and generating fee based income.
- ❖ Develop approach for increasing alternate channel availability and designing a strong multi-channel digital proposition for customer migration towards such channels to ensure operational efficiency and customer convenience.
- ❖ Conduct detailed assessment of implication of such proposed strategy on current IT applications and scope for reduction in operating costs.
- ❖ Social Media strategy and implementation.

Sales & CRM

- ❖ Suggest and create a framework for establishing an analytics division for leveraging Bank's database towards acquisition, activation and engagement, value build-up and retention of customers; and also support targeted sales campaigns and marketing and measurement of campaign success.
- ❖ Segmentation of customer's profiles for marketing of leads and achievement of higher conversion rates from leads to sales.

- नए ग्राहक अभिग्रहण के लिए प्रसंस्करण देखने, ऑनलाइन अनुमोदन, उत्पाद का मिलान, ग्राहक सेवा संवाद इत्यादि के साथ मल्टी चैनल लीड मैनेजमेंट का निर्माण। (विपणन के लीड्स, लीड्स से बिक्री का 40-50% के रुपांतरण दर की प्राप्ति के लिए ग्राहक प्रोफाइल का विभाजन)
- बिक्री करने के नए तरीकों का विकास तथा बिक्री की योजना का ढांचे के विकास के द्वारा ग्राहकों की सेवा करना।
- विपणन को संस्थागत ढांचे के रूप में क्रियान्वित करना, जो रणनीति बनाने, योजना बनाने तथा बिक्री टीम के माध्यम से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।
- मानदंड का निर्धारण तथा विक्रेता मूल्यांकन का समर्थन और सीआरएम सोफ्टवेयर की खरीदी।
- रुपरेखा का निर्माण तथा पूरे बैंक में उसका कार्यान्वयन।

मानव संसाधन विकास

- कर्मचारीयों को प्रेरित करने तथा अपना पसंदीदा बैंक के रूप में जोड़कर रखने के उद्देश्य से प्रतिभाशालियों द्वारा चलाए जानेवाले संस्था का सृजन करते हेतु मानव संसाधन ढांचे के निर्माण में सुझाव और मदद करना।
- कर्मचारी उत्पादकता को बढ़ाने और समय को कम करने के लिए शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों की दक्षता में सुधार हेतु तरीकों के लिए सुझाव।
- कर्मचारी उत्पादकता में सुधार करने के लिए मानवशक्ति आकलन तंत्र की पुनर्समीक्षा करना तथा उपयुक्त तैनाती / पुनर्तैनाती नीति को परिभाषित करना।
- महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए नेतृत्व विकास पर विशेष ध्यान के साथ –साथ उत्तराधिकार योजना के लिए प्रक्रियाओं तथा पहलों को अपनाना।
- विकास को सुविधाजनक बनाना तथा बैंक के नए परिचालन शैली के लिए एसएलए की शुरूआत। बैंक के मौजूदा निष्पादन प्रबंधन प्रणाली के प्रयोग के लिए सुझाव एवं तरीके।
- बैंक के मौजूदा प्रशिक्षण प्रणाली की समीक्षा और इसमें विशेषत: प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति लाने पर विचार करते हुए सुधार लाने के सुझाव।
- प्रशिक्षण का दृष्टिकोण और शाखाओं और सेवा केंद्रों दोनों के प्रबंधन में परिवर्तन अपनाना।

उपर्युक्त बीपीआर परियोजना बैंक के लिए अपने बहुत पुराने संचालन को स्फूर्तिदायक बनाने, अपने व्यापार और बिक्री की योजना को बढ़ाने, लाभप्रदता को बढ़ाने, मानव संसाधनों की क्षमता प्रकट करने और बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के समय लेनदेन की लागत को कम करने से मदद करेगा। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सबसे पसंदीदा बैंक बनने के लिए बैंक का प्रयास है।

- Develop an integrated multi-channel Lead Management System to drive new customer acquisition with features like workflow for process tracking, online approval, product comparison, customer service chat, etc., (segmentation of customers' profiles for marketing of leads, achievement of conversion rate of 40-50% from leads to sales).
- Develop new way of doing sales and serving customers by developing in depth sales planning framework.
- Define marketing as an organizational structure which would strategize, plan and ensure execution through the sales team.
- Laydown criteria and provide support in vendor evaluation and procurement of CRM software.
- Pilot the design and facilitate rollout across the Bank.

Human Resource Development

- Suggest and help create an HR framework for a meritocracy-led organization, keeping employees motivated, engaged with the ultimate objective of becoming a 'Preferred Bank to work with'.
- Suggest ways and methods for improving efficiency of staff at Branches for enhanced employee productivity and reduced TAT.
- To revisit the manpower assessment mechanism and define suitable deployment / re-deployment policy to improve employee productivity.
- Taking forward initiatives and processes undertaken for Succession Planning, with particular attention to Leadership Development for critical roles.
- Facilitate development and rollout of SLAs for the Bank's new operating architecture. Suggest ways and methods to optimize the utilization of Bank's existing Performance Management System.
- Review the Bank's existing training system and suggest ways to improvise the same, more particularly, considering the advancements in technology.
- Layout an approach for training and change management at both Branches and shared service centers.

The said BPR project is expected to help the Bank to re-energize its good old operations, step up its business and sales plans, to enhance profitability, unfold the potential of the human resources and to reduce the overall transaction costs of various products & services offered by the Bank. Bank endeavors to become the most preferred Public Sector Bank of India.

वर्ष के दौरान समिति का दौरा

1) ''उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति ' ने कर्नाटक में पीएमईजीपी (और एनएमसीपी) का आकलन करने, राज्य में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन, सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के तहत बैंक ऋण की उपलब्धता का आकलन करने तथा राज्य के विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास के निष्पदान का आकलन करने और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत उन्हें प्रस्तुत करने पर विचार करने के लिए 1 से 6 जून 2015 तक कोयंबत्तूर, ऊटी, मैसूर और बेंगलूर का दौरा किया।

2) ''रियल एस्टेट पर संसद की स्थायी समिति (विनियमन और विकास बिल 2013)'' ने 7 से 11 जून 2015 तक कोलकाता और बेंगलुरू में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास बिल 2013) के बारे में चर्चा करने के लिए का दौरा किया ।

3) ''पटल पर रखे गए पत्रों पर संसद की स्थायी समिति, राज्य सभा'' ने वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा की प्रस्तुति तथा संगठन/वित्तीय संस्था द्वारा वार्षिक रिपोर्ट/लेखापरीक्षित लेखा की तैयारी/प्रस्तुति में सामना की जा रही कठिनाइयों के बारे में व्यापक समीक्षा का लिए 7 से 13 जून 2015 तक मुंबई, ऊटी और बेंगलुरू का दौरा किया ।

4) ''अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय स्थायी समिति, राज्यसभा'' ने सुकन्या समृद्धि खाता नियम 2014, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, प्राधानमंत्री जन-धन योजना (पीएम जेडीवाई) का कार्यान्वयन, बैंकों द्वारा किए गए सीएसआर गतिविधियों, बुनकरों, किसानों, महिलाओं और कारीगरों के विशेष संदर्भ में अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण योजना के संदर्भ में बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के लिए 14 से 20 जून 2015 तक लखनऊ, अहमदाबाद और ऊटी का दौरा किया ।

5) ''मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थायी समिति'' ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए शिक्षा ऋण योजना तथा बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में खेल को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों की भर्ती की व्यापक समीक्षा के लिए 1 से 7 जुलाई 2015 तक कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु का दौरा किया।

6) अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय स्थायी समिति, राज्यसभा'' ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए जारी मास्टर परिपत्र-ऋण और आग्रिम-वैधानिक और अन्य प्रतिबंध पर बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के लिए 23 से 30 अगस्त 2015 तक मुंबई, बेंगलूरु, हैदराबाद और विशाखापट्टणम का दौरा किया।

7) ''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति'' ने ऋण/उधार नीतियों के संबंध में अनुसूचित

COMMITTEES VISITED DURING THE YEAR

1) *"Parliamentary Standing Committee on Industry"* visited Coimatore, Oaty, Mysuru and Bangalore on 1st to 6th June 2015 to assess the PMEGP (and NMCP) in Karnataka, to evaluate implementation of PMs Mudra Yojana in the State, to assess availability of Bank credit under Government run schemes and to assess performance of skill development under various schemes of M/o MSME in the State and desirability of submitting them under National Skill Development Mission.

2) *"Parliamentary Standing Committee on the Real Estate (Regulation And Development Bill 2013)* visited Kolkata and Bengaluru on 7th to 11th June 2015 to discuss Real Estate (Regulation And Development Bill 2013.

3) *"Parliamentary Standing Committee on Papers Laid on the Table, Rajya Sabha"* visited Mumbai, Oaty and Bengaluru on 7th to 13th June 2015 for comprehensive review of the laying of Annual Reports and Audited Accounts and constraints being faced by Organisation/Financial Institution in preparing/ laying Annual Reports/ Audited Accounts.

4) *"Parliamentary Standing Committee on Subordinate Legislation, Rajya Sabha"* visited Lucknow, Ahmedabad and Ooty on 14th to 20th June 2015 to discuss with the representatives of Banks on Sukanya Samriddhi Account Rules 2014, The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, Implementation of Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY), CSR Activities undertaken by Banks, Other Priority Sector lending Scheme with particular reference to Weavers, Farmers, Women and Artisans.

5) *"Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development"* visited Kolkata, Mumbai and Bengaluru on 1st to 7th July 2015 for comprehensive review of Education Loan Scheme operated by Banks/FIs and Promotion of Sports and recruitment of Sportspersons in Banks/PSUs.

6) *"Parliamentary Standing Committee on Subordinate Legislation, Rajya Sabha"* visited Mumbai, Bengaluru, Hyderabad and Vishakhapatnam on 23rd to 30th August 2015 to discuss with the representatives of Banks on Master Circular-Loans & Advances-Statutory & other Restrictions issued by RBI for all Scheduled Commercial Banks under the Banking Regulation Act, 1949.

7) *"Parliamentary Standing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes"* visited

जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास में भारतीय रिज़र्व बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा करने के लिए दिनांक 08.09.2015 को संसद भवन, नई दिल्ली का दौरा किया।

8) ''संसद की स्थायी समिति, लोकसभा'' ने विभिन्न बैंकिंग गतिविधियों में संसदों की सार्थक और प्रभावी भागीदारी के लिए मंत्रालय/बैंकों द्वारा उठाए गए उपायों के अध्ययन करने के लिए दिनांक 14.09.2015 को बेंगलूरु का दौरा किया।

9) ''अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग'' ने केंद्रीय मंत्रालयों और उसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों एवं संगठनों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन अध्ययन करने के लिए दिनांक 14.10.2015 को बेंगलूरु का दौरा किया।

10) ''परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति'' ने सड़क क्षेत्र में बुनियादि सुविधा ऋण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 12 से 18 अक्टूबर 2015 तक मुंबई, कोच्ची और लक्षद्वीप का दौरा किया।

11) ''अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण संबधी संसदीय समिति (2015-16)'' ने अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण से संबंधित मुद्दों का मूल्यांकन करने के लिए दिनाक 2 से 6 नवंबर 2015 तक पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम का दौरा किया।

12) ''अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय स्थायी समिति, राज्यसभा'' ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के तहत अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में जारी आरबीआई के मास्टर परिपत्र और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के मुद्दों पर चर्चा के लिए दिनांक 3 से 9 जनवरी 2016 तक मुंबई, बेंगलूरु और तिरुवनंतपुरम का दौरा किया।

13) ''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति'' ने बैंकों के अजा/अजजा कर्मचारी कल्याण संघ के साथ बैठक करने और सेवारत अजा/अजजा के अभ्यावेदनों तथा अजा/अजजा को प्रदत्त ऋण सुविधाओं के संबंध में बैंकों के प्रबंधन के साथ चर्चा करने के लिए 7 से 12 जनवरी 2016 तक हैदराबाद, बेंगलूरु, कुमरकम, कोच्चि और मुंबई का दौरा किया।

14) ''सरकारी आश्वासनों संबंधी संसदीय स्थायी समिति, राज्य सभा'' ने सेज डेवलपर्स को मंजूर किए गए ऋणों से संबंधित आश्वासनों की पूर्ति, ऋण चूक के मामलों में सीबीआई की जांच, सार्वजनिक क्षेत्र के जनरल इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अनुचित व्यापार व्यवहार तथा बीमा एजेंटों की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम की तैयारी के अध्ययन के लिए 17 से 23 जनवरी 2016 तक गोवा और कोच्चि का दौरा किया।

15) ''वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति, राज्यसभा'' ने व्यवसाय पर विशेष महत्व देने के साथ ''बदलनेवाले वैश्विक परिदृश्य में औद्योगिक नीति'' के अध्ययन करने के लिए 28 जनवरी से 2 फरवरी 2016 तक अमृतसर, मुंबई और बेंगलूरु का दौरा किया।

Parliament House, New Delhi on 08/09/2015 to discuss "Role of PSBs/FIs including Reserve Bank of India (RBI) in Socio-Economic Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes with respect to Credit/Lending Policies.

8) *"Parliamentary Standing Committee, Lok Sabha"* visited Bengaluru on 14/09/2015 to study steps taken by the Ministry / Banks for meaningful and effective involvement of MPs in various banking activities.

9) *"National Commission for Scheduled Castes"* visited Bengaluru on 14/10/2015 to study implementation of reservation policy in Central Ministries and its attached / Subordinate Offices & Organisations like PSUs / Public Sector Banks.

10) *"Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture"* visited to Mumbai, Kochi and Lakshadweep on 12th to 18th October 2015 to discuss issues related to Infrastructure Lending in Road Sector.

11) *"Parliamentary Standing Committee on Welfare of Other Backward Classes (2015-16)"* visited Port Blair, Chennai and Thiruvananthapuram on 2nd to 6th November 2015 to evaluate issues pertaining to welfare of Other Backward Classes.

12) *"Parliamentary Standing Committee on Subordinate Legislation, Rajya Sabha"* visited Mumbai, Bengaluru and Thiruvananthapuram on 3rd to 9th January 2016 to discuss issues on Gold Monitization Scheme and RBI Master Circular on Interest Rates on Advances issued under the Banking Regulation Act 1949.

13) *"Parliamentary Standing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes"* visited Hyderabad, Bengaluru, Kumarakom, Kochi and Mumbai on 7th to 12th January 2016 for meeting with SC/ST Employees Welfare Association of Banks and to discuss with the Management of Banks regarding representations of SCs/STs in services and credit facilities provided to SC/STs.

14) *"Parliamentary Standing Committee on Government Assurances, Rajya Sabha"* visited Goa and Kochi on 17th to 23rd January 2016 to study fulfillment of Assurances regarding loans sanctioned by PSBs to SEZ developers, investigation of loan default cases by CBI, unfair business practices by Public Sector General Insurance Companies and preparation of syllabi for exam of insurance agents.

15) *"Parliamentary Standing Committee on Commerce, Rajya Sabha"* visited Amritsar, Mumbai and Bengaluru on 28th Jan to 2nd Feb 2016 to study "Industrial Policy in Changing Global Scenario" with special emphasis on industrial corridors.

16) ''भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन बिल 2013 पर संसदीय स्थायी समिति, राज्यसभा'' ने बिल के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 5 से 8 फरवरी 2016 तक बेंगलूरु, मुंबई और कोलकाता का दौरा किया।

अनुपालन विभाग

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति में स्पष्ट किया गया है कि आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के साथ-साथ अनुपालन कार्य अभिशासन का एक अभिन्न अंग है। अनुपालन विभाग नेतृत्व मुख्य अनुपालन अधिकारी (उप महाप्रबंधक श्रेणी के) करते हैं, जो बैंक के अनुपालन संबंधी कार्यों को देखते हैं और शीर्ष प्रबंधन को जोखिम अनुपालन को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं।

बैंक के उच्च अनुपालन मानक की वचनबद्धता को सुचारु बनाए रखने के साथ-साथ सुधार लाने और बेहतर अनुपालन माहौल बनाने के लिए अनुपालन प्रकार्य की नियमित समीक्षा की जाती है। अनुपालन नीति की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार उसमें अर्जित अनुभव और नवीनतम नियामक क दिशा निर्देशों के अनुसार अपेक्षित संशोधन भी किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

बैंक द्वारा अक्तूबर 2005 से इस अधिनियम के संगत प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के तहत जिन सूचनाओं को प्रकट करना है, वे बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

अधिनियम के अंतर्गत बैंक के लिए अपील प्राधिकारी और विभिन्न स्तरों पर जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और वैकल्पिक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) पदनामित किए गए हैं। अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न स्तरों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को बैंक ने स्पष्ट किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने, 22 अपिलीय प्राधिकारियों, 64 जनसूचना अधिकारियों, 80 वैकल्पिक जनसूचना अधिकारियों एवं एक ट्रान्सपैरेंसी अधिकारी आरटीआई मामलों को सही ढंग से संचालन के लिए नामोदिष्ट किया है।

संसदीय समिति के निर्देशों के अनुसार बैंक ने शीर्ष स्तर पर एक अनुप्रवर्तन समिति का गठन किया है जो आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। वर्ष के दौरान समिति ने बैंक में आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा की।

बैंक ने आरटीआई मामले संभालने वाले अपीलीय प्राधिकारियों, जनसूचना अधिकारियों/वैकल्पिक जनसूचना अधिकारियों तथा नोडल अधिकारियों को सहायता प्रदान करने केलिए हमारे बैंक के इंट्रानेट पर आरटीआई पोर्टल प्रारंभ किया है। वर्ष के दौरान बैंक को 2517 आरटीआई आवेदन तथा 321 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई। बैंक ने निर्धारित समय के भीतर आवेदनों एवं अपीलों का निपटान कर दिया।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

प्रधान कार्यालय, मणिपाल, कर्नाटक, में बैंक का निरीक्षण/लेखा परीक्षण विभाग कार्यरत है जो बैंक की प्रणालियों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के पालन

16) *"Parliamentary Standing Committee on Prevention of Corruption (Amendment) Bill 2013, Rajya Sabha"* visited Bengaluru, Mumbai and Kolkata on 5th to 8th Feb 2016 to discuss on the provisions of the Bill.

COMPLIANCE DEPARTMENT

Compliance Policy approved by the Board of Directors of the Bank articulates that the Compliance Function is an integral part of governance along with the internal control and risk management process. The Compliance Department headed by a Chief Compliance Officer (in the rank of Deputy General Manager) overseas the Compliance Functions in the Bank and assist the top management in managing the Compliance Risk.

Continuing with the Bank's commitment to high compliance standards, Compliance Function is reviewed regularly for making improvements. The Compliance Policy is reviewed every year and amendments, if necessary are carried out based on the experience gained and utility aspects.

RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Bank has implemented the relevant provisions of the Act with effect from October 2005. The information related to the Bank as stipulated under the Act is displayed on the Bank's website.

The Appellate Authorities for the Bank under the Act and the Public Information Officers (PIOs) and Alternate Public Information Officers (APIOs) at various levels have been designated. The Bank has clearly spelt out the roles and responsibilities at different levels under the Act. During the year, the Bank has designated 22 Appellate Authorities, 64 PIOs, 80 Alternate PIOs and one Transparency Officer for smooth functioning of RTI matters.

As directed by the Parliamentary Committee, the Bank has constituted a Monitoring Committee at Apex level to oversee the implementation of the RTI Act. During the year, the Committee has reviewed the effectiveness of implementation of the RTI Act in the Bank.

The Bank has started RTI portal on our Bank Intranet for assisting our Appellate Authorities, PIOs/ APIOs and Nodal Officers handling RTI matters. The Bank received 2517 RTI applications and 321 first appeals in the year. The Banks has disposed of all the applications and all appeals received, within the stipulated time.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Bank has an Inspection Department, independent from control process at Head Office, Manipal, Karnataka that examines the adherence to Systems, Procedures,

की जाँच करता है। भा.रि.बैंक, भारत सरकार से आंतरिक नियंत्रण पर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक–बोर्ड एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति तथा कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति, बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा होंगी।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यकलापों पर नज़र रखती है और बैंक में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के विकास हेतु मार्गदर्शन देती है। यह कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति (एसीई) और बैंक के निरीक्षण विभाग के कार्यों की भी निगरानी करती है।

एसीई; कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित है और प्रधान कार्यालय व कॉरपोरेट कार्यालय के पाँच महा प्रबंधक इसके सदस्य हैं तथा यह निरीक्षण विभाग के स्तर से ऊपर की समिति है। समिति, महत्वपूर्ण लेखा टिप्पणियों के अनुपालन की निगरानी करती है तथा कमीयों को दूर करने के लिए दिशा–निर्देश देती है।

नीति एवं आंतरिक नियंत्रक प्रणाली के अनुपालन की जाँच करते हुए शाखाओं तथा कार्यालयों की विभिन्न प्रकार की लेखा–परीक्षणों को अंजाम देने के लिए आठ प्रादेशिक निरीक्षणालय, निरीक्षण विभाग को मदद करते हैं।

बैंक के पास बोर्ड अनुमोदित पूर्ण परिभाषित आंतरिक लेखा परीक्षण नीति उपलब्ध है जिसके तहत जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण, संगामी लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षण, ए.एम.एल./के.वाई.सी. अनुपालन आदि आते हैं। वार्षिक आधार पर नीति की समीक्षा/अद्यतन किया जाता है।

हमारा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पहला बैंक है, जिसने संगामी लेखापरीक्षा के अंतर्गत आनेवाली शाखाओं में सॉफ्टवेयर आधारित आरबीआईए क्रियान्वित किया है। संगामी लेखापरीक्षा के तहत 01.07.2014 से बैंक ने शाखाओं में सॉफ्टवेयर आधारित संगामी लेखापरीक्षा क्रियान्वित किया है। संगामी लेखा परीक्षकों/शाखाओं से प्राप्त फीड बैंक के आधार पर बैंक ने संगामी लेखा परीक्षा सॉफ्टवेयर पर पुन:विचार किया तथा प्रयोक्तानुकूल संशोधित वर्जन लाया जो 01.04.2015 से लागू हो गया।

सभी शाखाओं के जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) के साथ उच्च जोखिम क्षेत्र; जैसे: विशिष्ट शाखाएँ, शेष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग, निधि एवं निवेश प्रबंधन प्रभाग, पूँजी बज़ार सेवाएँ तथा उच्च प्रमात्रावाली कारोबारी शाखाएँ आदि, को जोड़ा गया।

वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुरूप बनाया गया है जिसमें वर्ष के लिए लेखापरीक्षा योजना की अनुसूची और सिद्धांत शामिल हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान निरीक्षण विभाग ने 5555 निरीक्षण पूर्ण कर लिया है, जिनमें शाखाओं और नियंत्रक कार्यालयों का आरबीआईए, ऋण लेखापरीक्षा, संगामी लेखा परीक्षण, करेंसी चेस्ट लेखापरीक्षा, सेवा शाखा लेखापरीक्षा, शाखाओं/कार्यालयों का अनुपालन लेखापरीक्षा और कार्यकारी विभागों का प्रबंधन लेखापरीक्षा करके 2015-16 की एएपी हेतु निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया है। 31.03.2016 की स्थिति में 3765 घरेलू शाखाओं में से 2620 लघु जोखिमवाले, 937 मध्यम जोखिमवाले और 2 उच्च जोखिम वाले तथा 206 शाखाएँ अश्रेणीकृत हैं।

इसी प्रकार, बैंक प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से दो क्षे.ग्रा.बैं. के लिए बैंक द्वारा द्विवार्षिक प्रबंधन लेखा परीक्षा करवाया गया।

and Policies of the Bank. The Guidelines received on Internal Control from RBI, GOI, Bank's Board, ACB and ACE constitutes part of the Internal Control system for better Risk Management.

Audit Committee of the Board (ACB) oversees the Internal Audit function of the Bank and guides the Bank in developing effective Internal Control Systems. It also monitors the functioning of the Audit Committee of Executives (ACE) and Inspection Department of the Bank.

The ACE, comprising of the Executive Director as Chairman and 5 General Managers of Head Office & Corporate Office as members is a layer above the Inspection Department. The committee monitors the compliances of the major Audit observations and gives directions for rectification of the deficiencies.

Eight Regional Inspectorates operate as extended arms of the Inspection Department (ID) to carry out various types of Audits of the Branches and Offices to examine adherence to Systems of Internal Control, Procedures and Policies.

The Bank has a well defined Board approved Internal Audit Policy covering RBIA, Information System Audit, Concurrent Audit, Credit Audit, Special Audits, Know Your Customer / Anti Money Laundering (KYC / AML) Compliances etc. The Policy is being reviewed / updated on annual basis.

Our Bank is the first Bank to implement software driven RBIA among all Public Sector Banks. Bank has also implemented the Software driven Concurrent Audit w.e.f. 01.07.2014. Based on the feedback received from the Concurrent Auditors / Branches, Bank revisited the Concurrent Audit software and introduced a revamped new version with more user friendly features w.e.f. 01.04.2015.

The Risk Based Internal Audit (RBIA) of all the Branches is supplemented with Concurrent Audit of High Risk areas like Specialized Branches, Treasury & International Banking Division, Funds and Investment Management Division, Capital Market Services and High Volume Business Branches, etc.

The Annual Action Plan (AAP), drawn in accordance with the Internal Audit Policy. Involves the Schedule & Rationale of the Audits planned for the year. For 2015-16. Inspection Department has completed 5555 Audits which include RBIA of Branches and Controlling Offices, Credit Audits, Currency Chest Audits, Service Branch Audits, Compliance Audits of Branches/ Offices and Management Audits of Functional Departments. Out of the 3765 domestic Branches as on 31.3.2016, 2620 Branches are in Low Risk, 937 in Medium Risk, 2 Branches in High Risk and 206 are unrated branches.

Similarly, Bi-Annual Management Audit of the Bank sponsored Regional Rural Banks was undertaken by the Bank for 2 RRBs.

बैंक के निरीक्षण विभाग में बैंक के 22 आउटसोर्स्ड गतिविधियों के लिए निर्धारित ''आउटसोर्स्ड फिनांशियल सर्विस प्रोवाइडर्स'' का जोखिम आधारित लेखा परीक्षा करवाया तथा पाई गई बड़ी विसंगतियों को निदेशक मंडल समक्ष प्रस्तुत किया।

बैंक ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अपेक्षा के अनुसार कुल कारोबार के न्यूनतम 70% संगामी लेखापरीक्षा कवर करते हुए कारोबार लक्ष्य को पार कर लिया है। 31.03.2016 की स्थिति में बैंक ने 776 इकाइयों के 75.25% व्यापार जिसमें अग्रिम 79.19% और जमा 72.15% का संगामी लेखापरीक्षा किया। वर्तमान वर्ष बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी के कर्मचारियों के लिए अभिमुखता तथा पुन: अभिमुखता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

वर्ष 2014-15 के लिए भा.रि.बैं. के ''जोखिम आधारित पर्यवेक्षण'' के तहत बैंक रक्षित है। बैंक ने नई पर्यवेक्षण प्रणाली को अनुकूल बना लिया तथा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के लिए अपेक्षित सभी आंकडे/जानकारी भा. रि.बैं. को प्रस्तुत किया।

काफी बड़ी रकम की धोखाघड़ी का पता लगाना:

वर्ष के दौरान जयपुर क्षेत्र में स्थित जयपुर मालवीय नगर, जयपुर एमआई रोड, तथा उदयपुर शाखाओं में हुई बड़ी रकम की धोखाघड़ी का पता लगाया गया जिसमें बिलों, चेकों तथा साखपत्रों जैसे फर्जी प्रलेखों को भुनाया गया था तथा भा.जी.बी. निगम की अस्तित्वहीन फॉलिसियों के तहत ओवरड्राफ्ट सीमा की सुविधा लेते हुए बैंक कार्मिकों की साजिश से करीब ₹1000 करोड़ की धोखाधड़ी की गई थी।

बैंक ने शीघ्र ही इस धोखाघड़ी में लिप्त कार्मिकों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जालसाजी का पता लगा लिया। धोखाघड़ी करनेवालों तथा इसमें लिप्त संदेहास्पद स्टाफ सदस्यों के विरुद्ध सीबीआई में शिकायत दर्ज करवाई गई। प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर विभागीय जाँच शुरू की गई है तथा लिप्त स्टाफ तथा धोखाघड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

भविष्य में एसी घोखाघड़ी न हो, इससे बचने के लिए बैंक ने कई कदम उठाए हैं जिसमें निरीक्षण प्रणाली को मजबूत करना तथा संगामी लेखा परीक्षकों की भूमिका पुनर्निर्धारित की जानी है। बैंक की ऑफ साइट मॉनिटरिंग कक्ष को और अधिक मजबूत करनी है। बैंक द्वारा ''जालसाजी जोखिम प्रबंधन विभाग'' नामक एक अलग से स्कंध खोला जाएगा ताकि प्रभावी रूप से समय रहते धोखाघड़ी की आशंका का पता लगाया जा सके और उससे बचा जा सके। कनिष्ट वर्ग के बैंक स्टाफ को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे सावधान रहें। इसके साथ ही, उन्हें चेतावनीपरक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है तथा उन्हें सलाह दी गई है कि वे बैंक द्वारा बनाई गई प्रणाली एवं प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करें।

आंतरिक नियंत्रण और सतर्कता

प्रबंधन कार्यों का एक महत्वपूर्ण भाग सतर्कता प्रशासन है, जिसका उद्देश्य संगठन की दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार लाना है।

प्रणालियों एवं कार्यविधियों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शाखाओं में निवारक सतर्कता संबंधी अध्ययन की शुरुआत करके, एसआईबीएम एवं बैंक के अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों में निवारक सतर्कता संबंधी

Inspection Department of the Bank conducted Risk Based Audit of the "Outsourced Financial Service Providers" for the 22 outsourced activities of the Bank and placed the major observations before the Board of Directors.

The Bank has surpassed the Ministry of Finance Govt of India stipulation of minimum Concurrent Audit coverage of 70% of Total Business. The coverage under Concurrent Audit at 776 units stood at 75.25% of Business, 79.19% of Advances and 72.15% of Deposits of the Bank as at 31.3.2016. Orientation and refresher training programmes were conducted for the officials from (Inspection system and from RRBs sponsored by the Bank during the year.

The Bank is covered under "Risk Based Supervision" of RBI for the year 2014-15. The Bank has well adapted to the new Supervisory System and submitted all the required data / information to RBI required for RBS.

Detection of Large Value Fraud:

During the year, a large value fraud was detected in Jaipur Region in Malviya Nagar and M I Road branches at Jaipur and Udaipur branch, wherein fraudsters in connivance with the bank officials committed a fraud of ₹1000 crore (approx.) by resorting to discounting of fake documents i.e., bills, cheques, and LCs and arranging overdraft limit against non-existent LIC policies.

The Bank on detection of fraud, has immediately taken administrative action against the erring officials. Complaint was filed with CBI against the fraudsters and staff who are suspected to be involved. Departmental investigation was ordered and based on the outcome of the report, strict action will be initiated against the erring staff which will act as a deterrent to others.

In order to prevent and mitigate such frauds in future, the Bank has initiated several steps including strengthening the Inspection system and redefining the role of concurrent auditors. Offsite monitoring Cell of the Bank is being further strengthened. A separate vertical by name 'Fraud Risk Management Department' is being created by the Bank for tracking, detecting and preventing the frauds on real time basis, effectively. Bank staff at junior level are being sensitized to be alert and encouraged for whistle blowing and advised to adhere to the laid down systems and procedures of the Bank.

INTERNAL CONTROL AND VIGILANCE

Vigilance administration is a crucial part of the Management function aimed at improving the efficiency and ethical health of the organization.

Stress is laid on preventive vigilance by initiating preventive vigilance studies at branches, conducting Preventive Vigilance Training Programmes at SIBM & other Training

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके तथा शाखाओं में निवारक सतर्कता समितियों का गठन करते हुए निवारक सतर्कता पर जोर दिया गया है।

सहभागिता सतर्कता के रूप में 26.10.2015 से 31.10.2015 तक पूरे बैंक में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन उचित तरीके से किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम: 'निवारक सतर्कता: सुशासन का सशक्त माध्यम' ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान हर दिन देश भर के सभी स्टॉफ सदस्यों के लिए निवारक सतर्कता एवं कंप्यूटर सुरक्षा पर ऑनलाईन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में कुल 16494 स्टॉफ सदस्यों ने भाग लिया था। 'निवारक सतर्कता–सुशासन का सशक्त माध्यम' इस संदेश को सर्वव्यापी बनाने के लिए देश भर के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान बैठकें आयोजित की गईं और इस अवसर पर कर्मचारियों/ग्राहकों/विद्यार्थियों आदि को संबोधित करने के लिए सीबीआई, पुलिस, सरकार, सेवा निवृत्त जज जैसे विशिष्ट व्यक्तियों को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।

हमारे शीर्ष प्रशिक्षण महाविद्यालय अर्थात, सिंडिकेटबैंक प्रबंधन संस्थान, मणिपाल ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रशिक्षण सत्रों के दौरान प्रतिभागियों को धोखाधड़ी से बचाव के लिए एक साधन के रूप में निवारक सतर्कता के महत्व को बताया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतिम दिन कारपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने तीन स्टॉफ सदस्यों को सम्मानित किया जिन्होंने धोखाधड़ी रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी।

समीक्षा वर्ष के दौरान 196 शाखाओं में निवारक सतर्कता अभ्यास आयोजित किये गये एवं कुल 149 शाखाओं के 268 खातों में बैंक को दृष्टिबंधक रखे गये माल का आकस्मिक सत्यापन किया गया।

अपने ग्राहक को जानिए/धन शोधन निवारण

भारतीय रिज़र्व बैंक /भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, 'अपने ग्राहक को जानिए' (के वाई सी) मानदंडों और धन शोधन निवारण (ए एम एल) उपायों पर बैंक की नीति की समीक्षा/आशोधन किया गया है। अपने ग्राहक को जानिए (के वाई सी) नीति का मुख्य उद्देश्य, आपराधिक तत्वों द्वारा जाने या अनजाने रूप से धन शोधन या आतंकवादी वित्तीय क्रियाकलापों के लिये बैंकों का उपयोग करने पर रोक लगाना है।

शाखाओं को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए गए हैं कि, कोई भी खाता किसी गुमनाम या काल्पनिक/बेनामी नाम से एवं आपराधिक पृष्ठभूमि एवं/अथवा आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के नाम से नहीं खोला गया है। के वाई सी के सभी दिशानिर्देशों का अचूक पालन किया गया है और उसका कार्यान्वयन किया गया है।

बुनियादी संरचना – सहयोग

बैंक के आस्ति मूल्य में वृद्धि

बैंक की एक शाखा एवं एटी एम के साथ मुद्रा तिजोरी और क्षेत्रीय कार्यालय : भुवनेश्वर को व्यवस्थित करने के लिए जगमारा भुवनेश्वर, ओडिशा में बैंक,

Centres of the Bank and constitution of Preventive Vigilance Committees at the branches with a view to ensuring strict adherence to systems and procedures.

Vigilance Awareness Week was observed throughout the Bank from 26.10.2015 to 31.10.2015 in a befitting manner as part of Participative Vigilance measures. The theme for the Vigilance Awareness Week was "Preventive vigilance as a tool of good governance".

An on-line quiz competition for all the staff across the country was organized on each day of the vigilance awareness week on preventive vigilance and computer security. A total number of 16494 staff participated in the competition. Regional offices across the country conducted meetings during the vigilance awareness week to spread the message focusing on the theme "Preventive vigilance as a tool of good governance" inviting prominent personalities from CBI, Police, Government, retired Judges, to address staff/customers/students, etc.

Our Apex training college i.e., Syndicate Institute of Bank Management at Manipal organized a quiz competition for the trainees during the vigilance awareness week. In the training sessions, the participants were impressed upon the importance of preventive vigilance as a tool to avoid occurrence of frauds.

The Managing Directors and CEO felicitated three staff members who were instrumental in averting frauds on the concluding day of the vigilance awareness week at Corporate Office, Bangalore.

During the year under review, Preventive Vigilance Exercises were conducted in 196 Branches and surprise verification of goods hypothecated to Bank was conducted in 268 Accounts covering 149 branches.

KNOW YOUR CUSTOMER / ANTI MONEY LAUNDERING

Bank's policy on Know Your Customer (KYC) norms and Anti Money Laundering (AML) measures have been reviewed/ modified in the light of RBI/Govt., of India guidelines. The main objective of KYC policy is to prevent Bank from being used, intentionally or unintentionally, by criminal elements for money laundering or terrorist financing activities.

Branches have been instructed to ensure that no account is opened in anonymous or fictitious/benami name and in the name of persons with a criminal background and/ or having connections with terrorist Organisations. All KYC guidelines are scrupulously followed and implemented.

INFRASTRUCTURE SUPPORT

Enhancement in Asset Value of the Bank

Construction of Bank's own building for housing Currency Chest with a Branch & ATM and Regional Office:

अपने भवन का निर्माण करवा रहा है। इसी प्रकार, मन्नगुड्डा, मंगलूरु में मुद्रा तिजोरी, एटीएम/ई-लाँज़ सहित शाखा एवं आवासीय मकानयुक्त बैंक के निजी भवन का निर्माण कार्य भी इस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया है।

बैंक ने अपने उच्च स्तर के खातेदारों के लिए पूरे देश में 8 अत्याधुनिक शाखाएं खोलने का निर्णय लिया है। ऐसी एक शाखा बेंगलूरु में खोले जाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है तथा उसे जरूर ही खोली जाएगी।

बैंक द्वारा विजयापुर क्षेत्राधीन बागलकोट में 2 पलॉट भूमि खरीदने की कार्रवाई की जा रही है।

बैंक की अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण टियर 1 पूँजी के रूप में ₹312 करोड़ जोड़ा है।

छवि निर्माण

अपनी छवि में सुधार लाने के लिए बैंक, महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी शाखाएं जहाँ तक संभव हो, शाखाएं भूतल मंजिल पर खोली गई हैं। अपनी कारपोरेट छवि को बरकरार रखने के लिए ब्रांड मैनुअल के अनुसार, शाखा के आंतरिक साज-सज्जा एवं अन्य निर्माण कार्य को करवाया गया है। अन्य समकक्ष बैंकों की तरह ही ग्राहकों को आकर्षित करने, नया व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए शाखाओं को वातानुकूलित बनवाया गया है। नई पीढ़ी के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ-साथ शाखाओं में उपलब्ध अतिरिक्त जगह का सार्थक उपयोग करने के लिए बैंक ई-लाँज़ भी खोल रहा है।

अन्य

आध्रप्रदेश के नेल्लूर जिले में सौर शक्ति प्रदान करने की प्रारंभिक परियोजना में सफलता प्राप्त करने के बाद, हरित क्रांति के समर्थन में बैंक अब पैन इंडिया स्तर पर 100 शाखाओं को सौर इकाई ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधनों द्वारा यूपीएस बैक अप का प्रावधान करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

बैंक अब एलईडी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को लगवा रही है जिनसे शाखाओं में रोशनी बढ़ने के साथ-साथ बिजली का खर्च भी घट रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वच्छ नोट नीति के तहत बैंक ने अब तक विभिन्न मुद्रा तिजोरियों के लिए 33 बड़े आकार की नोट शॉर्टिंग्स मशीनें खरीदी है और विभिन्न शाखाओं के लिए डेस्क टॉप नोट शॉर्टिंग मशीनें खरीद रहा है।

बैंक ने फर्नीचर एवं अन्य मदों के लिए ऑन लाईन लेखा प्रारंभ किया है।

बैंक ने एमआईएस उपक्रमण के अंश के रूप में जीएडी के उपयोग के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया है, जिसमें बटन दबाते ही लीज पर लिए गए शाखा परिसरों के विविध आँकड़े देखे जा सकते हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन

संस्था के कारोबार और दक्षता में सुधार लाने, शाखाओं/कारोबार इकाइयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच शाखाओं के भौगोलिक विस्तार को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से, बैंक ने वित्तीय वर्ष

Bhubaneswar is in progress at Jagmara, Bhubaneswar, Odisha. Construction of Bank owned Building at Mannagudda Mangalore for housing Currency Chest, Branch with ATM/e lounge and residential quarters is also taken up during this financial year.

Bank has decided to open 8 Nos of State of the Art Branches Pan India to cater to high value customers. Site preparation of one such Branch in Bangalore is in progress and is likely to be opened shortly.

Bank has initiated steps for purchasing 2 plots of land at Bagalkot under Vijayapura Region.

Bank has added ₹312 crore as Tier 1 Capital an account of Revaluation of Bank's fixed assets.

Image Building

Bank is going for opening of Branches in prominent locations to improve the visibility. Branches are invariably opened in Ground Floors unless it is absolutely not possible. The interior Furnishing and other site preparation works are carried out as per Brand Manual to maintain Corporate Identity. Air Conditioning of Branches is being done at par with other peer Banks to attract Customers and garner new business besides giving comfort to the employees. Bank is also opening e-Lounge for effective utilization of space of the Branches, besides attracting new Generation Customers to our fold.

Others

Having completed the pilot project of providing Solar Power Units in Nellore District of Andhra Pradesh, Bank has now initiated the process of providing Solar Units to 100 Branches on a Pan India basis for providing UPS backup from Non-renewable sources of energy as part of Green Initiative of the Bank.

Bank is providing cost effective LED electrical fittings, resulting in reduction of electricity consumption charges, besides enhanced illumination of the Branches.

Under RBI's clean note policy, Bank has already procured 33 Nos of Heavy Duty Note Sorting Machines for various Currency Chests and also in the process of procuring Desk Top Note Sorting Machines to various Branches.

The Bank has introduced on-line accounting of furniture and other items.

Bank has also developed a web portal for the use of GAD as part of MIS initiatives, which will make available various data about the leasehold Branch premises at the push of a button.

Re-organization of Regions

In order to improve the efficiency and business of the organization, institutionalise more effective span of control over the branches/business units, rationalizing

2015-16 के दौरान 2 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं। जिनमें से एक बड़ोदड़ा है जिसे वर्तमान अहमदाबाद क्षेत्र में से कुछ शाखाओं को निकालकर तथा मेरठ और मुरादाबाद क्षेत्रों में से शाखाएँ निकालकर नया क्षे.का. देहरादून स्थापित किया गया है। इस पुनर्गठन से शाखाओं पर बेहतर निगरानी एवं नियंत्रण करके कारोबार बढ़ाने में बैंक को मदद मिलेगी।

औद्योगिक संबंध:

वर्तमान वर्ष में बैंक के औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्द्रपूर्ण रहे जिससे बैंक के कारोबार के समग्र विकास में सहायता मिली है। बैंक के यूनियन/संघ भी कॉरपोरेट लक्ष्य के प्रति संवेदनशील तथा सक्रिय रहे हैं।

पुरस्कार/सम्मान

- हमारे बैंक को कृषि बैंकिंग और ग्रामीण बैंकिंग श्रेणी के अंतर्गत दो प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ बडे बैंक वर्ग के तहत एसोचैम सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया है।
- भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के चैंबर (सिआईएमएसएमई) द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों में 'एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार – 2015' के लिए बैंक को सम्मानित किया गया है।
  - सीएसआर एवं व्यापार दायित्व के लिए श्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 'मध्य आकार के बैंकों' हेतु विजेता।
  - वित्तीय समावेशन के लिए श्रेष्ठ बैंक पुरस्कार ''मध्य आकार के बैंकों'' हेतु विजेता।
  - पीएमजेडीवाई के लिए श्रेष्ठ बैंक पुरस्कार ''मध्य आकार के बैंकों'' द्वितीय विजेता।
- हमारे सिंड ई–पासबुक ने ''स्मार्ट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के सर्वश्रेष्ठ - 2015 के लिए स्कॉच अवार्ड'' जीता।
- राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र 'ग' के राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ''राजभाषा किर्ति पुरस्कार'' के तहत प्रथम घोषित।
- सिंडिकेटबैंक, फार्ब्स 2000, की अतिसशक्त सार्वजनिक कंपनियों कि सूची में से कर्नाटक की सर्वश्रेष्ठ पांच में से एक है।
- हमारे बैंक को मध्यम आकार के बैंक श्रेणी के तहत वर्ष 2015 के लिए निम्नलिखित एनपीसीआई उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है:
  - राष्ट्रीय वित्तीय स्विच की एनएफएस एटीएम नेटवर्क निष्पादन पुरस्कार के विजेता।
  - चैक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) निष्पादन के लिए द्वितीय पुरस्कार।
  - राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) में निष्पादन के लिए संयुक्त द्वितीय पुरस्कार विजेता।
- बैंक को निवल अग्रिम अनुपात में न्यूनतम निवल अनर्जक आस्ति के लिए दलाल स्ट्रीट निवेश जर्नल द्वारा ''7 वी पीएसयू अवार्ड 2015'' से सम्मानित किया गया है।

geographical spread of branches across the regions, Bank has opened 2 new Regional Offices one at *"Vadodara"* by carving out branches from existing Ahmedabad Region and another at *"Dehradun"* by carving out branches from existing Meerut and Moradabad Regions during the FY 2015-16. Reorganization will help the Bank to increase business by rationalizing branch network and better monitoring and control.

INDUSTRIAL RELATIONS

During the year, Industrial Relations in the Bank has been cordial and harmonious facilitating all-round growth in the Business of the Bank. The Unions/Associations have also been responsive and proactive to the Corporate goals.

ACCOLADES/AWARDS

- Our Bank is awarded with two prestigious awards under Agricultural Banking and Rural banking category by ASSOCHAM Social Banking Excellence Awards 2015 under Large Bank Class.
- Bank has been awarded "MSME Banking Excellence Awards-2015" in the following categories by Chamber of Indian Micro Small & Medium Enterprises (CIMSME)
  - Best Bank Award for CSR & Business Responsibility "Mid Sized Banks"-Winner.
  - Best Bank Award for Financial Inclusion "Mid Sized Banks"-Winner.
  - Best Bank Award for PMJDY "Mid Sized Banks"-Runner Up.
- Synd e-Passbook wins *"SKOCH Award, for India's Best-2015 in Smart Technology"*.
- Adjudged first under *Rajbhasha Kirti Puraskar for the Financial Year 2014-15 among Nationalised Banks and Financial Institutions of Region 'C'* for outstanding implementation of Official Language Policy.
- SyndicateBank is one among the Five from Karnataka in *Forbes' 2000 list of most powerful public companies*.
- Our Bank has been awarded the following *NPCI Excellence Award* for the year 2015 under Mid-sized Bank Category:
  - Winner of *NFS ATM Network Performance Award* of National Financial Switch.
  - Runner Up Award for *Cheque Truncation System (CTS)* Performance.
  - Joint Runner Up award for performance in National Automated Clearing House (NACH).
- Bank has been awarded "the 7th PSU Award 2015" by Dalal Street- Investment Journal for lowest Net NPA to Net Advances Ratio.

☞ बैंकर्स क्लब केरल के राज्य फोरम द्वारा 'वर्ष 2014-15 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों के श्रेणी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर, श्रेष्ठ बैंक हेतु बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2015' से बैंक को सम्मानित किया गया।

☞ हमारी हिंदी पत्रिका 'जागृति' को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित हिंदी हाउस जर्नल प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

सुरक्षा

बैंक का सुरक्षा विभाग हमारी सभी शाखाओं, एटीएम और कार्यालयों को प्रभावी, कारगर तथा प्रगतिपरक बेहतर सुरक्षा समाधान प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। विभाग ने मई 2007 में आईएसओ 9001:2000 प्रमाणीकरण प्राप्त किया है जिसे मई 2010 में आईएसओ 9001:2008 में अपग्रेड किया गया है और फिलहाल यह 14 सितंबर 2016 तक के लिए नवीकृत है। इस प्रकार विभाग ने सभी सरकारी बैंकों के बीच आईएसओ 9001:2008 प्रमाणीकरण प्राप्त करनेवाला प्रथम सुरक्षा विभाग के रूप में श्रेष्ठता प्राप्त की है। फिलहाल यह प्रमाणीकरण 14 सितंबर 2016 तक के लिए वैध है, तब उसकी समीक्षा की जाएगी।

सुरक्षा मामलों के दिशानिर्देशों को वार्षिक सुरक्षा कार्ययोजना के जरिए क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यान्वयन किया गया है। शाखाओं, एटीएम, मुद्रा तिजोरियों और प्रशासनिक कार्यालयों की सुरक्षा के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी दिशानिर्देशों एवं अनुदेशों का कार्यान्वयन एवं अनुपालन किया गया है।

मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सभी मुद्रा तिजोरियों के संबंध में सुरक्षा लेखा परीक्षा संचालित की गई है। सभी मुद्रा तिजोरियों को सुरक्षा तथा निगरानी उपकरण जैसे सीसीटीवी, ऑटोमेटिक टाइम लॉक, बायो-मेट्रिक एक्सेस कंट्रोल, हॉटलाइन्स, पैसिव इनफ्रा रेड डिवाइस, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम और ऑटो डायलर्स उपलब्ध कराए गए हैं। बैंक के सभी कैश वैनों को ग्लोबल पोजिशनिंग रेडियो सिस्टम (जी पी आर एस) उपलब्ध कराए गए हैं ताकि मार्गस्थ विप्रेषण का तत्काल पता लगाया जा सके।

शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने हेतु और उच्च प्रबंधन के निदेशों की अनुपालना में सभी शाखाओं में एटीएम होना जरूरी है और सभी एटीएम सीसीटीवी सिस्टम से युक्त हो तदनुसार, सभी शाखाओं में सीसीटीवी सिस्टम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शाखा स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए, शाखाओं के जोखिम श्रेणीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है ताकि सभी शाखाओं की जोखिम श्रेणी के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा संरचना उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त, जहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, उन स्थानों में, स्थिति में सुधार होने तक अस्थायी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

एटीएम में बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए, दो सीसीटीवी कैमरा लगाकर सुरक्षा को बढ़ाया गया है जिसमें एक कैमरा लॉबी को तथा दूसरा बाह्य क्षेत्र को कवर करता है। सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए पैनिक स्विच के साथ साउंड अलार्म सिस्टम उपलब्ध कराया गया है। ऑफसाइट एवं जोखिम भरे एटीएम

☞ Bank has been awarded *"Banking Excellence Award 2015, for the 3rd best Bank at national level under Public Sector Banks category for the year 2014- 15"* by State forum of Bankers Club Kerala.

☞ Our Hindi Magazine 'Jagriti' got award in *Hindi House Journal Competition* conducted by Reserve Bank of India.

SECURITY

The Security Department of the Bank has been making constant efforts to provide effective, efficient and progressively better security solutions to all our Branches, ATMs and offices. The Department had obtained ISO 9001:2000 Certification in May 2007, which was upgraded to ISO 9001:2008 in May 2010 and presently it stands renewed up to 14th September 2016. The Department has thus achieved the unique distinction of being the First Security Department among all the Public Sector Banks to become ISO 9001:2008 compliant. The Certification is currently valid till 14th September 2016 when it will be reviewed.

The guidelines on security matters are disseminated to Regional Offices for implementation through Annual Security Action Plan. All RBI's guidelines and instructions received during the year for Security of Branches, ATMs, Currency Chests and Administrative Offices have been implemented and complied with.

As per Guidelines, Security Audit has been conducted in respect of all the Currency Chests. All Currency Chests are provided with security and surveillance equipment like CCTVs, Automatic Time Lock, Biometric Access Control, Hotlines, Passive Infra Red Devices, Automatic Fire Detection & Alarm Systems and Auto dialers. All the Cash Vans of the Bank have been provided with Global Positioning Radio System (GPRS) to facilitate real time tracking of remittance in transit.

To augment the security arrangements at Branches, CCTV has been installed in 3497 branches. As part of the ongoing process of strengthening the security at branch level, the system of risk categorization of branches has been adopted in line with IBA guidelines so as to provide adequate security infrastructure commensurate with the risk category at all branches. In addition, in places where the Law & Order situation deteriorates, flexibility to provide Security guards temporarily till security scenario improves has been made.

In view of the increasing crimes on ATMs, security has been enhanced by introducing a second CCTV Camera to cover the Lobby and also a Sound Alarm System with Panic Switch. The ATMs are being grouted to the ground so that they cannot be easily carted away. Apart from

के अतिरिक्त, उन एटीएम केंद्रों में चौबीस घंटे शस्त्ररहित गार्ड तैनात किए गए हैं जहाँ न्यायिक/पुलिस प्राधिकारी ने गार्ड तैनात करने की सलाह दी है और उन स्थानों में भी जहाँ, कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो।

अपराध परिदृश्य और आतंकी संभावनाओं के आधार पर, सुरक्षा व्यवस्था की आवधिक समीक्षा एवं अद्यतन किया जाता है। बैंक के हित में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए समुचित सक्रिय, निवारक एवं सावधानी उपायों को अपनाया गया है।

सिंडबैंक सर्विसेस लिमिटेड

सिंडबैंक सर्विसेस लिमिटेड (एसबीएसएल) की स्थापना दि. 25.01.2016 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत, सिंडिकेट बैंक और उसके ग्राहकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को बैक-ऑफिस सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से ₹10 करोड़ की प्राधिकृत पूँजी और ₹25 लाख की प्रदत्त पूँजी के साथ सिंडिकेटबैंक की एक पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी के रूप में की गई।

वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी द्वारा किए गए क्रिया-कलाप निम्नानुसार हैं:

1) अपने खुदरा ऋण संविभाग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मासिक आधार पर बैंक के अनियमित खुदरा उधारकर्ताओं को केंद्रीकृत रूप से नोटिस व एसएमएस के जरिए अनुवर्तन का काम बैंक द्वारा कंपनी को दिया गया है। कंपनी, बेंगलूरु उत्तर एवं दक्षिण के साथ कुछ अन्य से क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आनेवाली शाखाओं के खुदरा उधारकर्ताओं और एसएमए खाताधारकों को बैंक की तरफ से फोन कर उनका अनुवर्तन करने के लिए एक छोटा सा काल सेन्टर भी चलाता है। 60% से अधिक बकाया खातों में वसूली के साथ इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

2) क्रय आदेश के अनुरूप, सिंडिकेट बैंक एवं उसके द्वारा प्रायोजित ग्रामीण बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए खरीदे गए कंप्यूटर हार्डवेयर की सुरक्षित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी, कंप्यूटर हार्डवेयर की लदान-पूर्व परीक्षण कराता है।

3) सिंडिकेटबैंक उसके द्वारा प्रायोजित ग्रामीण बैंकों को इन्स्टंट एवं पर्सनलाईज डेबिट कार्ड तैयार करने के लिए कार्ड पर्सनालाईजेशन सेवाएँ प्रदान करता है।

4) सिंडिकेटबैंक के ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का मुद्रण व प्रेषण।

5) सिंडिकेटबैंक की तरफ से बीडब्ल्यूएसएसबी कियोस्क से नकदी व चेक का संग्रहण करता है और संग्रहित चेकों को सीबीएस में अपलोड करने के लिए क्लियरिंग आउटवार्ड फाईल तैयार करता है।

6) आउटसोर्सिंग गतिविधियाँ जैसे, सीओ: ओआईटी, बेगलूरु में इंटरनेट बैंकिंग हेल्पडेस्क के 24X7 मैनिंग तथा सिंडिकेटबैंक कारपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के कॉल डेस्क के लिए संसाधन उपलब्ध कराना।

Offsite and Critically sited ATMs, round the clock unarmed guards have been deployed at those ATM centres where the Police Authorities have advised for posting of guards and also at places where the law and order situation so warrants.

Based on the crime scenario and threat perceptions, the security arrangements are periodically reviewed and updated. Suitable pro-active preventive and precautionary measures are put in place to adequately safeguard the interests of our Bank.

SYNDBANK SERVICES LTD

SyndBank Services Limited (SBSL) was incorporated under the Companies Act, 1956, on 25.01.2006, as a wholly owned subsidiary of Syndicate Bank, with an authorized capital of ₹10 crores and paid up capital of ₹25 lakhs to extend back-office services to Syndicate Bank, its clients and other financial institutions.

The company has undertaken the following activities during the year 2015-16:

1) To maintain a healthy portfolio of Retail Credit, Bank has assigned follow-up of irregular retail loans of the Bank centrally by sending Notices & SMS messages on monthly basis. The Company also operationalised the service of a small call center service on behalf of the Bank to tele-call the retail loan borrowers and follow up SMA Accounts of the Branches coming under Bangalore North and South Regions and also few other Regions. There is a good response to this with recovery in over 60% of delinquent accounts.

2) To ensure the supply of procured hardware in conformity with Purchase order, Company provides Pre-shipment Testing of computer hardware procured by Syndicate Bank and RRBs sponsored by Syndicate Bank and for other Public Sector Banks / Financial Institutions.

3) Card personalization services for preparation of instant as well as personalised Debit Cards to Syndicate Bank and RRBs sponsored by the Bank.

4) Printing & Dispatch of Internet Banking Passwords for customers of Syndicate Bank.

5) Collection of Cheques and cash from BWSSB Kiosks on behalf of Syndicate Bank. Preparing clearing outward file for upload to CBS system for cheques so collected.

6) Out sourcing activities like Providing Resources for manning 24 x 7 Internet Banking Help Desk at CO: DIT, Bangalore and resources for Call Desk for State Level Bankers Committee (SLBC), at Syndicate Bank's Corporate Office at Bangalore.

7) सिंडिकेटबैंक की शाखाओं को मोबाईल पिन मेलर का प्रेषण ताकि वे उसे आगे बैंक के ग्राहकों को सुपुर्द कर सकें।

8) वित्तीय कारणों से अप्रदत्त आवक समाशोधन चेकों की वापसी वाले सिंडिकेटबैंक के ग्राहकों को विधिक एवं अन्य संलिप्त प्रभावों का वर्णन करते हुए नोटिस/सलाहकारी पत्र जारी करना।

9) वर्ष के दौरान, समय-समय पर कंपनी ने अपने मूल बैंक के विभिन्न विभागों से संबंधित कई तदर्थ कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। देश के विभिन्न राज्यों में फैले विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आनेवाली शाखाओं से संबंधित एक लाख से अधिक कृषि ऋणकर्ताओं को कंपनी ने क्षेत्रीय भाषा बकाया ऋण नोटिस का मुद्रण कर उसे प्रषित किया।

कंपनी ने आउटसोर्सिंग के जरिए, कारपोरट कार्यालय: एसएलबीसी की तरफ से पूरे कर्नाटक राज्य में फैले 4,500 से अधिक व्यवसाय प्रतिनिधियों से व्यापार प्रतिनिधि की सेवाओं को जारी रखने या न रखने संबंधी उनके वर्तमान निर्णय की जानकारी मेहज़ एक हफते के अंदर हासिल किया।

अपनी शुरुआत से ही एसबीएसएल, एक लाभदायक कंपनी रही है और लगातार अपने राजस्व एवं लाभ में संवृद्धि कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके निष्पादन का विवरण निम्नवत् है:

विवरण	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2016
प्राधिकृत पूँजी	1,000	1,000	1,000
प्रदत्त पूँजी	25	25	25
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	622	780	978
अचल आस्तियां (निवल)	8	6	6
कुल आय	329	479	555
कर पूर्व लाभ	163	235	296
कर पश्चात लाभ	110	158	198

निदेशक मंडल में परिवर्तन

i श्री अरुण श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दि. 15.05.2015 को बैंक में पदभार ग्रहण किया।

ii श्री आनंद के. पंडित, शेयरधारक निदेशक का कार्यकाल दि. 17.07.2015 को समाप्त हो गया।

iii श्री कमल किशोर सिंघल का चयन, दि. 31.10.2015 को शेयरधारक निदेशक के रूप में किया गया।

iv श्री आर. एन. दूबे की नियुक्ति दि. 15.01.2016 को सरकारी आधिकारिक निदेशक के रूप में श्री एच. प्रदीप राव के स्थान पर की गई।

v डॉ. सी. आर. नसीर अहमद, गैर-सरकारी निदेशक का कार्यकाल दि. 31.01.2016 को पूरा हुआ।

7) Dispatch of Mobile Banking PIN mailers of Syndicate Bank to branches for onward delivery to Bank customers.

8) Issue of notices / advisory letters explaining legal and other implications, to the customers of Syndicate Bank whose inward clearing cheques are returned unpaid for financial reasons.

9) The Company during the year has taken up Ad-hoc work from time to time from various Departments of the parent Bank and successfully completed the assignments. The Company printed over one lakh crop loan due notices in regional languages for dispatching them to the farm loan borrowers in respect of Branches coming under various regions spread across different states.

Through outsourcing model, on behalf of CO: SLBC, the Company tele-called over 4,500 Business Correspondents spread across Karnataka State in a record time of one week to ascertain their present position with regard to continuing the BC services or otherwise.

SBSL, a profit making company from its inception, is consistently improving its revenues. The details of its performance during the last three years is as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	March '14	March' 15	March'16
Authorised Capital	1,000	1,000	1000
Paid Up Capital	25	25	25
Reserves & Surplus	622	780	978
Fixed Assets (Net)	8	6	6
Total Income	329	479	555
Profit Before Tax	163	235	296
Profit After Tax	110	158	198

CHANGES IN THE BOARD:

i. Shri Arun Shrivastava, Managing Director & CEO joined the Bank w.e.f. 15.05.2015.

ii. Shri Anand K Pandit, Shareholder Director completed his term on 17.07.2015.

iii. Shri Kamal Kishore Singhal, elected as Shareholder Director on w.e.f. 31.10.2015.

iv. Shri H Pradeep Rao, Government Official Director was replaced by Shri R N Dubey w.e.f. 15.01.2016.

v. Dr. C R Naseer Ahamed, Non Official Director completed his term on 31.01.2016.

निदेशकों की जिम्मेदारी से संबंधित विवरण

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष से संबंधित वार्षिक लेखों को तैयार करते समय निदेशक मंडल निम्नवत् पुष्टि करते हैं :

कि, वार्षिक लेखा तैयार करते समय प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है तथा महत्वपूर्ण मुद्दे यदि कोई हों, पर उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं।

कि, लेखाकरण नीतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और उनका निरंतर प्रयोग किया गया है।

कि, समुचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किया गया है ताकि वह वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के कारोबार तथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष से संबंधित बैंक के लाभ व हानि पर एक सत्य एवं सही चित्र दर्शा सके।

कि, बैंक की आस्तियों की रक्षा करने तथा धोखाधड़ी और अन्य प्रकार की विसंगतियों को रोकने तथा पता लगाने के लिए उन्होंने भारत में बैंकों पर लागू होनेवाली विधि संबंधी उपबंधों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों का रख-रखाव करने हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

कि, वार्षिक लेखों को 'निरंतर आधार' पर तैयार किया गया है।

कि, सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु यथोचित प्रणाली बनाए गए हैं तथा ये प्रणाली पर्याप्त हैं एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

आभार

निदेशक मंडल जनता, अपने मूल्यवान ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारी सदस्यों से प्राप्त निरंतर सहयोग और संरक्षण के लिए उनके योगदान को प्रसन्नतापूर्वक अभिलेखित करता है।

निदेशक मंडल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा भारत में और भारत से बाहर के संपर्कियों के प्रति भी समय-समय पर दिए गए उनके अटल एवं समर्थन व मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त, श्री अरुण श्रीवास्तव, बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित, श्री कमल किशोर सिंघल तथा बैंक के सरकारी आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त श्री आर. एन. दूबे का स्वागत करता है।

निदेशक मंडल, बैंक के शेयरधारक निदेशक, श्री आनंद के. पंडित, सरकारी आधिकारीक निदेशक, श्री एच. प्रदीप राव, तथा गैर-सरकारी निदेशक, डॉ. सी. आर. नसीर अहमद को, जिन्होंने वर्ष के दौरान अपनी अवधि पूरी

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2016, confirm the following:

That the applicable accounting standards have been followed in the preparation of annual accounts alongwith proper explanation relating to making departures.

That the accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.

That reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at the end of financially year and of the profit or loss of the Bank for the year ended March 31, 2016.

That proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

That the annual accounts have been prepared on a 'going concern' basis.

That proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

ACKNOWLEDGEMENT

The Directors wish to place on record their sincere appreciation to the public, valuable customers, shareholders and staff members for their continued support and patronage in India and abroad.

The Directors are also indebted to the Ministry of Finance, Government of India, RBI, SEBI and other regulatory authorities, various Financial Institutions, Banks and Correspondents in India and abroad for their unflinching and valuable support and guidance from time to time.

The Board wishes to welcome Shri Arun Shrivastava, who has been appointed as the Managing Director & CEO of the Bank; Shri Kamal Kishore Singhal, who has been elected as Shareholder Director of the Bank and Shri R N Dubey, who has been appointed as Government Official Director of the Bank.

The Board also express their indebtedness to Shri Anand K Pandit, Shareholder Director; Shri H Pradeep Rao, Government Official Director and Dr. C R Naseer Ahamed,

कर ली, उनके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए मार्गदर्शन, नेतृत्व और समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 27.05.2016

(**अरुण श्रीवास्तव**)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Non Official Director of the Bank who have completed their term during the year for their able guidance, leadership and support that they had provided during their tenure in the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors.

Place : Manipal
Date : 27.05.2016

(Arun Shrivastava)
Managing Director & CEO

कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन संहिता का सिद्धांत

1) बैंक का लक्ष्य ग्राहक केंद्रित, तकनीकी संचालित और कर्मचारी हितैषी बनकर हिताधिकारियों को महत्व देते हुए एक अग्रणी वित्त सक्षम वैश्विक बैंक बनना है।

2) बैंक ने अपने निम्नलिखित लक्ष्यों को अपनाया है:
   - समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हुए बैंकिंग समाधान का एक अग्रणी सुविधादाता बनना।
   - अपनी ग्राहक सेवा के लिए मशहूर एक अतिमान्य व दृश्यमान ब्रांड बनना।
   - अति सुविधाजनक कार्यस्थल का निर्माण जहाँ कर्मचारी गर्व एवं अभिप्रेरणा महसूस करें।
   - अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी सुविधाओं द्वारा सभी हिताधिकारियों में सुखद माहौल बनाना।
   - प्रभावशाली वित्तीयन एवं परिचालनगत निष्पादन।

3) बैंक ने वर्ष 2015-2016 के लिए 'एस्पायर' नामक कॉर्पोरेट थीम को अपनाया है:

   गुणवत्तायुक्त कारोबार हासिल करना

   धारणीय संवृद्धि

   संपूर्ण निष्पादन

   अभिशासन में सुधार

   दबावग्रस्त आस्तियों को कम करना

   उत्कृष्ट ग्राहक सेवा

4) बैंक का कार्पोरेट अभिशासन दर्शन उसके संचालन के संबंध में उसकी नैतिक कार्यप्रणाली के प्रति संपूर्ण प्रतिबद्धता तथा शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि करने के प्रयास के साथ जुड़ा हुआ है।

5) बैंक उच्च प्रकटीकरण मानकों तथा पारदर्शिता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

6) बैंक सभी क्षेत्रों में विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदण्डों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहा है।

7) बैंक ने अपने सभी कार्यक्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने नैगम दर्शन का मनसा, वाचा, कर्मणा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नैगम अभिशासन की एक प्रभावी एवं पारदर्शी प्रणाली बनाई है, जो व्यावसायिक निदेशक मंडल द्वारा संचालित है।

8) शानदार इतिहास की पृष्ठभूमि पर एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के रूप में विश्वास हासिल करते हुए बैंक में लेखांकन एवं सामान्य अभिशासन में अत्यंत ऊंचे स्तर के नैतिक मानदंड अपनाए गए हैं।

9) बैंक अपने लिए संपत्ति और संसाधनों को जुटाने, उनका संरक्षण करने तथा उनकी वृद्धि करने के लिए और अपने निष्पादन को ठीक समय पर तथा पारदर्शी ढंग से रिपोर्ट करने के संबंध में अपने सभी निवेशकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है।

10) बैंक में एक सुपरिभाषित नीति संहिता है, जो सेबी दिशा निर्देशों के अंतर्गत निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू होती है।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार तथा केंद्र सरकार के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ 4/1/94-BO.I(1) दि. 03.04.1995 जोकि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) एवं वित्तीय संस्थान नियम (संशोधन) अधिनियम 2006 के तहत संशोधित किया गया है।

संप्रति, मंडल में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 पूर्णकालिक निदेशक यानी अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा 2 कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, भा.रि.बैं. द्वारा नामित एक निदेशक, एक कामगार कर्मचारी निदेशक, एक गैर-कामगार कर्मचारी निदेशक तथा 2 निर्वाचित शेयरधारक निदेशक, बैंक के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर, सभी गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। अध्यक्ष एवं मु.का.अ. की अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक - 1,

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Philosophy on Code of Governance

1) The Bank has a vision to be a leading financially strong universal Bank, creating value for stakeholders through customer centric, technology driven and employee friendly approach.

2) The Bank has adopted the following as its Mission:
   - To be a leading provider of Banking solutions, providing a range of financial services to all strata of society;
   - To be a highly recognized and visible brand, known for its customer service
   - To be the most preferred place to work, where employees feel proud and motivated;
   - To have state of the art technology & infrastructure creating delight among all stakeholders;
   - To deliver strong financial and operational performance.

3) The Bank had adopted "ASPIRE" as Corporate Theme for the year 2015-2016:
   - A – Acquire Quality Business
   - S – Sustainable Growth
   - P – Perform 360 Degree
   - I – Improved Governance
   - R – Reduce Stressed Assets
   - E – Excellence in Customer Service

4) The Bank's Corporate Governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance shareholders' value.

5) The Bank is committed to following high disclosure standards and transparency.

6) The Bank has been scrupulously ensuring compliance with norms laid down by regulatory authorities in all areas.

7) To ensure that the corporate philosophy of the Bank is practiced in letter and spirit in all the functional areas of the Bank for fulfilling the mission adopted, the Bank has an effective and transparent system of Corporate Governance driven by a professional Board.

8) Conscious of the trust enjoyed by it as a public Institution with a proud history, the Bank maintains high ethical standards in accounting and general governance.

9) The Bank recognizes its accountability to all stakeholders for creating, protecting and enhancing wealth and resources for the Bank and reporting to them on its performance in a timely and transparent manner.

10) The Bank has laid down a well-defined Code of Conduct, which is applicable to all the members of the Board and Senior Management in line with the SEBI Guidelines.

BOARD OF DIRECTORS

The Board has been constituted in accordance with section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as per the Central Government Gazette Notification No. F 4/1/94-BO.I(1) dated 03.04.1995 as amended vide Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006.

Presently the Board comprises of 3 whole time Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer and the 2 Executive Directors, appointed by Central Government, 1 Government Nominee Director, 1 RBI Nominee Director, 1 Workmen Employee Director, 1 Non Workmen Employee Director, and 2 elected Shareholder Directors. All the Directors of the Bank, except the Managing Director & Chief Executive Officer and the Executive Directors, are non-Executive Directors.

मंडल की अध्यक्षता करेंगे। बैंक का सामान्य पर्यवेक्षण, निदेश, कारोबार एवं कार्यों का प्रबन्धन बैंक के निदेशक मंडल में निहित है।

बैंक के निदेशक मंडल का वर्तमान संघटन एवं श्रेणी निम्नानुसार है (31.03.2016 की स्थिति में):

क्र. सं.	निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	निदेशक पद पर श्रेणी	धारा 9(3) की उप धारा के अंतर्गत	कार्यग्रहण की तारीख
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	एम.एस-सी, सी.ए.आई.आई.बी. ए.आई.बी.एम.	अध्यक्ष एवं मु.का.अ.	खंड (ए)	15.05.2015
2.	श्री टी. के. श्रीवास्तव	एम.कॉम., एम.एम.एस., सी.ए.आई. आई.बी.	कार्यपालक निदेशक	खंड (ए)	01.09.2013
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	बी.कॉम., एम.ए.(अर्थ), एल.एल.बी. (एकेडमिक) सी.ए.(इंटर), पीजीडी (बैंकिंग), सी.ए.आई.आई.बी.	कार्यपालक निदेशक	खंड (ए)	10.03.2015
4.	श्री आर. एन. दूबे	एम.ए. (अर्थशास्त्र), एम.एस-सी. (एमआईडीपी)	भारत सरकार के नामिती निदेशक (केन्द्र सरकार के कार्मिक)	खंड (बी)	15.01.2016
5.	श्री रुद्र नारायण कर	एम.ए., एम.फिल., एम.एस. (फिनांस)	भा.रि.बैं. के नामिती निदेशक (भा.रि.बैं. के पदाधिकारी)	खंड (सी)	23.02.2015
6.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	बी.ए.	कामगार कर्मचारी निदेशक	खंड (ई)	04.09.2013
7.	श्री संजय ए. मांजरेकर	बी.कॉम., सी.ए.आई.आई.बी.	गैर-कामगार कर्मचारी निदेशक	खंड (एफ)	17.07.2013
8.	श्री अतुल अशोक गलांडे	एम.कॉम., एफ.सी.ए.	शेयरधारक निदेशक	खंड (आई)	26.06.2013
9.	श्री कमल किशोर सिंघल	बी.कॉम., एम.ए., एल.एल.बी., एफ.सी.ए.	शेयरधारक निदेशक	खंड (आई)	31.10.2015

जिन निदेशकों ने 2015-16 के दौरान कार्यग्रहण किया है, उनका एक संक्षिप्त बॉयो-डेटा निम्न प्रस्तुत है:

श्री अरुण श्रीवास्तव:

श्री अरुण श्रीवास्तव ने अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 15.05.2015 को कार्यभार ग्रहण किया।

बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री अरुण श्रीवास्तव बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे तथा वित्त, नीति व आयोजना, बृहद कार्पोरेट एवं मिड कार्पोरेट कारोबार, कॉर्पोरेट ऋण पुनर्रचना, प्रोजेक्ट फायनांस व सिंडिकेशन, ऋण-निगरानी एवं आस्ति वसूली बैंके के प्रचार व जनसंपर्क का कार्यभार संभाल रहे थे। वे विदेशी अनुषंगियों - वीओआई इंडोनेशिया एवं बोत्स्वाना और भारत जांबिया बैंक के संयुक्त उद्यम को भी संभाल रहे थे। वे विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं। इसके अलावा, वे भारतीय बैंकर्स संस्थान एवं एआई बीएम के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं। उन्होंने 1979 में सीधी भर्ती के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिकारी के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उनके पास बैंकिंग व्यवसाय के 36 वर्षों का अपार अनुभव है जिसमें केन्या स्थित अनुषंगी बैंक के प्रबंध निदेशक और उगांडा तथा तंजानिया स्थित अनुषंगी बैंक में मंडल निदेशक के रूप में कार्य करने का भी अनुभव शामिल है। इनके कार्यकाल में बैंक ऑफ बड़ौदा केन्या लिमिटेड को ''अति दक्ष बैंक'' तथा ''केन्या के श्रेष्ठ बैंक'' से सम्मानित किया गया था। कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले अगस्त 2013 में बैंक ऑफ इंडिया में महा प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे और उस दौरान बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई में होलसेल बैंकिंग देख रहे थे। वे बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में विशाल अनुभव के धनी हैं।

श्री आर. एन. दूबे:

बैंक के मंडल में श्री आर. एन. दूबे भारत सरकार के शासकीय नामिती निदेशक हैं जो 15.01.2016 से लागू है।

श्री आर. एन. दूबे 1984 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी हैं। वे 20.11.2015 को आर्थिक सलाहकार के रूप में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग में कार्यभार ग्रहण किए। इसके पूर्व वे रक्षा मंत्रालय में फरवरी 2012 से कार्य कर रहे हैं। इसके बाद दिसंबर 2014 तक उन्होंने वित्त मंत्री के संयुक्त सचिव एवं सलाहकार के रूप में कार्य किया फिर उसके बाद 19.11.2015 तक संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य किया। वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में सलाहकार, रक्षा मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय में निदेशक, कृषि मंत्रालय में उपायुक्त, गृह मंत्रालय एवं नौवें वित्त आयोग में उपसचिव जैसे पदों पर कार्य करने का

The Managing Director & Chief Executive Officer, in his absence the Executive Director No.1, presides over the Board. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank are vested with the Board of Directors of the Bank.

The present composition and category of the Board of Directors of the Bank are furnished below (as on 31.03.2016):

Sl. No.	Name of the Director	Qualifications	Category of Directorship	Under sub-section of Section 9 (3)	Date of assuming office
1.	Shri Arun Shrivastava	M.Sc, CAIIB, AIBM	Managing Director & Chief Executive Officer	Clause (a)	15.05.2015
2.	Shri T. K. Srivastava	M.Com, MMS, CAIIB	Executive Director	Clause (a)	01.09.2013
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	B.Com, M.A.(Eco). LLB(Academic), C.A.(Inter), PGD(Banking), CAIIB	Executive Director	Clause (a)	10.03.2015
4.	Shri R. N. Dubey	M.A. (Eco), M.Sc(MIDP)	Govt. Nominee Director (Official of Central Government)	Clause (b)	15.01.2016
5	Shri Rudra Narayan Kar	M.A., M.Phil, M.S.(Finance)	RBI Nominee Director (Official of RBI)	Clause (c)	23.02.2015
6.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	B.A.	Workmen Employee Director	Clause (e)	04.09.2013
7.	Shri Sanjay A. Manjrekar	B.Com, CAIIB	Non-Workmen Employee Director	Clause (f)	17.07.2013
8.	Shri Atul Ashok Galande	M.Com, FCA	Shareholder Director	Clause (i)	26.06.2013
9.	Shri Kamal Kishore Singhal	B.Com., M.A., LLB, F.C.A	Shareholder Director	Clause (i)	31.10.2015

A brief bio-data of directors who joined the Board in 2015-16 is given here below:

Shri Arun Shrivastava:

Sri Arun Shrivastava has assumed charge as Managing Director & CEO of the Bank on 15.05.2015.

Prior to joining the Bank, Sri Arun Shrivastava was Executive Director of Bank of India, looking after Finance, Strategy & Planning, Large Corporate & Mid Corporate Business, Corporate Debt Restructuring, Project Finance & Syndication, Credit Monitoring & Asset Recovery, Publicity & Public Relations portfolios of Bank. He was also overseeing the Foreign Subsidiaries – BOI Indonesia & Botswana and Joint Venture – India Zambia Bank. He holds Masters Degree in Science. In addition he is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers and AIBM. He started his career as Direct Recruit Officer in Bank of Baroda in 1979. He has been a professional Banker for over 36 years of varied experience including his posting as Managing Director of Bank's Subsidiary in Kenya and also as Director on the Board of Bank's subsidiary in Uganda and Tanzania. During his tenure, Bank of Baroda Kenya Ltd. was awarded "Most Efficient Bank" and the "Best Bank" in Kenya. Prior to his elevation as Executive Director, Bank of India during August 2013, he was General Manager, Wholesale Banking at Baroda Corporate Centre, Bank of Baroda, Mumbai. He has a vast & rich experience in all facets of Banking.

Shri R. N. Dubey:

Shri R. N. Dubey has been nominated as Government Nominee Director on the Board of the Bank by the Government of India w.e.f., 15.01.2016.

Shri R. N. Dubey belongs to 1984 batch of Indian Economic Service. He has joined Department of Financial Services, Ministry of Finance w.e.f., 20.11.2015 as Economic Adviser. Earlier he was working in the Ministry of Defence, since February, 2012, initially as Joint Secretary & Adviser to the Defence Minister till December, 2014 and thereafter as Joint Secretary

सघन अनुभव उनके पास है। उन्होंने वॉयस सेकेंडमेंट प्रोग्राम के तहत विश्व बैंक वाशिंगटन में भी कार्य किया है। वे राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं तथा उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैंचेस्टर इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (यूएमआईएसटी) संयुक्त गणराज्य से प्रबंधन व कार्यान्वयन विकास परियोजना में एम.एस-सी. की उपाधि हासिल की।

श्री कमल किशोर सिंघल:

श्री कमल किशोर सिंघल 1985 में जीवन बीमा में सीधे सनदी लेखाकार के रूप में भर्ती हुए थे। वे कॉमर्स स्नातक हैं तथा विधि-योग्यता सहित एक सनदी लेखाकार हैं। उन्होंने कंपनी सचिव की इंटरमीडिएट परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। वे समाज विज्ञान से स्नातकोत्तर हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के विभिन्न पदों पर उन्होंने देश के विभिन्न भागों में कार्य किया है। उन्होंने फिजी स्थिर निगम के विदेशी कार्यालय में महत्त्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है। भावनगर तथा चैन्नई-1 मंडलों में उन्होंने वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विपणन एवं प्रशासन में अच्छी उपलब्धियाँ हासिल की। वर्ष 2008 से वे निगम के निवेश विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं। वे कार्यपालक निदेशक (निवेश-जोखिम प्रबंधन एवं अनुसंधान) के साथ-साथ भारतीय जीवन बीमा निगम में मुख्य जोखिम अधिकारी की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वे नेशनल को-ऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक मंडल निदेशक है।

दिनांक 31 अक्तूबर 2015 से 30 अक्तूबर 2018 तक की 3 साल की अवधि के लिए श्री कमल किशोर सिंघल को बैंक के शोयरधारकों में से निदेशक चुना गया है। (केंद्र सरकार को छोड़कर)

निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन:

निदेशक मंडल की बैठक राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के अनुसार सामान्यत: एक वर्ष में कम से कम 6 बार और एक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जानी है। निदेशक मंडल ने वर्ष 2015-2016 के दौरान निम्नलिखित तारीखों में 15 बैठकें आयोजित कीं।

21.04.2015	08/09.05.2015	02.06.2015	25.06.2015	27/28.07.2015
01.09.2015	30.09.2015	20.10.2015	28.10.2015	18.11.2015
15.12.2015	28.01.2016	29.02.2016	08.03.2016	31.03.2016

निदेशक मंडल की बैठकों में मंडल के सदस्यों की पिछली वार्षिक आम बैठक, बैंक के मंडल की अन्य समितियों में उनकी सदस्यता तथा अन्य कंपनियों में निदेशकों के रूप में उनकी साझेदारी इत्यादी के पूर्ण ब्यौरे निम्नवत् हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति		निदेशक मंडल की अन्य समितियों में सदस्यता	अन्य कंपनियों में निदेशक पद*
		निदेशक मंडल की बैठकें	पिछली ए.जी.एम. 26.06.2015		
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	13/13	उ	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आइटीएससी, एचआरसी, सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी, सीएमआर, डीपीसी, सीडीपीएईएस	1
2.	श्री टी. के. श्रीवास्तव	15/15	उ	एसीबी, एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, एसटीसी, सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी, सीएमआर, डीपीसी, सीडीपीएईएस, एसएचआरसी	1
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	15/15	उ	एसीबी, एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, एसटीसी, सीएमआर, डीपीसी, एसएचआरसी, सीडीपीएईएस	1
4.	श्री एच. प्रदीप राव	09/11	अ	एसीबी, डीपीसी, आरसी, एनसी, एससीएमएफएफसी, एचआरसी, सीएमआर, सीएससी	1
5.	श्री आर. एन. दूबे	04/04	–	एसीबी, डीपीसी, आरसी, एससीएमएफएफसी, एचआरसी, सीएम आर, सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी, आईटीएससी	-
6.	श्री रुद्र नारायण कर	14/15	अ	एमसीबी, एसीबी, आरसी	-

(Training) and Chief Administrative Officer till 19.11.2015. He has wide experience in public policy and its implementation having worked as Adviser in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Director in the Ministry of Defence and the Ministry of Labour, Deputy Commissioner in the Ministry of Agriculture, Deputy Secretary in the Ministry of Home Affairs and in the Ninth Finance Commission. He has also worked with the World Bank, Washington under Voice Secondment Programme. He has Master's Degree in Economics from Rajasthan University and M.Sc Degree in Management and Implementation of Development Projects from the University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), UK.

Shri Kamal Kishore Singhal:

Shri Kamal Kishore Singhal has joined Life Insurance as Direct Recruit Chartered Accountant in 1985. He is a Commerce graduate and Chartered Accountant with Law qualification. Also passed Company Secretary intermediate. He has done M.A. in Sociology. He has a long Experience of working with LIC of India and has worked in different capacities in various Parts of the country. He has also held important assignment in Corporation's overseas office at FIJI. Had good achievements in Marketing as well as Administrative stream during his tenure as Senior Divisional Manager, Bhavnagar & Chennai-I Divisions. Since, 2008 he is working in Investment department of Corporation in different capacities. Along with the portfolio of Executive Director (Investment – Risk Management & Research) he is also the Chief Risk Officer of the Life Insurance Corporation of India. He is also a Director on the Board of National Co-operative Housing Federation of India.

Shri Kamal Kishore Singhal has been elected as a Director from amongst shareholders of the Bank (other than Central Government) for a period of three years from 31st October, 2015 to 30th October, 2018.

CONDUCT OF BOARD MEETINGS:

The Meetings of the Board shall ordinarily be held at least 6 times in a year and at least once in a quarter in accordance with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. During the year 2015-2016 the Board held 15 meetings on the following dates:

21.04.2015	08/09.05.2015	02.06.2015	25.06.2015	27/28.07.2015
01.09.2015	30.09.2015	20.10.2015	28.10.2015	18.11.2015
15.12.2015	28.01.2016	29.02.2016	08.03.2016	31.03.2016

The details of the Board members at the Board meetings and last AGM, their membership in other Committees of the Board of the Bank and their association with other Companies as Directors are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance		Membership in other Committees of the Board	Directorship in other Companies*
		Board	Last AGM 26.06.2015		
1.	Shri Arun Shrivastava	13/13	P	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, CRDWDIC, CMR, DPC, CDPAES	1
2.	Shri T. K. Srivastava	15/15	P	ACB, MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, STC, CRDWDIC, CMR, DPC, CDPAES, SHRC	1
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	15/15	P	ACB, MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, STC, CMR, DPC, SHRC, CDPAES	1
4.	Shri H. Pradeep Rao	09/11	A	ACB, DPC, RC, NC, SCMFFC, HRC, CMR, CSC	1
5.	Shri R. N. Dubey	04/04	–	ACB, DPC, RC, SCMFFC, HRC, CMR, CRDWDIC, ITSC	–
6.	Shri Rudra Narayan Kar	14/15	A	MCB, ACB, RC	–

क्र. सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति		निदेशक मंडल की अन्य समितियों में सदस्यता	अन्य कंपनियों में निदेशक पद*
		निदेशक मंडल की बैठकें	पिछली ए.जी.एम. 26.06.2015		
7.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	15/15	उ	सीएससी, एसटीसी, एमसीबी, एचआरसी, सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी	-
8.	श्री संजय ए. मांजरेकर	15/15	उ	एमसीबी, आरएमसी, सीएससी, एसएचआरसी, एससीएमएफएफसी, एचआरसी	-
9.	डॉ. सी. आर. नसीर अहमद	12/12	उ	एमसीबी, सीएससी, आरसी, एनसी, एचआरसी, सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी	-
10.	श्री आनंद के. पंडित	01/04	अ	एमसीबी, एचआरसी, एसएचआरसी, आरसी	9
11.	श्री अतुल अशोक गलांडे	12/15	उ	एसीबी, एचआरसी, आरसी, एसटीसी	4
12.	श्री के. के. सिंघल	03/06	–	आरएमसी, एसटीसी, आरसी, आईटीएससी, एसएचआरसी	1

* कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 165 के अनुसार

उ – उपस्थित
अ – अनुपस्थित
एमसीबी – मंडल की प्रबंधन समिति
एसीबी – मंडल की लेखा परीक्षा समिति
डीपीसी – विभागीय पदोन्नति समिति/अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति
आरएमसी – जोखिम प्रबंधन समिति
एसएचआरसी – शेयरधारक संपर्क समिति
एनसी – नामांकन समिति
एससीएमएफएफसी – कपटपूर्ण मामलों की जांच एवं अनुवर्तन के लिए विशेष समिति
आरसी – पारिश्रमिक समिति
सीएससी – ग्राहक सेवा समिति
एसटीसी – शेयर अंतरण समिति
आईटीएससी – सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
एचआरसी – मानव संसाधन समिति
सीडीपीएईएस – ईक्विटी शेयर के अधिमानी आबंटन हेतु निदेशकों की समिति
सीएमआर – वसूली निगरानी समिति
सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी – इरादतन चूक कर्ता पहचान समिति के निर्णय की समीक्षा हेतु समिति

इसके अलावा, परिचालन द्वारा निदेशक मंडल की 10 बैठकें आयोजित की गईं तथा आवश्यक प्रावधानों का पालन किया गया।

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एम.सी.बी.):

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी) का गठन भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.4/1/86/बी.ओ.आई. (1) दिनांक 11.07.1986 के अनुसार की गई थी और भारत सरकार द्वारा उनके परिपत्र सं.एफ.सं.4/1/94 - बीओआई (i) दिनांक 10.11.1995 के जरिए सूचित किए गए अनुसार उसका पुनर्गठन किया गया। आगे, भारत सरकार ने भा.रि.बैं. के साथ परामर्श करके 'योजना 1970' में संशोधन किया जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) योजना, 2007 कहा गया और जिसे दि. 08.03.2007 के शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाए। प्रबंध समिति, ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने, ऋणों का समझौता निपटान, बट्टे खाते डाले गए प्रस्ताव, राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसर और भवनों का अधिग्रहण और किराये पर देना, दावा/अपील दायर करना, निवेश, अंशदान अन्य मामले जो बोर्ड द्वारा समिति को सौंपे जाते हैं/ प्रत्यायोजित किए जाते हैं, के संबंध में सभी अधिकारों का प्रयोग करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 19 बैठकें आयोजित की गईं:

21.04.2015	08.05.2015	29.05.2015	15.06.2015	25.06.2015
20.07.2015	11.08.2015	01.09.2015	16.09.2015	30.09.2015
20.10.2015	18.11.2015	02.12.2015	15.12.2015	18.01.2016
27.01.2016	18.02.2016	08.03.2016	21.03.2016	–

Sl. No.	Name of the Director	Attendance		Membership in other Committees of the Board	Directorship in other Companies*
		Board	Last AGM 26.06.2015		
7.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	15/15	P	CSC, STC, MCB, HRC,CRDWDIC	–
8.	Shri Sanjay A. Manjrekar	15/15	P	MCB, RMC, CSC, SHRC, SCMFFC, HRC	–
9.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	12/12	P	MCB, CSC, RC, NC, HRC, CRDWDIC	–
10.	Shri Anand K. Pandit	01/04	A	MCB, HRC, SHRC, RC	9
11.	Shri Atul A. Galande	12/15	P	ACB, HRC, RC, STC	4
12.	Shri K. K. Singhal	03/06	–	RMC, STC, RC, ITSC, SHRC	1

* As per section 165 of Companies Act, 2013

P – Present
A – Absent
MCB – Management Committee of the Board
ACB – Audit Committee of the Board
DPC – Directors' Promotion Committee/ Disciplinary Proceeding Committee
RMC – Risk Management Committee
NC – Nomination Committee
SHRC – Stakeholders Relationship Committee
RC – Remuneration Committee
SCMFFC – Special Committee for Monitoring & Follow up of Fraud Cases
STC – Share Transfer Committee
HRC – Human Resources Committee
CSC – Customer Service Committee
CMR – Committee for Monitoring Recovery
ITSC – Information Technology Strategy Committee
CDPAES – Committee of Directors for Preferential Allotment of Equity Shares
CRDWDIC – Committee for Reviewing Decision of Willful Defaulters Identification Committee

Besides, 10 meetings of the Board were held by circulation and the mandatory norms were followed. Directors do not have any personal relationship inter-se, other than their official role.

MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD (MCB):

The Management Committee of the Board was constituted in terms of Govt. of India Notification No. F 4/1/86.BO.I (I) dated 11.07.1986 and was reconstituted as advised by Govt. of India vide their Notification No. F No. 4/1/94-BO.I(i) dated 10.11.1995. Further Government of India after consultation with the RBI made the Scheme to amend the 'Scheme 1970' called Nationalised Banks' (Management & Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme 2007, read with corrigendum dated 08.03.2007. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of sanctioning of credit proposals, compromise settlement of loans, write off proposals, approval of capital & revenue expenditure, acquisition & hiring of premises, filing suits/appeals, investments, donations and any other matter referred to / delegated to the Committee by the Board.

During the year, the Committee met 19 times on the following dates:

21.04.2015	08.05.2015	29.05.2015	15.06.2015	25.06.2015
20.07.2015	11.08.2015	01.09.2015	16.09.2015	30.09.2015
20.10.2015	18.11.2015	02.12.2015	15.12.2015	18.01.2016
27.01.2016	18.02.2016	08.03.2016	21.03.2016	–

निदेशक मंडल की प्रबंध समिति के सदस्य और बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	17/17
2.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	17/19
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	19/19
4.	श्री रुद्र नारायण कर	19/19
5.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	09/09
6.	श्री संजय ए. मांजरेकर	09/09
7.	डॉ. सी.आर. नसीर अहमद	10/10
8.	श्री आनंद के पंडित	01/05

उक्त के अलावे समिति की 3 बैठकें परिचालन के आधार पर आयोजित की गईं जिसमें आवश्यक प्रावधानों का पालन किया गया।

निदेशक मंडल की लेखा–परीक्षा समिति (ए.सी.बी.):

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया, जो बैंक में संपूर्ण लेखा परीक्षा परिचालन हेतु निदेश देने के साथ–साथ उसकी निगरानी भी करती है, जिसमें संगठन, परिचालनकरण और आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक के भीतर निरीक्षण और बैंक की सांविधिक/बाहरी लेखा परीक्षा पर अनुप्रवर्तन तथा भा.रि.बैं. द्वारा निरीक्षण आदि कार्यों को करती है । बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति बैंक की आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली की समीक्षा करती है। यह विशिष्ट और असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक श्रेणी निर्धारित शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा करती है ।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 9 बैठकें आयोजित की गईं:

08/09.05.2015	25.06.2015	27/28.07.2015	01.09.2015	28.10.2015
30.11.2015	02.12.2015	15.12.2015	28.01.2016	–

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य और बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अतुल ए. गलांडे – अध्यक्ष	09/09
2.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	09/09
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	09/09
4.	श्री एच. प्रदीप राव	05/08
5.	श्री आर. एन. दूबे	01/01
6.	श्री रुद्र नारायण कर	08/09
7.	डॉ. सी. आर. नसीर अहमद	03/03

इसके अलावा, समिति की 2 बैठकें परिचालन के आधार पर आवश्यक नियमों का पालन करते हुए आयोजित की गई।

जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.):

भा.रि.बैं. के निदेशानुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक में सही ढंग से जोखिम प्रबंधन पद्धति का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए ''जोखिम प्रबंधन समिति'' का गठन किया है।

वर्ष के दौरान समिति की 7 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

25.06.2015	27.07.2015	01.09.2015	30.09.2015
18.11.2015	15.12.2015	08.03.2016	–

The members of the Management Committee of the Board and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Arun Shrivastava	17/17
2.	Shri T. K. Srivastava	17/19
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	19/19
4.	Shri Rudra Narayan Kar	19/19
5.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	09/09
6.	Shri Sanjay A. Manjrekar	09/09
7.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	10/10
8.	Shri Anand K. Pandit	01/05

Besides, 3 meetings of the committee were held by circulation and the mandatory norms were followed.

AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD (ACB):

The Audit Committee of the Board was constituted as per the instructions/guidelines issued by Reserve Bank of India to provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank which includes the organising, operationalising and quality of Internal Audit and Inspection within the Bank and follow up of the statutory/external Audit of the Bank and Inspection of RBI. The ACB reviews the internal Inspection/Audit function in the Bank. It also reviews the inspection reports of specialized and exceptionally large branches and also branches with unsatisfactory ratings.

The Committee met 9 times during the year on the following dates:

08/09.05.2015	25.06.2015	27/28.07.2015	01.09.2015	28.10.2015
30.11.2015	02.12.2015	15.12.2015	28.01.2016	–

The details with regard to the members of the Audit Committee of the Board and their attendance at the meetings are as given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Atul A. Galande - Chairman	09/09
2.	Shri T. K. Srivastava	09/09
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	09/09
4.	Shri H. Pradeep Rao	05/08
5.	Shri R. N. Dubey	01/01
6.	Shri Rudra Narayan Kar	08/09
7.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	03/03

Besides, 2 meetings of the committee were held by circulation and the mandatory norms were followed.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC):

In terms of RBI direction, the Board of Directors of the Bank constituted "Risk Management Committee" of the Board for successful implementation of proper Risk Management Systems in the Bank.

During the year the Committee held 7 meetings on the following dates:

25.06.2015	27.07.2015	01.09.2015	30.09.2015
18.11.2015	15.12.2015	08.03.2016	–

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	07/07
2.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	07/07
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	07/07
4.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	06/06
5.	श्री संजय ए. मांजरेकर	03/03
6.	श्री अतुल ए. गलांडे	06/06
7.	श्री के. के. सिंघल	01/01

धोखाधड़ी मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति (एससीएमएफएफसी):

भा.रि.बैं. के परिपत्र सं.डी.बी.एस.एफ.जी.वी.(एफ) सं.1004/23-04-01ए/2003-2004 दिनांक 14.01.2004 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने ₹1 करोड़ तथा उससे अधिक राशि के ''कपटपूर्ण मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति'' का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

02.06.2015	27.07.2015	30.09.2015	08.03.2016

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्न प्रस्तुत हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	04/04
2.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	04/04
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	04/04
4.	श्री एच. प्रदीप राव	03/03
5.	श्री आर. एन. दूबे	01/01
6.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	01/01
7.	श्री संजय ए मांजरेकर	03/03

हितधारक संपर्क समिति (एस.एच.आर.सी.):

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 20 (1) के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों, लाभांशधारकों तथा अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों के निवारण संबंधी मामलों पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए एक हितधारक संपर्क समिति गठित की है। समिति बैंक के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों को दूर करने के साथ-साथ शेयर स्थानांतरण संबंधी शिकायतों, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने संबंधी मुद्दों तथा घोषित लाभांश प्राप्त न होने संबंधी शिकायतों पर गौर करेगी।

वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें निम्नवत्त हुई:

09.05.2015	27.01.2016

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नवत हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	02/02
2.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	02/02
3.	श्री आनंद के. पंडित - 09.05.2015 तक अध्यक्ष	01/01
4.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	01/01
5.	डॉ. सी. आर. नसीर अहमद	01/01
6.	श्री अतुल ए. गलांडे - 10.05.2015 से 30.01.2016 तक अध्यक्ष	01/01

वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंक के शेयरधारकों/निवेशकों से 1,119 शिकायतें/परिवाद/प्रश्न प्राप्त हुए तथा सभी शिकायतों/परिवादों/प्रश्नों को ध्यान में लिया गया तथा उनका निराकरण कर दिया गया। कोई भी शिकायत एक माह से ज्यादा लंबित नहीं रही। 31.03.2016 की स्थिति में कोई भी शेयर स्थानांतरण हेतु लंबित नहीं है।

The members of the Committee and their attendance at the meetings is furnished herebelow:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Arun Shrivastava	07/07
2.	Shri T. K. Srivastava	07/07
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	07/07
4.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	06/06
5.	Shri Sanjay A. Manjrekar	03/03
6.	Shri Atul A. Galande	06/06
7.	Shri K. K. Singhal	01/01

SPECIAL COMMITTEE FOR MONITORING AND FOLLOW UP OF FRAUD CASES (SCMFFC):

In terms of RBI circular No.DBS.FGV(F) No. 1004/23.04.01A/2003-2004 dated 14.01.2004, the Board of Directors of the Bank constituted "Special Committee for Monitoring and Follow up of Fraud Cases" involving amount of ₹1 Crore and above.

During the year the Committee held 4 meetings on the following dates:

02.06.2015	27.07.2015	30.09.2015	08.03.2016

The members of the Committee and their attendance at the meeting is furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Arun Shrivastava	04/04
2.	Shri T. K. Srivastava	04/04
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	04/04
4.	Shri H. Pradeep Rao	03/03
5.	Shri R. N. Dubey	01/01
6.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	01/01
7.	Shri Sanjay A. Manjrekar	03/03

STAKEHOLDERS' RELATIONSHIP COMMITTEE (SHRC):

In terms of Regulation 20(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Board of Directors of the Bank constituted "Stakeholders Relationship Committee" of the Board, specifically to look into mechanism of redressal of grievances of shareholders, debenture holders and other security holders. The Committee shall consider and resolve the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer of shares, non-receipt of annual report and non-receipt of declared dividends.

During the year the Committee held 2 meetings on the following dates:

09.05.2015	27.01.2016

The members of the Committee and their attendance at the meetings are furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri T. K. Srivastava	02/02
2.	Shri Ravi Shanker Pandey	02/02
3.	Shri Anand K. Pandit – Chairman –till 09.05.2015	01/01
4.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	01/01
5.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	01/01
6.	Shri Atul A. Galande – Chairman – from 10.05.2015 till 30.01.2016	01/01

During the year 2015-16, 1,119 complaints/grievances/queries were received from the Shareholders/ Investors of the Bank and all the complaints/ grievances/ queries have been resolved/ attended to. None of the above complaints were pending for more than one month. There were no shares pending for transfer as at 31.03.2016.

अनुपालन अधिकारी:

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 6(1) के अनुसार श्री आर. रवि, बैंक के कंपनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्स्चेंजों के पास सूचीकरण करार, कंपनी के रजिस्ट्रार, नैगम कार्य मंत्रालय के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के उद्देश्य से तथा शेयर अंतरण प्रक्रिया की निगरानी इत्यादि के संबंध में अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

ग्राहक सेवा समिति (सी.एस.सी.):

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डी.बी.ओ.डी. सं. एल.ई.जी. 96/09.07.007/2004-05, दि. 17.08.2004 के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सतत सुधार करने हेतु निदेशक मण्डल की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया है।

वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं :

25.06.2015	30.09.2015	27.01.2016

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	03/03
2.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	03/03
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	03/03
4.	श्री एच. प्रदीप राव	02/02
5.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	01/01
6.	श्री संजय ए. मांजरेकर	02/02
7.	डॉ. सी.आर. नसीर अहमद	03/03

पारिश्रमिक समिति (आर.सी.)

भारत सरकार के पत्रांक एफ सं. 20/01/2005 – बी.ओ. 1 दिनांक 9.03.2007 में दी गई शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है जो भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की एक उप समिति है।

वर्ष के दौरान समिति ने दि. 15.06.2015 को एक बैठक आयोजित की ।

समिति के सदस्यों तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री एच. प्रदीप राव - अध्यक्ष	01/01
2.	श्री रुद्र नारायण कर	01/01
3.	श्री आनंद के. पंडित	00/01
4.	श्री अतुल ए. गलांडे	01/01

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आई.टी.एस.सी.):

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बोर्ड की एक उप समिति गठित की गई है जो प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु समुचित निगरानी का कार्य करती है।

वर्ष के दौरान समिति की 2 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं:

08.05.2015	27.07.2015

समिति के सदस्य तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	01/01
2.	श्री टी. के. श्रीवास्तव	02/02
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	02/02
4.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	02/02
5.	श्री अतुल ए. गलांडे	02/02

COMPLIANCE OFFICER

In terms of Regulation 6(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Sri R. Ravi, Company Secretary of the Bank is functioning as the Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of Securities & Exchange Board of India, Listing Agreements with Stock Exchanges, Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs and for monitoring the share transfer process etc.

CUSTOMER SERVICE COMMITTEE (CSC):

In terms of RBI DBOD letter No. Leg 96/09.07.007/2004-05 dated 17.08.2004, "Customer Service Committee" of the Board was constituted to bring improvement in the quality of customer service in the Bank.

During the year the Committee held 3 meeting on the following dates:

25.06.2015	30.09.2015	27.01.2016

The members of the Committee and their attendance at the meeting is furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Arun Shrivastava	03/03
2.	Shri T. K. Srivastava	03/03
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	03/03
4.	Shri H. Pradeep Rao	02/02
5.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	01/01
6.	Shri Sanjay A. Manjrekar	02/02
7.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	03/03

REMUNERATION COMMITTEE (RC):

In terms of Government of India letter F.No. 20/1/2005-BO.1 dated 09.03.2007, Remuneration Committee was constituted – a sub Committee of the Board to evaluate the performance of Managing Director and Chief Executive Officer and EDs as per the Government of India guidelines.

During the year the Committee met once on 15.06.2015.

The members of the Committee and their attendance at the meeting is furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri H. Pradeep Rao – Chairman	01/01
2.	Shri Rudra Narayan Kar	01/01
3.	Shri Anand K. Pandit	00/01
4.	Shri Atul A. Galande	01/01

INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE (ITSC):

A sub Committee of the Board was constituted in the meeting to have proper monitoring system in place to evaluate and ensure that the projects are progressing as planned.

During the year the Committee held 2 meetings on the following dates:

08.05.2015	27.07.2015

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Arun Shrivastava	01/01
2.	Shri T. K. Srivastava	02/02
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	02/02
4.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	02/02
5.	Shri Atul A. Galande	02/02

शेयर अंतरण समिति (एस.टी.सी.):

सिंडिकेटबैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998 के उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया है।

उक्त समिति, शेयरों का अंतरण, अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, शेयरों का हस्तांतरण और नामों को हटाना तथा शेयरों का पुन: कागज़ीकरण तथा उससे संबंधित अन्य मुद्दों की निगरानी करती है और उनका अनुमोदन करती है ।

वर्ष के दौरान समिति की 6 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं ।

08.05.2015	25.06.2015	27.07.2015
01.09.2015	28.10.2015	27.01.2016

इसके अलावा, परिचालन द्वारा 15 बैठकें आयोजित की गयीं और अधिदेशी मानदण्डों का पालन किया गया है ।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	06/06
2.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	06/06
3.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	03/03
4.	श्री संजय ए. मांजरेकर	03/03
5.	श्री अतुल ए. गलांडे	06/06

नामांकन समिति (एन.सी.):

भा.रि.बैं. के पत्र डी.बी.ओ.डी. सं.बी.सी. 47/29.39.001/2007-2008 दि. 01.11.2007 के अनुसार निदेशक मंडल ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980, 2006 में यथा संशोधित, की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत मौजूदा निदेशक के रूप में चयन किए जानेवाले व्यक्ति की ''उपयुक्त तथा उचित'' स्थिति का निर्धारण करने के लिए सम्यक तत्परतावाली प्रक्रिया शुरू करने हेतु ''नामांकन समिति'' का गठन किया है।

भा.रि.बैं. ने निदेश दिया है कि ''उपयुक्त और उचित'' मानदंड को चयनित निदेशकों (शेयरधारक निदेशक) – वर्तमान और भावी दोनों पर लागू किया जाए ।

समिति वर्तमान एवं भावी चयनित निदेशकों के ''उपयुक्त एवं उचित'' मानदण्ड को सुनिश्चित करता है।

समिति ने वर्ष के दौरान 15.06.2015 एवं 20.10.2015 को दो बैठकें आयोजित की।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री एच. प्रदीप राव – अध्यक्ष	02/02
2.	श्री रुद्र नारायण कर	02/02
3.	डॉ. सी. आर. नसीर अहमद	02/02

एच. आर. समिति (एच.आर.सी.):

बैंक में एच. आर. प्रणाली/प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए दि. 30.10.2009 को मंडल की एच. आर. समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की 6 बैठकें निम्नलिखित तारीख में आयोजित की गयीं।

21.04.2015	25.06.2015	01.09.2015	30.09.2015	15.12.2015	27.01.2016

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	05/05
2.	श्री टी. के. श्रीवास्तव	06/06
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	06/06
4.	श्री एच. प्रदीप राव	04/05
5.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	06/06
6.	श्री संजय ए. मांजरेकर	06/06
7.	डॉ. सी. आर. नसीर अहमद	04/04
8.	श्री आनंद के. पंडित	00/02

SHARE TRANSFER COMMITTEE (STC):

In accordance with the Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998, Share Transfer Committee was constituted.

The Committee monitors and approves share transfers, issue of duplicate share certificates, transmission, transposition and deletion of names and re-materialisation of shares and matters relating thereto.

During the year the committee held 6 meetings on the following dates:

08.05.2015	25.06.2015	27.07.2015
01.09.2015	28.10.2015	27.01.2016

Besides, 15 meetings of the Committee were held by circulation and the mandatory norms were followed.

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri T. K. Srivastava	06/06
2.	Shri Ravi Shanker Pandey	06/06
3.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	03/03
4.	Shri Sanjay A. Manjrekar	03/03
5.	Shri Atul A. Galande	06/06

NOMINATION COMMITTEE (NC):

In terms of the RBI letter DBOD No. BC No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007, the Board of Directors constituted "Nomination Committee" to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing/the persons to be elected as a director under Sec. 9 (3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 as amended in 2006.

RBI has directed that the "Fit and Proper" Criteria as of now, be made applicable to the elected Directors (Shareholder Directors) – both present and future. The Committee determines the "fit & proper" of elected Directors, both present and future.

The Committee met twice during the year i.e., on 15.06.2015 and 20.10.2015

The particulars with regard to the members of the committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri H. Pradeep Rao – Chairman	02/02
2.	Shri Rudra Narayan Kar	02/02
3.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	02/02

H.R. COMMITTEE (HRC):

H.R. Committee of the Board was first constituted on 30.10.2009 for the review of HR Systems/practices in the Bank.

During the year the Committee held 6 meetings on the following date:

21.04.2015	25.06.2015	01.09.2015	30.09.2015	15.12.2015	27.01.2016

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Arun Shrivastava	05/05
2.	Shri T. K. Srivastava	06/06
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	06/06
4.	Shri H. Pradeep Rao	04/05
5.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	06/06
6.	Shri Sanjay A. Manjrekar	06/06
7.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	04/04
8.	Shri Anand K. Pandit	00/02

वसूली निगरानी समिति (सी.एम.आर):

भारत सरकार के निदेशानुसार वसूली की प्रगति पर नियमित निगरानी रखने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान इस समिति की 7 बैठकें निम्नलिखित तारीख में आयोजित की गई :

21.04.2015	02.06.2015	27.07.2015	01.09.2015
30.09.2015	18.11.2015	08.03.2016	–

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	06/06
2.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	07/07
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	07/07
4.	श्री एच. प्रदीप राव	06/06
5.	श्री आर. एन. दूबे	01/01
6.	श्री अतुल ए. गलांडे	00/01

ईक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन हेतु निदेशक मंडल की समिति (सी.डी.पी.ए.ई.एस.):

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप इस समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक 31.03.2016 को आयोजित की गई ।

समिति के सदस्यों के विवरण तथा बैठक में उनकी उपस्थिति निम्नवत है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	01/01
2.	श्री टी. के. श्रीवास्तव	01/01
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	01/01

इरादतन चूककर्ता पहचान समिति के निर्णय की समीक्षा हेतु समिति (सी.आर.डी.डब्ल्यू.डी.आई.सी.):

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डी.बी.आर. सं. सी.आई.डी.बी.सी. 57/20.16.003/2014-15 दि. 01.07.2014 तथा अद्यतन दि. 07.01.2015 में निहित दिशानिदेशों के अनुसार समिति का गठन किया गया।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों को 3 बैठकें हुई।

08.05.2015	30.09.2015	27.01.2016

समिति के सदस्यों तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नलिखित है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	02/02
2.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	01/01
3.	डॉ. सी. आर. नसीर अहमद	03/03
4.	श्री अतुल ए. गलांडे	03/03

ऋण अनुमोदन समिति (सी.ए.सी.)

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (राजपत्रित अधिसूचना दि. 05.12.2011 के तहत शामिल) के खंड 13 ए के अनुसार ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। किसी व्यक्ति/कंपनी या एक ही समूह के सभी उधारकर्ताओं/कंपनियों को प्रस्तावित एक्सपोज़र सहित कुल एक्सपोज़र के तहत इस समिति को बोर्ड द्वारा ₹400.00 करोड़ तक के अधिकार दिए गए हैं।

COMMITTEE FOR MONITORING RECOVERY (CMR):

The Committee was constituted in terms of Government of India Guidelines to monitor the progress in recovery on regular basis.

During the year the Committee held 7 meetings on the following dates:

21.04.2015	02.06.2015	27.07.2015	01.09.2015
30.09.2015	18.11.2015	08.03.2016	–

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Arun Shrivastava	06/06
2.	Shri T. K. Srivastava	07/07
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	07/07
4.	Shri H. Pradeep Rao	06/06
5.	Shri R. N. Dubey	01/01
6.	Shri Atul A. Galande	00/01

COMMITTEE OF DIRECTORS FOR PREFERENTIAL ALLOTMENT OF EQUITY SHARES (CDPAES):

The Committee was constituted in terms of Government of India guidelines.

During the year the Committee met once on 31.03.2016.

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Arun Shrivastava	01/01
2.	Shri T. K. Srivastava	01/01
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	01/01

COMMITTEE FOR REVIEWING DECISION OF WILLFUL DEFAULTERS INDENTIFICATION COMMITTEE (CRDWDIC):

The Committee was constituted in terms of Reserve Bank of India guidelines issued vide circular No. DBR.No.CID. BC.57/20.16.003/2014-15 dated 01.07.2014 and updated on 07.01.2015.

During the year the Committee held 3 meetings on the following dates:

08.05.2015	30.09.2015	27.01.2016

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Arun Shrivastava	02/02
2.	Shri T. K. Srivastava	01/01
3.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	03/03
4.	Shri Atul A. Galande	03/03

CREDIT APPROVAL COMMITTEE (CAC):

The Credit Approval Committee was constituted in terms of Clause 13A of Nationalized Banks' (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (inserted vide Gazette Notification dated 05.12.2011). The Committee exercises such powers of the Board subject to total exposure including proposed exposure to an individual/company or to all the borrowers / companies in the same group not exceeding ₹400.00 Crore.

समिति के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्य हैं:

(ए) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – समिति के अध्यक्ष
(बी) कार्यपालक निदेशक
(सी) महाप्रबंधक (ऋण)
(डी) महाप्रबंधक (लेखा)
(ई) महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन)
(एफ) महाप्रबंधक (वसूली विभाग)

वर्ष के दौरान समिति की 39 बैठकें सपंन्न हुईं ।

बोर्ड में परिवर्तन

1. श्री अरुण श्रीवास्तव ने प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दि. 15.05.2015 को कार्यभार ग्रहण किया।
2. श्री एच. प्रदीप राव का कार्यकाल समाप्त होने पर, उनके स्थान पर दि. 15.01.2016 को भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में श्री आर. एन. दूबे ने मंडल में कार्यभार ग्रहण किया।
3. गैर–कार्यालयीन नामिती निदेशक के रूप में कार्यरत डॉ. सी. आर. नसीर अहमद ने दि. 31.01.2016 को अपनी अवधि पूरी की।
4. दिनांक 31.10.2015 से लागू बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में श्री के. के. सिंघल को चुना गया ।

निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यपालक निदेशक के पारिश्रमिक का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है । उन्हें प्रदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे लेखा नोट की अनुसूची 18 में दिए गए हैं। कामगार कर्मचारी निदेशक और गैर–कामगार कर्मचारी निदेशक को बैंक में उनकी पात्रता के अनुसार वेतन प्रदान किया जाता है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक, गैर–सरकारी निदेशकों को बैठक में भाग लेने हेतु बैठक शुल्क, यात्रा व्यय तथा विराम भत्ता के अलावा अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं देता है।

बैठक शुल्क

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के संदर्भ सं. 15/1/2011/बी.ओ.आई. दि. 18.10.2011 के अनुसार, गैर–सरकारी निदेशक को, निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ₹10,000/- प्रति बैठक तथा अन्य समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ₹5,000/- प्रति बैठक की दर से बैठक शुल्क के रूप में अदा करना होगा, जो दि.18.10.2011 से लागू है । इसे दि. 20.07.2015 से संशोधित करके बोर्ड एवं अन्य समिति बैठकों के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग, नई दिल्ली के संदर्भ सं. 15.01.2011- बी.ओ.आई. दि. 20.07.2015 के अनुसार क्रमश: ₹20,000/- तथा ₹10,000/- प्रति बैठक कर दिया गया।

दि. 01.04.2015 से दि. 31.03.2016 तक की अवधि के दौरान निदेशकों को प्रदत्त शुल्क के विवरण:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बैठक शुल्क (₹)
1.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	4,80,000
2.	श्री संजय ए. मांजरेकर	4,80,000
3.	डॉ. सी. आर. नसीर अहमद	4,30,000
4.	श्री अतुल ए. गलांडे	4,50,000
5.	श्री के. के. सिंघल	70,000
	कुल	**19,10,000**

आचार संहिता

मंडल ने अपने सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए आचार संहिता का अनुमोदन किया है । इसे बैंक के वेबसाइट पर **''शेयरहोल्डर इन्फार्मेशन''** के अंतर्गत रखा गया है ।

मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग ने संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है ।

निवेशकों की शिकायत

निवेशकों को और भी बेहतर सेवा प्रदान करने तथा उनकी शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए हमारे बैंक ने शिकायतों की प्राप्ति/समाधान के लिए एक विशेष ई–मेल आई.डी. – **"syndinvest@syndicatebank.co.in",** खोल रखा है ताकि बैंक ऐसी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई कर सके ।

The Committee consists of the following members:

(a) Managing Director & Chief Executive Officer – Chairman of the Committee
(b) Executive Directors;
(c) General Manager (Credit);
(d) General Manager (Accounts)
(e) General Manager (Risk Management)
(f) General Manager (Recoveries Department)

During the year, the Committee met 39 times.

CHANGES IN THE BOARD:

1. Shri Arun Shrivastava, assumed Office as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank on 15.05.2015.
2. Shri R. N. Dubey, Govt. of India-Nominee Director, joined the Board on 15.01.2016, in place of Shri H. Pradeep Rao, on completion of term.
3. Dr. C. R. Naseer Ahamed, completed his term as Non-Official Nominee-Director of the Bank on 31.01.2016.
4. Shri K. K. Singhal elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 31.10.2015.

REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration of the Managing Director and Chief Executive Officer and the Executive Directors is fixed by the Central Government. Details of remuneration paid to them are disclosed in Schedule 18 to notes to Accounts. Workmen Employee Director and Non-Workmen Employee Director are paid salary as per their entitlements in the Bank. As per the guidelines of Government of India, the Bank does not pay any remuneration to the non-official Directors of the Bank apart from sitting fees, travelling expenses and halting expenses for attending meetings.

SITTING FEES:

Sitting fees is to be paid to the non-official Directors at the rate of ₹10,000/- and ₹5,000/- per meeting for attending Board and other Committee meetings respectively, in terms of Govt. of India, Ministry of Finance, Dept. of Financial Services, New Delhi Ref. No. 15/1/2011-BO.I dated 18.10.2011, effective from 18.10.2011. The same has been revised w.e.f. 20.07.2015, to ₹20,000/- and ₹10,000/- per meeting for attending Board and other Committee meetings respectively, in terms of Govt. of India, Ministry of Finance, Dept. of Financial Services, New Delhi Ref. No. 15/1/2011-BO.I dated 20.07.2015.

Details of Sitting Fees paid to Directors during the period from 01.04.2015 to 31.03.2016:

Sl.No.	Name of the Director	Sitting Fees (₹)
1.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	4,80,000
2.	Shri Sanjay A. Manjrekar	4,80,000
3.	Dr. C. R. Naseer Ahamed	4,30,000
4.	Shri Atul A. Galande	4,50,000
5.	Shri K. K. Singhal	70,000
	TOTAL	**19,10,000**

Code of Conduct

The Board has approved the Code of Conduct for all Board members and Senior Management of the Bank. The same is also placed on the Bank's website i.e. under "**shareholders information"**

All Board members and Senior Management Personnel have affirmed compliance to the code.

Investor Grievance

As part of the initiative to provide enhanced levels of service to the investors, our Bank has designated an e-mail ID **"syndinvest@syndicatebank.co.in"** exclusively for the purpose of receiving /addressing complaints and to enable the Bank to attend to such complaints on priority.

दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार गैर–कार्यपालक निदेशकों के शेयरधारण के विवरण:

निदेशक का नाम	धारित शेयरों की संख्या
श्री आर. एन. दूबे	शून्य
श्री रुद्र नारायण कर	शून्य
श्री शंकरन भास्कर अय्यर	800
श्री संजय ए. मांजरेकर	1204
श्री अतुल ए. गलांडे	200
श्री कमल किशोर सिंघल	200

अधिदेशात्मक/गैर–अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन

बैंक ने, सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 के अनुसार किया है।

अधिदेशात्मक/गैर–अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की प्रमात्रा निम्न प्रस्तुत है:

आवश्यकताएँ	अनुपालन
बैंक से अपेक्षित है कि वे अपनी ओर से तथा शेयरधारकों की ओर से तयशुदा शर्तों के साथ, पेंशन के अधिकारों और प्रतिपूर्ति भुगतान सहित कार्यपालक निदेशक के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेजों पर बैंक की नीति निर्धारित करने हेतु एक पारिश्रमिक समिति का गठन करें।	भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ कार्यपालक निदेशक(कों) की प्रोत्साहन राशि निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।
चेतावनी सूचक नीति बैंक में अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधडी या बैंक की आचरण संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन के बारे में संबंधित प्रबंधन को रिपोर्ट करने हेतु बैंक कर्मचारियों के लिए एक प्रणाली लागू करें और कर्मचारियों को उत्पीडन से बचाव के प्रति पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करें।	बैंक समय-समय पर अपने परिपत्रों के माध्यम से यह दोहरा रहा है कि कर्मचारी सदस्य शिकायतों/सुझावों के रूप में संगठन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना को उचित माध्यम से संबोधित कर सकते हैं। वर्ष के दौरान परिपत्र के माध्यम से चेतावनी सूचक नीति पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए । आवश्यकता/अनिवार्यता की स्थिति में बिना किसी झिझक या डर के उसे सीधे समुचित प्राधिकारी को संबोधित किया जा सकता है। इस प्रकार कर्मचारी सदस्य विचलनों को लिखित रूप में और विधिवत हस्ताक्षर करके प्रबंधन के ध्यान में ला सकते हैं जिनको रोकना/परिशोधित करना संगठन के हित की दृष्टि में आवश्यक है। बैंक, पब्लिक इंट्रेस्ट डिसक्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फोर्मर्स (पी आई डी पी आई) रेजोल्यूशन के अंतर्गत व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी अनुपालन पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है। बैंक ने चेतावनी सूचक नीति बनाई है, जो बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है।
वित्तीय निष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा तथा पिछले 6 महीने से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश प्रत्येक शेयरधारकों को प्रेषित किया जाए।	इसे बैंक के वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।
लेखा परीक्षा अर्हताएं - कंपनी अनर्हक वित्तीय विवरण प्रणाली अपना सकता है।	बैंक द्वारा इस आवश्यकता के अनुपालन में कदम उठाए जा रहे हैं।
बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण - कंपनी अपने बोर्ड सदस्यों को कंपनी के कारोबार मॉडेल तथा कारोबार की जोखिम प्रोफाइल के संबंध में प्रशिक्षण दे सकती हैं जिनके अंतर्गत मंडल के सदस्यों को अपने दायित्व तथा कर्तव्य के निर्वाह में सुविधा होगी।	बैंक अपने निदेशकों को भरपूर प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। वर्ष के दौरान 7 निदेशकों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता की है ।
गैर कार्यपालक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन किसी समकक्ष समूह द्वारा करवाया जाए, जिसमें सभी निदेशक शामिल हों और समकक्ष समूह के मूल्यांकन को गैर कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों को बढ़ाने/उसे जारी रखने की प्रणाली के रूप अपनाया जाए।	भारतीय रिज़र्व बैंक के दि. 01.11.2007 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार शेयरधारक निदेशकों का वार्षिक आधार पर चयन करते समय और बैंक बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उपयुक्त और उचित स्थिति का पालन किया जाता है।

Details of shareholding of Non-executive Directors as on 31.03.2016

Name of the Director	Number of shares held
Shri R. N. Dubey	Nil
Shri Rudra Narayan Kar	Nil
Shri Sankaran Bhaskar Iyer	800
Shri Sanjay A. Manjrekar	1204
Shri Atul A. Galande	200
Shri Kamal Kishore Singhal	200

Compliance to mandatory / non-mandatory requirements

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The extent of implementation of mandatory / non-mandatory requirements is furnished as under:

Requirement	Compliance
The Bank should set up a remuneration committee to determine on their behalf and on behalf of the shareholders with agreed terms of reference, the Bank's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension rights and any compensation payment	Remuneration Committee of the Board has been constituted to determine the incentive payments to Managing Director and Chief Executive Officer / Executive Directors in terms of the Government of India guidelines
Whistle Blower Policy The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and provide for adequate safeguards against victimization of employees	The Bank has reiterated time and again through internal circulars that staff members can address genuine information of significant value to the organization in the form of complaints / suggestions/grievances through proper channel. Guidelines on whistle blower policy were also issued during the year by way of circular. In case of urgency/exigency, it can be addressed directly to the appropriate authority without any reservation or fear. Staff members can, thus effectively perform the role of a genuine "Whistle Blower" in bringing to the notice of the management, in writing duly signed, any deviation which is not in the interest of the organization and needs to be checked/rectified. Bank follows Central Vigilance Commission guidelines on Whistle Blower Policy complaints under public Interest Disclosure and protection of informers (PIDPI) resolution. Bank has framed Whistle Blower Policy, which is placed on website of the Bank.
A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant event in the last six months may be sent to each shareholder	It is being uploaded on the website of the Bank.
Audit qualifications – Company may move towards a regime of unqualified financial statements	The Bank is taking steps to comply with this requirement.
Training of Board Members – Company may train its Board members in the business model of the company as well as the risk profile of the business parameters of the company, their responsibilities as directors, and the best ways to discharge them.	The Bank is providing ample training opportunities to its directors to enable them to discharge their duties effectively.
The performance evaluation of non-executive directors could be done by a peer group comprising the entire Board of Directors, excluding the director being evaluated; and Peer Group evaluation could be the mechanism to determine whether to exceed/continue the terms of appointment of non-executive directors	As per RBI guidelines dated 01.11.2007, a fit and proper status is being looked into by the Nomination Committee of the Board of the Bank at the time of election of the Shareholder Directors and on annual basis.

बैंक की शेयर पूंजी

बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹3000 करोड़ है जो प्रत्येक ₹10 के 3000 करोड़ ईक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित हैं। दि. 31.03.2015 को बैंक की प्रदत्त पूँजी जो ₹662.06 करोड़ थी, दिनांक 31.03.2016 को बढ़कर ₹703.37 करोड हो चुकी है।

सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियमन, 2009 द्वारा निर्धारित मूल्य पर 4,13,12,457 ईक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम के अभिदान हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने पत्रांक आइएनवी/ईक्विटी अनुभाग दि. 22-02-2016 के तहत अपना सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है, बशर्ते, पूँजी पर्याप्तता संबंधी बासल III की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए एक समय विशेष पर बैंक के निर्गमोत्तर ईक्विटी पूँजी के 14.50 प्रतिशत से ज्यादा कुल एक्सपोजर नहीं हो।

तदनुसार, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, शेयरधारक, बी.एस.ई. लिमिटेड (बंबे स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड) तथा नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लि. (एन.एस.ई.) से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तथा उनसे निधियों की प्राप्ति के बाद अधिमानी आधार पर ₹10/- अंकित मूल्यवाले ₹ 216.94 करोड़ के सकल मूल्य के 4,13,12,457(चार करोड़ तेरह लाख बारह हजार चार सौ सत्तावन केवल) इक्विटी शेयर, भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 52.51 प्रति शेयर की दर से दिनांक 31.03.2016 को जारी किए गए।

आगे, भारत सरकार ने अपने पत्रांक एफ. सं. 7/38/2014-बी.ओ.ए. दि. 28.03.2016 के माध्यम से बासल III की आवश्यकताओं के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए अपने पक्ष में ईक्विटी के अधिमान आबंटन के द्वारा ₹740.00 करोड़ की राशि की पूँजीगत निधि लगाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने दि. 30.03.2016 को पहले ही ₹740.00 करोड़ का अपना अभिदान भेज दिया है। बैंक ने इसे '''शेयर आवेदन रकम खाते'' के तहत रखा है। आवश्यक वैधानिक/नियामक व अन्य अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भारत सरकार को शेयर आबंटित कर दिया जाएंगे। भारत सरकार से प्राप्त रकम को बासल III की अपेक्षाओं के अनुसार 31 मार्च 2016 की स्थिति में सामान्य ईक्विटी टीयर। के रूप में अपनाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को अनुमति दे दी है।

आम बैठकें

i) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 ए (2) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम बैठक में उपस्थित शेयरधारकों को गत 31 मार्च तक के तुलन-पत्र, बैंक के लाभ व हानि खाते, लेखों द्वारा व्याप्त की गई अवधि के लिए बैंक के कार्यों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र तथा खातों के बारे में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने, अनुमोदन करने और अंगीकार करने का हक होगा।

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण निम्नवत हैं।

आम बैठक का स्वरूप	दिनांक	समय	स्थान
चौदहवीं वार्षिक आम बैठक	25.06.2013	प्रात: 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक	20.06.2014	प्रात: 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
सोलहवीं वार्षिक आम बैठक	26.06.2015	प्रात: 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

ii) शेयरधारकों की पिछली तीन असाधारण आम बैठकों (ई.जी.एम.) के ब्यौरे निम्नवत हैं:

दिन एवं दिनांक	समय	स्थान	उद्देश्य
मंगलवार, 24 मार्च 2015	प्रात: 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर ईक्विटी शेयरों का आबंटन
शुक्रवार, 30 अक्तूबर 2015	प्रात: 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से एक निदेशक का चयन करने हेतु
सोमवार, 28 मार्च 2016	प्रात: 10.30 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयरों का आबंटन

Share Capital of the Company

The Authorized Capital of the Bank is ₹3000 Crore, divided into 300 crore of equity shares of ₹10/- each. The Paid Capital of the Bank, which stood at ₹662.06 Crore as on 31.03.2015 increased to ₹703.37 Crore as on 31.03.2016.

Life Insurance Corporation of India vide their letter No. INV/Equity Section dated 22.02.2016 conveyed their "in principle" approval for subscribing to the preferential issue of 4,13,12,457 equity shares at a price determined as per SEBI (ICDR) Regulations, 2009, subject to total exposure not exceeding 14.50% of post issue equity capital of the Bank at any point of time, with a view to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy.

Accordingly, 4,13,12,457 (Four Crore thirteen lakh twelve thousand four hundred fifty seven only) equity shares of the face value of ₹10/- each were issued and allotted in favour of Life Insurance Corporation of India on 31.03.2016 @ ₹52.51 per share on preferential basis aggregating upto ₹216.94 Crore, on receipt of funds from them and after obtaining necessary approvals from Government of India, Reserve Bank of India, Shareholders, BSE Ltd. (Bombay Stock Exchange Ltd.) and National Stock Exchange of India Ltd. (NSE).

Further, Government of India vide their letter F. No. 7/38/2014-BOA dated 28.03.2016 decided to infuse capital funds to the tune of ₹740.00 Crore by way of preferential allotment of equity in its favour, with a view to comply with Basel III requirements. Government of India has already remitted an amount of ₹740.00 Crore on 30.03.2016, as subscription money. The Bank is maintaining the same in the "Share Application Money Account". Shares will be allotted to Government of India after obtaining all necessary Statutory/Regulatory and other approvals. Reserve Bank of India has permitted the Bank to treat the amount received from Government of India as part of the Common Equity Tier I as at 31st March 2016 as per Basel III requirements.

GENERAL BODY MEETINGS:

I) In accordance with the provisions under Section 10A(2) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the shareholders of our Bank present at an Annual General Meeting shall be entitled to discuss, approve and adopt the Balance Sheet and Profit and Loss account of the Bank made up to the previous 31st day of March, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance-Sheet and accounts.

The details of the last three Annual General Meetings of the Bank are furnished here below.

NATURE OF GENERAL MEETING	DATE	TIME	VENUE
Fourteenth Annual General Meeting	25.06.2013	11.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL
Fifteenth Annual General Meeting	20.06.2014	11.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL
Sixteenth Annual General Meeting	26.06.2015	11.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL

ii) The details of the last three Extraordinary General Meetings (EGM) of shareholders are as follows:

Day & Date	Time	Venue	Purpose
Tuesday, March 24, 2015	11.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Allotment of equity shares on preferential basis in favour of Government of India
Friday, October 30, 2015	11.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	To elect one Director from amongst shareholders other than Central Government
Monday, March 28, 2016	10.30 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Allotment of equity shares on preferential basis in favour of LIC of India

30 अक्टूबर, 2015 को आयोजित असाधारण आम बैठक में भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यपालक निदेशक श्री कमल किशोर सिंघल (भा.जी.बी.नि. द्वारा नामित) को शेयरधारक निदेशक के रूप में चयन किया गया।

वार्षिक आम बैठक/असाधारण आम बैठक में पिछले 3 वर्षों में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण:
दि. 10.01.2015, 24.03.2015, तथा 28.03.2016 को संपन्न असाधारण आम बैठकों में भारत सरकार तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में अधिमानी ईक्विटी शेयर जारी करने संबंधी विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। दि. 26.06.2015 को संपन्न वार्षिक आम बैठक में पूँजी निर्गम संबंधी एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

डाक मत, यदि कोई हो, के द्वारा पारित विशेष प्रस्तावों के विवरण: बैंक में डाक मतदान संबंधी प्रावधान लागू नहीं है।

प्रकटीकरण
बैंक का नियंत्रण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970 द्वारा किया जाता है। सेबी ने स्पष्ट किया है कि वे सूचीबद्ध संस्थाएँ जो कंपनियां नहीं है, परंतु वे अन्य संविधि के अंतर्गत निगमित निकाय (यानी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां इत्यादि) हैं तो सेबी (सूचीकरण आवश्यकताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के अनुसार उस सीमा तक लागू होंगे कि वे अपने संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी संगत संविधि तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

i) **निदेशकों का पारिश्रमिक**
बैंक द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को निम्नलिखित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है जो दि. 20.07.2015 से लागू है:
बोर्ड की बैठक के लिए : ₹20,000/- प्रति बैठक
समिति की बैठक के लिए : ₹10,000/- प्रति बैठक

ii) **महत्वपूर्ण लेन-देन और आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण**
बैंक ने अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार से भिन्न अपने किसी भी प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, अपनी सहायक संस्थाओं या रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों पर विरोध होने की संभावना हो । वर्ष के दौरान गैर कार्यपालक निदेशक(कों) के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं हुआ है ।

बैंक की यह सुस्थापित पद्धति है कि जब निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के संबंध में बैठक में चर्चा होती है तो वे निदेशक मंडल या अन्य उप-समितियों के विचार-विमर्श में सहभागिता नहीं करते हैं ।

iii) **सार्वजनिक निर्गम, अधिमानी निर्गम इत्यादि की प्राप्य राशि:**
समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹216.94 करोड़ की रकम वाली अधिमान्य ईक्विटी शेयरों के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹52.51 के प्रीमियम पर ₹10/- प्रति अंकित मूल्यवाले 4,13,12,457 ईक्विटी शेयरों को जारी किया है।

निधियों को जुटाने का मुख्य उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मज़बूत बनाने हेतु टियर-I पूंजी जुटाना तथा बैंक के सामान्य कारोबार की आवश्यकताओं को पूरा करना है और उसका उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए किया गया है।

भारत सरकार ने भी अभिदान राशि के रूप में ₹ 740.00 करोड़ का प्रेषण किया है जिसे 31.03.2016 की स्थिति में ''शेयर आवेदन राशि खाते'' में रखा गया है।

बैंक ने तीन शृखलाओं में ₹ 2620 करोड़ की राशि एकत्र की है (सितंबर 2015 के दौरान ₹ 1000 करोड़, दिसंबर 2015 के दौरान ₹ 750 करोड़ तथा मार्च 2016 के दौरान ₹ 870 करोड़)।

iv) बैंक के संगत-पार्टी लेन-देनों का प्रकटीकरण दि. 31.03.2016 के तुलन-पत्र की लेखा संबंधी टिप्पणी में किया गया है। संगत-पार्टी के लेन-देनों से संबंधित नीति निम्नलिखित वेबलिंक पर उपलब्ध है:
https://www.syndicatebank.in/downloads/Related-Party-Transanction-policy-25042016.pdf

In the Extraordinary General Meeting held on 30.10.2015, Shri Kamal Kishore Singhal, Executive Director, LIC of India (nominated by LIC of India) was elected as shareholder Director.

Details of Special Resolutions passed at AGM / EGM during the last 3 years:
Special resolutions were passed in the EGM held on 10.01.2015, 24.03.2015 and 28.03.2016 for approving preferential issue of equity shares in favour of Government of India and LIC of India. One Special resolution relating to Capital Issue was passed in the AGM held on 26.06.2015.

Details of Special Resolutions passed through Postal Ballot, if any: Provisions relating to Postal Ballot are not applicable to the Bank.

DISCLOSURES:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. SEBI has clarified that for listed entities which are not companies, but body corporate (e.g. private and public sector banks, financial institutions, insurance companies, etc.) incorporated under other statutes, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities.

i) **Remuneration of Directors**

The Bank does not pay any remuneration to the non-executive Directors excepting sitting fees, with effect from 20.07.2015 which is as under:

For Board Meeting	:	₹20,000/- per meeting
For Committee Meeting	:	₹10,000/- per meeting

ii) **Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship**

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director(s) vis-à-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

iii) **Proceeds from public issues, preferential issues, Bonds, etc.**

During the year under review, the Bank issued 4,13,12,457 equity shares of the face value of ₹10/- each at an issue price of ₹52.51 to LIC of India by way of Preferential Issue of Equity Shares aggregating upto ₹216.94 crore.

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier – I Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and to fund general business needs of the Bank and same were utilized for the said purpose.

Government of India also remitted ₹740.00 Crore as subscription money, which is kept in "Share Application Money Account" as on 31.03.2016.

Bank also raised bonds to the tune of ₹2620 Crore in three tranches (₹1000/- Crore during September 2015, ₹750 Crore during December 2015 and ₹870 Crore during March 2016). The proceeds were utilized for strengthening capital adequacy of the Bank.

iv) The related party transactions of the Bank are disclosed in the Notes on Accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2016. Policy on dealing with related party transactions is available under the following weblink:
https://www.syndicatebank.in/downloads/Related-Party-Transaction-policy-25042016.pdf

v) ''महत्त्वपूर्ण समनुषंगी'' निर्धारण हेतु नीति निम्नलिखित वेबलिंक पर उपलब्ध है:
https://www.syndicatebank.in/downloads/Policy_on_Determination_of_material_subsidiary.pdf

vi) महत्त्वपूर्ण इवेंट के निर्धारण एवं प्रकटीकरण संबंधी नीति निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है:
https://www.syndicatebank.in/downloads/Policy on determination and disclosure of material events.pdf

vii) कॉमोडिटी मार्केट गतिविधियों में बैंक भाग नहीं लेता है।

viii) बैंक ने जब से शेयरों को सूचीबद्ध किया है तब से पूँजी बाज़ार से संबंधित सभी मामलों का पालन किया है।

ix) जनहित में प्रकटीकरण व सूचनादाताओं की सुरक्षा संबंधी (पी.आई.डी.पी.आई.) प्रस्ताव के तहत की गई शिकायतों के बारे में बैंक चेतावनी सूचक नीति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निदेशों का पालन करता है।

बैंक ने एक चेतावनी सूचक नीति बनाई है जो निम्न वेबलिंक पर उपलब्ध है:
https://www.syndicatebank.in/downloads/Whistle-Blower-Policy.pdf

किसी कार्मिक ने मंडल की लेखा परीक्षा समिति की कार्रवाई से इनकार नहीं किया है।

x) दि. 31 मार्च, 2016 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले में शेयर बाज़ार या सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की आलोचना की गयी है ।

xi) बैंक ने वार्षिक आम बैठक आयोजित की है और पात्र शेयरधारकों को सांविधिक समय सीमा के भीतर लाभांश का भुगतान कर दिया है ।

xii) सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (8) के अंतर्गत सी.ई.ओ. और सी.एफ.ओ. के प्रमाणपत्रों को बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

xiii) सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V(ई) के अनुसार वर्ष 2015-2016 के लिए बैंक ने कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

xiv) सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 40(09) के अनुसार, प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर अन्य बातों के साथ-साथ अंतरण, संप्रेषण, उप-विभाजन, समेकन, नवीकरण और ईक्विटी शेयरों के विनिमय के संबंध में व्यवसायी कंपनी सचिव यानी मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद से हर छह महीने में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है । उक्त प्रमाण-पत्रों को उसकी प्राप्ति की तारीख से 24 घंटों के भीतर बी.एस.ई. और एन.एस.ई. को अग्रेषित कर दिया जाता है।

xv) सेबी परिपत्र सं. डी. एण्ड सी.सी./एफ.आइ.टी.टी.सी./सी.आइ.आर. 16 दि. 31.12.2002 (ईक्विटी सूचीकरण करार विनियम 55ए) के अनुसार बैंक ने दोनों निक्षेपगारों यानी एन.एस.डी.एल. तथा सी.डी.एस.एल. के साथ कुल स्वीकृत पूंजी तथा बैंक की कुल निर्गत और सूचीबद्ध पूंजी के समाधान के उद्देश्य से और सेबी के निर्देशों के अंतर्गत आनेवाले अन्य मामलों में एक व्यवसायी कंपनी सचिव यानी मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद द्वारा त्रैमासिक आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा की जाती है। इस संबंध में निर्गत रिपोर्ट को क्रमश: दि. 21.04.2015, 28.07.2015, 20.10.2015 और 28.01.2016 को बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और तिमाही की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर बी.एस.ई. तथा एन.एस.ई. को अग्रेषित किया गया जहाँ पर बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है ।

xvi) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3) के तहत भारत सरकार द्वारा बैंक का बोर्ड गठित है। सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 की अनुसूची II के भाग ई में उल्लिखित निम्नलिखित लागू विवेकाधिकार अपेक्षाओं का पालन करने के लिए बैंक कदम उठा रहा है:
- असंशोधित लेखा परीक्षा राय सहित वित्तीय विवरण संबंधी व्यवस्था की ओर अग्रसर होना।
- शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को, पिछले छ: महीनों के महत्वपूर्ण आयोजनों की संक्षिप्त विवरणी निहित वित्तीय निष्पादन के प्रकटीकरण को अर्धवार्षिक आधार पर भेजना।

xvii) बैंक, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनिमय 46 के उप-विनियम के खंड (बी) (i) एवं विनियम 17 से 27 में विनिर्दिष्ट कारपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

संप्रेषण माध्यम

बैंक के परिचालन तथा वित्तीय निष्पादन से संबंधित जानकारी, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है, जिसमें कारपोरेट अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे, नकदी प्रवाह विवरण इत्यादि शामिल होते हैं। बैंक के निष्पादन/वित्तीय परिणामों, प्रेस विज्ञप्ति, विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुति की सूचना समाचार पत्रों,

v) Policy for determining "material subsidiaries" is available under the weblink :
https://www.syndicatebank.in/downloads/Policy_on_Determination_of_material_subsidiary.pdf

vi) Policy on determination and disclosure of material events is available under the following weblink :
https://www.syndicatebank.in/downloads/Policy_on_determination_and_disclosure_of_material_events.pdf

vii) The Bank does not undertake Commodity market activities.

viii) The Bank has complied with all matters related to Capital Market since its listing of shares.

ix) Bank follows Central Vigilance Commission guidelines on Whistle Blower Policy complaints under public Interest Disclosure and protection of informers (PIDPI) resolution. Bank has framed Whistle Blower Policy, which is available under the following weblink:
https://www.syndicatebank.in/downloads/Whistle-Blower-Policy.pdf

No personnel has been denied access to the Audit Committee of the Board.

x) There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the Stock Exchanges or SEBI or any other Statutory Authority on any matter related to Capital Markets during the last 3 years ended 31st March 2016.

xi) The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame.

xii) The Certificate of CEO and CFO in terms of Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this Report.

xiii) In terms of Regulation 34(3) and Schedule V(E) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a certificate has been obtained from the Auditors on Corporate Governance in the Bank for the year 2015-2016 and the same is annexed to this Report.

xiv) As required under Regulation 40(09) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a certificate is obtained every six months from a practicing Company Secretary viz. M/s. K. K. Rao and Associates, Hyderabad, with regard to inter-alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgement. The certificates are forwarded to BSE and NSE, within 24 hours of receipt.

xv) In terms of SEBI's Circular No. D & CC/FITTC/CIR-16 dated 31.12.2002 (Regulation 55A of the equity listing agreement, a Secretarial Audit is conducted on a quarterly basis by a Practicing Company Secretary, viz. M/s. K. K. Rao and Associates, Hyderabad, for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both depositories i.e. NSDL and CDSL and the total Issued and Listed Capital of SyndicateBank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI. Reports issued in this regard were placed before the Board of Directors of the Bank on 21.04.2015, 28.07.2015, 20.10.2015 and 28.01.2016, respectively and forwarded within 30 days from the end of the quarter to BSE and NSE, where the equity shares of the Bank are listed.

xvi) Board of the Bank is constituted by Government of India in terms of Section 9(3) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980. Bank is taking steps for complying with the following applicable discretionary requirements as specified in Part E of Schedule II of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:
- To move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.
- To send a half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, to each household of shareholders.

xvii) Bank is in compliance with Corporate Governance requirements specified in regulation 17 to 27 and clause (b) (i) of sub-regulation(s) of Regulation 46 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

MEANS OF COMMUNICATION:

The information about the operations and financial performance of the Bank is mainly provided through the Annual Report of the Bank, which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors' Report,

बैंक के वेबसाइट (www.syndicatebank.in) तथा स्टॉक एक्स्चेंजों की सूचना के ज़रिए शेयरधारकों को भी नियमित आधार पर दी जाती है। इसके अतिरिक्त, बैंक के त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणामों को राष्ट्रीय अंग्रेज़ी समाचार पत्र जैसे, इकॉनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड आदि के साथ स्थानीय समाचार पत्र, उदयवाणी में प्रकाशित किया जाता है ।

वर्ष के दौरान, बैंक के त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक/वार्षिक परिणामों को अन्य समाचार पत्रों के अलावा निम्नलिखित समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया :

अवधि	समाचार पत्र का नाम		प्रकाशन की तारीख
	अंग्रेजी	कन्नड	
मार्च 2015 को समाप्त वर्ष	फायनांशियल एक्सप्रेस	प्रजावाणी	10.05.2015
जून 2015 को समाप्त तिमाही	बिजनेस स्टैंडर्ड	विजय कर्नाटक	29.07.2015
सितंबर 2015 को समाप्त अर्ध-वर्ष	बिजनेस लाइन	विजय कर्नाटक	29.10.2015
दिसंबर 2015 को समाप्त तिमाही	फायनांशियल एक्सप्रेस	प्रजावाणी	29.01.2016

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियमन 33(3) एवं 52 के अनुसार, वित्तीय परिणाम एवं मूल्य संवेदी सूचना (ओं) की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत की जाती है।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एम सी ए) द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन में की गई हरित पहल

प्रलेखों को ई-माध्यम से भेजे जाने संबंधी कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, उन सदस्यों को बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016 की सॉफ्ट प्रतियाँ भेजी जाएंगी, जिन्होंने मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (पी) लि., रजिस्ट्रार और बैंक के शेयर अंतरण अभिकर्ता के साथ अपना ई-मेल आई डी पंजीकृत किया है। वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016 की सॉफ्ट प्रति बैंक के वेबसाइट www.syndicatebank.in पर प्रदर्शित किया जाएगा।

उन सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016 की हार्ड प्रतियाँ भेजी जाएंगी जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता दर्ज नहीं किया है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी:

सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक एवं वित्तीय कैलेण्डर

बैंक के शेयरधारकों की सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल - 576 104 में, दिनांक 24 जून, 2016 को प्रात: 10.00 बजे होगी और वर्ष 2016-2017 के लिए बैंक का वित्तीय कैलेण्डर निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्यकलाप का स्वरूप	तारीख
1.	31.03.2016 के वार्षिक वित्तीय लेखों का बोर्ड की बैठक द्वारा अनुमोदन एवं अंतिम लाभांश की सिफारिश करना	17.05.2016
2.	वार्षिक रिपोर्टों का प्रेषण	27.05.2016 से 31.05.2016 तक
3.	बही बंदी	18.06.2016 से 24.06.2016 तक
4.	प्रॉक्सी फार्मों की प्राप्ति की अंतिम तारीख	18.06.2016
5.	सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक	24.06.2016
6.	प्रथम तीन तिमाहियों के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का प्रकाशन	तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर
7.	पत्र-व्यवहार का पता	कंपनी सचिव, सिंडिकेट बैंक, निवेशक संपर्क केंद्र, कारपोरेट कार्यालय, गांधीनगर, बेंगलूरु - 560 009

Audited Accounts, Cash Flow Statements, etc. The shareholders are also intimated of the Bank's performance/financial results, press releases, presentations made to analysts, on a regular basis through newspapers and Website of the Bank (www.syndicatebank.in), besides Notice to Stock Exchanges. Further, the quarterly / half-yearly financial results are published in the National English newspapers like Economic Times, Business Line, Business Standard, etc., and in the Regional newspaper, Udayavani.

During the year, the quarterly/half-yearly/annual results of the bank were published in the following newspapers in addition to other newspapers:

Period	Name of the Daily		Date of Publication
	English	Kannada	
Year ended March 2015	Financial Express	Prajavani	10.05.2015
Quarter ended June 2015	Business Standard	Vijaya Karnataka	29.07.2015
Half year ended September 2015	Business Line	Vijaya Karnataka	29.10.2015
Quarter ended December 2015	Financial Express	Prajavani	29.01.2016

In terms of Regulation 33(3) and 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Financial Results and the price sensitive information(s) are furnished to stock exchanges.

Green Initiatives in the Corporate Governance taken by Ministry of Corporate Affairs (MCA)

As per the guidelines of Ministry of Corporate Affairs regarding service of documents by e-mode, soft copies of Annual Report 2015-2016 of the Bank will be sent to those members, who have registered their email IDs with M/s. Karvy Computershare (P) Ltd., Registrar and Share Transfer Agents of the Bank. Soft copy of Annual Report 2015-2016 will be placed on the website of the Bank www.syndicatebank.in.

Hard copies of Annual Report 2015-2016 will be sent to the members who have not registered his/her e-mail address with the company.

GENERAL INFORMATION TO SHAREHOLDERS:

Seventeenth Annual General Meeting and the Financial Calendar:

The Seventeenth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank will be held at Syndicate Bank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104, on 24.06.2016 at 10.00 a.m. and Financial Calendar of the Bank for the year 2016-2017 is as follows.

Sl. No.	Nature of activity	Date
1.	Board Meeting to approve Annual Financial Accounts as at 31.03.2016 and recommending Dividend, etc.	17.05.2016
2.	Mailing of Annual Reports	27.05.2016 to 31.05.2016
3.	Book Closure (Both days inclusive)	18.06.2016 to 24.06.2016
4.	Last date for receipt of Proxy Forms	18.06.2016
5.	Seventeenth Annual General Meeting	24.06.2016
6.	Publication of un-audited financial results for the first 3 quarters	Within 45 days from the end of the quarter
7.	Address for Correspondence	The Company Secretary, Syndicate Bank, Investor Relations Centre, Corporate Office, Gandhinagar, Bengaluru 560 009

सूचीकरण:

बैंक के शेयरों का निम्नलिखित स्टॉक एक्स्चेंजों में सूचीकरण किया गया है :

क्र.सं.	एक्स्चेंज का नाम	स्क्रिप कूट
ए.	नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ''एक्स्चेंज प्लाज़ा'', बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	--- SYNDIBANK----
बी.	बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001	532276

नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा बैंक को आबंटित आई.एस.आई.एन. कूट आई.एन.ई. 667ए 01018 है ।

दि. 31.03.2017 तक का वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान नियत तारीखों के भीतर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को कर दिया गया है।

शेयर बाजार आंकडे

वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान बंबई स्टॉक एक्सचेंच लिमिटेड (बी.एस.ई.) और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एन.एस.ई.) के साथ किये गए शेयर लेन-देन की प्रमात्रा एवं मासिक उच्च तथा निम्न भाव दर निम्नानुसार हैं :

वर्ष-माह	बंबई स्टॉक एक्स्चेंज			नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज		
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	लेन-देन की प्रमात्रा (सं.)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	लेन-देन की प्रमात्रा (सं.)
2015 – अप्रैल	113.30	97.20	36,60,159	113.40	97.20	2,86,69,564
2015 – मई	118.20	97.00	66,64,121	118.30	97.00	4,55,06,611
2015 – जून	118.00	96.30	48,87,285	117.90	96.35	4,19,09,630
2015 – जुलाई	106.00	86.70	79,74,630	105.85	86.75	5,65,21,471
2015 – अगस्त	107.00	79.10	77,47,553	107.10	79.00	4,97,10,362
2015 – सितंबर	86.45	75.70	64,24,794	86.55	75.60	4,47,48,459
2015 – अक्तूबर	97.90	81.20	60,08,386	97.15	81.30	4,58,51,748
2015 – नवंबर	96.50	88.00	31,58,970	96.50	88.40	2,99,21,468
2015 – दिसंबर	96.45	83.90	23,53,457	96.70	83.85	2,16,50,832
2016 – जनवरी	90.35	66.60	47,12,205	90.45	66.60	4,10,89,888
2016 – फरवरी	68.00	49.40	76,68,189	67.90	50.00	6,78,58,760
2016 – मार्च	68.50	51.00	77,54,229	69.45	51.35	6,37,70,637

बीएसई बैंकेक्स एवं सीएनएक्स पीएसयू बैंक की तुलना में बैंक के शेयर मूल्य का निष्पादन निम्नवत है:

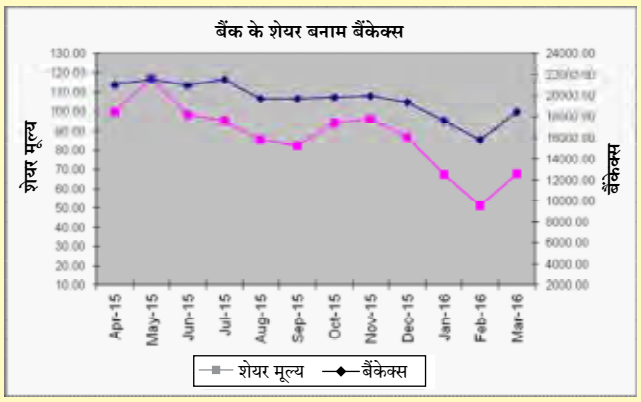

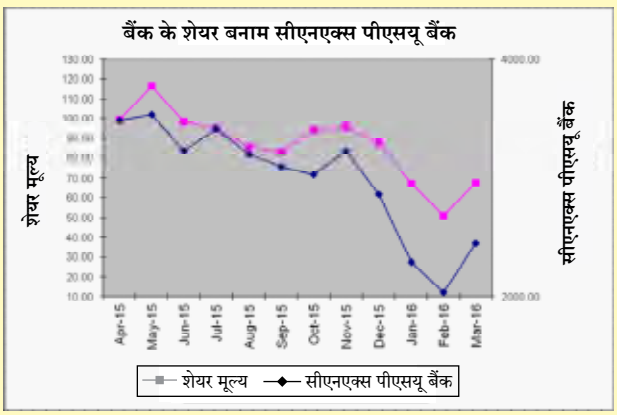

Listing:

The shares of the Bank are listed at the following Stock Exchanges :

Sl. No.	Name of the Exchange	Scrip Code
a.	National Stock Exchange of India Ltd. "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051	---SYNDIBANK----
b.	BSE Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001	532276

The ISIN Code allotted by National Securities Depositories Limited for the Bank is INE667A01018.

The Annual Listing fees upto 31.03.2017 have been paid to both the Stock exchanges within the prescribed due dates.

STOCK MARKET DATA

The monthly high & low quotations and the quantity of Shares traded on Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) and National Stock Exchange of India Ltd.(NSE) during the Financial Year 2015-2016 is as follows:

Year - Month	BSE			NSE		
	High (₹)	Low (₹)	Traded Quantity (Nos.)	High (₹)	Low (₹)	Traded Quantity (Nos.)
2015 – April	113.30	97.20	36,60,159	113.40	97.20	2,86,69,564
2015 – May	118.20	97.00	66,64,121	118.30	97.00	4,55,06,611
2015 – June	118.00	96.30	48,87,285	117.90	96.35	4,19,09,630
2015 – July	106.00	86.70	79,74,630	105.85	86.75	5,65,21,471
2015 – Aug	107.00	79.10	77,47,553	107.10	79.00	4,97,10,362
2015 – Sept	86.45	75.70	64,24,794	86.55	75.60	4,47,48,459
2015 – Oct	97.90	81.20	60,08,386	97.15	81.30	4,58,51,748
2015 – Nov	96.50	88.00	31,58,970	96.50	88.40	2,99,21,468
2015 – Dec	96.45	83.90	23,53,457	96.70	83.85	2,16,50,832
2016 – Jan	90.35	66.60	47,12,205	90.45	66.60	4,10,89,888
2016 – Feb	68.00	49.40	76,68,189	67.90	50.00	6,78,58,760
2016 – Mar	68.50	51.00	77,54,229	69.45	51.35	6,37,70,637

Performance of the Bank's Share Price vis-à-vis BSE Bankex and CNS PSU Bank are as under:

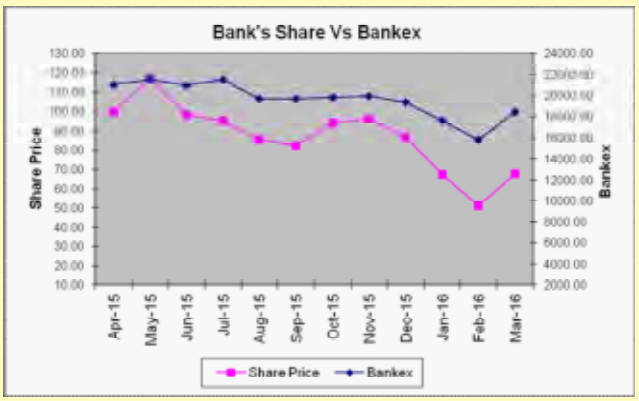

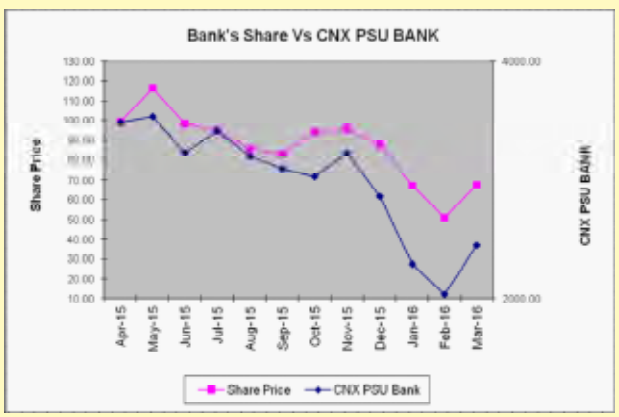

शेयर अंतरण प्रणाली, रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट

(ए) कागज़ी शेयर

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी कागज़ी शेयरों का अंतरण रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास दर्ज करने की तारीख से एक महीने की अवधि के अंदर प्रभावी हैं। बैंक द्वारा जारी किए गए शेयरों के प्रभावी अंतरण हेतु बोर्ड ने शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसकी नियमित अन्तरालों में बैठक होती हैं ।

बैंक ने मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अपने रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया है । रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ताओं के कार्यालय द्वारा शेयर अंतरण, लाभांश का भुगतान एवं सभी अन्य निवेशकों संबंधी कार्यकलाप देखे जाते हैं और संसाधित किए जाते हैं । शेयरधारक, अंतरण पत्र एवं कोई अन्य दस्तावेज, परिवाद तथा शिकायतें रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ताओं को नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्राइवेट) लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट सं. 31-32, गचीबौली
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500 032
दूरभाष : 040 67162222 अथवा 040 67161516 (सीधा)
फैक्स : 040-23001153
टोल फ्री सं : 1800-345-4001

(बी) बेकागज़ी शेयर

बैंक के शेयरों का लेन-देन नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज आफ इण्डिया लिमिटेड के पास अनिवार्य रूप से आई एस आई एन कूट आइ एन ई 667A01018 और बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. के पास स्क्रिप कूट सं. 532276 के अंतर्गत किया जाता है। नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) बैंक के शेयरों को बेकागज़ीकृत रूप में रखनेवाले डिपॉजिटरी हैं।

दि. 20.05.2016 तक, बैंक के कुल शेयर होल्डिंग के 97.23% को बेकागज़ीकृत किया गया है और केन्द्र सरकार द्वारा 55,35,22,796 ईक्विटी शेयर के रूप में रखी गयी संपूर्ण शेयर पूंजी जो कुल प्रदत्त पूंजी का 69.32% है, बेकागज़ीकृत फार्म में है।

दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा बेकागज़ी रूप में और कागज़ी रूप में रखे गए शेयरों के विवरण:

	शेयरधारकों की संख्या	कुल की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कुल की प्रतिशतता
ए. कागज़ी	1,08,399	41.53	6,34,86,942*	9.03
बी. बेकागज़ी				
• एन.एस.डी.एल.	1,11,136	42.58	16,41,82,323	23.34
• सी.डी.एस.एल.	41,483	15.89	47,57,02,364	67.63
कुल	**2,61,018**	**100.00**	**70,33,71,629**	**100.00**

* इनमें 4,13,12,457 ईक्विटी शेयर शामिल हैं जिन्हें 31.03.2016 को भारतीय जीवन बीमा निगम को आबंटित किया गया है। एन एस ई/बी एस ई से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इन शेयरों को भारतीय जीवन बीमा निगम के डी-मैट खाते में दिनांक 14.04.2016 को जमा किया गया।

SHARE TRANSFER SYSTEM, REGISTRAR AND TRANSFER AGENTS

(a) Physical Shares

The Bank ensures that all transfers of physical shares are duly effected within a period of one month from the date of their lodgment with the Registrar and Share Transfer Agents. The Board has constituted Share Transfer Committee, which meets at regular intervals for effecting transfer of shares issued by the Bank.

The Bank has appointed M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad as its Registrar and Share Transfer Agents. Share transfers, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of the Registrar and Share Transfer Agents. Shareholders can lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints with the Registrar and Transfer agents at the following address:

M/s. KarvyComputerShare (P) Ltd.
Unit: SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032
Phone No. 040 67162222 or 040 67161516 (D)
Fax No. 040 23001153
Toll Free No. 1800-345-4001

(b) Shares in demat form

The Bank's shares are traded compulsorily in demat mode under ISIN Code INE667A01018 with National Stock Exchange of India Ltd. and Scrip Code No.532276 with Bombay Stock Exchange Ltd. The National Securities Depository Ltd., (NSDL) and the Central Depository Services Ltd. (CDSL) are the depositories holding the Bank's share in demat mode.

As on 20.05.2016, 97.23% of the total shareholding of the Bank has been dematerialized and the entire share capital held by the Central Government i.e. 55,35,22,796 equity shares constituting 69.32% of the total paid-up capital is in dematerialized form.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the Shareholders as on 31.03.2016 are as under:

	No. of Shareholders	% to total	No. of Shares	% to total
A. PHYSICAL	1,08,399	41.53	6,34,86,942*	9.03
B. DEMAT				
• NSDL	1,11,136	42.58	16,41,82,323	23.34
• CDSL	41,483	15.89	47,57,02,364	67.63
TOTAL	**2,61,018**	**100.00**	**70,33,71,629**	**100.00**

* Includes 4,13,12,457 equity shares allotted to LIC of India on 31.03.2016. The shares were credited to Demat account of LIC of India on 14.04.2016 after obtaining approvals from NSE/BSE.

शेयरधारण का पैटर्न

दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार शेयरधारण पैटर्न (ईक्विटी शेयर पूंजी) निम्नानुसार है:

क्र. सं.	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
ए.	**प्रवर्तक का धारण**		
1	प्रवर्तक		
	भारत सरकार	45,83,94,888	65.17
	विदेशी प्रवर्तक	शून्य	
2	सहमति से कार्य करनेवाले व्यक्ति	शून्य	
	कुल	**45,83,94,888**	**65.17**
बी.	**गैर–प्रवर्तक धारण**		
3	संस्थागत निवेशक		
ए.	म्यूच्युअल फंड्स एवं यू.टी.आई.	3,33,352	0.05
बी.	बैंक, वित्तीय संस्थाएँ	14,53,523	0.21
सी.	बीमा कंपनियाँ	10,55,11,003	15.00
डी.	एफ.आई.आई.	2,02,71,574	2.88
ई.	विदेशी पोर्टफोलियों निवेशक	2,20,43,632	3.13
एफ.	विदेशी नागरिक	1,000	0.00
	उप–जोड़	**14,96,14,084**	**21.27**
4	अन्य		
ए.	निजी कॉरपोरेट निकाय	1,22,21,778	1.74
बी.	भारतीय जनता	7,84,48,797	11.15
सी.	एनआरआई/ओसीबी	22,91,707	0.33
डी.	एनबीएफ सी	37,372	0.01
ई.	अन्य	23,63,003	0.34
	उप–जोड़	**9,53,62,657**	**13.56**
	गैर–प्रवर्तक धारण की जोड	**24,49,76,741**	**34.83**
	कुल जोड़	**70,33,71,629**	**100.00**

दि. 31.03.2016 की स्थिति में 1% से अधिक के चुकता शेयर पूँजी रखनेवाले शेयरधारकों के ब्यौरे :

श्रेणी	शेयरधारकों के नाम	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
प्रवर्तक	**भारत का राष्ट्रपति, भारत सरकार** निदेशक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), संसद मार्ग, नई दिल्ली	45,83,94,888	65.17
बीमा कंपनियां	**भारतीय जीवन बीमा निगम**	10,19,88,886	14.50
	कुल	**56,03,83,774**	**79.67**

नोट : बैंक के प्रवर्तक, भारत सरकार ने 30.03.2016 को अंशदान राशि के रूप में ₹ 740.00 करोड़ की राशि का विप्रेषण किया है। बैंक द्वारा प्राप्त की गई उस राशि

Shareholding Pattern

The shareholding pattern (equity share capital) as on 31.03.2016 is as follows:

Sl.No.	Category	No. of shares held	Percentage of shareholding
A	**Promoter's Holding**		
1	Promoters		
	Government of India	45,83,94,888	65.17
	Foreign promoters	NIL	
2	Persons acting in concert	NIL	
	Total	**45,83,94,888**	**65.17**
B	**Non-Promoter Holding**		
3	Institutional Investor		
a.	Mutual Funds and UTI	3,33,352	0.05
b.	Banks, Financial Institutions	14,53,523	0.21
c.	Insurance Companies	10,55,11,003	15.00
d.	FII's	2,02,71,574	2.88
e.	Foreign Portfolio Investors	2,20,43,632	3.13
f.	Foreign Nationals	1,000	0.00
	Sub Total	**14,96,14,084**	**21.27**
4	Others		
a.	Private Corporate Bodies	1,22,21,778	1.74
b.	Indian Public	7,84,48,797	11.15
c.	NRIs/OCBs	22,91,707	0.33
d.	NBFCs	37,372	0.01
e.	Any Others	23,63,003	0.34
	Sub Total	**9,53,62,657**	**13.56**
	Total Non-Promoters Holding	**24,49,76,741**	**34.83**
	Grand Total	**70,33,71,629**	**100.00**

Details of shareholding of more than 1% of the paid up share capital as on 31.03.2016

Category	Name of the Shareholder	No. of shares	% of shareholding
Promoters	**President of India, Government of India** The Director, Ministry of Finance Department of Economic Affairs (Banking Division) Sansad Marg, New Delhi	45,83,94,888	65.17
Insurance	**Life Insurance Corporation of India**	10,19,88,886	14.50
	Total	**56,03,83,774**	**79.67**

Note. Government of India, the promoter of the Bank had remitted an amount of ₹740.00 Crore on 30.03.2016 as

को ''शेयर अप्लिकेशन मनी अकांउट'' में रखा गया है। दि. 05.05.2016 को भारत सरकार को शेयरों का आबंटन किया गया। बैंक ने भा. रि. बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बासेल III की अपेक्षाओं के अनुसार, 31 मार्च 2016 को सामान्य ईक्विटी के अंश के रूप में एप्लिकेशन मनी को माना है।

दि. 31.03.2016 की स्थिति में शेयर वितरण पैटर्न

क्र. सं.	नाममात्र मूल्य के शेयरधारण (₹)	शेयरधारकों की संख्या	कुल की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	रकम (₹)	कुल की प्रतिशतता
1	1 – 500	36116	13.84	960281	9602810.00	0.14
2	501 – 1000	92612	35.48	9094718	90947180.00	1.29
3	1001 – 2000	55558	21.29	10201183	102011830.00	1.45
4	2001 – 3000	20444	7.83	5752522	57525220.00	0.82
5	3001 – 4000	26182	10.03	10327159	103271590.00	1.47
6	4001 – 5000	8732	3.35	4196476	41964760.00	0.60
7	5001 – 10000	12762	4.89	9933938	99339380.00	1.41
8	10001 – 50000	7256	2.78	15024565	150245650.00	2.14
9	50001 – 100000	668	0.26	4898077	48980770.00	0.70
10	100001 और उससे अधिक	688	0.26	632982710	6329827100.00	89.99
	कुल	**261018**	**100.00**	**703371629**	**7033716290.00**	**100.00**

दि. 31.03.2016 तक शेयरधारकों का भौगोलिक फैलाव

स्थान	कागज़ी			बेकागजी			कुल		
	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता
दिल्ली									
–भारत सरकार	0	0	0	1	458394888	65.17	1	458394888	65.17
– अन्य	6733	1773301	0.25	11335	7668901	1.09	18068	9442202	1.34
बेंगलूर	10548	2176181	0.31	12982	5247210	0.75	23530	7423391	1.06
चेन्नई	3391	680600	0.10	7094	3432720	0.49	10485	4113320	0.58
हैदराबाद	3892	837700	0.12	6279	3943639	0.56	10171	4781339	0.68
कोलकाता	1438	348601	0.05	5078	4154094	0.59	6516	4502695	0.64
मंगलूर	1611	340925	0.05	2826	1343093	0.19	4437	1684018	0.24
मुंबई	4001	42279870	6.01	15046	120637032	17.15	19047	162916902	23.16
उडुपि	1731	345700	0.05	2287	959044	0.14	4018	1304744	0.19
अन्य स्थान	75054	14704064	2.09	89691	34104066	4.85	164745	48808130	6.94
कुल	**108399**	**63486942**	**9.03**	**152619**	**639884687**	**90.97**	**261018**	**703371629**	**100.00**

subscription money, The money thus received by the Bank was kept in the "Share Application Money Account". Shares were allotted to Government of India on 05.05.2016. Bank has treated the application money as part of the Common Equity as at 31st March 2016 as per BASEL III requirements, after obtaining RBI approval.

Distribution Pattern as on 31.03.2016

Sl. No.	Shareholding of Nominal Value of (₹)	No. of Shareholders	% age of Total	No. of Shares	Amount (₹)	% age of Total
1	1 – 500	36116	13.84	960281	9602810.00	0.14
2	501 – 1000	92612	35.48	9094718	90947180.00	1.29
3	1001 – 2000	55558	21.29	10201183	102011830.00	1.45
4	2001 – 3000	20444	7.83	5752522	57525220.00	0.82
5	3001 – 4000	26182	10.03	10327159	103271590.00	1.47
6	4001 – 5000	8732	3.35	4196476	41964760.00	0.60
7	5001 – 10000	12762	4.89	9933938	99339380.00	1.41
8	10001 – 50000	7256	2.78	15024565	150245650.00	2.14
9	50001 – 100000	668	0.26	4898077	48980770.00	0.70
10	100001 and above	688	0.26	632982710	6329827100.00	89.99
	TOTAL :	**261018**	**100.00**	**703371629**	**7033716290.00**	**100.00**

Geographical Spread of Shareholders as on 31.03.2016

Places	PHYSICAL			DEMAT			TOTAL		
	No. of Share-holders	No. of shares	% holding	No. of share-holders	No. of shares	% holding	No. of share-holders	No. of shares	% holding
Delhi									
– GOI	0	0	0	1	458394888	65.17	1	458394888	65.17
– Others	6733	1773301	0.25	11335	7668901	1.09	18068	9442202	1.34
Bangalore	10548	2176181	0.31	12982	5247210	0.75	23530	7423391	1.06
Chennai	3391	680600	0.10	7094	3432720	0.49	10485	4113320	0.58
Hyderabad	3892	837700	0.12	6279	3943639	0.56	10171	4781339	0.68
Kolkata	1438	348601	0.05	5078	4154094	0.59	6516	4502695	0.64
Mangalore	1611	340925	0.05	2826	1343093	0.19	4437	1684018	0.24
Mumbai	4001	42279870	6.01	15046	120637032	17.15	19047	162916902	23.16
Udupi	1731	345700	0.05	2287	959044	0.14	4018	1304744	0.19
Others	75054	14704064	2.09	89691	34104066	4.85	164745	48808130	6.94
TOTAL	**108399**	**63486942**	**9.03**	**152619**	**639884687**	**90.97**	**261018**	**703371629**	**100.00**

स्थायी खाता संख्या (पैन)

सेबी के निदेशों और सूचीकरण करार में किए गए संशोधन के अनुसार कागजी शेयरों के निम्नलिखित लेन-देनों के लिए अंतरिती/अंतरितियों द्वारा पैन कार्ड की साक्ष्यांकित प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है :

- शेयरों का अंतरण (शेयरों के अंतरण में अंतरणकर्ता का पैन कार्ड भी अपेक्षित है)
- दिवंगत शेयरधारकों के नाम को हटाना
- विधिक वारिस के नाम पर शेयरों को अंतरित करना
- शेयरों का क्रम परिवर्तन - यदि नामों के क्रम में परिवर्तन हो
- पते में हुए परिवर्तन को नोट करने के लिए
- ई. सी. एस. अधिदेश नोट करने के लिए

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एन.ई.सी.एस.)

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एन.ई.सी.एस.) भुगतान की एक आधुनिक राष्ट्रीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लाभांश/ब्याज आदि की राशि सीधे संबंधित निवेशकों के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। बैंक ने शेयरधारकों को राष्ट्रीय ई.सी.एस. सुविधा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शामिल किए गए सभी केंद्रों में सुविधा प्राप्त करने के विकल्प के साथ यह सेवा प्रदान की है।

एनईसीएस अधिदेश प्रपत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

नामांकन सुविधा

बैंक का प्रत्येक शेयरधारक किसी भी समय निर्धारित ढंग से किसी एक व्यक्ति को नामित कर सकता है, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात् बैंक में धारित शेयर प्रदान किए जा सकें । जहाँ शेयर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित हैं तो संयुक्त धारक मिलकर नियत तरीके से एक व्यक्ति को नामित करें जिससे सभी संयुक्त धारियों की मृत्यु के संदर्भ में बैंक शेयरों के सभी हक प्रदान किए जाएं।

तदनुसार, कागज़ी रूप से शेयरों को रखनेवाले शेयरधारी बैंक के साथ या रजिस्ट्रार और बैंक के अंतरण अभिकर्ताओं के साथ विधिवत् भरे गए फार्म 2बी (संलग्न) दायर करके नामांकन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । बेकागज़ीकृत शेयरों के संदर्भ में नामांकन निक्षेपण सहभागी द्वारा नियत की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है।

अदावी लाभांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 जो दि. 16.10.2006 से लागू है, के अनुसार बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 में एक नयी धारा 10 बी. शामिल की गयी है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

i. यदि कोई शेयरधारक लाभांश घोषित करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि समाप्ति के बाद 7 दिनों के भीतर लाभांश का नकदीकरण/दावा नहीं करता है तो बैंक के चालू खाते में पड़ी ऐसी रकम को ''वर्ष ..... के लिए सिंडिकेटबैंक के अप्रदत्त लाभांश'' नामक एक पृथक खाते में अंतरित किया जाए।

ii. ''अप्रदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित धन राशि जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावी रहती है तो, उक्त धनराशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) को अंतरित किया जाए।

तदनुसार, पिछले वर्षों से संबंधित अप्रदत्त लाभांश को सिंडिकेटबैंक अप्रदत्त लाभांश खाते में जमा किया गया है। अतएव, ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त या अदावी रहनेवाली ऐसी धनराशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत अपेक्षित, बैंक के वर्ष 1999-2000 से 2007-2008 तक के अंतिम लाभांश के अप्रदत्त लाभांश खाते की शेष राशि को कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आई ई पी एफ) में 2014 और 2015 के दौरान अंतरित किया गया था जिनके ब्यौरे क्रम सं. 1 से 14 तक निम्नलिखित है:

PERMANENT ACCOUNT NUMBER (PAN)

As per SEBI directive and amendment to the Listing Agreement, submission of attested copy of PAN card by the Transferee/s, is made mandatory for the following type of transactions of physical shares:

- Transfer of Shares (PAN Card of the transferor is also required in respect of transfer of shares)
- Deletion of name of the deceased shareholder/s.
- Transmission of shares to the legal heir/s
- Transposition of shares – when there is a change in the order of names;
- For noting Change of Address
- For noting ECS Mandate

National Electronic Clearing Services (NECS)

National Electronic Clearing Services (NECS) is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest, etc. are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under National ECS facility.

NECS mandated form is appended with the Annual Report.

NOMINATION FACILITY

Every shareholder of the Bank may, at any time, nominate, in the prescribed manner, a person to whom his / her shares in the Bank shall vest in the event of his / her death. Where more than one person holds the shares jointly, the joint holders may together nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares of the Bank shall vest, in the event of death of all the joint holders.

Accordingly, the shareholders holding the shares in physical form can avail the nomination facility by filing Form 2B (annexed) with the Bank or with the Registrars and Share Transfer Agents of the Bank. In case of dematerialised holdings, nomination may be done as per the procedure prescribed by Depository Participant.

UNCLAIMED DIVIDEND

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on 16.10.2006, has inserted a new Section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, which provides as under:

i. Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend of SyndicateBank for the year ...."

ii. Any money transferred to the Unpaid Dividend account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 125 of the Companies Act, 2013.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend accounts of Syndicate Bank and hence, such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund.

Amounts lying under unpaid dividend accounts from 1999-2000 till Final 2007-2008 of the Bank, numbering 12 detailed hereunder were transferred to Investor Education Protection Fund (IEPF) maintained by Ministry of Corporate Affairs, New Delhi, during 2014 and 2015, as required under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970:

क्रम सं.	अप्रदत्त लाभांश के ब्यौरे	घोषणा की तारीख	आई ई पी एफ में अंतरित राशि (₹)	आई ई पी एफ में अंतरण की तारीख
1.	लाभांश 1999-2000	25.05.2000	21,73,984/-	25.07.2014
2.	लाभांश 2000-01	02.07.2001	42,90,243/-	25.07.2014
3.	लाभांश 2001-02	30.05.2002	51,25,533/-	17.07.2014
4.	लाभांश 2002-03	11.06.2003	65,93,738/-	18.07.2014
5.	अंतरिम लाभांश 2003-04	10.12.2003	49,85,761/-	18.07.2014
6.	अंतिम लाभांश 2003-04	11.06.2004	46,27,478/-	18.07.2014
7.	अंतरिम लाभांश 2004-05	31.03.2005	29,47,635/-	18.07.2014
8.	अंतिम लाभांश 2004-05	07.06.2005	59,01,848/-	18.07.2014
9.	अंतरिम लाभांश 2005-2006	16.02.2006	63,69,848/-	18.07.2014
10.	अंतिम लाभांश 2005-2006	20.07.2006	45,89,891/-	18.07.2014
11.	अंतरिम लाभांश 2006-2007	20.12.2006	61,04,266/-	18.07.2014
12.	अंतिम लाभांश 2006-2007	16.07.2007	63,66,422/-	16.08.2014
13.	अंतरिम लाभांश 2007-2008	11.04.2008	78,19,953/-	11.05.2015
14.	अंतिम लाभांश 2007-2008	18.07.2008	67,27,757/-	17.08.2015
	कुल		**7,46,24,357/-**	

बैंक के अन्य अप्रदत्त लाभांश खातों के विवरण तथा आई ई पी एफ में अंतरण हेतु नियत तिथि निम्नलिखित है:

क्रम सं.	अप्रदत्त लाभांश के ब्यौरे	चालू खाता सं.	घोषणा की तिथि	दि. 31.03.2016 को शेष (₹)	आई ई पी एफ में अंतरण हेतु नियत तारीख
1.	अंतरिम लाभांश 2008-09*	3008.101.8078	29.04.2009	85,79,690/-	29.05.2016
2.	अंतिम लाभांश 2008-09	3008.101.8160	21.07.2009	89,41,512/-	21.08.2016
3.	लाभांश 2009-10	3008.101.8416	06.07.2010	1,69,29,414/-	06.08.2017
4.	लाभांश 2010-11	3008.101.8720	07.07.2011	2,18,32,576/-	07.08.2018
5.	लाभांश 2011-12	3008.101.9176	27.07.2012	2,57,26,970/-	17.09.2019
6.	लाभांश 2012-13	3008.101.9567	28.06.2013	4,40,87,242/-	28.07.2020
7.	अंतरिम लाभांश 2013-14	3008.101.9793	28.01.2014	2,00,45,355/-	28.02.2021
8.	अंतिम लाभांश 2013-2014	3008.101.9943	27.06.2014	2,05,45,332/-	27.07.2021
9.	लाभांश 2014-2015	3008.101.10283	08.07.2015	3,27,84,849/-	08.08.2025

* वर्ष 2008-2009 के अंतरिम लाभांश को आई ई पी एफ में अंतिम हेतु नियत तारीख 29.05.2016 है।

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया है, उनसे अनुरोध है कि सहायता हेतु बैंक के निवेशक संपर्क केंद्र, कारपोरेट कार्यालय, बेंगलूरू से संपर्क करें।

निवेशकों के नाम तथा लाभांश के वर्ष सहित अप्रदत्त लाभांशों के विवरण भी शेयरधारकों के लिए बैंक के वेबसाइट पर शेयरहोल्डर्स इन्फोर्मेशन के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है।

बकाया जी.डी.आर./ए.डी.आर. या अन्य परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और ईक्विटी पर संभाव्य प्रभाव:

बैंक ने कोई जी.डी.आर./ए.डी.आर./वारंट या अन्य परिवर्तनीय लिखतों को जारी नहीं किया है।

बॉण्ड

पूँजी वृद्धि के उद्देश्य से बैंक ने ईक्विटी में परिवर्तित न होने योग्य असुरक्षित एवं प्रतिदेय बॉण्ड को जारी किया है। दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार बकाया रहनेवाले ऐसे बॉण्ड के विवरण निम्नलिखित हैं:

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Date of Declaration	Amount transferred to IEPF (₹)	Date of transfer to IEPF
1.	Dividend 1999-2000	25.05.2000	21,73,984/-	25.07.2014
2.	Dividend 2000-01	02.07.2001	42,90,243/-	25.07.2014
3.	Dividend 2001-02	30.05.2002	51,25,533/-	17.07.2014
4.	Dividend 2002-03	11.06.2003	65,93,738/-	18.07.2014
5.	Interim Dividend 2003-04	10.12.2003	49,85,761/-	18.07.2014
6.	Final Dividend 2003-04	11.06.2004	46,27,478/-	18.07.2014
7.	Interim Dividend 2004-05	31.03.2005	29,47,635/-	18.07.2014
8.	Final Dividend 2004-05	07.06.2005	59,01,848/-	18.07.2014
9.	Interim Dividend 2005-2006	16.02.2006	63,69,848/-	18.07.2014
10.	Final Dividend 2005-2006	20.07.2006	45,89,891/-	18.07.2014
11.	Interim Dividend 2006-2007	20.12.2006	61,04,266/-	18.07.2014
12.	Final Dividend 2006-2007	16.07.2007	63,66,422/-	16.08.2014
13.	Interim Dividend 2007-2008	11.04.2008	78,19,953/-	11.05.2015
14.	Final Dividend 2007-2008	18.07.2008	67,27,757/-	17.08.2015
	TOTAL		**7,46,24,357/-**	

The Details of other Unpaid Dividend accounts of the Bank and the due date for transfer to IEPF are as under:

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Current account No.	Date of Declaration	Balance as on 31.03.2016 (₹)	Due date of transfer to IEPF
1.	Interim Dividend 2008-09*	3008.101.8078	29.04.2009	85,79,690/-	29.05.2016
2.	Final Dividend 2008-09	3008.101.8160	21.07.2009	89,41,512/-	21.08.2016
3.	Dividend 2009-10	3008.101.8416	06.07.2010	1,69,29,414/-	06.08.2017
4.	Dividend 2010-11	3008.101.8720	07.07.2011	2,18,32,576/-	07.08.2018
5.	Dividend 2011-12	3008.101.9176	27.07.2012	2,57,26,970/-	17.09.2019
6.	Dividend 2012-13	3008.101.9567	28.06.2013	4,40,87,242/-	28.07.2020
7.	Interim Dividend 2013-14	3008.101.9793	28.01.2014	2,00,45,355/-	28.02.2021
8.	Final Dividend 2013-2014	3008.101.9943	27.06.2014	2,05,45,332/-	27.07.2021
9.	Dividend 2014-2015	3008.101.10283	08.07.2015	3,27,84,849/-	08.08.2025

* Interim Dividend 2008-2009 is due for transfer to IEPF on 29.05.2016.

Such of those shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants, are requested to approach Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance.

Details of unpaid dividends containing names of the investor and Year of Dividend have also been placed on the website of the Bank under shareholders information.

Such of those shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants, are requested to approach Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance.

Outstanding GDRs/ADRs or any Convertible Instruments, Conversion Date and likely impact on Equity:

The Bank has not issued any GDRs/ ADRs / warrants or any convertible instruments.

Bonds

Bank has raised unsecured, redeemable bonds in order to augment capital, which are not convertible to equity. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2016 are as follows:

क्रम सं.	श्रेणी सं.		हिताधिकारियों की सं.	आईएसआईएन सं.	राशि ₹ करोड में	ब्याज दर	जारी करने की तारीख	परिपक्वता की तारीख	न्यासी का नाम और पता
1.	X	लोवर टियर II	2	आईएनई667A09136	300.00	8.60	26.12.2008	26.12.2018	आई डी बी आई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. एशियन बिल्डिंग 17 R, कमानी मार्ग बलार्ड इस्टेट, मुंबई- 400 001 ई-मेल : itsl@idbitrustee.co.in दूरभाष : 022-66311771-3
2.	XI	लोवर टियर II	4	आईएनई667A09151	200.00	8.49	15.06.2009	15.06.2019	
3.	यूटीएस I	अपर टियर II	162	आईएनई667A09102	619.60	9.35	27.07.2006	27.07.2021	
4.	यूटीएस II	अपर टियर II	43	आईएनई667A09110	200.10	9.30	28.02.2007	28.02.2022	
5.	आईपीडीआई I	टियर I	64	आईएनई667A09128	240.00	9.90	25.03.2008	बेमीयादी	
6.	आईपीडीआई II	टियर I	154	आईएनई667A09144	339.00	9.40	12.01.2009	बेमीयादी	
7.	आईपीडीआई III	टियर I	30	आईएनई667A09169	194.00	8.90	29.06.2009	बेमीयादी	
8.	XII	लोवर टियर II	10	आईएनई667A09177	1000.00	9.00	31.12.2012	31.12.2022	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लि. दूसरा तल, एक्सिस हाउस बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली मुंबई - 400 025 दूरभाष : 022-2425 5215/2425 5216
9.	बासेल III	टियर II	15	आईएनई667A08013	750.00	8.95	02.12.2014	02.12.2024	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि., एपीजे हाउस, छठा तल, 3 दिनशॉ वाछा रोड, चर्च गेट, मुंबई - 400 005, दूरभाष : 022-43055555, ई-मेल : Corporate @ sbicaptrustee.com
10.	बासेल III	टियर II	9	आईएनई667A08021	400.00	8.75	23.03.2015	23.03.2025	
11.	बासेल III	टियर II	13	आईएनई667A08039	1000.00	8.58	28.09.2015	28.09.2025	
12.	बासेल III	टियर II	12	आईएनई667A08047	750.00	8.62	18.12.2015	18.12.2025	
13.	बासेल III	एटी II		नया निर्गम	500.00	11.25	30.03.2016	बेमीयादी	
14.	बासेल III	एटी II		नया निर्गम	370.00	11.25	30.03.2016	बेमीयादी	
			518	**कुल**	**6862.70**				

* आई पी डी आई - नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत

क्रम सं. 3 एवं 4 के लिए क्रय विकल्प उपलब्ध है। क्रम सं. 3 के लिए क्रय विकल्प की तारीख 27.07.2016 है। क्रम सं. 4 के लिए क्रय विकल्प की तारीख 28.02.2017 हैं।

अदावी शेयर

''सेबी'' द्वारा विनियम 39(4), जो कि सेबी की अनुसूची VI के साथ पठित है (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के अनुसार, बैंक द्वारा अदावी शेयरों को किसी एक निक्षेपागार सहभागी के पास जारीकर्ता द्वारा खोले गए डीमैट उचंत खाते में जमा किया जाए।

बैंक, एफ.पी.ओ. के अदावी शेयरों के संबंध में एक एस्क्रो खाता रखता है। दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, उक्त खाते के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

निक्षेपागार सहभागी का नाम	**सिंडिकेटबैंक**
डी.पी.आई.डी./सी.एल.आई.डी.	1305060000006734
नाम	सिंडिकेटबैंक - अदावी उचंत खाता-डीमैट शेयर
निक्षेपागार सहभागी का पता	सिंडिकेटबैंक, बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद - 500 034

बैंक के अदावी शेयरों (बेकागज़ी) के विवरण निम्नवत् हैं:

विवरण	**मामलों की संख्या**	**शेयरों की संख्या**
1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में यानी दि. 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	114	21279
2. उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2015-16 के दौरान उचंत खाते से शेयरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है	3	754
3. उन शेयरधारकों की संख्या जिनके मामले में वर्ष 2015-16 के दौरान उचंत खाते से शेयरों को अंतरित किया गया है।	3	754
4. वर्ष के अंत में यानी दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	111	20525

Sl. No.	Series No.		No. of Beneficiaries	ISIN No.	Size ₹ in Crores	Interest Rate	Date of Issue	Date of Maturity	TRUSTEE NAME & ADDRESS
1.	X	Lower Tier II	2	INE667A09136	300.00	8.60	26.12.2008	26.12.2018	IDBI Trusteeship Services Ltd., Asian Building 17 R, Kamani Marg, Balard Estate, Mumbai – 400 001. e-mail: itsl@idbitrustee.co.in Tel: 022-6631 1771-3.
2.	XI	Lower Tier II	4	INE667A09151	200.00	8.49	15.06.2009	15.06.2019	
3.	UT SI	Upper Tier II	162	INE667A09102	619.60	9.35	27.07.2006	27.07.2021	
4.	UT S II	Upper Tier II	43	INE667A09110	200.10	9.30	28.02.2007	28.02.2022	
5.	IPDI I	Tier I	64	INE667A09128	240.00	9.90	25.03.2008	Perpetual	
6.	IPDI II	Tier I	154	INE667A09144	339.00	9.40	12.01.2009	Perpetual	
7.	IPDI III	Tier I	30	INE667A09169	194.00	8.90	29.06.2009	Perpetual	
8.	XII	Lower Tier II	10	INE667A09177	1000.00	9.00	31.12.2012	31.12.2022	AXIS Trustee Services Ltd. 2nd Floor, Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai – 400 025. Tel: 022-2425 5215/2425 5216
9.	Basel III	Tier II	15	INE667A08013	750.00	8.95	02.12.2014	02.12.2024	SBICAP Trustee Company Ltd. Apeejay House, 6th Floor, 3 Dinshaw Wachha Road, Churchgate Mumbai 400 005. Tel: 022-43055555 e-mail: corporate@sbicaptrustee.com
10.	Basel III	Tier II	9	INE667A08021	400.00	8.75	23.03.2015	23.03.2025	
11.	Basel III	Tier II	13	INE667A08039	1000.00	8.58	28.09.2015	28.09.2025	
12.	Basel III	Tier II	12	INE667A08047	750.00	8.62	18.12.2015	18.12.2025	
13.	Basel III	AT II		NEW ISSUE	500.00	11.25	30.03.2016	Perpetual	
14.	Basel III	AT II		NEW ISSUE	370.00	11.25	30.03.2016	Perpetual	
			518	**TOTAL**	**6862.70**				

*** IPDI – Innovative Perpetual Debt Instruments**

Call option is available for Sl. No. 3 & 4. For Sl. No. 3 Call option date is 27.07.2016 and for Sl. No. 4 Call option date is 28.02.2017.

Unclaimed Shares

In terms of Regulation 39(4) read with schedule VI of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the unclaimed shares of the Bank in respect of Demat Shares shall be credited to a demat Suspense account opened by the issuer with one of the depository participants.

The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares of FPO as per following details as on 31.03.2016:

Name of the Depository Participant	SyndicateBank
DPID /CLID	1305060000006734
Name	SyndicateBank – Unclaimed Suspense Account – Demat Shares
Address of the Depository Participant	SyndicateBank, Banjara Hills Branch, Hyderabad 500 034

The details of Unclaimed Shares of the Bank (Demat) are as under:

	Particulars	No. of Cases	No. of Shares
1.	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e. as on 01.04.2015	114	21279
2.	Number of shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2015-2016	3	754
3.	Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2015-2016	3	754
4.	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on 31.03.2016	111	20525

बैंक के अदावी शेयरों (कागजी) के विवरण निम्नवत् हैं:

विवरण	मामलों की सं.	शेयरों की सं.
1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में अर्थात दि. 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	532	95,800
2. उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2015-16 के दौरान उचंत खाते से शेयरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है	1	400
3. उन शेयरधारकों की संख्या जिनको वर्ष 2015-16 के दौरान उचंत खाते से शेयरों को अंतरित किया गया है।	1	400
4. वर्ष के अंत में अर्थात दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	531	95,400

दि. 31.03.2016 की स्थिति में बैंक कागजी रूप में रखे गए अदावी शेयरों के संबंध में निम्नलिखित एस्क्रो खाता रखता है :

निक्षेपागार सहभागी का नाम	सिंडिकेटबैंक
डी.पी.आई.डी./सी.एल.आई.डी.	1305060000006721
नाम	सिंडिकेटबैंक - अदावी उचंत खाता-कागजी शेयर
निक्षेपागार सहभागी का पता	सिंडिकेटबैंक, बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद - 500 034

अदाबी शेयरों पर मतदान का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक उन शेयरों का सही मालिक उन पर अपना दावा नहीं करता।

सेबी विनियमावली, 1992/2015 (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) का अनुपालन

उक्त विनियमावली के अनुसार, बैंक ने प्रतिभूतियों के लेन-देन हेतु पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों के लिए भेदिया व्यापार को रोकने हेतु आचार संहिता निरूपित की है। इन विनियमों की शर्तों के अनुसार बैंक के पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों से आवधिक सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न फार्म तैयार किए गए हैं । पुन:, बैंक के निदेशकों और पदनामित कर्मचारियों द्वारा बैंक शेयरों के लेन-देन हेतु ट्रेडिंग विंडो निम्नलिखित विवरण के अनुसार बंद कर दिया गया है:

ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की तारीख	बंद करने का उद्देश्य
दि. 30.04.2015 से 10.05.2015 तक	31 मार्च 2015 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा तथा वर्ष 2014-2015 के लिए लाभांश
दि. 19.07.2015 से 30.07.2015 तक	30 जून 2015 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 19.10.2015 से 30.10.2015 तक	30 सितंबर 2015 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 19.01.2016 से 30.01.2016 तक	31 दिसंबर 2015 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा

बैंक ने सेबी (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) अधिनियम, 2015 के संदर्भ में आचार संहिता बनाई है, जो 16.05.2015 से प्रभावी है।

टेक ओवर संहिता

बैंक ने समय-समय पर संशोधित, सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेक ओवर) विनियमावली, 2011 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कारोबार दायित्व रिपोर्ट 2015-16 सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 का विनियम 34

भाग ए : बैंक के बारे में सामान्य जानकारी

1. बैंक की कार्पोरेट पहचान संख्या (सी आई एन)	लागू नहीं
2. बैंक का नाम	सिंडिकेटबैंक
3. प्रधान कार्यालय	मणिपाल – 576 104
4. वेबसाइट	www.syndicatebank.in

The details of Unclaimed Shares of the Bank (Physical) are as under:

Particulars	No. of cases	No. of shares
1. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e. as on 01.04.2015	532	95,800
2. Number of shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2015-2016	1	400
3. Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2015-2016	1	400
4. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on 31.03.2016	531	95,400

The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares issued in physical form as per following details as on 31.03.2016:

Name of the Depository Participant	SyndicateBank
DPID /CLID	1305060000006721
Name	SyndicateBank – Unclaimed Suspense Account – Physical Shares
Address of the Depository Participant	SyndicateBank, Banjara Hills Branch, Hyderabad – 500 034

Voting rights on the unclaimed shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

COMPLIANCE WITH SEBI (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) REGULATIONS, 1992 /2015

In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in securities of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and Directors of the Bank, as required in terms of these regulations. Further, the trading Window for dealing in shares of the Bank was closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

Dates of closure of Trading Window	Purpose of closure
From 30.04.2015 to 10.05.2015	Declaration of Annual Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2015 and dividend for 2014-2015.
From 19.07.2015 to 30.07.2015	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30th June 2015.
From 19.10.2015 to 30.10.2015	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30th September 2015.
From 19.01.2016 to 30.01.2016	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 31st December 2015.

Bank has framed code of conduct in terms of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, which is effective from 16.05.2015.

Takeover Code

The Bank has complied with the applicable provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended, from time to time.

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT– 2015-2016 Regulation 34 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Section A: General Information about the Bank

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Bank	Not Applicable
2. Name of the Bank	Syndicate Bank
3. Head Office	Manipal – 576 104
4. Website	www.syndicatebank.in

5. ई-मेल	inrc@syndicatebank.co.in
6. रिपोर्ट की गई वित्तीय वर्ष	2015-2016
7. उस क्षेत्र का नाम जिसमें बैंक जुड़ा हो (औद्योगिक गतिविधि कूटवार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं
8. 3 मुख्य उत्पाद/सेवाएँ जिन्हें उत्पादनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है (जैसा कि तुलन पत्र में है)	जमा उत्पाद, ऋण उत्पाद तथा विप्रेषण इत्यादि
9. बैंक द्वारा कारोबार किये जाने के कुल स्थानों की संख्या I. राष्ट्रीय II. अंतर्राष्ट्रीय	 दिनांक 31.03.2016 की स्थिति में 3765 शाखाएं 1 (लंदन)
10. बैंक द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराए जानेवाले बाजार - स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंताराष्ट्रीय स्तर पर	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक की शाखाएं हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यू. के. में बैंक की शाखा है।

भाग बी : बैंक के वित्तीय विवरण

1. चुकता पूंजी (भारतीय रुपये)	₹703.37 करोड़
2. कुल लेन-देन (भारतीय रुपये)/राजस्व	₹25706.51 करोड़
3. कर के बाद कुल लाभ (भारतीय रुपये)	₹ (–)1643.49 करोड़
4. कर (%) पश्चात लाभ की प्रतिशतता के रूप में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी. एस.आर.) पर कुल खर्च	वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों के अंतर्गत ₹12.93 करोड खर्च हुई है।
5. कार्यकलापों की सूची जिन पर उपर्युक्त (4) खर्च हुई है।	- सिंड समग्र ग्राम विकास योजना (एसएसजीवीवाई) के अंतर्गत पूरे देश में 26 गाँवों का अंगीकरण - अपंग एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चलते के उपकरणों/व्हील चेयर का दान - बहरे व्यक्तियों की देखभाल करनेवाले एक एनजीओ को श्रवण-सहायक उपकरणों का दान - सरकारी स्कूलों/सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों के निर्माण हेतु दान - अस्पताल/ट्रस्ट को व्हील चेयर/एंबुलेंस/वैन, वाटर प्यूरिफायर एवं अवशिष्ट निपटान इकाई का दान - शिक्षण संस्थानों को कंप्यूटर का दान - सरकारी स्कूलों के गरीब विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग का दान - मंदिर में सार्वजनिक उपयोगिता हॉल के निर्माण हेतु निधि का दान - दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए सफेद बेंत का दान - एक ग्राम पंचायत में मिनरल आर ओ प्लांट की स्थापना के लिए दान - कैंसर जांच शिविरों के लिए एक चेरिटेबल ट्रस्ट को दान - मुफ्त नेत्र आपरेशन शिविर लगाने के लिए संस्कृति परिषद को दान - चेन्नई के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्रियों का दान - स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा प्रबंधन के लिए निगम को दान - कई सामाजिक कार्यकलापों के लिए सोसाइटियों/मानवता सेवा संगठन/अनाथाश्रम को दान

5.	E-mail	inrc@syndicatebank.co.in
6.	Financial Year Reported	2015-2016
7.	Sectors that the Bank is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
8.	List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	Deposit Products, Loan Products and Remittances etc.
9.	Total number of locations where business activity is undertaken by the Bank No. of Locations I. National II. International	 3765 branches as on 31.03.2016 1 (London)
10.	Markets served by the Bank-Local/State/National/International	National and International Markets Bank has branches in all the States and Union Territories of India and International presence in UK.

Section B: Financial Details of the Bank

1.	Paid up Capital (INR)	₹703.37 Crore
2.	Total Turnover (INR)/ Revenue	₹25706.51 Crore
3.	Total Profit after Tax (INR)	₹(-)1643.49 Crore
4.	Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	Amount spent under CSR activity during 2015-16 is ₹12.93 Crore
5.	List of the activities in which expenditure on (4) above has been incurred:	– Adopted 26 villages across the country under Synd Samagra Gram Vikas Yojana (SSGVY) – Donated mobility appliances/Wheel Chairs to handicapped and differently-abled persons; – Donated hearing aids to an NGO catering to hearing impaired people; – Donated towards construction of toilet / toilet blocks in Govt. Schools/public places; – Donated wheel chairs/ambulance/van, water purifier and waste disposal unit to hospital/trust; – Donated computer to educational institutions; – Donated school bags to poor students of Government schools; – Donated funds for construction of public utility hall in temple; – Donated white canes for blind/visual impaired; – Donated towards installation of Mineral RO plant in a Gram Panchayat; – Donated to a Charitable trust for cancer check up camps; – Donated to Sanskriti Parishad for carrying out free eye operation camp; – Donated relief materials to flood victims of Chennai; – Donated to Corporation for waste management under Swachh Bharat Abhiyan; – Donated to Societies / Humanitarian Service Organization/ Orphanage for their various social purposes;

भाग सी : अन्य विवरण

1. क्या बैंक की कोई सहायक बैंक/कंपनियाँ है/हैं	हाँ सिंडबैंक सर्विसेस लिमिटेड
2. क्या सहायक बैंक अपने मूल बैंक के बीआर पहल का कार्यान्वयन करती हैं ? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक बैंकों की संख्या	▪ सिंडबैंक सर्विसेस लिमिटेड के पिछले 3 वर्षों का निवल लाभ बड़े पैमाने पर किसी भी सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए पर्याप्त नहीं था।
3. कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (उदाहरण, आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि), जिनके साथ बैंक का कारोबार हो, क्या बैंक के बी आर पहल में शामिल होते है? यदि हाँ, तो ऐसी संस्था/संस्थाओं की प्रतिशतता (30% से कम, 30% से 60%, 60% से अधिक)	नहीं

भाग डी : बी आर सूचना

1. **बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण**

I. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार निदेशक/निदेशकों के विवरण

डीआईएन संख्या	लागू नहीं
नाम	लागू नहीं
पदनाम	लागू नहीं

II. बीआर प्रमुख के विवरण

क्रम सं.	ब्यौरे	विवरण
1.	डीआईएन सं. (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री बी. के. पण्डित
3.	पदनाम	महा प्रबंधक
4.	दूरभाष	080 22201903
5.	ई-मेल आईडी	gmplanning@syndicatebank.co.in

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियाँ : (हाँ/नहीं में जवाब दें)

क्र. सं.	प्रश्न	व्यवसाय सार	उत्पाद दायित्व	कर्मचारियों का कल्याण	हितधारकों की वचनबद्धता	मानवाधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	समावेशी वृद्धि	ग्राहक संपर्क
1.	क्या आपके पास इनके लिए नीति/नीतियाँ हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2.	क्या संबंधित हितधारकों के संपर्क से इन नीतियों को सूत्रबद्ध किए जा रहे हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती है ? यदि हाँ तो (50 शब्दों में) स्पष्ट करें।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हाँ, तो क्या यह प्रबंध निदेशक/मालिक/सीईओ/उचित बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5.	क्या बैंक में इस नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड/निदेशक/कर्मचारियों की समिति निर्धारित की गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6.	नीति को ऑनलाईन देखने के लिए लिंक के ब्यौरे दें?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7.	क्या इस नीति से संबंधित आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से अवगत कराया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8.	क्या कंपनी में नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक ढांचा उपलब्ध है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9.	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायत निवारण हेतु शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10.	क्या कंपनी ने इस नीति के कार्य प्रचालन के लिए किसी आंतरिक/बाह्य एजेंसी से स्वतंत्र लेखा परीक्षा/ मूल्यांकन करवाई है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

Section C: Other Details

1. Does the Bank have any Subsidiary Bank/Companies:	YES SyndBank Services Ltd.
2. Do the subsidiaries implement BR initiatives of the parent Bank? If YES, then indicate the number of such subsidiaries.	• Net profit of SyndBank Services Ltd. for last 3 years was not sufficient to carry out any social responsibility in large scale.
3. Do any other entity/entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Bank does business with, participate in the BR initiatives of the Bank? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? (Less than 30%, 30%-60%, more than 60%).	NO

Section D: BR Information

1. **Details of Director/ Directors responsible to BR**

I. Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/ policies

DIN Number	NA
Name	NA
Designation	NA

II. Details of the BR head

Sl. No.	Particulars	Details
1.	DIN No. (if applicable)	NA
2.	Name	Shri B. K. Pandit
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone no.	080 22201903
5.	e-mail id	gmplanning@syndicatebank.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies: (Reply in Y / N)

Sl. No.	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
1.	Do you have a policy/policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Does the policy confirm to any national/ international standards? If yes, specify. (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/Owner/CEO/appropriate Board Director	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Does the Bank have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8.	Does the Bank have in-house structure to implement the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9.	Does the Bank have grievance redressal mechanism related address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Has the Bank carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

2ए. यदि क्रम सं. 1 के खिलाफ किसी भी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' है, तो ऐसा क्यों है? कृपया व्याख्या करें (2 विकल्पों तक चिह्न लगाएँ)

क्रम सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	बैंक इन सिद्धांतों को समझ नहीं पायी है									
2.	बैंक उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्धारित सिद्धांतों पर नीतियों को सूत्रबद्ध तथा कार्यान्वित कर सके									
3.	बैंक के पास इस कार्य हेतु वित्तीय अथवा मानव शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।									
4.	इसे अगले 6 महीनों के भीतर करने हेतु योजना बनाई गयी है।									
5.	इसे अगले1 वर्ष के भीतर करने हेतु योजना बनाई गयी है ।									
6.	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

3. बीआर से संबन्धित अभिशासन

▪ निदेशक मंडल, बोर्ड समिति अथवा सीईओ द्वारा कंपनी के बीआर निष्पादन के निर्धारण के अंतराल को दर्शाएँ	▪ बी आर रिपोर्ट को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करके उसका अनुमोदन प्राप्त किया गया।
▪ क्या बैंक बीआर अथवा धारणीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसे कितने अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है?	▪ इसे उचित समय पर उपलब्ध कराया जाएगा

भाग ई : सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1: कारोबार का लेन–देन एवं अभिशासन उनकी नीति, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ की जानी चाहिए

1. क्या एथिक्स, घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार से संबन्धित पॉलिसी केवल बैंक तक ही सीमित है? क्या इसका विस्तार, समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर–सरकारी संगठनों/अन्य तक है?	▪ फरवरी 2006 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वतंत्र स्वायत्त पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की स्थापना की ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि ग्राहकों को बैंक के साथ अपने लेन–देनों में बेहतर सेवा मिल सके । ▪ बीसीएसबीआई ने 'ग्राहक के प्रति बैंक प्रतिबद्धताओं की संहिता – जनवरी 2014' और 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता – अगस्त 2015' का प्रकाशन किया जिससे बैंकों के अनुपालन हेतु बैंकिंग प्रक्रिया के न्यूनतम मानक तथा ग्राहक सेवा के बेंचमार्क तय किए गए । ▪ हमारा बैंक बीसीएसबीआई का एक सदस्य है और इसलिए, अपने ग्राहकों के साथ लेन–देनों में उपर्युक्त संहिताओं को अपने सर्वोत्तम व्यवहार संहिता के रूप में स्वैच्छिक रूप से अपनाया है । ▪ ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता कार्यान्वयन हेतु निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष रखा गया है । ▪ ग्राहक के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता और एमएसई के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता, ऋण से संबंधित कार्यों का विस्तार से वर्णन करती है, जिसमें ऋण आवेदनों की पावती, आवेदनों का निपटान, ग्राहकों को दी जानेवाली दस्तावेजों की प्रतियाँ, विभिन्न ऋण उत्पादों से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें इत्यादि शामिल हैं । ▪ संहिता की पूरी प्रति www.syndicatebank.in पर उपलब्ध है। ▪ 'सिंडिकेटबैंक का सिटिजन चार्टर', बैंक की शाखाओं में ग्राहकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं/सेवाओं की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ▪ सिटिजन चार्टर के साथ उक्त संहिता से ग्राहकों के साथ बैंक के लेन–देनों में जवाबदेही, जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता का उच्च स्तर सुनिश्चित किया जा सकेगा। ▪ चार्टर, बैंक की शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित व्यापक जानकारी भी उपलब्ध कराता है । इससे, बैंकर–ग्राहक के बीच सुदृढ़ संबंध स्थापित करने के लिए ग्राहकों के दायित्व की भी जानकारी मिलती है ।

2a. If the answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

Sl. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	The Bank has not understood the Principles									
2.	The Bank is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3.	The Bank does not have financial or manpower resources available for the task									
4.	It is planned to be done within next 6 months									
5.	It is planned to be done within next 1 year									
6.	Any other reason (Please specify)									

3. Governance related to BR

▪ Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Bank	▪ BR Report was placed before the Board and its approval obtained.
▪ Does the Bank publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	▪ Would be made available in due course

Section E: Principle-wise-performance

Principle 1 : Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the Bank? Does it extend to the group/Joint Venture/Suppliers/ Contractors/ NGOs/Others?	▪ In February 2006, Reserve Bank of India set up the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) as an independent autonomous watchdog to ensure that customers get fair treatment in their dealings with Banks. ▪ The BCSBI has published the "Code of Banks' Commitments to Customers-January 2014" and "Code of Commitment to Micro and Small Enterprises – August 2015" which sets out minimum standards of banking practice and benchmarks in customer service for banks to follow. ▪ Bank is a member of BCSBI and has therefore, voluntarily adopted the above Codes as its Fair Practice Code in dealings with its customers. ▪ Code of commitment to customers has been placed to the Customer Service Committee of the Board for implementation. ▪ Code of commitment to customers and Code of commitment to MSE deal elaborately with credit functions including acknowledgement of credit applications, disposal of applications, copies of documents to be provided to customers, most important terms and conditions in respect of various loan products etc. ▪ Complete copy of the Code is available at www.syndicatebank.in. ▪ "Citizens' Charter of SyndicateBank" provides key information on various facilities/services provided to customers in the branches of the Bank. ▪ The Code together with the Citizens' Charter will ensure high standards of accountability, responsibility and transparency in the Bank's dealings with customers. ▪ The Charter also provides comprehensive information on Bank's Grievance redressal mechanism. It also specifies the obligations on the part of the customers for healthy banker-customer relationship.

2. गत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा प्रबंधन द्वारा इनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का निवारण संतोषप्रद तरीके से किया गया। यदि हो तो, 50 शब्दों में इसके ब्यौरे दें।	
▪ वर्ष के शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	412
▪ वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	21021
▪ वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	20636
▪ वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	797
▪ निवारण की गई शिकायतों की प्रतिशतता	98.17

सिद्धांत 2 : कारोबार द्वारा ऐसी वस्तुएँ तथा सेवाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए जो अपने संपूर्ण जीवन काल में सुरक्षित हो तथा अपने संपूर्ण जीवन काल तक बने रहे

1. आपके 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची जिन्हें सामाजिक या पर्यावरण सरोकारों, जोखिमों तथा/अथवा अवसरों को देखते हुए तैयार किया गया है।	▪ बैंक निम्नांकित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है जिनमें सामाजिक सरोकार और अवसरों को शामिल किया गया है: ▪ स्वयं सहायता समूह तथा संयुक्त देयता समूह ▪ वित्तीय साक्षरता केन्द्र और वित्तीय समावेशन संसाधन केन्द्र ▪ सिंडिकेट ग्रामीण विकास ट्रस्ट (एस आर डी टी) ▪ किसान क्लब एवं ग्रामीण विस्तार शिक्षा कार्यक्रम
2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, संसाधन के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संदर्भ में उत्पाद की प्रति इकाई (वैकल्पिक): i) पूरे वैल्यू चैन में पिछले वर्ष से प्राप्त वितरण/उत्पादन/सोर्सिंग के दौरान कटौती ii) उपभोक्ता द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, जल) पिछले वर्ष से प्राप्त हुई कटौती	लागू नहीं
3. क्या बैंक में स्थिर सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए कोई कार्रवाई हो रही है i) यदि हाँ तो, आपके इनपुट का कितना प्रतिशत सस्टेनेबिलिटी सोर्स किया गया? साथ ही, 50 शब्दों में उसका विवरण प्रस्तुत करें	लागू नहीं
4. क्या बैंक ने अपने कार्यस्थल के आस-पास के समुदायों सहित स्थानीय एवं लघु उत्पादकों से वस्तुओं एवं सेवाओं की प्राप्ति हेतु कोई कदम उठाए हैं? यदि हाँ तो, स्थानीय एवं लघु विक्रेताओं की क्षमता एवं सामर्थ्य को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?	हाँ ▪ परिवहन खर्च कम करने तथा समय की बचत करने के खास उद्देश्य से वस्तुएँ खरीदने में नजदीकी विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जाती है ।
5. क्या बैंक के पास उत्पादों तथा अवशिष्टों को रीसाइकिल करने की व्यवस्था उपलब्ध है? यदि हाँ तो, उत्पादों तथा अवशिष्टों के रीसाइकिलिंग की प्रतिशतता दर्शाएँ (<5%, 5%-10% के रूप में अलग से)। साथ ही, 50 शब्दों में इसके ब्यौरे प्रस्तुत करें।	हाँ <5%

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	
▪ No. of complaints pending at the beginning of the year	412
▪ No. of complaints received during the year	21021
▪ No. of complaints redressed during the year	20636
▪ No. of complaints pending during the year	797
▪ % age of complaints resolved	98.17

Principle 2 : Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/ or opportunities.	• Bank offers the following financial services which has incorporated social concerns, and opportunities: • Self Help Groups and Joint Liability Groups • Financial Literacy Centre and Financial Inclusion Resource Centres • Syndicate Rural Development Trust (SRDT) • Farmers' Clubs & Rural Extension Education Programmes
2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): i) Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since previous year?	NOT APPLICABLE
3. Does the Bank have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation) i) If yes, What percentage of your inputs was sourced sustainability? Also provide details thereof in about 50 words or so	NOT APPLICABLE
4. Has the Bank taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	YES ▪ Preferably, the materials are sourced from nearby vendors to reduce transportation cost and time lag.
5. Does the Bank have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	YES <5%

सिद्धांत 3 : कारोबार से समस्त कर्मचारियों के कल्याण में बढ़ावा मिले

1. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ	घरेलू : (अंशकालिक सफाई कर्मियों को छोड़कर) 32097			
2. कृपया किराये पर/अस्थाई/ठेके पर/आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाएँ (वर्ष के दौरान)	बैंक, ठेका मज़दूर की सेवाओं का उपयोग नहीं करता है। तथापि, बैंक निजी सुरक्षा एजेन्सियों (पी एस ए) और अभिरक्षा सेवाओं का उपयोग कर रहा है।			
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ	8993			
4. कृपया स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ	730			
5. क्या आपके यहाँ कर्मचारी संघ हैं, जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त हो	हाँ			
6. इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों की प्रतिशतता	सिंडिकेटबैंक अधिकारी संघ (एसबीओए) - 92% सिंडिकेटबैंक कर्मचारी यूनियन (एसबीईयू) - 74%			
7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बालश्रम, जबरन मजदूरी, अस्वैच्छिक मजदूरी, यौन शोषण से संबंधित शिकायतों की कुल संख्या दर्शाएँ	**क्रम सं.**	**श्रेणी**	**वित्तीय वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की सं.**	**वित्तीव वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की सं.**
	1.	बालश्रम/जबरन मजदूरी/अस्वैच्छिक मजदूरी	शून्य	शून्य
	2.	यौन शोषण	शून्य	शून्य
	3.	भेदभाव रोजगार	शून्य	शून्य
8. आपके निम्नलिखित कर्मचारियों की प्रतिशतता, जिन्हें पिछले वर्ष के दौरान सुरक्षा एवं कौशल स्तरोन्नयन प्रशिक्षण दिए गए? ▪ स्थायी कर्मचारी ▪ स्थायी महिला कर्मचारी ▪ अनियत/अस्थायी/ठेका कर्मचारी ▪ विकलांग कर्मचारी	55.93% 24.37% शून्य -			

सिद्धांत 4 : कारोबार, समस्त हितधारकों, विशेषकर लाभ से वंचित, असुरक्षित तथा सीमांत हितधारकों के हितों का ख्याल रखे तथा उनके प्रति जवाबदेह हो

1. क्या बैंक ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों की वित्तीय स्थिति का पता लगाया है? हाँ/नहीं	हाँ ▪ शेयरधारकों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे, सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों, म्यूच्युअल फंड, बैंकों एवं व्यक्ति ▪ ग्राहकों को लार्ज कॉरपोरेट, मिड कॉरपोरेट, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा खुदरा ग्राहकों में विभाजित किया गया है ▪ एच.आर.डी. विभाग बैंक कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखता है

Principle 3 : Businesses should promote the well-being of all employees

1. Please indicate the Total number of employees	Domestic: (excl. Part Time Sweepers) 32097			
2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis (during the year)	The Bank does not engage contact labour. However, the Bank is utilizing the services of private security agencies (PSA) and ward services			
3. Please indicate the number of permanent women employees	8993			
4. Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities	730			
5. Do you have an employee association that is recognized by the management	YES			
6. What is the percentage of your employees is members of this recognized employees association	SyndicateBank Officers Association (SBOA) –92% SyndicateBank Employees Union (SBEU) – 74%			
7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year	**Sl. No.**	**Category**	**No. of complaints filed during the financial year**	**No. of complaints pending as on end of the financial year**
	1.	Child labour/ forced labour/ involuntary labour	Nil	Nil
	2.	Sexual harassment	Nil	Nil
	3.	Discriminatory Employment	Nil	Nil
8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year? ▪ Permanent Employees ▪ Permanent Women Employees ▪ Casual/ Temporary/ Contractual Employees ▪ Employees with Disabilities	 55.93% 24.37% Nil –			

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the Bank mapped its internal and external stakeholders? Yes/ No	YES ▪ Shareholders are classified into different categories viz. Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks and Individuals. ▪ Customers are segmented into Large Corporate, Mid-Corporate, Small and Medium enterprises and retail customers. ▪ HRD dept. looks after the interest of the Bank Employees.

2. उपर्युक्त में से, क्या बैंक ने सुविधाओं से वंचितों, असुरक्षित तथा सीमांत हितधारकों की पहचान की है?	हाँ बैंक ने सुविधाओं से वंचित, असुरक्षित और सीमांत हितधारकों की पहचान भी की है, जिसमें लघु एवं सीमांत कृषक, काश्तकारी और पट्टाधारी किसान, भूमिहीन मजदूर और ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं । इन्हें, विशेष ऋण सुविधाओं सहित किसान क्रेडिट कार्ड, एग्री आभूषण ऋण, संयुक्त देयता समूह आदि शामिल हैं, ताकि स्थानीय साहूकारों के चंगुल से किसानों को मुक्त कर सके और उनका पुनर्वास किया जा सके।
3. क्या बैंक द्वारा किया गया कोई भी विशेष पहल वहाँ वंचित, असुरक्षित और सीमांत हितधारकों से संबंधित है। यदि हाँ तो, 50 शब्दों में तत्संबंधित ब्यौरा उपलब्ध कराएं।	हाँ सिंडिकेटबैंक और विजया बैंक ने दोनों बैंकों के अग्रणी जिलों में वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसीसी) को खोलने के लिए दिनांक 20.10.2010 को मणिपाल में ज्ञान ज्योति एफएलसीसी ट्रस्ट की संयुक्त रूप से स्थापना की है । उसके बाद, गुडगाँव ग्रामीण बैंक और कर्नाटक बैंक लिमिटेड भी प्रायोजकों के रूप में ट्रस्ट से जुड़ गए हैं। • बैंक की ओर से ट्रस्ट ने 55 एफएलसी को खोला है । • आरंभ होने की तारीख से ट्रस्ट द्वारा 56,664 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । • इन एफएलसी द्वारा 20,72,821 व्यक्तियों को परामर्श दिया गया ।

सिद्धांत 5 : व्यवसाय मानवाधिकारों को बढ़ावा एवं सम्मान देने वाला हो

1. क्या मानवाधिकारों पर बैंक की नीति केवल बैंक तक ही सीमित है या ग्रुप/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी फैला है	बैंक के पास अलग से कोई मानवाधिकार नीति नहीं है। तथापि, ये पहलू बैंक की मानव संसाधन नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया?	शून्य

सिद्धांत 6 : व्यवसाय से सम्मान, सुरक्षा मिले एवं वातावरण को बहाल करने का अवसर मिले

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल बैंक तक ही सीमित है या ग्रुप/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी फैला है।	हरित पहल हेतु बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं: ▪ जिन शेयरधारकों के ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं, उन्हें वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के द्वारा भेजे जा रहे हैं। ▪ जिन क्रेडिट कार्ड धारकों के ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं, उन्हें विवरण ई-मेल के द्वारा भेजे जाते हैं, और ▪ सभी विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं आदि के भुगतान केवल आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा किए जाते हैं।
2. क्या बैंक वैश्विक वातावरण के मुद्दे, जैसे, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, आदि पर ध्यान देने के लिए कोई रण नीति/पहल उपलब्ध है? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि हेतु हाईपरलिंक दें।	कई जगहों में बैंक पार्क एवं बगीचों का रख-रखाव करता है।
3. क्या बैंक को संभावित वातावरणीय जोखिम की पहचान है और वह वहाँ तक पहुँच रखता है ? हाँ / नहीं	हाँ
4. क्या बैंक कोई स्वच्छ विकास नीति से संबंधित परियोजना है ? यदि हाँ, तो 50 शब्दों में तत्संबंधित ब्यौरा उपलब्ध कराएँ। साथहीं यदि हाँ, तो क्या कोई वातावरण अनुपालन दायर किया गया है ?	कारोबार की प्रकृति के तौर पर बैंक के पास कोई स्वच्छ विकास नीति नहीं है।

2. Out of the above, has the Bank identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders.	YES Bank has also identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders which include Small and Marginal Farmers, Tenant and Leased Farmers, Landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities Kisan Credit Card, Agri. Jewel Loan, Joint Liability Group, etc., with the objective of liberating and rehabilitation of farmers from the clutches of local money lenders.
3. Are there any special initiative taken by the Bank to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	YES SyndicateBank and Vijaya Bank have jointly established Jnana Jyothi FLCC Trust at Mainpal on 20.10.2010 to set up Financial Literacy Centres (FLCs) in the Lead Districts of both the Banks. Subsequently, Gurgaon Gramin Bank and Karnataka Bank Ltd. have also joined the Trust as sponsors. • 55 FLCs are opened by the trust on behalf of the Bank; • 56,664 programmes were conducted by the trust, since inception; • 20,72,821 individuals have been provided counseling through these FLCs.

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the Bank on human rights cover only the Bank or extend to the Group/ Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/ Others?	Bank does not have a separate Human Rights Policy. However these aspects are covered under Human Resources Policies and Practices of the Bank.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	NIL

Principle 6 : Business should respect, protect and make efforts to restore the environment

1. Does the policy relates to Principle 6 cover only the Bank or extends to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/ NGOs/others.	Bank has taken the following steps towards Green Initiative: ▪ Sending Annual Reports through email to the Shareholders whose email ids are registered; ▪ Credit Card statements are sent to the card holders whose email ids are registered; and ▪ All payments to vendors, service providers etc. are made through RTGS/NEFT only.
2. Does the Bank have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc. Y/N. if yes, please give hyperlink for webpage etc.	In many places, Bank is maintaining Parks and Gardens.
3. Does the Bank identify and assess potential environmental risks? Y/N	YES
4. Does the Bank have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance is filed?	Given the nature of business, Bank does not have a Clean Development Mechanism.

5. क्या बैंक ने स्वच्छ तकनीकी , उर्जा दक्षता, नवीकरणीय उर्जा, आदि पर कोई अन्य पहल की शुरुआत की है । हाँ / नहीं। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि हेतु हाईपरलिंक दें।	हाँ ▪ उर्जा दक्षता वाले उपकरण कार्यालय में लगाए गए हैं। ▪ संसाधनों और उर्जा के अपव्यय को कम करने हेतु कदम उठाए गए हैं। ▪ भुगतानों/लेन-देनों को नेट बैंकिंग द्वारा किया जाता है (चेक बुक, चालान, रसीद आदि के प्रयोग में पर्याप्त कमी की गई है)
6. क्या रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा उत्पादित उत्सर्जन/कचरा, सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमोदित सीमा के दायरे में है?	लागू नहीं
7. वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/विधिक नोटिस की संख्या, जो लंबित हैं (संतोषजनक रूप से निपटाया नहीं)	शून्य

सिद्धांत 7 : व्यवसाय जब एक सार्वजनिक और विनियामक नीति के अनुसार कार्य करने लगे तो, एक जिम्मेदार ढंग से ऐसा करना चाहिए

1. क्या आपका बैंक कोई ट्रेड एवं चैम्बर या संगठन का सदस्य है ? यदि हाँ तो केवल उन प्रमुख संगठनों के नाम बताएं जिनसे आप व्यवसाय करते हैं।	हाँ आईबीए, आईआईबीएफ, आईबीपीएस, एनआईबीएम
2. क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से जनहित के सुधार या उन्नति हेतु वकालत/पैरवी की है? हाँ/नहीं; यदि हाँ, तो विस्तृत क्षेत्र बताएं (ड्रॉप बॉक्स : शासन और प्रशासन। आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीति, उर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, संपोषणीय व्यवसाय सिद्धांत, अन्य)	उद्योग के सतत विकास हेतु नीति निर्माता के साथ घनिष्ठता से बैंक कार्य करता है।

सिद्धांत 8 : व्यवसाय से समग्र विकास और समान विकास को बढ़ावा मिले

1. क्या बैंक के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति की तलाश में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं। यदि हाँ, तो बताएं।	(ए) बेरोजगार युवकों को अल्पावधि प्रशिक्षण और एसकार्ट सेवाएं प्रदान करते हुए स्वरोजगार इकाइयों को स्थापित करने में मदद करने के उद्देश्य से हमारे बैंक ने वर्ष 1982 में एसडीएमई ट्रस्ट और केनरा बैंक के सहयोग से ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूडसेटी) की स्थापना की है । देशभर में 16 राज्यों में 27 रूडसेटी कार्यरत हैं । (बी) बैंक, देशभर में सोसाइटी के बैंकिंग सुविधा रहित क्षेत्रों में मूल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय समावेशन का कार्यान्वयन कर रहा है । बैंक ने देशभर में विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से 6950 गाँवों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं । वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आनेवाले गाँवों में 112.26 लाख ग्राहकों के मूल बचत बैंक खाते खोले गये । तकनीकी लेवरेज करते हुए बैंक कारोबार प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्राहकों के घर पर ही बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहा है । (सी) आगे, बैंक, ग्राहकों को छोटी रकम के ओवरड्राफ्ट, सामान्य क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को अपेक्षित ऋण सुविधाएँ प्रदान कर रहा है । समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को अपनी कमाई और जीविका में सुधार लाने में इससे मदद मिलती है, जो समग्र रूप से सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देता है ।

5. Has the Bank undertaken any other initiative on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.	YES ▪ Energy efficient equipment installed in the offices ▪ Steps taken to reduce wastage of resources and energy ▪ Payments/transactions are effected through Net banking (considerable reduction in use of cheque books, challans, receipts etc.)
6. Are the Emissions/Waste generated by the Bank within the permissible limits given by CPCB/ SPCB for the financial year being reported?	N A
7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.	NIL

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your Bank a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with.	YES IBA, IIBF, IBPS, NIBM
2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).	Bank works closely with the Policy makers for the sustainable development of the industry.

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the Bank have specified programmes/ initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof	(a) With a view to enable the unemployed youth to set up self employment ventures by imparting them short term training and providing escort services, our Bank started Rural Development and Self Employment Training Institute (RUDSETI) in collaboration with SDME Trust and Canara Bank in 1982. There are 27 RUDSETIs across 16 states in the country; (b) Bank is implementing Financial Inclusion Plan with a vision to provide basic banking services to the unbanked segments of the society, across the country. Bank has so far extended banking facilities to 6950 villages pan India through various delivery channels. Basic Savings Bank Deposit Accounts have been opened to 112.26 lakh customers in the villages covered under financial inclusion. By leveraging technology, bank is providing the facilities at the doorstep of the customers through Business Correspondents. (c) Further, Bank is extending required credit facilities to the eligible households by way of Small Overdraft, General Credit Card and Kisan Credit Card for the customers. This helps the needy people in the society to improve their earnings and the livelihood which aids in social and economic development of the nation, as a whole.

2. क्या कार्यक्रम/परियोजना इन-हाउस टीम/अपनी संस्था/बाह्य एनजीओ/ सरकारी ढांचा/कोई अन्य संस्था के माध्यम से ली गई है?	• जैसा कि पहले ही बताया गया है प्राधिकृत बैंकों तथा संस्थागत प्रायोजकों की तरफ से वित्तीय साक्षरता केंद्रों की देख-रेख के लिए मणिपाल में दिनांक 20.10.2010 को ज्ञान ज्योति एफएलसीसी ट्रस्ट की स्थापना की गई है। वर्ष के अंत तक बैंक के पास 55 एफएलसी हैं। ये एफ़एलसीसी जरूरतमंद लोगों को वित्तीय साक्षरता के साथ-साथ ऋण परामर्श तथा ऋण संरचना योजनाओं से अवगत कराती है । • सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एसआरडीटी) की स्थापना गरीब ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं को ग्रामीण उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में की गई । एसआरडीटी के माध्यम से बैंक ने 5 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में अब तक 16 सिंड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (सिंडआरसेटी) की स्थापना की है। • इन-हाउस तथा बाह्य एजेंसियाँ दोनों
3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?	इस क्षेत्र में हमारे प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा एफएलसी के असर तथा प्रभाव के अध्ययन के लिए सर्वेक्षण किया गया है ।
4. समाज विकास परियोजना में आपके बैंक का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - भारतीय रुपये में रकम तथा ली गई परियोजना के ब्यौरे	वर्तमान वर्ष में रूडसेटी द्वारा 931 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 26909 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 16432 प्रशिक्षार्थी रोजगार में जुट गए । सिंड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (सिंड आरसेटी) ने वर्तमान वर्ष में 425 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये, जिनमें 12209 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में 6773 अभ्यर्थी रोजगार में जुट गए ।
5. समाज द्वारा इन समाज विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया गया है, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या आपने कोई कदम उठाया है? कृपया 50 शब्दों में वर्णन करें	हमारे रूडसेटी तथा एसआरडीटी द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को स्वरोजगार की शुरुआत करने हेतु परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रणालीबद्ध रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

सिद्धांत 9 : कारोबार, अपने ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं को जवाबदेह तरीके से सम्मान दें तथा उनसे जुड़े रहें।

1. वित्तीय वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायत/उपभोक्ता मामले लंबित हैं?	ग्राहक शिकायत - 3.71 % उपभोक्ता मामले - 31 %
2. क्या बैंक, उत्पादों के लेबल पर उत्पाद संबंधी वैसी सूचना दर्शाता है, जो स्थानीय कानून के अनुसार अधिदेशी से अतिरिक्त हो? हाँ/नहीं/लागू नहीं/ टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	लागू नहीं
3. क्या पिछले 5 वर्षों में किसी भी हितधारक द्वारा बैंक के विरुद्ध अनुचित व्यापार, व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतियोगी व्यवहार के लिए कोई मामला दर्ज किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार कोई मामला लंबित है? यदि हाँ, तो इससे संबंधित ब्यौरे लगभग शब्दों में दें	नहीं
4. क्या आपका बैंक, कोई उपभोक्ता सर्वे/उपभोक्ता संतुष्टि ट्रेंड चलाता है?	हाँ

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/ external NGO/government structures/any other organization?	• As already stated, Jnana Jyothi FLCC Trust has been established at Mainpal on 20.10.2010 for overseeing the Financial Literacy Centres (FLCs) on behalf of the author Banks and the Institutional sponsors. Bank is having 55 FLCs as at the end of the year. The FLCs spread financial literacy among public and also offer credit counseling and debt restructure plans to the needy people. • Syndicate Rural Development Trust (SRDT) was established in the year 2000 to promote rural entrepreneurship and self employment among the rural poor, especially women. Through SRDT, Bank has so far established 16 SyndRural Self Employment Training Institutes (SYNDRSETIs) in 5 states and one Union Territory. • Both in-house and external agencies.
3. Have you done any impact assessment of your initiative?	Survey has been conducted by the Bank to study the impact and effectiveness of FLCs for strengthening our efforts in these lines.
4. What is your Bank's direct contribution to community development projects – Amount in INR and the details of the projects undertaken	931 training programmes were conducted by RUDSETIs during the year; 26909 candidates were trained during the year and out of them 16432 trainees were settled. SYNDRSETIs conducted 425 training programmes during the year, imparted training for 12209 candidates and settled 6773 candidates out of the trained candidates.
5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Systematic follow up and counseling services are being undertaken by our RUDSETIs and SRDTs to facilitate the trained candidates to adopt self employment initiatives.

Principle 9 – Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

1. What percentage of customer complaints/ consumer cases are pending as on the end of financial year.	Customer complaints – 3.71% Consumer cases – 31%
2. Does the Bank display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No./NA/ Remarks (additional information)	Not applicable
3. Is there any case filed by any stakeholder against the Bank regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about words or so	NO
4. Did your Bank carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?	YES

कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

[सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V (ई) के अनुसार)]

सेवा में,

बैंक के सभी शेयरधारक

हमने दि. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए, सिंडिकेटबैंक द्वारा स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए सूचीकरण करारों के संगत खण्डों में यथानिर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है ।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है । हमारी जाँच, कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी । यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है न ही उसकी राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा रखे गए अभिलेखों तथा दस्तावेजों और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर यह हमारी राय है कि बैंक ने, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 में यथानिर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन की निम्नलिखित शर्तों का पालन किया है:

1) निदेशक मंडल – गठन और क्षतिपूर्ति, समिति में निदेशकों की सदस्यता, निदेशक मंडल की बैठक और आचार संहिता (प्रारूपण बैंक के वेबसाइट में प्रस्तुत करना)

2) लेखा परीक्षा समिति – गठन, अधिकार, बैठक, भूमिका, सूचना की समीक्षा इत्यादि

3) नामांकन, परिश्रमिक, हितधारक संबंध तथा जोखिम प्रबंधन समिति, आदि – संरचना, अधिकार, बैठकें, भूमिका आदि.

4) सहायक कंपनियाँ

5) प्रकटीकरण
   - ए) संबद्ध पार्टी लेन-देन का आधार
   - बी) लेखाकरण प्रक्रिया
   - सी) जोखिम प्रबंधन
   - डी) सार्वजनिक निगम की प्राप्य राशियों की उपयोगिता
   - ई) निदेशकों का पारिश्रमिक
   - एफ) प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण
   - जी) निदेशकों के बीच अपेक्षा संबंध, आदि
   - एच) संबद्ध पार्टी लेन-देन, आदि

6) वित्तीय विवरणों की समीक्षा के संबंध में सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. का प्रमाणीकरण

7) वार्षिक रिपोर्ट में कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

8) लेखा परीक्षकों से अनुपालन रिपोर्ट

हम यह कहना चाहते हैं कि हितधारक संबंध समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक-शिकायत एक महीने से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है ।

हम आगे कहना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन देता है न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके सहारे प्रबंधक वर्ग ने बैंक का कारोबार संभाला है ।

कृते **एस एन कपूर एंड एसोसिऐट्स**
सनदी लेखाकार

ह/-
(सीए एस एन कपूर)
सदस्यता सं. 014335

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 17.05.2016

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

[In terms of Regulation 34(3) and Schedule V (E) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To

All the Shareholders of the Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Syndicate Bank for the year ended 31.3.2016 as stipulated in the relevant Clauses of the Listing Agreements of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned SEBI Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 detailed as under:

1) Board of Directors – Composition except for appointment of women director for 2015-16. (However, women director was appointed with effect from 25.04.2016), compensation, Membership of Directors in committees, Board Meetings and Code of Conduct (drafting and placing on the website of the Bank)
2) Audit Committee – Composition, Powers, meetings, role, review of information, etc.
3) Nomination, Remuneration, Stakeholders' Relationship and Risk Management Committee, etc. – Composition, Powers, meetings, role, etc.
4) Subsidiary Companies
5) Disclosures:
   a) Basis of related party transactions
   b) Accounting treatment
   c) Risk Management
   d) Utilisation of public issue proceeds
   e) Remuneration of Directors
   f) Management Discussion and Analysis
   g) Relationships between directors inter-se,
   h) Related party transaction, etc.
6) CEO/ CFO Certification with respect to review of financial statements
7) Report on Corporate Governance in Annual Report etc.
8) Compliance Certificate on Corporate Governance.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per records maintained by the Stakeholders´ Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For S N Kapur & Associates
Chartered Accountants
Sd/-
Signature
(CA S.N. Kapur)
Membership No. 014335

Place : BENGALURU
Date : 17.05.2016

निदेशक मंडल को मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणीकरण

[सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत]

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि:

ए. मैंने/हमने वर्ष 2015-2016 के वित्तीय विवरणों और नकदी उपलब्धता विवरण की समीक्षा की है और कि मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

1. इन विवरणों में कोई भी असत्य कथन शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या इसमें ऐसा कोई कथन शामिल नहीं है जो भ्रामक हो;
2. ये विवरण बैंक के कारोबार की सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और उन्हें वर्तमान लेखा मानदण्डों, प्रायोज्य विधियों तथा विनियमों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है ।

बी. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2015-16 के दौरान सूचीबद्ध संस्था द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या बैंक की आचरण संहिता का उल्लंघन करता हो।

सी. हम बैंक में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसका निर्वहण करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा या परिचालन की विसंगतियों, यदि कोई हो, जिसकी हम भली भांति जानकारी रखते हैं, और इन विसंगतियों का परिशोधन करने के लिए उठाए गए या उठाए जानेवाले कदमों को लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया है ।

डी. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचना दी है:

1. वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण के मामलों में वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन
2. वर्ष 2015-16 के दौरान लेखाकरण नीतियों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है; और
3. हमारे ध्यान में लाए गए महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले और उनमें प्रबंधक वर्ग या किसी कर्मचारी का शामिल होना, यदि कोई हो, जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय रिपोर्ट में बैंक के आंतरिक नियंत्रण पर पड़ता है ।

ह/ ह/

स्थान : बेंगलूरु मुख्य वित्तीय अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक : 17.05.2016

निदेशक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा बैंक की आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा

[(सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 26(3)]

एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है कि बैंक ने अपने मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के कर्मचारियों के लिए दि. 22.09.2005 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्दिष्ट आचार संहिता को अपनाया है जिसका कार्यान्वयन दि. 01.10.2005 से प्रारंभ हुआ है और आचार संहिता को बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

उपर्युक्त का अनुसरण करते हुए, आगे यह पुष्टि की जाती है कि मंडल के सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के कार्मिकों ने दि. 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता का पालन करने की पुष्टि की है।

ह/-

स्थान : बेंगलूरु (अरुण श्रीवास्तव)

दिनांक : 17.05.2016 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

CEO/CFO CERTIFICATION TO THE BOARD

[In terms of Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

I/We Certify that –

A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2015-2016 and that to the best of their knowledge and belief:
   (1) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
   (2) these statements together present a true and fair view of the listed entity's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the listed entity during the year 2015-2016 which are fraudulent, illegal or violative of the listed entity's code of conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that they have evaluated the effectiveness of internal control systems of the listed entity pertaining to financial reporting and they have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which they are aware and the steps they have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the auditors and the Audit committee:
   (1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year 2015-2016;
   (2) Significant changes in accounting policies during the year 2015-2016 and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
   (3) Instances of significant fraud of which they have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the listed entity's internal control system over financial reporting.

Sd/-
CHIEF FINANCIAL OFFICER

Sd/-
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Place : BENGALURU
Date : 17.05.2016

DECLARATION REGARDING COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT OF THE BANK BY BOARD MEMBER AND SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

[Regulation 26(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

It is hereby confirmed that the Bank has on 22.09.2005 adopted the Code of Conduct for the Board Members and Senior Management Personnel as laid down by SEBI, for implementation with effect from 01.10.2005 and the said Code of Conduct is posted on the website of the Bank.

In pursuance of the above, it is now further confirmed that the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the aforesaid Code of Conduct of the Bank for the year ended 31.03.2016.

Sd/-
(Arun Shrivastava)
Managing Director and
Chief Executive Officer

Place : Bengaluru
Date : 17.05.2016

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए बासेल III पिलर 3 का प्रकटीकरण

सिंडिकेट बैंक की स्थापना 1925 को केनरा इंडस्ट्रियल एंड बैंकिंग सिंडिकेट लिमिटेड के नाम से प्रधानत: स्थानीय बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कर्नाटक राज्य के उडुपि में हुई। 1963 में बैंक ने अपने नाम को केनरा इंडस्ट्रियल एंड बैंकिंग सिंडिकेट लि. से सिंडिकेट बैंक में बदल दिया। 1969 में बैंक राष्ट्रीयकृत होकर एक सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक बना।

31 मार्च 2016 को बैंक में भारत सरकार का हिस्सा 65.17% रहा है। भारत सरकार ने शेयर प्रीमियम सहित ₹740 करोड डाला है जो 31.03.2016 को आबंटन के लिए बाकी पडा था। पूँजी के अंत:प्रवाह को मानने के बाद सरकार की शेयरधारिता 69.32% बन गई है। बैंक के शेयर, मुंबई शेयर बाजार (बीएसई: 532276) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई: सिंडिबैंक) की सूची में हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बासेल III पूँजी विनियामक कार्यान्वयन की तिथि 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी निर्धारित किया है । बैंक द्वारा बासेल III पूँजी विनियामक के तहत निर्धारित नियामक पूँजी सीमा तथा निम्नतम सीआरएआर का अनुपालन निरंतर रूप से किया जाना है । बासेल III सुचारू रूप से पारगमन सुनिश्चित करने के लिए, निम्नतम बासेल पूँजी अनुपात, पूँजी की घटकों का पूर्ण नियामक समायोजन आदि की प्राप्ति के लिए उचित परिवर्ती व्यवस्थाएं की गई है । बासेल III पूँजी विनिमय का 31 मार्च 2019 तक पूर्ण रूप से कार्यान्वयन हो जाएगा।

लागू करने की व्याप्ति तथा पूँजी पर्याप्तता

पिलर III प्रकटीकरण सिंडिकेटबैंक पर लागू है तथा समेकित संस्था होने के नाते बैंक द्वारा पूँजी पर्याप्तता अनुपात का अनुपालन दो स्तरों पर अपेक्षित है ।

(ए) समेकित (''समूह'') स्तर की पूँजी पर्याप्तता अनुपात अपेक्षाएं, जो बैंक की ऐसी संस्थाएं जो बीमा तथा गैर–वित्तीय कार्यकलापों में जुड़े हैं, को छोड़कर बैंक की अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/ सहयोगियों आदि की परिसंपत्तियों तथा देयताओं का समेकन कर इसकी पूंजी शक्ति तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर बैंककी पूंजी पर्याप्तता की माप करता है; तथा

(बी) स्टैंडएलोन (''एकल'') स्तर की पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाएं, जो बैंक की स्टैंडएलोन पूंजी शक्ति तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता की माप करता है।

सिंडिकेटबैंक का विदेशी परिचालन, इसकी शाखा (लंदन शाखा) के माध्यम से उपर्युक्त दोनों ही स्थितियों में किया जाता है।

टेबल डी एफ–1: प्रयोग की परिधि

i. गुणात्मक प्रकटीकरण

पूंजी पर्याप्तता के लिए समेकन आधार

पूंजी पर्याप्तता के लिए विचारणीय संस्थाओं में बैंक की अनुषंगियों,

BASEL-III, PILLAR 3 DISCLOSURES FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016

Syndicate Bank was established in 1925 in Udupi in Karnataka State as Canara Industrial and Banking Syndicate Ltd., mainly to provide financial assistance to local weavers. In 1963, the Bank changed its name from Canara Industrial and Banking Syndicate Ltd. to Syndicate Bank. In 1969, the Bank was nationalised and became a Public Sector Bank.

As of 31st March 2016, the Government of India has held 65.17% stake in the Bank. Government of India has infused ₹740 crores including share premium which was pending for allotment as on 31.03.2016. Government shareholding after considering the capital infusion is 69.32%. The Bank's shares are listed with Bombay Stock Exchange (BSE: 532276) and the National Stock Exchange (NSE: SYNDIBANK).

RBI has prescribed implementation of the Basel-III capital regulations in India with effect from April 1, 2013. Bank has to comply with the regulatory capital limits and minimum CRAR as prescribed under Basel-III capital regulations, on an ongoing basis. To ensure smooth transition to Basel-III, appropriate transitional arrangements have been provided for meeting the minimum Basel-III capital ratios, full regulatory adjustments to the components of capital etc. Basel-III capital regulations would be fully implemented as on March 31, 2019.

Scope of Application and Capital Adequacy

Pillar 3 disclosures apply to SyndicateBank and Bank being a consolidated entity has to comply with the capital adequacy ratio requirements at two levels:

(a) the consolidated ("Group") level capital adequacy ratio requirements, which measure the capital adequacy of a bank based on its capital strength and risk profile after consolidating the assets and liabilities of its subsidiaries / joint ventures / associates etc. except those engaged in insurance & any non-financial activities; and

(b) the standalone ("Solo") level capital adequacy ratio requirements, which measure the capital adequacy of a Bank based on its standalone capital strength and risk profile.

Overseas operations of SyndicateBank through its branch (London Branch) are covered in both the above scenarios.

Table DF-1: Scope of Application

i. Qualitative Disclosures

Basis of consolidation for capital adequacy

The entities considered for consolidation for capital adequacy include subsidiaries, associates and joint

सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यम शामिल हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार विवेकपूर्ण समेकित रिपोर्ट तैयार करने की परिधि में उल्लिखित बैंकिंग या वित्तीय प्रकृति के कार्यकलापों का निर्वहन करते हैं।

समेकन के लिए विचार करने योग्य समूह संस्थाओं की सूची (लेखांकन/नियामक)

संस्था का नाम/ उद्गम देश	क्या संस्था समेकन की लेखांकन परिधि में है (हाँ/नहीं)	समेकन की विधि बताएं (लेखांकन परिधि)	समेकन विधि में अंतर के कारण दें	यदि केवल एक ही समेकन परिधि के भीतर है तो इसके कारण स्पष्ट करें
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड (भारत)	हाँ	एएस 21 सिलसिलेवार तरीके से	गैर वित्तीय अनुषंगी (100% स्वामित्ववाली)	नियामक पूंजी से घटायी गई
प्रथमा बैंक (भारत)	हाँ	एएस 23 ईक्विटी विधि से	सहयोगी	पूँजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु जोखिम भारित
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (भारत)	हाँ	एएस 23 ईक्विटी विधि से	सहयोगी	पूँजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु जोखिम भारित
आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (भारत)	हाँ	एएस 23 ईक्विटी विधि से	सहयोगी	पूँजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु जोखिम भारित

ए. समेकन की लेखांकन तथा विनियामक दोनों की परिधि के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न किए जाने योग्य समूह संस्थाओं की सूची ।

सिंडिकेटबैंक में ऐसी कोई समूह संस्था नहीं है जो समेकन की लेखांकन तथा समेकन की विनियामक दोनों परिधि के तहत विचारणीय न हों ।

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बी. समेकन के लिए विचार किए जाने योग्य समूह संस्थाओं की सूची (विनियामक क्षेत्र):

शून्य

सी. समस्त अनुषंगियों में पूँजी अपर्याप्तता की कुल रकम जो समेकन की विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं है अर्थात जिन्हें घटा दिया गया हो:

बैंक की अनुषंगी में कोई पूँजी अपर्याप्तता नहीं है ।

ventures of the Bank, which carry on activities of banking or financial nature as stated in the scope for preparing consolidated prudential reports as prescribed by RBI.

List of group entities considered for consolidation (Accounting/Regulatory)

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is Included under Accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation (Accounting scope)	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of Consolidation
Syndbank Services Limited (India)	Yes	AS 21 line–by–line basis	Non Financial subsidiary (100% owned)	Deducted from Regulatory Capital
Prathama Bank (India)	Yes	AS 23 Equity Method	Associate	Risk Weighted for Capital adequacy purposes
Karnataka Vikas Grameena Bank (India)	Yes	AS 23 Equity Method	Associate	Risk Weighted for Capital adequacy purposes
Andhra Pragathi Grameena Bank (India)	Yes	AS 23 Equity Method	Associate	Risk Weighted for Capital adequacy purposes

a) List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no group entities of SyndicateBank that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

ii. Quantitative Disclosures

b) List of group entities considered for consolidation (Regulatory scope):

NIL

c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in subsidiary of the bank

डी. बीमा कंपनियों में बैंक की कुल ब्याज का संकलित रकम (जैसे चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित है:
बैंक का बीमा कंपनियों में किसी प्रकार का निवेश नहीं है ।

ई. बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण अथवा नियामक पूँजी में किसी प्रकार का गतिरोध अथवा बाधा:
शून्य

टेबल डीएफ–2: पूँजी पर्याप्तता

i. गुणात्मक प्रकटीकरण

पूँजी निर्धारण: बैंक के पास अपनी जोखिम प्रोफाइल के संबंध में अपनी समग्र पूँजी की पर्याप्तता का निर्धारण की एक प्रक्रिया है और अपनी पूँजी स्तरों के अनुरक्षण के लिए एक कार्यनीति है।

यह प्रक्रिया एक प्रकार से आश्वासन देती है कि बैंक के कारोबार में निहित सभी जोखिमों के समर्थन में बैंक के पर्याप्त पूँजी बफर उपलब्ध हैं । बैंक, मजबूत अभिशासन तथा नियंत्रणकारी उपायों, मजबूत जोखिम प्रबंधन ढाँचा तथा पूँजी गणना एवं योजना के लिए विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से प्रकट होनेवाले समस्त जोखिमों का व्यापक रूप के पहचान, निर्धारण तथा प्रबंधन करता है ।

बैंक के पास बोर्ड से अनुमोदित एक व्यापक आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) तथा तनाव परीक्षण नीति है जिसे 2008 में अपनाया गया। बैंक आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) को प्राप्त अनुभवों, परिष्कार तथा साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसके एएफआई/पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान दिए गए सुझावों/टिप्पणियों के आधार पर संशोधित किया गया है।

बैंक की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले ऐसे समस्त जोखिमों के महत्व की पहचान तथा मूल्यांकन के लिए बैंक के पास आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया में संरचनागत प्रबंधन ढाँचा उपलब्ध है । बैंक निम्नलिखित जोखिमों को महत्वपूर्ण मानता है; तो आईसीएएपी के तहत है।

(ए) ऋण जोखिम

(बी) ऋण संकेंद्रण जोखिम
- संकेंद्रण नाम
- संकेंद्रण समूह
- संकेंद्रण क्षेत्र
- अंचल संकेंद्रण
- आस्ति स्वरूप संकेंद्रण
- बाह्य एवं आंतरिक श्रेणी रेटिंग का संकेंद्रण

(सी) बाज़ार जोखिम (पिलर 1 के अंतर्गत कवर नहीं)

(डी) परिचालन जोखिम (पिलर 1 के अंतर्गत कवर नहीं)

(ई) तरलता जोखिम

(एफ) बैंक बही में ब्याज दर जोखिम

d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:
Bank is not having any investment in insurance entity

e) Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:
NIL

Table DF-2: Capital Adequacy

i. Qualitative Disclosures

Assessment of capital: The Bank has a process for assessing its overall capital adequacy in relation to the Bank's risk profile and a strategy for maintaining its capital levels.

The process provides an assurance that the Bank has adequate capital to support all risks inherent to its business and an appropriate capital buffer based on its business profile. The Bank identifies, assesses and manages comprehensively all risks that it is exposed to, through sound governance and control practices, robust risk management framework and an elaborate process for capital calculation and planning.

Bank has, Board approved comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and Stress test policy which was adopted in 2008. Bank has been modifying/revising the ICAAP policy based on the experience gained, sophistication achieved and also as per the suggestions/observations made by RBI during its AFI/Supervisory Review and Evaluation Process.

The Bank has a structured management framework in the Internal Capital Adequacy Assessment Process for the identification and evaluation of the significance of all risks that the Bank faces, which may have an adverse material impact on its financial position. The Bank considers the following as material risks; it is exposed to, in the normal course of its business and therefore, factors these in ICAAP

(a) Credit Risk

(b) Credit Concentration Risk
- Name concentration
- Group Concentration
- Sector concentration
- Zone concentration
- Asset Type concentration
- External & Internal rating grade concentration

(c) Market Risk (not covered under Pillar I)

(d) Operational Risk (not covered under Pillar I)

(e) Liquidity Risk

(f) Interest Rate Risk in Banking Book

अन्य जोखिम आईसीएएपी के पिलर 2 में कवर हैं : उपर्युक्त जोखिमों के अतिरिक्त बैंक निम्नलिखित जोखिमों को भी पिलर 2 के भाग के रूप में गुणात्मक तरीके से निर्धारित करता है ।

(ए) प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम
(बी) कार्यनीति जोखिम
(सी) सामूहिक जोखिम
(डी) निपटान जोखिम
(ई) पेंशन दायित्व जोखिम
(एफ) मुख्य कार्मिकों की कमी
(जी) मॉडल जोखिम

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण ढाँचा का कार्यान्वयन किया है जो बैंक के आईसीएएपी का अभिन्न भाग है तथा पूँजी आवश्यकताओं के निर्धारण तथा बैंक द्वारा परिकल्पित तनाव के तहत बैंक के लाभ को प्रभावित करता है ।

तनाव परीक्षण का उद्देश्य बैंक संविभाग की गुणवत्ता पर विविध "झटकों " के असर निर्धारण तथा ऐसी घटनाओं के कम होने पर बैंक को इस झटकों से उबारने की क्षमता का निर्धारण करना है । जब ऐसी घटनाएँ वास्तव में घटित होती है तो, बैंक के आस्तियों की गुणवत्ता में कमी आती है जिससे बैंक का लाभ घटता है या अधिक पूंजी रखने पर मजबूर हो जाता है।

बैंक के सीआरएआर तथा आय पर प्रभाव के निर्धारण के लिए तिमाही आधार पर तनाव परीक्षण का आयोजन किया जाएगा ।

बैंक, तनाव परीक्षण के सिलसिले में निम्नलिखित प्रभाव का निर्धारण करता है:

(ए) ऋण जोखिम
- अनर्जक आस्तियाँ
- पुनर्संरचित आस्तियाँ
- संपार्श्विक
- संकेंद्रण जोखिम

(बी) बाज़ार जोखिम
- विदेशी विनिमय जोखिम
- ब्याज दर जोखिम
  - व्यापार बही
  - बैंकिंग बही
- ईक्विटी मूल्य बही

(सी) तरलता जोखिम

तनाव परीक्षण हेतु मुख्यतः दो महत्वपूर्ण श्रेणियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं; सेंसिटिविटी परीक्षण तथा सिनारियो एनालिसीस।

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ए) ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता:

ब्यौरे	रकम ₹ मिलियन में
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	132790.54
प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र*	-
कुल	**132790.54**

* बैंक के पास प्रतिभूतीकरण के लिए किसी प्रकार का एक्सपोज़र नहीं है ।

Other Risks covered as part of Pillar 2, in ICAAP: - In addition to the above mentioned risks, Bank also assesses the following risks as part of Pillar 2 in qualitative manner.

(a) Reputational Risk
(b) Strategic Risk
(c) Group Risk
(d) Settlement Risk
(e) Pension Obligation Risk
(f) Loss of Key Personnel
(g) Model Risk

The Bank has implemented a Board approved Stress Testing Framework taking into consideration RBI guidelines which forms an integral part of the Bank's ICAAP and provides an assessment of the capital requirement and impact on Profits of the Bank under stressed conditions envisaged by the Bank.

The purpose of stress testing is to assess the impact of various 'shocks' on the quality of the bank's portfolio and an assessment of the bank's ability to withstand such shocks if such an event/s materializes. When such events actually take place, the quality of assets held by a bank will deteriorate and may lead to reduced profits or constrain the bank to keep more capital.

In order to assess the impact on CRAR and income of the bank, the Stress Test will be conducted on quarterly basis.

The Bank assesses the impact on the following risks, as part of Stress Test:

(a) Credit Risk
- Non-performing assets
- Restructured assets
- Collateral
- Concentration Risk

(b) Market Risk
- Foreign Exchange Risk
- Interest rate Risk
  - Trading Book
  - Banking Book
- Equity Price Risk

(c) Liquidity Risk

The two broad categories of stress tests used are sensitivity tests and scenario analysis.

ii. Quantitative Disclosures:

a) Capital requirement for Credit Risk:

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Portfolios subject to Standardised Approach	132790.54
Securitisation exposures*	-
Total	**132790.54**

* Bank does not have any exposure to securitisation transactions

बी) बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी की अपेक्षाएँ :

मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	रकम (₹ मिलियन में)
ब्याज दर जोखिम	7439.20
विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	90.00
ईक्विटी जोखिम	2335.60
कुल	**9864.80**

सी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएँ :

ब्यौरे	रकम (₹ मिलियन में)
मूल संकेतक दृष्टिकोण	10555.58

डी) कॉमन ईक्विटी टियर1, टियर1 और कुल पूँजी अनुपात :

ब्यौरे	%
कॉमन ईक्विटी टियर1 अनुपात	7.01
टियर1 अनुपात	7.75
कुल पूंजी अनुपात	11.16

iii. जोखिम एक्सपोजर और मूल्यांकन

ऋण जोखिम

ए) **परिभाषा** : ऋण जोखिम को, प्रतिपक्षकार के ऋण की गुणवत्ता में होनेवाले ह्रास से जुड़ी हुई संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है। बैंक के संविभाग में, ग्राहक या प्रतिपक्षकार द्वारा उधार, व्यापार, समझौता और अन्य वित्तीय लेन-देन से संबंधित दायित्व की पूर्ति में क्षमता के अभाव से या अनिच्छा से भुगतान में चूक होने से हानि उत्पन्न होती है। इससे, वास्तविक या आस्तियों की ऋण गुणवत्ता में दिखती अवनति से उत्पन्न संविभाग मूल्य में कमी के कारण हानि उत्पन्न होगी।

बी) **ऋण जोखिम कार्यनीति** : ऋण जोखिम प्रबंधन ढाँचे के एक महत्वपूर्ण घटक ऋण जोखिम कार्यनीति है। बैंक के पास ऋण जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुदृढ़ ऋण जोखिम कार्यनीति है। बैंक की ऋण जोखिम बैंक के ऋण के फिलॉसफी के अनुरूप है, जो गुणवत्तापरक आस्तियों, लाभप्रद संबंध और विवेकपूर्ण वृद्धि पर जोर देता है।

तदनुसार, बैंक की ऋण जोखिम कार्यनीति निम्नांकित सिद्धांतों पर आधारित है :

- बैंक के ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया के अंतर्गत सावधानीपूर्वक उधारकर्ताओं का चयन किया जाता है और विवेकपूर्ण रूप से ऋणों की मंजूरी की जाती है।
- उपार्जन या उसके परिमाण के लिए ऋण की गुणवत्ता में समझौता न किया जाए। कारोबार वृद्धि का उद्देश्य ग्राहक आधार को बढ़ाने, क्षेत्रवार विविधीकरण और भौगोलिक वितरण के माध्यम से ऋण जोखिमों को फैलाना है।
- बैंक की ऋण जोखिम कार्यनीति, यह सुनिश्चित करता है कि वह

b) Capital requirements for Market risk:

Standardised duration approach	Amount (₹ in Millions)
Interest rate risk	7439.20
Foreign exchange risk (including gold)	90.00
Equity risk	2335.60
Total	**9864.80**

c) Capital requirements for Operational risk:

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Basic indicator approach	10555.58

d) Common Equity Tier-1, Tier-1 and Total Capital ratios:

Particulars	%
Common Equity Tier 1 Ratio	7.01
Tier-1 Ratio	7.75
Total Capital Ratio	11.16

iii. Risk exposure and assessment

Credit Risk

a) **Definition**: Credit Risk is defined as the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of counterparties. In a Bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions. Alternatively, losses result from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality of the assets.

b) **Credit Risk Strategy:** One of the key components of credit risk management framework is credit risk strategy. Bank has sound credit risk strategy to meet the objectives of credit risk management. Bank's Credit Risk Strategy is in consonance with credit philosophy of the Bank, which emphasizes quality assets, profitable relationships and prudent growth.

Accordingly, Bank's Credit Risk Strategy is guided by the following principles:

- Credit granting process of the Bank would be marked by careful assessment in selecting borrowers and prudence in approving loans.
- Credit quality shall not be compromised for the sake of earnings or volumes. The business development would aim to diffuse credit risks through broadening of the client base, sectoral diversification and geographical distribution.
- Credit Risk strategy of the Bank would also seek to mitigate the cyclical economic trends and ensure

क्लिनिकल इकनॉमिकल ट्रेड को दूर करे ताकि ऋण संरचना में हुए परिवर्तन का प्रभाव ऋण संविभाग की समग्र गुणवत्ता पर न पड़े ।

बैंक अपनी ऋण जोखिम कार्यनीतियों की पूर्ति के लिए निम्नांकित प्रक्रियाओं को अपनाता है :

- सक्रिय जोखिम प्रबंधन पद्धतियों की स्थापना
- ऋण मंजूरी से ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य को अलग करना
- जोखिम आधारित मूल्यांकन और मंजूरी
- बहुस्तरीय ऋण स्वीकृति प्रणाली
- रकम, लेन-देन जोखिमों और रेटिंग के आधार पर विभेदकारी मंजूरी स्तर
- स्वतंत्र ऋण समीक्षा क्रियाविधि
- समस्यावाले/कमज़ोर ऋण एक्सपोजर पर केंद्रीकृत ध्यान
- निम्न गुणवत्ता की आस्तियों के मामले में समीक्षा/निर्गम
- ऋण की उच्चतम सीमाओं या सीमाओं का जोखिम आधारित प्रबंधन
- ऋण जोखिम का अधिग्रहण, विश्लेषण और मापन
- जोखिम आधारित कीमत निर्धारण
- विशेषीकृत उधार पर केंद्रीकृत दृष्टिकोण। इसे, बड़ी/मिड कॉरपोरेट शाखाओं, आवास ऋण के लिए केंद्रीयकृत संसाधन केंद्र की स्थापना के माध्यम से किया जा रहा है।
- चालू एक्सपोजर और एनपीए स्तरों के आधार पर कम प्राथमिकतावाले उद्योगों की पहचान ।

इस प्रकार कार्यनीति, आर्थिक क्रियाकलाप का प्रकार, भौगोलिक स्थान, मुद्रा, बाजार, परिपक्वता और प्रत्याशित लाभप्रदता के आधार पर ऋण प्रदान करने में बैंक की रुचि का निर्धारण करेगी। इससे लक्षित बाजारों और कारोबार क्षेत्रों की पहचान, अधिमान्य स्तर का विविधीकरण और केंद्रीकरण, ऋण प्रदान करने में पूँजी की लागत और अशोध्य ऋण की लागत का अवश्य पता लगाया जा सकता है।

सी) ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली:

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली में निम्नांकित मदें शामिल हैं :

i. **जोखिम की पहचान:** बैंक के पास ऋण जोखिम को पहचानने या पता लगाने की पद्धतियाँ और प्रक्रियाएँ हैं। समय पर जोखिम की पहचान करने से बैंक समय पर सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

ii. **जोखिम का निर्धारण:** एक खास जोखिम श्रेणी के अंतर्गत उधारकर्ता की रेटिंग और उसका वर्गीकरण करते हुए जोखिम का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक जोखिम श्रेणी संविभाग के अंतर्गत अन्य के साथ-साथ उधारकर्ता के संबंधित जोखिम का संकेत देता है। जोखिम निर्धारण को ग्रेडिंग तथा तुलना के उद्देश्य से परिमाणित किया जाता है।

iii. **जोखिम की निगरानी:** यदि एक बार जोखिम की पहचान और निर्धारण कर लिया जाता है, तो बैंक निरंतर रूप से

that, the shifts in the composition of credit do not have an adverse effect on overall quality of the credit portfolio.

Bank employs the following processes to accomplish its credit risk strategies.

- Establishment of pro-active risk management practices
- Separation of credit risk management functions from credit sanction
- Risk based appraisal and sanction
- Multi-tiered credit approval system
- Discriminatory sanction levels based on amount, transaction risks and rating
- Independent loan review mechanism
- Focused attention on problem/weak credit exposures
- Review / exit in case of low quality assets.
- Risk driven management of credit ceilings or limits
- Capture, Analysis and Measurement of Credit Risk
- Risk based pricing
- Focused approach to specialized lending. This is being done through establishment of Large / Mid-corporate branches, Centralized Processing Centre for Housing Loan.
- Identify Low Priority Industries based on the current exposure and NPA levels

Thus the strategy would determine the Bank's willingness to grant loans based on the type of economic activity, geographical location, currency, market, maturity and anticipated profitability. This would necessarily translate into the identification of target markets and business sectors, preferred levels of diversification and concentration, cost of capital in granting credit and cost of bad debts.

c) Credit Risk Management System

The credit risk management system encompasses the following:

i. **Identification of Risk:** Bank has methods and procedures to identify or locate the credit risk. Timely identification of risk will enable the Bank to initiate timely corrective action.

ii. **Assessment of Risk:** Assessment is done by rating the borrower and classifying the borrower under a particular risk grade. Each risk grade indicates the relative riskiness of the borrower vis-à-vis others in the portfolio. Risk assessment is quantified for the purpose of grading and comparison.

iii. **Monitoring of Risk:** Once the risk is identified and assessed, Bank continuously monitors and ensure

उसकी निगरानी करता है और सुनिश्चित करता है कि जोखिम संचालनीय सीमाओं के भीतर है। आस्ति की गुणवत्ता को रक्षित करने और एनपीए से बचाने के लिए बैंक की जोखिम निगरानी एक महत्वपूर्ण साधन है।

iv. **जोखिम का नियंत्रण और कम करना:** जोखिम के नियंत्रण को, 'विशेष उल्लेख खाते', जो आस्ति की गुणवत्ता में हुई गिरावट का संकेत करते हैं, उनका बैंक द्वारा, ऋण अनुप्रवर्तन और समीक्षा विभाग नामक अलग वर्टिकल के अंतर्गत निरंतर रूप से निगरानी करने और मासिक आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों के एक्सपोज़र की निगरानी करते हुए, सुनिश्चित किया जाता है। जोखिम को कम करने के प्रयास किए गए हैं। संपार्श्विक प्रतिभूतियों और गारंटियों को प्राप्त करते हुए जोखिम को कम किया जाता है।

डी) ऋण जोखिम का प्रबंधन:

बैंक में स्वतंत्र ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है, जिसका संचालन महा प्रबंधक द्वारा किया जाता है और वे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और कुल मिलाकर सभा जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह विभाग, ऋण विभाग और अन्य परिचालन एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग, पहचान, निर्धारण, निगरानी और नियंत्रण तथा विभिन्न घटकों में जोखिमों को कम करने के कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है।

संगठनात्मक संरचना:

बैंक ने सुदृढ़ तथा व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन ढाँचे का कार्यान्वयन किया है, निदेशक मंडल ऋण जोखिम प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी लेता है और ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, कार्यनीतियों का निर्णय करता है और विवेकपूर्ण तथा अन्य सीमाओं का भी निर्धारण करता है।

जोखिम प्रबंधन विभाग की संरचना निम्नवत है :

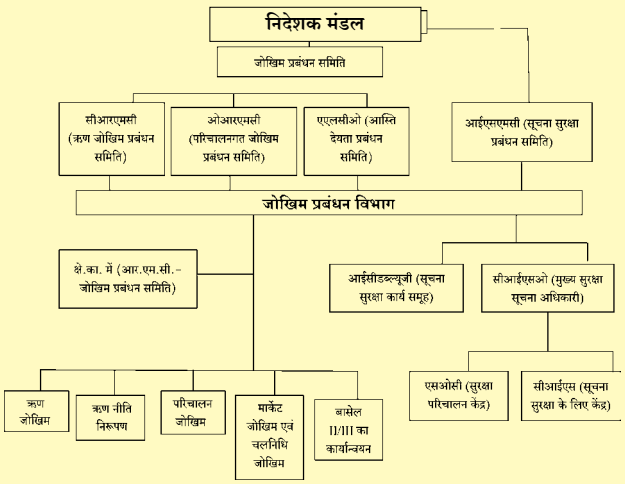

that the risk remains within manageable limits. Risk monitoring is an important tool of the Bank to protect the quality of the asset and avoid slippage to NPA.

iv. **Control and Mitigation of Risk:** Controlling of risk is ensured by the Continuous monitoring undertaken in respect of 'Special Mention Accounts' by the bank under a separate vertical called Credit Monitoring and Review department showing signs of slippage in asset quality and monitoring of exposure to sensitive sectors are undertaken on a monthly basis. Efforts are made to mitigate the risk. Risk is mitigated by way of obtaining collaterals or guarantees.

d) Credit Risk Governance:

The Bank has an independent Risk Management Department, which is headed by General Manager and is responsible for managing credit risk, market risk, operational risk and integration of all risks. The department functions independent of Credit Department and other operations and decision making processes. The Risk Management Department focuses on identification, assessment, monitoring and controlling and mitigating of risks across various segments.

Organisation Structure:

The Bank has implemented a robust and comprehensive Credit Risk Management framework. The Board of Directors assumes the overall responsibility for credit risk management and decides the credit risk management policy, strategies and sets prudential & other limits.

The set-up of Risk Management Department is hereunder:

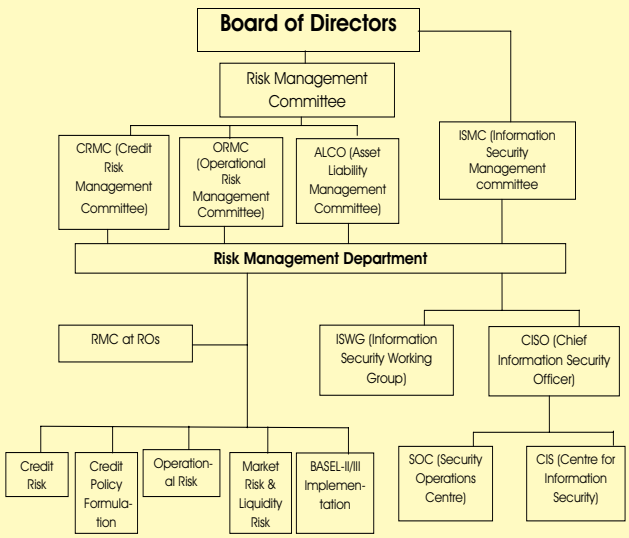

1. **मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):** जोखिम प्रबंधन समिति, मंडल की उप–समिति है, जिसका संचालन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और कार्यनीति बनाते हैं, जिसमें ऋण जोखिम के सहित बैंक के विभिन्न जोखिम एक्सपोज़र शामिल हैं।

   आरएमसी की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ हैं:

   ए) जोखिम कार्यनीतियाँ, जोखिम नीतियाँ, जोखिम–वहन क्षमता और जोखिम की सहनशीलता।

   बी) ऋण जोखिम, मार्केट जोखिम और परिचालनगत जोखिम के मापन/प्रबंधन/निगरानी/रिपोर्टिंग के लिए नीतियाँ और मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करना। ऋण नीति, ऋण जोखिम नीति, फोरेक्स (विदेशी मुद्रा) राजकोष नीति और परिचालन मार्गदर्शी सिद्धांत, देशी राजकोष नीति और परिचालनगत मार्गदर्शी सिद्धांत, एएलएम नीति, परिचालनगत जोखिम नीति आदि सभी संबद्ध नीतियों का अनुमोदन।

   सी) विभिन्न जोखिमों को विश्लेषित करने, मापन करने और निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का अनुमोदन, जो बैंक के कारोबार में होनेवाली सभी महत्वपूर्ण जोखिम का पता लगाने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक हो।

   डी) प्रभावी परिचालनों, विश्वसनीय रिपोर्टिंग, आस्तियों की रक्षा को प्रोत्साहित करने और जोखिम सीमाओं, विधि, विनियमन और अनुमोदित नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत।

   ई) ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम तथा परिचालन जोखिमों के अंतर्गत जोखिम सीमाओं का अनुमोदन और समीक्षा।

   एफ) निरंतर आधार पर ऋण जोखिम, मार्केट जोखिम, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, ईक्विटी मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम, परिचालन जोखिम, विधि जोखिम आदि का निर्धारण करना।

   जी) वित्तीय मॉडलों की ऋण/मार्केट/परिचालन जोखिमों के परिकलन के लिए उपयोग की गई सभी प्रणालियों की सख्तता और प्रभावकारिता सुनिश्चित किया जाना।

   एच) विभिन्न परिचालन विभागों द्वारा जोखिम मानदंडों के अनुपालन की निगरानी और बैंक के कार्यकलापों द्वारा उत्पन्न जोखिमों को ध्यान में रखकर जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया के औचित्य को सुनिश्चित करना।

   आई) महत्वपूर्ण कमजोरियों को पहचानने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के प्रति तुरंत ध्यान देना।

   जे) जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ (जनता, प्रणालियों, परिचालन सीमाओं और नियंत्रणों से संबंधित) बैंक की नीति के अनुरूप है इसे सुनिश्चित करना।

   के) ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के साथ उनकी कार्यवृत्तों की समीक्षा करते हुए समन्वय और पर्यवेक्षण करना।

1. **Risk Management Committee (RMC) of the Board:** The Risk Management Committee, a sub-committee of the Board headed by Managing Director & CEO, devises the policy and strategies for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank, including the credit risk.

   The responsibilities of RMC include:

   a) Setting risk strategies, risk policies, risk appetite and risk tolerance of the Bank.

   b) Setting policies and guidelines for measurement/ management/ monitoring/reporting of Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. Approving all related policies i.e., Credit Policy, Credit Risk Policy, Forex Treasury Policy and Operational guidelines, Domestic Treasury Policy and Operational Guidelines, ALM policy, Operational risk policy, etc.

   c) Approving procedures for analysing, measuring and monitoring various risks, which should be sufficiently comprehensive to capture all material risk inherent in the Bank's business.

   d) Setting up efficient internal control system to promote effective operations, reliable reporting, safeguarding assets and ensuring compliance with risk limits, laws, regulations and approved policies.

   e) Approving and Reviewing risk limits under credit risks, market risks and operational risks

   f) Undertaking on an ongoing basis an assessment of credit risk, market risk, liquidity risk, interest rate risk, equity price risk, foreign exchange risk, operational risk, legal risk, etc.

   g) Ensuring robustness of financial models and effectiveness of all systems used to calculate Credit/Market/Operational risks.

   h) Monitoring compliance with risk parameters by various operating departments and ensure the appropriateness of risk control process, keeping in view the level of risks posed by the bank's activities.

   i) Paying prompt attention to identify material weaknesses and take remedial action.

   j) Ensuring that risk management processes (related to people, systems, operations, limits and controls) satisfy Bank's policy.

   k) Co-ordinate and supervise Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset-Liability Management Committee (ALCO) and Operational Risk Management Committee (ORMC) through review of minutes of these committees.

एल) आरएमसी बैठकों के कार्यवृत्त को प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को रिपोर्ट किया जाना।

एम) मामले के महत्व के आधार पर निदेशक मंडल को अनुमोदन/ चर्चा के लिए नोट प्रस्तुत किया जाना।

विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए अलग उप–समितियाँ गठित की गईं।

- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)

2. **ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी):** ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी) का संचालन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यपालक/कों द्वारा किया जाता है और बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं एवं ऋण जोखिम नीति का कार्यान्वयन करने हेतु उत्तरदायी है। समिति ऋण जोखिम की निगरानी करती है, नीतियों को स्पस्ट करती है एवं नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करती है।

3. **क्षेत्रीय कार्यालय में जोखिम प्रबंधन कक्ष:** बासेल II संबंधी कार्य सहित समस्त ऋण एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन के कार्यों हेतु क्षेत्रीय कार्यालय में जोखिम प्रबंधन कक्ष उत्तरदायी है। जोखिम प्रबंधन कक्ष के कार्यों में रजिस्टर रिपोर्टिंग की समीक्षा, प्रतिबंधों की समीक्षा, रेटिंग की पुष्टि, बासेल II का कार्यान्वयन, परिचालन जोखिम प्रबंधन, वर्तमान लेखापरीक्षा रिपोर्ट, एसएम खातों की निगरानी, मित्रा समिति की रिपोर्ट, विधिक अनुपालन के प्रचालन और समुचित सावधानी प्रमाणपत्र की निगरानी आदि आते हैं।

ऋण जोखिम रिपोर्टिंग की प्रकृति एवं क्षेत्र और /या मापन प्रणाली

1) ऋण रेटिंग प्रणाली के द्वारा उधारकर्ता के ऋण जोखिम या उधारकर्ता को संस्वीकृत ऋण सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है। उधारकर्ता की रेटिंग ऋण की मंजूरी के पहले की जाती है और नियमित आधार पर रेटिंग की समीक्षा की जानी है। रेटिंग की संपुष्टि संस्वीकृति पर निर्भर करती है। बोर्ड द्वारा विभिन्न निवेश सूची हेतु एक प्रस्ताव को विचार करने या अस्वीकृत करने के लिए न्यूनतम प्रतिलाभ दर को निर्धारित किया जाता है। ऋण रेटिंग मंजूरी प्राधिकारी, मार्जिन, कीमत निर्धारण और निगरानी उद्देश्य आदि से भी जुड़ा हुआ है।

2) निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत ऋण जोखिम निवेश सूची को एक्स्पोज़र के अध्ययन के द्वारा निर्धारित किया जाता है और उच्च प्रबंधन, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और नियमित आधार पर गठित समिति के द्वारा मूल्यांकित की जाती है।
   - वैयक्तिक एवं समूह उधारकर्ता के लिए विवेकसम्मत सीमाएं- वैयक्तिक उधारकर्ता/ समूह उधारकर्ता के लिए माने जानेवाली अधिकतम ऋण सीमा।

l) Report to the Board of Directors by placing the minutes of RMC meetings.

m) Place any note to the Board for approval / discussion depending upon the importance of the matter.

Separate sub-committees, are set up to manage and control various risks:

- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- Asset Liability Management Committee (ALCO)

2. **Credit Risk Management Committee (CRMC)**: The Credit Risk Management Committee (CRMC) chaired by Managing Director & CEO and ED/s, is responsible for the implementation of the Credit Risk Policy and strategies approved by the Board. The committee monitors credit risk, clears policies and ensures compliance of policies.

3. **Risk Management Cells At ROs:** The Risk Management Cell at RO is responsible for overall credit and operational risk management functions including Basel-II related work. The functions of Risk Management cell include review of reporting register, review of sanctions, confirmation of ratings, Basel-II implementation, operational risk management, review of concurrent audit reports, monitoring of SM accounts, Mitra committee reports, monitoring issuance of Legal Compliance and Due Diligence certificate.

The scope and Nature of Credit Risk Reporting and/ or measurement system

1) The credit risk of a borrower or that of a credit facility sanctioned to a borrower is assessed through a credit rating system. The rating of the borrower is done prior to sanction of the loan and review of the rating is to be done on regular basis. The confirmation of the rating is independent of sanction. Hurdle rates are prescribed by the Board for considering or rejecting a proposal for various portfolios. Credit Rating is also linked to decide Sanctioning Authority, Margin, Pricing and monitoring purposes.

2) Portfolio credit risk is assessed by studying the exposures under the following categories and appraised to Top Management, Risk Management Committee of the Board, Audit Committee of the Board and Board of Directors on a regular basis.
   - Prudential limits for individual and group borrowers – Ceiling on maximum credit that can be considered for an individual borrower / group of borrowers

- शीर्ष 20 समूह और शीर्ष 20 वैयक्तिक उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोज़र सीमा
- उद्योगवार / क्षेत्रवार एक्स्पोज़र की उच्चतम सीमा
- संवेदनशील क्षेत्रों हेतु एक्स्पोज़र
- पूंजी बाज़ार हेतु एक्स्पोज़र
- सभी ऋणों का रेटिंग दृष्टि से वितरण
- रेटिंग का स्थानांतरण – विभिन्न समयावधि में ऋण निवेश-सूची में ऋण रेटिंग की गतिविधि

3) बैंक के पास ऋण समीक्षा तंत्र (एल आर एम) है जो अग्रिम के गुण, ऋण प्रबंधन की प्रभावशीलता, बैंक के आंतरिक नीति का अनुपालन और विनियामक ढांचा एवं निवेश-सूची के गुण को स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करता है। यह खाता में उत्पन्न कमजोरी की जानकारी को देता है ताकि प्रारंभिक समय में ही इसे दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।

बचाव-व्यवस्था हेतु नीतियाँ और / या जोखिम को कम करने एवं कार्यनीति और प्रतिरक्षा/प्रशामक की प्रभावशीलता को जारी रखने हेतु निगरानी की विधि

ऋण जोखिम को कम करने एवं जांच के लिए बैंक ने विभिन्न प्रकार की नीतियों/प्रणालियों/विधियों को विकसित किया है। नियंत्रण प्रणाली एवं जोखिम निगरानी के संबंध में बैंक द्वारा परिचालन दिशानिर्देश निम्नलिखित प्रकार हैं ।

- बैंक के पास खाता की सभी समस्याओं को पहचानने के लिए ऋण निगरानी एवं समीक्षा हेतु स्वतंत्र विभाग है और विशेष उल्लेख खातों/ पुनर्गठित खातों की प्रभावी निगरानी के लिए ठीक उसी प्रकार उसे उच्च प्रबंधन के पास प्रस्तुत करता है एवं कॉ.का./ प्र.का. से समन्वय करता है और प्रणाली/ नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन हेतु सुझाव प्राप्त करता है। आस्तियों के गुण को सुधारने एवं अनर्जक आस्ति की श्रेणी में जाने से रोकने के लिए ससमय उपचारी कार्यवाही की गई है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में समान संरचना विद्यमान है।
- उधारी खातों में बकाया ₹1 करोड़ और उससे ज्यादा की निगरानी के लिए बैंक के पास मासिक निगरानी रिपोर्ट की प्रणाली है और अग्रिम का अनुवर्तन करता है एवं एनपीए में जाने से रोकता है।
- बैंक के पास प्रारंभिक सीमा के ऊपर एक्सपोज़र हेतु आवधिक ऋण लेखा–परीक्षा और स्टॉक लेखा–परीक्षा के संचालन की प्रणाली है।
- ऋण जोखिम को कम करने में सुरक्षा प्रबंधन साधन है। यह बैंक के पक्ष में उधारकर्ता/तीसरी पार्टी की आस्तियों पर प्रवर्तनीय प्रभार सृजित करता है और नियमित अंतराल पर उचित मूल्यांकन/भंडारण/अनुरक्षण एवं प्रतिभूतियों की बीमा प्रभारित हो सके ताकि बैंक के अग्रिम/ऋण प्रतिभूतियों पर लगाए गए प्रभार स्पष्ट मूल्य में पूरी तरह कवर किया जा सके। पुनः, प्रभारित प्रतिभूति सामयिक अंतराल तक मूल्यांकित होते हैं एवं हमेशा निर्दिष्ट मार्जिन को बनाए रखा जाता है।

- Exposure ceiling for Top 20 Group and Top 20 Individual Borrowers
- Industry-wise/sector-wise exposure ceilings
- Exposure to Sensitive Sector
- Exposure to Capital Market
- Rating-wise distribution of all the advances
- Migration of ratings – Movement of credit ratings in the credit portfolio as a whole over different time periods.

3) Bank is having Loan Review Mechanism (LRM), which involves independent assessment of the quality of an advance, effectiveness of loan administration, compliance with internal policies of bank and regulatory framework and portfolio quality. It also helps in tracking weaknesses developing in the account for initiating corrective measures in time.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants

Bank has evolved several strategies/systems/procedures to mitigate and monitor credit risk. The operational guidelines pertaining to the Risk Monitoring and control systems put in place by the bank are as under.

- The Bank has an independent Credit Monitoring & Review Department for identifying all problem accounts and places the same before Top Management and coordinates with functional departments at CO/HO, for effective monitoring of Special Mention accounts/ Restructured accounts and takes feedback for any changes in the system/policy. Timely remedial action is taken to improve the quality of the assets and arrest slippage to NPA category. Similar structure exists in each RO.
- Bank is having the system of Monthly Monitoring Report for borrowal accounts with balance outstanding of ₹1 crore and above for monitoring and follow up of advances and preventing from slipping to NPA.
- Bank has also system of conducting periodic credit audits and stock audit for exposure beyond a threshold limit.
- Security management is instrumental in mitigating credit risk. It involves creation of enforceable charge over the borrower/third party assets in favour of the Bank, proper valuation/storage/maintenance and insurance of the securities so charged at regular intervals, in order that the Bank's advances/loans remain fully covered by the realizable value of the securities charged to it. Further, the charged securities are valued at periodic intervals and stipulated margins are maintained at all times.

टेबल डीएफ–3: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक दृढ़ एवं दक्ष बैंकिंग प्रणाली अनिश्चित काल के लिए अनिवार्य शर्त है। बैंक की आस्तियों में ऋण एवं अग्रिम महत्वपूर्ण भाग है और आय का एक बड़ा स्रोत है। आस्ति के गुण बैंक के मुख्य सुदृढ़ता के संकेतक हैं। इसलिए आस्ति के गुण को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। ऋणों एवं अग्रिमों की तत्काल वसूली केवल बैंक की तरलता एवं लाभ स्तर को ही नहीं बढ़ाता बल्कि प्रत्यावर्ती उत्पादकारी क्रियाओं के लिए निधियों के पुनर्निवेश हेतु बैंक को सक्षम बनाना है और आधार में मजबूती लाना है।

आस्ति वर्गीकरण, आय की पहचान और अग्रिम निवेश–सूची के प्रावधानों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के तदनुरूप बैंक अपने अग्रिमों को (ऋण और साख अग्रिम की प्रकृति में प्रतिस्थापन है) अर्जक एवं अनर्जक ऋणों में वर्गीकृत करता है। एक अर्जक आस्ति एक ऋण या अग्रिम के रूप में परिभाषित की जाती है जहाँ :

- एक आस्ति, पट्टा आस्ति सहित अनर्जक आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है।
- जहाँ एक ऋण या अग्रिम अनर्जक आस्ति (एनपीए) वे निम्नानुसार हैं :
  - मीयादी ऋण के संदर्भ में ब्याज और/या मूल राशि की किस्त 90 दिनों की अवधि से अधिक के लिए अतिदेय हो।
  - ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण (ओडी/सीसी) के मामले में खाते अनियमित हों।
  - खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में जहाँ बिल 90 दिन से अधिक अवधि से अतिदेय हो।
  - अल्पावधि फसलों के लिए जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त दो फसली मौसम से अतिदेय हो।
  - लंबी अवधि के लिए मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त एक फसली मौसम से अतिदेय हो।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिभूतीकरण 1 फरवरी 2006 के दिशानिर्देशानुसार प्रतिभूतीकरण अंतरण के संदर्भ में तरलता सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए अतिदेय हो।
  - व्युत्पन्नी अंतरण के मामले में व्युत्पन्नी संविदा में बाजार भाव पर दर्शाए गए मूल्य की अतिदेय प्राप्तियाँ यदि निर्दिष्ट तारीख के भुगतान से 90 दिन तक अप्रदत्त हो।
  - किसी क्रेडिट कार्ड खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाएगा यदि, विवरण में वर्णित देय न्यूनतम राशि का पूर्ण भुगतान देय विवरणों में उल्लिखित तारीख से 90 दिनों के भीतर नहीं किया जाए।

Table DF-3: Credit Risk: General Disclosures

i. Qualitative Disclosures

A sound and efficient banking system is a sine qua non for maintaining financial stability. Loans and advances constitute major portion of the assets of the Bank and also a vital source of income. Asset quality is one of the major soundness indicators of a bank. Therefore considerable emphasis has been placed on improving asset quality. Prompt recovery of loans and advances not only increases the liquidity and profitability position of the Bank, but also enables the Bank to recycle the funds for alternate productive activities and to improve the bottom line.

The Bank classifies its advances (loans and credit substitutes in the nature of an advance) into performing and non-performing loans in accordance with the extant RBI guidelines on Asset classification, Income Recognition and Provisioning to Advances portfolio. An NPA is defined as a loan or an advance where:

- An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate Income for the bank.
- A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;
  - Interest and / or installment of principal remains overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
  - The account remains 'out of order', in respect of an Overdraft / Cash Credit (OD/ CC),
  - The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
  - The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
  - The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops,
  - The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of RBI guidelines on Securitization dated February 1, 2006.
  - In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.
  - A Credit card account will be treated as non-performing asset if the minimum amount due, as mentioned in the statement is not paid fully within 90 days from the payment due date mentioned in the statement.

➢ ब्याज भुगतान के मामले में, खाते को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाएगा जब किसी तिमाही के दौरान बकाया और प्रभारित ब्याज का पूर्ण भुगतान तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर न हो।

क्रम में नहीं रहने की स्थिति: यदि किसी खाते की बकाया राशि 90 दिनों के लिए निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक होती है, तो उस खाते को 'क्रम में नहीं' खाते के रूप में मानना चाहिए। यदि सक्रिय खाते की बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम है बल्कि तुलन-पत्र की तारीख से निरंतर 90 दिनों की अवधि तक कोई राशि जमा नहीं की गई है या जमा की गई रकम उसी अवधि के दौरान नामे डाले गए ब्याज की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसे खातों को 'क्रम में नहीं' खातों के रूप में मानना चाहिए।

अतिदेय: किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा निर्धारित देय तारीख तक रकम अदा नहीं की जाती है।

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

भौगोलिक वितरण-वार कुल सकल ऋण जोखिम निवेश (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित):

₹ मिलियन में

श्रेणी	31 मार्च 2016 की स्थिति		
	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
घरेलू	1681524.38	200246.46	1881770.84
समुद्रपारीय	382968.31	0.76	382969.07
कुल	**2064492.69**	**200247.22**	**2264739.91**

उद्योग-वार निवेश का वितरण (सकल निधि आधारित और गैर-निधि आधारित):

₹ मिलियन में

उद्योग	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
कृषि	298990	0	298990
खनन एवं उत्खनन (कोयला सहित)	8660	2532	11192
खाद्य प्रसंस्करण	**32249**	**2293**	**34542**
चीनी	7278	70	7348
खाद्य तेल एवं वनस्पति	3585	1201	4786
चाय	365	0	365
अन्य	21021	1022	22043
मादक पेय एवं तंबाकू	1507	50	1557
कपड़ा उद्योग	**27491**	**1872**	**29363**
सुती वस्त्र उद्योग	10492	781	11273
जुट वस्त्र उद्योग	52	24	76
मानव-निर्मित वस्त्र उद्योग	879	55	934

➢ In case of interest payments, the account shall be classified as NPA only if the interest due and charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

Out of Order status: An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit / drawing power for 90 days. In case where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit / drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts also should be treated as 'out of order'.

Overdue: Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

ii. Quantitative Disclosures:

Total gross credit risk exposures – Gross Outstanding Advances (Fund based and Non-fund based) Geographical distribution-wise:

₹ in Millions

Category	As on March 31, 2016		
	Fund Based	Non-fund Based	Total
Domestic	1681524.38	200246.46	1881770.84
Overseas	382968.31	0.76	382969.07
Total	**2064492.69**	**200247.22**	**2264739.91**

Industry - wise distribution of exposures (Gross Fund based and Non-Fund based Advances):

₹ in Millions

INDUSTRIES	FUND BASED	NON-FUND BASED	TOTAL
Agriculture	298990	0	298990
Mining & Quarrying (incl. Coal)	8660	2532	11192
Food Processing	**32249**	**2293**	**34542**
Sugar	7278	70	7348
Edible Oils & Vanaspati	3585	1201	4786
Tea	365	0	365
Others	21021	1022	22043
Beverage & Tobacco	1507	50	1557
Textiles	**27491**	**1872**	**29363**
Cotton Textiles	10492	781	11273
Jute Textiles	52	24	76
Man-Made Textiles	879	55	934

उद्योग	निधि आधारित	गैर–निधि आधारित	कुल
अन्य वस्त्र उद्योग	16068	1012	17080
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	871	26	897
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	1218	629	1847
कागज़ एवं कागज़ उत्पाद	8831	761	9592
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं न्यूक्लियर इंधन	**35427**	**29306**	**64733**
उनमें से:			
पेट्रोलियम	31792	29293	61085
रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद	**25017**	**7156**	**32173**
उर्वरक	3719	4806	8525
ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	5642	277	5919
पेट्रो केमिकल्स	4546	887	5433
अन्य	11110	1186	12296
रबर, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	5584	549	6133
कांच एवं कांच के बर्तन	2139	188	2327
सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	8549	1496	10045
मूल धातु और धातु उत्पाद	**96386**	**7462**	**103848**
लोहा और इस्पात	90860	7214	98074
अन्य धातु और धातु उत्पाद	5526	248	5774
सभी इंजीनियरिंग	**20657**	**31913**	**52570**
इलेक्ट्रॉनिक्स	3275	4168	7443
अन्य	17382	27745	45127
वाहन, वाहन पुर्जे एवं परिवहन	9064	781	9845
रत्न और आभूषण	20558	553	21111
निर्माण (इन्फ्रास्ट्रक्चर से भिन्न)	27045	30135	57180
इन्फ्रास्ट्रक्चर	**297652**	**27588**	**325240**
पावर	166525	11796	178321
उनमें से:			
राज्य-स्वामित्व पावर उपयोगिता	106151	1202	107353
दूरसंचार	45106	6294	51400
रोड	27006	5582	32588
एयरपोर्ट	3077	0	3077
पोर्ट	1873	12	1885
रेलवे (भारतीय रेल्वे को छोड़कर)	9615	1256	10871
अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	44450	2648	47098
अन्य उद्योग (एनबीएफसी को छोड़कर)	448349	23308	471657
एनबीएफसी	233749	425	234174
उद्योगों की कुल संख्या (एनबीएफसी सहित)	**1609993**	**169023**	**1779016**
अवशिष्ट अग्रिम	454500	31224	485724
कुल अग्रिम	**2064493**	**200247**	**2264740**

INDUSTRIES	FUND BASED	NON-FUND BASED	TOTAL
Other Textiles	16068	1012	17080
Leather & Leather Products	871	26	897
Wood & Wood Products	1218	629	1847
Paper & Paper Products	8831	761	9592
Petroleum, Coal Products & Nuclear Fuels	**35427**	**29306**	**64733**
Of which:			
Petroleum	31792	29293	61085
Chemicals & Chemical Products	**25017**	**7156**	**32173**
Fertiliser	3719	4806	8525
Drugs & Pharmaceuticals	5642	277	5919
Petro Chemicals	4546	887	5433
Others	11110	1186	12296
Rubber, Plastic & their Products	5584	549	6133
Glass & Glassware	2139	188	2327
Cement & Cement Products	8549	1496	10045
Basic Metal & Metal Product	**96386**	**7462**	**103848**
Iron & Steel	90860	7214	98074
Other Metal & Metal Product	5526	248	5774
All Engineering	**20657**	**31913**	**52570**
Electronics	3275	4168	7443
Others	17382	27745	45127
Vehicles, Vehicle Parts & Transport Equipment	9064	781	9845
Gems & Jewellery	20558	553	21111
Construction (other than Infrastructure)	27045	30135	57180
Infrastructure	**297652**	**27588**	**325240**
Power	166525	11796	178321
Of which:			
State-owned Power Utilities	106151	1202	107353
Telecommunication	45106	6294	51400
Roads	27006	5582	32588
Airports	3077	0	3077
Ports	1873	12	1885
Railways (other than Indian Railways)	9615	1256	10871
Other Infrastructure	44450	2648	47098
Other Industries (EXCLUDING NBFC)	**448349**	**23308**	**471657**
NBFC	**233749**	**425**	**234174**
Total of Industries (INCLUDING NBFC)	**1609993**	**169023**	**1779016**
Residual Advances	454500	31224	485724
TOTAL ADVANCES	**2064493**	**200247**	**2264740**

उद्योग के कुल निवेश से 5% अधिक निवेश:

उद्योग	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल	कुल निवेश का%
कृषि	298990	0	298990	13.20%
इन्फ्रास्ट्रक्चर	297652	27588	325240	14.36%
उनमें पावर	166525	11796	178321	7.87%
एनबीएफसी	233749	425	234174	10.34%

Exposure to Industries in excess of 5% of total exposure:

INDUSTRY	FUND BASED	NON-FUND BASED	TOTAL	% of Total Exposure
Agriculture	298990	0	298990	13.20%
Infrastructure	297652	27588	325240	14.36%
Of which Power	166525	11796	178321	7.87%
NBFC	233749	425	234174	10.34%

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता के अलग–अलग आंकड़े

Residual contractual maturity breakdown of assets as on March 31, 2016

(रकम ₹ मिलियन में)/(Amount in ₹ Million)

परिपक्वता अवधि Maturity Buckets	नकद Cash	भा.रि.बैं. में शेष Balances with RBI	अन्य बैंकों में शेष Balances with other banks	निवेश Investments	निवल अग्रिम Net Advances	स्थिर आस्तियां Fixed Assets	अन्य आस्तियां Other Assets	कुल Total
अगले दिन/Next day	8945.61	32371.30	1311.40	140829.46	36889.16	0.00	883.56	**221230.49**
2 -7 दिन 2 days to 7 days	0.00	2753.36	132177.69	4133.24	25384.97	0.00	2188.54	**166637.80**
8 -14 दिन/ 8 days to 14 days	0.00	1282.03	0.00	0.00	37149.81	0.00	1578.47	**40010.31**
15 -28 दिन /15 days to 28 days	0.00	1627.48	0.00	1284.75	50585.28	0.00	2212.90	**55710.41**
29 दिन से 3 महीने तक /29 days to 3 months	0.00	8387.79	0.00	10908.99	124330.48	0.00	7070.39	**150697.65**
3 महीने से अधिक और 6 महीने तक Over 3 months to 6 months	0.00	10442.94	0.00	4478.82	170380.90	0.00	5356.06	**190658.72**
6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months to 1 Year	0.00	15936.44	8066.38	21689.74	189360.22	0.00	826.57	**235879.35**
1 वर्ष से 3 वर्ष तक Over 1 year to 3 Years	0.00	32766.89	10997.00	145039.17	641705.37	0.00	30812.75	**861321.18**
3 वर्ष से 5 वर्ष तक Over 3 years to 5 Years	0.00	6154.49	6215.80	71589.43	288397.34	0.00	2276.59	**374633.65**
5 वर्ष से अधिक Over 5 years	0.00	12717.23	0.00	286265.07	449501.37	24069.08	10342.14	**782894.89**
कुल/Total	**8945.61**	**124439.95**	**158768.27**	**686218.67**	**2013684.90**	**24069.08**	**63547.97**	**3079674.45**

अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल):

आस्तियों की श्रेणी	राशि (₹ मिलियन में)
अवमानक	65061.20
संदिग्ध 1	36595.50
संदिग्ध 2	31192.20
संदिग्ध 3	5087.10
हानि	385.60
कुल एनपीए	**138321.60**
निवल एनपीए	90148.70

Amount of NPAs (Gross):

Category of assets	Amount (₹ in Millions)
Substandard	65061.20
Doubtful 1	36595.50
Doubtful 2	31192.20
Doubtful 3	5087.10
Loss	385.60
Total NPA	**138321.60**
Net NPAs	90148.70

अनर्जक आस्ति अनुपात

सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	6.70
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	4.48

NPA Ratios:

Gross NPAs to Gross Advances	6.70
Net NPAs to Net advances	4.48

अनर्जक आस्तियों में बदलाव

विवरण	राशि (₹ मिलियन में)
एनपीए (प्रारंभिक शेष 01.04.2015)	**64423.80**
एनपीए में वृद्धि	
नया एनपीए	120282.70
परिचालन की वजह से वृद्धि	1282.00
विदेशी मुद्रा में अंतर की वजह से वृद्धि	440.70
अन्य कुछ (कृपया सूचित करें)	
कुल (ए)	**122005.40**
एनपीए में कटौती	
मूलधन के प्रति वसूली	12602.90
बट्टे खाते डालना	854.40
पीडब्ल्यूओ	13442.60
उन्नयन	20174.10
परिचालन की वजह से कमी	570.00
विदेशी विनिमय की वजह से कमी	463.60
अन्य कुछ (कृपया सूचित करें)	
कुल (बी)	**48107.60**
एनपीए (अंतिम शेष 31.03.2016)	**138321.60**

अनर्जक आस्तियों के लिए रखे गए प्रावधानों में बदलाव:

विवरण	राशि (₹ मिलियन में)
प्रारंभिक शेष (1.04.2015)	**24668.80**
जोड़ें: अवधि के दौरान बनाए गए प्रावधान	38201.60
घटाएं :	
• बट्टे खाते डालना	13442.60
• अधिक प्रावधान का प्रतिवेदन	2723.40
अंतिम शेष (31.03.2016)	**46704.40**

अनर्जक निवेश

विवरण	राशि (₹ मिलियन में)
अनर्जक निवेशों की रकम (01.04.2015)	**3892.06**
कुल: गैर निष्पादन निवेशों और निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान (31.03.2016)	**4390.86**
- गैर निष्पादन निवेशों के लिए धारित प्रावधान की रकम	2880.48
- निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान की रकम	1510.38

Movement of NPAs:

Particulars	Amount (₹ in Millions)
NPA (Opening balance 01.04.2015)	**64423.80**
Increase in NPA	
Fresh NPA	120282.70
Increase due to operations	1282.00
Increase due to Diff in FX exchange	440.70
Any other (Pl specify)	
Total (A)	**122005.40**
Reduction in NPAs	
Recovery towards Principal	12602.90
Write off	854.40
PWO	13442.60
Up gradation	20174.10
Decrease due to operations	570.00
Decrease due FX Exchange	463.60
Any other (Pl specify)	
Total (B)	**48107.60**
NPA (Closing balance 31.03.2016)	**138321.60**

Movement of Provisions for NPAs:-

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Opening balance (01.04.2015)	**24668.80**
Add : Provisions made during the period	38201.60
Less :	
• Write Off	13442.60
• Write back of excess provisions	2723.40
Closing Balance (31.03.2016)	**46704.40**

Non-Performing Investments

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Amount of Non-Performing Investments (01.04.2015)	**3892.06**
- Total Provision for non-performing investments & Depreciation on investments (31.03.2016)	**4390.86**
- Amount of provisions held for non-performing investments	2880.48
Amount of provisions for Depreciation on investments	1510.38

अनर्जक निवेशों तथा निवेशों में होनेवाले मूल्यह्रास के प्रावधान में बदलाव (मूल्यांकन)

विवरण	मार्च 2016
• **प्रारंभिक शेष (01.04.2015)**	**2182.02**
• आलोच्य अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	2208.84
• प्रावधान में बट्टे खाते डालना/कटौती	0.00
• अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन	0.00
• **अंतिम शेष**	**4390.86**

टेबल डीएफ–4 – ऋण जोखिम: मानकीकृक दृष्टिकोण के अधीन लाए गए निवेश संविभाग पर प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

1. उपयोग किए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम और किसी परिवर्तन के लिए कारण :-

   बासेल II के अंतर्गत संशोधित ढाँचे के प्रावधानों के अनुरूप जहाँ बैंक द्वारा प्रदान की गई सुविधा की रेटिंग, जो पात्र ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई है, वही रेटिंग दावा के जोखिम भार का आधार होगी। बैंक, पूँजी पर्याप्तता के उद्देश से दावों के जोखिम भार हेतु निम्नलिखित देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के रेटिंग का उपयोग करता है :

   - ❖ क्रेडिट रेटिंग एण्ड इनफारमेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया (क्रिसिल)
   - ❖ क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केयर)
   - ❖ इंडिया रेटिंग्स एण्ड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स)
   - ❖ इनवेस्टमेंट इनफारमेशन एण्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईक्रा)
   - ❖ ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क)
   - ❖ एसएमईआरए रेटिंग्स लि.

   बैंक पूँजी पर्याप्तता के उद्देश्य के लिए दावों के जोखिम भार हेतु निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग का उपयोग करता है :

   - ❖ फिच
   - ❖ मूडीज़
   - ❖ स्टैण्डर्ड एण्ड पूवर्स

2. उन ऋणों के प्रकार जिनके लिए श्रेणी का निर्धारण किया जाता है :-
   - ❖ बैंक ने ऑन–बैलेंस शीट और ऑफ–बैलेंस शीट दोनों के पात्र सभी ऋणों, चाहे अल्पावधि हो या दीर्घावधि, के लिए उपर्युक्त अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा तय किए गए याचित रेटिंग्स का उपयोग किया है। बैंक ने न तो इन एजेंसियों द्वारा तय किए गए रेटिंग्स में कोई विभेद किया है न ही उनका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रकार के ऋण के लिए सीमित रखा है।
   - ❖ यदि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए दो रेटिंग्स हैं, जिनसे विभिन्न जोखिम भार का परिकलन किया जाता है, तो निचले स्तर के रेटिंग के अनुरूप ऊँचे स्तर का जोखिम भार लागू किया जाता है।
   - ❖ यदि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न रेटिंग्स के साथ अधिक रेटिंग्स दिए जाते हैं, तो संदर्भ में लिए गए दो निचले स्तर के

Provision movement of Non-Performing Investments & Depreciation on investments (valuation)

Particulars	Mar 2016
• **Opening balance (01.04.2015)**	**2182.02**
• Provisions made during the period	2208.84
• Write Off / Reduction in provisions	0.00
• Write back of excess provisions	0.00
• **Closing Balance (31.03.2016)**	**4390.86**

Table DF-4 : Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised approach

Qualitative Disclosures:

1. Names of the credit Rating Agencies used, plus reasons for any changes :-

   In line with the provisions of the Revised Framework under Basel-II, where the facility provided by the Bank possesses rating assigned by an eligible credit rating agency, the risk weight of the claim will be based on this rating. Bank uses the ratings of the following domestic credit rating agencies for the purposes of risk weighting their claims for capital adequacy purposes:

   - ❖ Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL)
   - ❖ Credit Analysis and Research Limited (CARE)
   - ❖ India Ratings and Research Private Limited (India Ratings)
   - ❖ Investment Information and Credit Rating Agency of India (ICRA)
   - ❖ Brickwork Ratings India Pvt. Limited (Brickwork)
   - ❖ SMERA Ratings Ltd.

   Bank use, the ratings of the following international credit rating agencies for the purposes of risk weighting their claims for capital adequacy purposes:

   - ❖ Fitch
   - ❖ Moody's
   - ❖ Standard & Poor's

2. Types of exposures for which ratings are used:-
   - ❖ The Bank has used the solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures, both on balance sheet and off balance sheet, whether short term or long term. The Bank has not made any discrimination among ratings assigned by these agencies nor has restricted their usage to any particular type of exposure.
   - ❖ If there are two ratings accorded by credit rating agencies that map into different risk weights, the higher risk weight corresponding to lowest rating applied.
   - ❖ If multiple ratings accorded by credit rating agencies with different ratings, then the ratings corresponding to the two lowest risk weights

जोखिम भार के अनुरूप रेटिंग और उन दो जोखिम भार में से उच्च स्तर अर्थात् द्वितीय निचले स्तर के रेटिंग को लागू किया जाता है।

3. बैंकिंग बही में तुलनयोग्य आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम रेटिंग्स के अंतरण के लिए प्रयोग की जानेवाली प्रक्रिया का वर्णन:
   - ❖ बैंक किसी विशिष्ट निर्गम में निवेश करता है जिसका चुनिंदा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा तय किया गया निर्गम विशिष्ट रेटिंग होता है; दावे का जोखिम भार इसके निर्धारण पर आधारित होगा।
   - ❖ निर्गम विशिष्ट रेटिंग (बैंक का निजी ऋण या उसी उधारकर्ता घटक/काउंटरपार्टी द्वारा दिया गया अन्य ऋण निर्गम) या जारीकर्ता रेटिंग (उधारकर्ता घटक/काउंटरपार्टी) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उसी उधारकर्ता घटक/काउंटरपार्टी के गैर–श्रेणी निर्धारित ऋण के लिए लागू किया जाता है :
   - ❖ निर्गम विशिष्ट रेटिंग का उपयोग तभी किया जाता है जब बैंक का गैर–श्रेणी निर्धारित दावा श्रेणी निर्धारित निर्गम/ऋण के समरूप होता है या अधिक होता है।
   - ❖ जहाँ कहीं गैर–श्रेणी निर्धारित दावों के जोखिम भार निर्धारित करने हेतु जारीकर्ता रेटिंग या निर्गम विशिष्ट रेटिंग का उपयोग किया जाता है, ऐसे रेटिंग उसी काउंटरपार्टी पर दावे की संपूर्ण रकम के लिए दिया जाता है।
   - ❖ जोखिम भार निर्धारित करने के उद्देश्य से उपयोग किए जानेवाले रेटिंग का पुष्टीकरण संबंधित रेटिंग एजेंसियों के वेबसाइट से किया जाता है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम को कम करने (सीआरएम) के बाद प्रमुख जोखिम बकेट्स में बैंक के निवेश बकाया सकल अग्रिम (श्रेणी निर्धारित और गैर श्रेणी निर्धारित सहित) की रकम

जोखिम भार वर्ग	रकम (₹ मिलियन में)
अग्रिम	
निधि आधारित	
100% से कम जोखिम भार	1153456
100% जोखिम भार	559508
100% से अधिक जोखिम भार	205737
कटौती (ऋण जोखिम में कमी)	145792
कुल	**2064493**
गैर–निधि आधारित	
100% से कम जोखिम भार	109577
100% जोखिम भार	42656
100% से अधिक जोखिम भार	29794
ऋण जोखिम न्यूनकारक से कटौती	18220
कुल	**200247**
निवेश (बैंकिंग बही)	
100% से कम जोखिम भार	507020
100% जोखिम भार	-
100% से अधिक जोखिम भार	804
पूंजी से कटौती	3
कुल	**507827**

referred to and the higher of those two risk weights applied. i.e., the second lowest risk weight.

3. Description of the process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book.
   - ❖ Bank invests in a particular issue that has an issue specific rating by a chosen credit rating agency; the risk weight of the claim will be based on this assessment.
   - ❖ Issue Specific Ratings (Bank's own exposures or other issuance of debt by the same borrower constituent/counterparty) or Issuer Ratings (borrower constituent/ counterparty) are applied to unrated exposures of the same borrower constituent/ counterparty subject to the following:
   - ❖ Issue specific ratings are used where the unrated claim of the Bank ranks *pari-passu* or senior to the rated issue / debt.
   - ❖ Wherever issuer rating or issue specific ratings are used to risk weight unrated claims, such ratings are extended to entire amount of claim on the same counterparty.
   - ❖ Ratings used for risk weighting purposes are confirmed from the websites of the rating agencies concerned.

Quantitative Disclosures:

Amount of the Bank's Exposures – Outstanding Gross Advances (including Rated & Unrated) in Major Risk Buckets after factoring Risk Mitigants under Standardized Approach

Risk Weight Category	Amount (₹ in Millions)
Advances	
Fund Based	
Risk weight Below 100 %	1153456
Risk weight of 100 %	559508
Risk weight more than 100 %	205737
Deducted - CRM	145792
Total	**2064493**
Non-Fund Based	
Risk weight Below 100 %	109577
Risk weight of 100 %	42656
Risk weight more than 100 %	29794
Deducted - CRM	18220
Total	**200247**
Investments (Banking Book)	
Risk weight Below 100 %	507020
Risk weight of 100 %	-
Risk weight more than 100 %	804
Deducted from capital	3
Total	**507827**

टेबल डीएफ – 5: ऋण जोखिम में कमी : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

i. गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक द्वारा ऋण जोखिम में कमी का प्रकटीकरण करने की प्रणाली अपनाई जा रही है जिसे ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं को कम करने हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत मान्यता दी गई है और यह ओटीसी व्युत्पन्न के काउंटरपार्टी जोखिम प्रभारों के परिकलन के लिए तथा ट्रेडिंग बही में किए गए रेपो–स्टाईल लेन–देनों के लिए भी लागू होगी।

1. संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीति एवं प्रक्रिया

नियंत्रण की मूल प्रक्रियाएँ एवं ब्यौरे तथा मानक/स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के प्रकार, ऋण प्रदान करने के लिए आवश्यक गारंटी, विभिन्न प्रकार के ऋण एवं संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्यांकन प्रक्रिया, संपार्श्विक प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन की आवृत्ति और निर्गमन आदि बैंक द्वारा जारी ऋण नीति तथा ऋण जोखिम नीति में सूचित किए जाते हैं।

2. बैंक द्वारा स्वीकार किए जानेवाले मुख्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों का वर्णन

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पूंजी परिकलन हेतु जोखिम को कम करनेवाली पात्र संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ निम्नवत् हैं :

- नकद या नकद समान (उधारकर्ता बैंक द्वारा जारी मीयादी जमाराशि रसीदों सहित)
- सोना (दोनों बुलियन और आभूषण सहित)
- केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
- किसान विकास पत्र (केवीपी) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)
- आईआरडीए द्वारा विनियमित, किसी बीमा कंपनी की घोषित अभ्यर्पण मूल्य की जीवन बीमा पालिसियाँ
- बीबीबी श्रेणी निर्धारित ऋण प्रतिभूतियाँ – या अल्पावधी मीयादी ऋण लिखतों के लिए बेहतर/पीआर3/पी3/एफ3/ए3

3. गारंटर काउंटरपार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण–पात्रता

बैंक उन गारंटियों के रूप में ऋण सुरक्षा पर विचार करता है जो प्रत्यक्ष, विहित, अविकल्पी और अप्रतिबंधित हैं। बैंक, पूंजी आवश्यकताओं के परिकलन में ऐसी ऋण सुरक्षा को ध्यान में रखता है।

ऋण जोखिम को कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार हैं – केंद्र सरकार, राज्य सरकार की गारंटी, ईसीजीसी (राज्य सरकार और ईसीजीसी के गारंटीकृत हिस्से के लिए लागू 20% जोखिम भार), सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच (निम्न आयवाले आवास के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट)।

काउंटरपार्टी एक्सपोजर का गारंटीकृत हिस्से से गारंटर के लिए लागू

Table DF - 5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

i. Qualitative Disclosures:

Disclosures on credit risk mitigation methodology are being adopted by the Bank which are recognized under the Standardized Approach for reducing capital requirements for credit risk and this will also be applicable for calculation of the counterparty risk charges for OTC derivatives and repo-style transactions booked in the trading book.

1. Policies and processes for collateral valuation and management

Basic procedures and descriptions of controls as well as types of standard/acceptable collaterals, guarantees necessary in granting credit, evaluation methods for different types of credit and collateral, frequency of revaluation and release of collateral are stipulated in the Credit Policy & Credit Risk Policy framed by the Bank.

2. A description of the main collaterals taken by the Bank

Collaterals eligible as risk mitigants for capital computation under Standardized Approach comprise namely:

- Cash or Cash equivalent (including fixed deposit receipts, issued by the lending Bank).
- Gold (include both bullion and jewellery)
- Securities issued by Central and State Governments.
- Kisan Vikas Patra (KVP) and National Savings Certificates (NSC).
- Life insurance policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by IRDA.
- Debt Securities rated BBB- or better/ PR3/P3/F3/A3 for Short-Term Debt Instruments

3. Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness:

The Bank considers credit protection in terms of the guarantees which are direct, explicit, irrevocable and unconditional. The bank takes into account such credit protection in calculating capital requirements

The types of guarantees recognized for credit risk mitigation are guarantees by Central Government, State Governments, ECGC (Risk Weight at 20% for guaranteed portion of State Govt. & ECGC), CGTMSE, CRGFTLIH (Credit Guarantee Fund Trust for Low income housing).

As the guaranteed portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the applicable

जोखिम भार तय किया जाता है तथा असुरक्षित हिस्से से काउंटरपार्टी का जोखिम भार निर्धारित किया जाता है। अतः काउंटरपार्टी से कम जोखिम भारवाली कंपनियों द्वारा जारी गारंटियों से पूंजी प्रभार में कमी होती है।

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण

पात्र सीआरएम द्वारा आरक्षित एक्सपोजर (निधि आधारित और गैर निधि आधारित)

विवरण	रकम (₹ मिलियन में)
पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति	118707
पात्र गारंटी (0% ऋण भारवाली) [सीजीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच, केंद्र सरकार]	45305
कुल	**164012**

टेबल डीएफ–6: प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

31.03.2016 की स्थिति में सिंडिकेटबैंक ने किसी प्रकार की प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र में भाग नहीं लिया है।

टेबल डीएफ–7: व्यापार बही में बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम का संदर्भ उन आगामी अर्जनों की अनिश्चितता से है जो ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, मार्केट मूल्य में होनेवाले परिवर्तन और उतार–चढ़ाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश और बाज़ार जोखिम नीति तथा उस पर परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत मौजूद हैं, जिनकी समीक्षा वार्षिक तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि प्रतिभूतियों, विदेशी विनिमय और व्युत्पन्न का परिचालन सुदृढ़ और स्वीकार्य कारोबार नीतियों के अनुरूप किया जाता है तथा वे मौजूदा विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

व्यापार बही में बाज़ार जोखिम का निर्धारण मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अनुसार किया जाता है। व्यापार बही में बाज़ार जोखिम के पूंजी प्रभार अर्थात् धारित संविभाग (एच.एफ.टी.) तथा बिक्री के लिए उपलब्ध (ए.एफ.एस.) संविभाग का परिकलन भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ

विवरण	₹ मिलियन में
ब्याज दर जोखिम	7439.20
विदेशी विनिमय जोखिम (सोना सहित)	90.00
ईक्विटी जोखिम	2335.60
कुल	**9864.80**

टेबल डीएफ–8: परिचालन जोखिम प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम हानि की जोखिम है, जो आंतरिक प्रक्रियाओं की अपर्याप्तता या असफल होने के कारण, लोगों या प्रणालियों की वजह से होती है या बाह्य कारणों से होती है । परिचालन जोखिम के अंतर्गत कानूनी

to guarantor and the uncovered portion retains the risk weight of the underlying counterparty. Hence Guarantees issued by entities with attracting lower risk weight than the counterparty will lead to reduced capital charges.

ii. Quantitative Disclosures

Exposures (Fund Based and Non Fund Based) covered by Eligible CRMs:

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Eligible Collaterals	118707
Eligible Guarantees (having 0% RW) [Central Govt., CGMSE, CRGFTLIH]	45305
Total	**164012**

Table DF-6: Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

As on 31.03.2016, SyndicateBank has not entered into any kind securitization transaction.

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Board approved Investment and Market Risk policies and operational guidelines thereon are in place, reviewed annually to ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines

Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardised Duration approach. The capital charge for Market Risk in Trading Book, i.e, Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Capital requirements for market risk

Particulars	₹ in Millions
Interest rate risk	7439.20
Foreign exchange risk (including gold)	90.00
Equity risk	2335.60
Total	**9864.80**

Table DF-8 : Operational Risk Disclosures

Operational Risk

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems, or from

जोखिम आती है बल्कि कार्यनीतिक जोखिम और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं ।

बैंक के पास ऐसी अनुदेश पुस्तिका है, जिसमें उसका संपूर्ण कारोबार क्षेत्र शामिल है। बैंक को आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियों की अद्यतन सूचना से अवगत कराने हेतु आवधिक तौर पर परिपत्र जारी किए जाते हैं। बैंक के पास एक परिचालन जोखिम प्रबंधन ढ़ाँचा है, जिसमें मुख्य नीति के रूप में परिचालन प्रबंधन नीति और निम्नलिखित पर नीति शामिल हैं।

1. जोखिम और नियंत्रण स्व–मूल्यांकन (आरसीएसए)

2. प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और

3. हानि डेटा प्रबंधन (एलडीएम)

इसके अतिरिक्त बैंक के पास बिज़नेस लाइन मैपिंग नीति, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति, केवाईसी और एएमएल उल्लंघन को रोकने के लिए केवाईसी और एएमएल नीति हैं। दैनिक आधार पर संवेदनशील लेन–देनों की निगरानी हेतु बैंक ने प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों मे परोक्ष निगरानी कक्ष की स्थापना की है जो प्रारंभिक चेतावनी प्रक्रिया प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। बैंक ने हित विरोध पर भी नीति का ढाँचा बनाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि संगठन के प्रति व्यवसायिक दायित्वों का निर्वहन करते समय व्यक्तिगत हित बाधा न बन जाए।

बैंक ने प्राप्त अनुभव के आधार पर और भा.रि.बैं. द्वारा गठित गोपाल कृष्ण समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भी कारोबार निरंतरता योजना नीति को परिशोधित किया है। एक विस्तृत आपदा निवारण योजना बनाई गई है और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विघटनों से बचने तथा कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु, सूचना सुरक्षा नीति के माध्यम से सूचना सुरक्षा का प्रबंधन किया जाता है।

परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की गणना का दृष्टिकोण

भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक वर्तमान में परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की गणना करने हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपना रहा है।

मानक दृष्टिकोण (टीएसए) की सुविधा के लिए, बैंक ने बिजनेस लाइन के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया को अपनाया है। बैंक ने दिनांक 31.03.2016 तक 20 क्वार्टरों की आय के प्रस्तुतीकरण को पूर्ण किया है। भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित विभिन्न बिजनेस लाइन में स्थित सकल आय के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया तिमाही आधार पर अपनायी गई है और उसे अनुमोदन के लिए परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) को प्रस्तुत किया जाता है।

उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) का प्रवजन करने के लिए बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समाधान (ओआरएमएस) को कार्यान्वित किया है ताकि आंतरिक हानि डेटा; प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई), जोखिम और नियंत्रण स्व–मूल्याकंन (आरसीएसए), परिवेश जैसी पूँजी गणना तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए जोखिम पर मूल्य (वीएआर) की गणना के लिए भी अपेक्षित आवक के सिस्टम चालित फ्लो हो सके। बैंक,

external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic risk and reputation risk.

Bank has well laid down manual of instructions covering the entire gamut of its business. These manuals are periodically supplemented with circulars to update the information with the developments internal and external to the bank. Bank has a well developed Operational risk management framework, which includes operational management policy, as parent policy and other policies on

1. Risk and Control Self Assessment (RCSA)
2. Key Risk Indicators (KRIs) and
3. Loss Data Management (LDM).

In addition to this, Bank has policy on Business Line Mapping, Fraud Risk Management Policy, KYC and AML policies to prevent KYC and AML violations. Bank had created off-site monitoring cells at HO and ROs to monitor sensitive transactions on a daily basis which serves as an early warning system. Bank has also framed a Policy on Conflicts of Interest to ensure that Personal interests are not coming in the way of discharging the Professional duties towards the Organization.

Bank has revised the Business Continuity Plan Policy on the basis of experience gained and also on the basis of the recommendations made by the Gopala Krishna Committee formed by RBI. A detailed disaster recovery plan has been put in place and to address the IT related disruptions & to ensure Business Continuity. Information security is managed through information security policy.

Approach for Computation of Capital Charge for Operational Risk

In accordance with Reserve Bank of India guidelines, the Bank is presently adopting the Basic Indicator Approach (BIA) for measurement of Operational Risk Capital Charge.

For facilitating migration towards The Standardized Approach (TSA), Bank has undertaken the process of Business Line Mapping. Bank has completed mapping of income for 20 quarters as on 31.03.2016. The mapping of Gross Income to various Business Lines as defined by RBI is undertaken on a quarterly basis and the same is being placed before the Operational Risk Management Committee (ORMC) meeting for approval.

For enabling migration to the Advanced Measurement Approach (AMA), Bank has implemented Operational Risk Management Solution (ORMS) to enable system driven flow of the inputs required for Capital Calculation like the Internal loss data, Key Risk Indicators (KRIs), Risk and Control Self Assessment (RCSA), Scenarios and also

परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोण के प्रवजन का विश्लेषण भी कर रहा है।

बैंक, भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित ऋण व परिचालन जोखिम आंकड़ा विनिमय हेतु बैंक कनसोर्सियम (सीओआरडीईएक्स) का संस्थापक सदस्य है। यह बैंक को बाह्य हानि डेटा प्राप्त करने और उसके बाद के परिवेश को विकसित करने में सहायक होता है जो उन्नत मापन दृष्टिकोण के अधीन पूँजी गणना के लिए भी एक आवक है। वर्तमान में, बैंक ने हमारे डेटा सेंटर मुंबई के माध्यम से एक डेडिकेटड लाइन द्वारा कोरडेक्स से कनेक्टिविटी स्थापित की है, जो बाह्य हानि डेटा को प्राप्त करने में सहायक होगा।

टेबल डीएफ–9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

i. गुणात्मक प्रकटीकरण:

संगठनात्मक ढाँचा :

बोर्ड या निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा बनाए गए जोखिम मानदंडों के तहत बैंक द्वारा बाज़ार जोखिम एक्सपोजर की व्यवस्था करने हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) उत्तरदायी है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति के पर्यवेक्षण में आस्ति देयता प्रबंधन समूह निगरानी करता है और जोखिम का प्रबंधन करता है। समुद्रपारीय लंदन शाखा के लिए आस्ति–देयता प्रबंधन समूह ब्याज दर जोखिम और तरलता जोखिम की निगरानी करता है।

बैंक की आस्ति–देयता प्रबंधन नीति में निदेशक मंडल जोखिम समिति/ आस्ति–देयता प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित तरलता और ब्याज दर जोखिम पर विवेकपूर्ण मानदंड निहित रहता है। विवेकपूर्ण सीमाओं की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। सीमाओं का व्यतिक्रम होने पर इसकी सूचना, आस्ति–देयता प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति/बोर्ड को दी जाएगी।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम निम्न दो दृष्टिकोणों से व्युत्पन्नित हैं :

i. पारंपरिक अंतराल विश्लेषण – अर्जन परिप्रेक्ष्य
ii. अवधि अंतराल विश्लेषण – आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य

अंतराल विश्लेषण : ब्याज दर अंतराल या असंतुलित जोखिम का आकलन, घरेलू और समुद्रपारीय परिचालनों के लिए दी गई तिथि पर विभिन्न समय–अंतरालों की गणना के आधार पर होता है। अंतराल विश्लेषण का आकलन दर संवेदनशील देयताएँ (आरएसएल) या दर संवेदनशील आस्तियों (आरएसए) (जिनमें तुलनपत्रेतर स्थिति शामिल है) के अंतर के आधार पर होता है। रिपोर्ट, अवशिष्ट परिपक्वता या अगले पुनर्मूल्यांकन, जो भी पहले हो, के अनुसार निर्धारित समय पर, समूह दर संवेदनशील देयताओं, आस्तियों तथा तुलन–पत्रेतर स्थितियों के आधार पर तैयार की जाती है। अपरिपक्व आस्तियों/देयताओं (जैसे आस्ति कॉलम में कार्यकारी पूँजी सुविधा और देयता कॉलम में चालू और बचत बैंक जमा)का वर्गीकरण

for the computation of Value at Risk (VaR) for Operational Risk. The Bank is also undertaking analysis for migration to Advanced Approaches for computation of Capital Charge for Operational Risk.

Bank is one of the founder members of CORDEX (Consortium of Banks for Credit & Operational Risk Data Exchange), a company formed by Indian Banks' Association (IBA). This will enable the Bank in collecting External Loss Data and subsequent developing of Scenarios which is also one of the inputs for Capital Calculation under the Advanced Measurement Approach. Presently, Bank has established connectivity to CORDEX through a dedicated line through our data center Mumbai which will facilitate the capture of External loss data.

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

i. Qualitative Disclosures:

Organisational set-up

ALCO (Asset-Liability Management Committee) is responsible for management of the balance sheet of the Bank with a view to manage the market risk exposure assumed by the Bank within the risk parameters laid down by the Risk Management Committee of the Board or the Board of Directors. The Asset Liability Management Group at the Bank monitors and manages the risk under the supervision of ALCO. At overseas branch, London, ALM group monitors interest rate risk along with liquidity risk.

The ALM Policy of the Bank contains the prudential limits on liquidity and interest rate risk, as prescribed by the Board of Directors/Risk Committee/ALCO. The prudential limits are monitored on regular basis. Any breach in the limits will be reported to ALCO/ RMC/ Board.

Interest Rate Risk in Banking Book is derived under following two approaches

i. Traditional Gap Analysis – Earnings perspective
ii. Duration Gap Analysis – Economic value perspective

Gap analysis: The interest rate gap or mismatch risk is measured by calculating gaps over different time intervals at a given date for domestic and overseas operations. Gap analysis measures mismatches between Rate Sensitive Liabilities (RSL) and Rate Sensitive Assets (RSA) (including off-balance sheet positions). The report is prepared by grouping rate sensitive liabilities, assets and off-balance sheet positions into time buckets according to residual maturity or next re-pricing period, whichever is earlier. For non-maturity assets/liabilities (for instance, working capital facilities on the assets side and current and savings account deposits on the liabilities side) grouping into time buckets is done based on behavioral studies or

समयानुसार भा.रि.बैं. के निश्चित मानदंडों के अनुरूप की जाती है। आर.एस.ए. और आर.एस.एल. के बीच प्रत्येक समयसूची का अंतर उस समय के अंतर को दर्शाता है। अंतर की अभिदशा यह दर्शाती है कि निवल आय सकारात्मक है या नकारात्मक और ब्याज दर में परिवर्तन की ओर इंगित करती है और अनुमानतः ब्याज आय में आए अंतर को पूर्ण करने हेतु ब्याज पर परिवर्तन किया जाता है। बैंक की आस्ति–देयता प्रबंधन नीति का अभिप्राय असंतुलन के लिए बकेटवार सीमाओं को दूर करता है।

जोखिम पर अर्जन (ईएआर): अंतर यह दर्शाता है कि बैंक (आरएसए>आरएसएल) के सकारात्मक अंतर के कारण ब्याज दर घटाने की स्थिति में है। बैंक ब्याज दरों के स्तर में 200 बेसिक प्वाइंट के आधार पर निवल ब्याज आय (एनआईआई) केईएआर की निगरानी करता है। पिछले वर्ष की एनआईआई की प्रतिशतता से इस वर्ष की एनआईआई की प्रतिशतता का प्रभाव हमें बैंक के अरक्षित जोखिम की स्पष्ट गणना करने में सहायक होता है। ईएआर की गणना बैंकिंग बही व ट्रेडिंग बही में शामिल की गई है।

ईक्विटी का आर्थिक मूल्य (ईवीई): ब्याज दरों में परिवर्तन, बैंक की ईक्विटी के बाज़ार मूल्य पर दीर्घावधि प्रभाव डालता है; साथ ही, बैंक का आर्थिक मूल्य, बैंक की आस्ति एवं देयताएं और बैंक की तुलनपत्रेत्तर स्थितियाँ भी प्रभावित होती हैं। आस्ति देयताओं और ईक्विटी पर ब्याज दर की संवेदनशीलता का मापदंड अवधि है। ब्याज दर में परिवर्तन करने पर आस्ति या देयताओं (या ईक्विटी) के बाज़ार मूल्य में अंतर की प्रतिशतता को परिभाषित करता है। इस प्रकार से ब्याद दरों में परिभाषित परिवर्तन के कारण किसी कंपनी की ईक्विटी के बाज़ार मूल्य में परिवर्तन होता है तो ईवीई उसका मापदंड होता है। बैंक, अपने घरेलू और समुद्रपारीय परिचालनों के आईआरआरबीबी की व्यवस्था करने के लिए ईवीई के एक ढाँचे के रूप में इस्तेमाल करता है। एसएलएम नीति बैंक की समग्र ईवीई को अनुबंधित करती है।

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

ब्याज दर जोखिम पर प्रभाव

अर्जन परिप्रेक्ष्य (पारंपरिक अंतराल विश्लेषण)–बैंक अर्जन पर प्रभाव

	ब्याज दर में वृद्धि		ब्याज दर में कमी	
	100 बीपीएस	**200 बीपीएस**	**100 बीपीएस**	**200 बीपीएस**
आई एन आर	5366	10733	(5366)	(10733)
यू एस डी	(197)	(395)	197	395
अन्य	32	64	(32)	(64)
योग	**5201**	**10402**	**(5201)**	**(10402)**

by making certain assumptions in line with RBI guidelines. The difference between RSA and RSL for each time bucket signifies the gap in that time bucket. The direction of the gap indicates whether net interest income is positively or negatively impacted by a change in the direction of interest rates and the extent of the gap approximates the change in net interest income for that given interest rate shift. The ALM Policy of the Bank stipulates bucket-wise limits for mismatches.

Earnings at Risk (EaR): The gap reports indicate whether the Bank is in a position to benefit from rising interest rates by having a positive gap (RSA > RSL) or whether it is in a position to benefit from declining interest rates by a negative gap (RSL > RSA). The Bank monitors the EaR with respect to net interest income (NII) based on a 200 basis points adverse change in the level of interest rates. The magnitude of the impact over a one year period, as a percentage of the NII of the previous year gives a fair measure of the earnings risk that the Bank is exposed to. The EaR computations include the banking book as well as the trading book.

Economic Value of Equity (EvE): Change in the interest rates also have a long-term impact on the market value of equity of the Bank, as the economic value of the Bank's assets, liabilities and off-balance sheet positions is impacted. Duration is a measure of interest rate sensitivity of assets, liabilities and also equity. It may be defined as the percentage change in the market value of an asset or liability (or equity) for a given change in interest rates. Thus EvE is a measure of change in the market value of equity of a firm due to the identified change in the interest rates. The Bank uses EvE as a part of framework to manage IRRBB for its domestic and overseas operations. The ALM Policy stipulates a limit on the overall EvE of the Bank.

ii. Quantitative disclosures:

Impact of interest rate risk

Earnings perspective (Traditional Gap Analysis) - Impact on Bank earning

	Interest rate rise by		**Interest fall rise by**	
	100 bps	**200 bps**	**100 bps**	**200 bps**
INR	5366	10733	(5366)	(10733)
USD	(197)	(395)	197	395
Others	32	64	(32)	(64)
Total	**5201**	**10402**	**(5201)**	**(10402)**

आर्थिक परिप्रेक्ष्य (अवधि अंतराल विश्लेषण)–निवल मालियत पर प्रभाव

क्रम संख्या	विवरण	मूल्य
1	दर संवेदनशील देयताओं हेतु भारित औसत संशोधित अवधि	0.9793
2	दर संवेदनशील आस्ति की भारित औसत संशोधित अवधि	1.1948
3	ब्याज दर में 1% बदलाव हेतु निवल मालियत पर प्रभाव	(6980.87)
4	ब्याज दर में 2% बदलाव हेतु निवल मालियत पर प्रभाव	(13961.74)

ब्याज–दर जोखिम को मापने की आवृत्ति

बैंकिंग बही में ब्याज–दर जोखिम की संगणना बैंक द्वारा मासिक आधार पर की जाती है। बैंक, ब्याज–दर में बदलाव के साथ ईक्विटी के बाज़ार मूल्य में संभावित गिरावट की भी मासिक आधार पर गणना करता है। मासिक आधार पर जोखिम पर अर्जन की माप पारंपरिक अंतराल विश्लेषण के द्वारा की जाती है।

टेबल डीएफ–10–प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्स्पोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण

i. गुणात्मक प्रकटीकरण

- बैंक के पास व्युत्पन्नी जमाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक उत्तम नीति है।
- बैंक, अपने तुलनपत्र में जोखिम से बचने के लिए और व्यापार/मार्केट तैयार करने के उद्देश्य से व्युत्पन्नी कारोबार करता है। बैंक, एफआरए, ब्याज दर अदला–बदली, मुद्रा अदला–बदली तथा मुद्रा विकल्प जैसे व्युत्पन्नी कारोबार बैंक एवं गैर–बैंक प्रतिपक्षकारों के साथ करता है। बैंक केवल मुद्रा वायदा एक्सचेंज के मालिकाना ट्रेडिंग की स्थिति बताता है।
- भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए संतोषजनक रेटिंग सहित पिछले निष्पादन–श्रेणी के तहत वायदा संविदाएँ ग्राहकों के लिए बुक की गई।
- मुद्रा वायदा में बैंक के लिए कोई जोखिम नहीं क्योंकि एक्सचेंज भुगतान की गारंटी देता है।
- वर्ष के दौरान बैंक ने बचाव के उद्देश्य से ब्याज दर अदला–बदली और एफआरए को अपनाया ताकि लंदन शाखा में देयताओं के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को कम किया जा सके।
- मूल और ब्याज दोनों के लिए एक–एक करके विदेशी मुद्रा अदला–बदली अपनाई गई और इस प्रकार से बिना किसी लागत व्यय के विनिमय दर जोखिम और ब्याज दर जोखिम से बचाव हो गया।

Economic perspective (Duration Gap Analysis) – Impact on Net worth

Sl. No.	PARTICULARS	Value
1	Weighted Average Modified Duration of Rate Sensitive Liabilities	0.9793
2	Weighted Average Modified Duration of Rate Sensitive Assets	1.1948
3	For 1% change in interest rate – Impact on Net Worth	(6980.87)
4	For 2% change in interest rate – Impact on Net Worth	(13961.74)

Frequency of Measurement of interest rate risk

Measurement and Computation of Interest rate risk in Banking Book is carried out by the Bank on a monthly basis. Bank also calculates on a monthly basis, the likely drop in Market Value of Equity with change in interest rates. Earnings-at-Risk is measured on a monthly basis using Traditional Gap Analysis.

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

i. Qualitative Disclosures

- The Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- The Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading/market-making purposes. Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counter parties. The Bank is only undertaking proprietary trading Position in Currency Futures on the Exchanges.
- Forward contracts under past performance category are booked for clients with satisfactory rating only and on complying with RBI guidelines.
- Currency futures have no credit risk for the Bank as the Exchanges guarantee the payment.
- During the year the Bank undertook Interest Rate Swaps and FRA for Hedging Purpose to Mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for Liabilities at London Branch.
- Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.

- लगातार 10 वर्षों तक बिना किसी जोखिम के उसी परिस्थिति में विदेशी मुद्रा अदला–बदली जारी रही।
- केवल संतोषप्रद रेटिंग के ज़रिये गैर–बैंक प्रतिपक्षकार के लिए मुद्रा अदला–बदली की गई।
- निगरानी करने के बजाए व्युत्पन्नों एवं एमआईएस के साथ जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए बैंक ने नियमित निगरानी की एक प्रणाली तैयार की है।
- बैंक ने, प्रतिपक्षकारों की ऋण जोखिम सीमाओं के मूल्यांकन तथा नियमित निगरानी की व्यवस्था की है।
- चालू ऋण एक्सपोज़र विधि (सीईएम) के आधार पर व्युत्पन्न लेन–देनों के लिए ऋण एक्सपोज़र की निगरानी की जाती है।
- क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)/ कांटीन्यूएस लिंकड सेटलमेंट सिस्टम(सीएलएस) के द्वारा प्रतिपक्षकार एक्सपोज़र सीमाओं, देशी जोखिम एक्सपोज़र सीमाओं और निपटान जोखिम को न्यूनतम करके ऋण जोखिम की निगरानी की जाती है।
- हमारे प्रतिपक्षकार बैंकों और गैर–बैंक प्रतिपक्षकार के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा के अंतर्गत लेन–देन किए जाते हैं। बिना किसी बाज़ार जोखिमों के एक–एक करके गैर–बैंक प्रतिपक्षकारों के साथ लेन–देन किया जाता है।
- बैंक जटिल व्युत्पन्नों में कोई एक्सपोज़र नहीं रखता है और न ही उप–प्रमुख आस्तियों में कोई सीधा एक्सपोज़र रखता है।
- बैंक ने किसी खाते को न तो क्रिस्टिलाइज या अपलिखित किया है और न ही व्युत्पन्नों के लेन–देन में बचाव के अंतर्गत किसी प्रकारी की हानि उठाई है।
- ब्याज पर प्रतिकूल असर से बचने और जोखिम के स्तर को कम करने के लिए फ्रेंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस में विभाजन किया गया है।
- मिड ऑफिस सीधे जोखिम प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु को रिपोर्ट करता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार आईएसडीए करार प्रत्येक प्रतिपक्षकार बैंक/गैर–बैंक ग्राहकों के साथ निष्पादित /विनिमय किए जाते हैं।
- मिड ऑफिस व्यापारिक लेन–देनों में उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को स्वतंत्र रूप से कदम उठाते हुए निगरानी करता है।
- बोर्ड/भा.रि.बैं. द्वारा स्वीकृत समग्र अंतराल सीमाओं तथा निवल ओवरनाइट जोखिमरहित सीमाओं के तहत लेन–देन किए गए।
- बचाव के उद्देश्य से किया गया कोई भी लेन–देन यदि अप्रतिभूत होता है तो उसे ट्रेडिंग लेन–देन माना जाता है और उसे परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति होती है।

- Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- Currency swaps are undertaken for non-bank counter party with satisfactory rating only.
- The bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS in place to monitor the same.
- The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counter-parties.
- Credit exposure for derivatives transaction is monitored on the basis of Current Credit Exposure Method (CEM).
- Credit risk is monitored by setting up counterparty exposure limits, setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL)/Continuous Linked Settlement System (CLS).
- The transactions with our Counter-Party Banks and non-bank counter party are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparties are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- The Bank is not having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.
- The Bank has not crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking the hedging transactions in derivatives.
- The segregation of front Office, Mid Office and Back office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk.
- The Mid office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bangalore.
- ISDA agreements are executed / exchanged with every counter party bank and non-bank clients as per RBI guidelines.
- Mid-office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board/RBI.
- Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.

- लेन-देनों को अलग से सुरक्षित या असुरक्षित लेन-देन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और अच्छे मूल्य के रूप में उसे माना गया।
- एक-एक करके कवर किए गए लेन-देनों तथा बैंक की आस्ति और देयताओं को जोखिम से बचाव सहित किए गए लेन-देनों का मूल्यांकन निर्धारित मूल्य और उपार्जन के आधार पर गणना किए गए ब्याज के अनुसार किया गया।
- यदि खरीदी के समय कोई प्रीमियम लिया गया हो तो उसका परिशोधन लेन-देन की अवधि के आधार पर किया जाएगा। लाभ का परिशोधन परिपक्वता पर किया गया। अग्रिम लेखा में प्राप्त आय के साथ बट्टे को रखा गया है और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि खाते में समायोजित किया जाता है।
- जो बेजमानती होने में बाज़ार में हानि दर्शानेवाला बन जाता है उसके बचाव के उद्देश्य से किए गए लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।
- जहाँ बैंक की आस्तियों से ज्यादा तथा 1% का एक्स्पोज़र हो जाता है वहाँ भी निवल निधिक देशी एक्स्पोज़र के लिए प्रावधान किया जाता है।
- बाज़ार निर्माण के उद्देश्य से किए गए लेन-देन पाक्षिक आधार पर चिह्नित किए गए हैं और जो बचाव के उद्देश्य से किए गए हैं उसे उपार्जित आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- स्वीकृति की शर्तों के अनुसार संपार्श्विकों को भी लिया जाएगा।

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण

हमारी लंदन शाखा में, वायदा दर करार/ ब्याज दर अदला-बदली/ विदेशी मुद्रा अदला-बदली। एफआरए/आईआरएस करार यूएसडी मुद्रा में होते हैं।

वायदा दर करार एवं ब्याज दर अदला-बदली

क्रम संख्या	मद	रकम (₹ मिलियन में)
i)	अदला-बदली करार के आनुमानिक मूलधन	90438.07
ii)	यदि प्रतिपक्षकार, करार (1) के अंतर्गत अपनी दायित्व को पूर्ण कर नहीं पाता है तो होनेवाली हानि	18.01
iii)	अदला-बदली में भाग लेने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	0.00
iv)	अदला-बदली से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण	0.00
v)	अदला-बदली बही (2) का उचित मूल्य	18.01

नोट : तुलन पत्र के अंतर से बचने के लिए बैंक के प्रति सभी एफआरए एवं आईआरएस किया जाता है। समतुल्य परिपक्वतावाले ब्याज दर अदला-बदली करार में शामिल होते हुए निश्चित ब्याज दर देयता को अस्थिर दर देयता में परिवर्तित किया जाता है।

- The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transaction. Profit is recognized on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to P&L account on maturity.
- Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which become naked resulting in mark-to-market losses.
- Provision is also made for net funded country exposures, where the exposure is 1% or more of the bank's assets.
- Transactions for market making purposes are marked-to-market at fortnightly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.

ii. Quantitative Disclosures

Forward Rate Agreements//Interest Rate Swaps/Cross Currency Swaps at our London Branch. The FRA/IRS are contracted in USD.

Forward Rate Agreement and Interest Rate Swaps

Sl. No.	Items	Amount (₹ in Millions)
i)	The notional principal of the swap agreements	90438.07
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfill their obligations under the agreements (1)	18.01
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00
v)	The fair value of the swap book (2)	18.01

Note: All FRA and IRS undertaken are against Banks to hedge Balance sheet gaps. The fixed interest rate liability was converted in to Floating rates by entering in to Interest Rate Swaps of matching maturity.

ए. हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग मुंबई में यूएसडी/आईएनआर में मुद्रा की अदला–बदली:

क्रम संख्या	मद	रकम (₹ मिलियन में)
i)	अदला–बदली करार के आनुमानिक मूलधन	286.82
ii)	यदि प्रतिपक्षकार, करार (1) के अंतर्गत अपनी दायित्व को पूर्ण कर नहीं पाता है तो होनेवाली हानि	46.36
iii)	अदला–बदली में भाग लेने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	0.00
iv)	अदला–बदली से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण	0.00
v)	अदला–बदली बही (2) का उचित मूल्य	0.40

- हानियों को, ऋण एवं पुन:स्थापन जोखिम सहित कुल ऋण निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- उपर्युक्त अदला–बदली पर प्राप्य या देय निवल एमटीएम ही अदला–बदली बही का उचित मूल्य है।
- आस्थियों एवं देयताओं के असंतुलन का प्रबंधन और अपने बही खाताओं की बचाव व्यवस्था के लिए बैंक द्वारा वायदा दर करार (एफ आरए) और ब्याज दर अदला–बदली (आईआरएस) किया जाता है।
- ऋण एवं राजकोष नीतियों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करनेवाले प्रतिपक्षकारों के साथ इन व्युत्पन्न संव्यवहारों को किया जाता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण एवं बाज़ार जोखिमों के प्रबंधन एवं निगरानी के लिए विभिन्न मानदंड/सीमाएं होती हैं ।
- भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार ही इन व्युत्पन्न संव्यवहारों के लिए लेखाकरण नीति बनाई गई है।

बी. विनिमय बाज़ार में व्यापारित व्युत्पन्न:

मुद्रा वायदे:

बैंक, तीन विनिमय कंपनियों में यूएसडी/आईएनआर में मुद्रा वायदों पर स्वामित्व व्यापार करता है। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदों के अंतर्गत कोई बकाया संविदा नहीं है।

ब्याज दर वायदे:

विनिमय व्यापारित ब्याज दर उत्पन्न शून्य है। बैंक, द्वारा विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न संबंधी व्यवहार नहीं किया जा रहा है।

डी एक 11, 12, 13,14,17 एवं 18 के तहत प्रकटीकरण – पूंजी और समाधान अपेक्षाओं का गठन, विनियामक पूंजी उपकरणों को मुख्य विशेषताएं और निर्गम के नियम व शर्तें, लेखांकन आस्तियों के तुलना सार बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपाय तथा लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेंपलेट बैंक के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

A. Currency swaps at Our International Division Mumbai in USD/INR :

Sl. No.	Items	Amount (₹ in Millions)
i)	The notional principal of the swap agreements	286.82
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfill their obligations under the agreements(1)	46.36
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00
v)	The fair value of the swap book(2)	0.40

- Losses have been defined as the Total Credit Exposure inclusive of Credit and Replacement Risk.
- Fair Value of Swaps book is the Net MTM receivable or Payable on the above Swaps.
- Forward Rate Agreement (FRA's) and Interest Rate Swaps (IRS's) were undertaken by the Bank to hedge its own books and for managing assets and Liability mismatches. Currency Swaps has been undertaken with customer for hedging their exposures and covered back-to-back with identical terms.
- These Derivatives transactions are entered with counter parties satisfying the criteria as prescribed by the Credit and Treasury Policies. These Board approved policies prescribes various parameters/limits to manage and monitor Credit and Market Risks.
- The accounting Policy for Derivatives has been drawn up in accordance with the RBI guidelines.

B. Exchange Traded Derivatives

Currency Futures:

The Bank undertakes proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the three Exchanges. There is no Outstanding Contracts under Currency future as on 31.03.2016.

Interest Rate Futures:

Exchange Traded Interest Rate Derivative is NIL. The Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

Disclosures under DF 11,12,13,14,17 & 18 – Composition of capital and reconciliation requirements, Main features of regulatory capital instruments and terms and conditions of issue, Summary comparison of accounting assets vs leverage ratio exposure measure and Leverage Ratio common disclosure template are placed on the website of the bank.

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने सिंडिकेटबैंक के संलग्न वित्तीय विवरण तथा उसके साथ प्राप्त 31 मार्च, 2016 की स्थिति में तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी उपलब्धता विवरण और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का लेखा–परीक्षण किया। इन वित्तीय विवरणियों के अंतर्गत हमारे द्वारा लेखा–परीक्षित 20 शाखाओं के विवरण शामिल हैं, शाखा लेखा–परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1678 शाखाओं की रिपोर्ट हैं, तथा स्थानीय लेखा–परीक्षक द्वारा लेखा–परीक्षित एक विदेशी शाखा की रिपोर्ट भी शामिल है। हमारे द्वारा लेखा परीक्षण की जानेवाली शाखाएँ तथा अन्य लेखा परीक्षकों का चयन, बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निदेशों के अनुसार किया है। तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाते में वैसी 2067 शाखाओं के विवरण शामिल हैं जिनका लेखा–परीक्षक अभी नहीं किया गया है। इन लेखा–अपरीक्षित शाखाओं के लेखा में 4.11 प्रतिशत अग्रिम, 22.22 प्रतिशत जमाराशियाँ, 6.74 प्रतिशत ब्याजी आय तथा 21.46 प्रतिशत ब्याजी व्यय शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों की तैयारी का दायित्व प्रबंधन का है। इस दायित्व के अंतर्गत, वित्तीय विवरण की तैयारी से संबंधित उसकी संरचना, कार्यान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रण कायम रखना शामिल है जो कि इस बात से परे है कि यदि गलत विवरण तैयार हुआ है तो उसका कारण जालसाजी या भूल, हो सकता है।

लेखा–परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व है कि अपने लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करें। हमने, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानक के अनुसार लेखा–परीक्षा किया है। उन मानदंडों के अनुसार हम आवश्यक योजना बनाते हैं तथा लेखा–परीक्षा करते समय पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करते हैं कि संबंधित वित्तीय विवरण गलत विवरणों के आधार पर तैयार नहीं किया गया है।

4. लेखा–परीक्षा के अंतर्गत रकम तथा वित्तीय विवरणों के स्पष्टीकरण से संबंधित लेखा–परीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। अपनाई गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें यह भी शामिल है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय गलत

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The President of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of SYNDICATE BANK, which comprise the Balance Sheet as on March 31, 2016, Profit and Loss Account, Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us, 1678 branches audited by branch auditors and 1 foreign branch audited by a local auditor. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2067 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 4.11 percent of advances, 22.22 percent of deposits, 6.74 percent of interest income and 21.46 percent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act, 1949. This responsibility includes the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend upon the auditors' judgment, including the

तरीके से विवरण प्रस्तुत तो नहीं किया गया है जो भले ही धोखाधडीवश हो या भूलवश, और इन बातों से संबंधित जोखिमों का भी निर्धारण करना पड़ता है। इस प्रकार के जोखिमों का निर्धारण करते समय लेखा परीक्षक, बैंक से संबंधित आंतरिक नियंत्रण तथा वित्तीय विवरणों के सही ढंग से प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित ढंग से लेखा–परीक्षा प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जा सके। अपनाई गई लेखा नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए लेखा आकलनों की उपयुक्तता और इसके साथ–साथ वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण भी लेखा–परीक्षा में शामिल है।

5. हम विश्वास करते हैं कि हमें जो लेखा–परीक्षा साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं वे हमारे लेखा–परीक्षा राय के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

राय

6. हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और बैंक की लेखा बहियों में दर्शाए गए अनुसार:
   i) सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र पूर्ण और सही है तथा उसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है एवं उसे इस प्रकार उचित तरीके से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार उसके कामकाज का सही और वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है।
   ii) सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में महत्वपूर्ण लेखाकार नीतियों और उनकी टिप्पणियों के साथ पठित लाभ–हानि लेखा उस लेखे से संबंधित लाभ–हानि को लेखाकरण वर्ष का सही शेष दर्शाता है।
   iii) नकदी उपलब्धता विवरण अपनी वर्ष समाप्ति तिथि की स्थिति में सत्य एवं उचित विवरण दर्शाता है।

विषयवस्तु का महत्व

7. अपनी राय देने से पूर्व, जलसाजी के कारण ₹882.65 करोड़ को बट्टे खाते डालने संबंधी नोट II (ए) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र और लाभ हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के फार्म क्रमश: ''ए'' और ''बी'' में तैयार किए गए हैं।

9. उपर्युक्त पैराग्राफ में उपदर्शित लेखा–परीक्षा की मर्यादा के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के

assessment of the risks of material misstatement of the financial statements whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion and as shown by books of the Bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:
   i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as on March 31, 2016 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
   ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the accounts; and
   iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter:

7. Without qualifying our report we draw attention to Note 11(a) disclosing write off of ₹ 882.65 Crores on account of fraud.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970,

अधीन रहते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

ए) हमने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा–परीक्षा हेतु सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो लेखा–परीक्षा के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।

बी) बैंक के जो लेन–देन हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं।

सी) बैंक की शाखाओं और उसके कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा–परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

10. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानदंडों के अनुरूप हैं।

कृते **गणेशन एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 000859एस

कृते **मणियन एंड राव**
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 001983एस

कृत मेसर्स **पी जी भागवत**
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 101118डब्ल्यू

वी. जयचंदर
साझेदार
सदस्यता सं.: 023394

श्रीकांत आर
साझेदार
सदस्यता सं.: 203138

संदीप राव
साझेदार
सदस्यता सं.: 047235

कृते **एस एन कपूर एंड एसोसिऐट्स**
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 001545सी

कृते **अगस्ती एंड एसोसिऐट्स**
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 313043ई

एस एन कपूर
साझेदार
सदस्यता सं.: 014335

बी अगस्ती
साझेदार
सदस्यता सं.: 051026

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 17.05.2016

and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

b. The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For GANESAN AND COMPANY
Chartered Accountants
FRN : 000859S

For MANIAN & RAO
Chartered Accountants
FRN : 001983S

For M/S P G BHAGWAT
Chartered Accountants
FRN : 101118W

V. JAYACHANDER
Partner
Membership No. 023394

SRIKANTH R
Partner
Membership No. 203138

SANDEEP RAO
Partner
Membership No. 047235

For S N KAPUR & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN : 001545C

For AGASTI & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN : 313043E

S N KAPUR
Partner
Membership No. 014335

B AGASTI
Partner
Membership No. 051026

Place : Bengaluru
Date : 17.05.2016

तुलन–पत्र BALANCE SHEET

31 मार्च, 2016 का तुलन–पत्र
BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2016

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

पूंजी और देयताएँ CAPITAL & LIABILITIES	अनुसूची सं. Schedule No.	As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
पूंजी/Capital	1	**703 37 16**	662 05 92
शेयर आवेदन मुद्रा बकाया आबंटन (केंद्र सरकार) Share Application Money Pending Allotment (Central Government)		**740 00 00**	–
आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves and Surplus	2	**11634 60 94**	12396 71 69
जमाराशियाँ/Deposits	3	**261735 34 40**	255388 09 71
उधार/Borrowings	4	**25501 20 09**	26502 98 50
अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	**7652 91 89**	8185 39 40
योग/TOTAL		**307967 44 48**	303135 25 22
आस्तियाँ/ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**13338 55 74**	11974 53 81
बैंकों के पास शेषराशियाँ और माँग और अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**15876 82 67**	11856 81 02
निवेश/Investments	8	**68621 86 68**	69339 66 69
अग्रिम/Advances	9	**201368 48 99**	202719 81 71
अचल आस्तियाँ/Fixed Assets	10	**2406 90 84**	1608 35 90
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	11	**6354 79 56**	5636 06 09
योग/TOTAL		**307967 44 48**	303135 25 22
आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities	12	**81329 95 45**	132061 18 46
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		**6029 94 97**	4997 02 09
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts	18		

आर एस पाण्डेय कार्यपालक निदेशक	**टी के श्रीवास्तव** कार्यपालक निदेशक	**अरुण श्रीवास्तव** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	**R S Pandey** Executive Director	**T K Srivastava** Executive Director	**Arun Shrivastava** Managing Director & CEO
आर एन दूबे निदेशक	**रुद्र नारायण कर** निदेशक	**शंकरन भास्कर अय्यर** निदेशक	**R N Dubey** Director	**Rudra Narayan Kar** Director	**Sankaran Bhaskar Iyer** Director
संजय अनंत मांजरेकर निदेशक	**जी रमेश** निदेशक	**अतुल अशोक गलांडे** निदेशक	**Sanjay Anant Manjrekar** Director	**G Ramesh** Director	**Atul Ashok Galande** Director
कमल किशोर सिंघल निदेशक	**जी मोहन राव** उप महा प्रबंधक	**आई पी नागराज राव** महा प्रबंधक	**Kamal Kishore Singhal** Director	**G Mohan Rao** Dy. General Manager	**I P Nagaraja Rao** General Manager

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 17.05.2016

Place : Bengaluru
Date : 17.05.2016

लाभ व हानि लेखा PROFIT & LOSS ACCOUNT

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		अनुसूची सं. Schedule No.	समाप्त वर्ष/ Year ended दि. 31.03.2016 को	समाप्त वर्ष/ Year ended दि. 31.03.2015 को
I.	**आय/INCOME**			
	अर्जित ब्याज/Interest Earned	13	**23197 78 02**	21615 16 19
	अन्य आय/Other Income	14	**2508 73 26**	2109 59 40
	योग/TOTAL		**25706 51 28**	23724 75 59
II.	**व्यय/EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज/Interest Expended	15	**17213 07 80**	16094 87 23
	परिचालन व्यय/Operating Expenses	16	**5166 88 20**	3622 59 54
	प्रावधान और आकस्मिकताएँ/Provisions and Contingencies		**4970 03 83**	2484 35 73
	योग/TOTAL		**27349 99 83**	22201 82 50
III.	**लाभ/PROFIT**			
	वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)/Net Profit / (Loss) for the Year		**-1643 48 55**	1522 93 09
	आगे लाया गया लाभ/(हानि)/Profit / (Loss) brought forward		**0**	0
	योग/TOTAL		**-1643 48 55**	1522 93 09
IV.	**विनियोजन/APPROPRIATIONS**			
	अंतरण/Transfer to :			
A	सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve			380 73 27
B	आरक्षित पूंजी/Capital Reserve		**48 15 26**	1 99 99
C	राजस्व आरक्षित निधि/Revenue Reserve		**-1691 63 81**	500 31 75
D	आयकर अधिनियम 1961, धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि Special Reserve under Section 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961			265 00 00
E	प्रस्तावित अंतिम लाभांश/Proposed Final Dividend			311 16 98
F	प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर/Tax on Proposed Final Dividend			63 71 10
	योग/TOTAL		**-1643 48 55**	1522 93 09
	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्यवाले)/ Earnings Per Share (Face Value of ₹ 10/- each)		**-24.82**	24.38
	मूल एवं मिश्रित (वार्षिकीकृत) Basic and Diluted (Annualised)		**-24.82**	24.38
	महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां/Significant Accounting Policies	17		
	लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	18		

कृते **गणेशन एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 000859 एस)
(वी. जयचंदर)
साझेदार
सदस्यता सं.: 23394

कृते **मणियन एंड राव**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 001983 एस)
(श्रीकांत आर)
साझेदार
सदस्यता सं.: 203138

कृते **मेसर्स पी जी भागवत**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 101118 डब्ल्यू)
(संदीप राव)
साझेदार
सदस्यता सं.: 047235

कृते **एस एन कपूर एंड एसोसिऐट्स**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 001545 सी)
(एस एन कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं.: 014335

कृते **अगस्ती एंड एसोसिऐट्स**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 313043 ई)
(बि अगस्ती)
साझेदार
सदस्यता सं.: 051026

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 17.05.2016

For **Ganesan and Company**
Chartered Accountants
(FRN : 000859S)
(V Jayachander)
Partner
Membership No : 23394

For **Manian & Rao**
Chartered Accountants
(FRN : 001983S)
(Srikanth R)
Partner
Membership No : 203138

For **M/s P G Bhagwat**
Chartered Accountants
(FRN : 101118W)
(Sandeep Rao)
Partner
Membership No : 047235

For **S N Kapur & Associates**
Chartered Accountants
(FRN : 001545C)
(S N Kapur)
Partner
Membership No : 014335

For **Agasti & Associates**
Chartered Accountants
(FRN : 313043E)
(B Agasti)
Partner
Membership No : 051026

Place : Bengaluru
Date : 17.05.2016

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 1 : पूँजी/SCHEDULE-1 : CAPITAL

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
	प्राधिकृत पूँजी 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 **AUTHORISED CAPITAL: 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each**	**3000 00 00**	3000 00 00
I.	**निर्गत, अभिदत्त मांगी गई और प्रदत्त पूँजी**/ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED and PAID UP CAPITAL		
	अथशेष/Opening Balance	**662 05 92**	624 58 46
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the Year	**41 31 24**	37 47 46
	70,33,71,629 (पिछले वर्ष 66,20,59,172) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 70,33,71,629 (Previous year 66,20,59,172) Equity Shares of ₹10/- each	**703 37 16**	662 05 92
	ए) केंद्र सरकार द्वारा धारित/Held by Central Government 45,83,94,888 (पिछले वर्ष 45,83,94,888) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 45,83,94,888 (Previous Year 45,83,94,888) Equity Shares of ₹10/- each	**458 39 49**	458 39 49
	बी) जनता तथा अन्य द्वारा धारित/ Held by Public and Others 24,49,76,741 (पिछले वर्ष 20,36,64,284) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 24,49,76,741 (Previous Year 20,36,64,284) Equity Shares of ₹10/- each	**244 97 67**	203 66 43
II.	बेमीयादी गैर–संचयी अधिमान्य शेयर Perpetual Non-Cumulative Preference Share	**0**	0
	योग/TOTAL	**703 37 16**	662 05 92
III.	शेयर आवेदन मुद्रा बकाया आबंटन (केंद्र सरकार) Share Application Money Pending Allotment (Central Government)	**740 00 00**	0

अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष/SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS (₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2016 को		As on दि. 31.03.2015 को	
I.	**सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**3383 01 82**		3002 28 55	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year		**3383 01 82**	380 73 27	3383 01 82
II.	**आरक्षित पूंजी/Capital Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**141 55 64**		139 55 65	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**48 15 26**	**189 70 90**	1 99 99	141 55 64
III.	**शेयर प्रीमियम/Share Premium**				
	अथशेष/Opening Balance	**1680 11 19**		1257 58 64	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**175 61 92**	**1855 73 11**	422 52 55	1680 11 19
IV.	**पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**918 47 95**		946 56 91	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**752 22 81**		0	
		1670 70 76		946 56 91	
	वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	**58 34 74**	**1612 36 02**	28 08 96	918 47 95
V.	**सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**581 16 40**		581 16 40	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**	**581 16 40**	0	581 16 40
VI.	**राजस्व और अन्य आरक्षित निधि/Revenue and Other Reserves**				
	अथशेष/Opening Balance	**4283 64 81**		4099 56 86	
	घटाएं: मानक आस्तियों के प्रावधान पर डी टी ए का प्रत्यावर्तन Less: Reversal of DTA on provision for standard assets			316 24 00	
	घटाएं: अन्य समायोजन/Less: Other adjustments	**36 54**		20	
	घटाएं: पिछले वर्षों की कमियों को पूरा करने हेतु आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत रखे गए विशिष्ट आरक्षित निधि में अंतरण। Less: Transfer to Special Reserve created under Section 36 (1)(viii) of Income Tax Act, 1961 to make good short creation for earlier years	**0**			
		4284 01 35		3783 33 06	
	जोडें: लाभ व हानि खाते से अंतरण/Add: Transfer from Profit and Loss Account	**-1691 63 81**	**2592 37 54**	500 31 75	4283 64 81
VII.	**विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि/Foreign Currency Translation Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**45 11 17**		94 25 32	
	जोडें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustments during the year	**11 51 27**	**56 62 44**	-49 14 15	45 11 17
VIII.	**विशिष्ट आरक्षित निधि/Special Reserve** **(आय कर अधिनियम1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत)** **(Under Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)**				
	अथशेष/Opening Balance	**1363 62 71**		1098 62 71	
	जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year				
	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि से अंतरण/Transfer from Revenue and Other Reserves				
	वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा से अंतरण/Transfer from Profit and Loss Account for Financial Year	**0**	**1363 62 71**	265 00 00	1363 62 71
	योग/TOTAL		**11634 60 94**		12396 71 69

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 3 : जमाराशियाँ/SCHEDULE – 3 : DEPOSITS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
ए./A.I.	**मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits**		
	i) बैंकों से/ From Banks	**53 39 88**	133 27 37
	ii) अन्यों से/ From Others	**15876 51 06**	17112 71 97
II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits**	**52048 71 23**	46467 30 34
III.	**सावधि जमाराशियाँ/ Term Deposits**		
	i) बैंकों से/From Banks	**32562 08 50**	38678 07 06
	ii) अन्यों से/ From Others	**161194 63 73**	152996 72 97
	योग ए/TOTAL A (I+II+III)	**261735 34 40**	255388 09 71
बी./B. i)	भारत की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India	**235161 59 33**	225401 85 99
ii)	भारत के बाहर की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India	**26573 75 07**	29986 23 72
	योग बी/TOTAL B(I+II)	**261735 34 40**	255388 09 71

अनुसूची – 4 : उधार/SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
I.	**भारत में उधार/Borrowings in India**		
ए/a.	भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India	**5951 00 00**	9401 00 00
बी/b.	अन्य बैंक/Other Banks	**2772 71 69**	2520 98 12
सी/c.	अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ/Other Institutions and Agencies	**604 77 35**	583 77 43
डी/d.	नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आई.पी.डी.आई.)/Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	**773 00 00**	773 00 00
ई/e.	अतिरिक्त टियर-I बांड/Additional Tier-I bonds	**870 00 00**	0
एफ/f.	गौण ऋण/Subordinated Debt	**5219 70 00**	4469 70 00
	योग/TOTAL	**16191 19 04**	17748 45 55
II.	**भारत के बाहर उधार/Borrowings Outside India**	**9310 01 05**	8754 52 95
	योग/TOTAL (I + II)	**25501 20 09**	26502 98 50
	उपर्युक्त I और II में शामिल जमानती उधार/Secured Borrowings included in I and II above	**5951 00 00**	9921 00 00

अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
I.	देय बिल/Bills Payable	**840 20 79**	**916 55 75**
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**0**	**109 15 87**
III.	उपचित ब्याज/Interest Accrued	**1359 07 37**	**1158 35 70**
IV.	मानक आस्तियों के संदर्भ में आकस्मिक प्रावधान/Contingent Provision against Standard Assets	**1376 73 16**	**966 92 99**
V.	अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions)	**4076 90 57**	**5034 39 09**
	योग/TOTAL	**7652 91 89**	**8185 39 40**

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशि
SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
I. रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	**894 56 07**	726 42 34
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि Balances with Reserve Bank of India		
चालू खाते में/In Current Account	**12443 99 67**	11248 11 47
अन्य खातों में/In Other Accounts	**0**	0
योग/TOTAL	**13338 55 74**	11974 53 81

अनुसूची – 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
I. **भारत में/In India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
ए)/a) चालू खातों में/Current Accounts	**74 43 82**	62 94 15
बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**2527 91 79**	2246 20 25
ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/रिवर्स रेपो के अंतर्गत ऋण Money at Call and Short Notice/Lending under reverse repo		
ए)/a) बैंकों के पास/with Banks	**11296 37 38**	5948 85 76
बी)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with Other Institutions	**0**	0
योग/Total	**13898 72 99**	8258 00 16
II. **भारत के बाहर/Outside India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
ए)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**56 70 18**	767 55 86
बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**1921 39 50**	2831 25 00
ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice	**0**	0
योग/Total	**1978 09 68**	3598 80 86
योग/TOTAL	**15876 82 67**	11856 81 02

अनुसूची – 8 : निवेश/SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
I. **भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)**	**68285 58 21**	69260 98 96
घटाएं: मूल्यह्रास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI	**439 08 62**	218 20 17
भारत में निवल निवेश/Net Investments in India	**67846 49 59**	69042 78 79
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**60027 41 60**	62217 66 24
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other Approved Securities	**90 50**	90 50
शेयर/Shares	**286 85 39**	333 49 60
डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**6008 10 02**	4351 91 39
अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/Subsidiaries and / or Associates	**26 52 22**	26 52 22
अन्य (वाणिज्यिक पत्र, जोखिम पूँजी, सी.ओ.डी. इत्यादि)/ Others (Commercial Paper, Venture Capital, CODs etc.)	**1496 69 86**	2112 28 84
योग/ TOTAL	**67846 49 59**	69042 78 79
II. **भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments Outside India (Gross)**	**775 37 09**	296 87 90
घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation		
भारत के बाहर निवल निवेश/Net Investments Outside India	**775 37 09**	296 87 90
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**0**	0
डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**775 37 09**	296 87 90
अन्य/Others	**0**	0
योग/Total	**775 37 09**	296 87 90
योग/TOTAL	**68621 86 68**	69339 66 69

अनुसूचियाँ / SCHEDULES

अनुसूची – 9: अग्रिम/SCHEDULE – 9: ADVANCES

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

			As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
ए./A.	i)	खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills Purchased and Discounted	**1343 35 12**	2742 70 69
	ii)	नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण/ Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**40944 70 70**	41246 04 84
	iii)	मीयादी ऋण/Term Loans	**159080 43 17**	158731 06 18
		योग/Total	**201368 48 99**	202719 81 71
बी./B.	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिम सहित)/ Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	**145583 48 81**	141075 91 93
	ii)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank / Government Guarantees	**32322 68 77**	37772 97 61
	iii)	अरक्षित/Unsecured	**23462 31 41**	23870 92 17
		योग/Total	**201368 48 99**	202719 81 71
सी./C.	I)	**भारत में अग्रिम/Advances in India**		
		i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sector	**62552 13 82**	56092 13 32
		ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	**7574 09 35**	20201 73 45
		iii) बैंक/Banks	**4907 91 83**	2172 66 82
		iv) अन्य/Others	**88755 53 88**	83856 93 55
		योग/Total	**163789 68 89**	162323 47 14
	II)	**भारत के बाहर के अग्रिम/Advances outside of India**		
		i) बैंकों से देय/Due from Banks	**26563 54 43**	29320 63 67
		ii) अन्यों से देय/Due from Others		
		ए)/a) खरीदे गए और बट्टागत बिल/ Bills Purchased and Discounted	**322 53 76**	212 08 33
		बी)/b) सिंडिकेटेड ऋण/Syndicated Loans	**5926 73 83**	6263 74 05
		सी)/c) अन्य/Others	**4765 98 08**	4599 88 52
		योग/Total	**37578 80 10**	40396 34 57
		योग सी/TOTAL C (I + II)	**201368 48 99**	202719 81 71

अनुसूची – 10 : अचल आस्तियाँ/SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
I.	**परिसर/Premises**		
	पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर At cost/revaluation as on March 31, of the preceding year	**1264 90 31**	1236 34 42
	जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन (₹ 752,22,81,177.28 के पुनर्मूल्यन सहित) Add: Additions during the year (Includes Revaluation of ₹ 752,22,81,177.28)	**808 27 70**	30 61 75
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the year	**1 79 54**	2 05 86
		2071 38 47	1264 90 31
	घटाएं: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**273 02 09**	208 67 04
	योग/Total	**1798 36 38**	1056 23 27
II.	**प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital work in progress**	**30 90 66**	97 63 79
III.	**अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर तथा उपस्कर सहित)/ Other Fixed Assets (including Furniture and Fixture)**		
	पिछले वर्ष के मार्च 31की लागत पर/ At cost as on March 31, of the preceding year	**1383 05 54**	1154 07 28
	जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**315 54 62**	286 84 36
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the year	**54 10 01**	57 86 10
		1644 50 15	1383 05 54
	घटाएं: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**1066 86 35**	928 56 70
	योग/Total	**577 63 80**	454 48 84
	योग/TOTAL (I+II+III)	**2406 90 84**	1608 35 90

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ/SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**1 89 42**	0
II. उपचित ब्याज/Interest accrued	**1530 49 51**	1609 91 80
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/Tax deducted at source (net of provisions)	**2242 27 43**	2054 50 85
IV. लेखन सामग्री व स्टांप/Stationery and Stamps	**23 17 35**	21 46 62
V. दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यह्रास घटाकर) Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation)	**3 14**	3 26
VI. अन्य/Others	**2556 92 71**	1950 13 56
योग/TOTAL	**6354 79 56**	5636 06 09

अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएँ/SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
I. बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो कर्ज़ के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है Claims against the Bank not acknowledged as debts	**146 99 19**	130 79 54
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि Liability for partly paid Investments/Venture Funds	**23 16 17**	40 33 78
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	**46630 85 86**	98343 57 04
IV. ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantees given on behalf of constituents		
ए)/a) भारत में/In India	**14372 26 88**	14252 52 51
बी)/b) भारत के बाहर/Outside India	**7 64**	7 40
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	**5652 37 70**	4664 84 95
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable		
i) उन संविदाओं की अनुमानित रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाता है और जिन के लिए प्रावधान नहीं किया गया है/ Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts not provided for	**13 36 19**	15 48 32
ii) अन्य/Others	**14490 85 82**	14613 54 92
योग/TOTAL	**81329 95 45**	132061 18 46

अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज/SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	Year ended दि. 31.03.2016 को समाप्त वर्ष	Year ended दि. 31.03.2015 को समाप्त वर्ष
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	**17318 51 17**	16119 99 99
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	**5284 57 57**	4889 68 51
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	**593 65 38**	588 70 11
IV. अन्य/Others	**1 03 90**	16 77 58
योग/TOTAL	**23197 78 02**	21615 16 19

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 14 : अन्य आय/SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2016 को	Year ended दि. 31.03.2015 को
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage	**741 42 02**	882 72 42
II.	निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of Investments	**898 50 96**	657 22 27
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of Investments		- 19 72
III.	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of Land, Buildings & Other Assets	**89 72**	91 13
	घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि Less: Loss on sale of Land, Buildings & Other Assets	**-1 72 27**	-1 01 81
IV.	विनिमय लेनदेन पर लाभ/Profit on Exchange Transactions	**206 59 31**	116 52 37
	घटाएँ: विनिमय लेनदेन पर हुई हानि/Less: Loss on Exchange Transactions	**-70 64 45**	-19 44 91
V.	लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of Dividends	**0**	0
VI.	विविध आय [अनुसूची 18 – बिंदु सं. 11 (ए) का संदर्भ ले]/Miscellaneous Income [Refer Schedule 18 - Point No. 11(a)]	**733 67 97**	472 87 65
	योग/TOTAL	**2508 73 26**	2109 59 40

अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज/SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2016 को	Year ended दि. 31.03.2015 को
I.	जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	**15995 78 68**	**15007 77 43**
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank borrowings	**42 38 70**	**46 97 68**
III.	अन्य/Others	**1174 90 42**	**1040 12 12**
	योग/TOTAL	**17213 07 80**	**16094 87 23**

अनुसूची – 16: परिचालन व्यय/SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2016 को	Year ended दि. 31.03.2015 को
I.	कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and Provisions for Employees	**2715 63 87**	2229 44 01
II.	किराया, कर और बिजली/ Rent, Taxes and Lighting	**297 88 54**	253 00 40
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**25 88 42**	25 53 41
IV.	विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	**31 27 58**	27 69 95
V.	बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Bank's Property	**199 28 61**	186 56 88
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses	**71 09**	1 27 92
VII.	लेखापरीक्षकों का शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' Fees and Expenses (including for Branch Auditors)	**30 88 84**	26 03 33
VIII.	विधि प्रभार/Law Charges	**5 26 18**	5 89 74
IX.	डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc.	**71 20 13**	83 16 86
X.	मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	**117 52 91**	92 26 63
XI.	बीमा/Insurance	**186 92 20**	167 04 57
XII.	अन्य व्यय/Other Expenditure**	**1484 39 83**	524 65 84
	योग/TOTAL	**5166 88 20**	3622 59 54

** ₹882,64,80,235/- (देखे अनुसूची 18 - मद सं. 11(ए)) का आपवादिक मद शामिल है।
** Includes exceptional item of ₹882,64,80,235/- (Refer Schedule 18 - Point No. 11(a))

अनुसूची – 17
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति: 2015-2016

1. (ए) लेखांकन पद्धति

विदेशी कार्यालय सहित बैंक की वित्तीय विवरणियों को पारंपरिक लागत पद्धति के अंतर्गत नवीन मामलों और सिद्धांतो का पालन करते हुए तैयार किया जाता है यदि अन्यथा वर्णन न हो। वे भारत में सामान्यतया अंगीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), जो सांविधिक प्रावधानों, नियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों/दिशानिर्देश नोट से युक्त होते हैं और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धति के अनुरूप होते हैं। तथापि, विदेशी कार्यालयों के मामले में, संबंधित देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं से अनुपालित होते हैं।

(बी) आकलन का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन से अपेक्षा है कि वे वित्तीय विवरण की तारीख को घोषित की जाने वाली आस्तियों एवं देयताओं की राशि (आकस्मिक देयताएं सहित) और कथित अवधि के लिए घोषित आय एवं व्यय का अनुमान लगाते हुए आकलन करें। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हो। लेखांकन अनुमानों में किसी भी प्रकार के संशोधन को चालू अवधि तथा भावी रूप में माना जाता है बशर्ते अन्यथा न हो।

2. विदेशी मुद्रा संबंधी लेन–देन

2.1 भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों को अपनाया गया है ।

2.2 फॉरेक्स देयता युक्त सभी विदेशी मुद्रा लेन–देनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यूएआर) लागू करते हुए अभिलेखित किया गया है जबकि सभी फॉरेक्स आस्तियों को प्रचलित बाज़ार दरों पर अभिलेखित किया गया है।

2.3 सभी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में अंतिम विनिमय दर पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को राजस्व के रूप में लिया गया है ।

2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को, विनिर्दिष्ट पारिपक्वता के लिए अधिसूचित विनिमय दरों तथा ''बीच की परिपक्वताओं'' वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों पर रिपोर्ट किया गया है। सी सी आई एल–शून्य कूपन प्रतिफल कर्व (जेड सी वाई सी) दरों के प्रयोग द्वारा एम टी एम वर्तमान मूल्य प्राप्त करने के लिए बाजार के लिए चिन्हित (एम टी एम) परिणाम घटाया जाता है।

2.5 गारंटियों, साख पत्रों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य दायित्वों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।

SCHEDULE – 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES : 2015 - 2016

1. (A) ACCOUNTING CONVENTIONS

The financial statements of the Bank including foreign office have been prepared following the going concern concept under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. However, in respect of foreign office, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign country are complied with.

(B) USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Any revision to the accounting estimate is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

2. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

2.1 Exchange rates as notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) are adopted.

2.2 All foreign currency transactions involving forex liabilities are recorded by applying Weekly Average Rate (WAR), whereas all forex assets are recorded at ongoing market rates.

2.3 All the monetary assets and liabilities are reported at the end of the year at closing exchange rate and the resultant profit / loss is taken to revenue.

2.4 Outstanding Forward Exchange Contracts are reported at the exchange rates notified for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities". The resultant Marked to Market (MTM) is discounted to arrive at present value MTM by using CCIL- Zero Coupon Yield curve (ZCYC) rates.

2.5 Contingent liabilities on account of Guarantees, Forward Contracts, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated at the closing exchange rates.

2.6 बैंक की विदेशी शाखा को ''गैर समाकलित विदेशी परिचालन'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

ए) विदेशी संचालनों की सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों तथा आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया।

बी) आय और व्यय का परिवर्तन त्रैमासिक औसत विनिमय दरों पर किया गया ।

सी) एएस 11 के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी परिचालन के निवल निवेश का निपटान होने तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि'' में संचित किया गया ।

3. निवेश

3.1 **वर्गीकरण:**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश संविभाग को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं:

ए) ''परिपक्वता तक धारित'' (एचटीएम) निवेशों को परिपक्वता तक धारण करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम एवं उनकी सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित निवेश वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

बी) ''व्यापार के लिए धारित'' (एचएफटी) निवेश को अल्पावधि कीमत/ब्याज दर में उतार-चढाव का लाभ उठाते हुए व्यापार करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। इनको खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंतर्गत व्यापार करने की अपेक्षा है।

सी) ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' (एएफएस) निवेश उपर्युक्त (ए) एवं (बी) दोनों में शामिल नहीं है अर्थात वे निवेश, जो ''परिपक्वता तक धारित'' या ''व्यापार के लिए धारित'' वर्ग में नहीं आते हैं।

फिर भी, तुलन पत्र में निवेशों को वर्तमान छह वर्ग में प्रकट किए जाएंगे:

(i) सरकारी प्रतिभूतियां
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
(iii) शेयर
(iv) डिबेंचर और बंध पत्र
(v) अनुषंगी/सहयोगी
(vi) अन्य

3.2 **निवेश का अधिग्रहण लागत:**

ए) निवेशों के अधिग्रहण हेतु प्रदत्त ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसआईटी) को लागत से हटाकर एक बारगी व्यय के रूप में लिया जाता है।

बी) ऋण लिखतों पर प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि ब्याज को लागत/बिक्री संबंधी विचार से हटाकर ब्याज व्यय/आय माना जाता है।

सी) निवेशों की लागत को भारित औसत मूल्य पद्धति पर निश्चित किया जाता है।

3.3 **मूल्यांकन पद्धति:**

ए) परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन वर्गीकृत निवेश का

2.6 Foreign Branch of the Bank is classified as "Non-Integral Foreign Operation"

a) All assets and liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing exchange rates.

b) Income and Expenditure are translated at quarterly average exchange rates.

c) The resulting Exchange Difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign branch.

3. INVESTMENTS

3.1 **Classification:**

The Investment portfolio of the Bank is classified, in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, into:

a) *"Held to Maturity" (HTM)* comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

b) *"Held for Trading" (HFT)* comprising Investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

c) *"Available for Sale" (AFS)* comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those investments which do not fall under in "Held to Maturity" or "Held for Trading" classification.

However, in the balance sheet, the investments will be disclosed as per the existing six classifications:

(i) Government Securities
(ii) Other Approved Securities
(iii) Shares
(iv) Debentures and Bonds
(v) Subsidiaries and / or Associates
(vi) Others

3.2 **Acquisition Cost of Investment:**

a) Brokerage, Commission, Securities Transaction Tax (STT) etc., paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.

b) Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/ income and is excluded from cost/sale consideration.

c) Cost of investments is determined at weighted average price method.

3.3 **Method of Valuation:**

a) Investments classified as HTM are carried at

मूल्यांकन यदि उसका मूल्य अंकित मूल्य से ज्यादा है तो भारित औसत अर्जन लागत पर किया जाता है, जिस मामले में प्रीमियम का परिशोधन प्रतिभूति की शेष अवधि तक किया जाता है।

बी) राजकोष बिल, वाणिज्यिक पत्र एवं जमाराशि प्रमाणपत्र पर किए गए निवेश का मूल्य निर्धारण रखाव लागत पर किया जाता है।

सी) अस्थाई स्वभाव के अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों को छोड़कर अन्य अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों में किया गया निवेशों का मूल्यनिर्धारण अभिग्रहण लागत से ह्रास को कम करके किया जाता है।

डी) जोखिम पूँजी निधियों की यूनिटों पर बैंक के निवेश को प्रारंभिक तीन वर्षों की अवधि के लिए एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और मूल्य निर्धारण, लागत के आधार पर किया जाता है। संवितरण की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के उपरांत इसे विक्रय के लिए उपलब्ध वर्ग में अंतरित किया जाता है और भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित आधार पर मूल्य निर्धारण किया जाएगा।

ई) एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख पर न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाता है। फिर भी, एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण अभिग्रहण मूल्य/बही मूल्य के आधार पर किया जाता है। अंतरण के बाद, इन प्रतिभूतियों का पुन: मूल्य निर्धारण किया जाता है और मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाता है।

एफ) एचएफटी एवं एएफएस श्रेणी में वर्गीकृत निवेशों को स्क्रिप आधार पर बाजार के लिए अंकित आधार पर मूल्य निर्धारण किया जाता है और प्रत्येक वर्ग में यदि निवल मूल्यह्रास हो तो उसे तुलन पत्र में प्रकट किया जाता है और लाभ–हानि लेखे में भी उपलब्ध कराया जाता है, निवल मूल्य वृद्धि यदि है तो, उसे उपेक्षित किया जाता है।

जी) ''व्यापार के लिए धारित'' और ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' श्रेणी में निर्दिष्ट भाववाले निवेशों का मूल्य निर्धारण के लिए बाजार दर/शेयर बाजार का निर्दिष्ट दर/प्राइमरी डीलर्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई)/नियत आय मुद्रा बाजार एवं व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए)/भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है

ऐसे निवेश जिनके दर /निर्धारित दर/उपलब्ध नहीं है उनका भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंण्डों के अनुसार मूल्य निर्धारण किया जाता है जो निम्नवत् है:

• सरकार/अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	समुचित कीमत लागत अंतर यदि है सहित परिपक्वता पर प्रतिलाभ आधार पर
• ईक्विटी शेयर	उपलब्ध नवीनतम 18 महीने से अनधिक पुराने तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन रिज़र्व, यदि कोई है, उस पर ध्यान दिए बिना) पर किया जाता है, अन्यथा ₹ 1 प्रति कंपनी की दर पर किया जाता है जहाँ अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है।

weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.

b) Investments in Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

c) Investments in subsidiaries and joint ventures are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

d) Bank's investments in units of VCFs are classified under HTM category for the initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

e) Transfer of securities from HFT/AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for. However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on acquisition price/book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

f) Investments classified as HFT and AFS are marked-to-market scrip-wise and the resultant net depreciation if any, in each category disclosed in the Balance Sheet, is provided in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

g) For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) / Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

• Government/ Approved Securities	On Yield to Maturity basis with appropriate spread mark-up, if any.
• Equity Shares	At breakup value as per the latest available Balance Sheet not more than 18 months old (without considering 'revaluation reserves', if any), otherwise Re. 1 per company where latest balance sheet is not available.

• अधिमानी शेयर	मोचन मूल्य से अनाधिक समुचित ऋण कीमत लागत अंतर सहित परिपक्वता पर प्रतिलाभ आधार पर
• बांड एवं डिबेंचर	समुचित ऋण कीमत लागत अंतर सहित परिपक्वता पर प्रतिलाभ आधार पर
• म्यूच्युअल फंडों के यूनिट	प्रत्येक योजना के संबंध में फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुन: खरीदी मूल्य/निवल आस्ति मूल्य
• जोखिम पूँजी	18 महीने से अनधिक लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी या विघटित एनएवी। यदि, 18 से अधिक महीने के लिए निरंतर आधार पर एनएवी/लेखा परीक्षित तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है तो, ₹1 प्रति जोखिम पूँजी निधियों की दर पर किया जाता है।
• प्राप्त प्रतिभूतियाँ	भा. रि. बैं./सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा घोषित एनएवी।

3.4 **निवेशों का निपटान**

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि की पहचान लाभ एवं हानि खाते में संबंधित निवेशों के भारित औसत लागत/बहीमूल्य के आधार पर की जाती है और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्गीकरण में निवेशों की बिक्री पर होनेवाले लाभ के समान एक राशि का विनियोजन पूँजी आरक्षित पूँजी खाते में होता है।

बी) एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग में निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि की पहचान लाभ एवं हानि खाते में की जाती है।

3.5 बैंक निपटान दिनांक के आधार पर निवेशों के लेखांकन के एक समान वर्गीकरण का पालन कर रहा है।

3.6 अनुत्पादक प्रतिभूतियों के संबंध में आय की पहचान नहीं हो चुकी है, और भा.रि. बैं. के दिशनिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास हेतु प्रावधान किया गया है।

3.7 अस्थिर/स्थिर दर नोट तथा ऋण से जुड़ा नोट विदेशी शाखा में निवेश ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' श्रेणी में वर्गीकृत किये जाते हैं और उनका मूल्यांकन नाममात्र मूल्य या बाज़ार मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है। ये निवेश तिमाही अंतराल पर बाजार के लिए चिह्नित होते हैं तथा इन निवेशों का मूल्य नाममात्र मूल्य से कम होने की स्थिति में तुलनपत्र में मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है तथा लाभ हानि खाते में संबंधित प्रभार प्रकट होता है।

3.8 अभिदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि की प्रतिभूतियों की लागत से कटौती की जाती है। प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त ब्रोकरेज़/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

• Preference Shares	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up not exceeding the redemption value.
• Bonds & Debentures	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
• Units of Mutual Funds	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
• Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF.
• Security Receipts	Declared NAV by the Asset Reconstruction Company as per RBI / SEBI guidelines.

3.4 **Disposal of Investments:**

a) Profit/loss on sale of Investments classified as HTM is recognized in the Profit and Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

b) Profit/loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in Profit and Loss Account.

3.5 The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis.

3.6 In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation for such securities as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

3.7 Floating / Fixed Rate Note and Credit Linked Note, Investments at Foreign Branch are classified as 'Available for Sale' category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These Investments are marked-to-market at quarterly intervals and where the value of these Investments is lower than the nominal value, provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit and Loss Account.

3.8 Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp Duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expense.

3.9 रेपो/प्रतिवर्ती रेपों के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों संपार्श्विक उधार देय और उधार लेने के संव्यवहारों के रूप में लेखांकित हैं। तथापि प्रतिभूतियां सामान्य एकमुश्त बिक्री/खरीद संव्यवहारों के मामलों के अनुरूप अंतरित की जाती है और प्रतिभूतियों का ऐसा चलन रेपो/प्रतिवर्ती रेपो खातों और प्रतिप्रविजियों के प्रयोग में प्रतिबिंबित होता है। उपर्युक्त प्राविष्टियां परिपक्वता के दिनांक पर प्रतिवर्तित बनायी जाती हैं। लागतों और राजस्वों का लेखांकन जो भी स्थिति है उसके अनुसार ब्याज व्यय/आय के रूप में होता है। रेपो खाते को शेष उधारों के रूप में वर्गीकृत है और प्रतिवर्ती रेपो खाते के शेष का वर्गीकरण बैंकों में नकदी शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि के रूप में किया गया है।

4. व्युत्पन्न

4.1 व्युत्पन्न लेन-देन के लिए दिए गये ऋण की निगरानी चालू ऋण मंजूरी पद्धति पर की जाती है।

4.2 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देनों को सौदा लेन-देन समझा जाएगा और उन्हें परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाता है।

4.3 व्युत्पन्न लेन-देनों को प्रतिरक्षा और अप्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उनको उचित मूल्य पर आंका जाएगा।

4.4 पारस्परिक आधार पर किए गए लेन-देन तथा आस्तियों एवं देयताओं पर जोखिम प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण तथा लेखाकरण ब्याज उपचयन के आधार पर किया जाता है।

4.5 मार्केट मेकिंग लेन-देनों का लेखांकन पाक्षिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित आधार पर किया जाएगा जब कि प्रतिरक्षा लेन-देनों का लेखांकन उपचयन के आधार पर किया जाता है।

4.6 खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, को लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाता है और परिपक्वता के बाद लाभ को हिसाब में लिया जाता है। मितीकाटे को अग्रिमों से प्राप्त आय लेखा में रखा जाएगा/और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोजित किया जाता है।

5. अग्रिम

5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा ऋण की हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भा.रि.बैं. के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है।

5.3 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ए.आर.सी.)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/बैंक/एफआइ/एनबीएफसी को निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम लागत पर यानि प्राप्त प्रावधान से कम बही मूल्य, बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के मामलों में, कमी को लाभ एवं हानि लेखे में नामे डाला जाता है तथा एन.बी.वी. मूल्य से अधिक

3.9 The securities sold and purchased under Repo/Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

4. DERIVATIVES

4.1 The credit exposures for derivative transactions are monitored on Current Credit Exposure method.

4.2 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

4.3 Derivative transactions are classified into hedge and non-hedge and measured at fair value.

4.4 The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risk on assets and liabilities are valued and accounted on interest accrual basis.

4.5 Market making transactions are accounted on marked-to-market basis at monthly intervals, while hedging transactions are accounted for on accrual basis.

4.6 Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transactions and profit is recognized on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to profit and loss account on maturity.

5. ADVANCES

5.1 Advances are classified into Performing and Non-Performing Assets and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever are more stringent.

5.2 Advances are stated net of provisions made for Non-Performing Assets except general provisions for Standard Advances.

5.3 In case of sale of financial assets to the Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC) / Banks / FIs / NBFCs at a price below the Net Book Value (NBV), i.e Book Value less Provision held, the shortfall is debited to the Profit and Loss Account and in case of sale at a value higher than

मूल्य की बिक्री के मामले में अतिरिक्त प्रावधान उस साल के लाभ एवं हानि खाते में वापस कर दिया जाता है जिस साल वह प्राप्त हुआ है।

6. परिसर और अन्य अचल आस्तियां

6.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियों में से, मूल्यह्रास को घटाने के बाद परंपरागत लागत और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया गया है । परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर पाँच वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

6.2 परिसर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है । पुनर्मूल्यांकित राशि पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया है।

6.3 परिवर्धन सहित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान अन्यथा उल्लिखित के सिवाय निम्नलिखित दरों पर ह्रासमान शेष प्रणाली के आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है:

(ए) परिसर:	दरें
i) बैंक के स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्व वाले/पट्टे पर लिए गए)	5%
ii) पट्टे पर लिये गये परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	10% पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित

(बी) अन्य आस्तियाँ:	दरें
i) फर्नीचर	10%
ii) उपस्कर, अन्य उपकरण, यू.पी.एस., जनरेटर आदि	15%
iii) वाहन	20%
iv) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	40%
v) कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर (सीधी रेखा पद्धति)	33.33%

6.4 अचल आस्तियों में जोड़ी गयी आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए किया जाता है सिवाय कंप्यूटर उपकरण तथा परिचालन साफ्टवेयर के मामले में, जहाँ मूल्यह्रास का प्रावधान यथानुपातिक आधार पर किया जाता है। उनका निपटान किए जाने वाले वर्ष में आस्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

7. कर्मचारियों के लाभ

7.1 भविष्य निधि के रूप में कर्मचारी लाभ एक निर्धारित अंशदान योजना है और भविष्य निधि हेतु, विकल्प देनेवाले कमचिारियों के संबंध में जिस वर्ष में अंशदान देय हैं उस वर्ष में अंशदानों को लाभ एवं हानि खाते में डाला जाता है।

7.2 ए) जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना के लिए विकल्प दिया है उनके संबंध में पेंशन लाभ एक निर्धारित लाभ की बाध्यता है और उसे

the NBV, the excess provision is reversed to Profit and Loss Account in the year in which the amounts are received.

6. PREMISES AND OTHER FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and/or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every three years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

6.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated. Additional depreciation on revalued amount is adjusted to the Revaluation Reserve.

6.3 Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of written down value, except as otherwise stated, at the following rates:

(A) PREMISES:	Rates
i) Bank owned (freehold/ leasehold)	5 %
ii) Capital Expenditure on premises taken on lease - where lease period is not specified - where lease period is specified	10 % Amortised over the residual period of lease.

(B) OTHER ASSETS:	Rates
i) Furniture	10 %
ii) Fixtures, Other Equipments, UPS, Generators, etc.	15 %
iii) Vehicles	20 %
iv) Electronic Equipments	40 %
v) Computers and Operating Software (Straight Line Method)	33.33%

6.4 Depreciation on additions to fixed assets is provided for the whole year except on additions to computers and operating software, which is provided on pro-rata basis. No depreciation is provided on the assets in the year of their disposal.

7. EMPLOYEE BENEFITS

7.1 Employee Benefits in the form of Provident Fund is a Defined Contribution Scheme and the contributions are charged to Profit & Loss Account in the year in which the contributions are due in respect of employees who have opted for Provident Fund.

7.2 a. In respect of employees who have opted for Pension Scheme, Pension Benefit is a Defined

31 मार्च, 2010 तक बैंक में कार्यग्रहण करनेवाले कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष के अंत पर वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

बी) नई पेंशन योजना जो 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करनेवाले कर्मचारियों के लिए लागू है। एक पूर्व निर्धारित दर की निर्धारित अंशदान योजना है और बैंक की बाध्यता ऐसे अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में डाला जाता है।

7.3 उपदान निधि देयता एक निर्धारित लाभ योजना है और उसे वित्तीय वर्ष के अंत पर किए गए वास्तविक मूल्यांकन पर दिया जाता है। उपनिधि देयता को बैंक के उपनिधि न्यास में संचित किया जाता है।

7.4 छुट्टी की भुनाई जैसी संचित और क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती हैं।

8. राजस्व का निर्धारण

ए) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/कमीशन के गैर बैंकिंग आस्तियों पर आय, लॉकर किराया, अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी अनर्जक आस्तियों से आय और दावा दायर खातों पर विधिक व्यय जिनका लेखाकरण नकदी आधार पर किया गया है।

बी) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उससे प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

सी) परिपक्व जमाराशियों पर ब्याज को नवीकरण के समय पर हिसाब में लिया जाता है। परिपक्व जमाराशियों के मामले में भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कारपोरेट कार्यालय में प्रावधान किया गया है ।

डी) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

ई) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, बांड निर्गम, क्रेडिट कार्ड एवं बीमा उत्पादों के फ्रैन्चाइज को राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।

एफ) आयातित सोने के सिक्कों की बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

9. आय पर कर

9.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।

9.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय के अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए

Benefit Obligation and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the Financial Year for the employees who have joined the Bank up to 31st March, 2010. The Pension liability is funded by the Bank to the Pension Fund Trust of the Bank.

b. New Pension Scheme which is applicable to employees who joined the Bank on or after 1st April, 2010 is a Defined Contribution Scheme at pre-determined rate and the obligation the Bank is limited to such contribution. The Contribution is charged to Profit & Loss Account.

7.3 Gratuity liability is a Defined Benefit Plan and is provide for on the basis of actuarial valuation made at eh end of the Financial Year. The gratuity liability is funded to the Gratuity Fund Trust of the Bank.

7.4 Accumulated Compensated absences such as Leave Encashment are provided for based on actuarial valuation.

8. REVENUE RECOGNITION

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees/commission on transactions with Mutual Funds, income from non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills/tax refunds, income from non-performing assets and legal expenses on suit filed accounts which are accounted for on cash basis.

b) Income from dividend on shares is accounted for on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

c) Interest on matured deposits is accounted for at the time of renewal. However provision for interest on matured deposits is made at the Corporate Office as per the RBI guidelines.

d) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item as per RBI guidelines.

e) Expenditure in respect of application software, bonds issue, franchises of credit card and insurance products are charged off to revenue.

f) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is completed.

9. TAXES ON INCOME

9.1 Current tax is determined as per the provisions of the Income tax Act, 1961.

9.2 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of

लेखाकरण मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

10. देशी जोखिम प्रबंधन

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार देशी जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है तथा निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) द्वारा प्रकाशित देशी जोखिम श्रेणी वर्गीकरण का अनुपालन कर रहा है।

11. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र बढ़ते हुए ऋण जोखिम को रोकने के लिए एक नीति अपनाई है तथा उसे अनुमोदित किया है।

12. आस्तियों की हानि

आंतरिक/बाह्य तथ्यों के आधार पर हानि की किसी सूचना के लिए हर एक तुलन-पत्र के दिनांक पर आस्तियों के रखाव की रकम का पुनरीक्षण किया जाता है। किसी हानि की पहचान उसी समय हो जाती है जब किसी आस्ति के रखाव की रकम उसकी वसूली योग्य रकम से अधिक हो जाती है।

13. निवल लाभ

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात् किया गया है:

– आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान
– अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
– मानक आस्तियों के प्रावधान
– निवेशों पर मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए समायोजन
– आकस्मिकताओं को अंतरण
– अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान

14. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर के लिए अर्जन का परिकलन उस अवधि के दौरान बकाया रहनेवाले ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा ईक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि से भाग देकर की जाती है। ईक्विटी शेयर के लिए कम हुए अर्जन की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्षांत पर बकाया होनेवाले डाइल्युटिव संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है।

Deferred Tax Assets/Liabilities in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

10. COUNTRY RISK MANAGEMENT

The Bank has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines and following the Country Risk Category classification published by Export Credit Guarantee Corporation (ECGC).

11. UNHEDGED FOREIGN CURRENCY EXPOSURE

The Bank has framed and approved a policy for administration of credit risk rising out of Unhedged foreign currency exposures in accordance with extant RBI guidelines.

12. IMPAIRMENT OF ASSETS

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment based on internal/external factor. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

13. NET PROFIT

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions and Contingencies":

– Provision for Income Tax and Wealth Tax
– Provision/Write off of Non-Performing Advances and Investments
– Provision on Standard Assets
– Adjustment for appreciation/depreciation on Investments
– Transfer to Contingencies
– Other usual and necessary provisions.

14. EARNINGS PER SHARE

Earnings per Share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the year.

अनुसूची –18 लेखा संबंधी टिप्पणियाँ –2015-2016

1. पूँजी

ए. बासेल III के अनुसार पूँजी पर्याप्तता अनुपात (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	**7.01**	7.53
ii) टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	**7.75**	7.84
iii) टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	**3.41**	2.70
iv) कुल पूँजी अनुपात (सी.आर.ए.आर) (%)	**11.16**	10.54
v) भारत सरकार के शेयर धारण की प्रतिशतता	**65.17**	69.24
vi) जुटाई गई ईक्विटी पूँजी की राशि (शेयर प्रीमीयम सहित)	**956.93**	460.00
vii) जुटाई गई अतिरिक्त टियर। पूँजी, जिसमें;		
– पी.एन.सी.पी.एस.	**0.00**	0.00
– पी.डी.आई.	**0.00**	0.00
– अतिरिक्त टियर–1 बाँड	**870.00**	0.00
viii) जुटाई गई टियर 2 पूँजी, जिसमें;		
– ऋण पूँजी लिखत	**1,750.00**	1,150.00
– अधिमानी शेयर पूँजी लिखत (बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पी.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आर. एन.सी.पी.एस./प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आर.सी.पी. एस.)	**0.00**	0.00

नोट: दि. 31.03.2016 की स्थिति में बासेल II के सिद्धांतों के अनुसार बैंक की पूँजी पर्याप्तता अनुपात 11.16 प्रतिशत है जबकि दि. 31.03.2015 की स्थिति में यह 10.92 प्रतिशत था।

बी. वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय जीवन बीमा को, ₹10/- अंकित मूल्य के 4,13,12,457 ईक्विटी शेयरों को ₹42.51 प्रीमियम में अधिमानी आधार पर आबंटित किया जिसकी कुल राशि ₹216,93,17,117.07 है। तदनुसार, भारतीय जीवन बीमा के शेयरधारण की प्रतिशतता 31.03.2016 को 14.50% हो गया।

सी. वर्ष के दौरान भारत सरकार ने अधिमानी आधार पर आबंटित करने के लिए ₹740 करोड़ की पूँजी लगायी है। आबंटन होने तक, बैंक ने शेयर आवेदन राशि – आबंटन के लिए लंबित शीर्ष के अंतर्गत दि. 31-03-2016 को इसे लेखांकन किया है। दिनांक 5 मई 2016 को बैंक ने आबंटन प्रक्रिया पूरा किया और भारत सरकार को ₹10 अंकित मूल्य के 9,51,27,908 ईक्विटी शेयरों को ₹67.79 प्रीमियम में अधिमानी आधार पर आबंटन किया है, जिसकी कुल राशि ₹740,00,00,000/- है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने पत्र संदर्भ डीबीआर. बीपी. 132777/21.01.002/2015-16, दि. 22-04-2016 द्वारा सूचितानुसार बैंक ने पूँजी पर्याप्तता अनुपानों का परिकलन के लिए उपर्युक्त को सामान्य ईक्विटी के भाग के रूप में लिया है।

2. निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1) निवेश का मूल्य		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(ए) भारत में	**68,285.58**	69,260.99
(बी) भारत के बाहर	**775.37**	296.87
(ii) मूल्यह्रास और एनपीए के लिए प्रावधान		
(ए) भारत में	**439.09**	218.20
(बी) भारत के बाहर	**0.00**	0.00
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(ए) भारत में	**67,846.49**	69,042.79
(बी) भारत के बाहर	**775.37**	296.87
2) निवेश के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन		
(i) प्रारंभिक शेषराशि	**218.20**	235.32
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**220.89**	54.23
(iii) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**0.00**	71.35
(iv) **इतिशेष**	**439.09**	218.20

SCHEDULE – 18 NOTES ON ACCOUNTS: 2015 - 2016

1. CAPITAL

a. Capital Adequacy Ratio as per Basel-III (₹ in crores)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i) Common Equity Tier-1 Capital Ratio (%)	**7.01**	7.53
ii) Tier-1 Capital Ratio (%)	**7.75**	7.84
iii) Tier-2 Capital Ratio (%)	**3.41**	2.70
iv) Total Capital Ratio (CRAR) (%)	**11.16**	10.54
v) Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	**65.17**	69.24
vi) Amount of equity capital raised (Including Share Premium)	**956.93**	460.00
vii) Amount of Additional Tier-1 Capital raised; of which		
– PNCPS	**0.00**	0.00
– PDI	**0.00**	0.00
– Addtional Tier-1 Bonds	**870.00**	0.00
viii) Amount of Tier-2 Capital raised; of which		
– Debt Capital Instrument	**1,750.00**	1,150.00
– Preference Share Capital Instruments (Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	**0.00**	0.00

Note: The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31.03.2016 as per Basel - II norms is 11.16% and as on 31.03.2015 it was 10.92%.

b. During the year, the Bank has allotted on preferential basis 4,13,12,457 equity shares of face value of ₹10 each at a premium of ₹42.51 aggregating ₹216,93,17,117.07 to Life Insurance of India. Consequently the Life Insurance of India shareholding is at 14.50% as on 31.03.2016.

c. Share Application Money:

During the year, The Government of India has infused capital of ₹740 Crores for allotment on preferential basis. Pending allotment, as on 31-03-2016 the Bank has accounted the same under the head "Share Application Money – Pending for allotment". On 05th May 2016, the Bank has completed the allotment procedure and allotted 9,51,27,908 equity shares of face value of ₹10 each at a premium of ₹67.79 aggregating to ₹740,00,00,000/- to Government of India on preferential basis.

As advised by Reserve Bank of India vide their letter ref.: DBR. BP.132777/21.01.002/2015-16 dated 22-04-2016, the Bank has considered the above as part of Common equity, for arriving at the Capital Adequacy ratios.

2. INVESTMENTS (₹ in crores)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
1) Value of Investments		
i) Gross Value of Investments		
a) In India	**68,285.58**	69,260.99
b) Outside India	**775.37**	296.87
ii) Provisions for Depreciation and NPA		
a) In India	**439.09**	218.20
b) Outside India	**0.00**	0.00
iii) Net Value of Investments		
a) In India	**67,846.49**	69,042.79
b) Outside India	**775.37**	296.87
2) Movement of provisions held towards depreciation on Investments		
i) Opening balance	**218.20**	235.32
ii) Add: Provisions made during the year	**220.89**	54.23
iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	**0.00**	71.35
iv) **Closing balance**	**439.09**	218.20

2.1 रेपो लेन–देन (अंकित मूल्य की शर्तों के अनुसार) (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि.31.03.2016 को इतिशेष
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
(i) चलनिधि समयोजन रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	104.00	603.20	532.10	0.00
(ii) सीमांत स्थाई सुविधा	208.00	286.00	247.00	0.00
(iii) मियादी रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	16.64	8515.52	4146.45	6189.04
(iv) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) सीआरओएमएस उधार	60.00	1122.33	428.99	0.00
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
(i) चलनिधि समायोजन रिवर्स रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	52.00	5616.00	562.14	3744.00
(ii) मियादी रिवर्स रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	62.40	21320.00	7821.19	0.00
(iii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) सीआरओएमएस उधार	25.23	7952.36	2172.57	2393.14

उपर्युक्त आंकड़ों में मार्जिन सम्मिलित है यानि सीआरओएमएस उधार को छोड़कर उधार देते समय गिरवी रखे गए/प्राप्त प्रतिभूतियों का मूल्य उधार की राशि का 104% होगा ।

2.2. गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग

i) दि. 31.03.2016 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	प्राइवेट नियोजन की मात्रा	"निम्न निवेश श्रेणी" प्रतिभूतियों की मात्रा	"अनिर्धारित" प्रतिभूतियों की मात्रा	"असूचीबद्ध" प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
(i)	सा.क्षे.उ.	3919.98	1291.33	187.50	0.00	0.00
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ (एन बी एफ सी सहित)	1329.03	837.46	81.04	0.88	0.88
(iii)	बैंक	1513.57	418.30	0.00	0.00	0.00
(iv)	निजी नैगम	2208.54	1674.62	142.86	0.02	0.02
(v)	सहयोगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
(vii)	मूल्यह्रास के प्रति रखा गया प्रावधान	439.09	***	***	***	***
	कुल*	**8593.55**	**4283.23**	**411.40**	**0.90**	**0.90**

नोट: (1) *स्तंभ 3 के अंतर्गत जोड का मिलान तुलन पत्र की अनुसूची 8 में निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन शामिल किए गए कुल निवेश के साथ होना चाहिए:
(ए) शेयर (बी) डिबेंचर और बंधपत्र
(सी) सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम (डी) अन्य

(2) कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।

ii) अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016			31.03.2015		
	देशी	लंदन	कुल	देशी	लंदन	कुल
प्रारंभिक शेष	**282.38**	**0.00**	**282.38**	196.37	1.11	197.48
वर्ष के दौरान परिवर्धन 01 अप्रैल से	**106.83**	**0.00**	**106.83**	86.01	0.00	86.01
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	**-**	**0.00**	**-**	-	1.11	1.11
इति शेष	**389.21**	**0.00**	**389.21**	282.38	0.00	282.38
रखे गए कुल प्रावधान	**288.05**	**0.00**	**288.05**	206.38	0.00	206.38

नोट: *निवेश के रुपया मूल्यांकन में जो वृद्धि/कमी हुई है उसका कारण मुद्रा दरों/आई.एन.आर. दरों में उतार–चढ़ाव से है।

2.1 Repo Transactions (in face value terms) (₹ in crores)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Avg. outstanding during the year	Closing Balance as on 31.03.2016
Securities sold under Repo				
(i) Government Securities for Liquidity Adjustment Facility Repo	104.00	603.20	532.10	0.00
(ii) Marginal Standing Facility	208.00	286.00	247.00	0.00
(iii) Government Securities for Term Repo	16.64	8515.52	4146.45	6189.04
(iv) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) CROMS Borrowing	60.00	1122.33	428.99	0.00
Securities purchased under Reverse Repo				
(i) Government Securities for Liquidity Adjustment Facility Reverse Repo	52.00	5616.00	562.14	3744.00
(ii) Government Securities for Term Reverse Repo	62.40	21320.00	7821.19	0.00
(iii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) CROMS Lending	25.23	7952.36	2172.57	2393.14

The above figures are inclusive of margin i.e. while borrowing / lending the value of the securities pledged / received will be 104% of the amount borrowed / lent excluding CROMS Lending/Borrowings.

2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) *Issuer composition of Non-SLR investments as on 31.03.2016.*

(₹ in crores)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of "Below Investment Grade" Securities	Extent of "Unrated" Securities	Extent of "Unlisted" Securities
1	2	3	4	5	6	7
(i)	PSUs	3919.98	1291.33	187.50	0.00	0.00
(ii)	Financial Institutions (incl. NBFCs)	1329.03	837.46	81.04	0.88	0.88
(iii)	Banks	1513.57	418.30	0.00	0.00	0.00
(iv)	Private Corporates	2208.54	1674.62	142.86	0.02	0.02
(v)	Subsidiaries/Joint Ventures	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00
(vi)	Others	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
(vii)	Provision held towards depreciation	439.09	***	***	***	***
	TOTAL *	**8593.55**	**4283.23**	**411.40**	**0.90**	**0.90**

Note: (1) * Total under column 3 tallies with the total Investments included under the following categories in Schedule 8 to the Balance Sheet.
(a) Shares (b) Debentures and Bonds
(c) Subsidiaries /Joint Ventures (d) Others

(2) Amounts reported under rows 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

ii) Non-performing Non-SLR Investments (₹ in crores)

Particulars	31.03.2016			31.03.2015		
	Domestic	London	Total	Domestic	London	Total
Opening balance	**282.38**	**0.00**	**282.38**	196.37	1.11	197.48
Additions during the year since 1st April	**106.83**	**0.00**	**106.83**	86.01	0.00	86.01
Reduction during the above period	**-**	**0.00**	**-**	-	1.11	1.11
Closing balance	**389.21**	**0.00**	**389.21**	282.38	0.00	282.38
Total provisions held	**288.05**	**0.00**	**288.05**	206.38	0.00	206.38

Note: *Appreciation / Reduction in rupee valuation of Investments include fluctuation in currency rates / INR rates.

iii) *एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण*

प्रतिभूतियों की बिक्री और एच.टी.एम. श्रेणी को/से उनका अंतरण का मूल्य भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में एच.टी.एम. श्रेणी (छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर) में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

iv) **एसजीएल उछाल**

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान एस.जी.एल. का कोई उछाल नहीं था।

2.3 एचटीएम वर्ग से प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ की राशि ₹73,63,68,167 (पिछली वर्ष ₹4,03,96,846) को लाभ एवं हानि खातों में लिया गया और तदनंतर पूँजी आरक्षित खाते में ₹48,15,25,872 (कर को घटकर) विनियोजन किया गया है। (पिछले वर्ष ₹1,99,99,468)

2.4 एच.टी.एम. वर्ग की प्रतिभूतियों पर प्राप्त परिशोधन प्रभार ₹96,94,09,766.59 (पिछले वर्ष ₹53,92,64,029.01) को लाभ एवं हानि खाते में नामे डाल दिया गया है और वह, भा.रि.बैं. मास्टर परिपत्र के अनुसर अर्जित ब्याज: मद सं II – निवेश पर आय में कटौती के रूप में अनुसूची–13 में प्रतिबिंबित होता है।

2.5 लंदन शाखा में धारित अस्थिर दर नोटों एवं विदेशी मुद्रा बांडों में की गई निवेश को बिक्री के लिए उपलब्ध वर्ग में डाल दिया गया है और अंतिम दर पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। अस्थिर दर नोटों का निर्गतकर्ता के मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

2.6 31.03.2016 की स्थिति में (अंकित मूल्य) निवेश खाते में सरकारी प्रतिभूतियों के धारण का समाधान

(₹ करोड़ में)

प्रतिभूतियों के विवरण	प्रधान खाताबही शेष	एस.जी.एल. शेष		धारित बी आर	धारित एस.जी.एल. फार्म	धारित वास्तविक स्क्रिप	बकाया सुपुर्दगी
		पी डी ओ बहियों के अनुसार	बैंक/संस्था की बहियों के अनुसार				
1	2	3	4	5	6	7	8
केंद्र सरकार	28126.36	28126.36	28126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
राज्य सरकार	31257.42	31257.42	31257.42	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य अनुमोदित	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
यूटीआई के यूनिट (1964)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य (शेयर एवं डिबेंचर)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**59483.78**	**59483.78**	**59483.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

नोट : पी.डी.ओ. बहियों की शेषराशि में योग्य प्रतिपक्षकार और स्टॉक एक्सचेंज में गिरवी रखी गई प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

3. व्युत्पन्न

3.ए वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदला–बदली/ पारस्परिक मुद्रा की अदला–बदली

- ***वायदा दर करार और ब्याज दर अदली–बदली***

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31.03.2016	31.03.2015
i)	अदला–बदली करार का कल्पित मूल–धन	9043.81	9,625.00
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होती हैं तो, होने वाली हानि	1.80	89.22
iii)	अदला–बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	0.00	0.00
iv)	अदला–बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	0.00	0.00
v)	अदला–बदली बही का उचित मूल्य	1.80	1.24

नोट: सभी वायदा दर करार और ब्याज दर अदला–बदली बैंक के तुलन–पत्र की कमियों की प्रतिरक्षा हेतु किया है । वित्तीय वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13 एवं 2014-15 के दौरान, बैंक ने यू एस डी 1,400.00 मिलियन के स्थिर ब्याज दर एम टी एन फंड को बढ़ाया है। स्थिर ब्याज दर देयता को एक समान परिपक्वता वाली ब्याज दर की अदला–बदली करके अस्थिर दरों में बदला गया है।

iii) Sale and transfers to / from HTM category

The value of sales and transfers of securities to/from HTM category does not exceed 5 percent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

iv) SGL Bouncing

There was no instance of SGL bouncing during the financial year 2015-16.

2.3 Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹73,63,68,167 (Previous Year ₹4,03,96,846) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated towards Capital Reserve Account amounting to ₹48,15,25,872{net of taxes} (Previous Year ₹1,99,99,468).

2.4 The amortization charges of ₹96,94,09,766.59 (Previous Year ₹53,92,64,029.01) on the HTM category of securities is debited to Profit and Loss Account and reflected in Schedule - 13, Interest Earned: Item II – Income on Investments as a deduction as per RBI Master Circular.

2.5 Investment in Floating Rate Notes and Foreign Currency Bonds held in London Branch are classified as Available for Sale and are valued at closing rate. Floating Rate Notes are valued based on issuers' value.

2.6 Reconciliation of holdings of Government Securities in Investment Account as on 31.03.2016 (Face Value): (₹ in crores)

Particulars of Securities	General Ledger Balance	SGL Balance		BRs held	SGL forms held	Actual Scrips held	Outstanding Deliveries
		As per PDO Books	As per Bank's/ Institution's Books				
1	2	3	4	5	6	7	8
Central Government	28126.36	28126.36	28126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
State Government	31257.42	31257.42	31257.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Other Approved	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Public Sector	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Units of UTI (1964)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others (Shares & Debentures)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**59483.78**	**59483.78**	**59483.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Note: The Balance as per PDO Books includes securities pledged with Qualified Counterparty and Stock Exchanges

3. DERIVATIVES

3.A Forward Rate Agreements/Interest Rate Swap/Cross Currency Swaps

- ***Forward Rate Agreement and Interest Rate Swaps*** (₹ in crores)

Sl. No.	Items	31.03.2016	31.03.2015
i)	The notional principal of swap agreements	9043.81	9,625.00
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	1.80	89.22
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v)	The fair value of the swap book	1.80	1.24

Note: All Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps undertaken are against Banks to hedge Balance Sheet gaps. During the financial years 2011-12, 2012-13 and 2014-15, Bank has raised the Fixed Interest rate MTN fund of USD 1,400.00 Mio. The fixed interest rate liability was converted into floating rates by entering into Interest Rate Swaps of matching maturity.

• *मुद्रा अदला–बदली* (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31.03.2016	31.03.2015
i)	अदला–बदली करार का कल्पित मूल–धन	**28.68**	84.54
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होता हैं तो, उठाई जाने वाली हानि	**4.64**	19.29
iii)	अदला–बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला–बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला–बदली बही का उचित मूल्य	**0.04**	0.27

(1) हानियों को कुल ऋण निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें ऋण और प्रतिस्थापन जोखिम भी शामिल हैं ।

(2) अदला–बदली बही का उचित मूल्य उपर्युक्त अदला–बदली पर प्राप्य या देय निवल एम.टी.एम. से संबद्ध है ।

(3) वायदा दर करार (एफ.आर.ए.) और ब्याज दर अदला–बदली (आई.आर.एस.) को अपनी बहियों को बचाने के लिए तथा आस्ति और देयता अंतर से बचने के लिए किया गया है । मुद्रा अदला–बदली को ग्राहकों के निवेशों को बचाने के लिए किया गया है और उन्हीं शर्तों पर बैक–टु–बैक आधार पर कवर किया गया है ।

(4) इन व्युत्पन्न लेन–देनों को उन प्रतिपक्षकारों के साथ किया गया है जो ऋण और राजकोषीय नीतियों की पूर्ति करती हैं । बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण और बाजार जोखिमों के प्रबंधन और अनुप्रवर्तन से संबंधित विभिन्न मानदण्डों/सीमाओं का उल्लेख किया गया है ।

(5) व्युत्पन्नों की लेखाकरण नीति को भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है । उक्त नीति के ब्यौरे अनुसूची–17- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 2015-16 में प्रस्तुत हैं ।

3.बी विनिमय व्यापार ब्याज दर व्यूत्पन्न

मुद्रा वायदा:

बैंक तीन विनिमयों पर यू.एस.डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है। दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया नहीं है।

ब्याज दर वायदा:

विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न शून्य है। बैंक विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न में लेन–देन नहीं कर रहा है।

क्रम सं.	विवरण	(₹ करोड़ में)
i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूल धन राशि (लिखतवार)	शून्य
ii)	दि. 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित बकाया मूलधन राशि (लिखतवार)	
iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार के लिए निर्दिष्ट मूल्य जो ''अत्यंत प्रभावकारी'' नहीं है। (लिखतवार)	
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का बकाया बाजार–दर–बाजार मूल्य और ''अत्यंत प्रभावकारी'' नहीं है। (लिखतवार)	

3. सी. व्युत्पन्नों में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण

ए) ***गुणात्मक प्रकटीकरण***

- ✓ व्युत्पन्न लेन–देन करने के लिए बैंक के पास अच्छी खासी नीति है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- ✓ बैंक अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन–देन कर रहा है। बैंक और बैंकेतर प्रतिपक्षकारों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन–देन कर रहा है। बैंक केवल विनिमय दर मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है।
- ✓ पिछली निष्पादन श्रेणी के अंतर्गत वायदा संविदा को सिंड–01– सिंड–04 के अंतिम निर्धारण के साथ तथा भा.रि. बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही ग्राहकों के लिए बुक किया जाता है।

• ***Currency Swaps*** (₹ in crores)

Sl. No.	Items	31.03.2016	31.03.2015
i)	The notional principal of the swap agreements	**28.68**	84.54
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**4.64**	19.29
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**0.04**	0.27

(1) Losses have been defined as the Total Credit Exposure inclusive of Current Credit Exposure and Replacement Risk (Positive MTM).

(2) Fair Value of Swaps book is the Net MTM receivable or payable on the above Swaps.

(3) Forward Rate Agreements (FRAs) and Interest Rate Swaps (IRS) were undertaken by the Bank to hedge its own books and for managing asset and liability mismatches. Currency swap has been undertaken with customers for hedging their exposures and covered back-to-back with identical terms.

(4) These derivative transactions are entered with counterparties satisfying the criteria as prescribed by the Credit and Treasury Policies. These Board approved policies prescribe various parameters / limits to manage and monitor Credit and Market Risks.

(5) The Accounting Policy for Derivatives has been drawn-up in accordance with RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17 – Significant Accounting Policies 2015 - 2016.

3.B Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Currency Futures:

The Bank is undertaking proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the three Exchanges. There is no Outstanding Contracts under Currency future as at 31.03.2016.

Interest Rate Future:

Exchange Traded Interest Rate Derivative is NIL. The Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

Sl. No.	Particulars	(₹ in crores)
i)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL
ii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding as on March 31, 2016 (instrument-wise)	
iii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	
iv)	Marked-to-Market value of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	

3.C Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

a) ***Qualitative Disclosure***

- ✓ The Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- ✓ The Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading / market-making purposes. Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counterparties. The Bank is only undertaking proprietary trading position in Currency Futures on the Exchanges.
- ✓ Forward contracts under past performance category are booked for clients with Rating SYND 01 - SYND 04 only and on complying with RBI guidelines.

- ✓ मुद्रा वायदे बैंक के लिए कोई ऋण जोखिम नहीं हैं, क्योंकि एक्स्चेंज कंपनियाँ भुगतान की गारंटी देती है ।
- ✓ वर्ष के दौरान बैंक ने लंदन शाखा की देयताओं के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु ब्याज दर अदला-बदली और एफ.आर.ए. किया ।
- ✓ मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को परस्पर मुद्रा अदला-बदली में शामिल किया गया। इस प्रकार किसी लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया।
- ✓ परस्पर मुद्रा अदला-बदली को 10 वर्षों तक की अवधि के लिए किया गया जिसमें किसी कोई जोखिम के बिना उसी प्रकार के समर्थक लेन-देन शामिल किए गए हैं।
- ✓ केवल गैर-बैंक प्रतिपक्षकार के लिए मुद्रा अदला-बदली लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सिंड-04 है ।
- ✓ बैंक ने व्युत्पन्न से जुडी जोखिमों का निर्धारण करने के लिए समुचित नियंत्रण प्रणाली और एम.आई.एस. को अपनाया है ।
- ✓ बैंक में प्रतिपक्षकारों की ऋण जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी तथा मूल्यांकन की जाती है ।
- ✓ व्युत्पन्न लेन-देनों से संबंधित ऋण जोखिमों की निगरानी चालू ऋण जोखिम पद्धति (सी ई एम) के आधार पर की जा रही है।
- ✓ ऋण जोखिम की निगरानी काउँटर पार्टी निवेश सीमाएं निर्धारित करके, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करके और सीसीआईएल/सीएलएस के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करके की जाती है ।
- ✓ प्रतिपक्षकारों, बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाज़ार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- ✓ बैंक के पास सम्मिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत कोई निवेश नहीं है और न ही उनके पास न्यून-ब्याजदर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है ।
- ✓ बैंक ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है ।
- ✓ ब्याज संबंधी विवाद को रोकने तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, नैगम कार्यालय, बेंगलूर में स्थित जोखिम प्रबंधन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है।
- ✓ भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रतिपक्षकार बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई.एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- ✓ मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से आकलन करता है।
- ✓ संचालनों को निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. द्वारा संस्वीकृत समग्र कुल सीमा और कुल दिनों की खुली स्थिति सीमा के भीतर किया जाता है।
- ✓ प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाता है और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाता है।
- ✓ लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में अलग से वर्गीकृत किया गया है और उसे उचित मूल्य पर आंका गया।
- ✓ बैक-टू-बैक आधार पर किए गए लेन-देन और बैंक की आस्ति एवं देयता के जोखिम की प्रतिरक्षा का मूल्यांकन निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के द्वारा किया जाता है तथा ब्याज का लेखांकन उपचयन आधार पर होता है।
- ✓ खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर किया जाएगा । परिपक्व होने पर लाभ दर्ज किया जाएगा । बट्टा घटक को, अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्व होने पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाएगा ।
- ✓ प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाज़ार के लिए अंकित हानि हो जाती है ।
- ✓ उन निवल निधिकृत देशी ऋणों के लिए भी प्रावधान किया गया है जहाँ ऋण राशि बैंक की आस्तियों के 1% या उस से अधिक है ।

- ✓ Currency futures have no credit risk for the Bank, as the Exchanges guarantee the payment.
- ✓ During the year Bank undertook Interest Rate Swaps and FRA for hedging purpose to mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for Liabilities at London Branch.
- ✓ Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- ✓ Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- ✓ Currency swaps are undertaken for non-bank counterparty with ratings SYND 01 to 04 only.
- ✓ The bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS in place to monitor the same.
- ✓ The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counterparties.
- ✓ Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of Current Credit Exposure Method (CEM).
- ✓ Credit Risk is monitored by setting up counterparty exposure limits setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through CCIL / CLS.
- ✓ The transactions with our Counterparty Banks and non-bank counterparty are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparties are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- ✓ The Bank is not having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.
- ✓ The Bank has not crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- ✓ The segregation of Front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bangalore.
- ✓ ISDA agreements are executed / exchanged with every counterparty banks and non-bank clients as per RBI guidelines.
- ✓ Mid Office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- ✓ The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board / RBI.
- ✓ Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- ✓ The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- ✓ The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- ✓ Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transaction. Profit is recognized on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to Profit and Loss Account on maturity.
- ✓ Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which became naked resulting in mark-to market losses.
- ✓ Provision is also made for net funded country exposures, where the exposure is 1% or more of the bank's assets.

- ✓ विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को पाक्षिक आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।
- ✓ मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं ।
- ✓ 85.48% व्युत्पन्न, शेष परिपक्वता की एक वर्ष से कम अवधि के अंतर्गत आते हैं ।

बी) दि. 31.03.2016 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016		31.03.2015	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1.	**व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल राशि)**				
	ए) प्रतिरक्षा के लिए	**28.68**	**9073.81**	84.54	10,856.95
	बी) व्यापार के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	**बाजार स्थितियों को अंकित**				
	ए) आस्तियाँ (+)	**4.64**	**1.80**	10.84	137.93
	बी) देयताएँ (–)	**4.60**	**0.00**	(-) 10.57	(-) 6.97
3.	**ऋण विनिवेश**	**5.21**	**76.84**	19.29	180.51
4.	**ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव (100* पीवी 01)**				
	ए) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न	**0.15**	**8.63**	1.18	(-) 209.75
	बी) व्यापार व्युत्पन्न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	**वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम**				
	ए) प्रतिरक्षा पर				
	न्यूनतम	--	--	--	--
	अधिकतम	--	--	--	--
	बी) व्यापार पर				
	न्यूनतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अधिकतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3.डी ऋण चूक अदला बदली

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण चूक अदला बदली में व्यापार नहीं किया है ।

4. आस्ति गुणवत्ता

ए) *अनर्जक आस्ति*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31-03-2015
(i) निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्ति (%)	**4.48%**	1.90%
(ii) (सकल) अनर्जक आस्तियों का संचलन		
ए. प्रारंभिक शेष राशि	**6,442.38**	4,611.13
बी. वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	**12,200.54**	5,499.97
सी. वर्ष के दौरान कटौती	**4,810.76**	3,668.72
डी. इतिशेष	**13,832.16**	6,442.38
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों का संचलन		
ए. प्रारंभिक शेषराशि	**3,843.65**	2,720.60
बी. वर्ष के दौरान परिवर्धन	**8,380.38**	3,770.64
सी. वर्ष के दौरान कटौती	**3,209.16**	2,647.59
डी. इतिशेष	**9,014.87**	3,843.65
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए प्रावधानों को छोड़कर)		
ए. प्रारंभिक शेषराशि	**2,466.88**	1,764.20
बी. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**3,820.16**	1,729.33
सी. अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**1,616.60**	1,026.65
डी. इतिशेष	**4,670.44**	2,466.88
ई. प्रावधान शामिल अनुपात (%)	**53.73%**	66.61%

***** अन्य आस्तियों में अंतरण द्वारा समायोजित (नोट सं. 11 (ए) का हवाला किया जाए))

डी) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

- ✓ Transactions for market making purposes are marked-to-market at fortnightly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- ✓ Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- ✓ 85.48% of Derivatives fall under the short tenure of less than one year of remaining Maturity.

b) Quantitative Disclosures as on 31.03.2016.

(₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	31.03.2016		31.03.2015	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	**Derivatives (Notional Principal Amount)**				
	a) For Hedging	**28.68**	**9073.81**	84.54	10,856.95
	b) For Trading	**NIL**	**NIL**	NIL	NIL
2	**Marked-To-Market Positions**				
	a) Asset (+)	**4.64**	**1.80**	10.84	137.93
	b) Liability (-)	**4.60**	**0.00**	(-) 10.57	(-) 6.97
3	**Credit Exposure**	**5.21**	**76.84**	19.29	180.51
4	**Likely impact of 1% change in interest rates (100*PV01)**				
	a) On Hedging Derivatives	**0.15**	**8.63**	1.18	(-) 209.75
	b) On Trading Derivatives	**NIL**	**NIL**	NIL	NIL
5	**Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during year**				
	a) On Hedging				
	Minimum	--	--	--	--
	Maximum	--	--	--	--
	b) On Trading				
	Minimum	**NIL**	**NIL**	NIL	NIL
	Maximum	**NIL**	**NIL**	NIL	NIL

3.D Credit Default Swaps

During the Financial Year, the Bank has not traded in Credit Default Swaps.

4. ASSET QUALITY

a) *Non-Performing Assets*

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
(i) Net NPA to Net Advances (%)	**4.48%**	1.90%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a. Opening balance	**6,442.38**	4,611.13
b. Additions (Fresh NPAs) during the year*	**12,200.54**	5,499.97
c. Reductions during the year	**4,810.76**	3,668.72
d. Closing balance	**13,832.16**	6,442.38
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	**3,843.65**	2,720.60
b. Additions during the year	**8,380.38**	3,770.64
c. Reductions during the year	**3,209.16**	2,647.59
d. Closing balance	**9,014.87**	3,843.65
(iv) Movement of Provisions for NPAs (Excluding Provisions on Standard Assets)		
a. Opening balance	**2,466.88**	1,764.20
b. Provisions made during the year	**3,820.16**	1,729.33
c. Write Off / Write Back of Excess Provisions	**1,616.60**	1,026.65
d. Closing balance	**4,670.44**	2,466.88
e. Provision Coverage Ratio (%)	**53.73%**	66.61%

*****Net off transfer to Other Assets (Refer Note No. 11(a))

बी/b) वर्ष 2015-16 के दौरान पुनर्संरचित खातों का विवरण/Details of Accounts Restructured during the Year 2015 – 16 (₹ करोड़ में/₹ in crores)

SL. No.	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण/DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31-03-2016																				
	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत UNDER CDR MECHANISIM					एस एम ई के अंतर्गत UNDER SME					अन्य OTHERS					कुल TOTAL				
	आस्ति वर्गीकरण ASSET CLASSIFICATION		एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL
1.	दि. 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते Restructured Accounts as on 01.04.2015	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	30	5	7	0	42	597	1125	3258	486	5466	57010	19973	10762	1272	89017	57637	21103	14027	1758	94525
		बकाया राशि/AMT O/S	2273.24	172.28	532.59	0.00	2978.11	182.86	78.66	122.37	10.87	394.76	6641.31	368.59	356.89	27.26	7394.05	9097.41	619.53	1011.85	38.13	10766.92
		प्रावधान/PROVISION	136.64	8.32	22.30	0.00	167.26	2.32	2.33	4.37	0.00	9.02	345.39	12.36	7.25	0.00	365.00	484.35	23.01	33.92	0.00	541.28
2.	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0	14	41	1	0	56	15916	393	32	5	16346	15930	434	33	5	16402
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	8.15	0.02	0.00	33.67	655.62	25.93	1.39	0.15	683.09	681.12	34.08	1.41	0.15	716.76
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.28	0.00	0.00	0.33	31.73	0.68	0.03	0.00	32.44	31.78	0.96	0.03	0.00	32.77
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में स्तरोन्नत Upgradations to restructured standard category during the Financial Year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	33	0	0	0	33	34	0	0	0	34
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58	5.63	0.00	0.00	0.00	5.63
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
4.	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो उच्च प्रावधानों और/या अतिरिक्त जोखिम भार से बाहर हो गया हो और इस कारण अगले वित्तीय वर्ष की शुरूआत में उसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में नहीं दर्शाया जाए।/ Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of Financial Year and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next Financial Year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	1	0	0	0	1	158	0	0	0	158	9283	0	0	0	9283	9442	0	0	0	9442
		बकाया राशि/AMT O/S	185.66	0.00	0.00	0.00	185.66	15.76	0.00	0.00	0.00	15.76	1147.41	0.00	0.00	0.00	1147.41	1348.83	0.00	0.00	0.00	1348.83
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	54.58	0.00	0.00	0.00	54.58	54.94	0.00	0.00	0.00	54.94
5.	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की गिरावट/ Downgradations of restructured accounts during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	4	10		14	0	405	1	3	409	0	26890	122	218	27230	0	27299	133	221	27653
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	153.22	879.91		1033.13	0.00	27.39	0.02	0.01	27.42	0.00	867.20	179.12	1.97	1048.29	0.00	1047.81	1059.05	1.98	2108.84
		प्रावधान/PROVISION	0.00	2.00	19.18	0.00	21.18	0.00	0.86	0.00	0.00	0.86	0.00	27.18	0.50	0.00	27.68	0.00	30.04	19.68	0.00	49.72
6.	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेख/ Written - off restructured accounts during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	18	1	-11	0	8	257	761	90	-245	863	17718	-6525	-11440	-764	-1011	17993	-5763	-11361	-1009	-140
		बकाया राशि/AMT O/S	875.79	19.06	-834.57	0.00	60.28	74.66	59.43	16.08	-4.81	145.36	2510.18	-485.03	-475.21	-7.06	1543	3460.63	-406.54	-1293.70	-11.87	1748.52
		प्रावधान/PROVISION	110.74	6.32	-9.55	0.00	107.51	-1.06	1.75	2.03	0.00	2.72	88.02	-14.13	-4.43	0.00	69	197.70	-6.06	-11.95	0.00	179.69
7.	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते* Restructured accounts as on 31.03.2016 *	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	11	4	18	0	33	196	405	3169	731	4501	45925	26891	22234	2041	97091	46132	27300	25421	2772	101625
		बकाया राशि/AMT O/S	1211.79	153.22	1367.16	0.00	2732.17	117.94	27.38	106.31	15.68	267.31	3639.34	879.55	833.49	34.47	5386.85	4969.07	1060.15	2306.96	50.15	8386.33
		प्रावधान/PROVISION	25.90	2.00	31.85	0.00	59.75	3.07	0.86	2.34	0.00	6.27	234.52	27.17	11.71	0.00	273.40	263.49	30.03	45.90	0.00	339.42

*पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिसमें उच्च प्रावधान या जोखिम भारांक (यदि लागू हो) नहीं है उनके आंकड़ों को हटाकर तथापि दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार इन खातों को भी दिखाया गया है।

*Excluding the figures of standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable). However, the provisions as on 31-03-2016 have been shown including these accounts.

नोट/Note:

1. अंतिम शेष = प्रारंभिक शेष + नया – अपवर्जित – बट्टे खाते डाले गये बंद किया गया आदि अर्थात, 7 = 1 + 2 – 4 – 6/Closing Balance = Opening Balance + Fresh – Excluded – Write Off, Closed, etc., i.e. 7 = 1 + 2 – 4 – 6.
2. मौजूदा खाता के अंतर्गत स्तर उन्नयन और गिरावट संपन्न होती है। अत: उन्हे मिलान के उद्देश्य के लिए ध्यान में नहीं लिया जाता है।/pgradations and Slippages happen within the existing accounts. Hence they are not taken account for tallying purpose.

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(i) खातों की संख्या	**4**	5
(ii) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	**281.89**	795.18
(iii) कुल प्रतिफल	**502.88**	1115.22
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	**0.00**	0.00
(v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि	**220.99**	320.04

c) Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
(i) No. of accounts	**4**	5
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company / Reconstruction Company	**281.89**	795.18
(iii) Aggregate consideration	**502.88**	1115.22
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	**0.00**	0.00
(v) Aggregate gain / loss over net book value.	**220.99**	320.04

डी) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस सी)/पुननिर्माण कंपनी (आर सी) के प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्निहित रूप में बैंक द्वारा बेचा गया समर्थित एनपीए		अंतर्निहित रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचा गया समर्थित एनपीए		कुल	
	31.03.16	31.03.15	31.03.16	31.03.15	31.03.16	31.03.15
प्रतिभूति रसीद में निवेश का बही मूल्य	**1,065.54**	908.48	**0.00**	0.00	**1,065.54**	908.48

ई) खरीदे/बेचे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. खरीदे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.	**शून्य**	शून्य
(बी) कुल बकाया	**शून्य**	शून्य
2. (ए) उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की सं.	**शून्य**	शून्य
(बी) कुल बकाया	**शून्य**	शून्य

बी. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1. बेचे गए खातों की सं.	**शून्य**	शून्य
2. कुल बकाया	**शून्य**	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	**शून्य**	शून्य

एच) मानक आस्तियों पर प्रावधान (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	**724.53**	771.19

5. कारोबार अनुपात

क्रम सं.	विवरण	31-03-2016	31-03-2015
(i)	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता **(%)**	**7.92%**	8.22%
(ii)	कार्यशील निधियों की तुलना में गैर ब्याजी आय की प्रतिशतता **(%)**	**0.86%**	0.80%
(iii)	कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता **(%)**	**1.14%**	1.52%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ **(%)**	**-0.56%**	0.58%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि +अग्रिम) **(₹ करोड़ में)**	**14.61**	15.39
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ **(₹ लाख में)**	**-5.51**	5.55

नोट: कार्यशील निधियाँ, प्रबंधन वर्ग द्वारा परिकलित मासिक औसत पर आधारित है और लेखा परीक्षको द्वारा माना गया है ।

d) Book value of Investments in Security Receipts of Securitisation Company(SCs)/Reconstruction Company (RCs).

(₹ in crores)

Particulars	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		Backed by NPAs sold by other Banks / Financial Institutions/non-banking financial companies as underlying		Total	
	31.03.16	31.03.15	31.03.16	31.03.15	31.03.16	31.03.15
Book Value of Investments in Security Receipts	**1,065.54**	908.48	**0.00**	0.00	**1,065.54**	908.48

e) Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of Non-Performing Financial Assets Purchased

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
1. (a) No. of Accounts Purchased during the year	**NIL**	NIL
(b) Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	**NIL**	NIL
(b) Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL

B. Details of Non-Performing Financial Assets Sold (₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
1. No. of Accounts Sold	**NIL**	NIL
2. Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL
3. Aggregate Consideration Received	**NIL**	NIL

f) Provisions on Standard Assets (₹ in crores)

Particulars	As on 31-03-2016	As on 31-03-2015
Provisions towards Standard Assets	**724.53**	771.19

5. BUSINESS RATIOS

Sl. No.	Particulars	31-03-2016	31-03-2015
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds **(%)**	**7.92%**	8.22%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds **(%)**	**0.86%**	0.80%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds **(%)**	**1.14%**	1.52%
(iv)	Return on Assets **(%)**	**-0.56%**	0.58%
(v)	Business (Deposits plus Advances) per Employee **(₹in Crores)**	**14.61**	15.39
(vi)	Profit per Employee **(₹in *Lakhs*)**	**-5.51**	5.55

Note: Working funds are based on monthly average as calculated by the management and relied upon by the Auditors.

6. आस्ति देयता प्रबंधन/ ASSET LIABILITY MANAGEMENT

आस्तियों और देयताओं के कुछ मदों के परिपक्वता स्वरूप /MATURITY PATTERN OF CERTAIN ITEMS OF ASSETS AND LIABILITIES

(₹ करोड़ में/₹ in crores)

ऋण और अग्रिम, निवेश, जमाराशि और उधार का परिपक्वता स्वरूप/THE MATURITY PATTERN OF LOANS & ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS												
(भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न परिपक्वता बकेट के अंतर्गत)/(UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY THE RESERVE BANK OF INDIA)												
क्रम सं./Sl. No.	As on दि. 31.03.2016 को	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 days	8-14 दिन 8-14 days	15-28 दिन 15-28 days	29 दिनों से 3 महीने तक 29 days to 3 months	3-6 महीने >3-6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक >6 months to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 year to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक >5 years	कुल Total
1	जमाराशि/Deposits	**1,506.26**	**10,202.69**	**6,990.66**	**7,686.38**	**44,262.91**	**39,653.00**	**58,404.26**	**81,220.30**	**10,135.20**	**1,673.67**	**2,61,735.34**
2	अग्रिम/Advances	**3,688.92**	**2,538.50**	**3,714.98**	**5,058.53**	**12,433.05**	**17,038.09**	**18,936.02**	**64,170.54**	**28,839.73**	**44,950.14**	**2,01,368.49**
3	निवेश/Investments	**0.00**	**413.32**	**0.00**	**128.48**	**1,090.90**	**447.88**	**2,168.97**	**14,503.92**	**7,158.94**	**42,709.46**	**68,621.87**
4	उधार/Borrowings	**21.24**	**3,655.00**	**2,296.00**	**0.00**	**140.88**	**24.21**	**4,388.68**	**5,253.59**	**3,357.96**	**6,363.63**	**25,501.20**
5	विदेशी मुद्रा आस्तियां/ Foreign Currency Assets	**211.90**	**1,696.78**	**2,608.29**	**3,568.24**	**7,254.27**	**7,357.71**	**6,404.04**	**2,411.00**	**3,003.52**	**5,549.20**	**40,064.95**
6	विदेशी मुद्रा देयताएँ/ Foreign Currency Liabilities	**180.55**	**2,427.89**	**2,732.52**	**1,496.10**	**12,904.54**	**4,453.47**	**6,410.38**	**6,428.86**	**3,403.14**	**0.00**	**40,437.44**
नोट: उपर्युक्त मद सं. 5 और 6 को उक्त मद सं 1 से 4 के संबंधित शीर्षों में शामिल किया गया है ।/**Note:** Item No. 5 and 6 above are included in respective heads in item no. 1 to 4 above.												

7. निवेश

ए. रियल इस्टेट क्षेत्र में निवेश (₹ करोड़ में)

श्रेणी	31-03-2016	31-03-2015
ए) प्रत्यक्ष निवेश	**27,825.77**	22,513.29
(i) आवासीय बंधक– उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार;	**16,276.40**	11,142.95
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	**10,860.77**	7,878.63
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन खुदरा स्थान, बहु–उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु–पारिवारिक आवासीय भवन, बहु–किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार। निवेश में गैर–निधि आधारित (एन.एफ.बी.) सीमाएँ भी शामिल होंगी;	**9,849.33**	9,259.48
(iii) गैर सी.आर.ई. को अन्य प्रत्यक्ष ऋण	**1,700.04**	1,392.30
(iv) बंधक समर्थित जमानत (एम.बी.एस.) में निवेश और अन्य प्रतिभूतीकृत निवेश – ए. आवासीय बी. वाणिज्यिक रियल इस्टेट	**0.00** **0.00**	90.81 627.75
बी) परोक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर–निधि आधारित निवेश	**2,836.13**	2,881.76
रियल इस्टेट क्षेत्र को कुल ऋण	**30,661.90**	25,395.05

बी. पूंजी बाजार में निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को नैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	**243.15**	211.63
(ii) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में और ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	**0.32**	0.32
(iii) अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है ।	**0.00**	0.00

7. EXPOSURES

A. Exposure to Real Estate Sector (₹ in crores)

Category	31-03-2016	31-03-2015
a) Direct Exposure	**27,825.77**	22,513.29
(i) Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	**16,276.40**	11,142.95
Out of the above, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	**10,860.77**	7,878.63
(ii) Commercial Real Estate (Fund-based and non-fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse spaces, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based limits.	**9,849.33**	9,259.48
(iii) Any other Direct Exposure to Non CRE	**1,700.04**	1,392.30
(iv) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposure a. Residential b. Commercial Real Estate	 **0.00** **0.00**	 90.81 627.75
b) Indirect Exposure Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**2,836.13**	2,881.76
Total Exposure to Real Estate Sector	**30,661.90**	25,395.05

B. Exposure to Capital Market (₹ in crores)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**243.15**	211.63
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	**0.32**	0.32
(iii) Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security	**0.00**	0.00

(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है।	**0.00**	0.00
(v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और बेज़मानती अग्रिम और स्टाक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां	**0.00**	1.00
(vi) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की ज़मानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	**816.37**	941.79
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण	**0.00**	0.00
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में मूल कंपनी द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता	**0.00**	0.00
(ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉकब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता	**0.25**	58.67
(x) जोखिम पूंजी को दिए गए सभी ऋण (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	**152.90**	158.91
पूंजी बाजार में किए गए कुल निवेश	**1,212.99**	**1,372.32**

सी. जोखिम श्रेणी वार देशी निवेश (₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	31 मार्च, 2016 को निवेश (निवल)	31 मार्च, 2016 को धारित प्रावधान	31 मार्च 2015 को निवेश (निवल)	31 मार्च 2015 को धारित प्रावधान
नगण्य	**4,485.10**	**शून्य**	4,275.08	शून्य
कम	**1,410.42**	**शून्य**	1,758.62	शून्य
मध्यम कम	**16.47**	**शून्य**	19.14	शून्य
मध्यम	**18.43**	**शून्य**	6.72	शून्य
मध्यम अधिक	**0.00**	**शून्य**	1.82	शून्य
उच्च	**0.00**	**शून्य**	0.00	शून्य
अति उच्च/प्रतिबंधित	**0.00**	**शून्य**	1.75	शून्य
ऋणेतर	**0.00**	**शून्य**	Nil	शून्य
कुल	**5,930.42**	**शून्य**	6,063.13	शून्य

नोट: बैंक ने 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों में अपनी निवल निधि निवेश का विश्लेषण किया है और ऐसे निवेश बैंक की कुल आस्तियों में से अन्य देशों में निवेश के लिए निर्धारित बैंक के कुल आस्तियों के 1% की लक्ष्य के अंतर्गत है ।

डी. एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) में, बैंक द्वारा सीमा से अधिक आहरण के ब्यौरे: शून्य

इ. बेजमानती अग्रिम

उन अग्रिमों की राशि जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है:

(₹ करोड़ में)

कुल अग्रिमों की राशि जहां अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है जैसे अधिकारों पर चार्ज, लाइसेंसों, प्राधिकारों इत्यादि पर प्रभार	266.92
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	1024.44

8. प्रावधान

ए) आय कर प्रावधान

कर सलाहकारों की सलाह के अनुसार संगत नीति का अनुसरण करने पर यानी यह कि एमएटी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए लागू नहीं है; मूल बैंक द्वारा चालू वर्ष की देयता की गणना की गई और आयकर के लिए प्रावधान की गई अतिरिक्त बही में स्थित ₹335 करोड़ की रकम वापस जमा की गई।

बी) वर्ष के दौरान कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
आयकर (लंदन शाखा सहित) के लिए प्रावधान	**536.95**	642.36
संपत्ति कर का प्रावधान	**-**	1.74
डीटीए/डीटीएल	**85.00**	163.93
पिछले वर्ष एमएटी प्रावधान का प्रत्यावर्तन	**-**	(335.00)
कुल	**621.95**	473.03

(iv) Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	**0.00**	0.00
(v) Secured and unsecured advances to Stock brokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers	**0.00**	1.00
(vi) Loans sanctioned to Corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**816.37**	941.79
(vii) Bridge loans to Companies against expected equity flows / issues.	**0.00**	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds.	**0.00**	0.00
(ix) Finance to Stock brokers for margin trading	**0.25**	58.67
(x) All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**152.90**	158.91
Total Exposure to Capital Market	**1,212.99**	**1,372.32**

C. Risk Category wise Country Exposure (₹ in crores)

Risk Category	Exposure (net) as at 31st March 2016	Provision held as at 31st March, 2016	Exposure (net) as at 31st March, 2015	Provision held as at 31st March, 2015
Insignificant	**4,485.10**	**Nil**	4,275.08	Nil
Low	**1,410.42**	**Nil**	1,758.62	Nil
Moderately Low	**16.47**	**Nil**	19.14	Nil
Moderate	**18.43**	**Nil**	6.72	Nil
Moderately High	**0.00**	**Nil**	1.82	Nil
High	**0.00**	**Nil**	0.00	Nil
Very High / Restricted	**0.00**	**Nil**	1.75	Nil
Off-Credit	**0.00**	**Nil**	Nil	Nil
Total	**5,930.42**	**Nil**	6,063.13	Nil

Note: The Bank has analysed its net funded exposures to various countries as on 31.03.2016 and such exposures to countries is well within the stipulation of 1% of total assets of the Bank.

D. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank: NIL

E. Unsecured Advances

Amount of advance for which, intangible securities has been taken:

(₹ in crores)

The total amount of advances for which intangible securities such as charge over rights, licences, authority etc., has been taken.	266.92
Estimated value of such intangible collaterals.	1024.44

8. PROVISIONS

a) Income Tax Provision

Following its consistent policy based on the advice of its tax consultants that MAT is not applicable to the Public Sector Banks, the Bank has calculated its current year tax liability.

b) Amount of provisions made for Tax during the year

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Provision for Income Tax (including London Branch)	**536.95**	642.36
Provision for Wealth Tax	**-**	1.74
(DTA) / DTL	**85.00**	163.93
Reversal of MAT Provision of earlier years	**-**	(335.00)
Total	**621.95**	473.03

सी) एचटीएम प्रतिभूतियों पर आस्थगित कर देयता :–

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किये गये अनुसार बैंक ने एचटीएम प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच के अंतर के संबंध में आस्थगित कर देयता को पता लगाने का निर्णय लिया है। बैंक ने 31.03.2016 को इसके प्रति ₹545.85 करोड़ का प्रावधान किया है। इसी तरह आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की राय का पालन करते हुए बैंक ने बहियों एवं आय कर के अनुसार अनर्जक आस्तियों के प्रावधान में अंतर पर आस्थगित कर आस्ति (डी टी ए) को पहचाना है और 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार ₹594.24 करोड़ डी टी ए को पहचाना है।

9. चलनिधि कवरेज अनुपात

ए) परिमाणात्मक प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

		चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
		कुल अभारित[3] मूल्य (औसत)	कुल भारित[4] मूल्य (औसत)	कुल अभारित[3] मूल्य (औसत)	कुल भारित[4] मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ					
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		26,231.40		31,465.82
	नकद बहिर्गमन				
2	खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा, जिसमें :				
	(i) स्थायी जमा	47,362.84	2,368.14	46,753.56	2,337.68
	(ii) कम स्थायी जमा	70,365.39	7,036.54	67,081.64	6,708.16
3	असुरक्षित थोक निधीयन, जिसमें :				
	(i) परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) गैर–परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	29,422.25	11,768.90	26,103.30	10,441.32
	(iii) असुरक्षित ऋण	14,520.11	14,520.11	15,649.21	15,649.21
4	सुरक्षित थोक निधीयन		3.06		0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें :				
	(i) व्युत्पन्नी एक्सपोजर्स से संबंधित बहिर्गमन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं	24.78	24.78	72.96	72.96
	(ii) ऋण उत्पादों पर कोष की हानि संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00	0.00	0.00
	(iii) ऋण और चलनिधि सुविधा	22,235.73	3,066.92	19,031.00	1,684.09
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	112.15	199.25	0.00	0.00
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	20,014.62	1,018.53	18,620.47	931.02
8	**कुल नकद की बहिर्गमन**		**40,006.22**		**37,824.45**
	नकद का आगमन				
9	रक्षित उधार (उदाहरण रिवर्स रेपो)	5,153.21	5,153.21	3,219.96	3,219.96
10	पूर्णरूप से निष्पादन एक्सपोजरों से आगमन	20,285.90	13,868.55	18,771.86	12,671.79
11	अन्य नकद आगमन	13.59	13.59	10.28	10.28
12	**कुल नकद आगमन**	**25,452.70**	**19,035.36**	**22,002.10**	**15,902.03**
			समायोजित कुल मूल्य		**समायोजित कुल मूल्य**
13	**कुल एचक्यूएलए**		**26,231.40**		**31,465.82**
14	**कुल निवल नकद बहिर्गमन**		**20,970.86**		**21,922.41**
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		**125.08%**		**143.53%**

c) Deferred Tax Liability on HTM Securities:

As advised by Reserve Bank of India, the Bank has decided to recognize Deferred Tax Liability (DTL) in respect of difference in valuation of HTM securities between accounting income and taxable income. The Bank has provided an amount of ₹545.85 Crores towards the same as on 31.03.2016. Similarly, following the opinion of Expert Advisory Committee (EAC) of ICAI, the Bank has recognized Deferred Tax Asset (DTA) on the difference in the provision for Non-Performing Assets as per the books and as per income tax and DTA of ₹594.24 Crores has been recognized as on 31.03.2016.

9. LIQUIDITY COVERAGE RATIO

A) Quantitative Disclosures (₹ in crores)

		Current year		Previous Year	
		Total Unweighted[3] Value (average)	Total Weighted[4] Value (average)	Total Unweighted[3] Value (average)	Total Weighted[4] Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		26,231.40		31,465.82
	Cash Outflows				
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:				
	(i) Stable deposits	47,362.84	2,368.14	46,753.56	2,337.68
	(ii) Less stable deposits	70,365.39	7,036.54	67,081.64	6,708.16
3	Unsecured wholesale funding, of which:				
	(i) Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) Non-operational deposits (all counterparties)	29,422.25	11,768.90	26,103.30	10,441.32
	(iii) Unsecured debt	14,520.11	14,520.11	15,649.21	15,649.21
4	Secured wholesale funding		3.06		0.00
5	Additional requirements, of which				
	(i) Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	24.78	24.78	72.96	72.96
	(ii) Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
	(iii) Credit and liquidity facilities	22,235.73	3,066.92	19,031.00	1,684.09
6	Other contractual funding obligations	112.15	199.25	0.00	0.00
7	Other contingent funding obligations	20,014.62	1,018.53	18,620.47	931.02
8	**Total Cash Outflows**		**40,006.22**		**37,824.45**
	Cash Inflows				
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	5,153.21	5,153.21	3,219.96	3,219.96
10	Inflows from fully performing exposures	20,285.90	13,868.55	18,771.86	12,671.79
11	Other cash inflows	13.59	13.59	10.28	10.28
12	**Total Cash Inflows**	**25,452.70**	**19,035.36**	**22,002.10**	**15,902.03**
			Total Adjusted Value		**Total Adjusted Value**
13	**TOTAL HQLA**		**26,231.40**		**31,465.82**
14	**Total Net Cash Outflows**		**20,970.86**		**21,922.41**
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**125.08%**		**143.53%**

बी. गुणात्मक प्रकटीकरण:

1. एल सी आर में योगदान हेतु मुख्य संचालक एस एल आर की आवश्यकता में अधिक तरल निवेश, आर बी आई द्वारा उपलब्ध, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसलिटी (सीमांत/अल्प स्थायी सुविधा) और एल सी आर के लिए उपलब्ध तरलता की सुविधा है। जमा मुख्य बहिर्गमन है। परिपक्वता पूर्व विकल्प के बिना सावधि जमाराशियों की स्वीकृति से एक अवधि पर उसके अनुपात में सुधार आएगा।
2. ब्याज दर परिदृश्य में परिवर्तन होने से एल सी आर भी बदल जाता है और ऋण में भी वृद्धि होती है।
3. उच्च गुणवत्ता तरल आस्ति (एच क्यू एल ए) में मुख्यत: नकद, अतिरिक्त सी आर आर, अतिरिक्त एस एल आर की आवश्यकता में सरकारी प्रतिभूतियाँ, उपलब्ध एम एस एफ सुविधा, एल सी आर के लिए उपलब्ध तरलता की सुविधा आदि शामिल होते हैं।
4. निधीयन स्त्रोत मुख्य रूप से खुदरा जमा, गैर वित्तीय कॉर्पोरेट द्वारा जमा, अन्य वैध संस्थाओं द्वारा निधीयन पर संकेंद्रित है।
5. बैंक के पास संतुलित व्युत्पन्नी एक्सपोजर है और एल सी आर को उसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान संपार्श्विक मांगे भी महत्वपूर्ण नहीं है।
6. भारतीय रुपया महत्वपूर्ण मुद्रा है तथा अन्य मुद्रा में एलसीआर का महत्व नहीं है।
7. निवेश समिति उच्च स्तरीय समिति है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक तथा महत्वपूर्ण विभागों; जैसे ट्रेजरी (राजकोष), जोखिम प्रबंधन, ऋण एवं आयोजना आदि के महा प्रबंधकों को शामिल किया जाता है। यह समिति प्राय: दैनिक आधार पर एवं तत्काल आवश्यकता पडने पर बैठती है। निवेश समिति की महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य बैंक की निवेश स्थिति एवं निधियों की समीक्षा है। इस बैठक के दौरान तरलता स्थिति एवं प्रक्षेपित नकद का आगमन और बहिर्गमन पर चर्चा की जायेगी। तरलता के केन्द्रीकरण का स्तर ऊँचा होता है एवं समूह की ईकाइयों के बीच का संप्रेषण भी प्रभावकारी होता है।
8. बैंक के पास एल सी आर की गणना के उद्देश्य से अन्य कोई महत्वपूर्ण नकद आगमन एवं बहिर्गमन विलोपित नहीं है।

10.लेखाकरण मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानकों (जहाँ तक लागू हो) के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

i) उक्त अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पिछली अवधि की मदें तथा लेखाकरण नीति में परिवर्तन (एएस 5):

अनुसूची 14 – ''अन्य आय – विविध आय'' में ₹20.75 करोड़ रकम शामिल है, जो 2014-15 के दौरान प्रभारित अधिक मूल्यह्रास के पर्यावर्तन की रकम है और यह पूर्ववर्ति अवधि से संबंधित है (पिछले वर्ष: शून्य)

ii) मूल्यह्रास के लिए लेखाकरण (एएस 6):

प्रत्येक वर्ग के आस्तियों के लिए वर्ष में किए गए कुल मूल्यह्रास का विश्लेषण: (₹ करोड़ में)

आस्ति का वर्ग	31.03.2016		31.03.2015	
परिसर	**66.09**		34.13	
घटाएं : पुर्नमूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास	**58.43**	**7.66**	28.09	6.04
फर्नीचर और जुड़नार		**56.69**		52.38
कंप्यूटर एवं यूपीएस		**134.93**		128.15
कुल		**199.28**		**186.57**
कुल (सकल)		**257.71**		**214.66**

iii) राजस्व की पहचान (एएस 9):

अनुसूची – 17, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अंतर्गत लेखाकरण नीति सं. 8 के अनुसार आय की कुल मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण उनको उगाही के आधार पर पहचान की गयी है ।

B) Qualitative Disclosures:

1. The main drivers for the contribution to the LCR are Excess liquid investments over the SLR requirement, the marginal standing facility (MSF) available from RBI and the facility to avail liquidity for LCR. Major outflows are the Deposits. Promotion of acceptance of Term Deposits without pre-mature option will improve the ratio over a period.
2. The LCR would undergo change due to change in the interest rate scenario, likely pick up in the credit etc.
3. High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of Cash, Excess CRR, Government securities in excess of SLR requirements, Available MSF facility, facility to avail liquidity for LCR.
4. Mainly the funding sources are concentrated with the retail deposits, Deposits from non-financial corporate and funding from other legal entities.
5. Bank has modest derivative exposures and it's contribution to the LCR is not significant. Currently potential collateral calls are not significant.
6. Major currency is INR and the LCR in other currency is not significant.
7. Investment Committee is the top level committee, comprising of Chairman and Managing Director, Executive Directors and the General Managers from significant departments like Treasury, Risk Management, Credit and Planning etc. This committee meets preferably on daily basis and as may be required depending upon the urgency. One of the major functions of the Investment committee is to review the Funds and Investment position of the Bank. The liquidity position and the projected cash inflow and the outflows will be discussed during this meeting.

   The degree of centralization of liquidity management is high and the communication between the group's units is high.
8. Bank does not have any other major cash inflows and outflows omitted for the purpose of LCR computation.

10. DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)

The disclosures under Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (to the extent applicable) are given below:

i) Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (AS 5):

The Schedule 14 – "Other Income – Miscellaneous Income" includes an amount of ₹20.75 Cr. being the reversal of excess depreciation charged during the year 2014-15, as it pertains to prior period. (Previous Year: Nil).

ii) Accounting for Depreciation (AS 6):

Break up of total depreciation for the year for each class of assets: (₹ in crores)

Class of Assets	31.03.2016		31.03.2015	
Premises	**66.09**		34.13	
Less: Dep. on revalued portion	**58.43**	**7.66**	28.09	6.04
Furniture and Fixtures		**56.69**		52.38
Computers and UPS		**134.93**		128.15
TOTAL		**199.28**		**186.57**
TOTAL (GROSS)		**257.71**		**214.66**

iii) Revenue Recognition (AS 9):

As per Accounting Policy no. 8, given in Schedule – 17, Significant Accounting Policies, certain items of income are recognised on realisation basis on account of statutory requirement or on account of materiality.

iv) विदेशी विनिमय दर में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11):

ए) वर्ष के लिए लाभ/हानि के तहत निवल लाभ में ₹9.44 करोड़ (पिछले वर्ष के लिए ₹37.98 करोड़ की हानि) की हानि भी शामिल है जिसे विदेशी मुद्रा आस्ति व देयताएं के ए एस 11 मूल्यांकन के कारण, विनिमय में अंतर के तहत दर्ज किया गया।

बी) विनियामक निदेशों के अनुसार, फोरेक्स आस्तियों और देयताओं से संबंधित लेखाकरण मानक (ए.एस. 11) का पालन किया गया ताकि तुलन-पत्र में इसका उचित और सही प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

v) कर्मचारी लाभ (एएस 15):

आई सी ए आई द्वारा जारी किया गया एएस 15 के अनुसार बैंक ने कर्मचारी लाभों का लेखांकन किया है।

परिनिश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की प्रारंभिक शेष और इतिशेष का समाधान और वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रत्येक मद पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् है:

ए) तुलन-पत्र का मुख्य बीमांकिक अनुमान (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	निधिक पेंशन	निधिक उपदान	गैर-निधिक छुट्टी का नकदीकरण
बट्टा दर	8.40%	8.40%	8.40%
प्रत्याशित वेतन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%	5.00%
आस्तियों पर प्राप्ति	8.40%	8.40%	NA

बी) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन-प्रारंभिक और अंतिम शेष का मिलान (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) वर्ष के आरंभ में पी वी ओ	**5,360.18**	**979.10**	**457.38**
बी) जोडें: ब्याज लागत	416.61	74.09	36.13
सी) जोडें: चालू सेवा लागत	513.52	45.81	46.12
डी) घटाएं : प्रदत्त लाभ	801.17	193.95	54.41
ई) जोडें: दायित्व पर बीमांकित हानि/ लाभ प्राप्ति(-)	264.73	86.28	47.40
एफ) वर्ष के अंत में पी वी ओ	**5,753.87**	**991.33**	**532.62**

सी) नियोजित आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन - प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष का मिलान (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के आरंभ में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	**5,263.27**	**955.36**
बी) जोडें: नियोजित आस्तियों पर प्रत्याशित आय	442.11	80.25
सी) जोडें: अंशदान	732.42	112.54
डी) घटाएं: प्रदत्त लाभ	801.16	193.95
ई) जोडें: बीमांकित लाभ/(-)हानि	16.16	-0.06
एफ) वर्ष के अंत में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	**5,652.80**	**954.14**

डी) तुलन-पत्र में पहचानी गई रकम

(₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के अंत पर देयता का वर्तमान मूल्य	5,753.87	991.33
बी) वर्ष के अंत पर नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	5,652.80	954.16
सी) अंतर	-101.07	-37.17
डी) पहचान न की गई संव्यवहार देयता	0.00	0.00
ई) तुलन-पत्र में पहचानी गई देयता	**-101.07**	**-37.17**

iv) Effects of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11):

a) The net profit for the year includes an amount of loss of ₹9.44Crores {₹ 37.98 Cr. of Loss for the previous year} being the profit/loss booked under difference in Exchange on account of AS-11 valuation of FX Assets & Liabilities.

b) In terms of Regulatory directives, Accounting Standard (AS 11) in respect of Forex Assets and Liabilities has been implemented to ensure a fair and true disclosure of the value of the same in the Balance-Sheet.

v) Employee Benefits (AS 15):

The Bank has accounted for employee benefits as per AS 15 issued by the ICAI.

A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligations and the effects during the period attributable to each of the following is as under:

a) Principal Actuarial Assumptions at the Balance Sheet

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	FUNDED PENSION	FUNDED GRATUITY	UNFUNDED LEAVE ENCASHMENT
Discount Rate	8.40%	8.40%	8.40%
Expected Salary Escalation Rate	5.00%	5.00%	5.00%
Return on Assets	8.40%	8.40%	NA

b) Changes in the Present Value of the Obligations (PVO) - Reconciliation of opening and closing balances (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) **PVO as at the beginning of the year**	**5,360.18**	**979.10**	**457.38**
b) Add: Interest Cost	416.61	74.09	36.13
c) Add: Current Service Cost	513.52	45.81	46.12
d) Less: Benefits Paid	801.17	193.95	54.41
e) Add: Actuarial loss/gain(-) on obligation	264.73	86.28	47.40
f) **PVO as at the end of the year**	**5,753.87**	**991.33**	**532.62**

c) Changes in the Fair Value of plan assets - Reconciliation of opening and closing balance (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) **Fair Value of plan assets at the beginning of the year**	**5,263.27**	**955.36**
b) Add: Expected Return on Plan Assets	442.11	80.25
c) Add: Contributions	732.42	112.54
d) Less: Benefits Paid	801.16	193.95
e) Add: Actuarial gain / (-) loss	16.16	-0.06
f) **Fair Value of Plan Assets at the end of the year**	**5,652.80**	**954.14**

d) Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) Present Value of obligation at the end of the year	5,753.87	991.33
b) Fair value of plan assets at the end of the year	5,652.80	954.16
c) Net	-101.07	-37.17
d) Unrecognised transitional liability	0.00	0.00
e) **Liability Recognised in the Balance Sheet**	**-101.07**	**-37.17**

ई) लाभ एवं हानि खाते में पहचाना गया व्यय (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) चालू सेवा लागत	513.52	45.81	46.13
बी) ब्याज लागत	416.61	74.10	36.13
सी) घटाएं: योजना अस्तियों पर प्रत्याशित आय	442.11	80.25	-
डी) निवल बीमांकित हानि/लाभ (–)	248.56	86.34	47.40
लाभ एवं हानि लेखा खाते में पहचाना गया व्यय	**736.58**	**126.00**	**129.66**

एफ) तुलन–पत्र में पहचानी गई देयता का परिचालन (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
प्रारंभिक निवल देयता	96.91	23.74	0.00
लाभ एवं हानि खाते में पहचाने गए व्यय	736.58	126.00	129.66
दिए गए अंशदान	732.42	112.55	0.00
अंतिम निवल देयता	101.07	37.19	129.66
वर्षांत पर शेषनिधि/प्रावधान	**5,753.87**	**991.33**	**532.62**

e) Expense Recognized in the Profit and Loss Account (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) Current Service Cost	513.52	45.81	46.13
b) Interest Cost	416.61	74.10	36.13
c) Less: Expected Return on Plan Assets	442.11	80.25	-
d) Net Actuarial Loss / Gain(-)	248.56	86.34	47.40
Expenses Recognised in Profit & Loss Account	**736.58**	**126.00**	**129.66**

f) Movement in the Liability Recognized in Balance Sheet (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
Opening Net Liability	96.91	23.74	0.00
Expenses recognised in Profit & Loss Account	736.58	126.00	129.66
Contributions Paid	732.42	112.55	0.00
Closing Net Liability	101.07	37.19	129.66
Closing Fund/Provision at the end of year	**5,753.87**	**991.33**	**532.62**

vi) खण्डवार रिपोर्टिंग (एएस 17)/Segment Reporting (AS 17)

भाग ए : कारोबार खंड/Part A: Business Segments (₹ करोड़ में/₹ in crores)

कारोबार खण्ड/Business Segments	कोष/Treasury		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग/ Corporate / Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग/Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल/Total	
विवरण/Particulars	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY
राजस्व/Revenue	***6,913***	***6,232***	***9,005***	***11,057***	***9,457***	***6,165***	***331***	***253***	***25,706***	***23,708***
परिणाम/Result	945	1,087	1,553	1,943	1,631	1,083	57	45	4,187	4,159
अनांबटित लाभ/Unallocated Expenses	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	(5,208)	2,180
अनांबटित आय/Unallocated Income	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	17
आय कर/Income Tax	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	622	473
असाधारण लाभ/हानि/Extraordinary Profit / Loss	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
शुद्ध लाभ/Net Profit	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	(1,643)	1,523
अन्य सूचना/Other Information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खण्डवार आस्तियां/Segment Assets	79,918	69,340	1,42,882	1,42,826	58,486	59,894	24,274	29,467	3,05,560	3,01,527
अनाबंटित आस्तियां/Unallocated Assets	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	2,407	1,608
कुल आस्तियां/Total Assets	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	3,07,967	3,03,135
खण्डवार देयताएं/Segment Liabilities	77,071	66,707	1,37,791	1,37,403	56,402	57,619	23,409	28,348	2,94,673	2,90,077
अनाबंटित देयताएं/Unallocated Liabilities	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
कुल देयताएं/Total Liabilities	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	2,94,673	2,90,077

चालू वर्ष/CY – Current Year/ पिछला वर्ष/PY – Previous Year

भाग बी – भौगोलिक खंड (₹ करोड़ में)

	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व	24,764	22,693	942	1,015	25,707	23,725
आस्तियां	2,72,120	2,63,978	35,847	39,157	3,07,967	3,03,135

जहाँ आवश्यक समझा गया हो वहाँ पिछली अवधि/वर्ष के आंकडों को पुन: वर्गीकृत/समूहित किया गया ताकि समीक्षाधीन अवधि के साथ उसकी तुलना की जा सके।

vii) संगत पार्टी प्रकटीकरण (एएस 18)

ए) संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध

ए) अनुषंगी:
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहायक संस्थाएं:
प्रथमा बैंक
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

सी) प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक एवं उनके पारिश्रमिक

प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	पदनाम	अवधि	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ता (₹ लाख में)	
			2015-16	2014-15
श्री अरुण श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	15.05.2015 से	17.82	-
श्री टी. के श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	01.09.2013 से	21.99	18.91
श्री आर. एस. पाण्डेय	कार्यपालक निदेशक	10.03.2015 से	17.62	0.95
कुल			**57.43**	**19.86**

डी) संबद्ध पार्टी लेन-देन (₹करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक के संबंधी	कुल
1.	बकाया उधार	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
2.	बकाया जमा	0.22	0.01	0.23
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.23	0.01	0.24
3.	बकाया निवेश	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
4.	बकाया अग्रिम	0.23	0.38	0.61
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.29	0.39	0.68
5.	गैर निधिक प्रतिबद्धता	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
6.	पट्टे/एच-पी व्यवस्था ली गई	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
7.	पट्टे/एच-पी व्यवस्था प्रदान किया गया	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
8.	ब्याज प्रदत्त	0.01	-	0.01
9.	ब्याज प्राप्त	0.02	0.04	0.06
10.	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते	0.57	-	0.57
11.	सेवाएँ दी गई	-	-	-
12.	सेवाएँ ली गई	-	-	-
13.	संविदाओं के प्रबंध	-	-	-
14.	कोई अन्य प्राप्य	-	-	-
15.	कोई अन्य देय	-	-	-

नोट: एएस 18 के पैरा 9 '' संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण'' जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को अपने से संबंधित पार्टियों सहित अपने संव्यवहारों के बारे में किसी प्रकार का प्रकटीकरण से छूट देता है जो कि वे भी राज्य द्वारा नियंत्रित है ।

Part B: Geographic Segments (₹ in crores)

	Domestic		International		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Revenue	24,764	22,693	942	1,015	25,707	23,725
Assets	2,72,120	2,63,978	35,847	39,157	3,07,967	3,03,135

Figures of the previous period/year have been reclassified/regrouped wherever considered necessary to make them comparable with the period under review.

vii) Related Party Disclosures (AS 18):

(A) Names of Related Parties and their Relationship:

a) Subsidiary:
Syndbank Services Limited

b) Associates:
Prathama Bank
Karnataka Vikas Grameena Bank
Andhra Pragathi Grameena Bank

c) Key Management Personnel and their remuneration:

Key Management Personnel	Designation	Period	Remuneration and other allowances (in lakhs)	
			2015-16	2014-15
Sri Arun Shrivastava	Managing Director & CEO	From 15.05.2015	17.82	-
Sri T. K. Srivastava	Executive Director	From 01.09.2013	21.99	18.91
Sri R. S. Pandey	Executive Director	From 10.03.2015	17.62	0.95
TOTAL			**57.43**	**19.86**

d) Related Party Transactions (₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	TOTAL
1.	Borrowings outstanding	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
2.	Deposits outstanding	0.22	0.01	0.23
	Maximum during the year	0.23	0.01	0.24
3.	Investments outstanding	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
4.	Advances outstanding	0.23	0.38	0.61
	Maximum during the year	0.29	0.39	0.68
5.	Non funded commitments	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
6.	Leasing /HP arrangements availed	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
7.	Leasing /HP arrangements provided	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
8.	Interest paid	0.01	-	0.01
9.	Interest received	0.02	0.04	0.06
10.	Remuneration and other allowances	0.57	-	0.57
11.	Rendering of services	-	-	-
12.	Receiving of services	-	-	-
13.	Management of contracts	-	-	-
14.	Any other receivable	-	-	-
15.	Any other payable	-	-	-

Note: The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of Para 9- of AS 18 "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled.

viii) प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
लाभ एवं हानि खाते (ए) के अनुसार निवल लाभ (₹ हजार में)	**-1643,48,56**	1522,95,83
ईक्विटी शेयरों (बी) की भारित औसत संख्या	**66,22,81,923**	62,46,87,301
आमदनी प्रतिशेयर (रुपयों में) (सी = ए/बी)	**-24.82**	24.38
अंकित मूल्य प्रतिशेयर (₹)	**10.00**	10.00

ix) आयकर का लेखाकरण (एएस 22)

बैंक ने एएस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार डी.टी.ए./डी.टी.एल. का निवल शेष ₹424.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹339.74 करोड़) था जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

आस्थगित कर आस्तियां	31-03-2016	31-03-2015
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	**184.33**	155.46
पुन:संरचित आस्तियों पर ब्याज के लिए प्रावधान	**195.96**	313.44
अचल आस्ति के डब्ल्यू डी वी में अंतर	**(7.84)**	8.28
प्रावधानों के प्रति समय के अंतर के कारण	**594.24**	0.00
अन्य	**76.85**	109.14
कुल	**1,043.54**	**586.32**

(₹ करोड़ में)

आस्थगित कर देयताएं	31-03-2016	31-03-2015
ब्याज उपचित हुआ परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं है।	**450.50**	470.54
धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षण	**471.92**	455.52
निवेशों पर मूल्यह्रास के कारण	**545.85**	-
कुल	**1,468.27**	**926.06**
निवल (डीटीए)/डीटीएल	**424.73**	**339.74**

x) अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस 25):

बैंक, भा.रि.बैं. परिपत्र सं.डी.बी.एस.ए.आर.एस.सं. बी.सी. 17/08.91.001/2002-03 दिनांक 5 जून, 2003 के अनुसार अपने खातों के त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित फार्मेट को अपना रहा है।

xi) आस्तियों की हानि (ए एस 28):

बैंक के प्रबंधन के विचारानुसार बैंक की कोई भी आस्तियों की हानि नहीं है ।

xii) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस 29)

प्रावधानों का चलन (अन्य प्रावधानों को छोडकर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	12.52	14.42
वर्ष के दौरान उपलब्ध	-9.08	0.11
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	2.01
अंतिम शेष	3.44	12.52
निधियों का बहिर्गमन/अनिश्चितताएँ	निपटान पर बहिर्गमन/परिणति	

लेखा परीक्षकों पर विश्वास करते हुए प्रबंधन द्वारा तैयार ।

11. अन्य प्रकटीकरण

ए) अपवादात्मक मद, जयपुर क्षेत्र में बैंक की तीन शाखाओं में पता लगाई गई भारी धोखाधड़ी की वजह से बट्टे खाते में डाली गई ₹882.65 करोड़ की रकम को निरूपित करती है, जो चार से भी अधिक वर्षों से चला आ रहा था। यह रकम ₹72.20 करोड़ के ब्याज प्रत्यावर्तन और ₹45.78 करोड़ की नकद जमाराशियों को घटाकर प्राप्त किया है। जाली प्रलेखों जैसे जाली गैर मौजूदा चेकों, एलसी एवं एलआईसी पालसियों के आधार पर होनेवाले लेन-देन को ध्यान में रखते हुए बैंक ने ऐसी रकम को ''अन्य आस्तियाँ कपटपूर्ण आहरण लंबित वसूली'' के रूप में वर्गीकृत किया और उसे अन्य व्ययों के अंतर्गत पूर्ण रूप से बट्टे खाते डाला गया।

viii) Earnings Per Share (AS 20):

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Net Profit as per Profit and Loss Account (A) (₹ in Thousands)	**-1643,48,56**	1522,95,83
Weighted Average Number of Equity Shares (B)	**66,22,81,923**	62,46,87,301
Earnings Per Share (EPS in ₹) (C= A/B)	**-24.82**	24.38
Face Value Per Share (₹)	**10.00**	10.00

ix) Accounting for Taxes on Income (AS 22):

The Bank has complied with the requirements of AS 22. The net balance of (DTA) / DTL as on March 31, 2016 amounting to ₹424.73Crores {P.Y. ₹339.74Crores} consists of the following:

(₹ in crores)

Deferred Tax Assets	31-03-2016	31-03-2015
Provision for Leave Encashment	**184.33**	155.46
Provision for Restructured Assets	**195.96**	313.44
Difference in WDV of Fixed Assets	**(7.84)**	8.28
On account of timing difference towards provisions	**594.24**	0.00
Others	**76.85**	109.14
Total	**1,043.54**	**586.32**

(₹ in crores)

Deferred Tax Liabilities	31-03-2016	31-03-2015
Interest accrued but not due on securities	**450.50**	470.54
Special Reserve u/s 36(1)(viii)	**471.92**	455.52
On account of depreciation on Investments	**545.85**	-
Total	**1,468.27**	**926.06**
Net (DTA)/DTL	**424.73**	**339.74**

x) Interim Financial Reporting (AS 25):

The Bank is adopting the format prescribed by the RBI for the purpose of quarterly return of its accounts as per RBI Circular No.: DBS.ARS. No.BC. 17/08.91.001/2002-03 dated June 5, 2003.

xi) Impairment of Assets (AS 28):

In the opinion of the Management of the Bank, there is no impairment of assets of the Bank.

xii) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS 29):

Movement of provisions (excluding provisions for other))

(₹ in crores)

Particulars	Legal Cases/ Contingencies	
	Current Year	Previous Year
Opening Balances	12.52	14.42
Provided during the year	-9.08	0.11
Amount used during the year	-	2.01
Closing Balance	3.44	12.52
Timing of Outflow/ uncertainties	Outflow on settlement / crystallization	

Prepared by the management and relied upon by the Auditors.

11. OTHER DISCLOSURES

a) Exceptional item represents Write Off of ₹882.65 Crores, on account of major fraud discovered at the three Branches of the Bank in Jaipur Region, which was spanning for more than four proceeding years. The amount is net of interest reversal of ₹72.20 Crores and available cash deposits of ₹45.78 Crores. In view of transactions being carried on the basis of fraudulent documents like, fake/non-existent cheques, LCs and LIC Policies, the Bank has classified such amount as "other Assets-Fraudulent Drawals Pending Recovery" and the same is fully written off under Other Expenses.

बी) प्रावधान और आकस्मिक व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**224.68**	(16.10)
एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	**3,638.37**	1,621.64
आय कर/संपत्ति कर आदि के लिए प्रावधान (समायोजन का निवल)	**621.94**	473.03
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय	**485.05**	405.78
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**409.80**	36.54
पुनर्रचित खातों के लिए प्रावधान	**(340.65)**	17.10
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	**140.00**	180.00
सा.छु. नकदीकरण के लिए प्रावधान	**75.24**	34.71
कर्मचारी कल्याण निधि	**20.00**	20.00
अशोध्य ऋण बट्टे खाते डालना	**83.12**	42.17
सेनवेट प्रत्यावर्तन के लिए प्रावधान	**37.01**	32.11
पिग्मी एजंट को देयता के लिए प्रावधान	**5.00**	38.74
घोखाघड़ी के मामलों के लिए प्रावधान	**21.43**	9.83
उपभोक्ता/दीवानी मुकदमों लिए प्रावधान	**-0.04**	2.52
अरक्षित विदेशी मुद्रा के लिए प्रावधान	**17.00**	35.00
अन्य प्रावधान (अतिरिक्त प्रावधानों का प्रत्यावर्तन)	**17.14**	(42.94)
कुल	**4,970.04**	**2,484.35**

सी) अस्थायी प्रावधान के संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
ए) अस्थायी प्रावधान लेखे में प्रारंभिक शेष	**102.21**	204.42
बी) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	**0.00**	0.00
सी) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	**0.00**	102.21
डी) अस्थायी प्रावधान लेखे में इतिशेष	**102.21**	102.21

डी) भा.रि.बैं. द्वारा लगाए गए दंड

वर्ष के दौरान, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (पिछला वर्ष कुछ नहीं) की धारा 46(4) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया है ।

ई) आरक्षित निधियों से आहरण किए गए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधियाँ	आहरित राशि		उद्देश्य
		31.03.2016	31.03.2015	
1.	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	–	316.24	चूंकि यह स्थाई अंतर के रूप में लिया जाता है अत: मानक आस्ति के प्रत्यावर्तन हेतु डीटीए का प्रावधान किया गया है।

एफ) ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	31-03-2016	31-03-2015
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**143**	236
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	**5,060**	4,833
3.	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	**4,841**	4,926
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	**362**	143

जी) बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले

क्र. सं.	विवरण	31-03-2016	31-03-2015
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**31**	41
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले	**610**	601
3.	वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले	**602**	611
4.	वर्ष के अंत में लंबित मामले	**39**	31

b) Provisions and Contingencies:

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Provision for depreciation on investment	**224.68**	(16.10)
Provision towards NPA	**3,638.37**	1,621.64
Provision towards Income Tax, Wealth Tax (Net of Adjustments)	**621.94**	473.03
Other provisions and contingencies	**485.05**	405.78
Provision towards Standard Assets	**409.80**	36.54
Provision for Restructured Accounts	**(340.65)**	17.10
Provision for Wage Revision	**140.00**	180.00
Provision for PL Encashment	**75.24**	34.71
Staff Welfare Fund	**20.00**	20.00
Bad Debts written off	**83.12**	42.17
Provision for Cenvat Reversal	**37.01**	32.11
Provision for Gratuity liability of Pigmy Agents	**5.00**	38.74
Provision for Fraud Cases	**21.43**	9.83
Provision for Consumer/Civil Cases	**-0.04**	2.52
Provision for Unhedged Foreign Currency	**17.00**	35.00
Reversal of Excess provisions	**17.14**	(42.94)
Total	**4,970.04**	**2,484.35**

c) Movement of Floating Provision

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
(a) Opening Balance in the floating provision account	**102.21**	204.42
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	**0.00**	0.00
(c) Amount of draw down made during the accounting year	**0.00**	102.21
(d) Closing Balance in the floating provision account	**102.21**	102.21

d) Penalties imposed by RBI

During the year no penalty was imposed by RBI on the Bank under section 46 (4) of the Banking Regulation Act, 1949. (Previous Year Nil).

e) Draw down from Reserves

(₹ in crores)

Sl. No.	Reserves	Amount Drawn		Purpose
		31.03.2016	31.03.2015	
1.	Revenue and Other Reserves	–	316.24	DTA created on provision for Standard Assets is reversed since it is treated as permanent difference.

f) Status of Customer Complaints

Sl. No.	Particulars	31-03-2016	31-03-2015
1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	**143**	236
2.	No. of complaints received during the year	**5,060**	4,833
3.	No. of complaints redressed during the year	**4,841**	4,926
4.	No. of complaints pending at the end of the year	**362**	143

g) Cases referred to Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	31-03-2016	31-03-2015
1.	Complaints Pending at the beginning of the year	**31**	41
2.	Cases referred to the Banking Ombudsman during the year	**610**	601
3.	Cases Disposed during the year	**602**	611
4.	Cases pending at the end of the year	**39**	31

एच) बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के प्रति पारित अधिनिर्णय

क्र. सं.	विवरण	31-03-2016	31-03-2015
1.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	0	0
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं.	11	9
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	9	9
4.	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	2	0

आई) ग्राहकों की शिकायतें–कार्ड सेंटर से संबंधित–ए टी एम संव्यवहारों के लिए पंजीकृत

क्र. सं.	विवरण	31-03-2016	31-03-2015
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**238**	360
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	**15,351**	12,353
3.	वर्ष के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या	**15,193**	12,475
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**396**	238

जे) बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

ए) अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

बैंक ने निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से यू.के. के एफ.एस.ए. (वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण) को वचन दिया है कि एफ.एस.ए. यू.के. की नयी चलनिधि प्रणाली के अंतर्गत लंदन शाखा (यदि आवश्यकता है तो) के ''संपूर्ण चलनिधि संशोधन'' के लिए किए गए आवेदन के संबंध में अपनी लंदन शाखा को हमेशा चलनिधि संसाधन उपलब्ध कराएगा ।

राजस्व एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, मुंबई ने, बैंक के निदेशक मंडल व अनुमोदन से यू.एस.डॉलर 75 मिलियन का चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया और यू.एस. डॉलर 100.00 मिलियन का प्रतिबद्धता पत्र (दि. 31.12.2016 तक वैध) जारी किया ।

बी) कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

शाखाओं ने अपने नैगम ग्राहकों की ओर से क्रेता को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से सिंडिकेटबैंक, लंदन शाखा के पक्ष में 31.03.2016 को ₹568.62 करोड़ तक के चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं । (पिछला वर्ष ₹65.26 करोड़)

कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता की साख पर उधार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा विदेशी बैंकों एवं भारत के बाहर स्थित विभिन्न भारतीय बैंकों की शाखाओं के पक्ष में जारी आश्वासन पत्र की रकम दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार ₹3105.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5664.91 करोड़) है ।

दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार हमारी शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र की सकल बकाया राशि ₹3674.53 करोड़ है । (पिछले वर्ष ₹5730.17 करोड़)

जब अंतर्निहित संपर्क संस्थाओं से/के आश्वासन पत्र की गुणवत्ता, साख श्रेणी/वैश्विक श्रेणी, प्रतिभूतियाँ, संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ और उपलब्ध प्रति–गारंटी का ध्यान रखा जाता है तब आश्वासन पत्र जारी करने के कारण वित्तीय प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है।

के) बीमा कारोबार

वर्ष 2015 - 16 के दौरान बैंकाश्योरेन्स कारोबार से प्राप्त आय ₹1,461.22 लाख है जबकि पिछले वर्ष ₹1,288.52 लाख था । इसमें ₹556.47 लाख (पिछले वर्ष ₹615.71 लाख) की राशि जीवन बीमा कारोबार से है और ₹904.75 लाख (पिछले वर्ष ₹ 672.81 लाख) की राशि गैर जीवन बीमा कारोबार से है ।

एल) जमाराशियों, अग्रिमों, उधार तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

ए) जमाराशियों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	49,547.04	47,966.69
बैंक की कुल जमाराशियों में 20 बड़े जमाकर्ताओं की प्रतिशतता	18.93%	18.78%

h) Awards passed against the Bank by the Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	31-03-2016	31-03-2015
1	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
2	No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year	11	9
3	No. of awards implemented during the year	9	9
4	No. of unimplemented Awards at the end of the year	2	0

i) Customer Complaints – Related to Card Centre – Registered for ATM Transaction

Sl. No.	Particulars	31-03-2016	31-03-2015
1	No. of complaints pending at the beginning of the year	**238**	360
2	No. of complaints received during the year	**15,351**	12,353
3	No. of complaints redressed during the year	**15,193**	12,475
4	No. of complaints pending at the end of the year	**396**	238

j) Letters of comfort issued by the Bank

(a) Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at LONDON by International Division, Mumbai & Branches.

The Bank has given an undertaking to FSA (Financial Services Authority) of U.K. with approval from the Board of Directors / RBI, that it will make available liquidity resources at all times to its London Branch (if needed) in connection with application made for "Whole form liquidity modification" of the London Branch under the new liquidity regime of FSA U.K.

Treasury and International Banking Department, Mumbai issued Letter of Comfort amounting to USD 75.00 Mio and also issued a letter of commitment amounting to USD 100.00 Mio (valid upto 31-12-2016) with approval from the Board of Directors of the Bank.

(b) Letters of Comforts issued by our Branches for the purpose of providing Buyer's Credit facility to Corporate Clients:

Branches have issued Letters of Comfort on behalf of their corporate customers in favour of SyndicateBank, London Branch for providing Buyer's Credit, to the extent of ₹568.62 Crores as on 31-03-2016 (Previous Year ₹65.26 Crores).

Letters of Comfort issued by the Branches for the purpose of providing buyers credit facility to corporate clients, in favour of various Foreign Banks and Indian Banks' Branches outside India, is ₹3105.91 Crores as on 31-03-2016 (Previous Year ₹5664.91 Crores).

The Outstanding Gross Amount of Letters of Comfort issued by our Branches as at 31-03-2016 stands at ₹ 3674.53 Crores (Previous Year ₹ 5730.17 Crores).

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings / World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of / from the underlying reference entities are taken into account.

k) Insurance Business

The total income from the Bank assurance Business during the year 2015 - 16 is ₹1,461.22 Lakhs as against ₹1,288.52 Lakhs in the previous year. This comprises of ₹556.47 Lakhs (PY ₹615.71 Lakhs) from Life Insurance business and ₹904.75 Lakhs (PY ₹ 672.81 Lakhs) from Non-Life Insurance business.

l) Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs.

A. CONCENTRATION OF DEPOSITS (₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Total Deposits of twenty largest depositors	49,547.04	47,966.69
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	18.93%	18.78%

बी) अग्रिमों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
20 बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	**25,277.11**	39,112.91
बैंक के कुल अग्रिमों में 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों की प्रतिशतता	**11.16%**	15.62%

सी) निवेश का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल निवेश	**30,438.07**	39,358.73
उधारकर्ताओं/ग्राहकों को मूल कंपनी द्वारा किए गए निवेश में 20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के उधार की प्रतिशतता	**11.01%**	15.41%

डी) आंतरिक–समूह एक्सपोजर (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
आंतरिक–समूह एक्सपोजर की कुल राशि	**1,826.27**	शून्य
20 बड़ी आंतरिक–समूह एक्सपोजर की कुल राशि	**1,826.27**	शून्य
उधारकर्ता/ग्राहक पर बैंक के कुल एक्सपोजर में आंतरिक–समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	**0.66%**	शून्य
आंतरिक–समूह एक्सपोजर एवं विनियामक कार्यवाही में सीमाओं के भंग होने के विवरण	**शून्य**	शून्य

ई) अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
चार बड़े एन.पी.ए. खातों को दिए गए कुल उधार	**3,483.93**	890.00

एम) क्षेत्रवार अग्रिम (₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	क्षेत्र*	31-03-2016			31-03-2015		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एन पी ए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एन पी ए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एन पी ए का प्रतिशत
ए	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	**29,898.86**	**1,536.06**	**5.14**	26,205.38	1,254.05	4.79
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के योग्य उद्योग क्षेत्रों को अग्रिम	**8,435.10**	**534.77**	**6.34**	5,807.88	374.92	6.46
3	सेवाएँ	**16,278.06**	**818.82**	**5.03**	14,107.36	575.35	4.08
4	वैयक्तिक ऋणों	**11,865.97**	**503.14**	**4.24**	11,215.44	485.41	4.33
	उप–जोड (ए)	**66,477.99**	**3,392.79**	**5.10**	57,336.06	2,689.73	4.69
बी	**गैर–प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग	**46,722.50**	**8,297.80**	**17.76**	55,396.69	2,371.12	4.28
3	सेवाएँ	**43,704.76**	**1,099.14**	**2.51**	47,761.59	245.43	0.51
4	वैयक्तिक ऋण	**49,544.03**	**1,042.43**	**2.10**	45,309.53	1,136.10	2.51
	उप–जोड (बी)	**1,39,971.28**	**10,439.37**	**7.46**	1,48,467.81	3,752.65	2.53
	कुल (ए+बी)	**2,06,449.27**	**13,832.16**	**6.70**	2,05,803.87	6,442.38	3.13

एन) अनर्जक आस्तियों का संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
वर्ष के प्रारंभ में सकल अनर्जक आस्तियां	**6,442.38**	4,611.13
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	**12.200.54**	5,499.97
उप–जोड (ए)	**18,642.92**	**10,111.10**
घटाएं:		
i) स्तरोन्नयन	**2,120.77**	1,527.09
ii) वसूलियां (स्तरोन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	**1,260.29**	1,087.11
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते लिखना	**1,344.26**	1,006.54
iv) उपरोक्त के (iii) के अंतर्गत उल्लेखित मदों को छोड़कर अन्य बट्टे खाते लिखे गए मामलें	**85.44**	47.98
उप–जोड़ (बी)	**4,810.76**	**3,668.72**
वर्ष के अंत में सकल अनर्जक आस्तियां (ए–बी)	**13,832.16**	**6,442.38**

B. CONCENTRATION OF ADVANCES (₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Total Advances to twenty largest borrowers	**25,277.11**	39,112.91
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	**11.16%**	15.62%

C. CONCENTRATION OF EXPOSURES (₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	**30,438.07**	39,358.73
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	**11.01%**	15.41%

D. INTRA-GROUP EXPOSURES (₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Total amount of intra-group exposures	**1,826.27**	Nil
Total amount of top-20 intra-group exposures	**1,826.27**	Nil
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	**0.66%**	Nil
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon	**Nil**	Nil

E. CONCENTRATION OF NPAs (₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Total Exposure to top four NPA accounts	**3,483.93**	890.00

m) Sector-wise Advances (₹ in crores)

Sl. No.	Sector*	31.03.2016			31.03.2015		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	**29,898.86**	**1,536.06**	**5.14**	26,205.38	1,254.05	4.79
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	**8,435.10**	**534.77**	**6.34**	5,807.88	374.92	6.46
3	Services	**16,278.06**	**818.82**	**5.03**	14,107.36	575.35	4.08
4	Personal loans	**11,865.97**	**503.14**	**4.24**	11,215.44	485.41	4.33
	Sub-total (A)	**66,477.99**	**3,392.79**	**5.10**	57,336.06	2,689.73	4.69
B	**Non Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2	Industry	**46,722.50**	**8,297.80**	**17.76**	55,396.69	2,371.12	4.28
3	Services	**43,704.76**	**1,099.14**	**2.51**	47,761.59	245.43	0.51
4	Personal loans	**49,544.03**	**1,042.43**	**2.10**	45,309.53	1,136.10	2.51
	Sub-total (B)	**1,39,971.28**	**10,439.37**	**7.46**	1,48,467.81	3,752.65	2.53
	Total (A+B)	**2,06,449.27**	**13,832.16**	**6.70**	2,05,803.87	6,442.38	3.13

n) Movement of NPAs (₹ in crores)

PARTICULARS	31-03-2016	31-03-2015
Gross NPAs at the beginning of the year	**6,442.38**	4,611.13
Additions (Fresh NPAs) during the year	**12.200.54**	5,499.97
Sub Total (A)	**18,642.92**	**10,111.10**
Less:		
(i) Upgradations	**2,120.77**	1,527.09
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	**1,260.29**	1,087.11
(iii) Technical/Prudential Write-offs	**1,344.26**	1,006.54
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	**85.44**	47.98
Sub Total (B)	**4,810.76**	**3,668.72**
Gross NPAs at the end of the year **(A - B)**	**13,832.16**	**6,442.38**

ओ) विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन का संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
वर्ष के प्रारंभ में विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों में प्रारंभिक शेष	**5,070.46**	4,462.41
जोड़े : वर्ष के दौरान विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन	**1,344.26**	1,006.54
उप–जोड़ (ए)	**6,414.72**	**5,468.95**
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों से की गई वसूलियाँ (बी)	**764.77**	398.49
वर्ष के अंत में इतिशेष (ए–बी)	**5,649.95**	**5,070.46**

पी) विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियां और राजस्व (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
कुल आस्तियां	**39,552.18**	41,230.25
कुल अनर्जक आस्तियां	**1,858.28**	538.14
कुल एनपीआई	**0.00**	0.00
कुल राजस्व	**942.22**	1,014.89

क्यू) तुलन–पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी. (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

आर) प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है चूँकि बैंक ने किसी एस पी वी का प्रायोजकत्व नहीं किया है ।

एस) अचल आस्तियाँ

बैंक के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी, प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख मूल कंपनी के पास हैं।

वर्ष 2015-16 (पिछला पुनर्मूल्यांकन वर्ष 2011-12 में किया गया है) के दौरान, बैंक स्वामित्व के परिसर का अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है। वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी आस्तियों का पुर्नमूल्यन किया और पुर्नमूल्य से प्राप्त ₹752.23 करोड़ अधिशेष को ''पुर्नमूल्यन आरक्षित निधि'' में जोड़ा गया। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर वर्ष के लिए किए गए अतिरिक्त मूल्यह्रास की कुल राशि ₹58.35 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया।

टी) अंतर शाखा लेन–देन, अन्य बैंकों सहित खातों का समाशोधन एवं अन्य संयोजन जो समाधान के विभिन्न स्तरों पर होने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन की राय में ऐसे समाधान से होनेवाले वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं होगा ।

यू) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरुकता निधि में अंतरण (डीईएएफ) (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15
डीईएएफ को अंतरण के लिए प्रारंभिक शेष राशि	**376.90**	0.00
जोड़े: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	**38.69**	380.92
घटाएं: डीईएएफ द्वारा दावे के माध्यम से प्रतिपूरित राशियां	**3.64**	4.02
डीईएएफ को अंतरित इतिशेष राशि	**411.95**	376.90

वी) अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर :

संस्थाओं के अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर न केवल एकल संस्था से संबद्ध है बल्कि पूरी वित्तीय प्रणाली से संबंधित क्षेत्र है। वैसी संस्थाएँ, जो अपनी विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का बचाव नहीं करते हैं, विनिमय संचालन द्वारा बड़ी हानियाँ उठाती हैं। इस प्रकार की हानियाँ बैंकिंग प्रणाली द्वारा की जानेवाली ऋण चुकौती की क्षमता को कम करती है और यह बैंकिंग प्रणाली की स्थिति को प्रभावित करती है।

o) Movement of Technical/Prudential Write-offs (₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at the beginning of the year	**5,070.46**	4,462.41
Add : Technical / Prudential write-offs during the year	**1,344.26**	1,006.54
Sub-total (A)	**6,414.72**	**5,468.95**
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year **(B)**	**764.77**	398.49
Closing balance as at the end of the year **(A-B)**	**5,649.95**	**5,070.46**

p) Overseas Assets, NPAs and Revenue (₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Total Assets	**39,552.18**	41,230.25
Total NPAs	**1,858.28**	538.14
Total NPIs	**0.00**	0.00
Total Revenue	**942.22**	1,014.89

q) Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

r) The disclosures relating to Securitisation is not applicable since the Bank has not sponsored any SPVs.

s) Fixed Assets

In respect of certain premises of the Bank, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Bank holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

The bank owned premises have been revalued during the year 2015-16 (last revaluation done in the year 2011-12) at value determined based upon the appraisal by the approved valuers. During the year the Bank has revalued its assets and the surplus arising from the revaluation amounting to ₹752.23 Crores is added to the "Revaluation Reserve".Additional depreciation for the yearaggregating to ₹58.35 Crores on the revalued assets has been adjusted to the revaluation reserves.

t) Inter Branch transactions, clearing and other adjustment accounts, including with other Banks, which being an on-going process are at various stages of reconciliation. In the opinion of the management, there will not be any material impact on the financial statements arising out of such reconciliation.

u) Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ in crores)

Particulars	FY 2015-16	FY 2014-15
Opening balance of amounts transferred to DEAF	**376.90**	0.00
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	**38.69**	380.92
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	**3.64**	4.02
Closing balance of amounts transferred to DEAF	**411.95**	376.90

v) Unhedged Foreign Currency Exposure :

Unhedged foreign currency exposures of the entities are an area of concern not only for individual entity but also to the entire financial system. Entities who don't hedge their foreign currency exposures can incur significant losses due to exchange rate movements. These losses may reduce their capacity to service the loans taken from the banking system and thereby affect the health of the banking system.

1. **अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के खाते की बढ़ोतरी प्रावधान की गणना विधि :**
बढ़ोतरी प्रावधान और पूँजी आवश्यकताओं की गणना हेतु निम्न विधियाँ है :

ए) **अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की राशि का निर्धारण (यू एफ सी ई) :**
विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का संदर्भ उधारकर्ता के तुलन पत्र के सभी मदों के सकल राशि से है जिनका प्रभाव विदेशी विनिमय दर के संचलन के कारण लाभ और हानि खातों पर पड़ता है।
एक-दूसरे के प्रभावकारी प्रतिरक्षित कारको (मदों) को यू एफ सी ई वर्जित कर सकती है। इस उद्देश्य से वित्तीय प्रतिरक्षा और प्राकृतिक प्रतिरक्षा को संदर्भित किया जा सकता है। वित्तीय प्रतिरक्षा (हेज) साधारणत : वित्तीय संस्था से साथ व्युत्पन्न संविदा द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा (नेचुरल हेज) का मतलब यह है कि जब कम्पनी के परिचालनों के बाहर नकदी का प्रवाह होता है तब विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के बाहर प्रतितुलन जोखिम होती है।

बी) **संभाव्य हानि की सीमा का आकलन :**
यूएसडी-आई एन आर विनिमय दर के संचलन के मामले में संस्था को हुई हानि का परिकलन वार्षिकीकृत अस्थिरता का उपयोग करते हुए किया गया। इस उद्देश्य के लिए पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान यूएसडी-आई एन आर दरों में हुई सबसे बड़ी वार्षिक अस्थिरता को प्रतिकूल दिशा में यूएसडी-आई एन आर दर के संचलन के रूप में लिया गया।

संभाव्य हानि = यूएफसीई * पिछले 10 वर्षों की अवधि में सबसे बड़ी वार्षिक अस्थिरता

सी) **अप्रतिरक्षित स्थिति के जोखिम का आकलन :**
यदि एक बार हानि के आंकडे का परिकलन किया जाता हो तो उसकी तुलना सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित घटकों के अद्यतन त्रैमासिक परिणाम के अनुसार वार्षिक ई बी आई डी के साथ की जाए। हानि का परिकलन ई बी आई डी की प्रतिशतता के रूप में किया जाता है। यह प्रतिशतता जितनी अधिक होगी संस्था के प्रतिकूल विनिमय दर संचलन की संभावना उतनी अधिक होगी। अतएव, ऐसी संस्थाओं के सभी एक्सपोजरों पर निम्नानुसार वृद्धिशील पूँजी और प्रावधान करना होगा:

संभाव्य हानि/ई बी आई डी (%)	मानक आस्ति प्रावधान के अतिरिक्त वृद्धिशील प्रावधान	वृद्धिशील पूँजी
15% तक	0	0
> 15% से 30% तक	20 बी पी एस	0
> 30% से 50% तक	40 बी पी एस	0
> 50% से 75% तक	60 बी पी एस	0
> 75%	80 बी पी एस	आर डब्ल्यू ए में 25% वृद्धि

डी) **वृद्धिशील प्रावधान**
यह प्रावधान, मानक प्रावधान के अतिरिक्त होगा। यू एफ सी ई पर वृद्धिशील प्रावधान की संकलित रकम का प्रावधान, जून 2014 को समाप्त तिमाही से किया गया है ।

उपलब्ध डाटा और उपलब्ध वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त धोषणा पत्र, के आधार पर बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र सं. डी बी ओ डी सं. बी पी 85/21.06.200/2013-14, दिनांक 15, जनवरी 2014 और स्पष्टीकरण परिपत्र सं. डी बी ओ डी सं. बी पी बी सी 116/21.06.200/2013-14, दिनांक 03.06.2014 को अनुसार अपने घटकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर ₹52 करोड़ की देयता का आकलन किया है। तदनुसार बैंक ने मार्च 31, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 17.00 करोड़ का वृद्धिशील प्रावधान किया है।

डब्ल्यू) **पिछले वर्ष के आंकड़े**
पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

I. **Methodology of computation of Incremental provision on account of Unhedged Foreign Currency Exposure:**
For calculating the incremental provisioning and capital requirements, the following methodology is followed:

a) **Ascertainment of the amount of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE):**
Foreign Currency Exposure (FCE) refers to the gross sum of all items on the balance sheet of the borrowers that have impact on profit and loss account due to movement in foreign exchange rates.
UFCE may exclude items which are effective hedge of each other. For this purpose, both financial hedge and natural hedge can be considered. Financial hedge is ensured normally through a derivative contract with a financial institution. Natural hedge may be considered when cash flows arising out of the operations of the company offset the risk arising out of the foreign currency exposure.

b) **Estimation the extent of likely loss:**
The loss to the entity in case of movement in USD-INR exchange rate is calculated using the annualised volatilities. For this purpose, largest annual volatility seen in the USD-INR rates during the period of last ten years is taken as the movement of the USD-INR rate in the adverse direction.
Likely loss = UFCE * Highest annual volatility of last ten years

c) **Estimation of the risk of unhedged position**
Once the loss figure is calculated, it is compared with the annual EBID as per the latest quarterly results of the constituents certified by the statutory auditors. This loss is computed as a percentage of EBID. Higher this percentage, higher will be the susceptibility of the entity to adverse exchange rate movements. Therefore, as a prudential measure, all exposures to such entities would attract incremental capital and provisioning requirements (i.e., over and above the present requirements) as under:

Likely Loss/ EBID (%)	Incremental Provision over the Standard Asset provision	Incremental Capital
Upto 15%	0	0
> 15% to 30 %	20 bps	0
> 30% to 50 %	40 bps	0
> 50% to 75 %	60 bps	0
> 75 %	80 bps	25% increase in RWA

d) **Incremental Provision**
This provision is over and above the standard provision requirement. This aggregated amount of the incremental provision on account of UFCE has been provided starting with the quarter ending June-2014.

Based on the available data, available financial statements and the declaration from borrowers wherever received, the Bank has estimated the liability of ₹52.00 Crores on Unhedged Foreign Currency Exposure of its constituents in terms of RBI circular no.DBOD no.BP.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and clarification vide Circular no.DBOD.NO.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 03.06.2014. Accordingly the Bank has made incremental provision for the year ended March 31, 2016 of ₹ 17.00 Crores.

w) **Previous year figures**
Previous year figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

(₹ हजार में/₹ in thousands)

	विवरण/Particulars	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015
ए. A.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	निवल लाभ/(हानि)/Net Profit/(Loss)	**-1643 48 55**	1522 93 09
	जोडिए/Add: कर प्रावधान/Tax Provision	**621 93 58**	473 03 14
	लाभ (हानि)/Profit/(Loss) कर के पहले/Before Taxes	**-1021 54 97**	1995 96 23
	Adjustments For: समायोजन के लिए		
	अचल आस्थियाँ में मूल्यह्रास/Depreciation on Fixed Assets	**199 28 61**	186 56 88
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचर सहित) Depreciation on Investments (Including on Matured Debentures)	**224 68 38**	-16 10 06
	बट्टा खाता डाले गए अशोध्य ऋण/अनर्जक आस्तियों संबंधी प्रावधान Bad Debts Written-Off/Provision In Respect of Non-Performing Assets	**3721 48 73**	1663 81 18
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision For Standard Assets	**69 15 49**	53 63 51
	अन्य मदो के लिए प्रावधान/Provision For Other Items (Net)	**332 77 65**	309 97 96
	अछल आस्तियों (नेट) की बिक्री पर (लाभ)/हानि /(Profit)/Loss on Sale of Fixed Assets (Net)	**82 55**	10 68
	अधीनस्थ नामें पर (पृथक मान लिया गया) ब्याज की अदायगी/प्रावधान Payment/Provision for Interest on Subordinated Debt (Treated Separately)	**451 54 86**	388 17 63
	अप्राप्य विदेशी विनिमय आरक्षण उतार-चढाव के लिए प्रावधान Adjustment for Unrealised Foreign Exchange Fluctuation Reserve	**11 51 27**	-49 14 15
	उप जोड/Sub Total	**3989 72 57**	4532 99 86
	समायोजन/Adjustments for:		
	(वृद्धि)/हानि निवेश/(Increase)/Decrease in Investments	**493 11 63**	-13784 18 61
	(वृद्धि)/हानि अग्रिम/(Increase)/Decrease in Advances	**-2439 31 50**	-30524 85 61
	(वृद्धि)/हानि अन्य आस्ति/(Increase)/Decrease in Other Assets	**-1051 51 12**	-328 55 61
	वृद्धि/(हानि) उधार/Increase/(Decrease) in Borrowings	**-2621 78 41**	6428 47 20
	वृद्धि/(हानि) जमाराशियाँ/Increase/(Decrease) in Deposits	**6347 24 69**	43044 79 26
	वृद्धि/(हानि) अन्य देयताएँ एवं प्रावधान/Increase/(Decrease) in Other Liabilities And Provisions	**-69 53 01**	-161 75 76
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी का निवल)/Direct Taxes Paid (Net of Refund)	**-710 00 00**	-731 00 00
	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (ए) Net Cash From Operating Activities (A)	**3937 94 85**	8475 90 73
बी. B.	**निवेश गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	अचल आस्तियों का क्रय/अंतरण / Purchase/Transfer in of Fixed Assets	**-304 78 03**	-354 28 91
	निवेश गतिविधियों में उपयोग किया निवल नकद Net Cash used in Investing Activities (B)	**-304 78 03**	-354 28 91
सी. C.	**वित्तीयन गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:**		
	शेयर पूँजी/Share Capital	**41 31 24**	37 47 45
	शेयर अप्लिकेशन रकम लंबित आबंटन/Share Application Money Pending Allottment	**740 00 00**	-
	शेयर प्रीमियम/Share Premium	**175 61 92**	422 52 55
	असुरक्षित अधीनस्थ बंधपत्र/Unsecured Subordinated Bonds	**1620 00 00**	850 00 00
	लाभांश कर सहित लाभांश प्रदत्त Dividend Paid including Dividend Tax	**-374 51 54**	-219 21 98
	असुरक्षित अधीनस्त बंधपत्रों पर प्रदत्त/प्रदेय ब्याज/Interest Paid / Payable on Unsecured Subordinated Bonds	**-451 54 86**	-388 17 63
	वित्तीयन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (सी) Net Cash From Financing Activities (C)	**1750 86 76**	702 60 39
	नकद एवं नकद तुल्य में निवल वृद्धि/Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	**5384 03 58**	8824 22 21

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

(₹ हजार में/₹ in thousands)

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016		31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015	
I.	**वर्ष के प्रारंभ में शेष Balances at the beginning of the Year**				
	भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with R.B.I.	**11974 53 81**		12711 99 20	
	बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**11856 81 02**	**23831 34 83**	2295 13 42	15007 12 62
II.	**वर्ष के अंत में शेष Balances at the end of the Year**				
	भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with R.B.I.	**13338 55 74**		11974 53 81	
	बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**15876 82 67**	**29215 38 41**	11856 81 02	23831 34 83
III.	**वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR**		**5384 03 58**		8824 22 21
	नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Cash Flow				

जी मोहन राव/G MOHAN RAO
उप महा प्रबंधक /Dy. General Manager

आई पी नागराज राव/I P NAGARAJA RAO
महा प्रबंधक/General Manager

आर एस पाण्डेय/R S PANDEY
कार्यपालक निदेशक/Executive Director

टी के श्रीवास्तव/T K SRIVASTAVA
कार्यपालक निदेशक/Executive Director

अरुण श्रीवास्तव/ARUN SHRIVASTAVA
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/MANAGING DIRECTOR & CEO

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र/AUDITORS' CERTIFICATE

हम, सिंडिकेटबैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों ने, बैंक (''समूह'') के 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के उपर्युक्त नकदी उपलब्धता विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 32 की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया गया है और यह तत्संबंधी लाभ और हानि लेखे में प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट में शामिल बैंक के तुलन-पत्र पर आधारित है और उससे मेल खाता है।

We, the undersigned Statutory Central Auditors of the SyndicateBank, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2016. The Statement has been prepared in accordance with the requirements of Clause 32 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges and is based on and is in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our Report.

कृते गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **Ganesan and Company**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 000859एस/S

(वी जयचंदर)
साझेदार
(V Jayachander)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 23394

कृते मणियन एंड राव
सनदी लेखाकार
For **Manian & Rao**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 001983एस/S

(श्रीकांत आर)
साझेदार
(Srikanth R)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 203138

कृते मेसर्स पी जी भागवत
सनदी लेखाकार
For **M/S P G Bhagwat**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 101118डब्ल्यू/W

(संदीप राव)
साझेदार
(Sandeep Rao)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 047235

कृते एस एन कपूर एंड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
For **S N Kapur & Associates**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 001545सी/C

(एस एन कपूर)
साझेदार
(S N Kapur)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 014335

कृते अगस्ती एंड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
For **Agasti & Associates**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 313043ई/E

(बी अगस्ती)
साझेदार
(B Agasti)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 051026

स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru
दिनांक/Date : 17.05.2016

समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

सेवा में

सिंडिकेटबैंक के निदेशक मंडल

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने सिंडिकेटबैंक (दि ग्रुप) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण तथा उसके साथ प्राप्त 31 मार्च 2016 की स्थिति में तुलन पत्र, समेकित लाभ व हानि लेखा तथा ततसंबंधी वर्षांत के समेकित नकदी उपलब्धता विवरण और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का लेखा-परीक्षण किया। इसमें निम्न जानकारी शामिल है।

   ए) हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट दि. 17 मई 2016 के अंतर्गत सिंडिकेटबैंक (दि बैंक) की वित्तीय विवरणियों का लेखा-परीक्षण किया गया।

   बी) बैंक के अपने लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित ऋण सहायता की वित्तीय विवरणियाँ, 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार जिनकी वित्तीय विवरणियों में ₹10.22 करोड़ की कुल आस्तियाँ तथा ततसंबंधी वर्षांत के लिए ₹5.55 करोड़ के कुल राजस्व प्रतिबिंबित होते हैं।

2. हमने 3 एसोसिएट की गैर लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणीयों को विश्वास में लिया है जिनकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ₹38.586 करोड़ की कुल आस्तियाँ तथा ₹3429 करोड़ का कुल राजस्व प्रतिबिंबित होता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

3. इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी का दायित्व प्रबंधन का है। इससे निष्पत्र और सही दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होता है कि ग्रुप की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकद प्रवाह, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों और भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखा मानकों का अनुपालन करने के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुरूप है। इस दायित्व के अंतर्गत वित्तीय विवरण की तैयारी से संबंधित उसकी संरचना, कार्यान्वयन आंतरिक नियंत्रण कायम रखना शामिल है जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबद्ध है। इससे सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होता है कि ये विवरण जालसाजी या त्रुटि की वजह से जो भी स्थिति हो भौतिक अथथार्था विवरण देने से मुक्त हैं।

Independent Auditors' Report on the Consolidated Financial Statements

To

The Board of Directors of Syndicate Bank

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of SYNDICATE BANK ("the Group"), which comprise the Consolidated Balance Sheet as on March 31, 2016, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which the following are incorporated:

   a. The financial statements of SYNDICATE BANK (The Bank), audited by us, vide our audit report dated May 17, 2016.

   b. The financial statements of the lone Subsidiary audited by its auditors, whose financial statements reflect total assets of ₹10.22 crores as on March 31, 2016 and total revenue of ₹5.55 crores for the year then ended.

2. We have also relied on the unaudited financial statements of the 3 Associates whose financial statements reflect total assets of ₹38,586 crores as on March 31, 2016 and total revenue of ₹ 3429 crores.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

3. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the Banking Regulation Act, 1949, complying with Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

लेखा–परीक्षकों का दायित्व

4. हमारा दायित्व है कि अपनी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करे। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानक के अनुसार हमने, लेखा–परीक्षा की है। उन मानदंडों के अनुसार हम नीतिगत अपेक्षाओं का पालन करते हैं, तथा योजनानुसार लेखा–परीक्षा करवाते हैं ताकि इससे यथोचित आश्वासन प्राप्त कर सकें कि समेकित वित्तीय विवरण, भौतिक अथथार्थ कथन से मुफ्त हैं।

5. लेखा–परीक्षा के अंतर्गत रकम तथा वित्तीय विवरणों के स्पष्टीकरण से संबंधित लेखा–परीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। अपनाई गई प्रक्रिया लेखा–परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें यह भी शामिल है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय गलत तरीके से विवरण प्रस्तुत तो नहीं किया गया है जो भले ही धोखाधडीवश हो या भूलवश, और इन बातों से संबंधित जोखिमों का भी निर्धारण करना पड़ता है। इस प्रकार के जोखिमों का निर्धारण करते समय लेखा–परीक्षक, बैंक से संबंधित आंतरिक नियंत्रण तथा वित्तीय विवरणों के सही ढंग से प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित ढंग से लेखा–परीक्षा प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जा सकें। इससे यथार्थथा और निष्पक्षता प्रतिबिंबित हो सके अपनाई गई लेखा नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन करना तथा ग्रुप द्वारा तैयार किए गए लेखा आकलनों की उपयुक्तता और इसके साथ–साथ समेकित वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण भी लेखा–परीक्षा में शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें जो लेखा–परीक्षा साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं वे लेखा–परीक्षा राय देने के लिए हमें पर्याप्त हैं।

राय

6. हमारी राय तथा उत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं उपर्युक्तानुसार वित्तीय विवरणों के संबंध में अन्य लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने पर, सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखासिद्धांतों की अनुरूपता में समेकित वित्तीय विवरण वास्ताविक और निष्पक्ष प्रतिबिंबित होते हैं:

ए) समेकित तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ''समूह'' के कार्य स्वरूप के आधार पर;

बी) समेकित लाभ–हानि खाते के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ''समूह'' के नुकसान के आधार पर, तथा;

Auditors' Responsibility

4) Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

5) An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected, depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Group's preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on consideration of the report of the other auditors on the financial statements as noted above, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as on March 31, 2016;

b) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the loss of the Group for the year ended on that date and

सी) समेकित नकद प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ''समूह'' के नकद प्रवाह के आधार पर।

विषयवस्तु का महत्व

7. अपनी राय देने से पूर्व, जालसाजी के कारण, ₹882.65 करोड़ को बट्टे खाते डालने संबंधी नोट 14 (ए) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं।

c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7) Without qualifying our report we draw attention to Note 14(a) disclosing write off of ₹882.65 Crores on account of fraud.

कृते **गणेशन एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 000859एस

वी जयचंदर
साझेदार
सदस्यता सं.: 023394

कृते **मणियन एंड राव**
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 001983एस

श्रीकांत आर
साझेदार
सदस्यता सं.: 203138

कृते मेसर्स **पी जी भागवत**
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 101118डब्ल्यू

संदीप राव
साझेदार
सदस्यता सं.: 047235

कृते **एस एन कपूर एंड एसोसिऐट्स**
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 001545सी

एस एन कपूर
साझेदार
सदस्यता सं.: 014335

कृते **अगस्ती एंड एसोसिऐट्स**
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 313043ई

बी अगस्ती
साझेदार
सदस्यता सं.: 051026

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 17.05.2016

For GANESAN AND COMPANY
Chartered Accountants
FRN : 000859S

V. JAYACHANDER
Partner
Membership No. 023394

For MANIAN & RAO
Chartered Accountants
FRN : 001983S

SRIKANTH R
Partner
Membership No. 203138

For M/S P G BHAGWAT
Chartered Accountants
FRN : 101118W

SANDEEP RAO
Partner
Membership No. 047235

For S N KAPUR & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN : 001545C

S N KAPUR
Partner
Membership No. 014335

For AGASTI & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN : 313043E

B AGASTI
Partner
Membership No. 051026

Place : Bengaluru
Date : 17.05.2016

31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन–पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2016

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

पूंजी एवं देयताएँ **CAPITAL & LIABILITIES**	अनुसूची सं. Schedule No.	**As on दि. 31.03.2016 को**	As on दि. 31.03.2015 को
पूंजी/Capital	1	**703 37 16**	662 05 92
शेयर आवेदन मुद्रा बकाया आबंटन/Share Application Money Pending Allotment		**740 00 00**	
आरक्षित निधि और अधिशेष / Reserves and Surplus	2	**13010 31 18**	13644 17 71
जमाराशियाँ/Deposits	3	**261726 23 65**	255380 06 00
उधार/Borrowings	4	**25501 20 09**	26502 98 50
अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	**7652 22 84**	8185 34 63
योग/TOTAL		**309333 34 92**	304374 62 76
आस्तियाँ/ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**13338 55 74**	11974 53 81
बैंकों के पास शेषराशियाँ और माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**15876 82 67**	11856 81 02
निवेश/Investments	8	**69987 53 56**	70579 07 49
अग्रिम/Advances	9	**201368 48 99**	202719 81 71
अचल आस्तियाँ/Fixed Assets	10	**2406 96 52**	1608 41 97
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	11	**6354 97 44**	5635 96 76
योग/TOTAL		**309333 34 92**	304374 62 76
आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities	12	**81329 95 45**	132061 18 46
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		**6029 94 97**	4997 02 09
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts	18		

आर एस पाण्डेय
कार्यपालक निदेशक

टी के श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

अरुण श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ.

R S Pandey
Executive Director

T K Srivastava
Executive Director

Arun Shrivastava
Managing Director & CEO

आर एन दूबे
निदेशक

रुद्र नारायण कर
निदेशक

शंकरन भास्कर अय्यर
निदेशक

R N Dubey
Director

Rudra Narayan Kar
Director

Sankaran Bhaskar Iyer
Director

संजय अनंत मांजरेकर
निदेशक

जी रमेश
निदेशक

Sanjay Anant Manjrekar
Director

G Ramesh
Director

अतुल अशोक गलांडे
निदेशक

कमल किशोर सिंघल
निदेशक

Atul Ashok Galande
Director

Kamal Kishore Singhal
Director

जी मोहन राव
उप महा प्रबंधक

आई पी नागराज राव
महा प्रबंधक

G Mohan Rao
Dy. General Manager

I P Nagaraja Rao
General Manager

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 17.05.2016

Place : Bengaluru
Date : 17.05.2016

लाभ व हानि लेखा — PROFIT & LOSS ACCOUNT

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		अनुसूची सं. Schedule No.	**Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31.03.2016 को**	Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31.03.2015 को
I.	**आय/INCOME**			
	अर्जित ब्याज/Interest Earned	13	**23197 78 02**	21615 16 19
	अन्य आय/Other Income	14	**2509 36 56**	2109 84 87
	योग/TOTAL		**25707 14 58**	23725 01 06
II.	**व्यय/EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज/Interest Expended	15	**17212 40 40**	16094 24 56
	परिचालन व्यय/Operating Expenses	16	**5165 22 65**	3621 13 35
	प्रावधान और आकस्मिकताएँ/Provisions and Contingencies		**4971 01 94**	2485 11 76
	योग/TOTAL		**27348 64 99**	22200 49 67
III.	**लाभ/PROFIT**			
	वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/Net Profit for the year		**-1641 50 41**	1524 51 39
	आगे लाया गया लाभ/(हानि) / Profit / (Loss) brought forward		**0**	0
	अनुषंगी उद्यमों में आय का शेयर/Share of earning in Associates	19	**124 26 10**	139 56 20
	योग/TOTAL		**-1517 24 31**	1664 07 59
IV.	**विनियोजन/APPROPRIATIONS**			
	अंतरण/Transfer to:			
ए/A	सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve			380 73 27
बी/B	आरक्षित पूंजी/Capital Reserve		**48 15 26**	1 99 99
सी/C	राजस्व आरक्षित निधि/Revenue Reserve		**-1565 39 57**	641 46 25
डी/D	आयकर अधिनियम 1961 धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि/Special Reserve Under Section 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961			265 00 00
ई/E	**प्रस्तावित अंतिम लाभांश/Proposed Final Dividend**			311 16 98
एफ/F	अंतिम लाभांश पर कर/Tax on Final Dividend			63 71 10
	योग/TOTAL		**-1517 24 31**	1664 07 59
	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹10/- अंकित मूल्यवाले)/ Earnings Per Share (Face Value of ₹10 each)		**-22.91**	26.69
	मूल एवं मिश्रित (वार्षिकीकृत)/Basic and Diluted (Annualized)			
	महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां/Significant Accounting Policies	17		
	लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	18		

कृते गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 000859एस

(वी जयचंदर)
साझेदार
सदस्यता सं.: 23394

कृते एस एन कपूर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 001545सी

(एस एन कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं.: 014335

कृते मणियन एंड राव
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 001983एस

(श्रीकांत आर)
साझेदार
सदस्यता सं.: 203138

कृते अगस्ती एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 313043ई

(बी अगस्ती)
साझेदार
सदस्यता सं.: 051026

कृते मेसर्स पी जी भागवत
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 101118डब्ल्यू

(संदीप राव)
साझेदार
सदस्यता सं.: 047235

For **Ganesan and Company**
Chartered Accountants
FRN : 000859S

(V Jayachander)
Partner
Membership No. 23394

For **S N Kapur & Associates**
Chartered Accountants
FRN : 001545C

(S. N. Kapur)
Partner
Membership No. 014335

For **Manian & Rao**
Chartered Accountants
FRN : 001983S

(Srikanth R)
Partner
Membership No. 203138

For **Agasti & Associates**
Chartered Accountants
FRN : 313043E

(B Agasti)
Partner
Membership No. 051026

For **M/S P G Bhagwat**
Chartered Accountants
FRN : 101118W

(Sandeep Rao)
Partner
Membership No. 047235

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 17.05.2016

Place : Bengaluru
Date : 17.05.2016

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 1 : पूँजी/SCHEDULE – 1 : CAPITAL

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
प्राधिकृत पूँजी 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 **AUTHORISED CAPITAL: 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each**	**3000 00 00**	3000 00 00
I. **निर्गत, अभिदत्त, मांगी गई और प्रदत्त पूँजी**/ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED and PAID UP CAPITAL		
अथशेष/Opening Balance	**662 05 92**	624 58 46
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the Period	**41 31 24**	37 47 46
70,33,71,629 (पिछले वर्ष 66,20,59,172) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 70,33,71,629 (Previous Year 66,20,59,172) Equity Shares of ₹10/- each.	**703 37 16**	662 05 92
a) केंद्रीय सरकार द्वारा धारित/Held by Central Government 45,83,94,888 (पिछले वर्ष 45,83,94,888) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 45,83,94,888 (Previous year 45,83,94,888) Equity Shares of ₹10/- each.	**458 39 49**	458 39 49
b) जनता तथा अन्य द्वारा धारित/Held by Public and Others 24,49,76,741 (पिछले वर्ष 20,36,64,284) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10/- 24,49,76,741 (Previous Year 20,36,64,284) Equity Shares of ₹10/- each.	**244 97 67**	203 66 43
II. बेमीयादी गैर–संचयी अधिमान्य शेयर/Perpetual Non-Cumulative Preference Share	**0**	0
योग/TOTAL	**703 37 16**	662 05 92
शेयर आवेदन मुद्रा बकाया आबंटन (केंद्र सरकार) Share Application Money Pending Allotment (Central Government)	**740 00 00**	

अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष/SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2016 को		As on दि. 31.03.2015 को	
I. **सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	3383 01 82		3002 28 55	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year		3383 01 82	380 73 27	3383 01 82
II. **आरक्षित पूंजी/Capital Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	141 55 64		139 55 65	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	48 15 26	189 70 90	1 99 99	141 55 64
III. **शेयर प्रीमियम/Share Premium**				
अथशेष/Opening Balance	**1680 11 19**		1257 58 64	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**175 61 92**	**1855 73 11**	422 52 55	1680 11 19
IV. **पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**918 47 95**		946 56 91	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**752 22 81**			
	1670 70 76		946 56 91	
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	**58 34 74**	**1612 36 02**	28 08 96	918 47 95
V. **सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**581 16 40**		581 16 40	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**	**581 16 40**	0	581 16 40
VI. **राजस्व और अन्य आरक्षित निधि/Revenue and other Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**5531 10 83**		5213 77 53	
जोडें/(घटाएं): समेकन में आरक्षित राजस्व में परिवर्तन Add/(Less) : Changes in Revenue reserve on Consolidation	**1 99 98**		-7 89 15	
घटाएं: मानक आस्तियों के प्रावधान पर डीटीए का प्रत्यावर्तन/ Less: Reversal of DTA on provision for standard assets			316 24 00	
जोडें: अन्य समायोजन/Add: Other adjustments	**36 54**		20	
घटाएं: ए) पिछले वर्षों की कमियों को पूरा करने हेतु आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i)(viii) के अंतर्गत रखे गए विशिष्ट आरक्षित निधि में अंतरण Less: a) Transfer to Special Reserve created under Section 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961 to make good short creation for earlier years	**0**		0	
बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत वित्तीयवर्ष 2012-13 तक के लिए विशिष्ट आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता Less: b) Deferred Tax Liability on Special Reserve upto the Financial Year 2012-13 under Section 36 (1)(viii) of Income Tax Act, 1961	**0**		0	
	5533 47 35		4889 64 58	
जोडें: लाभ व हानि लेखे में अंतरण/Add: Transfer from Profit and Loss Account	**-1565 39 57**	**3968 07 78**	641 46 25	5531 10 83
VII. **विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि/Foreign Currency Translation Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**45 11 17**		94 25 32	
जोडें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustments during the year	**11 51 27**	**56 62 44**	-49 14 15	45 11 17
VIII. **विशिष्ट प्रारक्षित निधि/Special Reserve** **आय कर अधिनियम1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत** (Under Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)				
अथशेष/Opening Balance	**1363 62 71**		1098 62 71	
जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year				
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि से अंतरण/Transfer from Revenue and Other Reserves				
वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखे से अंतरण/Transfer from Profit and Loss Account for Financial Year		**1363 62 71**	265 00 00	1363 62 71
योग/TOTAL		**13010 31 18**		13644 17 71

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 3 : जमाराशियाँ/SCHEDULE – 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
ए/A. I.	**मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits**		
	i) बैंकों से/ From Banks	**53 39 88**	133 27 37
	ii) अन्यों से/ From Others	**15876 36 39**	17112 59 34
II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits**	**52048 71 23**	46467 30 34
III.	**सावधि जमाराशियाँ/Term Deposits**		
	i) बैंकों से/From Banks	**32562 08 50**	38678 07 06
	ii) अन्यों से/ From Others	**161185 67 65**	152988 81 89
	योग (ए)/TOTAL A (I+II+III)	**261726 23 65**	255380 06 00
बी/B. i)	भारत की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India	**235152 48 58**	225393 82 28
ii)	भारत के बाहर की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India	**26573 75 07**	29986 23 72
	योग/TOTAL	**261726 23 65**	255380 06 00

अनुसूची – 4 : उधार/SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
I.	**भारत में उधार/Borrowings in India**		
ए/a.	भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India	**5951 00 00**	9401 00 00
बी/b.	अन्य बैंक/Other Banks	**2772 71 69**	2520 98 12
सी/c.	अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ/Other Institutions and Agencies	**604 77 35**	583 77 43
डी/d.	नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आई.पी.डी.आई.) Innovative Perpetual Debt Instruments	**773 00 00**	773 00 00
ई/e.	अतिरिक्त टियर–I बांड/Additional Tier-I Bonds	**870 00 00**	0
एफ/f.	बेमियादी संचयी अधिमान्य शेयर (पी.सी.पी.एस.) Perpetual Cumulative Preference Shares	**0**	0
जी/g.	प्रतिदेय गैर–संचयी अधिमान्य शेयर (आर.एन.सी.पी.एस.) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares	**0**	0
एच/h.	प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आर.सी.पी.एस.) Redeemable Cumulative Preference Shares	**0**	0
आई/i.	गौण ऋण/Subordinated Debt	**5219 70 00**	4469 70 00
	योग/TOTAL	**16191 19 04**	17748 45 55
II.	**भारत के बाहर उधार/Borrowings Outside India**	**9310 01 05**	8754 52 95
	योग/TOTAL (I + II)	**25501 20 09**	26502 98 50
	उपरोक्त I और II में शामिल रक्षित उधार/Secured Borrowings included in I and II above	**5951 00 00**	9921 00 00

अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
I.	देय बिल/Bills Payable	**840 20 79**	916 55 75
II.	अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)		109 15 87
III.	उपचित ब्याज/Interest Accrued	**1359 07 37**	1158 35 70
IV.	मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान/Contingent Provision against Standard Assets	**1376 73 16**	966 92 99
V.	अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions)	**4076 21 52**	5034 34 32
	योग/TOTAL	**7652 22 84**	8185 34 63

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशि
SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
I. रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	**894 56 07**	726 42 34
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि Balances with Reserve Bank of India		
चालू खाते में/In Current Account	**12443 99 67**	11248 11 47
अन्य खातों में/In Other Accounts	**0**	0
योग/TOTAL	**13338 55 74**	11974 53 81

अनुसूची – 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
I. **भारत में/In India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
ए)/a) चालू खातों में/Current Accounts	**74 43 82**	62 94 15
बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**2527 91 79**	2246 20 25
ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice		
ए)/a) बैंकों के पास/with Banks	**11296 37 38**	5948 85 76
बी)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with Other Institutions	**0**	0
योग/Total	**13898 72 99**	8258 00 16
II. **भारत के बाहर/Outside India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
ए)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**56 70 18**	767 55 86
बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**1921 39 50**	2831 25 00
ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice	**0**	0
योग/Total	**1978 09 68**	3598 80 86
योग/TOTAL	**15876 82 67**	11856 81 02

अनुसूची – 8 : निवेश/SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
I. **भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)**	**69651 25 09**	70500 39 76
घटाएं: मूल्यह्रास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI	**439 08 62**	218 20 17
भारत में निवल निवेश/Net Investments in India	**69212 16 47**	70282 19 59
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**60027 41 60**	62217 66 24
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other Approved Securities	**90 50**	90 50
शेयर/Shares	**286 85 39**	333 49 60
डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**6008 10 02**	4351 91 39
अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/Subsidiaries and/or Associates	**1392 19 10**	1265 93 02
अन्य (वाणिज्यक पेपर, उद्यम पूँजी, सीओडी इत्यादी) /Others (Commercial Paper, Venture Capital, CODs etc.)	**1496 69 86**	2112 28 84
योग/ Total	**69212 16 47**	70282 19 59
II. **भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments Outside India (Gross)**	**775 37 09**	296 87 90
घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation		
भारत के बाहर शुद्ध निवेश/Net Investments Outside in India	**775 37 09**	296 87 90
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**0**	0
डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**775 37 09**	296 87 90
अन्य/Others	**0**	0
योग/Total	**775 37 09**	296 87 90
योग/TOTAL	**69987 53 56**	70579 07 49

अनुसूची – 9: अग्रिम/SCHEDULE – 9: ADVANCES

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

			As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
ए./A.	i)	खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills Purchased and Discounted	**1343 35 12**	2742 70 69
	ii)	नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**40944 70 70**	41246 04 84
	iii)	मीयादी ऋण/Term Loans	**159080 43 17**	158731 06 18
		योग/Total	**201368 48 99**	202719 81 71
बी./B.	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के विरुद्ध अग्रिम सहित)/Secured by tangible assets (Includes advances against book debts)	**145583 48 81**	141075 91 93
	ii)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank / Government Guarantees	**32322 68 77**	37772 97 61
	iii)	अरक्षित/Unsecured	**23462 31 41**	23870 92 17
		योग/Total	**201368 48 99**	202719 81 71
सी./C.	I)	**भारत में अग्रिम/Advances in India**		
		i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sector	**62552 13 82**	56092 13 32
		ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	**7574 09 35**	20201 73 45
		iii) बैंक/Banks	**4907 91 83**	2172 66 82
		iv) अन्य/Others	**88755 53 88**	83856 93 55
		योग/Total	**163789 68 89**	162323 47 14
	II)	**भारत के बाहर के अग्रिम/Advances outside of India**		
		i) बैंकों से देय/Due from Banks	**26563 54 43**	29320 63 67
		ii) अन्यों से देय/Due from others		
		ए)/a) खरीदे गए और बट्टागत बिल/ Bills Purchased and Discounted	**322 53 76**	212 08 33
		बी)/b) सिंडिकेटेड ऋण/Syndicated Loans	**5926 73 83**	6263 74 05
		सी)/c) अन्य/Others	**4765 98 08**	4599 88 52
		योग/Total	**37578 80 10**	40396 34 57
		योग ग (I + II)/TOTAL C (I + II)	**201368 48 99**	202719 81 71

अनुसूची – 10 : अचल आस्तियाँ/SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
I.	**परिसर/Premises**		
	पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर/At cost/Revaluation as on March 31, of the preceding year	**1264 90 31**	1236 34 42
	जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन (वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 752, 22,81,177.28 का पुनर्मूल्यांकन शामिल है) Add: Additions during the year (includes Revaluation of ₹ 752, 22,81,177.28 for the year 2015-16)	**808 27 70**	30 61 75
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the year	**1 79 54**	2 05 86
		2071 38 46	1264 90 31
	घटाएं: अब तक मूल्यहास/Less: Depreciation to date	**273 02 09**	208 67 04
	योग/Total	**1798 36 37**	1056 23 27
II.	**प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital work in progress**	**30 90 66**	97 63 79
III.	**अन्य अचल आस्तियाँ (फर्निचर और जुड़नार सहित)/Other Fixed Assets (Including Furniture and Fixture)**		
	पिछले वर्ष के मार्च 31की लागत पर/ At cost as on March 31, of the preceding year	**1383 20 81**	1154 23 40
	जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**315 55 91**	286 84 51
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the year	**54 10 01**	57 87 10
		1644 66 71	1383 20 81
	घटाएं: अब तक मूल्यहास/Less: Depreciation to date	**1066 97 22**	928 65 90
	योग/Total	**577 69 49**	454 54 91
	योग/TOTAL (I+II+III)	**2406 96 52**	1608 41 97

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ/SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**1 89 42**	0
II. उपचित ब्याज/Interest accrued	**1530 49 51**	1609 91 80
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/Tax deducted at source (net of provisions)	**2242 41 55**	2054 56 24
IV. लेखन सामग्री व स्टांप/Stationery and Stamps	**23 17 35**	21 46 62
V. दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यह्रास घटाकर) Non-banking assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation)	**3 14**	3 26
VI. अन्य/Others	**2556 96 47**	1949 98 84
योग/TOTAL	**6354 97 44**	5635 96 76

अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएँ/SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2016 को	As on दि. 31.03.2015 को
I. बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है Claims against the Bank not acknowledged as debts	**146 99 19**	130 79 54
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि Liability for partly paid Investments/venture funds	**23 16 17**	40 33 78
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	**46630 85 86**	98343 57 04
IV. ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantees given on behalf of Constituents		
ए)/a) भारत में/In India	**14372 26 88**	14252 52 51
बी)/b) भारत के बाहर/Outside India	**7 64**	7 40
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	**5652 37 70**	4664 84 95
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which Bank is contingently liable		
i) उन संविदाओं की अनुमानित रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाता है और जिन के लिए प्रावधान नहीं किया गया है/ Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account not provided for	**13 36 19**	15 48 32
ii) अन्य/Others	**14490 85 82**	14613 54 92
योग/TOTAL	**81329 95 45**	132061 18 46

अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज/SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	Year ended दि. 31.03.2016 को	Year ended दि. 31.03.2015 को
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	**17318 51 17**	16119 99 99
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	**5284 57 57**	4889 68 51
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	**593 65 38**	588 70 11
IV. अन्य/Others	**1 03 90**	16 77 58
योग/TOTAL	**23197 78 02**	21615 16 19

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 14 : अन्य आय/SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2016 को	Year ended दि. 31.03.2015 को
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage	**741 42 02**	882 72 42
II.	निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of Investments	**898 50 96**	657 22 27
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of Investments	**0**	-1972
III.	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of Land, Buildings & Other Assets	**89 72**	91 13
	घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि Less: Loss on sale of Land, Buildings & Other Assets	**-1 72 27**	-1 01 81
IV.	विनिमय लेन-देन पर लाभ/Profit on Exchange Transactions	**206 59 31**	116 52 37
	घटाएँ: विनिमय लेन-देन पर हुई हानि/ Less: Loss on Exchange Transactions	**-70 64 45**	-19 44 91
V.	लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of Dividends	**0**	0
VI.	विविध आय/Miscellaneous Income	**734 31 27**	473 13 12
	योग/TOTAL	**2509 36 56**	2109 84 87

अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज/SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2016 को	Year ended दि. 31.03.2015 को
I.	जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	**15995 11 28**	15007 14 76
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	**42 38 70**	46 97 68
III.	अन्य/Others	**1174 90 42**	1040 12 12
	योग/TOTAL	**17212 40 40**	16094 24 56

अनुसूची – 16: परिचालनगत व्यय/SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		Year ended दि. 31.03.2016 को	Year ended दि. 31.03.2015 को
I.	कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and Provisions for Employees	**2716 46 13**	2230 07 24
II.	किराया, कर और बिजली/ Rent, Taxes and Lighting	**297 88 59**	253 00 45
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**25 99 72**	25 66 80
IV.	विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	**31 27 58**	27 69 95
V.	बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Bank's Property	**199 30 28**	186 58 61
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses	**71 09**	1 27 92
VII.	लेखा परीक्षकों का शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	**30 89 47**	26 04 23
VIII.	विधि प्रभार/Law Charges	**5 26 18**	5 89 74
IX.	डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc.	**71 21 95**	83 18 30
X.	मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	**117 55 35**	92 27 36
XI.	बीमा/Insurance	**186 92 21**	167 04 59
XII.	अन्य व्यय/Other Expenditure **	**1481 74 10**	522 38 16
	योग/TOTAL	**5165 22 65**	3621 13 35

** Includes Exceptional Item of ₹ 882,64,80,235/- (Refer Schedule 18 - Point No. 14(a))

** ₹ 882,64,80,235/- (देखें : अनुसूचि 18 - मद सं. 14 (ए)) का आपवादिक मद शामिल है।

अनुसूची – 17

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ: 2015-2016

1. (ए) लेखांकन पद्धतियाँ

विदेशी कार्यालय सहित समूह के वित्तीय विवरणियों को पारंपरिक लागत पद्धति के अंतर्गत नवीन मामलों और सिद्धांतो का पालन करते हुए तैयार किया जाता है यदि अन्यथा वर्णन न हो। वे भारत में सामान्यतया अंगीकृत लेखांकन सिद्धातों (जी.ए.ए.पी.) के अनुरूप होते हैं, जो सांविधिक प्रावधानों, नियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी लेखांकन मानकों/दिशानिर्देश नोट से युक्त होते हैं और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धति, विदेशी कार्यालयों के मामले में, संबंधित देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं से अनुपालित होते हैं।

(बी) आकलन का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन से अपेक्षा है कि वे वित्तीय विवरण की तारीख को घोषित किए जाने वाले आस्तियों एवं देयताओं की राशि (आकस्मिक देयताएं सहित) और कथित अवधि के लिए घोषित आय एवं व्यय का अनुमान लगाएं तथा आकलन करें । प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी प्रकार का संशोधन चालू तथा आगामी अवधि के लिए प्रत्याशित माना जाएगा, बशर्ते कोई अन्यथा वर्णन न हो।

2. समेकन प्रक्रिया

बैंक और उसकी अनुषंगियों के समेकित वित्तीय विवरणों (सी एफ एस) को संबंधित वित्तीय विवरणों और इंस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई)/नेशनल एडवाइज़री कमिटी ऑन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स (एन ए सी ए एस) द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस) –21–''समेकित वित्तीय विवरणों'' के आधार पर तैयार किया गया है।

बैंक और उसके अनुषंगियों के वित्तीय विवरण को अंतर समूह लेन–देनों और अप्राप्त लाभ एवं हानि को हटाकर और आस्तियों, देयताओं, आय एवं खर्चों की रकमों को एक साथ जोडकर सिलसिलेवार तरीके से एकत्रित किया गया है और जहाँ भी उचित है वहाँ एक समान लेखाकरण नीतियों के अनुसार आवश्यक समायोजन किए गए हैं। अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक की रिपोर्टिंग तारीख पर तैयार किया जाता है।

समेकन तिथि को सहयोगी संस्थाओं में लंबी अवधि के निवेशों का मूल्यांकन ईक्विटी पद्धति के अनुसार किया जाता है और सहयोगी

SCHEDULE – 17

CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES: 2015 - 2016

1. (A) ACCOUNTING CONVENTIONS

The Consolidated Financial Statements of the Group including foreign office have been prepared following the going concern concept under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise statutory provisions, regulatory/Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India, in respect of foreign office, statutory provision and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

(B) USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Any revision to the accounting estimate is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

2. CONSOLIDATION PROCEDURE

Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank, its Subsidiary has been prepared on the basis of the financial statements and in accordance with Accounting Standard (AS) – 21 – "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)/National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS).

The financial statements of the Bank and its Subsidiary have been aggregated on a line by line basis by adding together like sums of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating intra group transactions and unrealized profit/ loss and making necessary adjustments wherever practicable, to conform to the uniform accounting policies. The financial statements of the Subsidiary are drawn up to the same reporting date as that of the parent.

Long term investment in Associates, as on the date of consolidation, is valued under the Equity method

संस्थाओं की निवल आस्तियों में मूल बैंक (निवेशक) के हिस्से में अभिग्रहणोत्तर परिवर्तन के लिए आई सी ए आई द्वारा जारी लेखाकरण मानक (ए एस) 23 ''सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में लेखाकरण'' के अनुसार बाद में निवेश की रखाव रकम का समायोजन किया जाता है। सहयोगी संस्थाओं के परिचालनों की प्राप्तियों में निवेशक के हिस्से को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में अलग रूप से दर्शाया गया है।

3. विदेशी मुद्रा संबंधी लेन–देन

3.1 भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों को अपनाया गया है ।

3.2 फॉरेक्स देयता युक्त सभी विदेशी मुद्रा लेन–देनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यू.ए.आर.) लागू करते हुए अभिलेखित किया गया है। जबकि सभी फॉरेक्स आस्तियों को प्रचलित बाज़ार दरों पर अभिलेखित किया गया है।

3.3 सभी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को वर्ष के अंतिम विनिमय दर पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को राजस्व के रूप में लिया गया है ।

3.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को, विनिर्दिष्ट परिपक्वता के लिए अधिसूचित विनिमय दरों तथा ''बीच की परिपक्वताओं'' वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों पर रिपोर्ट किया गया है । सीसीआईएल –ज़ीरो कूपन ईल्ड कर्व (ज़ेडसीवाईसी) दरों का प्रयोग करते हुए बाज़ार दर बाज़ार (एमटीएम) परिणामी को बट्टाकृत करके बाज़ार दर बाज़ार वर्तमान मूल्य पर लाया जाता है।

3.5 गारंटियों, वायदा संविदाओं, साख पत्रों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य दायित्वों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।

3.6 बैंक की विदेशी शाखा को ''गैर समाकलित विदेशी परिचालन'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

ए) विदेशी संचालनों की सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर–मौद्रिक दोनों, तथा आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।

बी) आय और व्यय का परिवर्तन त्रैमासिक औसत विनिमय दरों पर किया गया है।

सी) ए.एस. 11 के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी शाखा के निवल निवेश का निपटान होने तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि'' में जमा किया गया है ।

4. निवेश

4.1 **वर्गीकरण:**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश संविभाग को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

ए) **''परिपक्वता तक धारित''** (एचटीएम) निवेशों को परिपक्वता तक धारण करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। सहायक

and the carrying amount of the investment is adjusted thereafter for the post acquisition change in the parent's (Investor) share of net assets of the Associates in accordance with Accounting Standard (AS)23- "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI. The Investor's share of the results of operations of the Associates is reflected separately in the consolidated statement of Profit and Loss.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

3.1 Exchange rates as notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) are adopted.

3.2 All foreign currency transactions involving forex liabilities are recorded by applying weekly average rate (WAR), whereas all forex assets are recorded at ongoing market rates.

3.3 All the monetary assets and liabilities are reported at the end of the year at closing exchange rate and the resultant profit / loss is taken to revenue.

3.4 Outstanding Forward Exchange Contracts are reported at the exchange rates notified for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities". The resultant Marked to Market (MTM) is discounted to arrive at present value MTM by using CCIL- Zero Coupon Yield curve (ZCYC) rates.

3.5 Contingent liabilities on account of Guarantees, Forward Contracts, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated at the closing exchange rates.

3.6 Foreign Branch of the Parent Bank is classified as "Non-Integral Foreign Operation"

a) All assets and liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing exchange rates.

b) Income and Expenditure are translated at quarterly average exchange rates.

c) The resulting Exchange Difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign branch.

4. INVESTMENTS

4.1 **Classification:**

The Investment portfolio of the Bank is classified, in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, into:

a) "Held to Maturity" (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them

कंपनियों, संयुक्त उद्यम एवं उनकी सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित निवेश वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

बी) **''व्यापार के लिए धारित''** (एचएफटी) निवेश को अल्पावधि कीमत/ब्याज दर में उतार-चढाव का लाभ उठाते हुए व्यापार करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। इनके खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंतर्गत व्यापार करने की अपेक्षा है।

सी) **''विक्रय के लिए उपलब्ध''** (एएफएस) निवेश उपर्युक्त (ए) एवं (बी) दोनों में शामिल नहीं है अर्थात वे निवेश, जो 'परिपक्वता तक धारित'' या ''व्यापार के लिए धारित'' वर्ग में नहीं आते हैं।

फिर भी, तुलन पत्र में निवेशों को वर्तमान छह वर्गों में प्रकट किए जाएंगे:

i) सरकारी प्रतिभूतियां
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
iii) शेयर
iv) डिबेंचर और बंध पत्र
v) अनुषंगी और/या सहयोगी
vi) अन्य

4.2 **निवेश का अधिग्रहण लागत:**

ए) निवेशों का अधिग्रहण हेतु प्रदत्त ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसआईटी) को लागत से हटाकर एकबारगी व्यय के रूप में लिया जाता है।

बी) ऋण लिखतों पर प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि ब्याज को लागत/बिक्री संबंधी विचार से हटाकर ब्याज प्रदत्त/प्राप्त माना जाता है।

सी) निवेशों की लागत को भारित औसत मूल्य पद्धति पर निश्चित किया जाता है।

4.3 **मूल्यांकन पद्धति:**

ए) परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन वर्गीकृत निवेश का मूल्यांकन यदि उसका मूल्य अंकित मूल्य से ज्यादा है तो भारित औसत अर्जन लागत पर किया जाता है, जिस मामले में प्रीमियम का परिशोधन प्रतिभूति की शेष अवधि तक किया जाता है।

बी) राजकोष बिल, वाणिज्यिक पत्र एवं जमाराशि प्रमाणपत्र पर किए गए निवेश का मूल्य निर्धारण, रखाव लागत पर किया जाता है।

सी) अस्थाई स्वभाव के अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों को छोड़कर अन्य अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों में किया गया निवेशों का मूल्य निर्धारण अभिग्रहण लागत से ह्रास को कम करके किया जाता है।

डी) जोखिम पूँजी निधियों की यूनिटों पर बैंक के निवेश को प्रारंभिक तीन वर्षों की अवधि के लिए एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और मूल्य निर्धारण, लागत के आधार पर किया जाता है। संवितरण की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के उपरांत इसे विक्रय के लिए उपलब्ध वर्ग में अंतरित किया जाता है और भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित आधार पर मूल्य निर्धारण किया जाएगा।

till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

b) "Held for Trading" (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

c) "Available for Sale" (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those investments which do not fall under in "Held to Maturity" or "Held for Trading" classification.

However, in the balance sheet, the investments will be disclosed as per the existing six classifications:

(i) Government Securities
(ii) Other Approved Securities
(iii) Shares
(iv) Debentures and Bonds
(v) Subsidiaries and / or Associates
(vi) Others

4.2 Acquisition Cost of Investment:

a) Brokerage, Commission, Securities Transaction Tax (STT) etc., paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.

b) Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.

c) Cost of investments is determined at weighted average price method.

4.3 Method of Valuation:

a) Investments classified as HTM are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.

b) Investments in Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

c) Investments in subsidiaries and joint ventures are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

d) Parent Bank's investments in units of VCFs are classified under HTM category for the initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

ई) एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख पर न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाता है। फिर भी, एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अभिग्रहण मूल्य/बही मूल्य के आधार पर किया जाता है। अंतरण के बाद, इन प्रतिभूतियों का पुन: मूल्य निर्धारण किया जाता है और मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाता है।

एफ) एचएफटी एवं एएफएस श्रेणी में वर्गीकृत निवेशों को स्क्रिप आधार पर बाजार के लिए अंकित आधार पर मूल्य निर्धारण किया जाता है और प्रत्येक वर्ग में यदि निवल मूल्यह्रास हो तो उसे तुलन पत्र में प्रकट किया जाता है और लाभ–हानि लेखे में भी उपलब्ध कराया जाता है, निवल मूल्य वृद्धि यदि है तो उसे छोड़ दिया जाता है।

जी) ''व्यापार के लिए धारित'' और ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' श्रेणी में निर्दिष्ट भाववाले निवेशों का मूल्य निर्धारण के लिए बाजार दर/शेयर बाजार का निर्दिष्ट दर/प्राइमरी डीलर्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई)/निर्दिष्ट आय मनी मार्केट एवं व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए)/विदेशी विनिमय डीलर्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया (एफईडीएआई) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है।

ऐसे निवेश जिनकी दर/निर्धारित दर/उपलब्ध नहीं है उनका भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार मूल्य निर्धारण किया जाता है जो निम्नवत् है:

• सरकार/अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	समुचित कीमत लागत अंतर, यदि है, सहित परिपक्वता पर प्रतिलाभ आधार पर
• ईक्विटी शेयर	उपलब्ध नवीनतम 18 महीने से अनधिक पुराने तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन रिज़र्व, यदि कोई है, उस पर ध्यान दिए बिना) पर किया जाता है, अन्यथा ₹ 1 प्रति कंपनी की दर पर किया जाता है जहाँ अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है।
• अधिमानी शेयर	मोचन मूल्य से अनधिक समुचित ऋण कीमत लागत अंतर सहित परिपक्वता पर प्रतिलाभ आधार पर
• बांड एवं डिबेंचर	समुचित ऋण कीमत लागत अंतर सहित परिपक्वता पर प्रतिलाभ आधार पर
• म्यूच्युअल फंडों के यूनिट	प्रत्येक योजना के संबंध में फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुन: खरीदी मूल्य/निवल आस्ति मूल्य
• जोखिम पूँजी	18 महीने से अनधिक लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी या विघटित एनएवी। यदि,18 से अधिक महीने के लिए निरंतर आधार पर एनएवी/लेखा परीक्षित तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है तो, ₹1 प्रति जोखिम पूँजी निधियों की दर पर किया जाता है।
• प्राप्त प्रतिभूतियाँ	भा. रि. बैं./सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा घोषित एनएवी।

e) Transfer of securities from HFT/AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost/ book value/market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for. However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on acquisition price/book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

f) Investments classified as HFT and AFS are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation if any, in each category disclosed in the Balance Sheet, is provided in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

g) For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) / Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

• Government/ Approved Securities	On Yield to Maturity basis with appropriate spread mark-up, if any
• Equity Shares	At breakup value as per the latest available Balance Sheet not more than 18 months old (without considering 'revaluation reserves', if any), otherwise Re. 1 per company where latest balance sheet is not available.
• Preference Shares	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up not exceeding the redemption value
• Bonds & Debentures	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
• Units of Mutual Funds	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
• Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF.
• Security Receipts	Declared NAV by the Asset Reconstruction Company as per RBI / SEBI guidelines

4.4 **निवेशों का निपटान**

क) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि की पहचान लाभ एवं हानि खाते में संबंधित निवेशों के भारित औसत लागत/बहीमूल्य के आधार पर की जाती है और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्गीकरण में निवेशों की बिक्री पर होनेवाले लाभ के समान एक राशि का विनियोजन पूँजी आरक्षित पूँजी खाते में होता है।

ख) एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग में निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि की पहचान लाभ एवं हानि खाते में की जाती है।

4.5 बैंक निपटान तिथि के आधार पर निवेशों के लेखांकन के एक समान वर्गीकरण का पालन कर रहा है।

4.6 अनुत्पादक प्रतिभूतियों के संबंध में आय की पहचान नहीं हो चुकी है, और भा.रि. बैं. के दिशनिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास हेतु प्रावधान किया गया है।

4.7 अस्थिर/स्थिर दर नोट तथा ऋण संबद्ध नोट विदेशी शाखा में निवेश ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' श्रेणी में वर्गीकृत किये जाते हैं और उनका मूल्यांकन नाममात्र मूल्य या बाज़ार मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है। ये निवेश तिमाही अंतराल पर बाजार के लिए चिह्नित होते हैं तथा इन निवेशों का मूल्य नाममात्र मूल्य से कम होने की स्थिति में तुलनपत्र में मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है तथा लाभ हानि खाते में संबंधित प्रभार प्रकट होता है।

4.8 अभिदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से कटौती की जाती है। प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त ब्रोकरेज/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

4.9 रेपो/प्रतिवर्ती रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों संपार्श्विकृत उधार देने और उधार लेने के संव्यवहारों के रूप में लेखांकित हैं। तथापि प्रतिभूतियां सामान्य एक मुश्त बिक्री/खरीद संव्यवहारों के मामलों के अनुरूप अंतरित की जाती है और प्रतिभूतियों का ऐसा चलन रेपो/प्रतिवर्ती रेपो खातों और प्रतिप्रविष्टियों के प्रयोग में प्रतिबिंबित होता है। उपर्युक्त प्राविष्टियां परिपक्वता के दिनांक पर प्रतिवर्तित बनायी जाती हैं। लागतों और राजस्वों का लेखांकन जो भी स्थिति है उसके अनुसार ब्याज व्यय/आय के रूप में होता है। रेपो खाते शेष उधारों के रूप में वर्गीकृत है और प्रतिवर्ती रेपो खाते के शेष का वर्गीकरण बैंकों में नकदी शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि के रूप में किया गया है।

5. व्युत्पन्न

5.1 व्युत्पन्न लेन-देन के लिए दिए गये ऋण की निगरानी चालू ऋण मंजूरी पद्धति पर की जाती है।

5.2 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देनों को सौदा लेन-देन समझा जाता है और उन्हें परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाता है।

4.4 Disposal of Investments:

a) Profit/ loss on sale of Investments classified as HTM is recognized in the Profit and Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

b) Profit/loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in Profit and Loss Account.

4.5 The Parent Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis.

4.6 In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation for such securities as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

4.7 Floating / Fixed Rate Note and Credit Linked Note, Investments at Foreign Branch are classified as 'Available for Sale' category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These Investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these Investments is lower than the nominal value, provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit and Loss Account.

4.8 Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage/Commission / Stamp Duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expense.

4.9 The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/ income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

5. DERIVATIVES

5.1 The credit exposures for derivative transactions are monitored on Current Credit Exposure method.

5.2 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

5.3 व्युत्पन्न लेन-देनों को प्रतिरक्षा और अप्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनको उचित मूल्य पर आंका जाता है।

5.4 पारस्परिक आधार पर किए गए लेन-देन तथा आस्तियों एवं देयताओं पर जोखिम प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण तथा लेखाकरण ब्याज उपचयन के आधार पर किया गया है ।

5.5 मार्केट मेकिंग लेन-देनों का लेखांकन पाक्षिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित आधार पर किया जाता है जब कि प्रतिरक्षा लेन-देनों का लेखांकन उपचयन के आधार पर किया जाता है।

5.6 खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, को लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाता है और परिपक्वता के बाद लाभ को हिसाब में लिया जाता है। मितीकाटे को अग्रिम लेखे में, प्राप्त आय के तहत रखा जाता है और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोजित किया जाता है।

6. अग्रिम

6.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा ऋण की हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भा.रि.बैं. के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

6.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है।

6.3 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ए.आर.सी.)/प्रतिभूतीकरण कंपनी (एस सी)/बैंक/एफ आई/एन बी एफ सी को निवल बही मूल्य (एन बी वी) से कम लागत पर यानी प्राप्त प्रावधान से कम बही मूल्य, बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के मामले में, कमी को लाभ एवं हानि लेखे में नामे डाला जाता है तथा एन बी वी मूल्य से अधिक मूल्य के बिक्री के मामले में अतिरिक्त प्रावधान उस साल के लाभ एवं हानि खाते में वापस कर दिया जाता है जिस साल वह प्राप्त हुआ है।

7. परिसर और अन्य अचल आस्तियां

7.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यह्रास से घटाने के बाद, परंपरागत लागत और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया गया है । परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर पाँच वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

7.2 परिसर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है ।

5.3 Derivative transactions are classified into hedge and non-hedge and measured at fair value.

5.4 The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risk on assets and liabilities are valued and accounted on interest accrual basis.

5.5 Market making transactions are accounted on marked-to-market basis at monthly intervals, while hedging transactions are accounted for on accrual basis.

5.6 Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transactions and profit is recognized on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to profit and loss account on maturity.

6. ADVANCES

6.1 Advances are classified into Performing and Non-Performing Assets and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever are more stringent.

6.2 Advances are stated net of provisions made for Non-Performing Assets except general provisions for Standard Advances.

6.3 In case of sale of financial assets to the Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC) / Banks / FIs / NBFCs at a price below the Net Book Value (NBV), i.e Book Value less Provision held, the shortfall is debited to the Profit and Loss Account and in case of sale at a value higher than the NBV, the excess provision is reversed to Profit and Loss Account in the year in which the amounts are received.

7. PREMISES AND OTHER FIXED ASSETS

7.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and / or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every three years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

7.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be

पुनर्मूल्यांकित राशि पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया है।

7.3 परिवर्धन सहित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान , उक्त के सिवाय निम्नलिखित दरों पर ह्रासमान शेष प्रणाली के आधार पर किया जाता है:

(ए) परिसर:	दरें
i) बैंक के स्वामित्व वाले (पूर्ण स्वामित्व वाले/पट्टे पर लिए गए)	5%
ii) पट्टे पर लिए गए परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	10% पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित

(बी) अन्य आस्तियाँ:	दरें
i) फर्नीचर	10%
ii) उपस्कर, अन्य उपकरण, यू.पी.एस., जनरेटर इत्यादि	15%
iii) वाहन	20%
iv) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	40%
v) कंप्यूटर और परिचालन सॉफ्टवेयर (सीधी रेखा पद्धति)	33.33%

7.4 अचल आस्तियों में जोड़ी गयी आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए किया जाता है, सिवाय कंप्यूटर उपकरण तथा परिचालन साफ्टवेयर के मामले में, जहाँ मूल्यह्रास का प्रावधान यथानुपातिक आधार पर किया जाता है। उनका निपटान किए जाने वाले वर्ष में आस्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

8. सेवानिवृत्ति लाभ

8.1 भविष्य निधि के रूप में कर्मचारी लाभ एक निर्धारित अंशदान योजना है और भविष्य निधि हेतु, विकल्प देनेवाले कमचिारियों के संबंध में जिस वर्ष में अंशदान देय हैं उस वर्ष में अंशदानों को लाभ एवं हानि खाते में डाला जाता है।

8.2 ए) जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना के लिए विकल्प दिया है उनके संबंध में पेंशन लाभ एक निर्धारित लाभ की बाध्यता है और उसे 31 मार्च, 2010 तक बैंक में कार्यग्रहण करनेवाले कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष के अंत पर वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

बी) नई पेंशन योजना जो 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करनेवाले कर्मचारियों के लिए लागू है। एक पूर्व निर्धारित दर की निर्धारित अंशदान योजना है और बैंक की बाध्यता ऐसे अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में डाला जाता है।

segregated. Additional depreciation on revalued amount is adjusted to the Revaluation Reserve.

7.3 Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of written down value, except as otherwise stated, at the following rates:

(A) PREMISES:	Rates
i) Bank owned (freehold / leasehold)	5%
ii) Capital Expenditure on premises taken on lease – where lease period is not specified – where lease period is specified	10% Amortised over the residual period of lease.

(B) OTHER ASSETS:	Rates
i) Furniture	10%
ii) Fixtures, Other Equipments, UPS, generators, etc.	15%
iii) Vehicles	20%
iv) Electronic Equipments	40%
v) Computers and Operating Software (Straight Line Method)	33.33%

7.4 Depreciation on additions to fixed assets is provided for the whole year except on additions to computers and operating software, which is provided on pro-rata basis. No depreciation is provided on the assets in the year of their disposal.

8. RETIREMENT BENEFITS

8.1 Employee Benefits in the form of Provident Fund is a Defined Contribution Scheme and the contributions are charged to Profit & Loss Account in the year in which the contributions are due in respect of employees who have opted for Provident Fund.

8.2 a. In respect of employees who have opted for Pension Scheme, Pension Benefit is a Defined Benefit Obligation and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the Financial Year for the employees who have joined the Parent Bank up to 31st March, 2010. The Pension liability is funded by the Parent Bank to the Pension Fund Trust of the Bank.

b. New Pension Scheme which is applicable to employees who joined the Parent Bank on or after 1st April, 2010 is a Defined Contribution Scheme at pre-determined rate and the obligation the Parent Bank is limited to such contribution. The Contribution is charged to Profit & Loss Account.

8.3 उसे वित्तीय वर्ष के अंत पर किए गए वास्तविक मूल्यांकन पर दिया जाता है। उपनिधि देयता को बैंक के उपनिधि न्यास में संचित किया जाता है।

8.4 छुट्टी की भुनाई जैसी संचित और क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती हैं।

9. राजस्व का निर्धारण

ए) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/कमीशन, गैर बैंकिंग आस्तियों पर आय, लॉकर किराया, अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी अनर्जक आस्तियों से आय और दावा दायर खातों पर विधिक व्यय जिनका लेखाकरण नकदी आधार पर किया गया है।

बी) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उससे प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

सी) परिपक्व जमाराशियों पर ब्याज को नवीकरण के समय पर हिसाब में लिया जाता है। परिपक्व जमाराशियों के मामले में भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कारपोरेट कार्यालय में प्रावधान किया गया है ।

डी) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

ई) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, बांड निर्गम, क्रेडिट कार्ड एवं बीमा उत्पादों के फ्रैन्चाइज को राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।

एफ) आयातित सोने के सिक्कों की बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

10. आय पर कर

10.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।

10.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

11. देशीय जोखिम प्रबंधन

बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार देशीय जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है, तथा निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) द्वारा प्रकाशित देशीय जोखिम श्रेणी वर्गीकरण का पालन कर रहे हैं।

8.3 Gratuity liability is a Defined Benefit Plan and is provide for on the basis of actuarial valuation made at the end of the Financial Year. The gratuity liability is funded to the Gratuity Fund Trust of the Parent Bank.

8.4 Accumulated Compensated absences such as Leave Encashment are provided for based on actuarial valuation.

9. REVENUE RECOGNITION

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees / commission on transactions with Mutual Funds, income from non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills / tax refunds, income from non-performing assets and legal expenses on suit filed accounts which are accounted for on cash basis.

b) Income from dividend on shares is accounted for on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

c) Interest on matured deposits is accounted for at the time of renewal. However provision for interest on matured deposits is made at the Corporate Office as per the RBI guidelines.

d) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item as per RBI guidelines.

e) Expenditure in respect of application software, bonds issue, franchises of credit card and insurance products are charged off to revenue.

f) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is completed.

10. TAXES ON INCOME

10.1 Current tax is determined as per the provisions of the Income tax Act, 1961.

10.2 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets / Liabilities in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

11. COUNTRY RISK MANAGEMENT

The Parent Bank has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines and following the Country Risk Category classification published by Export Credit Guarantee Corporation (ECGC).

12. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

मूल बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर में बढते हुए ऋण जोखिम को रोकने के लिए एक नीति बनाई तथा उसका अनुमोदन किया गया ।

13. आस्तियों की हानि

आंतरिक/बाहय तथ्यों के आधार पर हानि की किसी सूचना के लिए हर एक तुलन–पत्र की तिथि पर आस्तियों की रखाव की रकम का पुनरीक्षण किया जाता है। किसी हानि की पहचान उसी समय हो जाती है जब किसी आस्ति की रखाव की रकम उसकी अनुमानित वसूली योग्य रकम से अधिक हो जाती है।

14. निवल लाभ

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात् किया गया है:

– आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान
– अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
– मानक आस्तियों पर प्रावधान
– निवेशों पर मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए समायोजन
– आकस्मिकताओं को अंतरण
– अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर के लिए अर्जन का परिकलन उस अवधि के दौरान बकाया रहनेवाले ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा ईक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि से भाग देकर की जाती है। ईक्विटी शेयर के लिए कम हुए अर्जन की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्षांत पर बकाया होनेवाले कमतर संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है।

12. UNHEDGED FOREIGN CURRENCY EXPOSURE

The Parent Bank has framed and approved a policy for administration of credit risk rising out of Unhedged foreign currency exposures in accordance with extant RBI guidelines.

13. IMPAIRMENT OF ASSETS

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment based on internal / external factor. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

14. NET PROFIT

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions and Contingencies":

- Provision for Income Tax and Wealth Tax
- Provision / Write off of Non-Performing Advances and Investments
- Provision on Standard Assets
- Adjustment for appreciation / depreciation on Investments
- Transfer to Contingencies
- Other usual and necessary provisions.

15. EARNINGS PER SHARE

Earnings per Share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the year.

अनुसूची 18 : 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

1. समूह की समेकित वित्तीय विवरणों (सी एफ एस) में सिंडिकेटबैंक (मूल) और निम्नलिखित अनुषंगी एवं सहायक संस्थाओं के परिणाम शामिल हैं।

   ए) **अनुषंगी:**
   सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

   बी) **सहायक संस्थाएं:**
   प्रथमा बैंक
   कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
   आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

   अनुषंगी और सहायक संस्थाओं में निवेश के ब्यौरे:

अनुषंगी	स्वामित्व
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड	100%
सहायक संस्थाएं	
प्रथमा बैंक	35%
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	35%
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक	35%

2. **अनुषंगी और सहायक संस्थाओं का वित्तीय विवरण**
   अनुषंगी/सहयोगियों की वित्तीय विवरण अनुषंगी की लेखा–परीक्षित वित्तीय विवरण और सहयोगियों की गैर लेखा–परीक्षित वित्तीय विवरण मूल के रिपोर्टिंग तिथि भी उसी तारीख तक के लिए बनाई गई है जिस तारीख तक की मूल की है यानि 31 मार्च, 2016.

3. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अनुषंगी के लेखे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के टिप्पणियों पर निर्भर है।

4. पूँजी

ए. बासेल III के अनुसार पूँजी पर्याप्तता अनुपात (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	**7.01**	7.53
ii) टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	**7.75**	7.84
iii) टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	**3.41**	2.70
iv) कुल पूँजी अनुपात (सी.आर.ए.आर) (%)	**11.16**	10.54
v) भारत सरकार के शेयर धारण की प्रतिशतता	**65.17**	69.24
vi) जुटाई गई ईक्विटी पूँजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)	**956.93**	460.00
vii) जुटाई गई अतिरिक्त टियर। पूँजी, जिसमें;		
– पी.एन.सी.पी.एस.	**0.00**	0.00
– पी.डी.आई.	**0.00**	0.00
– अतिरिक्त टियर–1 बाँड	**870.00**	0.00
viii) जुटाई गई टियर 2 पूँजी, जिसमें;		
– ऋण पूँजी लिखत	**1,750.00**	1,150.00
– अधिमानी शेयर पूँजी लिखत (बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पी.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आर.एन.सी. पी.एस./प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आर.सी.पी.एस.)	**0.00**	0.00

नोट: दि. 31.03.2016 की स्थिति में बासेल II के सिद्धांतों के अनुसार मूल बैंक की पूँजी पर्याप्तता अनुपात 11.16 प्रतिशत है जबकि दि. 31.03.2015 की स्थिति में यह 10.92 प्रतिशत था।

बी. वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने भारतीय जीवन बीमा को, ₹10/- अंकित मूल्य के 4,13,12,457 ईक्विटी शेयरों को ₹42.51 प्रीमियम में अधिमानी आधार पर आबंटित किया जिसकी कुल राशि ₹216,93,17,117.07 है। तदनुसार, भारतीय जीवन बीमा के शेयरधारण की प्रतिशतता 31.03.2016 को 14.50% हो गया।

सी. शेयर आवेदन रकम वर्ष के दौरान भारत सरकार ने अधिमानी आधार पर आबंटित करने के लिए ₹740 करोड़ की पूँजी लगायी है। आबंटन होने तक, बैंक ने ''शेयर आवेदन राशि – आबंटन के लिए लंबित'' शीर्ष के अंतर्गत दि. 31-03-2016 को इसे लेखांकन किया है। दिनांक 5 मई 2016 को बैंक ने आबंटन प्रक्रिया पूरी किया और भारत सरकार को ₹10 अंकित मूल्य के 9,51,27,908 ईक्विटी शेयरों को ₹67.79 प्रीमियम में अधिमानी आधार पर आबंटन किया है, जिसकी कुल राशि ₹740,00,00,000/- है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने पत्र संदर्भ डीबीआर. बीपी. 132777/21.01.002/2015-16, दि. 22-04-2016 द्वारा सूचितानुसार बैंक ने पूँजी पर्याप्तता अनुपातों का परिकलन के लिए उपर्युक्त को सामान्य ईक्विटी के भाग के रूप में लिया है।

SCHEDULE – 18 Notes on Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2016

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the group comprises the results of SyndicateBank (Parent) and the following subsidiary and Associates.

   a) Subsidiary:
   Syndbank Services Limited

   b) Associates:
   Prathama Bank
   Karnataka Vikas Grameena Bank
   Andhra Pragathi Grameena Bank

Particulars of investments in Subsidiary and Associates

Subsidiary	Ownership
Syndbank Services Limited	100%
Associates :	
Prathama Bank	35%
Karnataka Vikas Grameena Bank	35%
Andhra Pragathi Grameena Bank	35%

2. **Financial Statements of the Subsidiary/Associates**
   The Audited Financial Statement of Subsidiary and unaudited financial statements of the Associates have been drawn up to the same reporting date as that of Parent. i.e. March 31,2016.

3. The accounts of the subsidiary for the year ended March 31,2016 are subject to the comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(4) of the Companies Act, 1956.

4. **CAPITAL**

   a. Capital Adequacy Ratio as per Basel-III (₹ in crores)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i) Common Equity Tier-1 Capital Ratio (%)	**7.01**	7.53
ii) Tier-1 Capital Ratio (%)	**7.75**	7.84
iii) Tier-2 Capital Ratio (%)	**3.41**	2.70
iv) Total Capital Ratio (CRAR) (%)	**11.16**	10.54
v) Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	**65.17**	69.24
vi) Amount of equity capital raised (Including Share Premium)	**956.93**	460.00
vii) Amount of Additional Tier-1 Capital raised; of which		
– PNCPS	**0.00**	0.00
– PDI	**0.00**	0.00
– Addtional Tier-1 Bonds	**870.00**	0.00
viii) Amount of Tier-2 Capital raised; of which		
– Debt Capital Instrument	**1,750.00**	1,150.00
– Preference Share Capital Instruments (Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	**0.00**	0.00

Note: The Capital Adequacy Ratio of the Parent Bank as on 31.03.2016 as per Basel - II norms is 11.16% and as on 31.03.2015 it was 10.92%.

b. During the year, the Parent Bank has allotted on preferential basis 4,13,12,457 equity shares of face value of ₹10 each at a premium of ₹42.51 aggregating ₹216,93,17,117.07 to Life Insurance of India. Consequently the Life Insurance of India shareholding is at 14.50% as on 31.03.2016.

c. Share Application Money:

During the year, The Government of India has infused capital of ₹740 Crores for allotment on preferential basis. Pending allotment, as on 31-03-2016 the Bank has accounted the same under the head "Share Application Money – Pending for allotment". On 05th May 2016, the Parent Bank has completed the allotment procedure and allotted 9,51,27,908 equity shares of face value of ₹10 each at a premium of ₹67.79 aggregating to ₹740,00,00,000/- to Government of India on preferential basis.

As advised by Reserve Bank of India vide their letter ref.: DBR. BP.132777/21.01.002/2015-16 dated 22-04-2016, the Bank has considered the above as part of Common equity, for arriving at the Capital Adequacy ratios.

5. निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(1) निवेश का मूल्य		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(ए) भारत में	**68,285.58**	69,260.99
(बी) भारत के बाहर	**775.37**	296.87
(ii) मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान		
(ए) भारत में	**439.09**	218.20
(बी) भारत के बाहर	**0.00**	0.00
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(ए) भारत में	**67,846.49**	69,042.79
(बी) भारत के बाहर	**775.37**	296.87
(2) निवेश के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन		
(i) प्रारंभिक शेषराशि	**218.20**	235.32
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**220.89**	54.23
(iii) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**0.00**	**71.35**
(iv) **इतिशेष**	**439.09**	**218.20**

5.1 रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य की शर्तों के अनुसार) (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि.31.03.2016 को इतिशेष
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
(i) चलनिधि समायोजन रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	104.00	603.20	532.10	0.00
(ii) सीमांत स्थाई सुविधा	208.00	286.00	247.00	0.00
(iii) मियादी रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	16.64	8515.52	4146.45	6189.04
(iv) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) सी आर ओ एम एस उधार	60.00	1122.33	428.99	0.00
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
(i) चलनिधि समायोजन रिवर्स रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	52.00	5616.00	562.14	3744.00
(ii) मियादी रिवर्स रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	62.40	21320.00	7821.19	0.00
(iii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) सी आर ओ एम एस उधार	25.23	7952.36	2172.57	2393.14

उपर्युक्त आंकड़ों में मार्जिन सम्मिलित है यानि सीआरओएमएस उधार को छोड़कर उधार देते समय गिरवी रखे गए/प्राप्त प्रतिभूतियों का मूल्य उधार की राशि का 104% होगा ।

5.2. गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग

i) दि. 31.03.2016 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	प्राइवेट नियोजन की मात्रा	"निम्न निवेश श्रेणी" प्रतिभूतियों की मात्रा	"अनिर्धारित" प्रतिभूतियों की मात्रा	"असूचीबद्ध" प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
(i)	सा.क्षे.उ.	3919.98	1291.33	187.50	0.00	0.00
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ (एन बी एफ सी सहित)	1329.03	837.46	81.04	0.88	0.88
(iii)	बैंक	1513.57	418.30	0.00	0.00	0.00
(iv)	निजी नैगम	2208.54	1674.62	142.86	0.02	0.02
(v)	सहयोगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
(vii)	मूल्यह्रास के प्रति रखा गया प्रावधान	439.09	***	***	***	***
	कुल*	**8593.55**	**4283.23**	**411.40**	**0.90**	**0.90**

नोट: (1) *स्तंभ 3 के अंतर्गत जोड का मिलान तुलन पत्र की अनुसूची 8 में निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन शामिल किए गए कुल निवेश के साथ होना चाहिए:
(ए) शेयर (बी) डिबेंचर और बंधपत्र
(सी) सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम (डी) अन्य

5. INVESTMENTS (₹ in crores)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
1) Value of Investments		
i) Gross Value of Investments		
a) In India	**68,285.58**	69,260.99
b) Outside India	**775.37**	296.87
ii) Provisions for Depreciation and NPI		
a) In India	**439.09**	218.20
b) Outside India	**0.00**	0.00
iii) Net Value of Investments		
a) In India	**67,846.49**	69,042.79
b) Outside India	**775.37**	296.87
2) Movement of provisions held towards depreciation on Investments		
i) Opening balance	**218.20**	235.32
ii) Add: Provisions made during the year	**220.89**	54.23
iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	**0.00**	71.35
iv) **Closing balance**	**439.09**	218.20

5.1 Repo Transactions (in face value terms) (₹ in crores)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Closing Balance as on 31.03.2016
Securities sold under Repo				
(i) Government Securities for Liquidity Adjustment Facility Repo	104.00	603.20	532.10	0.00
(ii) Marginal Standing Facility	208.00	286.00	247.00	0.00
(iii) Government Securities for Term Repo	16.64	8515.52	4146.45	6189.04
(iv) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) CROMS Borrowing	60.00	1122.33	428.99	0.00
Securities purchased under Reverse Repo				
(i) Government Securities for Liquidity Adjustment Facility Reverse Repo	52.00	5616.00	562.14	3744.00
(ii) Government Securities for Term Reverse Repo	62.40	21320.00	7821.19	0.00
(iii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) CROMS Lending	25.23	7952.36	2172.57	2393.14

The above figures are inclusive of margin i.e. while borrowing / lending the value of the securities pledged / received will be 104% of the amount borrowed / lent excluding CROMS Lending/Borrowings.

5.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non-SLR investments as on 31.03.2016.

(₹ in crores)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of "Below Investment Grade" Securities	Extent of "Unrated" Securities	Extent of "Unlisted" Securities
1	2	3	4	5	6	7
(i)	PSUs	3919.98	1291.33	187.50	0.00	0.00
(ii)	Financial Institutions (incl. NBFCs)	1329.03	837.46	81.04	0.88	0.88
(iii)	Banks	1513.57	418.30	0.00	0.00	0.00
(iv)	Private Corporates	2208.54	1674.62	142.86	0.02	0.02
(v)	Subsidiaries/Joint Ventures	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00
(vi)	Others	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
(vii)	Provision held towards depreciation	439.09	***	***	***	***
	TOTAL *	**8593.55**	**4283.23**	**411.40**	**0.90**	**0.90**

Note: (1) * Total under column 3 tallies with the total Investments included under the following categories in Schedule 8 to the Balance Sheet.
(a) Shares (b) Debentures and Bonds
(c) Subsidiaries /Joint Ventures (d) Others

(2) कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।

ii) अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016			31.03.2015		
	देशी	लंदन	कुल	देशी	लंदन	कुल
प्रारंभिक शेष	**282.38**	**0.00**	**282.38**	196.37	1.11	197.48
वर्ष के दौरान परिवर्धन 01 अप्रैल से	**106.83**	**0.00**	**106.83**	86.01	0.00	86.01
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	**-**	**0.00**	**-**	-	1.11	1.11
इति शेष	**389.21**	**0.00**	**389.21**	282.38	0.00	282.38
रखे गए कुल प्रावधान	**288.05**	**0.00**	**288.05**	206.38	0.00	206.38

नोट: *निवेश के रुपया मूल्यांकन में जो वृद्धि/कमी हुई है उसका कारण मुद्रा दरों/आई.एन.आर. दरों में उतार-चढ़ाव से है।

iii) *एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण*

प्रतिभूतियों की बिक्री और एच.टी.एम. श्रेणी को/से उनका अंतरण का मूल्य भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में एच.टी.एम. श्रेणी (छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर) में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

iv) एसजीएल उछाल

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान एस.जी.एल. का कोई उछाल नहीं था।

5.3 एचटीएम वर्ग से प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ की राशि ₹73,63,68,167 (पिछली वर्ष ₹4,03,96,846) को लाभ एवं हानि खातों में लिया गया और तदनंतर पूँजी आरक्षित खाते में ₹48,15,25,872 (कर को घटकर) विनियोजन किया गया है (पिछले वर्ष ₹1,99,99,468)।

5.4 एच.टी.एम. वर्ग की प्रतिभूतियों पर प्राप्त परिशोधन प्रभार ₹96,94,09,766.59 (पिछले वर्ष ₹53,92,64,029.01) को लाभ एवं हानि खाते में नामे डाल दिया गया है और वह, भा.रि.बैं. मास्टर परिपत्र के अनुसर अर्जित ब्याज: मद सं II – निवेश पर आय में कटौती के रूप में अनुसूची-13 में प्रतिबिंबित होता है।

5.5 लंदन शाखा में धारित अस्थिर दर नोटों एवं विदेशी मुद्रा बांडों में की गई निवेश को बिक्री के लिए उपलब्ध वर्ग में डाल दिया गया है और अंतिम दर पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। अस्थिर दर नोटों का निर्गतकर्ता के मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

5.6 31.03.2016 की स्थिति में (अंकित मूल्य) निवेश खाते में सरकारी प्रतिभूतियों के धारण का समाधान

(₹ करोड़ में)

प्रतिभूतियों के विवरण	प्रधान खाताबही शेष	एस.जी.एल. शेष		धारित बी आर	धारित एस.जी.एल. फार्म	धारित वास्तविक स्क्रिप	बकाया सुपुर्दगी
		पी डी ओ बहियों के अनुसार	बैंक/संस्था की बहियों के अनुसार				
1	2	3	4	5	6	7	8
केंद्र सरकार	28126.36	28126.36	28126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
राज्य सरकार	31257.42	31257.42	31257.42	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य अनुमोदित	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
यूटीआई के यूनिट (1964)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य (शेयर एवं डिबेंचर)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**59483.78**	**59483.78**	**59483.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

नोट : पी.डी.ओ. बहियों की शेषराशि में योग्य प्रतिपक्षकार और स्टॉक एक्सचेंज में गिरवी रखी गई प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

6. व्युत्पन्न

6.ए वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदला-बदली/ पारस्परिक मुद्रा की अदला-बदली

(2) Amounts reported under rows 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

ii) Non-performing Non-SLR Investments (₹ in crores)

Particulars	31.03.2016			31.03.2015		
	Domestic	London	Total	Domestic	London	Total
Opening balance	**282.38**	**0.00**	**282.38**	196.37	1.11	197.48
Additions during the year since 1st April	**106.83**	**0.00**	**106.83**	86.01	0.00	86.01
Reduction during the above period	**-**	**0.00**	**-**	-	1.11	1.11
Closing balance	**389.21**	**0.00**	**389.21**	282.38	0.00	282.38
Total provisions held	**288.05**	**0.00**	**288.05**	206.38	0.00	206.38

Note: *Appreciation / Reduction in rupee valuation of Investments include fluctuation in currency rates / INR rates.

iii) Sale and transfers to / from HTM category

The value of sales and transfers of securities to/from HTM category does not exceed 5 percent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

iv) SGL Bouncing

There was no instance of SGL bouncing during the financial year 2015-16.

5.3 Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹73,63,68,167 (Previous Year ₹4,03,96,846) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated towards Capital Reserve Account amounting to ₹48,15,25,872{net of taxes} (Previous Year ₹1,99,99,468).

5.4 The amortization charges of ₹96,94,09,766.59 (Previous Year ₹53,92,64,029.01) on the HTM category of securities is debited to Profit and Loss Account and reflected in Schedule - 13, Interest Earned: Item II – Income on Investments as a deduction as per RBI Master Circular.

5.5 Investment in Floating Rate Notes and Foreign Currency Bonds held in London Branch are classified as Available for Sale and are valued at closing rate. Floating Rate Notes are valued based on issuers' value.

5.6 Reconciliation of holdings of Government Securities in Investment Account as on 31.03.2016 (Face Value): (₹ in crores)

Particulars of Securities	General Ledger Balance	SGL Balance		BRs held	SGL forms held	Actual Scrips held	Outstanding Deliveries
		As per PDO Books	As per Bank's/ Institution's Books				
1	2	3	4	5	6	7	8
Central Government	28126.36	28126.36	28126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
State Government	31257.42	31257.42	31257.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Other Approved	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Public Sector	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Units of UTI (1964)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others (Shares & Debentures)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**59483.78**	**59483.78**	**59483.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Note: The Balance as per PDO Books includes securities pledged with Qualified Counterparty and Stock Exchanges.

6. DERIVATIVES

6.A Forward Rate Agreements/Interest Rate Swap/Cross Currency Swaps

• *वायदा दर करार और ब्याज दर अदला–बदली*

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31.03.2016	31.03.2015
i)	अदला–बदली करार का कल्पित मूल–धन	**9043.81**	9,625.00
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होती हैं तो, होने वाली हानि	**1.80**	89.22
iii)	अदला–बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला–बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला–बदली बही का उचित मूल्य	**1.80**	1.24

नोट: सभी वायदा दर करार और ब्याज दर अदला–बदली मूल बैंक के तुलन–पत्र की कमियों की प्रतिरक्षा हेतु किया है । वित्तीय वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13 एवं 2014-15 के दौरान, बैंक ने यू एस डी 1,400.00 मिलियन के स्थिर ब्याज दर एम टी एन फंड को बढ़ाया है । स्थिर ब्याज दर देयता को एक समान परिपक्वता वाली ब्याज दर की अदला–बदली करके अस्थिर दरों में बदला गया है ।

• *मुद्रा अदला–बदली*

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31.03.2016	31.03.2015
i)	अदला–बदली करार का कल्पित मूल–धन	**28.68**	84.54
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होता हैं तो, उठाई जाने वाली हानि	**4.64**	19.29
iii)	अदला–बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला–बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला–बदली बही का उचित मूल्य	**0.04**	0.27

(1) हानियों को कुल ऋण निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें ऋण और प्रतिस्थापन जोखिम भी शामिल हैं ।

(2) अदला–बदली बही का उचित मूल्य उपर्युक्त अदला–बदली पर प्राप्य या देय निवल एम.टी.एम. से संबद्ध है ।

(3) वायदा दर करार (एफ.आर.ए.) और ब्याज दर अदला–बदली (आई.आर.एस.) को अपनी बहियों को बचाने के लिए तथा आस्ति और देयता अंतर से बचने के लिए किया गया है । मुद्रा अदला–बदली को ग्राहकों के निवेशों को बचाने के लिए किया गया है और उन्हीं शर्तों पर बैक–टु–बैक आधार पर कवर किया गया है ।

(4) इन व्युत्पन्न लेन–देनों को उन प्रतिपक्षकारों के साथ किया गया है जो ऋण और राजकोषीय नीतियों की पूर्ति करती हैं । बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण और बाजार जोखिमों के प्रबंधन और अनुप्रवर्तन से संबंधित विभिन्न मानदण्डों/सीमाओं का उल्लेख किया गया है ।

(5) व्युत्पन्नों की लेखाकरण नीति को भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है । उक्त नीति के ब्यौरे अनुसूची–17- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 2015-16 में प्रस्तुत हैं ।

3.बी विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न

मुद्रा वायदा:

मूल बैंक तीन विनिमयों पर यू.एस.डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है। दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया नहीं है।

ब्याज दर वायदा:

विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न शून्य है। बैंक विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न में लेन–देन नहीं कर रहा है।

क्रम सं.	विवरण	(₹ करोड़ में)
i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूल धन राशि (लिखतवार)	शून्य
ii)	दि. 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित बकाया मूलधन राशि (लिखतवार)	
iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार के लिए निर्दिष्ट मूल्य जो अत्यंत प्रभावकारी नहीं है। (लिखतवार)	
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का बकाया बाजार–दर–बाजार मूल्य और अत्यंत प्रभावकारी नहीं है। (लिखतवार)	

• *Forward Rate Agreement and Interest Rate Swaps*

(₹ in crores)

Sl. No.	Items	31.03.2016	31.03.2015
i)	The notional principal of swap agreements	**9043.81**	9,625.00
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**1.80**	89.22
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**1.80**	1.24

Note: All Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps undertaken are against Banks to hedge Balance Sheet gaps. During the financial years 2011-12, 2012-13 and 2014-15, Bank has raised the Fixed Interest rate MTN fund of USD 1,400.00 Mio. The fixed interest rate liability was converted into floating rates by entering into Interest Rate Swaps of matching maturity.

• *Currency Swaps*

(₹ in crores)

Sl. No.	Items	31.03.2016	31.03.2015
i)	The notional principal of the swap agreements	**28.68**	84.54
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**4.64**	19.29
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**0.04**	0.27

(1) Losses have been defined as the Total Credit Exposure inclusive of Current Credit Exposure and Replacement Risk (Positive MTM).

(2) Fair Value of Swaps book is the Net MTM receivable or payable on the above Swaps.

(3) Forward Rate Agreements (FRAs) and Interest Rate Swaps (IRS) were undertaken by the Bank to hedge its own books and for managing asset and liability mismatches. Currency swap has been undertaken with customers for hedging their exposures and covered back-to-back with identical terms.

(4) These derivative transactions are entered with counterparties satisfying the criteria as prescribed by the Credit and Treasury Policies. These Board approved policies prescribe various parameters / limits to manage and monitor Credit and Market Risks.

(5) The Accounting Policy for Derivatives has been drawn-up in accordance with RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17 – Significant Accounting Policies 2015 - 2016.

6.B Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Currency Futures:

The Bank is undertaking proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the three Exchanges. There is no Outstanding Contracts under Currency future as at 31.03.2016.

Interest Rate Future:

Exchange Traded Interest Rate Derivative is NIL. The Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

Sl. No.	Particulars	(₹ in crores)
i)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL
ii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding as on March 31, 2016 (instrument-wise)	
iii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	
iv)	Marked-to-Market value of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	

3. सी. व्युत्पन्नों में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण

ए) ***गुणात्मक प्रकटीकरण***

- व्युत्पन्न लेन-देन करने के लिए बैंक के पास अच्छी खासी नीति है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- मूल बैंक अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक और बैंकेतर प्रतिपक्षकारों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक केवल विनिमय दर मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है।
- पिछली निष्पादन श्रेणी के अंतर्गत वायदा संविदा को सिंड-01- सिंड-04 के अंतिम निर्धारण के साथ तथा भा.रि. बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही ग्राहकों के लिए बुक किया जाता है।
- मुद्रा वायदे बैंक के लिए कोई ऋण जोखिम नहीं है, क्योंकि एक्स्चेंज कंपनियाँ भुगतान की गारंटी देती है ।
- वर्ष के दौरान मूल बैंक ने लंदन शाखा की देयताओं के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु ब्याज दर अदला-बदली और एफ.आर.ए. किया ।
- मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को परस्पर मुद्रा अदला-बदली में शामिल किया गया। इस प्रकार किसी लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया।
- परस्पर मुद्रा अदला-बदली को 10 वर्षों तक की अवधि के लिए किया गया जिसमें किसी कोई जोखिम के बिना उसी प्रकार के समर्थक लेन-देन शामिल किए गए हैं।
- केवल गैर-बैंक प्रतिपक्षकार के लिए मुद्रा अदला-बदली लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सिंड-04 है ।
- बैंक ने व्युत्पन्न से जुडी जोखिमों का निर्धारण करने के लिए समुचित नियंत्रण प्रणाली और एम.आई.एस. को अपनाया है ।
- मूल बैंक में प्रतिपक्षकारों की ऋण जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी तथा मूल्यांकन की जाती है ।
- व्युत्पन्न लेन-देनों से संबंधित ऋण जोखिमों की निगरानी चालू ऋण जोखिम पद्धति (सी ई एम) के आधार पर की जा रही है।
- ऋण जोखिम की निगरानी काउँटर पार्टी निवेश सीमाएं निर्धारित करके, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करके और सीसीआईएल/सीएलएस के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करके की जाती है ।
- प्रतिपक्षकारों, बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाज़ार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- मूल बैंक के पास सम्मिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत कोई निवेश नहीं है और न ही उनके पास न्यून-ब्याजदर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है ।
- मूल बैंक ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है ।
- ब्याज संबंधी विवाद को रोकने तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, नैगम कार्यालय, बेंगलूर में स्थित जोखिम प्रबंधन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है।
- भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रतिपक्षकार बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई.एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से आकलन करता है।
- संचालनों को निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. द्वारा संस्वीकृत समग्र कुल सीमा और कुल दिनों की खुली स्थिति सीमा के भीतर किया जाता है।
- प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाता है और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाता है।
- लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में अलग से वर्गीकृत किया गया है और उसे उचित मूल्य पर आंका गया।
- बैक-टू-बैक आधार पर किए गए लेन-देन और बैंक की आस्ति एवं देयता के जोखिम की प्रतिरक्षा का मूल्यांकन निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के द्वारा किया जाता है तथा ब्याज का लेखांकन उपचयन आधार पर होता है।
- खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर किया जाएगा । परिपक्व होने पर लाभ दर्ज किया जाएगा। बट्टा घटक को, अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्व होने पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाएगा ।

6.C Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

a) ***Qualitative Disclosure***

- ✓ The Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- ✓ The Parent Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading / market-making purposes. Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counterparties. The Bank is only undertaking proprietary trading position in Currency Futures on the Exchanges.
- ✓ Forward contracts under past performance category are booked for clients with Rating SYND 01 - SYND 04 only and on complying with RBI guidelines.
- ✓ Currency futures have no credit risk for the Bank, as the Exchanges guarantee the payment.
- ✓ During the year Parent Bank undertook Interest Rate Swaps and FRA for hedging purpose to mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for Liabilities at London Branch.
- ✓ Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- ✓ Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- ✓ Currency swaps are undertaken for non-bank counterparty with ratings SYND 01 to 04 only.
- ✓ The Bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS in place to monitor the same.
- ✓ The Parent Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counterparties.
- ✓ Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of Current Credit Exposure Method (CEM).
- ✓ Credit Risk is monitored by setting up counterparty exposure limits setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through CCIL / CLS.
- ✓ The transactions with our Counterparty Banks and non-bank counterparty are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparties are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- ✓ The Parent Bank is not having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.
- ✓ The Parent Bank has not crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- ✓ The segregation of Front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bengaluru.
- ✓ ISDA agreements are executed / exchanged with every counterparty banks and non-bank clients as per RBI guidelines.
- ✓ Mid Office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- ✓ The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board / RBI.
- ✓ Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- ✓ The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- ✓ The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- ✓ Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transaction. Profit is recognized on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to Profit and Loss Account on maturity.

- प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाज़ार के लिए अंकित हानि हो जाती है ।
- उन निवल निधिकृत देशी ऋणों के लिए भी प्रावधान किया गया है जहाँ ऋण राशि बैंक की आस्तियों के 1% या उस से अधिक है ।
- विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को पाक्षिक आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।
- मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- 85.48% व्युत्पन्न, शेष परिपक्वता की एक वर्ष से कम अवधि के अंतर्गत आते हैं।

बी) दि. 31.03.2016 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016		31.03.2015	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1.	**व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल राशि)**				
	ए) प्रतिरक्षा के लिए	**28.68**	**9073.81**	84.54	10,856.95
	बी) व्यापार के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	**बाजार स्थितियों को अंकित**				
	ए) आस्तियाँ (+)	**4.64**	**1.80**	10.84	137.93
	बी) देयताएँ (–)	**4.60**	**0.00**	(-) 10.57	(-) 6.97
3.	**ऋण विनिवेश**	**5.21**	**76.84**	19.29	180.51
4.	**ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव (100* पीवी 01)**				
	ए) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न	**0.15**	**8.63**	1.18	(-) 209.75
	बी) व्यापार व्युत्पन्न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	**वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम**				
	ए) प्रतिरक्षा पर				
	न्यूनतम	--	--	--	--
	अधिकतम	--	--	--	--
	बी) व्यापार पर				
	न्यूनतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अधिकतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

6.डी ऋण चूक अदला बदली

वित्तीय वर्ष के दौरान मूल बैंक ने ऋण चूक अदला बदली में व्यापार नहीं किया है।

7. आस्ति गुणवत्ता

ए) *अनर्जक आस्ति*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31-03-2015
(i) निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्ति (%)	**4.48%**	1.90%
(ii) (सकल) अनर्जक आस्तियों का संचलन		
ए) प्रारंभिक शेष राशि	**6,442.38**	4,611.13
बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	**12,200.54**	5,499.97
सी) वर्ष के दौरान कटौती	**4,810.76**	3,668.72
डी) इतिशेष	**13,832.16**	6,442.38
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों का संचलन		
ए) प्रारंभिक शेषराशि	**3,843.65**	2,720.60
बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	**8,380.38**	3,770.64
सी) वर्ष के दौरान कटौती	**3,209.16**	2,647.59
डी) इतिशेष	**9,014.87**	3,843.65
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए प्रावधानों को छोड़कर)		
ए) प्रारंभिक शेषराशि	**2,466.88**	1,764.20
बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**3,820.16**	1,729.33
सी) अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**1,616.60**	1,026.65
डी) इतिशेष	**4,670.44**	2,466.88
ई) प्रावधान शामिल अनुपात (%)	**53.73%**	66.61%

***** अन्य आस्तियों में अंतरण द्वारा समायोजित (नोट सं. 14 (ए) का हवाला किया जाए)

- ✓ Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which became naked resulting in mark-to market losses.
- ✓ Provision is also made for net funded country exposures, where the exposure is 1% or more of the bank's assets.
- ✓ Transactions for market making purposes are marked-to-market at fortnightly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- ✓ Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- ✓ 85.48% of Derivatives fall under the short tenure of less than one year of remaining Maturity.

b) Quantitative Disclosures as on 31.03.2016.

(₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	31.03.2016		31.03.2015	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	**Derivatives (Notional Principal Amount)**				
	a) For Hedging	**28.68**	**9073.81**	84.54	10,856.95
	b) For Trading	**NIL**	**NIL**	NIL	NIL
2	**Marked-To-Market Positions**				
	a) Asset (+)	**4.64**	**1.80**	10.84	137.93
	b) Liability (-)	**4.60**	**0.00**	(-) 10.57	(-) 6.97
3	**Credit Exposure**	**5.21**	**76.84**	19.29	180.51
4	**Likely impact of 1% change in interest rates (100*PV01)**				
	a) On Hedging Derivatives	**0.15**	**8.63**	1.18	(-) 209.75
	b) On Trading Derivatives	**NIL**	**NIL**	NIL	NIL
5	**Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during year**				
	a) On Hedging				
	Minimum	--	--	--	--
	Maximum	--	--	--	--
	b) On Trading				
	Minimum	**NIL**	**NIL**	NIL	NIL
	Maximum	**NIL**	**NIL**	NIL	NIL

6.D Credit Default Swaps

During the Financial Year, the Parent Bank has not traded in Credit Default Swaps.

7. ASSET QUALITY

a) *Non-Performing Assets*

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
(i) Net NPA to Net Advances (%)	**4.48%**	1.90%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a. Opening balance	**6,442.38**	4,611.13
b. Additions (Fresh NPAs) during the year*	**12,200.54**	5,499.97
c. Reductions during the year	**4,810.76**	3,668.72
d. Closing balance	**13,832.16**	6,442.38
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	**3,843.65**	2,720.60
b. Additions during the year	**8,380.38**	3,770.64
c. Reductions during the year	**3,209.16**	2,647.59
d. Closing balance	**9,014.87**	3,843.65
(iv) Movement of Provisions for NPAs (Excluding Provisions on Standard Assets)		
a. Opening balance	**2,466.88**	1,764.20
b. Provisions made during the year	**3,820.16**	1,729.33
c. Write Off / Write Back of Excess Provisions	**1,616.60**	1,026.65
d. Closing balance	**4,670.44**	2,466.88
e. Provision Coverage Ratio (%)	**53.73%**	66.61%

*****Net off transfer to Other Assets (Refer Note No. 14(a))

बी/b) वर्ष 2015-16 के दौरान पुनर्संरचित खातों का विवरण/Details of Accounts Restructured during the Year 2015 – 16

(₹ करोड़ में/₹ in crores)

SL. No.	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण/DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31-03-2016																				
	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत UNDER CDR MECHANISIM					एस एम ई के अंतर्गत UNDER SME					अन्य OTHERS					कुल TOTAL				
	आस्ति वर्गीकरण ASSET CLASSIFICATION		एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL
1.	दि. 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते Restructured Accounts as on 01.04.2015	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	30	5	7	0	42	597	1125	3258	486	5466	57010	19973	10762	1272	89017	57637	21103	14027	1758	94525
		बकाया राशि/AMT O/S	2273.24	172.28	532.59	0.00	2978.11	182.86	78.66	122.37	10.87	394.76	6641.31	368.59	356.89	27.26	7394.05	9097.41	619.53	1011.85	38.13	10766.92
		प्रावधान/PROVISION	136.64	8.32	22.30	0.00	167.26	2.32	2.33	4.37	0.00	9.02	345.39	12.36	7.25	0.00	365.00	484.35	23.01	33.92	0.00	541.28
2.	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0	14	41	1	0	56	15916	393	32	5	16346	15930	434	33	5	16402
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	8.15	0.02	0.00	33.67	655.62	25.93	1.39	0.15	683.09	681.12	34.08	1.41	0.15	716.76
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.28	0.00	0.00	0.33	31.73	0.68	0.03	0.00	32.44	31.78	0.96	0.03	0.00	32.77
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में स्तरोन्नत Upgradations to restructured standard category during the Financial Year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	33	0	0	0	33	34	0	0	0	34
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58	5.63	0.00	0.00	0.00	5.63
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
4.	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो उच्च प्रावधानों और/या अतिरिक्त जोखिम भार से बाहर हो गया हो और इस कारण अगले वित्तीय वर्ष की शुरूआत में उसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में नहीं दर्शाया जाए।/ Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of Financial Year and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next Financial Year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	1	0	0	0	1	158	0	0	0	158	9283	0	0	0	9283	9442	0	0	0	9442
		बकाया राशि/AMT O/S	185.66	0.00	0.00	0.00	185.66	15.76	0.00	0.00	0.00	15.76	1147.41	0.00	0.00	0.00	1147.41	1348.83	0.00	0.00	0.00	1348.83
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	54.58	0.00	0.00	0.00	54.58	54.94	0.00	0.00	0.00	54.94
5.	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की गिरावट/ Downgradations of restructured accounts during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	4	10		14	0	405	1	3	409	0	26890	122	218	27230	0	27299	133	221	27653
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	153.22	879.91		1033.13	0.00	27.39	0.02	0.01	27.42	0.00	867.20	179.12	1.97	1048.29	0.00	1047.81	1059.05	1.98	2108.84
		प्रावधान/PROVISION	0.00	2.00	19.18	0.00	21.18	0.00	0.86	0.00	0.00	0.86	0.00	27.18	0.50	0.00	27.68	0.00	30.04	19.68	0.00	49.72
6.	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेख/ Written - off restructured accounts during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	18	1	-11	0	8	257	761	90	-245	863	17718	-6525	-11440	-764	-1011	17993	-5763	-11361	-1009	-140
		बकाया राशि/AMT O/S	875.79	19.06	-834.57	0.00	60.28	74.66	59.43	16.08	-4.81	145.36	2510.18	-485.03	-475.21	-7.06	1543	3460.63	-406.54	-1293.70	-11.87	1748.52
		प्रावधान/PROVISION	110.74	6.32	-9.55	0.00	107.51	-1.06	1.75	2.03	0.00	2.72	88.02	-14.13	-4.43	0.00	69	197.70	-6.06	-11.95	0.00	179.69
7.	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते* Restructured accounts as on 31.03.2016 *	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	11	4	18	0	33	196	405	3169	731	4501	45925	26891	22234	2041	97091	46132	27300	25421	2772	101625
		बकाया राशि/AMT O/S	1211.79	153.22	1367.16	0.00	2732.17	117.94	27.38	106.31	15.68	267.31	3639.34	879.55	833.49	34.47	5386.85	4969.07	1060.15	2306.96	50.15	8386.33
		प्रावधान/PROVISION	25.90	2.00	31.85	0.00	59.75	3.07	0.86	2.34	0.00	6.27	234.52	27.17	11.71	0.00	273.40	263.49	30.03	45.90	0.00	339.42

*पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिसमें उच्च प्रावधान या जोखिम भारांक (यदि लागू हो) नहीं है उनके आंकडों को हटाकर तथापि दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार इन खातों को भी दिखाया गया है।

*Excluding the figures of standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable). However, the provisions as on 31-03-2016 have been shown including these accounts.

नोट/Note:

1. अंतिम शेष = प्रारंभिक शेष + नया – अपवर्जित – बट्टे खाते डाले गये बंद किया गया आदि 7 = 1 + 2 – 4 – 6/Closing Balance = Opening Balance + Fresh – Excluded – Write Off, Closed, etc., i.e. 7 = 1 + 2 – 4 – 6.
2. मौजूदा खाता के अंतर्गत स्तर उन्नयन और गिरावट संपन्न होती है। अत: उन्हे मिलान के उद्देश्य के लिए ध्यान में नहीं लिया जाता है।/pgradations and Slippages happen within the existing accounts. Hence they are not taken account for tallying purpose.

सी) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(i) खातों की संख्या	**4**	5
(ii) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	**281.89**	795.18
(iii) कुल प्रतिफल	**502.88**	1115.22
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	**0.00**	0.00
(v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि	**220.99**	320.04

c) Details of financial assets sold to Securitisation/Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
(i) No. of accounts	**4**	5
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company / Reconstruction Company	**281.89**	795.18
(iii) Aggregate consideration	**502.88**	1115.22
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	**0.00**	0.00
(v) Aggregate gain / loss over net book value.	**220.99**	320.04

डी) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस सी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आर सी) के प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्निहित रूप में बैंक द्वारा बेचा गया समर्थित एनपीए		अंतर्निहित रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचा गया समर्थित एनपीए		कुल	
	31.03.16	31.03.15	31.03.16	31.03.15	31.03.16	31.03.15
प्रतिभूति रसीद में निवेश का बही मूल्य	**1,065.54**	908.48	**0.00**	0.00	**1,065.54**	908.48

ई) खरीदे/बेचे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. खरीदे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.	**शून्य**	शून्य
(बी) कुल बकाया	**शून्य**	शून्य
2. (ए) उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की सं.	**शून्य**	शून्य
(बी) कुल बकाया	**शून्य**	शून्य

बी. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1. बेचे गए खातों की सं.	**शून्य**	शून्य
2. कुल बकाया	**शून्य**	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	**शून्य**	शून्य

एफ) मानक आस्तियों पर प्रावधान (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	**724.53**	771.19

8. कारोबार अनुपात

क्रम सं.	विवरण	31-03-2016	31-03-2015
(i)	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता **(%)**	**7.92%**	8.22%
(ii)	कार्यशील निधियों की तुलना में गैर ब्याजी आय की प्रतिशतता **(%)**	**0.86%**	0.80%
(iii)	कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता **(%)**	**1.14%**	1.52%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ **(%)**	**-0.56%**	0.58%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि +अग्रिम) **(₹ करोड़ में)**	**14.61**	15.39
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ **(₹ लाख में)**	**-5.51**	5.55

नोट: कार्यशील निधियाँ, प्रबंधन वर्ग द्वारा परिकलित मासिक औसत पर आधारित है और लेखा परीक्षको द्वारा माना गया है ।

d) Book value of Investments in Security Receipts of Securitisation Company(SCs)/Reconstruction Company (RCs).

(₹ in crores)

Particulars	Backed by NPAs sold by the Parent Bank as underlying		Backed by NPAs sold by other Banks / Financial Institutions/non-banking financial companies as underlying		Total	
	31.03.16	31.03.15	31.03.16	31.03.15	31.03.16	31.03.15
Book Value of Investments in Security Receipts	**1,065.54**	908.48	**0.00**	0.00	**1,065.54**	908.48

e) Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of Non-Performing Financial Assets Purchased

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
1. (a) No. of Accounts Purchased during the year	**NIL**	NIL
(b) Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	**NIL**	NIL
(b) Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL

B. Details of Non-Performing Financial Assets Sold (₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
1. No. of Accounts Sold	**NIL**	NIL
2. Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL
3. Aggregate Consideration Received	**NIL**	NIL

f) Provisions on Standard Assets (₹ in crores)

Particulars	As on 31-03-2016	As on 31-03-2015
Provisions towards Standard Assets	**724.53**	771.19

8. BUSINESS RATIOS

Sl. No.	Particulars	31-03-2016	31-03-2015
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds **(%)**	**7.92%**	8.22%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds **(%)**	**0.86%**	0.80%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds **(%)**	**1.14%**	1.52%
(iv)	Return on Assets **(%)**	**-0.56%**	0.58%
(v)	Business (Deposits plus Advances) per Employee **(₹ in Crores)**	**14.61**	15.39
(vi)	Profit per Employee **(₹ in *Lakhs*)**	**-5.51**	5.55

Note: Working funds are based on monthly average as calculated by the management and relied upon by the Auditors.

9. आस्ति देयता प्रबंधन/ ASSET LIABILITY MANAGEMENT

आस्तियों और देयताओं के कुछ मदों के परिपक्वता स्वरूप /MATURITY PATTERN OF CERTAIN ITEMS OF ASSETS AND LIABILITIES

(₹ करोड़ में/Amount ₹ in crores)

ऋण और अग्रिम, निवेश, जमाराशि और उधार का परिपक्वता स्वरूप/THE MATURITY PATTERN OF LOANS & ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS												
(भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न परिपक्वता बकेट के अंतर्गत)/(UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY THE RESERVE BANK OF INDIA)												
क्रम सं./Sl. No.	As on दि. 31.03.2016 को	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 days	8-14 दिन 8-14 days	15-28 दिन 15-28 days	29 दिनों से 3 महीने तक 29 days to 3 months	3-6 महीने >3-6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक >6 months to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 year to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक >5 years	कुल Total
1	जमाराशि/Deposits	**1,506.26**	**10,202.69**	**6,990.66**	**7,686.38**	**44,262.91**	**39,653.00**	**58,404.26**	**81,220.30**	**10,135.20**	**1,673.67**	**2,61,735.34**
2	अग्रिम/Advances	**3,688.92**	**2,538.50**	**3,714.98**	**5,058.53**	**12,433.05**	**17,038.09**	**18,936.02**	**64,170.54**	**28,839.73**	**44,950.14**	**2,01,368.49**
3	निवेश/Investments	**0.00**	**413.32**	**0.00**	**128.48**	**1,090.90**	**447.88**	**2,168.97**	**14,503.92**	**7,158.94**	**42,709.46**	**68,621.87**
4	उधार/Borrowings	**21.24**	**3,655.00**	**2,296.00**	**0.00**	**140.88**	**24.21**	**4,388.68**	**5,253.59**	**3,357.96**	**6,363.63**	**25,501.20**
5	विदेशी मुद्रा आस्तियां/ Foreign Currency Assets	**211.90**	**1,696.78**	**2,608.29**	**3,568.24**	**7,254.27**	**7,357.71**	**6,404.04**	**2,411.00**	**3,003.52**	**5,549.20**	**40,064.95**
6	विदेशी मुद्रा देयताएँ/ Foreign Currency Liabilities	**180.55**	**2,427.89**	**2,732.52**	**1,496.10**	**12,904.54**	**4,453.47**	**6,410.38**	**6,428.86**	**3,403.14**	**0.00**	**40,437.44**
नोट: उपर्युक्त मद सं. 5 और 6 को उक्त मद सं 1 से 4 के संबंधित शीर्षों में शामिल किया गया है ।/**Note:** Item No. 5 and 6 above are included in respective heads in item no. 1 to 4 above.												

10. निवेश

ए. रियल इस्टेट क्षेत्र में निवेश (₹ करोड़ में)

श्रेणी	31-03-2016	31-03-2015
ए) प्रत्यक्ष निवेश	**27,825.77**	22,513.29
(i) आवासीय बंधक– उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार;	**16,276.40**	11,142.95
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	**10,860.77**	7,878.63
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन खुदरा स्थान, बहु–उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु–पारिवारिक आवासीय भवन, बहु–किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार। निवेश में गैर–निधि आधारित (एन.एफ.बी.) सीमाएँ भी शामिल होंगी;	**9,849.33**	9,259.48
(iii) गैर सी.आर.ई. को अन्य प्रत्यक्ष ऋण	**1,700.04**	1,392.30
(iv) बंधक समर्थित जमानत (एम.बी.एस.) में निवेश और अन्य प्रतिभूतीकृत निवेश – ए. आवासीय बी. वाणिज्यिक रियल इस्टेट	**0.00** **0.00**	90.81 627.75
बी) परोक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर–निधि आधारित निवेश	**2,836.13**	2,881.76
रियल इस्टेट क्षेत्र को कुल ऋण	**30,661.90**	25,395.05

बी. पूंजी बाजार में निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को वैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	**243.15**	211.63
(ii) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में और ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	**0.32**	0.32
(iii) अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है ।	**0.00**	0.00

10. EXPOSURES

A. Exposure to Real Estate Sector (₹ in crores)

Category	31-03-2016	31-03-2015
a) Direct Exposure	**27,825.77**	22,513.29
(i) Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	**16,276.40**	11,142.95
Out of the above, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	**10,860.77**	7,878.63
(ii) Commercial Real Estate (Fund-based and non-fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse spaces, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based limits.	**9,849.33**	9,259.48
(iii) Any other Direct Exposure to Non CRE	**1,700.04**	1,392.30
(iv) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposure a. Residential b. Commercial Real Estate	 **0.00** **0.00**	 90.81 627.75
b) Indirect Exposure Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**2,836.13**	2,881.76
Total Exposure to Real Estate Sector	**30,661.90**	25,395.05

B. Exposure to Capital Market (₹ in crores)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**243.15**	211.63
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	**0.32**	0.32
(iii) Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security	**0.00**	0.00

(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है।	**0.00**	0.00
(v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और बेज़मानती अग्रिम और स्टाक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां	**0.00**	1.00
(vi) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की ज़मानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	**816.37**	941.79
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण	**0.00**	0.00
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में मूल कंपनी द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता	**0.00**	0.00
(ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉकब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता	**0.25**	58.67
(x) जोखिम पूंजी को दिए गए सभी ऋण (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	**152.90**	158.91
पूंजी बाजार में किए गए कुल निवेश	**1,212.99**	**1,372.32**

सी. जोखिम श्रेणी वार देशी निवेश (₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	31 मार्च, 2016 को निवेश (निवल)	31 मार्च, 2016 को धारित प्रावधान	31 मार्च 2015 को निवेश (निवल)	31 मार्च 2015 को धारित प्रावधान
नगण्य	**4,485.10**	**शून्य**	4,275.08	शून्य
कम	**1,410.42**	**शून्य**	1,758.62	शून्य
मध्यम कम	**16.47**	**शून्य**	19.14	शून्य
मध्यम	**18.43**	**शून्य**	6.72	शून्य
मध्यम अधिक	**0.00**	**शून्य**	1.82	शून्य
उच्च	**0.00**	**शून्य**	0.00	शून्य
अति उच्च/प्रतिबंधित	**0.00**	**शून्य**	1.75	शून्य
ऋणेतर	**0.00**	**शून्य**	Nil	शून्य
कुल	**5,930.42**	**शून्य**	6,063.13	शून्य

नोट: मूल बैंक ने 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों में अपनी निवल निधि निवेश का विश्लेषण किया है और ऐसे निवेश बैंक की कुल आस्तियों में से अन्य देशों में निवेश के लिए निर्धारित बैंक के कुल आस्तियों के 1% की लक्ष्य के अंतर्गत है ।

डी. एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) में, बैंक द्वारा सीमा से अधिक आहरण के ब्यौरे: शून्य

इ. बेजमानती अग्रिम

उन अग्रिमों की राशि जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है:

(₹ करोड़ में)

कुल अग्रिमों की राशि जहां अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है जैसे अधिकारों पर चार्ज, लाइसेंसों, प्राधिकारों इत्यादि पर प्रभार	266.92
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	1024.44

11. प्रावधान

ए) आय कर प्रावधान

कर सलाहकारों की सलाह के अनुसार संगत नीति का अनुसरण करने पर यानी यह कि एमएटी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए लागू नहीं है; मूल बैंक द्वारा चालू वर्ष की देयता की गणना की गई और आयकर के लिए प्रावधान की गई अतिरिक्त बही में स्थित ₹335 करोड़ की रकम वापस जमा की गई।

बी) वर्ष के दौरान कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
आयकर (लंदन शाखा सहित) के लिए प्रावधान	**536.95**	642.36
संपत्ति कर का प्रावधान	**-**	1.74
डीटीए/डीटीएल	**85.00**	163.93
पिछले वर्ष एमएटी प्रावधान का प्रत्यावर्तन	**-**	(335.00)
कुल	**621.95**	473.03

(iv) Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	**0.00**	0.00
(v) Secured and unsecured advances to Stock brokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers	**0.00**	1.00
(vi) Loans sanctioned to Corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**816.37**	941.79
(vii) Bridge loans to Companies against expected equity flows / issues.	**0.00**	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds.	**0.00**	0.00
(ix) Finance to Stock brokers for margin trading	**0.25**	58.67
(x) All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**152.90**	158.91
Total Exposure to Capital Market	**1,212.99**	**1,372.32**

C. Risk Category wise Country Exposure (₹ in crores)

Risk Category	Exposure (net) as at 31st March 2016	Provision held as at 31st March, 2016	Exposure (net) as at 31st March, 2015	Provision held as at 31st March, 2015
Insignificant	**4,485.10**	**Nil**	4,275.08	Nil
Low	**1,410.42**	**Nil**	1,758.62	Nil
Moderately Low	**16.47**	**Nil**	19.14	Nil
Moderate	**18.43**	**Nil**	6.72	Nil
Moderately High	**0.00**	**Nil**	1.82	Nil
High	**0.00**	**Nil**	0.00	Nil
Very High / Restricted	**0.00**	**Nil**	1.75	Nil
Off-Credit	**0.00**	**Nil**	Nil	Nil
Total	**5,930.42**	**Nil**	6,063.13	Nil

Note: The Parent Bank has analysed its net funded exposures to various countries as on 31.03.2016 and such exposures to countries is well within the stipulation of 1% of total assets of the Bank.

D. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank: NIL

E. Unsecured Advances

Amount of advance for which, intangible securities has been taken:

(₹ in crores)

The total amount of advances for which intangible securities such as charge over rights, licences, authority etc., has been taken.	266.92
Estimated value of such intangible collaterals.	1024.44

11. PROVISIONS

a) Income Tax Provision

Following its consistent policy based on the advice of its tax consultants that MAT is not applicable to the Public Sector Banks, the Parent Bank has calculated its current year tax liability.

b) Amount of provisions made for Tax during the year

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Provision for Income Tax (including London Branch)	**536.95**	642.36
Provision for Wealth Tax	**-**	1.74
(DTA) / DTL	**85.00**	163.93
Reversal of MAT Provision of earlier years	**-**	(335.00)
Total	**621.95**	473.03

सी) एचटीएम प्रतिभूतियों पर आस्थगित कर देयता :–

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किये गये अनुसार बैंक ने एचटीएम प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच के अंतर के संबंध में आस्थगित कर देयता को पता लगाने का निर्णय लिया है। बैंक ने 31.03.2016 को इसके प्रति ₹545.85 करोड़ का प्रावधान किया है। इसी तरह आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की राय का पालन करते हुए बैंक ने बहियों एवं आय कर के अनुसार अनर्जक आस्तियों के प्रावधान में अंतर पर आस्थगित कर आस्ति (डी टी ए) को पहचाना है और 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार ₹594.24 करोड़ डी टी ए को पहचाना है।

12. चलनिधि कवरेज अनुपात

ए) परिमाणात्मक प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

		चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
		कुल अभारित[3] मूल्य (औसत)	कुल भारित[4] मूल्य (औसत)	कुल अभारित[3] मूल्य (औसत)	कुल भारित[4] मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ					
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		26,231.40		31,465.82
	नकद बहिर्गमन				
2	खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा, जिसमें :				
	(i) स्थायी जमा	47,362.84	2,368.14	46,753.56	2,337.68
	(ii) कम स्थायी जमा	70,365.39	7,036.54	67,081.64	6,708.16
3	असुरक्षित थोक निधीयन, जिसमें :				
	(i) परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) गैर–परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	29,422.25	11,768.90	26,103.30	10,441.32
	(iii) असुरक्षित ऋण	14,520.11	14,520.11	15,649.21	15,649.21
4	सुरक्षित थोक निधीयन		3.06		0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें :				
	(i) व्युत्पन्नी एक्सपोजर्स से संबंधित बहिर्गमन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं	24.78	24.78	72.96	72.96
	(ii) ऋण उत्पादों पर कोष की हानि संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00	0.00	0.00
	(iii) ऋण और चलनिधि सुविधा	22,235.73	3,066.92	19,031.00	1,684.09
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	112.15	199.25	0.00	0.00
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	20,014.62	1,018.53	18,620.47	931.02
8	**कुल नकद की बहिर्गमन**		40,006.22		**37,824.45**
	नकद का आगमन				
9	रक्षित उधार (उदाहरण रिवर्स रेपो)	5,153.21	5,153.21	3,219.96	3,219.96
10	पूर्णरूप से निष्पादन एक्सपोजरों से आगमन	20,285.90	13,868.55	18,771.86	12,671.79
11	अन्य नकद आगमन	13.59	13.59	10.28	10.28
12	**कुल नकद आगमन**	**25,452.70**	**19,035.36**	**22,002.10**	**15,902.03**
			समयोजित कुल मूल्य		**समयोजित कुल मूल्य**
13	**कुल एचक्यूएलए**		**26,231.40**		**31,465.82**
14	**कुल निवल नकद बहिर्गमन**		**20,970.86**		**21,922.41**
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		**125.08%**		**143.53%**

c) Deferred Tax Liability on HTM Securities:

As advised by Reserve Bank of India, the Parent Bank has decided to recognize Deferred Tax Liability (DTL) in respect of difference in valuation of HTM securities between accounting income and taxable income. The Bank has provided an amount of ₹545.85 Crores towards the same as on 31.03.2016. Similarly, following the opinion of Expert Advisory Committee (EAC) of ICAI, the Bank has recognized Deferred Tax Asset (DTA) on the difference in the provision for Non-Performing Assets as per the books and as per income tax and DTA of ₹594.24 Crores has been recognized as on 31.03.2016.

12. LIQUIDITY COVERAGE RATIO

A) Quantitative Disclosures (₹ in crores)

		Current year		Previous Year	
		Total Unweighted[3] Value (average)	Total Weighted[4] Value (average)	Total Unweighted[3] Value (average)	Total Weighted[4] Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		26,231.40		31,465.82
	Cash Outflows				
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:				
	(i) Stable deposits	47,362.84	2,368.14	46,753.56	2,337.68
	(ii) Less stable deposits	70,365.39	7,036.54	67,081.64	6,708.16
3	Unsecured wholesale funding, of which:				
	(i) Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) Non-operational deposits (all counterparties)	29,422.25	11,768.90	26,103.30	10,441.32
	(iii) Unsecured debt	14,520.11	14,520.11	15,649.21	15,649.21
4	Secured wholesale funding		3.06		0.00
5	Additional requirements, of which				
	(i) Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	24.78	24.78	72.96	72.96
	(ii) Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
	(iii) Credit and liquidity facilities	22,235.73	3,066.92	19,031.00	1,684.09
6	Other contractual funding obligations	112.15	199.25	0.00	0.00
7	Other contingent funding obligations	20,014.62	1,018.53	18,620.47	931.02
8	**Total Cash Outflows**		40,006.22		**37,824.45**
	Cash Inflows				
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	5,153.21	5,153.21	3,219.96	3,219.96
10	Inflows from fully performing exposures	20,285.90	13,868.55	18,771.86	12,671.79
11	Other cash inflows	13.59	13.59	10.28	10.28
12	**Total Cash Inflows**	**25,452.70**	**19,035.36**	**22,002.10**	**15,902.03**
			Total Adjusted Value		**Total Adjusted Value**
13	**TOTAL HQLA**		**26,231.40**		**31,465.82**
14	**Total Net Cash Outflows**		**20,970.86**		**21,922.41**
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**125.08%**		**143.53%**

बी. गुणात्मक प्रकटीकरण:

1. एल सी आर में योगदान हेतु मुख्य संचालक एस एल आर की आवश्यकता में अधिक तरल निवेश, आर बी आई द्वारा उपलब्ध, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसलिटी (सीमांत/अल्प स्थायी सुविधा) और एल सी आर के लिए उपलब्ध तरलता की सुविधा है। जमा मुख्य बहिर्गमन है। परिपक्वता पूर्व विकल्प के बिना सावधि जमाराशियों की स्वीकृति से एक अवधि पर उसके अनुपात में सुधार आएगा।
2. ब्याज दर परिदृश्य में परिवर्तन होने से एल सी आर भी बदल जाता है और ऋण में भी वृद्धि होती है।
3. उच्च गुणवत्ता तरल आस्ति (एच क्यू एल ए) में मुख्यत: नकद, अतिरिक्त सी आर आर, अतिरिक्त एस एल आर की आवश्यकता में सरकारी प्रतिभूतियाँ, उपलब्ध एम एस एफ सुविधा, एल सी आर के लिए उपलब्ध तरलता की सुविधा आदि शामिल होते हैं।
4. निधीयन स्त्रोत मुख्य रूप से खुदरा जमा, गैर वित्तीय कॉर्पोरेट द्वारा जमा, अन्य वैध संस्थाओं द्वारा निधीयन पर संकेंद्रित है।
5. बैंक के पास संतुलित व्युत्पन्नी एक्सपोजर है और एल सी आर को उसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान संपार्श्विक मांगे भी महत्वपूर्ण नहीं है।
6. भारतीय रुपया महत्वपूर्ण मुद्रा है तथा अन्य मुद्रा में एलसीआर का महत्व नहीं है।
7. निवेश समिति उच्च स्तरीय समिति है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक तथा महत्वपूर्ण विभागों; जैसे ट्रेजरी (राजकोष), जोखिम प्रबंधन, ऋण एवं आयोजना आदि के महा प्रबंधकों को शामिल किया जाता है। यह समिति प्राय: दैनिक आधार पर एवं तत्काल आवश्यकता पडने पर बैठती है। निवेश समिति की महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य बैंक की निवेश स्थिति एवं निधियों की समीक्षा है। इस बैठक के दौरान तरलता स्थिति एवं प्रक्षेपित नकद का आगमन और बहिर्गमन पर चर्चा की जायेगी। तरलता के केन्द्रीकरण का स्तर ऊँचा होता है एवं समूह की ईकाइयों के बीच का संप्रेषण भी प्रभावकारी होता है।
8. मूल बैंक के पास एल सी आर की गणना के उद्देश्य से अन्य कोई महत्वपूर्ण नकद आगमन एवं बहिर्गमन विलोपित नहीं है।

13. लेखाकरण मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानकों (जहाँ तक लागू हो) के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

i) उक्त अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पिछली अवधि की मदें तथा लेखाकरण नीति में परिवर्तन (एएस 5):

अनुसूची 14 – ''अन्य आय – विविध आय'' में ₹20.75 करोड़ रकम शामिल है, जो 2014-15 के दौरान प्रभारित अधिक मूल्यह्रास के पर्यावर्तन की रकम है और यह पूर्ववर्ति अवधि से संबंधित है (पिछले वर्ष: शून्य)

ii) मूल्यह्रास के लिए लेखाकरण (एएस 6):

प्रत्येक वर्ग के आस्तियों के लिए वर्ष में किए गए कुल मूल्यह्रास का विश्लेषण:

(₹ करोड़ में)

आस्ति का वर्ग	31.03.2016		31.03.2015	
परिसर	**66.09**		34.13	
घटाएं : पुर्नमूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास	**58.43**	**7.66**	28.09	6.04
फर्नीचर और जुड़नार		**56.69**		52.38
कंप्यूटर एवं यूपीएस		**134.93**		128.15
कुल		**199.28**		**186.57**
कुल (सकल)		**257.71**		**214.66**

iii) राजस्व की पहचान (एएस 9):

अनुसूची – 17, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अंतर्गत लेखाकरण नीति सं. 8 के अनुसार आय की कुल मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण उनको उगाही के आधार पर पहचान की गयी है ।

B) Qualitative Disclosures:

1. The main drivers for the contribution to the LCR are Excess liquid investments over the SLR requirement, the marginal standing facility (MSF) available from RBI and the facility to avail liquidity for LCR. Major outflows are the Deposits. Promotion of acceptance of Term Deposits without pre-mature option will improve the ratio over a period.
2. The LCR would undergo change due to change in the interest rate scenario, likely pick up in the credit etc.
3. High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of Cash, Excess CRR, Government securities in excess of SLR requirements, Available MSF facility, facility to avail liquidity for LCR.
4. Mainly the funding sources are concentrated with the retail deposits, Deposits from non-financial corporate and funding from other legal entities.
5. Bank has modest derivative exposures and it's contribution to the LCR is not significant. Currently potential collateral calls are not significant.
6. Major currency is INR and the LCR in other currency is not significant.
7. Investment Committee is the top level committee, comprising of Chairman and Managing Director, Executive Directors and the General Managers from significant departments like Treasury, Risk Management, Credit and Planning etc. This committee meets preferably on daily basis and as may be required depending upon the urgency. One of the major functions of the Investment committee is to review the Funds and Investment position of the Parent Bank. The liquidity position and the projected cash inflow and the outflows will be discussed during this meeting.

   The degree of centralization of liquidity management is high and the communication between the group's units is high.
8. Parent Bank does not have any other major cash inflows and outflows omitted for the purpose of LCR computation.

13. DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)

The disclosures under Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (to the extent applicable) are given below:

i) Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (AS 5):

The Schedule 14 – "Other Income – Miscellaneous Income" includes an amount of ₹20.75 Cr. being the reversal of excess depreciation charged during the year 2014-15, as it pertains to prior period. (Previous Year: Nil).

ii) Accounting for Depreciation (AS 6):

Break up of total depreciation for the year for each class of assets: (₹ in crores)

Class of Assets	31.03.2016		31.03.2015	
Premises	**66.09**		34.13	
Less: Dep. on revalued portion	**58.43**	**7.66**	28.09	6.04
Furniture and Fixtures		**56.69**		52.38
Computers and UPS		**134.93**		128.15
TOTAL		**199.28**		**186.57**
TOTAL (GROSS)		**257.71**		**214.66**

iii) Revenue Recognition (AS 9):

AAs per Accounting Policy no. 8, given in Schedule – 17, Consolidated Significant Accounting Policies, certain items of income are recognised on realisation basis on account of statutory requirement or on account of materiality.

iv) विदेशी विनिमय दर में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11):

ए) वर्ष के लिए लाभ/हानि के तहत निवल लाभ में ₹9.44 करोड़ (पिछले वर्ष के लिए ₹37.98 करोड़ की हानि) की हानि भी शामिल है जिसे विदेशी मुद्रा आस्ति व देयताएं के ए एस 11 मूल्यांकन के कारण, विनिमय में अंतर के तहत दर्ज किया गया।

बी) विनियामक निदेशों के अनुसार, फोरेक्स आस्तियों और देयताओं से संबंधित लेखाकरण मानक (ए.एस. 11) का पालन किया गया ताकि तुलन-पत्र में इसका उचित और सही प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

v) कर्मचारी लाभ (एएस 15):

आई सी ए आई द्वारा जारी किया गया एएस 15 के अनुसार मूल बैंक ने कर्मचारी लाभों का लेखांकन किया है।

परिनिश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की प्रारंभिक शेष और इतिशेष का समाधान और वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रत्येक मद पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् है:

ए) तुलन-पत्र का मुख्य बीमांकिक अनुमान (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	निधिक पेंशन	निधिक उपदान	गैर-निधिक छुट्टी का नकदीकरण
बट्टा दर	8.40%	8.40%	8.40%
प्रत्याशित वेतन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%	5.00%
आस्तियों पर प्राप्ति	8.40%	8.40%	NA

बी) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन-प्रारंभिक और अंतिम शेष का मिलान (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) वर्ष के आरंभ में पी वी ओ	**5,360.18**	**979.10**	**457.38**
बी) जोडें: ब्याज लागत	416.61	74.09	36.13
सी) जोडें: चालू सेवा लागत	513.52	45.81	46.12
डी) घटाएं : प्रदत्त लाभ	801.17	193.95	54.41
ई) जोडें: दायित्व पर बीमांकित हानि/ लाभ प्राप्ति(-)	264.73	86.28	47.40
एफ) वर्ष के अंत में पी वी ओ	**5,753.87**	**991.33**	**532.62**

सी) नियोजित आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन - प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष का मिलान (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के आरंभ में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	**5,263.27**	**955.36**
बी) जोडें: नियोजित आस्तियों पर प्रत्याशित आय	442.11	80.25
सी) जोडें: अंशदान	732.42	112.54
डी) घटाएं: प्रदत्त लाभ	801.16	193.95
ई) जोडें: बीमांकित लाभ/(-)हानि	16.16	-0.06
एफ) वर्ष के अंत में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	**5,652.80**	**954.14**

डी) तुलन-पत्र में पहचानी गई रकम

(₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के अंत पर देयता का वर्तमान मूल्य	5,753.87	991.33
बी) वर्ष के अंत पर नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	5,652.80	954.16
सी) अंतर	-101.07	-37.17
डी) पहचान न की गई संव्यवहार देयता	0.00	0.00
ई) तुलन-पत्र में पहचानी गई देयता	**-101.07**	**-37.17**

iv) Effects of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11):

a) The net profit for the year includes an amount of loss of ₹9.44Crores {₹ 37.98 Cr. of Loss for the previous year} being the profit/loss booked under difference in Exchange on account of AS-11 valuation of FX Assets & Liabilities.

b) In terms of Regulatory directives, Accounting Standard (AS 11) in respect of Forex Assets and Liabilities has been implemented to ensure a fair and true disclosure of the value of the same in the Balance-Sheet.

v) Employee Benefits (AS 15):

The Parent Bank has accounted for employee benefits as per AS 15 issued by the ICAI.

A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligations and the effects during the period attributable to each of the following is as under:

a) Principal Actuarial Assumptions at the Balance Sheet

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	FUNDED PENSION	FUNDED GRATUITY	UNFUNDED LEAVE ENCASHMENT
Discount Rate	8.40%	8.40%	8.40%
Expected Salary Escalation Rate	5.00%	5.00%	5.00%
Return on Assets	8.40%	8.40%	NA

b) Changes in the Present Value of the Obligations (PVO) - Reconciliation of opening and closing balances (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) **PVO as at the beginning of the year**	**5,360.18**	**979.10**	**457.38**
b) Add: Interest Cost	416.61	74.09	36.13
c) Add: Current Service Cost	513.52	45.81	46.12
d) Less: Benefits Paid	801.17	193.95	54.41
e) Add: Actuarial loss/gain(-) on obligation	264.73	86.28	47.40
f) **PVO as at the end of the year**	**5,753.87**	**991.33**	**532.62**

c) Changes in the Fair Value of plan assets - Reconciliation of opening and closing balance (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) **Fair Value of plan assets at the beginning of the year**	**5,263.27**	**955.36**
b) Add: Expected Return on Plan Assets	442.11	80.25
c) Add: Contributions	732.42	112.54
d) Less: Benefits Paid	801.16	193.95
e) Add: Actuarial gain / (-) loss	16.16	-0.06
f) **Fair Value of Plan Assets at the end of the year**	**5,652.80**	**954.14**

d) Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) Present Value of obligation at the end of the year	5,753.87	991.33
b) Fair value of plan assets at the end of the year	5,652.80	954.16
c) Net	-101.07	-37.17
d) Unrecognised transitional liability	0.00	0.00
e) **Liability Recognised in the Balance Sheet**	**-101.07**	**-37.17**

ई) लाभ एवं हानि खाते में पहचाना गया व्यय (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) चालू सेवा लागत	513.52	45.81	46.13
बी) ब्याज लागत	416.61	74.10	36.13
सी) घटाएं: योजना अस्तियों पर प्रत्याशित आय	442.11	80.25	-
डी) निवल बीमांकित हानि/लाभ (–)	248.56	86.34	47.40
लाभ एवं हानि लेखा खाते में पहचाना गया व्यय	**736.58**	**126.00**	**129.66**

एफ) तुलन–पत्र में पहचानी गई देयता का परिचालन (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
प्रारंभिक निवल देयता	96.91	23.74	0.00
लाभ एवं हानि खाते में पहचाने गए व्यय	736.58	126.00	129.66
दिए गए अंशदान	732.42	112.55	0.00
अंतिम निवल देयता	101.07	37.19	129.66
वर्षांत पर शेषनिधि/प्रावधान	**5,753.87**	**991.33**	**532.62**

e) Expense Recognized in the Profit and Loss Account (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) Current Service Cost	513.52	45.81	46.13
b) Interest Cost	416.61	74.10	36.13
c) Less: Expected Return on Plan Assets	442.11	80.25	-
d) Net Actuarial Loss / Gain (-)	248.56	86.34	47.40
Expenses Recognised in Profit & Loss Account	**736.58**	**126.00**	**129.66**

f) Movement in the Liability Recognized in Balance Sheet

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
Opening Net Liability	96.91	23.74	0.00
Expenses recognised in Profit & Loss Account	736.58	126.00	129.66
Contributions Paid	732.42	112.55	0.00
Closing Net Liability	101.07	37.19	129.66
Closing Fund/Provision at the end of year	**5,753.87**	**991.33**	**532.62**

vi) खण्डवार रिपोर्टिंग (एएस 17)/Segment Reporting (AS 17)

भाग ए : कारोबार खंड/Part A: Business Segments (₹ करोड़ में/₹ in crores)

कारोबार खण्ड/Business Segments	कोष/Treasury		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग/ Corporate / Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग/Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल/Total	
विवरण/Particulars	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY
राजस्व/Revenue	**6,913**	**6,233**	**9,005**	**11,035**	**9,457**	**6,152**	**456**	**428**	**25,831**	**23,848**
परिणाम/Result	946	1,088	1,554	1,943	1,631	1,084	183	185	4,314	4,300
अनांबटित लाभ/Unallocated Expenses	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	5,208	2,179
अनांबटित आय/Unallocated Income	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-	17
आय कर/Income Tax	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	623	474
असाधारण लाभ/हानि/Extraordinary Profit / Loss	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
शुद्ध लाभ/Net Profit	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	-1,517	1,664
अन्य सूचना/Other Information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खण्डवार आस्तियां/Segment Assets	79,918	75,289	1,42,882	1,42,826	58,486	59,893	24,274	23,519	3,05,560	3,01,527
अनाबंटित आस्तियां/Unallocated Assets	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	2,407	1,608
कुल आस्तियां/Total Assets	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	3,07,967	3,03,135
खण्डवार देयताएं/Segment Liabilities	77,127	72,429	1,37,893	1,37,403	56,443	57,619	23,426	22,625	2,94,889	2,90,076
अनाबंटित देयताएं/Unallocated Liabilities	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
कुल देयताएं/Total Liabilities	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	2,94,889	2,90,076

चालू वर्ष/CY – Current Year/ पिछला वर्ष/PY – Previous Year

भाग बी – भौगोलिक खंड (₹ करोड़ में)

	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व	24,889	22,833	942	1,015	25,831	23,848
आस्तियां	2,73,486	2,65,218	35,847	39,157	3,09,333	3,04,375

जहाँ आवश्यक समझा गया हो वहाँ पिछली अवधि/वर्ष के आंकडों को पुन: वर्गीकृत/समूहित किया गया ताकि समीक्षाधीन अवधि के साथ उसकी तुलना की जा सके।

vii) संगत पार्टी प्रकटीकरण (एएस 18)

ए) संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध

ए) अनुषंगी:
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहायक संस्थाएं:
प्रथमा बैंक
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

सी) प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक एवं उनके पारिश्रमिक

प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	पदनाम	अवधी	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ता (₹ लाख में)	
			2015-16	2014-15
श्री अरुण श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	15.05.2015 से	17.82	-
श्री टी. के श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	01.09.2013 से	21.99	18.91
श्री आर. एस. पाण्डेय	कार्यपालक निदेशक	10.03.2015 से	17.62	0.95
कुल			**57.43**	**19.86**

डी) संबद्ध पार्टी लेन–देन (₹करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक के संबंधी	कुल
1.	बकाया उधार	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
2.	बकाया जमा	0.22	0.01	0.23
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.23	0.01	0.24
3.	बकाया निवेश	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
4.	बकाया अग्रिम	0.23	0.38	0.61
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.29	0.39	0.68
5.	गैर निधिक प्रतिबद्धता	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
6.	पट्टे/एच–पी व्यवस्था ली गई	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
7.	पट्टे/एच–पी व्यवस्था प्रदान किया गया	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
8.	ब्याज प्रदत्त	0.01	-	0.01
9.	ब्याज प्राप्त	0.02	0.04	0.06
10.	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते	0.57	-	0.57
11.	सेवाएँ दी गई	-	-	-
12.	सेवाएँ ली गई	-	-	-
13.	संविदाओं के प्रबंध	-	-	-
14.	कोई अन्य प्राप्य	-	-	-
15.	कोई अन्य देय	-	-	-

नोट: एएस 18 के पैरा 9 ''संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण'' जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को अपने से संबंधित पार्टियों सहित अपने संव्यवहारों के बारे में किसी प्रकार का प्रकटीकरण से छूट देता है जो कि वे भी राज्य द्वारा नियंत्रित है ।

Part B: Geographic Segments (₹ in crores)

	Domestic		International		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Revenue	24,889	22,833	942	1,015	25,831	23,848
Assets	2,73,486	2,65,218	35,847	39,157	3,09,333	3,04,375

Figures of the previous period/year have been reclassified/regrouped wherever considered necessary to make them comparable with the period under review.

vii) Related Party Disclosures (AS 18):

(A) Names of Related Parties and their Relationship:

a) Subsidiary:
Syndbank Services Limited

b) Associates:
Prathama Bank
Karnataka Vikas Grameena Bank
Andhra Pragathi Grameena Bank

c) Key Management Personnel and their remuneration:

Key Management Personnel	Designation	Period	Remuneration and other allowances (in lakhs)	
			2015-16	2014-15
Sri Arun Shrivastava	Managing Director & CEO	From 15.05.2015	17.82	-
Sri T. K. Srivastava	Executive Director	From 01.09.2013	21.99	18.91
Sri R. S. Pandey	Executive Director	From 10.03.2015	17.62	0.95
TOTAL			**57.43**	**19.86**

d) Related Party Transactions (₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	TOTAL
1.	Borrowings outstanding	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
2.	Deposits outstanding	0.22	0.01	0.23
	Maximum during the year	0.23	0.01	0.24
3.	Investments outstanding	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
4.	Advances outstanding	0.23	0.38	0.61
	Maximum during the year	0.29	0.39	0.68
5.	Non funded commitments	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
6.	Leasing /HP arrangements availed	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
7.	Leasing /HP arrangements provided	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
8.	Interest paid	0.01	-	0.01
9.	Interest received	0.02	0.04	0.06
10.	Remuneration and other allowances	0.57	-	0.57
11.	Rendering of services	-	-	-
12.	Receiving of services	-	-	-
13.	Management of contracts	-	-	-
14.	Any other receivable	-	-	-
15.	Any other payable	-	-	-

Note: The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of Para 9- of AS 18 "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled.

viii) प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
लाभ एवं हानि खाते (ए) के अनुसार निवल लाभ (₹ हजार में)	**-1643,48,56**	1522,95,83
ईक्विटी शेयरों (बी) की भारित औसत संख्या	**66,22,81,923**	62,46,87,301
आमदनी प्रतिशेयर (रुपयों में) (सी = ए/बी)	**-24.82**	24.38
अंकित मूल्य प्रतिशेयर (₹)	**10.00**	10.00

ix) आयकर का लेखाकरण (एएस 22)

मूल बैंक ने एएस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार डी.टी.ए./डी.टी.एल. का निवल शेष ₹424.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 339.74 करोड़) था जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

आस्थगित कर आस्तियां	31-03-2016	31-03-2015
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	**184.33**	155.46
पुन:संरचित आस्तियों पर ब्याज के लिए प्रावधान	**195.96**	313.44
अचल आस्ति के डब्ल्यू डी वी में अंतर	**(7.84)**	8.28
प्रावधानों के प्रति समय के अंतर के कारण	**594.24**	0.00
अन्य	**76.85**	109.14
कुल	**1,043.54**	**586.32**

(₹ करोड़ में)

आस्थगित कर देयताएं	31-03-2016	31-03-2015
ब्याज उपचित हुआ परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं है।	**450.50**	470.54
धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षण	**471.92**	455.52
निवेशों पर मूल्यह्रास के कारण	**545.85**	-
कुल	**1,468.27**	**926.06**
निवल (डीटीए)/डीटीएल	**424.73**	**339.74**

x) अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस 25):

मूल बैंक, भा.रि.बैं. परिपत्र सं.डी.बी.एस.ए.आर.एस.सं. बी.सी. 17/08.91.001/2002-03 दिनांक 5 जून, 2003 के अनुसार अपने खातों के त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित फार्मेट को अपना रहा है।

xi) आस्तियों की हानि (ए एस 28):

मूल बैंक के प्रबंधन के विचारानुसार बैंक की कोई भी आस्तियों की हानि नहीं है ।

xii) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस 29)

प्रावधानों का चलन (अन्य प्रावधानों को छोडकर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	12.52	14.42
वर्ष के दौरान उपलब्ध	-9.08	0.11
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	2.01
अंतिम शेष	3.44	12.52
निधियों का बहिर्गमन/अनिश्चितताएँ	निपटान पर बहिर्गमन/परिणति	

लेखा परीक्षकों पर विश्वास करते हुए प्रबंधन द्वारा तैयार ।

14. अन्य प्रकटीकरण

ए) ए)अपवादात्मक मद, जयपुर क्षेत्र में मूल बैंक की तीन शाखाओं में पता लगाई गई भारी धोखाधड़ी की वजह से बट्टे खाते में डाली गई ₹882.65 करोड़ की रकम को निरूपित करती है, जो चार से भी अधिक वर्षों से चला आ रहा था। यह रकम ₹72.20 करोड़ के ब्याज प्रत्यावर्तन और ₹45.78 करोड़ की नकद जमाराशियों को घटाकर प्राप्त किया है। जाली प्रलेखों जैसे जाली गैर मौजूदा चेकों, एलसी एवं एलआईसी पालसियों के आधार पर होनेवाले लेन-देन को ध्यान में रखते हुए बैंक ने ऐसी रकम को ''अन्य आस्तियाँ कपटपूर्ण आहरण लंबित वसूली'' के रूप में वर्गीकृत किया और उसे अन्य व्ययों के अंतर्गत पूर्ण रूप से बट्टे खाते डाला गया।

viii) Earnings Per Share (AS 20):

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Net Profit as per Profit and Loss Account (A) (₹ in Thousands)	**-1643,48,56**	1522,95,83
Weighted Average Number of Equity Shares (B)	**66,22,81,923**	62,46,87,301
Earnings Per Share (EPS in ₹) (C= A/B)	**-24.82**	24.38
Face Value Per Share (₹)	**10.00**	10.00

ix) Accounting for Taxes on Income (AS 22):

The Parent Bank has complied with the requirements of AS 22. The net balance of (DTA)/DTL as on March 31, 2016 amounting to ₹424.73Crores {P.Y. ₹339.74Crores} consists of the following:

(₹ in crores)

Deferred Tax Assets	31-03-2016	31-03-2015
Provision for Leave Encashment	**184.33**	155.46
Provision for Restructured Assets	**195.96**	313.44
Difference in WDV of Fixed Assets	**(7.84)**	8.28
On account of timing difference towards provisions	**594.24**	0.00
Others	**76.85**	109.14
Total	**1,043.54**	**586.32**

(₹ in crores)

Deferred Tax Liabilities	31-03-2016	31-03-2015
Interest accrued but not due on securities	**450.50**	470.54
Special Reserve u/s 36(1)(viii)	**471.92**	455.52
On account of depreciation on Investments	**545.85**	-
Total	**1,468.27**	**926.06**
Net (DTA)/DTL	**424.73**	**339.74**

x) Interim Financial Reporting (AS 25):

The Parent Bank is adopting the format prescribed by the RBI for the purpose of quarterly return of its accounts as per RBI Circular No.: DBS. ARS.No. BC. 17/08.91.001/2002-03 dated June 5, 2003.

xi) Impairment of Assets (AS 28):

In the opinion of the Management of the Parent Bank, there is no impairment of assets of the Bank.

xii) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS 29):

Movement of provisions (excluding provisions for other))

(₹ in crores)

Particulars	Legal Cases/ Contingencies	
	Current Year	Previous Year
Opening Balances	12.52	14.42
Provided during the year	-9.08	0.11
Amount used during the year	-	2.01
Closing Balance	3.44	12.52
Timing of Outflow/ uncertainties	Outflow on settlement / crystallization	

Prepared by the management and relied upon by the Auditors.

14. OTHER DISCLOSURES

a) Exceptional item represents Write Off of ₹882.65 Crores, on account of major fraud discovered at the three Branches of the Parent Bank in Jaipur Region, which was spanning for more than four proceeding years. The amount is net of interest reversal of ₹72.20 Crores and available cash deposits of ₹45.78 Crores. In view of transactions being carried on the basis of fraudulent documents like, fake/non-existent cheques, LCs and LIC Policies, the Bank has classified such amount as "other Assets-Fraudulent Drawals Pending Recovery" and the same is fully written off under Other Expenses.

बी) प्रावधान और आकस्मिक व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**224.68**	(16.10)
एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	**3,638.37**	1,621.64
आय कर/संपत्ति कर आदि के लिए प्रावधान (समायोजन का निवल)	**621.94**	473.03
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय	**485.05**	405.78
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	409.80	36.54
पुनर्रचित खातों के लिए प्रावधान	(340.65)	17.10
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	140.00	180.00
सा.छु. नकदीकरण के लिए प्रावधान	75.24	34.71
कर्मचारी कल्याण निधि	20.00	20.00
अशोध्य ऋण बट्टे खाते डालना	83.12	42.17
सेनवेट प्रत्यावर्तन के लिए प्रावधान	37.01	32.11
पिग्मी एजंट को देयता के लिए प्रावधान	5.00	38.74
घोखाधड़ी के मामलों के लिए प्रावधान	21.43	9.83
उपभोक्ता/दीवानी मुकदमों लिए प्रावधान	-0.04	2.52
अरक्षित विदेशी मुद्रा के लिए प्रावधान	17.00	35.00
अन्य प्रावधान (अतिरिक्त प्रावधानों का प्रत्यावर्तन)	17.14	(42.94)
कुल	**4,970.04**	**2,484.35**

सी) अस्थायी प्रावधान के संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
ए) अस्थायी प्रावधान लेखे में प्रारंभिक शेष	**102.21**	204.42
बी) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	**0.00**	0.00
सी) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	**0.00**	102.21
डी) अस्थायी प्रावधान लेखे में इतिशेष	**102.21**	102.21

डी) भा.रि.बैं. द्वारा लगाए गए दंड

वर्ष के दौरान, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (पिछला वर्ष कुछ नहीं) की धारा 46(4) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया है ।

ई) आरक्षित निधियों से आहरण किए गए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधियाँ	आहरित राशि		उद्देश्य
		31.03.2016	31.03.2015	
1.	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	–	316.24	चूंकि यह स्थाई अंतर के रूप में लिया जाता है अत: मानक आस्ति के प्रत्यावर्तन हेतु डीटीए का प्रावधान किया गया है।

एफ) ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	31-03-2016	31-03-2015
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**143**	236
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	**5,060**	4,833
3.	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	**4,841**	4,926
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	**362**	143

जी) बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले

क्र. सं.	विवरण	31-03-2016	31-03-2015
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**31**	41
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले	**610**	601
3.	वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले	**602**	611
4.	वर्ष के अंत में लंबित मामले	**39**	31

एच) बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के प्रति पारित अधिनिर्णय

क्र. सं.	विवरण	31-03-2016	31-03-2015
1.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	0	0
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं.	11	9
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	9	9
4.	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	2	0

b) Provisions and Contingencies:

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Provision for depreciation on investment	**224.68**	(16.10)
Provision towards NPA	**3,638.37**	1,621.64
Provision towards Income Tax, Wealth Tax (Net of Adjustments)	**621.94**	473.03
Other provisions and contingencies	**485.05**	405.78
Provision towards Standard Assets	409.80	36.54
Provision for Restructured Accounts	(340.65)	17.10
Provision for Wage Revision	140.00	180.00
Provision for PL Encashment	75.24	34.71
Staff Welfare Fund	20.00	20.00
Bad Debts written off	83.12	42.17
Provision for Cenvat Reversal	37.01	32.11
Provision for Gratuity liability of Pigmy Agents	5.00	38.74
Provision for Fraud Cases	21.43	9.83
Provision for Consumer/Civil Cases	-0.04	2.52
Provision for Unhedged Foreign Currency	17.00	35.00
Reversal of Excess provisions	17.14	(42.94)
Total	**4,970.04**	**2,484.35**

c) Movement of Floating Provision

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
(a) Opening Balance in the floating provision account	**102.21**	204.42
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	**0.00**	0.00
(c) Amount of draw down made during the accounting year	**0.00**	102.21
(d) Closing Balance in the floating provision account	**102.21**	102.21

d) Penalties imposed by RBI

During the year no penalty was imposed by RBI on the Bank under Section 46 (4) of the Banking Regulation Act, 1949. (Previous Year Nil).

e) Draw down from Reserves

(₹ in crores)

Sl. No.	Reserves	Amount Drawn		Purpose
		31.03.2016	31.03.2015	
1.	Revenue and Other Reserves	–	316.24	DTA created on provision for Standard Assets is reversed since it is treated as permanent difference.

f) Status of Customer Complaints

Sl. No.	Particulars	31-03-2016	31-03-2015
1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	**143**	236
2.	No. of complaints received during the year	**5,060**	4,833
3.	No. of complaints redressed during the year	**4,841**	4,926
4.	No. of complaints pending at the end of the year	**362**	143

g) Cases referred to Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	31-03-2016	31-03-2015
1.	Complaints Pending at the beginning of the year	**31**	41
2.	Cases referred to the Banking Ombudsman during the year	**610**	601
3.	Cases Disposed during the year	**602**	611
4.	Cases pending at the end of the year	**39**	31

h) Awards passed against the Bank by the Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	31-03-2016	31-03-2015
1	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
2	No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year	11	9
3	No. of awards implemented during the year	9	9
4	No. of unimplemented Awards at the end of the year	2	0

आई) ग्राहकों की शिकायतें–कार्ड सेंटर से संबंधित–ए टी एम संव्यवहारों के लिए पंजीकृत

क्र. सं.	विवरण	31-03-2016	31-03-2015
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**238**	360
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	**15,351**	12,353
3.	वर्ष के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या	**15,193**	12,475
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**396**	238

जे) बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

ए) अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

बैंक ने निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से यू.के. के एफ.एस.ए. (वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण) को वचन दिया है कि एफ.एस.ए. यू.के. की नयी चलनिधि प्रणाली के अंतर्गत लंदन शाखा (यदि आवश्यकता है तो) के ङ्कसंपूर्ण चलनिधि संशोधनङ्क के लिए किए गए आवेदन के संबंध में अपनी लंदन शाखा को हमेशा चलनिधि संसाधन उपलब्ध कराएगा।

राजस्व एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, मुंबई ने, बैंक के निदेशक मंडल के अनुमोदन से यू.एस.डॉलर 75 मिलियन का चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया और यू.एस. डॉलर 100.00 मिलियन का प्रतिबद्धता पत्र (दि. 31.12.2016 तक वैध) जारी किया ।

बी) कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

शाखाओं ने अपने नैगम ग्राहकों की ओर से क्रेता को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से सिंडिकेटबैंक, लंदन शाखा के पक्ष में 31.03.2016 को ₹568.62 करोड़ तक के चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं। (पिछला वर्ष ₹65.26 करोड़)

कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता की साख पर उधार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा विदेशी बैंकों एवं भारत के बाहर स्थित विभिन्न भारतीय बैंकों की शाखाओं के पक्ष में जारी आश्वासन पत्र की रकम दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार ₹3105.91 करोड़ हैं। (पिछले वर्ष ₹5664.91 करोड़)

दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार हमारी शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र की सकल बकाया राशि ₹3674.53 करोड़ है। (पिछले वर्ष ₹5730.17 करोड़)

जब अंतर्निहित संपर्क संस्थाओं से/के आश्वासन पत्र की गुणवत्ता, साख श्रेणी/वैश्विक श्रेणी, प्रतिभूतियाँ, संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ और उपलब्ध प्रति–गारंटी का ध्यान रखा जाता है तब आश्वासन पत्र जारी करने के कारण वित्तीय प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है।

के) बीमा कारोबार

वर्ष 2015 - 16 के दौरान बैंकाश्योरेन्स कारोबार से प्राप्त आय ₹1,461.22 लाख है जबकि पिछले वर्ष ₹1,288.52 लाख था। इसमें ₹556.47 लाख (पिछले वर्ष ₹615.71 लाख) की राशि जीवन बीमा कारोबार से है और ₹904.75 लाख (पिछले वर्ष ₹ 672.81 लाख) की राशि गैर जीवन बीमा कारोबार से है।

एल) जमाराशियों, अग्रिमों, उधार तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

ए) जमाराशियों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	49,547.04	47,966.69
बैंक की कुल जमाराशियों में 20 बड़े जमाकर्ताओं की प्रतिशतता	18.93%	18.78%

बी) अग्रिमों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
20 बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	**25,277.11**	39,112.91
बैंक के कुल अग्रिमों में 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों की प्रतिशतता	**11.16%**	15.62%

i) Customer Complaints – Related to Card Centre – Registered for ATM Transaction

Sl. No.	Particulars	31-03-2016	31-03-2015
1	No. of complaints pending at the beginning of the year	**238**	360
2	No. of complaints received during the year	**15,351**	12,353
3	No. of complaints redressed during the year	**15,193**	12,475
4	No. of complaints pending at the end of the year	**396**	238

j) Letters of comfort issued by the Bank

(a) Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at LONDON by International Division, Mumbai & Branches.

The Bank has given an undertaking to FSA (Financial Services Authority) of U.K. with approval from the Board of Directors / RBI, that it will make available liquidity resources at all times to its London Branch (if needed) in connection with application made for "Whole form liquidity modification" of the London Branch under the new liquidity regime of FSA U.K.

Treasury and International Banking Department, Mumbai issued Letter of Comfort amounting to USD 75.00 Mio and also issued a letter of commitment amounting to USD 100.00 Mio (valid upto 31-12-2016) with approval from the Board of Directors of the Bank.

(b) Letters of Comforts issued by our Branches for the purpose of providing Buyer's Credit facility to Corporate Clients:

Branches have issued Letters of Comfort on behalf of their corporate customers in favour of SyndicateBank, London Branch for providing Buyer's Credit, to the extent of ₹568.62 Crores as on 31-03-2016 (Previous Year ₹65.26 Crores).

Letters of Comfort issued by the Branches for the purpose of providing buyers credit facility to corporate clients, in favour of various Foreign Banks and Indian Banks' Branches outside India, is ₹3105.91 Crores as on 31-03-2016 (Previous Year ₹5664.91 Crores).

The Outstanding Gross Amount of Letters of Comfort issued by our Branches as at 31-03-2016 stands at ₹3674.53 Crores (Previous Year ₹5730.17 Crores).

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings / World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of / from the underlying reference entities are taken into account.

k) Insurance Business

The total income from the Bancassurance Business during the year 2015 - 16 is ₹1,461.22 Lakhs as against ₹1,288.52 Lakhs in the previous year. This comprises of ₹556.47 Lakhs (PY ₹615.71 Lakhs) from Life Insurance business and ₹904.75 Lakhs (PY ₹672.81 Lakhs) from Non-Life Insurance business.

l) Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs.

A. CONCENTRATION OF DEPOSITS (₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Total Deposits of twenty largest depositors	49,547.04	47,966.69
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	18.93%	18.78%

B. CONCENTRATION OF ADVANCES (₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Total Advances to twenty largest borrowers	**25,277.11**	39,112.91
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	**11.16%**	15.62%

सी) निवेश का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल निवेश	**30,438.07**	39,358.73
उधारकर्ताओं/ग्राहकों को मूल कंपनी द्वारा किए गए निवेश में 20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के उधार की प्रतिशतता	**11.01%**	15.41%

डी) आंतरिक-समूह एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
आंतरिक-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	**1,826.27**	शून्य
20 बड़ी आंतरिक-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	**1,826.27**	शून्य
उधारकर्ता/ग्राहक पर बैंक के कुल एक्सपोजर में आंतरिक-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	**0.66%**	शून्य
आंतरिक-समूह एक्सपोजर एवं विनियामक कार्यवाही में सीमाओं के भंग होने के विवरण	**शून्य**	शून्य

ई) अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
चार बड़े एन.पी.ए. खातों को दिए गए कुल उधार	**3,483.93**	890.00

एम) क्षेत्रवार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	क्षेत्र*	31-03-2016			31-03-2015		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एन पी ए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एन पी ए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एन पी ए का प्रतिशत
ए	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	**29,898.86**	**1,536.06**	**5.14**	26,205.38	1,254.05	4.79
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के योग्य उद्योग क्षेत्रों को अग्रिम	**8,435.10**	**534.77**	**6.34**	5,807.88	374.92	6.46
3	सेवाएँ	**16,278.06**	**818.82**	**5.03**	14,107.36	575.35	4.08
4	वैयक्तिक ऋणों	**11,865.97**	**503.14**	**4.24**	11,215.44	485.41	4.33
	उप-जोड (ए)	**66,477.99**	**3,392.79**	**5.10**	57,336.06	2,689.73	4.69
बी	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग	**46,722.50**	**8,297.80**	**17.76**	55,396.69	2,371.12	4.28
3	सेवाएँ	**43,704.76**	**1,099.14**	**2.51**	47,761.59	245.43	0.51
4	वैयक्तिक ऋण	**49,544.03**	**1,042.43**	**2.10**	45,309.53	1,136.10	2.51
	उप-जोड (बी)	**1,39,971.28**	**10,439.37**	**7.46**	1,48,467.81	3,752.65	2.53
	कुल (ए+बी)	**2,06,449.27**	**13,832.16**	**6.70**	2,05,803.87	6,442.38	3.13

एन) अनर्जक आस्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
वर्ष के प्रारंभ में सकल अनर्जक आस्तियां	**6,442.38**	4,611.13
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	**12.200.54**	5,499.97
उप-जोड (ए)	**18,642.92**	**10,111.10**
घटाएं:		
i) स्तरोन्नयन	**2,120.77**	1,527.09
ii) वसूलियां (स्तरोन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	**1,260.29**	1,087.11
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते लिखना	**1,344.26**	1,006.54
iv) उपरोक्त के (iii) के अंतर्गत उल्लेखित मदों को छोड़कर अन्य बट्टे खाते लिखे गए मामलें	**85.44**	47.98
उप-जोड़ (बी)	**4,810.76**	**3,668.72**
वर्ष के अंत में सकल अनर्जक आस्तियां (ए-बी)	**13,832.16**	**6,442.38**

C. CONCENTRATION OF EXPOSURES

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	**30,438.07**	39,358.73
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	**11.01%**	15.41%

D. INTRA-GROUP EXPOSURES

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Total amount of intra-group exposures	**1,826.27**	Nil
Total amount of top-20 intra-group exposures	**1,826.27**	Nil
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	**0.66%**	Nil
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon	**Nil**	Nil

E. CONCENTRATION OF NPAs

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Total Exposure to top four NPA accounts	**3,483.93**	890.00

m) Sector-wise Advances

(₹ in crores)

Sl. No.	Sector*	31.03.2016			31.03.2015		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	**29,898.86**	**1,536.06**	**5.14**	26,205.38	1,254.05	4.79
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	**8,435.10**	**534.77**	**6.34**	5,807.88	374.92	6.46
3	Services	**16,278.06**	**818.82**	**5.03**	14,107.36	575.35	4.08
4	Personal loans	**11,865.97**	**503.14**	**4.24**	11,215.44	485.41	4.33
	Sub-total (A)	**66,477.99**	**3,392.79**	**5.10**	57,336.06	2,689.73	4.69
B	**Non Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2	Industry	**46,722.50**	**8,297.80**	**17.76**	55,396.69	2,371.12	4.28
3	Services	**43,704.76**	**1,099.14**	**2.51**	47,761.59	245.43	0.51
4	Personal loans	**49,544.03**	**1,042.43**	**2.10**	45,309.53	1,136.10	2.51
	Sub-total (B)	**1,39,971.28**	**10,439.37**	**7.46**	1,48,467.81	3,752.65	2.53
	Total (A+B)	**2,06,449.27**	**13,832.16**	**6.70**	2,05,803.87	6,442.38	3.13

n) Movement of NPAs

(₹ in crores)

PARTICULARS	31-03-2016	31-03-2015
Gross NPAs at the beginning of the year	**6,442.38**	4,611.13
Additions (Fresh NPAs) during the year	**12.200.54**	5,499.97
Sub-Total (A)	**18,642.92**	**10,111.10**
Less:		
(i) Upgradations	**2,120.77**	1,527.09
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	**1,260.29**	1,087.11
(iii) Technical/Prudential Write-offs	**1,344.26**	1,006.54
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	**85.44**	47.98
Sub-Total (B)	**4,810.76**	**3,668.72**
Gross NPAs at the end of the year **(A - B)**	**13,832.16**	**6,442.38**

ओ) विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन का संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
वर्ष के प्रारंभ में विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों में प्रारंभिक शेष	**5,070.46**	4,462.41
जोड़े : वर्ष के दौरान विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन	**1,344.26**	1,006.54
उप–जोड़ (ए)	**6,414.72**	**5,468.95**
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों से की गई वसूलियाँ (बी)	**764.77**	398.49
वर्ष के अंत में इतिशेष (ए–बी)	**5,649.95**	**5,070.46**

पी) विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियां और राजस्व (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2016	31-03-2015
कुल आस्तियां	**39,552.18**	41,230.25
कुल अनर्जक आस्तियां	**1,858.28**	538.14
कुल एनपीआई	**0.00**	0.00
कुल राजस्व	**942.22**	1,014.89

क्यू) तुलन–पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी. (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

आर) प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है चूँकि बैंक ने किसी एस पी वी का प्रायोजकत्व नहीं किया है ।

एस) अचल आस्तियाँ

बैंक के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी, प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख मूल कंपनी के पास हैं।

वर्ष 2015-16 (पिछला पुनर्मूल्यांकन वर्ष 2011-12 में किया गया है) के दौरान, मूल बैंक स्वामित्व के परिसर का अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है। वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी आस्तियों का पुर्नमूल्यन किया और पुर्नमूल्य से प्राप्त ₹752.23 करोड़ अधिशेष को ''पुर्नमूल्यन आरक्षित निधि'' में जोड़ा गया। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर वर्ष के लिए किए गए अतिरिक्त मूल्यह्रास की कुल राशि ₹58.35 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया।

टी) अंतर शाखा लेन–देन, अन्य बैंकों सहित खातों का समाशोधन एवं अन्य संयोजन जो समाधान के विभिन्न स्तरों पर होने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन की राय में ऐसे समाधान से होनेवाले वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं होगा ।

यू) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरुकता निधि में अंतरण (डीईएएफ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15
डीईएएफ को अंतरण के लिए प्रारंभिक शेष राशि	**376.90**	0.00
जोड़े: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	**38.69**	380.92
घटाएं: डीईएएफ द्वारा दावे के माध्यम से प्रतिपूरित राशियां	**3.64**	4.02
डीईएएफ को अंतरित इतिशेष राशि	**411.95**	376.90

वी) अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर :

संस्थाओं के अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर न केवल एकल संस्था से संबद्ध है बल्कि पूरी वित्तीय प्रणाली से संबंधित क्षेत्र है। वैसी संस्थाएँ जो अपनी विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का बचाव नहीं करते हैं विनिमय संचालन द्वारा बड़ी हानियाँ उठाती हैं। इस प्रकार की हानियाँ बैंकिंग प्रणाली द्वारा की जानेवाली ऋण चुकौती की क्षमता को कम करती है और यह बैंकिंग प्रणाली की स्थिति को प्रभावित करती है।

1. अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के खाते की बढ़ोतरी प्रावधान की गणना विधि :

बढ़ोतरी प्रावधान और पूँजी आवश्यकताओं की गणना हेतु निम्न विधियाँ है :

o) Movement of Technical/Prudential Write-offs (₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at the beginning of the year	**5,070.46**	4,462.41
Add : Technical / Prudential write-offs during the year	**1,344.26**	1,006.54
Sub-total (A)	**6,414.72**	**5,468.95**
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year **(B)**	**764.77**	398.49
Closing balance as at the end of the year **(A - B)**	**5,649.95**	**5,070.46**

p) Overseas Assets, NPAs and Revenue (₹ in crores)

Particulars	31-03-2016	31-03-2015
Total Assets	**39,552.18**	41,230.25
Total NPAs	**1,858.28**	538.14
Total NPIs	**0.00**	0.00
Total Revenue	**942.22**	1,014.89

q) Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
NIL	NIL

r) The disclosures relating to Securitisation is not applicable since the Bank has not sponsored any SPVs.

s) Fixed Assets

In respect of certain premises of the Bank, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Bank holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

The Parent Bank owned premises have been revalued during the year 2015-16 (last revaluation done in the year 2011-12) at value determined based upon the appraisal by the approved valuers. During the year the Parent Bank has revalued its assets and the surplus arising from the revaluation amounting to ₹752.23 Crores is added to the "Revaluation Reserve". Additional depreciation for the year aggregating to ₹58.35 Crores on the revalued assets has been adjusted to the revaluation reserves.

t) Inter-Branch transactions, clearing and other adjustment accounts, including with other Banks, which being an on-going process are at various stages of reconciliation. In the opinion of the management, there will not be any material impact on the financial statements arising out of such reconciliation.

u) Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ in crores)

Particulars	FY 2015-16	FY 2014-15
Opening balance of amounts transferred to DEAF	**376.90**	0.00
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	**38.69**	380.92
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	**3.64**	4.02
Closing balance of amounts transferred to DEAF	**411.95**	376.90

v) Unhedged Foreign Currency Exposure

Unhedged foreign currency exposures of the entities are an area of concern not only for individual entity but also to the entire financial system. Entities who don't hedge their foreign currency exposures can incur significant losses due to exchange rate movements. These losses may reduce their capacity to service the loans taken from the banking system and thereby affect the health of the banking system.

I. Methodology of computation of Incremental provision on account of Unhedged Foreign Currency Exposure

For calculating the incremental provisioning and capital requirements, the following methodology is followed:

ए) **अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की राशि का निर्धारण (यू एफ सी ई) :**

विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का संदर्भ उधारकर्ता के तुलन पत्र के सभी मदों के सकल राशि से है जिनका प्रभाव विदेशी विनिमय दर के संचलन के कारण लाभ और हानि खातों पर पड़ता है।

एक-दूसरे के प्रभावकारी प्रतिरक्षित कारको (मदों) को यू एफ सी ई वर्जित कर सकती है। इस उद्देश्य से वित्तीय प्रतिरक्षा और प्राकृतिक प्रतिरक्षा को संदर्भित किया जा सकता है। वित्तीय प्रतिरक्षा (हेज) साधारणत : वित्तीय संस्था से साथ व्युत्पन्न संविदा द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा (नेचुरल हेज) का मतलब यह है कि जब कम्पनी के परिचालनों के बाहर नकदी का प्रवाह होता है तब विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के बाहर प्रतितुलन जोखिम होती है।

बी) **संभाव्य हानि की सीमा का आकलन :**

यूएसडी-आई एन आर विनिमय दर के संचन के मामले में संस्था को हुई हानि का परिकलन वार्षिकीकृत अस्थिरता का उपयोग करते हुए किया गया। इस उद्देश्य के लिए पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान यूएसडी-आई एन आर दरों में हुई सबसे बड़ी वार्षिक अस्थिरता को प्रतिकूल दिशा में यूएसडी-आई एन आर दर के संचलन के रूप में लिया गया।

संभाव्य हानि = यूएफसीई * पिछले 10 वर्षों की अवधि में सबसे बड़ी वार्षिक अस्थिरता

सी) **अप्रतिरक्षित स्थिति के जोखिम का आकलन :**

यदि एक बार हानि के आंकडे का परिकलन किया जाता हो तो उसकी तुलना सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित घटकों के अद्यतन त्रैमासिक परिणाम के अनुसार वार्षिक ई बी आई डी के साथ की जाए। हानि का परिकलन ई बी आई डी की प्रतिशतता के रूप में किया जाता है। यह प्रतिशतता जितनी अधिक होगी संस्था के प्रतिकूल विनिमय दर संचलन की संभावना उतनी अधिक होगी। अतएव, ऐसी संस्थाओं के सभी एक्सपोजरों पर निम्नानुसार वृद्धिशील पूँजी और प्रावधान करना होगा:

संभाव्य हानि/ ईबीआईडी (%)	मानक आस्ति प्रावधान के अतिरिक्त वृद्धिशील प्रावधान	वृद्धिशील पूँजी
15% तक	0	0
> 15% से 30% तक	20 बी पी एस	0
> 30% से 50% तक	40 बी पी एस	0
> 50% से 75% तक	60 बी पी एस	0
> 75%	80 बी पी एस	आर डब्ल्यू ए में 25% वृद्धि

डी) **वृद्धिशील प्रावधान**

यह प्रावधान, मानक प्रावधान के अतिरिक्त होगा। यू एफ सी ई पर वृद्धिशील प्रावधान की संकलित रकम का प्रावधान, जून 2014 को समाप्त तिमाही से किया गया है ।

उपलब्ध डाटा और उपलब्ध वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा पत्र, के आधार पर मूल बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र सं. डी बी ओ डी सं. बी पी 85/21.06.200/2013-14, दिनांक 15, जनवरी 2014 और स्पष्टीकरण परिपत्र सं. डी बी ओ डी सं. बी पी बी सी 116/21.06.200/2013-14, दिनांक 03.06.2014 को अनुसार अपने घटकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर ₹52 करोड़ की देयता का आकलन किया है। तदनुसार मूल बैंक ने मार्च 31, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 17.00 करोड़ का वृद्धिशील प्रावधान किया है।

डब्ल्यू) **पिछले वर्ष के आंकड़े**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

a) **Ascertainment of the amount of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE)**

Foreign Currency Exposure (FCE) refers to the gross sum of all items on the balance sheet of the borrowers that have impact on profit and loss account due to movement in foreign exchange rates.

UFCE may exclude items which are effective hedge of each other. For this purpose, both financial hedge and natural hedge can be considered. Financial hedge is ensured normally through a derivative contract with a financial institution. Natural hedge may be considered when cash flows arising out of the operations of the company offset the risk arising out of the foreign currency exposure.

b) **Estimation the extent of likely loss**

The loss to the entity in case of movement in USD-INR exchange rate is calculated using the annualised volatilities. For this purpose, largest annual volatility seen in the USD-INR rates during the period of last ten years is taken as the movement of the USD-INR rate in the adverse direction.

Likely loss = UFCE * Highest annual volatility of last ten years.

c) **Estimation of the risk of unhedged position**

Once the loss figure is calculated, it is compared with the annual EBID as per the latest quarterly results of the constituents certified by the statutory auditors. This loss is computed as a percentage of EBID. Higher this percentage, higher will be the susceptibility of the entity to adverse exchange rate movements. Therefore, as aprudential measure, all exposures to such entities would attract incremental capital and provisioning requirements (i.e., over and above the present requirements) as under:

Likely Loss/ EBID (%)	Incremental Provision over the Standard Asset provision	Incremental Capital
Upto 15%	0	0
> 15% to 30 %	20 bps	0
> 30% to 50 %	40 bps	0
> 50% to 75 %	60 bps	0
> 75 %	80 bps	25% increase in RWA

d) **Incremental Provision**

This provision is over and above the standard provision requirement. This aggregated amount of the incremental provision on account of UFCE has been provided starting with the quarter ending June-2014.

Based on the available data, available financial statements and the declaration from borrowers wherever received, the Parent Bank has estimated the liability of ₹52.00 Crores on Unhedged Foreign Currency Exposure of its constituents in terms of RBI Circular No. DBOD No.BP.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and clarification vide Circular No. DBOD.NO.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 03.06.2014. Accordingly the Parent Bank has made incremental provision for the year ended March 31, 2016 of ₹ 17.00 Crores.

w) **Previous year figures**

Previous year figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

अनुसूची – 19: अर्जित अनुषंगियों द्वारा अर्जित शेयर/
SCHEDULE – 19: SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	वर्षांत/Year ended दि. 31.03.2016 को	वर्षांत/Year ended दि. 31.03.2015 को
आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक/Andhra Pragathi Gramina Bank	**58 43 04**	57 13 63
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक / Karnataka Vikas Grameen Bank	**43 02 90**	54 35 35
प्रथमा बैंक/Prathama Bank	**22 80 16**	28 07 22
योग/TOTAL	**12426 10**	139 56 20

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

(₹ हजार में/₹ in thousands)

	विवरण/Particulars	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015
ए. A.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	निवल लाभ/(हानि)/Net Profit/(Loss)	**-1641 50 41**	1524 51 39
	जोडिए/Add: कर प्रावधान/Tax Provision	**622 91 69**	473 79 17
	लाभ (हानि)/Profit/(Loss) कर के पहले/Before Taxes	**-1018 58 72**	1998 30 56
	Adjustments For: समायोजन के लिए		
	अचल आस्थियाँ में मूल्यह्रास/Depreciation on Fixed Assets	**199 30 28**	186 58 61
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचर सहित) Depreciation on Investments (Including on Matured Debentures)	**224 68 38**	-16 10 06
	बट्टा खाता डाले गए अशोध्य ऋण/अनर्जक आस्तियों संबंधी प्रावधान Bad Debts Written-Off/Provision In Respect of Non-Performing Assets	**3721 48 73**	1663 81 18
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision For Standard Assets	**69 15 49**	53 63 51
	अन्य मदो के लिए प्रावधान/Provision For Other Items (Net)	**332 77 65**	309 97 96
	अछल आस्तियों (नेट) की बिक्री पर (लाभ)/हानि /(Profit)/Loss on Sale of Fixed Assets (Net)	**82 55**	10 68
	अधीनस्थ नामें पर (पृथक मान लिया गया) ब्याज की अदायगी/प्रावधान Payment/Provision for Interest on Subordinated Debt (Treated Separately)	**451 54 86**	388 17 63
	अप्राप्य विदेशी विनिमय आरक्षण उतार–चढाव के लिए प्रावधान Adjustment for Unrealised Foreign Exchange Fluctuation Reserve	**11 51 27**	-49 14 15
	उप जोड/Sub Total	**3992 70 49**	4535 35 92
	समायोजन/Adjustments for:		
	(वृद्धि)/हानि निवेश/(Increase)/Decrease in Investments	**493 11 63**	-13784 18 61
	(वृद्धि)/हानि अग्रिम/(Increase)/Decrease in Advances	**-2439 31 50**	-30524 85 61
	(वृद्धि)/हानि अन्य आस्ति/(Increase)/Decrease in Other Assets	**-1051 78 33**	-328 51 06
	वृद्धि/(हानि) उधार/Increase/(Decrease) in Borrowings	**-2621 78 41**	6428 47 20
	वृद्धि/(हानि) जमाराशियाँ/Increase/(Decrease) in Deposits	**6346 17 65**	43043 10 53
	वृद्धि/(हानि) अन्य देयताएँ एवं प्रावधान/Increase/(Decrease) in Other Liabilities And Provisions	**-71 15 40**	-162 47 55
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी का निवल)/Direct Taxes Paid (Net of Refund)	**-710 00 00**	-731 00 00
	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (ए) Net Cash From Operating Activities (A)	**3937 96 13**	8475 90 82
बी. B.	**निवेश गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	अचल आस्तियों का क्रय/अंतरण / Purchase/Transfer in of Fixed Assets	**-304 79 31**	-354 29 00
	निवेश गतिविधियों में उपयोग किया निवल नकद Net Cash used in Investing Activities (B)	**-304 79 31**	-354 29 00
सी. C.	**वित्तीयन गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:**		
	शेयर पूँजी/Share Capital	**41 31 24**	37 47 45
	शेयर अप्लिकेशन रकम लंबित आबंटन/Share Application Money Pending Allottment	**740 00 00**	-
	शेयर प्रीमियम/Share Premium	**175 61 92**	422 52 55
	असुरक्षित अधीनस्थ बंधपत्र/Unsecured Subordinated Bonds	**1620 00 00**	850 00 00
	लाभांश कर सहित लाभांश प्रदत्त Dividend Paid including Dividend Tax	**-374 51 54**	-219 21 98
	असुरक्षित अधीनस्त बंधपत्रों पर प्रदत्त/प्रदेय ब्याज/Interest Paid / Payable on Unsecured Subordinated Bonds	**-451 54 86**	-388 17 63
	वित्तीयन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (सी) Net Cash From Financing Activities (C)	**1750 86 76**	702 60 39
	नकद एवं नकद तुल्य में निवल वृद्धि/Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	**5384 03 58**	8824 22 21

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

(₹ हजार में/₹ in thousands)

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016		31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015	
I.	**वर्ष के प्रारंभ में शेष Balances at the beginning of the Year**				
	भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with R.B.I.	**11974 53 81**		12711 99 20	
	बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**11856 81 02**	**23831 34 83**	2295 13 42	15007 12 62
II.	**वर्ष के अंत में शेष Balances at the end of the Year**				
	भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with R.B.I.	**13338 55 74**		11974 53 81	
	बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**15876 82 67**	**29215 38 41**	11856 81 02	23831 34 83
III.	**वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR**		**5384 03 58**		8824 22 21
	नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Cash Flow				

जी मोहन राव/G MOHAN RAO
उप महा प्रबंधक /Dy. General Manager

आई पी नागराज राव/I P NAGARAJA RAO
महा प्रबंधक/General Manager

आर एस पाण्डेय/R S PANDEY
कार्यपालक निदेशक/Executive Director

टी के श्रीवास्तव/T K SRIVASTAVA
कार्यपालक निदेशक/Executive Director

अरुण श्रीवास्तव/ARUN SHRIVASTAVA
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/MANAGING DIRECTOR & CEO

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र/AUDITORS' CERTIFICATE

हम, सिंडिकेटबैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों ने, बैंक (''समूह'') के 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के उपर्युक्त नकदी उपलब्धता विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 32 की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया गया है और यह तत्संबंधी लाभ और हानि लेखे में प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट में शामिल बैंक के तुलन-पत्र पर आधारित है और उससे मेल खाता है।

We, the undersigned Statutory Central Auditors of the SyndicateBank, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank ("the group") for the year ended 31.03.2016. The Statement has been prepared in accordance with the requirements of Clause 32 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges and is based on and is in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our Report.

कृते गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **Ganesan and Company**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 000859एस/S

(वी जयचंदर)
साझेदार
(V Jayachander)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 23394

कृते एस एन कपूर एंड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
For **S N Kapur & Associates**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 001545सी/C

(एस एन कपूर)
साझेदार
(S N Kapur)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 014335

कृते मणियन एंड राव
सनदी लेखाकार
For **Manian & Rao**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 001983एस/S

(श्रीकांत आर)
साझेदार
(Srikanth R)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 203138

कृते अगस्ती एंड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
For **Agasti & Associates**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 313043ई/E

(बी अगस्ती)
साझेदार
(B Agasti)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 051026

कृते मेसर्स पी जी भागवत
सनदी लेखाकार
For **M/S P G Bhagwat**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 101118डब्ल्यू/W

(संदीप राव)
साझेदार
(Sandeep Rao)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 047235

स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru
दिनांक/Date : 17.05.2016

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र/BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2016

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

		नोट सं. Notes No.	As at दि. 31.03.2016 को	As at दि. 31.03.2015 को
I	**इक्विटी और देयताएं/EQUITY AND LIABILITIES**			
1	**शेयरधारकों की निधि/Shareholders Funds:**			
	ए/a) शेयर पूँजी/Share Capital	3	**2,500,000**	2,500,000
	बी/b) आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus	4	**97,836,549**	78,022,414
2	**आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन पत्र की राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENTS**		**-**	-
3	**गैर–चालू देयताएं/NON-CURRENT LIABILITIES**			
	ए/a) दीर्घावधि उधार/Long Term Borrowings			
	बी/b) आस्थगित कर देयताएं (निवल)/Deferred Tax Liabilities (Net)			
	सी/c) अन्य दीर्घावधि देयताएं/Other Long Term Liabilities			
	डी/d) दीर्घावधि प्रावधान/Long Term Provisions	5	**423,404**	1,524,095
4	**चालू देयताएं/CURRENT LIABILITIES**			
	ए/a) अल्पावधि उधार/Short Term Borrowings			
	बी/b) व्यापार देय राशि/Trade Payables			
	सी/c) अन्य चालू देयताएं/Other Current Liabilities	6	**883,936**	2,692,988
	डी/d) अल्पावधि प्रावधान/Short Term Provisions	7	**516,068**	424,482
	कुल/TOTAL		**102,159,957**	85,163,979
II	**आस्तियां/ASSETS**			
1.	**गैर–चालू आस्तियां/NON-CURRENT ASSETS**			
	ए/a) अचल आस्तियां/Fixed Assets			
	(i) मूर्त आस्तियां/Tangible Assets	8	**568,599**	606,758
	(ii) अमूर्त आस्तियां/Intangible Assets			-
	(iii) प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital Work in Progress			-
	(iv) अमूर्त आस्तियां जो प्रक्रियाधीन है/Intangible Assets under Development			-
	बी/b) गैर–चालू निवेश/Non-Current Investments			
	सी/c) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)/Deferred Tax Asset (Net)	9	**809,454**	644,074
	डी/d) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम/Long Term Loans and Advances	10	**1,500**	1,500
	ई/e) अन्य गैर–चालू आस्तियां/Other Non-Current Assets			
2.	**चालू आस्तियां/CURRENT ASSETS**			
	ए/a) चालू निवेश/Current Investments			-
	बी/b) माल सूची/Inventories			-
	सी/c) व्यापार प्राप्य राशियां/Trade Receivables	11	**8,086,728**	2,836,936
	डी/d) नकद और नकदी समतुल्य राशि /Cash and Cash Equivalents	12	**89,454,308**	77,112,375
	ई/e) अल्पावधि ऋण और अग्रिम/Short Term Loans and Advances	13	**508,433**	405,050
	एफ/f) अन्य चालू आस्तियां/Other Current Assets	14	**2,730,935**	3,557,285
	कुल/TOTAL		**102,159,957**	85,163,978
	लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	2		
	इसमें उल्लिखित नोट तुलन पत्र का अभिन्न भाग बनते हैं			
	Notes referred to herein forms an integral part of Balance Sheet			

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(अरुण श्रीवास्तव/Arun Shrivastava)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(टी. के. श्रीवास्तव/T. K. Srivastava)
उपाध्यक्ष/Vice-Chairman

ह/Sd/
(आर. एस. पाण्डेय/R. S. Pandey)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(नागराज राव आई. पी./Nagaraja Rao I. P.)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(बी. जी. पै/B. G. Pai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(अतुल कुमार/Atul Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(डॉ. पी. नागमणी/Dr. P. Nagamani)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 10.05.2016
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स देव आनंद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 000721एस
As per our report of even date
For M/s DEV ANAND & CO.
Chartered Accountants
FRN: 000721S

ह/Sd/
(सी ए देव आनंद/C A Dev Anand)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner, M. No. 026023

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

दि. 31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31-03-2016

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

ब्यौरे/PARTICULARS		नोट सं. Notes No.	2015-16	2014-15
I.	**परिचालन से प्राप्त राजस्व/Revenue From Operations**	15	**48,790,627**	41,643,022
II.	**अन्य आय/Other Income**	16	**6,740,329**	6,297,734
III.	**कुल राजस्व/Total Revenue**		**55,530,955**	47,940,756
IV.	**व्यय/Expenditure :**			
	वेतन और भत्ते/Salary & Allowances	17	**8,632,835**	6,503,430
	परिचालन व्यय/Operational Expenses	18	**17,106,302**	17,831,129
	मूल्यह्रास/Depreciation	8	**166,869**	172,891
V.	**कुल व्यय/Total Expenses**		**25,906,005**	24,507,450
VI.	**कर से पहले लाभ/Profit Before Tax**		**29,624,950**	23,433,306
VII.	**कर संबंधी व्यय/Tax Expenses**			
	– चालू कर/Current Tax		**9,976,195**	7,702,918
	– आस्थगित कर/Deferred Tax		**(165,380)**	(99,078)
VIII.	**उक्त अवधि के लिए लाभ/Profit for the Period**		**19,814,135**	15,830,366
IX.	ईपीएस – मूल और ह्रासमान (अंकित मूल्य ₹ 10/-) EPS – Basic and Diluted (Face value of ₹10/-)		**79.26**	63.32
	लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes to Accounts	2		
	इसमें उल्लिखित नोट, लाभ व हानि लेखे का अंतिम भाग बनते हैं Notes referred to herein forms an integral part of Profit and Loss Account			

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(अरुण श्रीवास्तव/Arun Shrivastava)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(टी. के. श्रीवास्तव/T. K. Srivastava)
उपाध्यक्ष/Vice-Chairman

ह/Sd/
(आर. एस. पाण्डेय/R. S. Pandey)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(नागराज राव आई. पी./Nagaraja Rao I. P.)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(बी. जी. पै/B. G. Pai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(अतुल कुमार/Atul Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(डॉ. पी. नागमणी/Dr. P. Nagamani)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 10.05.2016
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स देव आनंद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 000721एस
As per our report of even date
For M/s DEV ANAND & CO.
Chartered Accountants
FRN: 000721S

ह/Sd/
(सी ए देव आनंद/C A Dev Anand)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner, M. No. 026023

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

टिप्पणियाँ जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2016 को	As at दि. 31.03.2015 को
नोट सं./Note No. 3: शेयर पूंजी/SHARE CAPITAL		
प्राधिकृत/Authorised :		
1,00,00,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10/1,00,00,000 equity shares of ₹10 each	**100,000,000**	100,000,000
(पी.वाई. 1,00,00,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10)/(P.Y. 1,00,00,000 equity shares of ₹10 each)		
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी/Issued, subscribed and paid up Capital		
2,50,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10 पूर्णतया प्रदत्त/2,50,000 equity shares of ₹ 10 each fully paid	**2,500,000**	2,500,000
(पी.वाई. 2,50,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10 पूर्णतया प्रदत्त)/(P.Y. 2,50,000 equity shares of ₹ 10 each fully paid)		
उपर्युक्त सभी शेयर सिंडिकेटबैंक तथा इसके नामिती द्वारा धारित हैं/All the above shares are held by SyndicateBank and its Nominees		
कुल/Total	**2,500,000**	2,500,000
नोट सं./Note No. 4: आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus		
सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve:		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेषराशि/Balance as per Last Financial Statement	**11,218,078**	9,635,042
जोडें: लाभ व हानि लेखा विवरण में शेष अधिशेष से अंतरित रकम Add: Amount transferred from Surplus Balance in the Statement of Profit and Loss Account	**1,981,414**	1,583,036
इतिशेष/Closing Balance	**13,199,492**	11,218,078
लाभ व हानि लेखा विवरण में अधिशेष/Surplus in the Statement of Profit and Loss:		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेषराशि/Balance as per Last Financial Statement	**66,804,336**	52,557,006
वर्ष के लिए लाभ/Profit for the Year	**19,814,135**	15,830,366
घटाएं/Less: विनियोजन/Appropriations		
सामान्य आरक्षित निधि को अंतरण/Transfer to General Reserve	**1,981,414**	1,583,036
लाभ व हानि लेखा विवरण में निवल अधिशेष/Net Surplus in the Statement of Profit and Loss A/c	**84,637,057**	66,804,336
नोट सं./Note No. 5: दीर्घावधि प्रावधान/Long Term Provisions		
उपदान के लिए प्रावधान/Provision for Gratuity	**423,404**	1,524,095
कुल/Total	**423,404**	1,524,095
नोट सं./Note No. 6: अन्य चालू देयताएँ/Other Current Liabilities		
पीएफ में प्रबंधन का अंशदान/Mgmt. cont. PF	**252,667**	458,554
व्ययों के लिए लेनदार/Creditors for Expenses	**551,754**	1,672,868
देय आय कर/Income Tax Payable		425,000
देय टीडीएस/TDS Payable		135,366
उचंत व्यावसायिक कर/Professional Tax Suspense		1,200
उचंत/Suspense	**79,515**	
कुल/Total	**883,936**	2,692,988
नोट सं./Note No. 7: अल्पावधि प्रावधान/Short Term Provisions		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/Provision for Leave Encashment	**516,068**	424,482
कुल/Total	**516,068**	424,482

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

नोट सं./Note No. 8 : अचल आस्तियाँ/Fixed Assets

	सकल खण्ड/Gross Block				मूल्यह्रास खण्ड/Depreciation Block					निवल खण्ड/Net Block	
ब्यौरे/Particulars	दि. 01.04.2015 को शेष राशि Balance as on 01.04.2015	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the Year	वर्ष के दौरान अपमार्जन Deletion during the year	**दि. 31.03.2016 को शेष राशि Balance as on 31.03.2016**	दि. 01.04.2015 को प्रारंभिक शेष Opening Balance 01.04.2015	मूल्यह्रास की दर Depn. Rate	वर्ष के लिए परिवर्धन Additions for the Year	वर्ष के दौरान अपमार्जन Deletion during the year	**दि. 31.03.2016 को शेष राशि Balance as on 31.03.2016**	दि. 31.03.2015 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 31.03.2015	**दि. 31.03.2016 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 31.03.2016**
मूर्त आस्तियाँ: Tangible Assets:											
फर्नीचर/Furniture	87,214	-		**87,214**	70,231	15.00%	2,547		**72,778**	16,983	**14,436**
विद्युत जुडनार Electrical Fittings	24,450	-		**24,450**	18,898	20.00%	1,110		**20,008**	5,552	**4,442**
कंप्यूटर और पेरिफेरल्स Computer & Pheripherals	742,809	128,710		**871,519**	666,275	35.00%	58,696		**724,971**	76,534	**146,548**
मोबाइल फोन Mobile Phones	19,800			**19,800**	4,904	40.00%	5,958		**10,862**	14,896	**8,938**
वैक्यूम क्लीनर Vacuum Cleaner	7,790	-		**7,790**	4,684	20.00%	621		**5,305**	3,106	**2,485**
मोटर कार/Motor Car	644,570			**644,570**	154,883	20.00%	97,937		**252,820**	489,687	**391,750**
कुल/Total	**1,526,633**	**128,710**		**1,655,343**	**919,875**		**166,869**		**1,086,744**	**606,758**	**568,599**
पिछला वर्ष Previous Year	1,612,333	15,000	100,700	**1,526,633**	841,023		172,891	94,039	**919,875**	771,310	**606,758**

नोट सं./Note No. 9: आस्थगित कर/DEFERRED TAX

आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	आय कर Income Tax		वित्तीय विवरण Financial Statements	अंतर Difference	आस्थगित कर आस्तियाँ Deferred Tax Assets
अचल आस्तियां: कर मूल्यह्रास और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रभारित मूल्यह्रास के बीच के अंतर का प्रभाव/ Fixed Assets: Impact of difference between Tax Depreciation and Depreciation charged for Financial Reporting	552497.00		568,599	16,102	5,224
लाभ व हानि विवरण को प्रभारित परंतु कर के प्रयोजन हेतु भुगतान आधार पर अनुमत व्ययों का प्रभाव/ Impact of Expenditure charged to the Statement of Profit and Loss but allowed for Tax purpose on payment basis	0		939472	939472	304,812
कुल आस्थगित कर आस्तियां/Total Deferred Tax Assets					299,587

आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मूल्यह्रास का परिकलन/Calculation of depreciation under Income Tax Act, 1961

ब्यौरे/Particulars	दि. 01.04.2015 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 01.04.2015	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	वर्ष के दौरान अपमार्जन Deletion during the year	दि. 31.03.2016 को शेष राशि Balance as on 31.03.2016	मूल्यह्रास की दर Depn. Rate	वर्ष के लिए मूल्यह्रास Depreciation for the Year	दि. 31.03.2016 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 31.03.2016
फर्नीचर/Furniture	45572.00	0.00		45572.00	10.00%	4557.00	41015.00
कंप्यूटर और पेरिफेरल्स/Computer & pheripherals	22708.00	128710.00		151418.00	60.00%	90851.00	22708.00
संयंत्र एवं मशीनरी/Plant & machinery	575028.00			575028.00	15.00%	86254.00	488774.00
कुल/Total	643308.00	128710.00		772018.00		181662.00	552497.00

कर की दर/Tax rate 0.33063

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

टिप्पणियाँ जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2016 को	As at दि. 31.03.2015 को
नोट सं./Note No. 10: दीर्घावधि ऋण और अग्रिम/Long Term Loans and Advances		
दूरभाष जमा/Telephone Deposits	**1,500**	1,500
कुल/Total	**1,500**	1,500
नोट सं./Note No. 11: व्यापार प्राप्य राशियां/Trade Receivable		
(बेजमानती, अच्छे समझे गए और छह महिने से कम)/(Unsecured, Considered good and less than six months)		
सिंडिकेटबैंक/SyndicateBank	**7,326,678**	2,584,527
अन्य/Others	**760,050**	252,409
कुल/Total	**8,086,728**	2,836,936
नोट सं./Note No. 12: नकद और नकदी समतुल्य राशि/Cash and Cash Equivalents		
नकदी शेष/Cash in Hand	–	–
अनुसूचित बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Scheduled Banks		
मीयादी जमाराशि में/In Term Deposit	**87,987,233**	75,848,924
चालू खाते में–सिंडिकेटबैंक/In Current A/c – SyndicateBank	**1,467,075**	1,263,451
कुल/Total	**89,454,308**	77,112,375
नोट सं./Note No. 13: अल्पावधि ऋण और अग्रिम/Short Term Loans and Advances		
कर्मचारी त्योहार अग्रिम + फुटकर अग्रिम/Staff Festival Advance + Sundry Advance	**198,320**	157,025
पूर्वदत्त बीमा/Prepaid Insurance	**7,818**	7,700
अग्रिम आय कर/टीडीएस/Advance Income Tax/TDS	**302,295**	240,325
कुल/Total	**508,433**	405,050
नोट सं./Note No. 14: अन्य चालू आस्तियाँ/Other Current Assets		
जमाराशियों पर उपचित ब्याज/Interest Accrued on Deposits	**1,620,682**	3,258,670
प्राप्य सेवा कर/Service Tax Receivable	**1,110,253**	298,615
कुल/Total	**2,730,935**	3,557,285

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

टिप्पणियाँ जो लाभ व हानि लेखे का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2016 को	As at दि. 31.03.2015 को
नोट सं./Note No. 15: परिचालन से प्राप्त राजस्व/REVENUE FROM OPERATIONS		
हार्डवेयर परीक्षण प्रभार/Hardware Testing Charges	**11,794,793**	5,257,040
अनियमित खुदरा ऋणों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सेवा प्रभार/Service charges for follow up of Irregular Retail Loans	**8,192,084**	8,917,831
मेलर प्रेषण राजस्व/Mailer Despatch Revenue		–
कार्ड वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation Income	**17,326,304**	15,392,571
ई-फाइलिंग से प्राप्त आय/E-Filing Income		–
सीएमएस-एसएमएस से प्राप्त आय/CMS-SMS Income		–
इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड से प्राप्त आय/Internet Banking Password Income	**2,419,840**	5,080,600
कियोस्क वसूली से प्राप्त आय/KIOSK Collection Income	**3,370,184**	3,363,067
समाशोधन चेक वापसी नोटिस आय/Clg Cheque Ret. Notices Income	**40,282**	413,688
विविध सेवा से प्राप्त आय/Miscellaneous Service Income	**169,851**	–
आउटसोर्सिंग आय/Outsourcing Income	**5,477,289**	3,218,225
कुल/Total	**48,790,627**	41,643,022
नोट सं./Note No. 16: अन्य आय/OTHER INCOME		
बैंक ब्याज/Bank Interest	**6,740,329**	6,267,466
आय कर वापसी पर ब्याज/Interest on Income Tax Refund		1,282
विविध आय/Miscellaneous Income	–	28,985
कुल/Total	**6,740,329**	6,297,734
नोट सं./Note No. 17: वेतन और भत्ते/SALARY AND ALLOWANCES		
कर्मचारियों का वेतन/Staff Salaries	**7,384,699**	5,614,741
पेंशन, भविष्य निधि और अन्य को अंशदान/Contribution to Pension, Provident and other Funds	**252,667**	229,302
उपदान और छुट्टी का नकदीकरण/Gratuity and Leave Encashment	**423,404**	275,860
अन्य भत्ते और परिलब्धियां/Other Allowances & perquisites	**572,065**	383,527
कुल/Total	**8,632,835**	6,503,430
नोट सं./Note No. 18: परिचालन संबंधी व्यय/OPERATIONAL EXPENSES		
कार्ड वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation expenses	**9,905,124**	10,656,967
ई-फाइलिंग प्रभार/E-Filing charges	**7,056**	7,833
इंटरनेट बैंकिंग लेखन सामग्री व्यय/Internet Banking Stationary Expenses	**286,345**	323,830
खुदरा ऋण अनुवर्ती कार्रवाई व्यय /Retail Loan Follow up expense	**727,815**	930,839
दूरभाष प्रभार और एसएमएस/Telephone charges & SMS	**129,817**	137,457
पंजीकरण और नवीकरण/Registration and Renewals	**5,000**	5,000
फाइलिंग शुल्क/Filing fees	**16,678**	16,599
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/Auditor's Remuneration:		
लेखा परीक्षा शुल्क/Audit fees	**20,000**	20,000
कर लेखा परीक्षा शुल्क/Tax Audit fees	**20,000**	20,000
लेखा परीक्षा व्यय/Audit Expenses	**22,943**	50,251
एसएमएस प्रभार/SMS Charges	**48,408**	

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

टिप्पणियाँ जो लाभ व हानि लेखे का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2016 को	As at दि. 31.03.2015 को
यात्रा व्यय/Travelling Expenses	**252,833**	104,455
वाहन रख-रखाव व्यय/Vehicle Maintenance Expenses	**244,268**	217,427
सफाई व्यय/Cleaning expenses	**26,050**	
कार बीमा/Car Insurance	**1,016**	1,535
वेबसाइट डेवलपमेंट प्रभार/Website Development charges		2,500
मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**115,437**	84,357
विराम और वाहन व्यय/Halting & Conveyance	**27,936**	163,866
कार्यालय का किराया/Office Rent	**336,000**	336,000
आंकड़ा प्रविष्टि प्रभार/Data Entry Charges	**301,150**	582,204
कंप्यूटर का रख-रखाव/Computer Maintenance	**41,402**	30,815
विविध व्यय/Miscellaneous Expenses	**99,233**	46,322
आयकर प्रदत्त निर्धारण वर्ष/Income Tax Paid AY 2015-16	**48,140**	
विज्ञापन प्रभार/Advertisement Charges	**46,148**	
विद्युत प्रभार/Electricity Charges	**36,000**	36,000
समाशोधन चेक वापसी नोटिस व्यय/Clg. Chq. Ret. Notice Expense	**4,500**	45,992
डाक व्यय/Postal Charges	**3,552**	6,538
कियोस्क वसूली व्यय/KIOSK Collection Expenses	**2,360,900**	2,437,659
बैठक और सम्मेलन व्यय/Meeting and Conference expenses	**18,926**	16,462
आउटसोर्सिंग व्यय/Outsourcing Expenses	**1,953,625**	1,510,220
साफ्टवेयर विकसित करने का व्यय/Software development Expenses		40,000
कुल/Total	**17,106,302**	17,831,129

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(अरुण श्रीवास्तव/Arun Shrivastava)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(टी. के. श्रीवास्तव/T. K. Srivastava)
उपाध्यक्ष/Vice-Chairman

ह/Sd/
(आर. एस. पाण्डेय/R. S. Pandey)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(नागराज राव आई. पी./Nagaraja Rao I. P.)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(बी. जी. पै/B. G. Pai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(अतुल कुमार/Atul Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(डॉ. पी. नागमणी/Dr. P. Nagamani)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 10.05.2016
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स देव आनंद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 000721एस
As per our report of even date
For M/s DEV ANAND & CO.
Chartered Accountants
FRN: 000721S

ह/Sd/
(सी ए देव आनंद/C A Dev Anand)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner, M. No. 026023

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित नोट

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

अनुसूची सं. 2: लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

ए. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

इन वित्तीय विवरणों को प्रायोज्य अधिदेशात्मक लेखा मानकों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों के अनुसार उपचय आधार पर परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किया गया है ।

बी. राजस्व की पहचान

i) कारोबार प्रक्रिया बाह्यनियोजन (बी.पी.ओ.) सेवाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान, समय एवं सामग्री, निर्दिष्ट मूल्य और यूनिट मूल्य संविदाओं पर की गयी है । समय एवं सामग्री, यूनिट मूल्य संविदा से प्राप्त राजस्व की पहचान, प्रदान की गयी संगत सेवाओं के रूप में की गयी है । नियत कीमत संविदाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान आनुपातिक समापन पद्धति तथा समापन के स्तर निर्धारित करने की संविदागत लागत के अनुसार की गयी है।

ii) सेवा की पहचान, सेवा कर घटाने के बाद की जाती है ।

iii) ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि तथा लागू होनेवाली दर की गणना में लेकर समय अनुपात के आधार पर की गयी है ।

सी. अचल आस्तियाँ

अचल आस्तियों का मूल्यांकन संचित मूल्यह्रास को घटाने के बाद अभिग्रहण की परंपरागत लागत पर किया गया है ।

कंपनी अचल आस्तियों के अभिग्रहण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष लागतों का पूंजीकरण करती है ।

डी. मूल्यह्रास

i) अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची XIV में दी गयी दरों और उसमें यथा निर्दिष्ट रीति के अनुसार अवलेखित मूल्य पद्धति पर प्रावधान किया गया है।

ii) आस्तियों में किए गए परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान उनके अभिग्रहण की तारीख को प्रचलित दरों पर आनुपातिक आधार पर किया गया है।

ई. आस्तियों की हानि

आस्तियों की रखाव राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है। यदि किसी आंतरिक/बाहरी घटकों के आधार पर हानि का संकेत मिलता है तो, जब कभी आस्तियों की रखाव रकम उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि की पहचान की जाती है। वसूली योग्य राशि, आस्तियों के निवल बिक्री मूल्य और प्रयुक्त मूल्य से अधिक है ।

एफ. कराधान

कर व्यय में, चालू और आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर का आंकन भारतीय आय कर अधिनियम के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली रकम पर किया जाता है । आस्थगित आय करों की पहचान, आय के वित्तीय विवरण के निर्धारण तथा कर उद्देश्य हेतु उनकी पहचान करने के बीच के समय अंतर के लिए लगाए जाने वाले भावी कर के परिणामों के लिए की जाती है। कर की दरों में हुए परिवर्तन के कारण से आस्थगित कर आस्ति तथा देयताओं पर पड़नेवाले प्रभाव की पहचान, तुलन-पत्र की तारीख तक लागू कर की दरों और लागू किए गए या वास्तविक रूप से लागू किए गए कर संबंधी कानूनों का प्रयोग करते हुए आय लेखे में की गयी है । आस्थगित कर आस्तियों की केवल उस सीमा तक पहचान की गयी और आगे ले जाया गया है जिस पर यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि पर्याप्त मात्रा में भावी कर योग्य आय उपलब्ध हो जिसके लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त की जा सके । पिछले वर्ष की आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया गया और पहचान की गयी, जिस से भावी कर योग्य आय उपलब्ध है, जिसके प्रति आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त हो सके ।

Schedule No. 2 : Notes to Accounts

1. Significant Accounting Policies

A. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis in accordance with the applicable mandatory Accounting Standards and the relevant provisions of the Companies Act, 2013.

B. Revenue Recognition

i) Revenue from Business Process Outsourcing (BPO) services are recognized on time and material, fixed price and unit priced contracts. Revenue on time and material, unit priced contracts is recognized as the related services are rendered. Revenue from fixed price contracts is recognized as per the proportionate completion method with contract cost determining the degree of Completion.

ii) Services are Recognized net of Service Tax.

iii) Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

C. Fixed Assets

Fixed Assets are stated at historical cost of acquisition less accumulated depreciation.

The company capitalizes all direct costs relating to the acquisition of the fixed assets.

D. Depreciation

i) Depreciation on fixed assets has been provided on Written Down Value method at the rates and in the manner prescribed in the Schedule XIV to the Companies Act, 2013.

ii) Depreciation on the additions to the assets is provided on pro-rata basis, at their respective rates with reference to the date of acquisition.

E. Impairment of Assets

The carrying amount of assets are reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal/external factors, an impairment is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use.

F. Taxation

Tax expense comprises of current and deferred tax. Current tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Indian Income Tax Act. Deferred income taxes are recognized for the future tax consequenses attributable to timing differences between the financial statement determination of income and their recognition for tax purposes. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in the tax rates are recognized in income using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. Deferred tax assets are recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable incomes will be available against which such deferred tax assets can be realized. Unrecognized deferred tax assets of earlier year are reassessed and recognized to the extent that future taxable income will be available against which deferred tax assets can be realized.

जी. खण्डवार रिपोर्टिंग

कंपनी, मुख्यतः सिंडिकेटबैंक को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करनेवाली कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। कंपनी, हार्डवेयर परीक्षण, रिटेल ऋण पर अनुवर्ती कार्रवाई, डाक प्रेषण, कार्ड वैयक्तीकरण सेवाएं, विभिन्न प्रकार के ग्राहक संबंधी आंकडों का संग्रहण तथा बैंकिंग परिचालनों से संबंधित अन्य सेवाएं प्रदान करती है। इन सभी सेवाओं में समान प्रकार की जोखिम और प्रतिलाभ शामिल हैं। इसलिए पहचान की गयी एक ही रिपोर्ट योग्य खण्ड है, यानी, सिंडिकेटबैंक को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करना। कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है।

एच. कर्मचारी लाभ

कंपनी के सभी कर्मचारी सिंडिकेटबैंक के स्थायी कर्मचारी हैं और वे प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं । सभी कर्मचारी लाभ–भविष्य निधि में सांविधिक अंशदान, पेंशन निधि, उपादान निधि और छुट्टी के नकदीकरण से संबंधित देयता का प्रावधान सिंडिकेटबैंक द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर किया गया है।

आई. आकस्मिक देयताएं

कोई आकस्मिक देयताएं नहीं हैं।

जे. प्रावधान

प्रावधानों की पहचान तभी किया जाता है जब पिछले परिणामों के कारण से वर्तमान दायित्व शामिल होता है और यह संभव है कि उस दायित्व के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके । प्रावधानों को उसके वर्तमान मूल्य पर बट्टा नहीं किया गया है और उसका निर्धारण तुलन–पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन प्राक्कलन के आधार पर किया गया है । इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को की जाती है और मौजूदा प्रबंधन प्राक्कलन को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है ।

के. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी, सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप की गयी है जो प्रबंधक वर्ग को उन प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों के लिए अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणों की तारीख रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं की राशियों तथा आलोच्य वर्ष के अंत में परिचालन संबंधी परिणामों को प्रभावित करता है । ये प्राक्कलन चालू परिणामों और कार्रवाइयों के संबंध में प्रबंधक वर्ग की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित होने के बावजूद वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकता है ।

एल. प्रति शेयर अर्जन

मूल प्रतिशेयर अर्जन का परिकलन, उक्त अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए किया गया है । हटाया गया प्रति शेयर अर्जन का परिकलन, ईक्विटी की भारित औसत संख्या तथा उक्त अवधि के दौरान बकाया ह्रासमान ईक्विटी के बराबर शेयरों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहाँ परिणाम ह्रासमान न हो ।

G. Segment Reporting

The company operates as an outsourcing service provider to Syndicate Bank. The company provides services of Hardware testing, Retail loan follow-up, Mailer despatch, Card Personalisation services,creating various customer database and other services facilitating banking operations.

All these services have similar risk and returns. Thus, there is only one identified reportable segment that is outsourcing service to Syndicate bank. There is no reportable geographical segment either.

H. Employee Benefits

All the staff of the company are permanent employees of Syndicate Bank and are on deputation to the company. All the employee benefits - statutory contributions to Provident Fund, Pension Fund, Gratuity Fund and Liability towards Leave Encashment are provided based on information given by Syndicate Bank.

I. Contingent liabilities

There are no contingent liabilities.

J. Provisions

Provisions are recognized when there is present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provsions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

K. Use of Estimates

The preparation of financial statements in confirmity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reporting year end. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

L. Earning per share

Basic earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity and dilutive equity equivalent shares outstanding during the period except where the results would be anti-dilutive.

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार विवरण

Statement Pursuant to Part IV of Schedule VI of the Companies Act, 2013

(रकम ₹ '000 में/Amount in ₹'000)

I.	**पंजीकरण के ब्यौरे/Registration details**	यू 72300 केए2006ओकेसीओ38305 / U72300KA2006OKCO38305		
	राज्य कूट/State Code	08	तुलन पत्र की तारीख/Balance Sheet Date	31-3-2016
II.	**वर्ष के दौरान जुटाई गई पूँजी/Capital raised during the year**			
	सार्वजनिक निर्गम/Public issue	0	अधिकार निर्गम/Right issue	0
	बोनस निर्गम/Bonus issue	0	निजी तौर पर शेयर आबंटन/Private Placement	0
III.	**निधियों का संग्रहण और विनियोजन की स्थिति Position of Mobilisation and Deployment of Funds**			
	कुल देयताएँ/Total Liabilities	102,159.96	कुल आस्तियाँ/Total Assets	102,159.96
	निधियों का स्रोत/Sources of Funds :			
	प्रदत्त पूँजी/Paid up Capital	2,500.00	आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus	97836.55
	जमानती ऋण/Secured Loans	0.00	बेजमानती ऋण/Unsecured Loans	0.00
	निधियों का अनुप्रयोग/Application of Funds:			
	निवल अचल आस्तियाँ/Net Fixed Assets	0.00	निवेश/Investments	0.00
	विविध व्यय/Misc. Expenditure	0.00	संचित हानि/Accumulated losses	0.00
	निवल चालू आस्तियाँ/Net Current Assets	100780.40	आस्थगित कर आस्ति/Deferred tax Asset	809.45
IV.	**कंपनी का निष्पादन/Performance of the Company**			
	आय/Income	55530.96	व्यय/Expenditure	25906.01
	कर से पहले लाभ/Profit before Tax	29624.95	कर के बाद लाभ/Profit after Tax	19814.14
	प्रति शेयर अर्जन/Earnings per Share ₹	79.26	लाभांश की दर/Dividend rate %	0.00
V.	**कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम Generic names of three principal products/services of the company :**			
	मद कूट सं (आईटीसी कूट)/Item Code No. (ITC Code):	लागू नहीं/N A		
	उत्पाद के ब्यौरे/Product description :	सेवाएँ/Services		

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(अरुण श्रीवास्तव/Arun Shrivastava)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(टी. के. श्रीवास्तव/T. K. Srivastava)
उपाध्यक्ष/Vice-Chairman

ह/Sd/
(आर. एस. पाण्डेय/R. S. Pandey)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(नागराज राव आई. पी./Nagaraja Rao I. P.)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(बी. जी. पै/B. G. Pai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(अतुल कुमार/Atul Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(डॉ. पी. नागमणी/Dr. P. Nagamani)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 10.05.2016
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स देव आनंद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 000721एस
As per our report of even date
For M/s DEV ANAND & CO.
Chartered Accountants
FRN: 000721S

ह/Sd/
(सी ए देव आनंद/C A Dev Anand)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner, M. No. 026023

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

दि. 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

ब्यौरे/Particulars	2015-16	2014-15
परिचालन क्रियाकलापों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
सतत परिचालन के संबंध में कराधान से पहले लाभ/Profit before tax from continuing operations	**29,624,950**	23,433,306
कराधान से पहले लाभ और निवल नकदी प्रवाह के समाधान हेतु किया गया गैर नकदी समायोजन Non-cash adjustment to Reconcile Profit before tax to Net Cash Flows		
सतत परिचालनों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Continuing Operations	**166,869**	172,891
उपदान/छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/Gratuity/Leave Encashment Provisions	**(1,009,103)**	275,860
आस्ति की बिक्री पर लाभ/Profit on sale of Assets		(27,385)
ब्याज आय/Interest Income	**(6,740,329)**	(6,267,466)
कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/Operating Profit before Working Capital Changes	**22,042,387**	17,587,206
कार्यशील पूंजी में उतार–चढ़ाव/Movement in Working Capital:		
व्यापार देय राशि में हुई वृद्धि/(कमी)/Increase/(decrease) in Trade Payable		
अन्य चालू देयताओं में हुई वृद्धि (कमी)/Increase/(decrease) in other Current Liabilities	**(1,809,053)**	1,066,893
व्यापार प्राप्य राशियों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in trade receivable	**(5,249,792)**	(581,317)
दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in long term loans and advances	**-**	27,400
अल्पावधि ऋणों और अग्रिमों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in short term loans and advances	**(41,414)**	23,575
अन्य चालू आस्तियों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in other current assets	**826,350**	(2,056,074)
परिचालनों से सृजित नकद/Cash generated from operations	**15,768,479**	16,067,682
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी को घटाकर)/Direct taxes paid (net of refund)	**(10,038,165)**	(7,515,750)
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह/Net cash flow from operating activities	**5,730,314**	8,551,932
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी/Net cash from operating activities	**5,730,314**	8,551,932
निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह/Cash flow from investing activities		
आस्ति की खरीद/Purchase of Assets	**(128,710)**	(15,000)
आस्ति की बिक्री/बट्टा खाते में डाली गयी आस्ति/Sale of Assets/Asset Written off		34,046
प्राप्त ब्याज/Interest received	**6,740,329**	6,267,466
निवेश कार्यकलापों से प्राप्त निवल नकद/Net cash from investing activities	**6,611,619**	6,286,512
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/Cash flow from financing activities		
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आगम राशि/Proceeds from issuance of share capital	**-**	-
वित्तीयन कार्यकलापों से प्राप्त निवल नकद/Net cash from financing activities	**-**	-
नकद और नकदी समतुल्य मदों में निवल वृद्धि/Net increase in cash & cash equivalents	**12,341,933**	14,838,444
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी के समतुल्य मदें/Cash & cash equivalents at the beginning of the year	**77,112,375**	62,273,931
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य मदें/Cash & cash equivalents at the end of the year	**89,454,308**	77,112,375
नोट: नकदी प्रवाह विवरण को नकदी प्रवाह विवरणों से संबंधित लेखाकरण मानक – 3 में निर्धारित किया गया है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिसूचित है। **Notes:** Accounting Standard-3 on Cash Flow Statement as per the Companies Act, 2013.		

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(अरुण श्रीवास्तव/Arun Shrivastava)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(टी. के. श्रीवास्तव/T. K. Srivastava)
उपाध्यक्ष/Vice-Chairman

ह/Sd/
(आर. एस. पाण्डेय/R. S. Pandey)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(नागराज राव आई. पी./Nagaraja Rao I. P.)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(बी. जी. पै/B. G. Pai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(अतुल कुमार/Atul Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(डॉ. पी. नागमणी/Dr. P. Nagamani)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 10.05.2016
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स देव आनंद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 000721एस
As per our report of even date
For M/s DEV ANAND & CO.
Chartered Accountants
FRN: 000721S

ह/Sd/
(सी ए देव आनंद/C A Dev Anand)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner, M. No. 026023

प्रिय शेयरधारक,

विषय: ईसीएस (जमा) के माध्यम से लाभांश का भुगतान/खाते में सीधे जमा।

1. कभी-कभी शेयरधारकों को डाक के जरिए वारंटों के प्रेषण द्वारा लाभांश के भुगतान की मौजूदा प्रणाली के अधीन निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
   क) परेषण में हानि,
   ख) तृतीय पक्ष द्वारा कपटपूर्ण भुनाई,
   ग) डाक में देरी
2. इन समस्याओं से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांशों/ ब्याज इत्यादि के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ई सी एस) की शुरुआत की है, जो शेयरधारकों के लिए उनके बैंक खातों में लाभांशों की समय से सीधे जमा सुनिश्चित करता है।
3. **आगे, भारतीय प्रतिभूति और एक्स्चेंज बोर्ड (सेबी) ने निदेश दिया है कि लाभांशों के वितरण के लिए ईसीएस सुविधा अनिवार्य है।**
4. ई सी एस के अधीन शेयरधारक के बैंक खाते में लाभांश की रकम जमा की जाएगी। इस लेन-देन को कार्यान्वित करने के बाद बैंक शेयरधारक को सीधे एक सूचना पत्र जारी करेगा।
5. संप्रति, यह सुविधा कुछ विशिष्ट केन्द्रों में स्थित बैंकों में खाता रखनेवाले शेयरधारकों को उपलब्ध है और भा.रि.बैं. इस सुविधा को अन्य केन्द्रों में भी शुरू करनेवाला है। विशेष रूप से केवल ई सी एस सुविधा प्राप्त करने के लिए, शेयरधारक के लिए नया बैंक खाता खोलने की आवश्यक नहीं है क्योंकि शेयरधारक के किसी भी मौजूदा बैंक खाते में रकम जमा की जाएगी।
6. कृपया नोट करें कि यदि आपने बैंक विवरण का कोई अधिदेश निर्देश वारंटों के अग्रभाग पर मुद्रित कराने हेतु पहले प्रस्तुत किया है तो उसे निरस्त समझा जाएगा और यदि आपने ई सी एस के लिए विकल्प दिया है तो ई सी एस अधिदेश दर्ज किया जाएगा।
7. **निवेशकों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गये शेयरों के संदर्भ में अपने निक्षेपागार सहभागियों (डीपी) के साथ बैंक खाते ब्यौरे अद्यतन कराएं। कागज़ी रूप में रखे गये शेयरों के संदर्भ में इसके साथ संलग्न ईसीएस अधिदेश फार्म प्रस्तुत करें।**
8. आपसे अनुरोध है कि अपने बैंक खाते का पूरा ब्यौरा उसमें प्रस्तुत करें जहाँ लाभांश की रकम जमा की जानी है। अधिदेश फार्म में दी जाने वाली सूचना सही, पूर्ण और आपके बैंक द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। कृपया पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और अपने बैंक द्वारा जारी एक चेक की फोटो प्रति या रद्द किया गया कोरा चेक संलग्न करें ताकि चेक के निचले हिस्से में सूचित आई एफ एस सी कूट और एम आई सी आर कूट पंक्ति (कोड लाईन) की यथातथ्यता सत्यापित की जा सके।
9. सिंडिकेट बैंक की सभी शाखाएं सी.बी.एस. (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) परिवेश में कार्य कर रहीं है । हमारे पास बचत बैंक/चालू खाता/ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले निवेशकों से अनुरोध है कि वे संलग्न ई सी एस अधिदेश में अपनी 14 अंकों वाली खाता संख्या प्रस्तुत करें ताकि लाभांश को **सीधे** उनके खाते में जमा किया जा सके।
10. कृपया ई सी एस फार्म को विधिवत भर कर सीधे हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजंट अर्थात **मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड, यूनिट: सिंडिकेटबैंक,** कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट सं. 31 से 32, गचीबौली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500 032 को अग्रेषित करें।
11. आपके द्वारा दी गई सूचना गुप्त रखी जाएगी और केवल भविष्य में लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से ही इस सूचना का उपयोग किया जाएगा।

भवदीय,
रवि
(आर. रवि)
कंपनी सचिव

दिनांक: 27.05.2016

Dear Shareholder,

Sub: Payment of Dividend through ECS (Credit) /Direct Credit to the account.

1. At times, the Shareholders may face the following problems under the present system of payment of dividend by mailing of warrants, through post.
   a) Loss in transit,
   b) Fraudulent encashment by third parties,
   c) Postal delay
2. To avoid these problems, the Reserve Bank of India has introduced the Electronic Clearing Service (ECS) for payment of dividend/ interest etc., that ensures the shareholders timely credit of dividends directly into their Bank Account.
3. **Further, the Securities & Exchange Board of India (SEBI) has directed that the use of ECS facility for distribution of dividend is mandatory.**
4. Under ECS, the Bank Account of the Shareholder would be credited with the dividend amount. The Bank would be issuing an advice directly to the shareholder after the transaction is effected.
5. This facility is presently available to shareholders having Bank Account with all Banks at certain specified centres and RBI is proposing to extend this facility to other centres as well. The shareholder need not open any new Bank Account specially for availing ECS facility, as credit will be given to any existing Bank Account of the shareholder.
6. Kindly note that if any mandate instructions of Bank particulars for printing on the face of warrants have been furnished earlier by you, the same will stand cancelled and the ECS mandate will be taken on record, in case you opt for ECS.
7. **Investors are requested to update bank account details with their Depository Participants (DP) in respect of shares held in electronic form. ECS Mandate form annexed may be submitted in respect of shares held in physical form.**
8. We request you to furnish the details of your Bank Account, where the dividend is to be credited. The information to be supplied in the Mandate should be accurate, complete and certified by your Bank. Please attach a self-attested copy of PAN Card and a photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank for verifying the accuracy of the IFSC Code and MICR Code Line indicated at the bottom of the cheque.
9. All the branches of Syndicate Bank are operating under CBS (Core Banking Solutions) environment. The investors maintaining their Savings Bank/Current/Overdraft accounts with us are requested to provide us their 14 digit account number in the ECS Mandate for DIRECT CREDIT of dividend to their accounts.
10. Kindly send the ECS Form/ Bank Mandate duly filled, directly to our Registrars and Share Transfer Agents viz. **M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit: SyndicateBank,** Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 – 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032.
11. The information provided by you will be kept confidential and would be utilised only for the purpose of remitting the future dividend payments.

Yours faithfully,
(R RAVI)
COMPANY SECRETARY

Date: 27.05.2016

This Page is Left Blank

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (क्रेडिट)
ईक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए ई सी एस अधिदेश फार्म
(केवल कागज़ी रूप में रखे गए शेयरों के लिए ही प्रस्तुत किया जाए)

ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT)
ECS MANDATE FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON EQUITY SHARES
(to be submitted only in respect of shares held in physical form)

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी,
प्लॉट सं.31 से 32, गचीबौली
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद – 500 032

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit : SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B
Plot No. 31 – 32, Gachibowli
Financial District, Nanakramguda
Hyderabad – 500 032

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
   First Shareholder's Name (IN BLOCK LETTERS) :

2. पता/Address :

3. शेयरधारक की फोलियो संख्या/Shareholder's Folio No. :

4. बैंक खाते का विवरण/Particulars of Bank Account :

   ए) बैंक का नाम
   A) Bank Name :

   बी) शाखा का नाम तथा शहर (पिन कूट)
   B) Branch Name & City (Pin Code) :

   सी) खाता संख्या (जो चेक बुक पर लिखा गया है)
   C) Account No. (as appearing on the cheque book) :

   डी) खाते का प्रकार (कृपया निशान लगाएं)
   D) Account Type (Please tick) : ब.बैं. SB ☐ चालू Current ☐ नकदी उधार Cash Credit ☐
   (बचत बैंक खाता, चालू खाता या नकदी उधार)
   (SB Account, Current A/c or Cash Credit) :

   ई) बैंक खाते का खाता बही पन्ना सं. (यदि चेक बुक पर दिया गया है)
   E) Ledger Folio No. of the Bank A/c
   (If appearing on the Cheque Book) :

   एफ) बैंक द्वारा निर्गत एमआईसीआर चेक पर दिया हुआ बैंक तथा शाखा की 9 अंकवाली कूट संख्या
   F) 9-Digit Code No. of the Bank & Branch appearing on the MICR Cheque issued by the Bank : ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

कूट संख्याओं की शुद्धता सत्यापित करने के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी किए गए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित 'चेक पन्ने' की एक फोटोप्रति या निरस्त किया हुआ एक कोरा चेक संलग्न करें।
Please attach a photocopy of the 'Cheque Leaf' or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

घोषणा / DECLARATION

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण पूर्ण एवं सही है। अपूर्ण या गलत सूचना के कारण यदि लेन-देन में विलंब होता है या संपन्न ही नहीं होता है तो मैं सिंडिकेटबैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी ।
I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold SyndicateBank responsible.

स्थान/Place :
दिनांक/Date :

प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर
Signature of the First Shareholder

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण हमारे अभिलेखों के अनुसार सही हैं ।
Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

स्थान/Place :
दिनांक/Date :

संबंधित बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर
Signature of the Manager of Bank Concerned

टिप्पणी: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी फोलियो संख्या का अवश्य उल्लेख करें ।
NOTE : Shareholders are requested to furnish their Folio No. without fail.

अनुलग्नक: 1) एकल/प्रथम शेयरधारक के 'पैन' कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति ।
ENCL: Self-attested copy of PAN Card of the sole / first shareholder.

2) बैंक खाते से संबंधित चेक पन्ने की प्रति/निरस्त किया गया चेक पन्ना ।
Copy of / Cancelled Cheque Leaf of the Bank Account.

फॉर्म 2 बी

(नियम 4 सीसीसी एवं 5 डी देखें)

नामांकन प्रपत्र

(उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाए जो अकेले या संयुक्त रूप से आवेदन कर रहे हैं)

मैं/हम.....और.....

और ..... जो सिंडिकेटबैंक के फोलियो नं. .....

के अन्तर्गत शेयरधारक हूँ/हैं एतद्द्वारा निम्न व्यक्ति(यों) को नामित करता/करती हूँ /करते हैं, जिन्हें मेरी अथवा हमारी मृत्यु होने पर शेयरों के मामले में अंतरण और/अथवा देय रकम के बारे में सभी अधिकार होंगे ।

नामिती का नाम और पता

नाम : _____

पता : _____

_____

जन्म तिथि* (* यदि नामिती नाबालिग हो)

**नामिती नाबालिग, जिसका संरक्षक _____

नाम और पता _____

_____

(** यदि लागू नहीं है तो काट दीजिए)

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पता : .....

.....

दिनांक :

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पता : .....

दिनांक:

गवाह का नाम, पता और हस्ताक्षर:

नाम और पता	दिनांक सहित हस्ताक्षर
1. _____	
_____	_____
2. _____	
_____	_____

अनुदेश:

1. नामांकन केवल वे लोग कर सकते हैं जो अपने ही नाम पर या संयुक्त रूप से शेयर के लिए आवेदन करते हैं/शेयर रखते हैं। सोसाइटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझेदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं । यदि शेयर संयुक्त रूप से रखे जाते हैं, तो सभी संयुक्त धारक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। नमूने के लिए जगह दी गयी है । यदि कई संयुक्त धारक हैं तो अधिक पन्ने लगाये जा सकते हैं, जिस पर शेयर धारक व गवाह हस्ताक्षर करेंगे ।
2. नाबालिग को नामित किया जा सकता है, और उस स्थिति में तब उसके संरक्षक का नाम व पता धारक द्वारा दिया जाए ।
3. सोसायटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझीदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं । एक अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तनीय आधार पर नामिति हो सकता है ।
4. शेयर के अंतरण पर नामांकन समाप्त हो जाएगा ।
5. नामिती के पक्ष में शेयरों के अंतरण उसके कानूनी वारिस के प्रति बैंक का वैध उन्मोचन होगा।
6. नामांकन/नामांकन प्रपत्र के बारे में दी जानेवाली सूचना बैंक/रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दो प्रतियों में भरी जाए जो उसकी एक प्रति शेयरधारक को वापस लौटा देंगे।

कार्यालय उपयोग हेतु

क्र. सं. ..... नामांकन प्रपत्र दिनांक ..... को प्राप्त हुआ

पंजीकरण सं. ..... दिनांक: .....

टिप्पणी: .....

.....

अनुलग्नक : पैन कार्ड की स्व-अनुप्रमाणित प्रति

FORM 2B

(See rules 4 CCC and 5 D)

NOMINATION FORM

(To be filled in by individual(s) applying singly or jointly)

I/We.....and.....

and ..... the holder(s) of shares under the Folio No. ..... of SyndicateBank wish to make a nomination and do hereby nominate the following person(s) in whom all rights of transfer and/or amount payable in respect of shares shall vest in the event of my or our death.

Name and Address of Nominee

Name : _____

Address : _____

_____

Date of Birth* (* To be furnished in case the nominee is a minor)

**The Nominee is a minor whose guardian is _____

Name and Address: _____

_____

(** To be deleted if not applicable)

Signature : .....

Name : .....

Address : .....

.....

Date :

Signature : .....

Name : .....

Address : .....

Date :

Address, name and signature of witnesses :

Name and Address Signature with date

1. _____ _____

_____

2. _____ _____

_____

Instructions:

1. The Nomination can be made by individuals only applying/holding shares on their own behalf singly or jointly. Non-individuals including society, trust, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family, holder of power of attorney cannot nominate. If the shares are held jointly, all joint holders will have to sign the nomination form. Space is provided as a specimen, if there are more joint holders more sheets can be added for signatures of holders of shares and witness.
2. A minor can be nominated by a holder of shares and in that event the name and address of the guardian shall be given by the holder.
3. The nominee shall not be a trust, society, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family or a power of attorney holder. A non-resident Indian can be a nominee on repatriable basis.
4. Nomination stands rescinded upon transfer of shares.
5. Transfer of shares in favour of a nominee shall be a valid discharge by the BANK against the legal heir.
6. The intimation regarding nomination/nomination form shall be filed in duplicate with Bank/Registrar & Share Transfer Agents of the Bank who will return one copy thereof to the shareholder.

FOR OFFICE USE

SL. NO. ..... NOMINATION FORM RECEIVED ON .....

REGISTRATION NO. ..... DATE: .....

REMARKS: .....

.....

Encl : Self-attested copy of PAN Card

प्रिय शेयरधारक,

विषय: कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल: कागज़ रहित

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (''मंत्रालय'') ने कंपनियों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेपरलेस अनुपालन अपनाकर कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल (ग्रीन इनीशिएटिव) लागू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में, उक्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. 17/2011 दि. 21.04.2011 और 18/2011 दि. 29.04.2011 के अनुसार कंपनियाँ अब अपने शेयरधारकों को विभिन्न नोटिसें/दस्तावेजों (वार्षिक आम बैठक से संबंधित बुलावा पत्र, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट इत्यादि) को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकती हैं।

समाज के व्यापक हित की दृष्टि से यह एक अनूठी पहल है। इस से कागज की खपत बहुत कम होगी और आम जनता के लिए हरा-भरा पर्यावरण प्रदान करने के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं।

बैंक के प्रत्येक शेयरधारक के लिए यह एक सुनहरा अवसर है क्योंकि वह बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संसूचना प्राप्त करने के लिए केवल आपको अपना ई-मेल आई. डी. बैंक के पास पंजीकृत कराना होगा।

ई-मेल संसूचना के लिए पंजीकरण करने से मिलनेवाले लाभ

- संसूचना तत्काल प्राप्त होगी।
- कागज की खपत कम होगी और पेड़ों को बचाया जा सकता है।
- डाक प्रेषण के दौरान दस्तावेज के गुम होने से बचा जा सकता है।

यदि आप कोई अन्य ई-मेल आई.डी. पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो, कृपया उसे अपने डी.पी. में अद्यतन कराएं (यदि उसका शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म में है तो) और (यदि आपके शेयर कागज़ी फार्म में है तो) मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्राईवेट) लिमिटेड के पास तत्काल अद्यतन करवाएं।

बैंक, वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्टें, उन निवेशकों के पंजीकृत ई-मेल आई.डी. पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करेगा जिन्होंने उक्त सुविधा हेतु विकल्प दिए हैं ।

कृपया नोट करें कि यदि आप फिर भी सभी संसूचनाओं को कागज़ी रूप में ही प्राप्त करना चाहते हैं तो, बैंक उसे आपको नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी।

आइए, हम इस 'हरित पहल' (ग्रीन इनीशिएटिव) में सहभागी बनें।

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

रवि

(आर. रवि)

कंपनी सचिव

Date: 27.05.2016

Dear Shareholder,

RE: Green Initiative in Corporate Governance: Go Paperless

The Ministry of Corporate Affairs ("Ministry") has taken a "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies through electronic mode. In accordance with the circular bearing no.17/2011 dated 21.04.2011 and 18/2011 dated 29.04.2011 issued by the Ministry, companies can now send various notices/ documents (including notice calling Annual General Meeting, Audited Financial Statements, Directors' Report, Auditors' Report etc.) to their shareholders through electronic mode, to the registered email addresses of the shareholders.

It is a welcome move for the society at large, as this will reduce paper consumption to a great extent and allow public at large to contribute towards a greener environment.

This is also a golden opportunity for every shareholder of the Bank to contribute to the Corporate Social Responsibility initiative of the Bank. All you have to do is to register your e-mail id with the Bank to receive communication through electronic mode.

ADVANTAGES OF REGISTERING FOR E-COMMUNICATION

- Receive communication promptly
- Reduce paper consumption and save trees
- Avoid loss of document in postal transit

In case you desire to have a different e-mail id to be registered, please update the same in your DP (if you are holding shares in electronic form) and with M/s Karvy Computershare (P) Ltd. (if you are holding shares in physical form) immediately.

The Bank will be sending Annual Reports 2015-2016, to the investors who have opted through electronic mode to the registered email–IDs of the Investors.

Kindly note that if you still wish to get a physical copy of all the communications, the Bank undertakes to provide the same at no extra cost to you.

Let's be part of this 'Green Initiative'.

With warm regards

Yours faithfully,

(R Ravi)

COMPANY SECRETARY

Date: 27.05.2016

पते में परिवर्तन –अभिलेखों को अद्यतन करने हेतु अनुरोध

सेवा में,

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड
यूनिट: सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी
प्लॉट सं.: 31 से 32, गचीबौली
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद – 500 032

प्रिय महोदय,

विषय: पते में परिवर्तन

मैं/हम एतद्द्वारा आपसे अनुरोध करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि पंजीकरण फोलियो सं. एस वाई एन ..... के लिए मेरे/हमारे पते को अपने अभिलेखों में अद्यतन करें ।

	पुराना पता	**नया पता**
शहर	:	
राज्य	:	
पिन कूट	:	
ई मेल आई डी	:	
दूरभाष संख्या	:	

आपके अनुरोध पर, मैं/हम इसके साथ पते के पहचान की स्व–प्रमाणित प्रति तथा पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न कर रहा हूँ/रही हूँ/रहे हैं ।

कृपया पुष्टि करें कि परिवर्तित पते को अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है।

दिनांक:

भवदीय,

(_____)
प्रथम तथा संयुक्त धारक/कों के हस्ताक्षर
(पंजीकृत नमूने के अनुसार)

अनुलग्नक: 1. पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति।
2. पता प्रमाण (स्व–प्रमाणित दूरभाष बिल / नवीनतम बिजली बिल / पासपोर्ट / मतदान पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेन्स / बैंक पासबुक जिसमें पता हो, के पहले पृष्ठ की प्रमाणित प्रति आदि।

REQUEST FOR UPDATION OF RECORDS – CHANGE OF ADDRESS

To
Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit : SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B
Plot No.: 31 – 32, Gachibowli
Financial District, Nanakramguda
Hyderabad – 500 032

Dear Sir,

Reg: Change of Address

I/We hereby request you to please update my / our change in address in your records for the Registered Folio No.: SYN……..

Old Address **New Address**

City :

State :

Pin Code :

Email ID :

Phone No. :

As requested by you, I / we am / are attaching herewith self-attested copy of Proof of Address (POA) and self-attested copy of PAN Card.

Kindly confirm having recorded the changed address.

Date : Yours faithfully,

(_____)
Signature of the First and Jt. Holder(s)
(as per specimen Registered)

Enclosures: 1. Self-attested copy of PAN card.
2. Address Proof (Self-attested copy of Telephone Bill/Electricity Bill as on a recent date/Passport/Voters ID Card/Driving Licence/Attested copy of I page of Bank Passbook containing address, etc.)

सभी शेयरधारकों से अपील

प्रिय शेयरधारक,

संदर्भ: अप्रदत्त लाभांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (दि.16.10.2006 से लागू) की शर्तों के अनुसार वे लाभांश जो अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित करने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि तक बैंक के पास अदत्त रह जाते हैं, उन्हें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) में अंतरित किया जाना है। उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते हुए ऐसी सभी धनराशियों को जो सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावी रहती हैं, उन्हें दि. 16.10.2013 से निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

वर्ष 2008-2009 तक के अप्रदत्त लाभांश को भारत सरकार के आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है। **उन शेयरधारकों ने जिन्होंने अपने लाभांश वारंट, वर्ष 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, अंतरिम तथा वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 अंतिम के लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने अप्रदत्त लाभांशों का दावा करने के लिए बैंक के निवेशक संपर्क केन्द्र,कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु से संपर्क करें।**

सेबी ने अधिदेश दिया है कि लाभांश को निवेशकों के बैंक खाते में एन ई एफ टी/ ऑन-लाइन के माध्यम से सीधे जमा करें । हमारा आपसे अनुरोध है **यदि कागज़ी रूप में शेयर रखें हैं तो** आप अपने बैंक खाते के ब्यौरे को पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और निरस्त चेक पन्ने के साथ-साथ इस रिपोर्ट में संलग्न ई सी एस अधिदेश में भरकर निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत करें ताकि भविष्य में बैंक के लाभांश को सीधे जमा करने में सुविधा हो।

''कंपनी सचिव, सिंडिकेटबैंक, कॉरपोरेट कार्यालय, निवेशक संपर्क केंद्र, गाँधीनगर, बेंगलूरु – 560 009''.

यदि शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखा गया है तो जिस डिपॉजिटरी सहभागी (डी पी) के पास डी मैट खाते को रखा गया है उसके पास अपने बैंक खाते के ब्यौरे अद्यतन करें।

भवदीय,
रवि
(आर. रवि)
कंपनी सचिव

दिनांक : 27.05.2016

दूरभाष सं.: 080 22283030
ई-मेल आईडी : inrc@syndicatebank.co.in
syndinvest@syndicatebank.co.in

Appeal to all Shareholders

Dear Shareholder,

RE: Unpaid Dividends

In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 (which has come into force from 16.10.2006), the dividends remaining unpaid with the Bank for a period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend account, are liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section (1) of Section 125 of the Companies Act, 2013. In compliance of the above guidelines, all such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund, commencing from 16.10.2013.

Unpaid dividends till Interim 2008-2009 have already been transferred to IEPF of Government of India. **Such of those shareholders, who have not encashed their Dividends for the year(s) Final 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, Interim and Final 2013-2014 and 2014-2015 are requested to approach the Company Secretary at Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance in claiming their unpaid dividends.**

SEBI has mandated credit of dividend directly to the Bank account of investors through NEFT / online. We request you to update Bank account details by submitting ECS Mandate annexed to this report alongwith self-attested copy of PAN Card and cancelled cheque leaf to our office at the following address, **if the shares are held in physical form,** to facilitate direct credit of future dividends of the Bank.

"The Company Secretary, Syndicate Bank, Corporate Office, Investor Relations Centre, Gandhinagar, Bengaluru 560 009".

If the shares are held in Electronic form, Address and Bank account details may be updated with the Depository Participant (DP) with whom Demat account is maintained.

Yours faithfully,
(R Ravi)
COMPANY SECRETARY

Date : 27.05.2016

Phone No. 080 22283030
Email ID : inrc@syndicatebank.co.in
syndinvest@syndicatebank.co.in